लोक सभा वाद–विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(चौदहवां सत्र)

7th Lok Sabha



(खंड 48 में अंक 41 से 52 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

सप्तम माला, खण्ड 48, चौदहवां सत्र, 1984/1906 (शक)

अंक 51, मंगलवार, 8 मई, 1984/ 18 वैशाख, 1906 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	1 —25
*तारांकित प्रश्न संख्या : 969, 970, 972, 974, 976 और 978 से 980	
प्रश्नों के लिखित उत्तर	26—234
तारांकित प्रश्न संख्या : 971, 973, 975, 977, 981 से 989	
अतारांकित प्रश्न संख्या : 10292 से 10426, 10428 से 10524 और 10824-क	
दिनांक 17-4-84 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7782 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	234
दिनांक 17-4-1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7849 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण	234
सभा-पटल पर रखे गए पत्र	240—245
राज्य सभा से संदेश	245—246
प्राक्कलन समिति	246
85वां प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी कार्यवाही-सारांश तथा की-गई-कार्यवाही के बारे में 86वां प्रतिवेदन	
सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति	246
(एक) 15वां प्रतिवेदन	246
(दो) 7 मई, 1984 की बैठक का कार्यवाही-सारांश	246

---

*किसी नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

सभा-पटल पर रखे गये पत्रों संबंधी समिति 247

(एक) 20वां प्रतिवेदन 247

(दो) कार्यवाही-सारांश 247

विधेयक—पुर:स्थापित

बहु-राज्य सहकारी सोसायटी विधेयक 247

विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक 248

अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना 248—261

सीमापुरी (दिल्ली) में हाल ही में भीषण अग्निकांड और उसके परिणामस्वरूप जान-माल की भारी हानि होने का समाचार

श्री राम विलास पासवान 248

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी 248

श्री चिंतामणि जेना 253

श्री मनीराम बागड़ी 255

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी 259

नियम 377 के अधीन मामले 262—268

(एक) बम्बई में छेदा नगर, चेम्बूर और गारोडिया नगर, घाटकोपर में सहकारी आवास समितियों के निवासियों के हितों की रक्षा की आवश्यकता

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी 262

(दो) बंधुआ मजदूर (उत्सादन) अधिनियम के उपबंधों को कड़ा और कठोर करने की आवश्यकता

श्री माधव राव सिन्धिया 262

(तीन) नर कंकालों के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता

श्रीमती मधुरी सिंह 263

(चार) दिल्ली में प्रसाद नगर में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों के कमजोर ढांचे के लिए मुआवजा दिये जाने और आवंटियों से लिये गये अधिक मूल्य को वापस दिये जाने की आवश्यकता

श्री सूरज भान 263

(पांच) पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने तथा चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता

श्री हरिकेश बहादुर 264

(छः) बिहार में महेशखूट से बीहपुर तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 की मरम्मत करने और उस क्षेत्र में नई पक्की सड़कें बनाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव 265

(सात) मुरादाबाद में प्रथमा बैंक में तालाबंदी

श्री चन्द्रपाल सिंह 265

(आठ) राजस्थान में सरदार शहर से हनुमानगढ़ के बीच, बरास्ता मंडी रावतसर, रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता

श्री बीरबल 266

(नौ) लखीमपुर-खेरी (उत्तर प्रदेश) में किसानों से गेहूं खरीदने के लिए संबंधित अधिकारियों को निदेश देने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा 266

(दस) पारादीप बन्दरगाह का आधुनिकीकरण करने और उसे लाभप्रद बनाने के लिए उड़ीसा में रेल सुविधाओं को सुधारने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना 267

(ग्यारह) वैगनों के निरीक्षण कार्य को आर० डी० एस० ओ० से आर० आई० टी० ई० एस० को स्थानान्तरित करने के रेल बोर्ड के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्री वसुदेव आचार्य 268

विश्व भारतीय (संशोधन) विधेयक 269—341,

राज्य सभा द्वारा यथापारित

श्रीमती शीला कौल 269

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 271

प्रो० एन० जी० रंगा 282

श्री राम किंकर 287

आचार्य भगवान देव 288

प्रो० अजित कुमार मेहता 292

श्री संतोष मोहन देव 295

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 297

श्री मनोरंजन भक्त 299

श्री नारायण चौबे 301

श्री गिरधारी लाल डोगरा 304

श्री हरिकेश बहादुर 305

श्री चन्द्रपाल शैलानी 307

श्री ए० के० राय 308

श्री मूलचन्द डागा 311

श्री चित्त बसु 312

श्री गिरधारी लाल व्यास 316

प्रो० सैफुद्दीन सोज 317

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्रीमती शीला कौल 327

बैंककारी सेवा आयोग विधेयक 341—348, 364—387

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी 341

श्री टी० आर० शमन्ना 343

प्रो० रूप चन्द पाल 364

श्री जी० एम० बनातवाला 368

श्री मूलचन्द डागा 372

श्री सतीश अग्रवाल 374

खंडवार विचार

पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री जनार्दन पुजारी 381

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना— 349—364

त्रिपाठी समिति की सिफारिश के अनुसार सीमेंट, कागज, औषधों, पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर विक्रय कर के बजाय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाने में कथित विलंब का समाचार

श्री सूरज भान 349

श्री एस० एम० कृष्ण 349

श्री प्रणव मुखर्जी 353

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा 354

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 357

दिल्ली भाटक नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 387—39

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ 38

श्री सुशील भट्टाचार्य 38

श्री मूल चन्द डागा 39

श्री एम० रामन्ना राय 390

श्री अटल बिहारी वाजपेयी 390

श्री बूटा सिंह 391

खंडवार विचार

संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ 394

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक 394—399

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी 394

श्री एम० रामन्ना राय 396

खंडवार विचार

संशोधित रूप में पारित करने के लिए प्रस्ताव

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी 399

लोक सभा

मंगलवार, 8 मई 1984/18 वैशाख, 1906 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

श्री सतीश अग्रवाल : गण पूर्ति पूरी न होने के लिए आपको सत्ता पक्ष की निन्दा नहीं करनी चाहिए। अब 11 बजकर 5 मिनट हो गए हैं। सत्ता पक्ष के अलावा सारा विपक्ष उपस्थित है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख रहा हूं कि कम से कम अगली कतारें तो पूरी तरह भरी हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : सरकार हमेशा आरोप लगाती है कि हम सहयोग नहीं कर रहे हैं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : आप सदस्यों का—एक इधर से और एक उधर से—जवाब तलब कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह दो चीजों के बीच अन्तर बता रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : यह संसदीय लोकतंत्र है न कि राष्ट्रपति शासन प्रणाली।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : वे बेकार का हल्ला मचा रहे हैं। सदन का कितना समय बर्बाद कर रहे हैं इसका उन्हें पता नहीं है।

श्री सतीश अग्रवाल : यदि सदन से उपस्थित रहना सदन का समय बर्बाद करना है तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : सदन में उपस्थिति पर कोई रोक तो नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि कल से पहले सदस्यों द्वारा अवकाश की मांग करना उन पर भारी पड़ सकता है।

श्री राम विलास पासवान : सर, मेरे यहां मच्छर नहीं मारे जायेंगे तो कैसे काम चलेगा। मैंने लिखकर भी दिया हुआ है कि यह बड़ा गम्भीर मामला है, पूरा राजेन्द्र प्रसाद रोड़ का नाला भरा पड़ा है, गन्दगी की सारे इलाके में भरमार है, जब सैशन चल रहा है तो भी कुछ नहीं हो सकता तो सैशन समाप्त होने के बाद क्या होगा?

श्री मनीराम बागड़ी : क्या सफाई का काम भी आप यहां पर सरदार बूटासिंह जी से करवायेंगे ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मैं श्री बूटासिंह को झाड़ू लेकर श्री पासवान के घर देखना चाहता हूं।

श्री रामविलास पासवान : हमने 3, 4 बार लिखकर दिया है और आज हमने जान बूझकर इसको उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : करेंगे। मैं इस मामले को देखूंगा।

श्री राम विलास पासवान : वह प्रभारी मंत्री हैं।

श्री बूटा सिंह : हां, हां। मैं मामले पर ध्यान दूंगा।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

एक विदेशी दूरदर्शन संस्थान को फिल्मों के निर्माण का ठेका

*969 **प्रो० अजित कुमार मेहता**
श्रीमती किशोरी सिन्हा : } : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार एक विदेशी दूरदर्शन संस्थान को भारत के लिए कुछ फिल्मों के निर्माण का कार्य सौंपने का है :

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं :

(ग) इस परियोजना की कुल लागत और ब्यौरा क्या है :

(घ) क्या सरकार ने इस प्रकार की कार्यवाही से पूर्व इस परियोजना को देश में ही कार्यान्वित करने का प्रयत्न किया था; और

(ङ) यदि हां, तो किए गए प्रयत्नों का ब्यौरा क्या है और उनके क्या परिणाम रहे ?

खेल विभाग में निर्माण और आवास मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) दूरदर्शन का अपने लिए फिल्में बनवाने का काम किसी भी बाहरी टेलीविजन संजाल को सौंपने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रो० अजित कुमार मेहता : 5 साल की जिन्दगी में आज पहली दफा पहला प्रश्न आया है।

श्री राम विलास पासवान : तब तो पार्लियामेंट डिजोल्व होनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : जिन्दगी में किसी न किसी काम के लिए या हर काम के लिए एक दफा पहला मौका होता है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इसी प्रश्न के लिए मैं अपने क्षेत्र से भाग कर आया हूं, और जब मैंने जवाब देखा तो बड़ी निराशा हुई।

अध्यक्ष जी आज के "जनसत्ता" पत्र में फ्रन्ट पेज पर खबर छपी है कि अब टी० वी० पर विदेशी कार्यक्रमों की भरमार रहेगी। इसमें कहा गया है सूत्रों ने बताया कि चार अमरीकी टी० वी० कार्यक्रमो के बारे में शर्तनामे पर शीघ्र ही दस्तखत किया जाएगा। केवल दूरदर्शन अधिकारियों के अन्तिम फैसले की प्रतीक्षा है। ये फिल्मे हैं धारावाहिक कामेडी फिल्म।

"बुक आफ गिनीज" और दूसरी है जासूसी फिल्म "ग्रेट स्मार्ट" पहली फिल्म का प्रसारण जुलाई से शुरू होगा और दूसरी का जाड़े के दौरान।

मैं जानना चाहता हूं जब ऐसा कोई कार्यक्रम ही नहीं है, तो इस खबर में क्या सच्चाई है.....

अध्यक्ष महोदय : उस प्रश्न का इस प्रश्न से कोई सम्बन्ध नहीं है, वह बनाने की बात है।

प्रो० मधु दन्डवते : यह पढ़कर ही उन्होंने 10 दिन पहले सवाल किया था।

श्री मल्लिकार्जुन : अमेरिकन टेलिविजन नेटवर्क द्वारा दूरदर्शन के लिए 1980-84 के दौरान फिल्में तैयार करने का ऐसा कोई प्रस्ताव हमारे पास नहीं आया है, हमने हमारे देश में बाहर के निर्माताओं को कुछ सामाजिक कथानकों के सम्बन्ध में फिल्मों के निर्माण का कार्य सौंपा है और भारत में से ही 86 ऐसे प्रस्ताव स्वीकार किए गए हैं। अतः, अमेरिका द्वारा निर्मित फिल्मों जैसी ऐसी कोई बात नहीं है। मैं प्रेस में प्रकाशित समाचारों पर कार्य नहीं करता हूं। मैं सरकार के समक्ष तथ्यों और वास्तविकताओं पर कार्य करता हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपका प्रेम पर विश्वास नहीं है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : अध्यक्ष जी, ठीक है अखबार में प्रकाशित जो खतरे हैं अगर वह गलत है तो उसका कंट्राडिक्शन हाउस में हो जाय, कोई बुराई नहीं है।

एक माननीय सदस्य . हो गया।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं भी वही कह रहा हूं।

उसी समाचार में आगे कहा गया है जो भी हो दूरदर्शन की खुली नीति से भारती विज्ञान एजेंसियों में इन विदेशी कार्यक्रमों को खरीदने की होड़ लगी है। अमेरिका में उसे भारतीय व्यापारी अशोक चड्ढा ने बताया कि लगभग 60 प्राईवेट फर्मों ने उनसे इन विदेशी कार्यक्रमों के बारे में बात की है।

तो अगर विदेशी फिल्में दिखाने का इरादा नहीं है तो ठीक ही है। लेकिन अगर अपने कार्यक्रमों को सुरुचिपूर्ण और भारतीय संदर्भ में और अधिक योग्य बनाने का विचार है तो जो

भारतीय निर्माता है उनको आप और अपने टी० वी० के द्वारा स्वयं ही इस कार्यक्रम को जिसमें टी० वी० का कार्यक्रम लोगों को और अधिक अच्छा लगे इस बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री मल्लिकार्जुन : पहले हीं बता चुका हूं जहां तक भारतीय निर्माता हैं उनके लिए तो सुविधा है।.....

मैं फिगर भी दे चुका हूं, लेकिन विदेशी के बारे में सरकार के पास कोई विचार नहीं है।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या सरकार फिल्मों के निर्माण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है। यदि हां तो क्या स्वतन्त्रता संग्राम पर फिल्मों की तरह का कोई सलाहकार बोर्ड स्थापित किया गया है। क्या कोई लागत आकलन तैयार किया गया है ?

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक स्वतंत्रता संग्राम और अन्य पर फिल्मों का सम्बन्ध है, हमारे वहां फिल्म प्रभाग है। वे कहानी देते हैं। हम ऐसी सामाजिक कहानियों पर और यहां तक कि स्वतन्त्रता सेनानियों पर भी बाहर के फिल्म निर्माताओं को फिल्में तैयार करने को प्रोत्साहित करते हैं। जहां तक अंदरूनी प्रबन्धों का सम्बन्ध है हम स्वतंत्रता संग्राम के संपूर्ण इतिहास पर फिल्म बनाने जा रहे हैं। जहां तक विदेशी दूरदर्शन तंत्र का सम्बन्ध है जैसा कि उल्लेख किया गया है। हमारा इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या यह सच नहीं है कि भारत में दूरदर्शन फिल्मों की शूटिंग के लिए पूर्ण रूप से सुसज्जित उपकरणों वाले स्टूडियों की नितांत कमी है और अत्याधुनिक कैमरा आदि भी नहीं हैं और इसलिए भारत सरकार इन फिल्मों को विदेशी स्टूडियों में तैयार कराने पर विचार कर रही है। भारत में पूर्ण रूप से सुसज्जित कितने स्टूडियो हैं और उनके पास दूरदर्शन फिल्मों की शूटिंग के लिए अत्याधुनिक मशीनरी है।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक फिल्म प्रभाग का सम्बन्ध है हम कुछ वृत्त चित्र तैयार करते हैं। जब हम बाहरी फिल्म निर्माताओं को कार्य सौंपते हैं तो स्टूडियो का चयन करना उन पर निर्भर करता हैं कि वे किस स्टूडियो में जाते हैं और वे उपलब्ध अद्यतन तकनीक का किस प्रकार लाभ उठाते हैं ? फिल्मों के पूरी होने के पश्चात हम उन्हें दूरदर्शन आदि पर प्रदर्शन हेतु लातु लाते हैं।

(व्यवधान)

हमारे पास बम्बई में फिल्म प्रभाग का एक स्टूडियो है।

(व्यवधान)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आपके पास उस स्टूडियो में उपयोग करने लायक क्या है ?

डा० वसंत कुमार पंडित : वह स्टूडियो अच्छी तरह से सुसज्जित है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया एक दूसरे की बात न काटें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मंत्री जी ने इन्कार किया है कि हमारे दूरदर्शन के लिए विदेशी टेलिविजन तंत्र को फिल्मों के निर्माण के लिए कोई ठेका दिया गया है; परन्तु यह सच है कि उनके वहां मानवीय उपयोग के लिए पहले से ही बनी हुई फिल्में हमारे दूरदर्शन पर दिखाई जा रही हैं, उदाहरणार्थ "येस मिनिस्ठर" "लूसी शो' आदि। परन्तु मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने इस तरह से इस पर विचार किया है कि ये फिल्में लोकप्रिय हो गई हैं और यहां काफी लोग उन्हें देखते हैं, क्या वह या तो उनके निर्माताओं से यह निवेदन करेंगे अथवा उन्हें 'डब' कराने पर विचार करेंगी अथवा भारतीय भाषाओं अर्थात हिन्दी आदि में उप-शीर्षक देकर दिखायेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी, इससे पहले कि आप उसका उत्तर दें, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं : क्या आप हमारी संसद के ऐसे "सुन्दर" सदस्य को इन फिल्मों में अभिनय करने देने को तैयार हैं ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : महोदय, क्या आप चाहते हैं कि मैं यह सदन छोड़ दूं ?

संसदीय कार्य, खेल और निर्माण एवं आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : इस फिल्म का शीर्षक "नो, स्वामी" होना चाहिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : संत की जय।

श्री मल्लिकार्जुन : जहां तक विदेशी फिल्मों के प्रदर्शन का सम्बन्ध है, यह स्पष्ट है कि जो आपने देखा है और जो सभी देख रहे हैं अच्छा है। परन्तु जहां तक निर्माण का सम्बन्ध है वह सम्पूर्ण रूप से एक अलग बात है।

अध्यक्ष महोदय : उप-शीर्षकों के विषय में क्या है ?

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उप-शीर्षकों और हिन्दी में "डबिंग" के विषय में क्या है ?

श्री मल्लिकार्जुन : यदि प्रदर्शन समिति यह महसूस करती है कि उन्हें स्थानीय भाषाओं में बनाया जा सकता है और यदि स्टूडियो उपलब्ध है, इसे सबसे पहले हिन्दी में किया जा सकता है। परन्तु हमें बाहर के निर्माताओं की सहमति लेनी होगी क्योंकि फिल्म को दूरदर्शन पर दिखाने के लिए खरीदा गया है। यदि हम उसे "डब" करना चाहें तो हमें निर्मा-

ताओं की अनुमति लेनी होगी। जब तक वे इससे सहमत न होंगे हमें उसे यहां डब करने का अधिकार नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अन्य देशों में ऐसा किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया इस पर विचार करें।

कोयले से कार्बन निकालने के सिद्धांत और उनकी प्रक्रिया में सफलता प्राप्त करना

*970 **श्री ए० के० राय :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान "इकनोमिक टाइम्स" के दिनांक 29 जनवरी, 1984 के कलकत्ता संस्करण तथा दिनांक 31 जनवरी 1984 के नई दिल्ली संस्करण में "ब्रेक थ्रू इन कोक टैक्नालाजी" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कोयले से कार्बन निकालने के सिद्धांत और प्रक्रिया से प्राप्त सफलता के बारे में तथ्य क्या है और उनके बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) कोक तकनालाजी में ईंधन और खनन इन्जीनियरों की तीन सदस्यों वाली टीम ने जिस नवीन विधि को खोज निकालने का दावा किया है वह अभी तक स्थापित नहीं हुई है। उन्हें यह सलाह दी गई है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र या किसी अन्य इस्पात संयंत्र के कोक ओवनों में कोल इण्डिया लि०/केन्द्रीय खान आयोजन और डिजाइन संस्थान लि० के तकनीकी अधिकारियों की देख रेख में इस तथाकथित नई तकनालाजी का प्रयोग करते हुए नमूने के आधार पर पूरा कार्य किया जाए ताकि आवश्यक परिमापों की जांच के लिए कोक के नमूने लिए जा सकें।

श्री ए० के० राय : गैर-कोकिंग कोयले को कोकिंग कोयले में बदलने में सफलता, भारत जैसे देश के लिए हमारे देशवासी के अन्तरिक्ष में जाने अथवा अंटार्कटिका की यात्रा से भी अधिक महत्वपूर्ण समाचार है और मंत्रालय ने ऐसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट के साथ न्याय नहीं किया है। हमारे पास 100 से भी अधिक वर्षों तक चलने वाले गैर-कोकिंग कोयले के विशाल भंडार हैं, परन्तु हमारा 'कोकिंग कोल' भंडार बहुत कम हैं और वह अधिक से अधिक 30-40 वर्ष तक चलेगा और वह भी कोई अच्छी किस्म का नहीं है उसमें राख की मात्रा अत्यधिक है जिसके कारण हमें अपनी इस्पात फैक्ट्रियों के लिए 1000 रुपए प्रति टन की लागत पर कोकिंग कोयला आयात करने पर मजबूर होना पड़ता है और हमने पहले ही दस लाख टन से अधिक कोयला आयात कर लिया है।

फरवरी 1984 की 'ऊर्जा .9, 16 फरवरी और 2 अप्रैल के 'इकानामिक टाइम्स', 9, 19 फरवरी के 'केपिटल', 22 जनवरी के 'आज' (हिन्दी समाचार पत्र), 20 फरवरी के 'न्यू स्केच' में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई है कि एक अथवा दो टन नहीं वरन् 4400 टन गैर कोकिंग कोयले को 'कोकिंग कोल' में बदला गया है, और इसे भारतीय इस्पात प्राधिकरण, 'सेकान' के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया है और यह परीक्षण आपके भूतपूर्व खनन इन्जीनियरों में से एक 'सी० एम० पी० डी० आई० एल०' के अध्यक्ष ने किया है और वे कुछ योग्यता रखने वाले व्यक्ति हैं। उसके बाद भी आप किस आधार पर कहते हैं कि इस प्रोद्यौगिकी का विकास नहीं हुआ है।

क्या आपके विशेषज्ञों ने इसकी जांच की है, इसका सत्यापन किया है ? यदि यह सच है तो इस घटनापूर्ण खोज के बारे में सत्यता को सुनिश्चित करने के लिए पिछले 5 महिनों में किए गए आपके प्रयासों का ब्यौरा सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री दलबीर सिंह : यह दल पहल करके इस परीक्षण के लिए आगे आया है, और उन्होंने एक निजी फर्म के सहयोग से प्रयोगशाला की स्थापना की है। हम यह कोयला आवंटित कर रहे हैं। विभिन्न कोयला खानों से हमने फरवरी 1982 में 50 टन आवंटित किया, मई 1982 में यह 700 टन और 500 टन था। नवम्बर 1982 में हमने 500 टन और फरवरी 1983 में 750 टन और मार्च 1983 में 400 टन कोयला आवंटित किया। हम उन्हे उनकी मांग के अनुसार आवंटन कर रहे हैं।

उसके पश्चात उन्होंने हमसे इस प्रकार का 1500 टन कोयला आवंटित करने को कहा। 'सी०पी०एम०डी०आई०एल०' द्वारा सत्यापन के पश्चात और कुछ शर्तों सहित हमने उन्हें यह कोयला भी चरणबद्ध रूप में और एक निश्चित अवधि के लिए देना स्वीकार किया। अतः यह सच कहते हैं कि हम उन्हें सहायता नहीं दे रहे हैं, परन्तु उन्होंने अभी तक इसे स्थापित नहीं किया है और हमने कहा है कि किसी भी इस्पात संयन्त्र में हमारी देखरेख में अथवा 'सी० एम० पी० डी० आइ० एल०' की देखरेख में। यदि यह उनके पर्यावेक्षण के अधीन किया जाता है और यह स्थापित हो जाता है तो हम इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। अभी तक की यह स्थिति है।

श्री ए० के० राय : महोदय, यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। मैं आपकी सहायता चाहता हूं। मेरा मुद्दा यह है कि सी०एम०पी०डी०आई०एल० का भूतपूर्व चेयरमैन भी, कोई कर्मचारी नहीं, इस परियोजना से सम्बिन्धित है। उन्होंने यह दावा किया है कि उन्होंने 4400 मीट्रिक टन कोकिंग कोयले का उप्पादन किया है।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के सामने खड़ी हुई माननीय महिला सदस्यायें, जो कि खड़ी हुई हैं, मेरा और माननीय सदस्यों का ध्यान बटा रही हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : श्रीमन्, क्या मैं आपकी तरफ से माननीय महिला सदस्यों से अनुरोध कर सकता हूं कि वे इस समय बात न करें।

श्रीमती गीता मुखर्जी : यह पहला अवसर है कि हम बोल रहे हैं। सामान्यतः हम चुप बैठते हैं।

श्री ए० के० राय : इस पर आपकी ओर से भी गंभीर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए मैंने उनसे अनुरोध किया है कि वे ध्यान न बंटायें।

श्री० ए० के० राय : इसलिए महोदय, मेरी शिकायत यह नहीं है कि कोल इण्डिया लिमिटेड पर्याप्त मात्रा में कोयले की सप्लाई नहीं कर रहा है। यह मेरी शिकायत नहीं है। वे कोयला सप्लाई कर रहे हैं और इसी कारण वे इसका उत्पादन कर रहे हैं क्योंकि वहां कोयले की दूसरी कोई सप्लाई नहीं है। आज की तारीख तक उन्होंने 4000 मीट्रिक टन कोयले का उत्पादन किया है और इसे नमूना जांच की आवश्यकता है कि आपने जो गैर-कोकिंग कोयला सप्लाई किया है वह दस्ताकाला तथा कुछ अन्य क्षेत्रों से निकला जीरो जिंक कोयला सप्लाई किया है। जिस गैर-कोकिंग कोयले की उन्होंने सप्लाई की है उसकी जांच की जानी होगी।

नमूना जांच संकेतों के ऐसे ज्ञात बैरोमीटर हैं जो इस कोयले के स्वरूप को प्रदर्शित कर देंगे। इसके बाद आप इसे दुर्गापुर कोयला भट्टी में चार्ज कर सकते हैं। आप इसे बोकारो कोयला भट्टी में चार्ज कर सकते हैं। लेकिन वह बाद की बात है। पहला मुद्दा यह है कि क्या गैर-कोकिंग कोयले को कोकिंग कोयले में बदला जा सकता है जिसका अर्थ हैं मूल्यों में तीन गुना वृद्धि हो जाना और इससे देश की समूची प्रोद्यौगिकी में परिवर्तन आ जाएगा। मैं सी०एफ०आर०आई० के निदेशक की, इसके आविष्कारक को बधाई देते हुए कुछ पंक्तियों को पढ़ना चाहूंगा :

> "यह सच है कि '0'/1 से स्वयं कोयले में दरार पड़ जाती है और मौजूदा कोक-भट्टी उप-उत्पाद प्रोद्यौगिकी के अनुसार इससे तब तक सीधे धातुकर्मीय कोयला नहीं बनता जब तक कि इसे इसके समक्ष कोयले के साथ मिश्रित नहीं किया जाता·····तथापि आपका दावा प्रत्यक्षतः भिन्न है। आपने किसी कोयले का मिश्रण बिना कोक बनाया है। कुछ रसायनों के मिश्रण से ऐसा मिश्रण बन जाता है जिसका आप प्राथमिकता वाले उत्पाद के रूप में दावा करते हैं। एक वैज्ञानिक के रूप में मुझे इस बात से प्रसन्नता है और मैं एक बार पुनः आपको और आपके मुवक्किल को अपनी बधाई और शुभ कामनायें देता हूं।"

इसलिए इसे कुछ विश्वसनीयता मिली है। इसलिए इस पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाना चाहिये।

महोदय, दूसरा मुद्दा जो मैं प्रस्तुत करना चाहूंगा वह यह है। यह मुद्दा आप सबकी रुचि का है। स्टील कोयला भट्टी एक गौण उत्पादन है और यह प्रयोग छत्ताधानी कोक भट्टी से किया गया था और जो कोई चीज छत्ताधानी कोक भट्टी में हो सकती है वह गौण उत्पाद कोक भट्टी में नहीं हो सकती। इसलिए आप चुनौती दें कि ऐसा हो सकता है तब आप कुछ प्रोद्योगिकीय भूल करेंगे। आपके पास अपने गौण-उत्पाद कोक भट्टियां हैं जो बन्द पड़ी हैं। क्या आप वहां यह प्रयोग करेंगे और क्या आप इस बात की जांच करने के लिए कि यह परीक्षण सही है अथवा नहीं, अपने सी० एफ० आर० आई० के लोगों से कहेंगे अथवा अपने मन्त्रालय से किसी व्यक्ति को भेजेंगे ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : अध्यक्ष महोदय, किसी पार्टी को हमारे द्वारा जीरो जिंक कोयला सप्लाई किया जाता है, उसके बारे में कोई विवाद नहीं है और मेरे माननीय दोस्त यह सिद्ध करने का प्रयास करते रहे हैं कि सी० एम० पी० डी० आई० एल० के भूतपूर्व चेयरमैन एवं प्रबन्ध निदेशक (सी० एम० डी०) उन व्यक्तियों में से एक हैं जो इस प्रकार का दावा करते रहे हैं। उस दावे और उस दावे की प्रतिष्ठापित की जा रहा सत्यता के बीच बड़ा भारी अन्तर है। महोदय वहां तीन अधिकारी हैं, उनमें एक है सी० एम० पी० डी० आई० एल० के भूतपूर्व चेयरमैन—प्रबन्ध निदेशक श्री घोष, दूसरे सी० एफ० आर० आई० के भूतपूर्व सहायक निदेशक श्री एस० एस० चौधरी और तीसरे हैं भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के डिप्टी०—सी० एम० ई० जिन्होंने एक प्रयोगशाला स्थापित की है। उन्होंने किसी गैरसरकारी कम्पनी के सहयोग से अनुसंधान का कार्य शुरू किया है। जब समाचार पत्रों में यह समाचार आया और यह दावा किया गया कि वे गैर-कोकिंग कोयले को कोकिंग कोयले में रूपान्तरित करने में सफल हुए हैं तो उनसे इस बात का अनुरोध किया गया कि वे उस तथाकथित कोयले की सप्लाई को जो उन्होंने पहले ही प्रमाणित कर दिया है। और उनसे इस बात का भी अनुरोध किया गया कि प्रयोगों के लिए व्यवस्थाएं की जा सकती हैं और वे स्वयं उपस्थित रहें तथा बी० सी० सी० एल० के अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे ताकि वे यह बता सकें कि वे वस्तुतः किस तरीके से सफल हुए हैं। लेकिन उन्होंने यह परीक्षण नहीं किए। इसीलिए मेरे साथी ने यह कहा था कि उन्होंने जो दावा किया है वह सिद्ध नहीं हुआ।

अब, आप सी० एफ० आर० आई० के बारे में पूछ रहे थे। सी० एफ० आर० आई० की टिप्पणियां भी मिल गयीं। 'इकोनोमिक टाइम्स' में जो प्रकाशित हुआ उसके आधार पर आप मुझे उद्धृत करने की अनुमति दें। सी० एफ० आर० आई० ने बताया है :

> उनकी राय प्रेस विज्ञप्ति में दी गई उस राय पर आधारित है जिसमें कि तकनीकी ब्यौरे का अभाव है और जो सभी वैज्ञानिक सिद्धान्तों और ज्ञात तथ्यों का प्रत्यक्षतः खंडन करता है। हम तथ्यों का पता किए बिना दावों की वैधता के बारे में और आगे कोई टिप्पणी नहीं देना चाहेंगे। चूंकि यह आविष्कार एक गैरसरकारी संगठन द्वारा किया गया

बताया गया है, दबाकर रखा गया रहस्य तथ्यों का केवल तभी पता लग सकता है जबकि सभी सम्बद्ध लोगों के पूरे सहयोग से इसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाये।

हम उन्हें अपना पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं। यदि मेरे मित्र अपनी यह शुभकामनायें देते हैं कि हमारे हित के प्रयोजन के लिए प्रयोगशाला के लोगों द्वारा किए जा रहे प्रयोग सफल हो तो हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन अब तक हमारे प्रयास सफल नहीं हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री के० ए० स्वामी। अनुपस्थित हैं।

राष्ट्रीय पन-बिजली निगम के अन्तर्गत पन-बिजली का उत्पादन

*972. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) (एक) केन्द्रीय क्षेत्र और (दो) राज्य क्षेत्र में छठी योजना के दौरान पन-बिजली उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं;

(ख) उपर्युक्त दोनों क्षेत्रों में दिसम्बर, 1983 तक पन-बिजली उत्पादन की वास्तविक उपलब्धि और कार्य-निष्पादन क्या रहा है ;

(ग) राष्ट्रीय पन-बिजली निगम के लक्ष्यों में कमी और धीमी प्रगति के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या राष्ट्रीय पन-बिजली निगम के अध्यक्ष को लगातार बदला गया है और/अथवा राष्ट्रीय पन-बिजली निगम के अध्यक्ष के रूप में तकनीकी रूप से योग्य उपयुक्त व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई और यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों के दौरान इतनी अधिक बार अध्यक्ष बदलने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) और (ख) ताप विद्युत तथा जल विद्युत उत्पादन के लिए अलग-अलग लक्ष्य प्रति-वर्ष के आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान जल विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्यों का ब्यौरा तथा मार्च, 1984 तक प्राप्त किया गया वास्तविक उत्पादन आगे दिया गया है :—

(मिलियन यूनिट में)

	उत्पादन का निर्धारित लक्ष्य			वास्तविक उत्पादन		
वर्ष	राज्य	केन्द्रीय	जोड़	राज्य	केन्द्रीय	जोड़
1980-81	46881	119	47000	46498	34	46532
1981-82	46260	240	46500	49344	214	49558
1982-83	47325	675	48000	47450	823	48273
1983-84	47929	1071	49000	48969 (अनन्तिम)	898	49867 (अवन्तिम)

(ग) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा नेपाल में हाथ में ली गई देवीघाट जल विद्युत परियोजना निर्धारित कार्यक्रम से काफी पहले पूरी हो गई है तथा बैरा स्यूल और लोकतक के मामले में कार्य राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा निर्धारित किए गए अपने लक्ष्यों के अनुसार चल रहा है। जम्मू व कश्मीर में सलाल परियोजना के सम्बन्ध में जहां पर गम्भीर भू-तकनीकी कठिनाइयां आने के कारण कार्य पिछड़ गया था, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने लक्ष्य को 1987 से आगे बढ़ा दिया है तथा पहली यूनिट दिसम्बर, 1985 में चालू किये जाने की सम्भावना है। बिहार में कोयलकारो परियोजना की प्रगति स्थानीय लोगों द्वारा लगातार अवरोध किये जाने के कारण पिछड़ गई है।

जहां तक बैरा-स्यूल परियोजना का सम्बन्ध है, 1983-84 के दौरान वास्तविक उत्पादन तथा निर्धारित लक्ष्य निम्नानुसार हैं :—

लक्ष्य — 920 मिलियन यूनिट

वास्तविक उत्पादन — 849 मिलियन यूनिट

विद्युत उत्पादन में कमी का मुख्य कारण जल का अन्तर्वाह संभावना से कम होना है।

लोकतक जल विद्युत परियोजना, जिसने वाणिज्यिक उत्पादन 1.6.83 से आरम्भ किया था, केवल एक महीना 25 दिन के लिए चली, क्योंकि इसे विद्युत उत्पादन सुरंग गिर जाने के कारण रोकना पड़ा था। इस अवधि के दौरान परीक्षण के तौर पर यूनिटें चालू किये जाने से हुये उत्पादन को छोड़कर कुल 36 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ था।

(घ) अभी तक राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के लिए चार अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशकों की नियमित आधार पर नियुक्ति की गई है। उनमें से सभी पर्याप्त प्रबन्धकीय क्षमता के साथ उपयुक्त

रूप से योग्य तकनीकी कार्मिक थे/हैं ; इसके अतिरिक्त नियमित रूप से अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक की लम्बित नियुक्ति के दौरान, उच्च प्रशासनिक योग्यता तथा अनुभव वाले इस विभाग के एक अधिकारी को कुछ अवधि के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार भी सौंपा गया था ।

डा० वसन्त कुमार पंडित : दिया गया विवरण यह प्रदर्शित करता है कि केन्द्रीय क्षेत्र में वे गत चार वर्षों से लक्ष्य से नीचे हैं, और लक्ष्य के कुछ ब्यौरे दिए गए हैं । एक परियोजना, देवी-घाट परियोजना को छोड़कर सभी परियोजनायें किसी न किसी कारण से हानि उठा रही हैं । आपने स्वयं कहा है कि बेरा-स्यूल और लोकतक परियोजनाओं को पानी के कम प्रवाह के कारण हानि हो रही है । यह विवरण यह भी जाहिर करता है कि इसमें कुछ त्रुटिपूर्ण आयोजना रही है । पानी का यह कम प्रवाह एक कारण है जिससे परियोजनायें अलाभकारी हो गयी हैं । जहां तक लोकतक परियोजना का सम्बन्ध है, इसे केवल एक महीना तथा कुछ दिन ही चलाया जा सकेगा । हम इस बात का ब्यौरा जानना चाहेंगे कि किन कारणों से राष्ट्रीय जल विद्युत निगम एक परि-योजना को छोड़कर सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है । जम्मू और कश्मीर में एक परियोजना के मामले में आपके सामने गंभीर भू-तकनीकी समस्यायें हैं, बिहार में कियोलकारा परियोजना के मामले में भूमि अथवा अन्य किसी कारण से स्थानीय लोगों द्वारा विरोध किया जा रहा है । क्या आप हमें उन सभी परियोजनाओं के बारे में और अधिक विवरण देने की कृपा करेंगे जिनका प्रबन्ध राष्ट्रीय जलविद्युत निगम द्वारा किया गया है ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : अपने विवरण में मैंने उत्पादन लक्ष्य और वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा दिया है । केन्द्रीय क्षेत्र में 119 मिलियन यूनिटों का उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन यह सच है कि केवल 34 मिलियन यूनिटों का ही उत्पादन किया जा सका । लेकिन 1981-82 में 240 मिलियन यूनिटों के उत्पादन लक्ष्य की तुलना में 214 मिलियन यूनिटों का उत्पादन किया गया ; 1982-83 में 675 मिलियन यूनिटों के लक्ष्य की तुलना में 832 मिलियन टन यूनिटों का उत्पादन हुआ । और 1983-84 में 1,071 मिलियन यूनिटों की तुलना में हमें 898 मिलियन यूनिटों का उत्पादन होने की आशा है ।

लोकटक जलविद्युत परियोजना, जिसने वाणिज्यिक उत्पादन 1 जून, 1983 से शुरू किया था, केवल एक महीने और 25 दिन के लिए ही चल सकी क्योंकि इसे विद्युत उत्पादन सुरंग गिर जाने के कारण बन्द करना पड़ा और इसमें केवल 36 मिलियन यूनिटों का उत्पादन हो सका जिसमें परीक्षण के दौरान हुए यूनिट उत्पादन शामिल नहीं है । अन्य परियोजनाओं और ब्यौरे के बारे में बात की जाए, मैंने उन परियोजनाओं के ब्यौरे दिए हैं जो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा शुरू की गयी हैं । यदि वह मुझसे और अधिक प्रश्न पूछें तो मैं उनका उत्तर दूंगा ।

डा० वसन्त कुमार पंडित : मेरा दूसरा पूरक प्रश्न राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के प्रबन्ध के

बारे में है। आपन बताया है कि आपन एक नियमित आधार पर चार चेयरमैन—प्रबन्ध निदेशक (सी० एम० डी० एस०) नियुक्त किए हैं। क्या आप उन चारों के नाम तथा उनके ठहरने की अवधि बताने की कृपा करेंगे और क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि एक के बाद एक को क्यों छोड़ दिया गया तथा समूचे निगम को एक रुग्ण निगम बना दिया गया ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं इस बात से सहमत नहीं कि निगम रुग्ण है। मैं समझता हूं, कार्य सन्तोषजनक है।

श्री सतीश अग्रवाल : लेकिन वह निगम उतना स्वस्थ भी नहीं है जैसे कि आप हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : धन्यवाद।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : वह आपसे ज्यादा स्वस्थ हैं।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : जो व्यक्ति सी० एम० डी० के पद पर रहे, उनके नाम ये हैं, श्री एस० एन० राय जो 1 जून, 1976 से 19 मई, 1978 तक इस पद पर रहे, 1978 में उनकी पदोन्नति कर दी गयी और उन्हें केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का चेयरमैन नियुक्त कर दिया गया। 20 मई, 1978 को मेजर जनरल टी० वी० जगन्नाथन ने पदभार संभाला वह इस पर 12 जून, 1980 को अपनी सेवानिवृत्ति होने तक रहे। विद्युत विभाग के संयुक्त सचिव श्री पी० एम० बेलीधा को 13 जून, 1980 को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया और वह 17 फरवरी, 1982 तक यह प्रभार संभालते रहे। उसके बाद 17 फरवरी को श्री बी० जी० कोचर को इस पद पर नियुक्त किया गया और वह 11 जुलाई, 1983 तक इस पद पर रहे। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया क्योंकि वे सेवानिवृत्त होने के बाद एक संविदा के आधार पर कार्य कर रहे थे।

प्रो० एन० जी० रंगा : केवल दो महीने उन्होंने कार्य किया।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : वह ठेके के आधार पर कार्य कर रहे थे। उसके बाद श्री पी० जी० नबी की नियुक्ति की गयी।

अध्यक्ष महोदय : इतने सारे ब्यौरे··· (**व्यवधान**)

श्री आरिफ मोहम्मद खां : उन्होंने उन व्यक्तियों के नाम, जो सी० एम० डी० के पद पर रहे तथा वह कितनी अवधि इस पर रहे और उनके बदले जाने के कारण क्या थे, पूछे थे। 11 जुलाई, 1983 को श्री पी० जी० नबी की नियुक्ति की गयी और वह अभी भी इस पद पर कार्य कर रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : क्या मैं जान सकता हूं कि इस संगठन के प्रमुखों की बार-बार इस प्रकार की कम अवधि के लिए किन कारणों से नियुक्ति की गई ? तब ऐसा लगता है कि इनमें से

कुछ व्यक्ति उस तरीके से, जिसमें कि इस संगठन के प्रमुखों के रूप में इनकी नियुक्ति की गयी थी, असंतुष्ट थे। एक को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया गया. दूसरे को सेवानिवृत्त हो जाने देने के के लिए नियुक्त किया गया और उसकी सेवानिवृत्ति के बाद उसे कुछ महीने और रखा गया। इस प्रकार से नियुक्तियां करना अच्छा नहीं है। इसी कारण से इन मित्र को यह जानकारी दी गयी और उन्हें यह प्रश्न पूछना है।

श्री पी० शिवशंकर : क्षमा करें यह बात सही नहीं लगती क्योंकि जिन महाशय ने त्यागपत्र दिया है वह उन्होंने सेवानिवृत्त की आयु पूरी होने पर त्यागपत्र दिया। वह एक वर्ष और पांच महीनों तक उस पद पर रहे क्योंकि वह सेवानिवृत्त हो गए थे और उस अवधि के दौरान इस पद पर उनका कार्यकाल बढ़ाया गया था। उन्होंने त्यागपत्र दे दिया और उसके तत्काल बाद 11 जुलाई 1983 को दूसरा व्यक्ति नियुक्त कर दिया गया।

प्रो० एन० जी० रंगा : उनकी सेवानिवृत्ति की आयु पूरी हो गयी थी और फिर भी उन्हें एक महीने से आपके लिए और रखा गया ?

श्री पी० शिवशंकर : कभी-कभी आवश्यकताओं की ऐसी मांग होती है कि सेवानिवृत्त की आयु पूरी होने पर भी किसी व्यक्ति का कार्यकाल बढ़ाया जाए। कभी-कभी सेवाकाल में वृद्धि की जाती है। यदि ऐसी कोई परियोजना है जो पूरी होने वाली हो और यदि उसमें उस व्यक्ति की महत्वपूर्ण भूमिका है तो उसे रोके रखा जा सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या ताप बिजली परियोजनाओं में ईंधन के मौजूदा दबावों के कारण जल विद्युत का उत्पादन करना अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद होगा जिससे कि देश में बिजली सम्बन्धी विभिन्न आवश्यकताएं पूरी हो सकें।

यदि हां, तो क्या विभिन्न नदियों के बहाव के बारे में नेपाल के साथ कोई करार करना उचित नहीं होगा ताकि पर्याप्त पन-बिजली ऊर्जा के उत्पादन से हम काफी हद तक अपना पन-बिजली उत्पादन बढ़ाने में समर्थ हो सकें और हम इस विशेष स्रोत के जरिए से देश की ऊर्जा उत्पादन की दो-तिहाई से अधिक आवश्यकता पूरी करने में समर्थ हो सकेंगे ?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : हम पहले ही कह चुके हैं कि सातवीं योजना के दौरान हम पन-बिजली के उत्पादन को अधिक महत्व देंगे। नेपाल के साथ करार के बारे में बातचीत चल रही है और हम आशा करते हैं कि इस सम्बन्ध में हम जल्दी ही किसी समझौते पर पहुंच जायेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे पिछले तीन सालों से यह उत्तर मिल रहा है कि बातचीत चल रही है··· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : श्री भीखाभाई।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, आप मुझे स्पष्ट क्यों नहीं कर देते हैं ? मैं इस प्रश्न को चार बार पूछ चुका हूं किन्तु चारों बार मुझे वही जवाब मिला है ।

अध्यक्ष महोदय : कितने सत्र की बात है ।

प्रो० मधु दण्डवते : इसी से तो वार्ता में विलम्ब हो रहा है ।

राष्ट्रीयकरण के पश्चात् कोयला खानों के कर्मचारियों को खपाया जाना

*974. **श्री डी० पी० यादव**†
श्री शिव प्रसाद साहू } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खानों के राष्ट्रीयकरण से पूर्व सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व काम करने वाले सभी कर्मचारियों को चाहे वह अस्थायी हों अथवा दैनिक मजदूरी पर हों, स्थायी रूप से खपा लिया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो कोल इंडिया लि० चित्रा देवघर (बिहार) के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् लगभग दो हजार दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों (कोल कटर्स) की, जो कोल इंडिया लि० (एक सरकारी उपक्रम) के प्रशासन के सीधे नियंत्राधीन ट्रक लोडरों के रूप में कार्य कर रहे थे, नियमित संवर्ग में खपाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) राष्ट्रीयकरण से पूर्व कोयला खानों में काम कर रहे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और आदिवासी श्रमिकों को बाहर के श्रमिक ठेकेदारों के चंगुल से छुड़ाकर प्रतिनिधित्व देने और उनकी सेवाओं को नियमित करने के लिए क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (कोयला विभाग) (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 की धारा 14 के अनुसार जो कामगार नियुक्त तारीख (1.5.1973) से तुरन्त पहले कोयला खानों में नौकरी करते थे वे सभी उन्हीं शर्तों पर ही कोयला कम्पनियों के कर्मचारी हो गए जिन पर वे राष्ट्रीयकरण से पहले काम करते थे ।

(ख) कंपनी ने सूचित किया है कि ऐसे 2308 कामगार हैं जो भूतपूर्व चित्रा ग्रुप की खानों में काम करते थे । इन कामगारों को उस छानबीन समिति द्वारा छानबीन करने के बाद कम्पनी की

नौकरी में ले लिया गया था । जिसका गठन उन सभी व्यक्तियों के दावों की छानबीन करने के लिए किया गया था जो भूतपूर्व मालिकों की सेवा में होने का दावा करते थे ।

(ग) ऊपर भाग(क) में उल्लिखित रोजगार की शर्तों को पूरा करने वाले सभी कामगार, जिनमें अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित कामगार भी शामिल थे, कोयला कम्पनियों के कर्मचारी हो गए ।

अध्यक्ष महोदय : श्री डी० पी० यादव ।

श्री सतीश अग्रवाल : ऐसा लगता है कि यहां से जाने के बाद उनमें कुछ परिवर्तन आ गया है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह एक कमजोरी है, कोई भी व्यक्ति किसी महिला की उपेक्षा नहीं कर सकता ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : महोदय, आपको टिप्पणी करनी चाहिए । संतारूढ़ दल के सदस्य की उदासीन दशा देखिए ।

प्रो० मधु दण्डवते : उन्होंने विवरण नहीं पढ़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : वे अब जरूरत से ज्यादा संतुष्ट हैं ।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : वह बिना कुछ जाने ही संतुष्ट हैं, बहुत अच्छा । अज्ञानता में ही सुख है ।

श्री डी० पी० यादव : महोदय, मुझे कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछना है ।

सरकारी उपक्रमों के निदेशक मंडलों में अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों के अधिकारियों को मनोनीत करना

*976. **श्री राम विलास पासवान** †
श्री मोहम्मद असरार अहमद } : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अधीन प्रत्येक सरकारी उपक्रम के निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने निदेशक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के हैं ;

(ख) सरकारी उपक्रमों के निदेशक मंडलों में सरकारी प्रतिनिधियों के रूप में अधिकारियों

का मनोनयन करने के लिए क्या मानदण्ड अपनाये जाते हैं; और

(ग) क्या ऐसे निदेशक मंडलों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसी अधिकारी का मनोनयन करने का कोई प्रस्ताव है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) से (ग) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रत्येक उपक्रम के निदेशक मंडल में निदेशकों की संख्या संलग्न अनुबन्ध में दर्शाई गई है।

2. सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों के निदेशक मंडल में निम्नलिखित होते हैं :

(क) कार्यात्मक (पूर्ण कालिक निदेशक)

(ख) अंशकालिक (सरकारी निदेशक)

(ग) अंश-कालिक (गैर-सरकारी निदेशक)

सार्वजनिक क्षेत्रीय उद्यमों के अध्यक्ष, सह-प्रबन्ध निदेशक सहित कार्यात्मक निदेशकों का चयन सार्वजनिक उद्यम चयन मंडल द्वारा किया जाता है।

3. अंश-कालिक सरकारी निदेशक सरकारी अधिकारी होते हैं, जिनको सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के निदेशक मंडल ने सम्बन्धित विभागों/मंत्रालयों/राज्य सरकारों में उनके द्वारा धारण किए गए पदों के आधार पर मनोनीत किया जाता है और सामान्यतः इन उपक्रमों से सम्बन्धित संयुक्त सचिव/निदेशक इस प्रकार नामित किए जाते हैं। अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए विशेष आरक्षण सरकारी अधिकारियों की केवल भर्ती/पदोन्नति के समय किया जाता है।

4. अंश-कालिक गैर-सरकारी निदेशक सामान्यतः जनता के वे व्यक्ति होते हैं जो औद्योगिक, वाणिज्यिक, वित्तीय, प्रशासन अथवा श्रम के क्षेत्र में ख्याति/विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं और ऐसा हित नहीं रखते जिससे मंडल में उनके सेवा कार्यों में उनके उद्देश्यों पर कोई प्रभाव पड़े।

5. रसायन और उर्वरक मंत्रालय के ऐसे 12 अधिकारी हैं जिनको अंश-कालिक सरकारी निदेशकों के रूप में नामित किया गया है और उनमें से कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग से नहीं है। तथापि, 17 अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशकों में से एक अनुसूचित जाति वर्ग से है।

6. उपरोक्त के अलावा दो उपक्रमों के निदेशक मण्डल में 6 ऐसे निदेशक भी है जो विदेशी संयुक्त उद्यम भागीदारों के प्रतिनिधि हैं ।

अनुबन्ध

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के नाम और इस समय विद्यमान निदेशकों की संख्या दर्शानेवाली सूची ।

क्र० सं०	सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रमों के नाम	निदेशकों की संख्या
1.	फर्टिलाइजर कार्पो० आफ इंडिया लि०	10
2.	हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन	5
3.	राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०	8
4.	नेशनल फर्टिलाइजर लि०	6
5.	मद्रास फर्टिलाइजर लि०	*7
6.	पाइराइट्स फास्फेट्स एण्ड कैमिकल्स लि०	7
7.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	7
8.	प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि०	8
9.	पारादीप फास्फेट लि०	**6
10.	इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	13
11.	हिन्दुस्तान एण्टीबायोटिक्स लि०	9
12.	स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	3
13.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०	15
14.	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लि०	11
15.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि०	6
16.	साउदर्न पेस्टीसाइड्स कार्पो० लि०	9

*संयुक्त क्षेत्र की दो विदेशी कम्पनियों अर्थात् मै० अमोको और मै० नियोक, प्रत्येक द्वारा दो, नामित चार गैर सरकारी निदेशक शामिल हैं ।

**संयुक्त क्षेत्र की विदेशी भागीदार, नारु सरकार द्वारा नामित दो गैर-सरकारी निदेशक शामिल हैं ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने स्टेटमेंट में बतलाया है कि उनके यहां 16 उपक्रम हैं और उनमें कुल मिलाकर 120 डायरेक्टर्स हैं। इन 120 में से एक भी शेड्यूल कास्ट का नहीं है। एक इन्होंने बताया है कि अंशकालिक हैं जो अनुसूचित जाति वर्ग से हैं। अध्यक्ष महोदय, जैसा कि सदन को मालूम है कि बोर्ड आफ डायरेक्टर्स का पद काफी पावर्स का होता है और किस पोस्ट को डिरिजर्व करना है, यह इनके लेवल से ही तय होता है।

अध्यक्ष महोदय : इलेक्टेड होते हैं या नामीनेटेड।

श्री राम विलास पासवान : नामीनेटेड होते हैं और उनका क्राइटेरिया यह रखा गया है कि जो वाणिज्यिक, प्रशासन, वित्तीय, श्रम में विशेषता प्राप्त हों। ऐसी परिस्थिति में ऐसे लोगों का मिलना कोई मुश्किल नहीं है और यह आपके डिस्क्रेशन पर है। यह महत्वपूर्ण पद है और मंत्री महोदय, सांठे साहब हमेशा चिंतित रहते हैं और सरकार भी कहती है कि शेड्यूल कास्ट के बारे में उसकी नीति साफ है जबकि ऐसे स्थानों पर उनको प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाता और यह बैकलाग पूरा नहीं किया गया है।

इस सम्बन्ध में इनकी क्या पालिसी है ?. एक-सौ बीस पोस्ट्स में से एक भी शेड्यूल्ड कास्ट्स की नहीं है। सरकार इस सम्बन्ध में क्या विचार कर रही है और कितनी पोस्ट्स शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइबस को देने के लिए विचार कर रही है ?

श्री वसन्त साठे : अध्यक्ष जी, जो एक-सौ बीस पोस्ट्स के बारे में बताया गया है, उनमें से 97 तो आफिशियल हैं। उन पर आफिशियल पार्ट-टाइम डायरेक्टर, फंक्शनल डायरेक्टर और उसमें जो सरकारी मुलाजिम हैं, उन्हीं में से आदमी लेने पड़ते हैं। अब उसमें प्रोमोशन के आधार पर एस० सी० और एस० टी० के लोग तो आ ही जायेंगे। ऐसे लोग उन स्तरों पर नहीं हैं तो उस पर मेरा बस नहीं चलता।... (**व्यवधान**) बीस, नॉन-आफिशियशिल पोस्टों की जगह हैं। दो-तीन बोर्डों पर नॉन-आफिशियल पोस्ट भरी नहीं गई थी। अब हमने नॉन-आफियल लोगों को लेना शुरू किया है। मैं बता देना चाहता हूं कि तीन बोर्डों में तीन नाम नॉन-आफिशियल एस० सी० और एस० टी० के सजेस्ट कर दिए हैं और अप्रूव हो गए हैं। उनकी पोस्टिंग अभी प्रोसेस में है। हमारी नीति यह है कि जो 16 बोर्ड हैं. उनमें कम से कम एक एस० सी०, एक एस० टी० और एक माइनोरिटी का होना चाहिए। इसके मुताबिक हम अमल करेंगे।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष जी, रिजर्व बैंक आफ इण्डिया, रेलवेज, यू० पी० एस० सी० या कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है, जहां उपलब्ध नहीं हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि एक्ट और फैक्ट अलग होते हैं। जो आफिसर जितना टैक्टफुल होता है, वह उतना ही सारे मामले को गोल-माल कर देता है। आपने यह बना रखा है कि निदेशक के पद का व्यक्ति ही संयुक्त सचिव होगा। मैं अभी नाम नहीं लेना चाहता, बाद में बता दूंगा। आपके यहां जो डायरेक्टर बने हैं डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के बने हैं। डायरेक्टर रैंक के नहीं हैं। शेड्यूल्ड कास्ट्स में

भी डिप्टी सेक्रेटरी रैंक के हैं लेकिन बात सिर्फ खोजने की है। इसीलिए मैंने यह प्रश्न उठाया था। बड़े पैमाने पर पोस्टें डी-रिजर्व हो रही हैं। उसका कारण यही है कि यहीं पर आकर सारा मामला खत्म हो जाता है। क्या सरकार कोई पालिसी बनाने जा रही है कि शेड्यूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो भी पोस्ट डी-रिजर्व होगी, वह मंत्री लेवल पर ही होगी। मंत्री जी देखें कि उम्मीदवार नहीं है और सेटीस्फाइड हो जाएं तब उस पोस्ट को डी-रिजर्व करें।

श्री वसन्त साठे : यदि किसी डिप्टी सेक्रेटरी या नीचे के लेवल का कोई व्यक्ति लिया गया है, जैसा कि आप कह रहे हैं, इस बारे में आप मुझे बताइए (**व्यवधान**)

श्री राम विलास पासवान : मैं, नाम बता दूंगा।

श्री वसन्त साठे : मैं आपको आश्वासन देता हूं कि यदि एस० सी० और एस० टी० के आफिसर्स हमारे पास उपलब्ध हैं तो हम उन्हें जरूर किसी न किसी बोर्ड में डाल देंगे। इस बारे में हमारे दिल में कोई हिचकिचाहट नहीं है। डी-रिजर्व करने का जो सुझाव आपने दिया है, उस पर विचार करेंगे।

तेल और गैस विकास योजनाओं की सहायता के लिए समुद्र में निर्माण कार्य और शिपयार्ड-सुविधाएं

*978. **श्री हरिकेश बहादुर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और गैस के विकास सम्बन्धी महत्वाकांक्षी योजनाओं को समुचित समर्थन प्रदान करने के लिए देश में समुद्र में निर्माण कार्य करने और शिपयार्डों (पोत निर्माण कारखाने) की सुविधाओं को बढ़ाने सम्बन्धी स्थिति क्या है; और

(ख) चालू वित्त वर्ष के अन्त तक तथा सातवीं योजना के अन्त तक कितना विकास कार्य पूरा कर लिए जाने का प्रस्ताव है।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने, देश में अपतटीय क्षेत्रों में तेल की खोज के अपने कार्यकलापों के लिए आवश्यक विभिन्न किस्मों के जलपोतों के निर्माण के लिए विभिन्न शिपयार्डों को आर्डर दिये हैं जो इस प्रकार हैं :

अपतटीय ड्रिलिंग रिग

एम० डी० एल०—तीन जैक अप रिग

एच० एस० एल०—एक ड्रिलशिप

अपतटीय सप्लाई जलपोत

(1) जी० आर० एस० ई०, कलकत्ता—तीन

(2) एच० एस० एल०, विशाखापतनम—चार

(3) जी० एस० एल०, गोवा—तीन

(4) एच० डी० ई०, हावड़ा—दो

(5) एम० डी० एल०, बम्बई—आठ

बहुउद्देशीय सहायक जलपोत

एम० डी० एल०, बम्बई—तीन

उपरोक्त जलपोतों के अलावा, एम० डी० एल० द्वारा अपतटीय प्लेटफार्मों का निर्माण किया जा रहा है। पूर्वी समुद्र तट पर ऐसी सुविधाएं एच० एस० एल० में सृजित की जा रही हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या देश में अपतटीय क्षेत्रों में तेल खोज के कार्यों के लिए सभी अपेक्षित उपकरणों का निर्माण करने में देश आत्मनिर्भर है।

श्री पी० शिव शंकर : ऐसा नहीं है।

श्री हरिकेश बहादुर : यदि नहीं, तो क्यों नहीं ? इसे भी स्पष्ट किया जाना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री पी० शिव शंकर : स्थिति यह है कि पिछले दशक के अन्त में मुश्किल से 10 प्रतिशत उपकरण देश में बनाये गये और उनका उपयोग तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जाता रहा। आज स्थिति यह है कि देश में निर्मित 40 प्रतिशत उपकरणों का इस्तेमाल तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा किया जा रहा है, वे आगे भी सुविधाओं का विकास कर रहे हैं। एक पहलू जिसे माननीय सदस्य ने मूल प्रश्न में पूछा है जिसे, मैं कह दूं कि उस पर भूल से ध्यान नहीं दिया गया, वह प्रश्न है—वर्ष 1984-85 में क्या स्थिति है ? आपने यह पूछा है, मैं यह बता दूं कि वर्ष 1984-85 में 13 प्लेटफार्म अथवा संयंत्र अधिष्ठापित किए जाने हैं। इनमें से 12 का माजागांव गोदियों में और एक का विदेशी यार्डों के माध्यम से निर्माण किया जाएगा।

श्री हरिकेश बहादुर : ऐसे उपकरणों, जो अपतटीय क्षेत्रों में तेल खोज के कार्यों के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, के निर्माण में कितने देश अधिक विकसित हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या इन उपकरणों का देश में ही निर्माण करने के लिए भारत किसी दूसरे

देश से इस प्रकार की आधुनिकतम प्रौद्योगिकी का आयात करेगा। क्या सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव है। और यदि ऐसा प्रस्ताव है तो मैं जानना चाहूंगा कि इसका आयात किस देश से किये जाने का प्रस्ताव है।

श्री पी० शिव शंकर : काफी संख्या में विकसित देशों जैसे फ्रांस, नॉर्वे, अमरीका, कनाडा आदि ने आधुनिकतम उपकरण बनाये हैं। इस सम्बन्ध में विस्तार में जाना मेरे लिए कठिन होगा। कुछ मामलों में रूस आधुनिकतम उपकरणों की सप्लाई में आगे रहा है। मैं देखता हूं कि कुछ मामलों में पोलैण्ड जैसे कुछ देशों ने अच्छा काम किया है। इसलिए जहां कहीं यह आवश्यक है, उपकरणों की किस्म को ध्यान में रखते हुए हम प्रौद्योगिकी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और इन देशों में से कुछ देश प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के लिए भी आगे आ रहे हैं जो हमारे देश द्वारा राष्ट्र के व्यापक हित के लिए किया जा रहा है।

फिल्म फेडरेशन आफ इण्डिया द्वारा राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम का बहिष्कार

*979. **श्री लक्ष्मण मलिक†**
श्री जी० एम० बनातवाला } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया ने राष्ट्रीय चलचित्र विकास निगम का बहिष्कार करने और सेंसर प्रमाणपत्र के लिए कोई फिल्म न भेजने का निर्णय किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त फेडरेशन ने फिल्म उद्योग से आगामी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह से दूर रहने और इसके लिए एक भी फिल्म की प्रविष्टि न भेजने का निदेश दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

खेल विभाग में, निर्माण और आवास मंत्रालय में और संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) भारतीय फिल्म महासंघ ने 12 अप्रैल, 1984 को सरकार को सूचित किया था कि महासंघ के तत्वावधान में फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों की 10-11 अप्रैल, 1984 को हुई बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के कार्यकरण में कोई सहयोग न देने, वह तारीख निश्चित करने जिससे उद्योग के सदस्य सेंसरशिप के लिए आवेदन नहीं करेंगे और आगामी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह से सहयोजित न होने का निर्णय लिया गया था।

(ग) भारतीय फिल्म महासंघ का यह विचार था कि फिल्म उद्योग द्वारा सामना की जा

रही विभिन्न समस्याओं के प्रति सूचना और प्रसारण मंत्रालय का रुख सहानुभूतिपूर्ण नहीं है तथा मंत्रालय फिल्म निर्माताओं के केवल एक वर्ग विशेष अर्थात् तथाकथित "कला फिल्म निर्माताओं" के संवर्धन से ही सम्बन्धित है।

श्री लक्ष्मण मलिक : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताया है कि फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया ने महसूस किया कि फिल्म उद्योग द्वारा उठाई जा रही विभिन्न समस्याओं के प्रति सूचना और प्रसारण मंत्रालय का सहानुभूतिपूर्ण रवैया नहीं है। इस सम्बन्ध में क्या मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि यह आरोप कहां तक सच है ? इस समय फिल्म उद्योग के सम्मुख मुख्य समस्यायें क्या हैं व क्या फिल्म उद्योग द्वारा उठाई जा रही मुख्य कठिनाइयां फिल्म उद्योग द्वारा सरकार की जानकारी में लाया गया है और यदि हां, तो इन कठिनाइयों को हल करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया द्वारा जिन कुछ मुख्य बातों को महत्व दिया गया है वे वीडियो द्वारा फिल्मों की चोरी के बारे में हैं और उनमें एक बात यह भी थी कि फिल्म सेंसर के केन्द्रीय बोर्ड का अतिरिक्त चेयरमैन दक्षिण का होना चाहिए। फिर, सेंसर बोर्ड के गठन के बारे में वे कहते हैं कि उसमें अधिकांश सदस्य फिल्म उद्योग के होने चाहिए। प्रमाणन की अवधि के बारे में बताया जाता है कि यह आम तौर पर 10 वर्ष के लिए है। फिल्म फेडरेशन ने बताया है कि वे चाहते हैं कि इस अवधि को बढ़ाकर 25 वर्ष तक किया जाना चाहिए, उन्होंने एक ज्ञापन दिया है और एक ज्ञापन प्रधान मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री को भी दिया गया है, मंत्रालय इस मामले की सहानुभूतिपूर्वक जांच कर रहा है। इस अभ्यावेदन के प्रस्तुत किए जाने के बाद सूचना तथा प्रसारण मंत्री ने 18 अप्रैल, को एक बैठक बुलाई थी तथा यह कहा कि सरकार हर संभव यह देखने की कोशिश करेगी कि फिल्म उद्योग जिन-जिन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, उन्हें दूर किया जाना चाहिए और साथ ही फिल्म उद्योग को अनुकूल वातावरण बनाने हेतु सरकार के सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए।

श्री लक्ष्मण मलिक : महोदय, फिल्म फेडरेशन आफ इंडिया ने पुनः आरोप लगाया कि सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय केवल एक वर्ग विशेष फिल्म निर्माताओं अर्थात् तथाकथित 'कला' फिल्म निर्माताओं के संवर्धन से ही सम्बन्धित है। यदि यह आरोप सच है, तो अन्य फिल्म निर्माताओं को उनकी फिल्मों के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन क्यों नहीं दिया गया। यदि यह आरोप सही नहीं है, तो सरकार द्वारा अन्य श्रेणियों की फिल्मों के संवर्धन के लिए गत तीन वर्षों के दौरान क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्री मल्लिकार्जुन : महोदय, यह सच नहीं है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कला फिल्म निर्माताओं का प्रोत्साहन दिया जाता है। लेकिन इसके साथ-साथ इसका मतलब यह नहीं है कि वाणिज्यिक फिल्म निर्माताओं को हतोत्साहित किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : कला फिल्मों को प्रोत्साहन दिया ही जाना चाहिए।

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तेल और गैस का पता लगना

*980. **श्री चिन्तामणि जेना†**
श्री नवीन रावणी } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के अन्वेषण दल ने मध्य प्रदेश के सतपुड़ा और विन्ध्य क्षेत्रों में तथा महाराष्ट्र के कुछ भागों के 550 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में तेल और गैस के काफी बड़े भण्डार का पता लगाया है;

(ख) क्या प्रारम्भिक सर्वेक्षण कर लिया गया है यदि हां, तो उससे क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इस क्षेत्र से तेल और गैस की खोज के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रारम्भिक भू-वैज्ञानिक तथा भू-भौतकीय सर्वेक्षण कार्य किये जा रहे हैं। उपरोक्त सर्वेक्षणों से प्राप्त आंकड़ों का हाइड्रोकार्बनों की खोज के लिए सम्भावित क्षेत्रों को अंकित करने के लिए विश्लेषण किया जायेगा।

श्री चिन्तामणि जेना अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने प्रश्न का उत्तर नकारात्मक दिया है, इस संदर्भ में मैं उनका ध्यान 14 अप्रैल के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' दिल्ली संस्करण में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं। समाचार पत्र ने लिखा है कि सरकारी सूत्रों ने सुस्पष्ट ढंग से बताया है कि सतपुड़ा और विन्ध्य में तेल होने का पता चला है और वहां बड़ी मात्रा में हाइड्रोकार्बन उपलब्ध है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है। यदि यह सच नहीं है, तो क्या मैं जान सकता हूं कि अन्वेषण कार्य कब आरम्भ किया गया है और क्या ऐसी कोई समय सीमा निर्धारित की गई है जिसके अन्तर्गत वे विन्ध्य क्षेत्र से गैस तथा तेल प्राप्त होने की संभावना के बारे में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, वर्ष 1960-61 से मध्य प्रदेश में विभिन्न तलछटियों में भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण किया गया है, नमूने एकत्र किए गए हैं और संभावित क्षेत्रों को अंकित करने हेतु विश्लेषण किया गया है। आठवें दशक के आरम्भ के वर्षों के दौरान सोवियत विशेषज्ञों ने भी खोज कार्य किया था। इन अध्ययनों ने हाइड्रोकार्बनों की खोज के लिए अनुमान से संभावना क्षेत्र अंकित किए हैं।

वस्तुत: इस समय की स्थिति के अनुसार अब तक तलछटी का 17,500 किलो मीटर का क्षेत्र भू-वैज्ञानिक के नक्शे के अन्तर्गत आ गया है। 1983-84 के वर्तमान फील्ड सीजन में ग्रेविटी

मैगनेटिक पार्टी द्वारा लगभग 523 स्टेशनों का माप किया गया है। अभी विभिन्न कार्य चल रहे हैं। हमने सातवीं पंचवर्षीय योजना में इन कार्यों को तेज करने की योजना बनाई है। यहां तक कि 1984-85 में हमने सर्वेक्षण और खुदाई के कार्यक्रम भी निर्धारित किए हैं।

श्री चिंतामणि जेना : महोदय, मन्त्री महोदय द्वारा दिए गए उत्तर से आप मेरी बात से सहमत होंगे कि सारे देश में इस तरह के खोज के कार्य में अत्यधिक विलम्ब किया गया है जिससे हमारे देश की प्रगति की उपेक्षा की गई है। अतः क्या मैं माननीय मन्त्री से यह जान सकता हूं कि प्राकृतिक गैस, तेल आदि के इस तरह के खोज कार्य के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ताकि हमारे देश से प्राकृतिक गैस और तेल के उत्पादन से ही हमारे देश की खपत पूरी की जा सके।

श्री पी० शिव शंकर : महोदय, आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि तेल क्षेत्र का कार्य-निष्पादन बिना किसी संदेह के, बहुत विशिष्ट और उत्साहजनक रहा है। मेरे साथी ने मध्य प्रदेश के बारे में विशेष रूप से प्रश्न पूछा है। इसीलिए मैंने यह ब्यौरा दिया है, लेकिन यदि वे जानना चाहता हैं कि 1984-85 के लिए वास्तव में क्या खोज कार्यक्रम है, तो इस सम्बन्ध मैं सम्भवतः मैं कह चुका हूं कि हम सर्वेक्षण और खुदाई का कार्य करेंगे। वस्तुतः दो भू-वैज्ञानिक पार्टियां और एक ग्रेविटी मैगनेटिक पार्टी मध्य प्रदेश में वर्ष 1983 और 1985 में कार्य करेंगी। सम्भवतः यदि हमें कुछ सकारात्मक जानकारी मिलती है तो हम खुदाई का कार्य आरम्भ करेंगे। अन्यथा यह सम्भव नहीं होगा क्योंकि इस सम्बन्ध में समाचारपत्रों में जो खबर छप रही है, वह मुझे खेद है कि बिल्कुल कल्पनात्मक है।

श्री सतीश अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह बात सन्तोषजक है कि भारत तेल के उत्पादन में आत्म-निर्भरता प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है और हमने तेल के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। मैं माननीय मन्त्री से जानना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि सेयूज से यात्रा करने वाले अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लिए गए फोटोग्राफों से राजस्थान के विभिन्नि भागों में गैस तथा तेल के भण्डार होने के बारे में आशाजनक परिणाम का संकेत मिला है ? यदि हां, तो आप इन फोटोग्राफों का विश्लेषण करने में कब तक समर्थ हो जायेंगे और इस सम्बन्ध में कब तक निर्णय लेंगे।

श्री पी० शिव शंकर : अध्यक्ष महोदय, शायद यह बात अगले प्रश्न में आ जायेगी जिसका मैं उत्तर देने जा रहा हूं।

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, मन्त्री महोदय जानते हैं कि प्रश्न पूछने के लिए सदस्य उपस्थित नहीं है।

श्री पी० शिव शंकर: महोदय, वह इन्जीनियर रह चुके हैं, इसलिए वे इसे जानते हैं। अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लिए गए फोटोग्राफों के बारे में मैं यह कह दूं। कि इन फोटोग्राफों का अभी विश्लेषण किया जाना है और उनका अर्थ निकाला जाना है। यह इसलिए कि हमें किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले काफी कुछ कार्य करना है, हमने अनुरोध किया है कि हमें ये फोटोग्राफ अवश्य उपलब्ध कराये जायें ताकि हम इस सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक अध्ययन कर सकें। इस अवस्था में मैं जो भी बात कहूंगा वह अत्यन्त असामयिक है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त होता है।

आंध्र प्रदेश में राजा मुंदरी के निकट प्राकृतिक गैस भण्डार

*971. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आंध्र प्रदेश में राजामुंदरी के निकट हाल ही में नए प्राकृतिक गैस भण्डारों का पता लगा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां ।

(ख) हाल ही में राजामुंदरी से लगभग 60 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में भीमानापल्ली-1 में प्राकृतिक गैस का पता चला है । परीक्षण के दौरान वहां 1/4" की चौक से 27,300 घन मीटर प्रति दिन की दर से गैस निकली थी ।

मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई स्पीड डीजल के रिटेल डीलरों को उपलब्ध कराए गए आउट फिट आयल पम्प

*973. **श्री भीखाभाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई स्पीड डीजल के रिटेल डीलरों को उपलब्ध कराये गए आउट फिट पम्पों के डीलरों द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद न तो जांच की जाती है और न ही उनकी मरम्मत की जाती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पुराने पुर्जे बदलने अथवा उनके नवीकरण के लिए फालतू पुर्जे उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं; और

(ग) लगभग कितने समय के पश्चात् समूची आउट फिट और मशीनरी को ओवरहाल किया जाना चाहिए ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) और (ख) जी नहीं ।

(ग) तेल कम्पनियों द्वारा प्रत्येक तिमाही रख-रखाव सम्बन्धी नियमित निरीक्षण किया जाता है । जब भी आवश्यक होता है ओवरहाल किया जाता है ।

तेल ईन्धन के वैकल्पिक स्त्रोत

*975. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकसित राष्ट्रों ने अपने वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान और खोज से तेल ईंधन के वैकल्पिक स्त्रोतों का पता लगाने में सफलता प्राप्त की है;

(ख) यदि हां, तो किस तरह से; और

(ग) इस सम्बन्ध में हमारे देश के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अनुसंधान की प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) विकसित राष्ट्रों ने बायोमास और कोयले का तेल में रूपान्तरण से मदिरा का उत्पादन जैसे कुछ क्षेत्रों में कुछ सफलता प्राप्त कर ली है। फिर भी तेल या तेल के विकल्प के लिए, वैकल्पिक स्त्रोतों के रूप में द्रव्य ईंधन के उत्पादन के लिए अन्य सम्भव तरीके अभी भी अनुसंधान और विकास के स्तर पर हैं।

(ग) इस सम्बन्ध में, केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, धनबाद और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने विभिन्न प्रौद्योगिकी के मार्गों के द्वारा कोयले का तेल में रूपान्तरण के बारे में आधारभूत प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी का विकास किया है। शीरे से मदिरा का उत्पादन देश में पहले से ही वाणिज्यिकृत है। लेखन सामग्री, अन्तरदहन इंजनों और मोटरकारों में ईंधन के रूप में मदिरा के प्रयोग के लिए प्रौद्योगिकी का हमारे देश में विकास किया गया है। फिर भी हमारे देश में मदिरा का ईंधन के रूप में विस्तृत प्रयोग, रासायनिक खाद्य सामग्री के रूप से उसके प्रयोग की तुलना में कम लाभदायक है और वर्तमान प्रौद्योगिकी के द्वारा उत्पादित मात्रा की रसायन उद्योग द्वारा आवश्यकता होगी।

गहन अनुसंधान कार्य के द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रगति की जा रही है :—

(1) लिग्नो-सेलुलोसिक सामग्री का प्रयोग करके मदिरा का उत्पादन करना।

(2) पेट्रो फसल की जुताई और हाइड्रो-कार्बनों का निष्कर्षण।

(3) वैकल्पिक द्रव्य ईंधन के रूप में हाईड्रोजन का उत्पादन और प्रयोग।

भारतीय तेल निगम (विपणन प्रभाग) लिमिटेड में अधिकारियों का स्थानान्तरण

*977. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय तेल निगम लिमिटेड (विपणन प्रभाग) में "ए" से "एच" ग्रेड में ग्रेड-वार कितने अधिकारी हैं;

(ख) उनमें से ग्रेड-वार कितने अधिकारी किसी एक स्थान पर चार वर्ष या उससे अधिक समय से तैनात हैं;

(ग) इस सम्बन्ध में निगम द्वारा बनाये गये मानदण्डों के विपरीत उन्हें किसी एक जगह पर चार वर्ष या उससे अधिक समय तक रहने देने की अनुमति दिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) उनमें से ग्रेड-वार कितने अधिकारियों को अप्रैल-मई 1984 के दौरान एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित किया गया है;

(ङ) उनमें से कितने ऐसे अधिकारी "उच्च तकनीकी किस्म" के पदों पर कार्य कर रहे हैं जिन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता और वे किन पदों पर कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार का कार्य कर रहे हैं; और

(च) स्थानान्तरित किए जाते समय अधिकारियों की "विशिष्ट समस्याओं" पर विचार करने के लिए निगम द्वारा बनाई गई स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी मार्गनिर्देश का ब्योरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (च) एक विवरण पत्र सभा पटल पर प्रस्तुत है।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी।

विवरण

(क) 1 जनवरी, 1984 को इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग) में अधिकारियों की अनुमानित संख्या नीचे दी गयी है :—

ग्रेड	—ए	975
,,	—बी	992
,,	—सी	358
,,	—डी	183
,,	—ई	72
,,	—एफ	32
,,	—जी	22
,,	—एच	11
	योग	2645

(च) मार्गदर्शी निर्देशों की विशेष बातें नीचे दी गई हैं :—

स्थानान्तरण के लिए विचारनीय विषय

(1) निगम के कार्य की अत्यावश्यकतायें;

(2) अधिकारियों की पदोन्नति होने पर या नये पदों का सृजन किए जाने के परिणाम-स्वरूप रिक्त पदों को भरना;

(3) अधिकारियों के कैरियर के विकास के उद्देश्य से क्रमवार (रोटेशनल) नियुक्तियां;

(4) किसी विशेष स्थान पर मांग, जहां किसी अधिकारी के विशिष्ट ज्ञान या विशेषता की आवश्यकता हो;

(5) मानवीय आधार पर किसी विशेष स्थान से या किसी विशेष स्थान पर स्थानान्तरण के लिए व्यक्तिगत अनुरोध;

(6) जहां अधिकारियों को उनके कार्य के भाग के रूप में जनता से अधिक सम्पर्क करना पड़ता है, वहां पर चार-पांच वर्षों की सेवा करने के बाद उनके स्थानान्तरण पर विचार किया जाता है।

अधिकतर मामलों में उपरोक्त मार्गदर्शी निर्देशों का पालन किया जाता है। तथापि, कई मामलों में, कार्य की किसी विशेष तथा तात्कालिक मांग के आधार पर मार्गदर्शी निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया जा सकता है। ऐसे मामले अपवाद के रूप में है न कि नियम के रूप में।

स्थानान्तरित कर्मचारियों की मुख्य कठिनाइयां इस प्रकार हैं :—

(क) उस स्थान पर निवास के लिए स्थान प्राप्त करना ;

(ख) बच्चों के स्कूल में देखिए के सम्बन्ध में कठिनाई;

(ग) नये स्थान पर व्यक्तिगत सामान को ले जाने के पैकिंग तथा परिवहन इत्यादि की उच्च लागत

उपरोक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए, निगम निम्नलिखित उपाय करती हैं;

(क) स्थानान्तरित कर्मचारी के लिए किराये पर या स्वयं खरीद कर उचित आवास सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कार्यवाही ।

(ख) स्थानान्तरण सामान्यत. शैक्षणिक सत्र के आरम्भ होने से पूर्व ही किए जाते हैं।

(ग) स्थानान्तरित कर्मचारियों की वित्तीय कठिनाइयों को कम करने के लिए स्थानान्तरण लाभों की निरन्तर समीक्षा ।

आयल इण्डिया लिमिटेड का फ्रांसिसी फर्म के सहयोग से राजस्थान में तेल तथा गैस की खोज करने का प्रस्ताव

*981. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इंडिया लिमिटेड का एक फ्रांसीसी फर्म के सहयोग से राजस्थान में तेल और गैस की व्यापक खोज करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए राज्य के किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) क्या अन्तरिक्ष यात्रियों द्वारा संल्यूत की भारत की परिक्रमा के समय उससे लिये गए चित्रों से राज्य में कई स्थानों पर गैस और तेल के भारी भण्डारों के होने के उत्साहवर्धक संकेत मिले हैं और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) राजस्थान राज्य के जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर तथा गंगानगर जिलों को भूकम्पीय सर्वेक्षण कार्य में शामिल किया जायेगा ।

(ग) इन चित्रों का अभी विश्लेषण तथा व्याख्या की जानी है ।

तेल शोधन कारखानों और सड़क निर्माण स्थलों से तारकोल की चोरी

*982. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी**
श्री मोहन लाल पटेल } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 16 अप्रैल, 1984 के "हिंदुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित उस समाचार को देखा है जिसमें यह कहा गया है कि सड़क निर्माण के काम आने वाला लगभग 25 करोड़ रुपये मूल्य का तारकोल प्रतिवर्ष चोरी हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में अनुमानत: कितनी मात्रा में तारकोल की चोरी हुई और वह कितने मूल्य का था;

(घ) इस प्रकार की चोरी को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ङ) क्या तारकोल की चोरी के बारे मे कोई जांच कराई गई है; और

(च) यदि हां, तो क्या कोई गिरफ्तारी हुई है और अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) से (च) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(ख) समाचार में तेल शोधक कारखानों और सड़क निर्माण स्थलों से बिटुमन की बड़ी मात्रा में चोरी की समस्या और इन भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाये जाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया था ।

(ग) से (च) तेल शोधक कारखानों से बिटुमन की चोरी नहीं हुई है परन्तु तेल शोधक कारखानों से विभिन्न उपभोक्ताओं के भण्डारों तक, जिसमें राज्य सरकार के विभाग शामिल हैं, ले जाते समय रास्ते में चोरी होने की कुछ रिपोर्टें मिली हैं । यह भी रिपोर्ट मिली है कि चोरी किया गया बिटुमन छोटे पैमाने के कई उद्योगों के पास पहुंच जाता है जो बिटुमन का उत्पादन करते हैं और उनके उत्पाद को बाजार में बेच दिया जाता है । मन्त्रालय ने राज्य सरकारों को परामर्श दिया है कि वे इस बात का ध्यान रखने के लिए काफी सावधानी बरतें कि चोरी किया गया बिटुमन छोटे पैमाने की इन इकाइयों के पास न पहुंचने पाये जो बिटुमन के उत्पादों का निर्माण कर रही हैं । चूंकि तेल कम्पनियों द्वारा बिटुमन के बेचे जाने के बाद चोरी होती है, इसलिए यह उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी है कि इस बारे में आवश्यक कार्रवाई करें । इनमें राज्य सरकारें भी शामिल हैं ।

कटक रेडियो स्टेशन में सुधार

*983. **श्रीमती जयंती पटनायक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने छठी योजना में देश में कुछ रेडियो स्टेशनों के सुधार के लिए कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना अवधि में उड़ीसा के कटक रेडियो स्टेशन के सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि उक्त रेडियो स्टेशन में काफी सुधार की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो इस रेडियो स्टेशन के सुधार के लिए निकट भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) आकाशवाणी का कटक केन्द्र प्राथमिक चैनल पर क्षेत्रीय सेवा के लिए 100 किलोवाट मीडियम वेव के उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटर और विविध भारती कार्यक्रमों सम्बन्धी वाणिज्यिक सेवा के लिए 1 किलोवाट मीडियम वेव के ट्रांसमीटर तथा टाइप 4 स्टूडियो से भी सुसज्जित है । पहले ही उपलब्ध इन प्रसारण सुविधाओं को पर्याप्त समझा जाता है । इसलिए इन सुविधाओं में और वृद्धि करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की परियोजनाओं की प्रगति

*984. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप बिजली निगम की विभिन्न बिजली संयंत्र परियोजनाओं के विभिन्न एककों की स्थापना और उन्हें चालू करने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) प्रत्येक परियोजना पर मूलतः अनुमानित लागत की तुलना में एककबार कितना व्यय हुआ है; और

(ग) निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, प्रत्येक परियोजना की प्रगति क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) रा० ता० वि० नि० को देश में 6 सुपर ताप विद्युत केन्द्रों के निर्माण का कार्य सौंपा गया है; नामशः सिंगरौली, कोरबा, रामागुण्डम, फरक्का, विन्ध्याचल तथा रिहन्द । सिंगरौली, कोरबा तथा रामागुण्डम परियोजनाएं दो चरणों में अनुमोदित की गई हैं तथा शेष परियोजनाओं के केवल प्रथम चरणों का ही अनुमोदन किया गया है । इन परियोजनाओं की क्षमता नीचे दी जाती है :—

सिंगरौली चरण-1		600 मेगा० (200-200 मेगा० की 3 यूनिटें)
सिंगरौली चरण-2		1400 मेगा० (200-200 मेगा० की 2 यूनिटें और 500-500 मेगा० की 2 यूनिटें)
कोरबा चरण-1		1100 मेगा० (200-200 मेगा० की 3 यूनिटें और 500 मेगा० की 1 यूनिट)
कोरबा चरण-2		1000 मेगा० (500-500 मेगा० की 2 यूनिटें)
रामागुण्डम चरण-1		1100 मेगा० (200-200 मेगा० की 3 यूनिटें और 500 मेगा० की 1 यूनिट)
रामागुण्डम चरण-2		1000 मेगा० (500-500 मेगा० की 2 यूनिटें)
फरक्का चरण-1		600 मेगा० (200-200 मेगा० की 3 यूनिटें)
विन्ध्याचल चरण-1	:	1260 मेगा० (210-210 मेगा० की 6 यूनिटें)
रिहन्द चरण-1		1000 मेगा० (500-500 मेगा० की 2 यूनिटें)

इन परियोजनाओं के संबंध में मूल अनुमोदित लागतों, अद्यतन अनुमोदित लागतों तथा अनुमानित लागतें तथा 1983-84 तक किए गए व्यय के बारे में ब्यौरा संलग्न विवरण-एक में दिया गया है तथा सरकार द्वारा अनुमोदित चालू करने के कार्यक्रम की तुलना में वास्तविक संभावित चालू करने के कार्यक्रम के संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण-दो में दिया गया है ।

1983-84 के अन्त तक, 1800 मेगा० कुल क्षमता चालू किए जाने की संभावना थी, जिसमें सिंगरौली में 200-200 मेगा० की 5 यूनिटें, कोरबा में 200-200 मेगा० 3 यूनिटें, तथा रामागुण्डम में 200 मेगा० की एक यूनिट शामिल है। ये सभी यूनिटें सामान्य रूप से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू की गई हैं। रामागुण्डम की पहली यूनिट निर्धारित कार्यक्रम से लगभग 4 महीने पहले चालू की गई थी। इस परियोजना के 200 मेगा० की शेष यूनिटों को भी निर्धारित कार्यक्रम से पहले चालू किए जाने की आशा है।

मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आर्डर देने के पश्चात् 200 मेगा० की पहली यूनिट को चालू करने में सामान्यत: 4 वर्ष लगते हैं तथा अनुवर्ती यूनिटों को उसके बाद 6-6 महीने के अन्तराल पर चालू किया जाता है। 500 मेगा० की यूनिट के बारे में पहली यूनिट को मुख्य सयंत्र और उपस्कर के लिए आर्डर देने के पश्चात् चालू करने में 5 वर्ष लगते हैं तथा उसके बाद की यूनिटों को इसके पश्चात् एक,एक वर्ष के अन्तराल पर चालू किया जाता है। सिंगरोली, कोरबा, रामागुण्डम और फरक्का परियोजनाओं को विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित किया जा रहा है। विश्व बैंक के साथ बातचीत के पश्चात् फरक्का (200 मेगा० की यूनिटों) सिंगरौली (500 मेगा० की यूनिटों), कोरबा (500 मेगा० की यूनिटों) और रामागुण्डम (500 मेगा० की यूनिटों) के लिए मुख्य संयंत्र और उपस्करों के लिए आर्डर क्रमश: 1981, 1982, 1982 और 1983 में दिये गए थे। तदनुसार मुख्य संयंत्र और उपस्कर के लिए आर्डर देने के पश्चात् इन यूनिटों को चालू करने का संभावित कार्यक्रम, फरक्का में 200 मेगा० की यूनिटों के संयंत्र में 4 वर्ष और अन्य परियोजनाओं की 500 मेगा० की यूनिटों के संबंध में 5 वर्ष हैं।

रिहन्द, चरण–1 परियोजना के मामले में जो ब्रिटिश सहायता से क्रियान्वित की जा रही है, यू० के० की मै० मर्दन इंजीनियरिंग इण्डस्ट्रीज द्वारा डिजाइन और ड्राइंगों को प्रस्तुत करने में कुछ विलम्ब हुआ है। मै० एन० ई० आई० उपस्कर की सप्लाई और उत्थापन के प्रमुख ठेकेदार हैं। इसलिए यू० के० सरकार और एन० ई० आई० के प्राधिकारियों के साथ इन मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। एन० ई० आई० ने नष्ट हुए समय को पूरा करने के लिए एक सुधार कार्यक्रम प्रस्तुत किया है। इस सुधार कार्यक्रम की मानीटरिंग की जा रही है।

विवरण-एक

(करोड़ रु० में)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	विद्युत उत्पादन परियोजनाएं			
		मूल अनुमोदित लागत	अद्यतन अनुमोदित लागत	अद्यतन अनुमोदित लागत	किया गया व्यय (मार्च, 1984 तक
1	2	3	4	5	6
1.	सिंगरौली चरण-1	255.66	303.75	324.53	307.27
2.	सिंगरौली चरण-2	494.37	495.37	796.92	221.72

1	2	3	4	5	6
3.	कोरबा चरण-1	450.80	527.62	749.23	373.96
4.	कोरबा चरण-2	457.98	457.98	705.67	93.66
5.	रामागुण्डम चरण-1	459.14	879.52	879.52	452.96
6.	रामागुण्डम चरण-2	501.89	501.89	681.88	44.46
7.	फरक्का चरण-1	290.60	290.60	565.47	229.70
8.	विन्ध्याचल चरण-1	911.57	911.57	1105.64	42.75
9.	रिहन्द चरण-1	1033.00	1033.00	1162.12	127.63

विवरण-दो

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की परियोजनाओं को चालू करने का कार्य

क्रम सं०	परियोजना	यूनिट (क्षमता मेगावाट)	सरकार द्वारा अनुमोदित कार्यक्रम	चालू करने का वास्तविक/ संभावित कार्यक्रम
1	2	3	4	5
1.	सिंगरौली चरण-1	1[200]	1981-82	फरवरी, 82 [चालू की गई]
		2[200] यूनिट 1 के 6 महीने बाद		नवम्बर, 82 [चालू की गई]
		3[200] यूनिट 2 के 6 महीने बाद		मार्च, 83 [चालू की गई]
2.	सिंगरौली चरण-2	4[200]	1983-84	नवम्बर, 83 [चालू की गई]
		5[200]	1983-84	फरवरी, 84 [चालू की गई]
		6[500]	1984-85	1986-87
		7[500]	1985-86	1987-88
3.	कोरबा चरण-1	1[200]	जनवरी, 83	मार्च, 83 [चालू की गई]

1	2	3	4	5
		2[200]	जुलाई, 83	अक्तूबर, 83 [चालू की गई]
		3[200]	जनवरी, 84	मार्च, 84 [चालू की गई]
		4[500]	1986-87	1987-88
4.	कोरबा चरण-2	5[500]	1988-89	1988-89
		6[500]	1988-89	1989-90
5.	रामागुण्डम चरण-1	1[200]	फरवरी, 84	अक्तूबर, 83 [चालू की गई]
		2[200]	अगस्त, 84	अगस्त, 84
		3[200]	फरवरी, 85	फरवरी, 85
		4[500]	1987-88	1988-89
6.	रामागुण्डम चरण-2	5[500]	1988-89	1989-90 से पहले
		6[500]	1989-90	1990-91 होने की संभावना
7.	फरक्का चरण-1	1[200]	1984-85 के प्रारम्भ में	मार्च, 85
		2[200] यूनिट 1 के 6 महीने बाद		6 महीने के बाद
		3[200] यूनिट 2 के 6 महीने बाद		6 महीने के बाद
8.	विन्ध्याचल चरण-1	1[210]	जून, 87	जून, 87
		2[210]	दिसम्बर, 87	दिसम्बर, 87
		3[210]	जून, 88	जून, 88
		4[210]	दिसम्बर, 88	दिसम्बर, 88
		5[210]	जून, 89	जून, 89
		6[210]	दिसम्बर, 89	दिसम्बर, 89

1	2	3	4	5
9.	रिहन्द चरण-I	1[500] 2[500]	जून, 87 जून, 88	जून, 87* जून, 88*

* यू० के० की मैसर्ज एन० ई० आई० द्वारा ड्राइंगों और डिजाइनों को देर से प्रस्तुत करने के कारण कुछ विलम्ब होने की प्रत्याशा है ।

"सब-सी-प्रोडक्शन सिस्टम" के लिये विदेशी परामर्शदाता का चयन

*985. **श्री के० मालन्ना** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग अभी तक सब-सी-प्रोडक्शन सिस्टम के लिये विदेशी परामर्शदाता के चयन के संबंध में अभी तक कोई निर्णय नहीं कर सका है, यद्यपि टेंडर आमंत्रित करने के बाद से अब तक लगभग एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर): (क) और (ख) जी नहीं । तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड (ई० आई० एल०) को पहले ही अपने परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया है जिसमें यह व्यवस्था है कि तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के अनुमोदन से इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड किसी विख्यात विदेशी सहायक (बैक-अप परामर्शदाता की नियुक्ति कर सकती है ।

राजस्थान में रामगढ़ में गैस पर आधारित ताप विद्युत परियोजना

*986. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान के जैसलमेर जिले में रामगढ़ में गैस पर आधारित ताप विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : 394 लाख रु० की अनुमानित लागत से जैसलमेर जिले में रामगढ़ में 3 मेगावाट गैस टर्बाइन सैट की एक यूनिट को गैस पर आधारित ताप विद्युत परियोजना स्थापित करने के राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड के प्रस्ताव के केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है । योजना आयोग द्वारा परियोजना के संबंध में निवेश संबंधी निर्णय की प्रतीक्षा है । इस बीच राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड ने भूमि अधिग्रहण आवासीय भवनों के निर्माण आदि के संबंध में प्रारम्भिक कार्यवाही शुरू कर कर दी है ।

डाक-तार विभाग में समयबद्ध योजना के अन्तर्गत पदोन्नति

*987. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग में ग्रुप 'ग' और 'घ' 15-6-1974 से लागू 20 प्रतिशत पदोन्नति योजना को 30-11-1983 से समाप्त कर दिया गया हैं और वहां एक नई किस्म की पदोन्नति योजना अर्थात् 'समयवद्ध एक पदोन्नति' (टाइम बाउण्ड वन प्रमोशन) योजना शुरू की गई है;

(ख) क्या 20 प्रतिशत पदोन्नति के अन्तर्गत 30-11-1983 तक ग्रुप 'ग' और 'घ' के अन्तर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए आरक्षित सभी खाली पद जो 30-11-1983 तक भरे नहीं गए थे, उन्हें 30-11-1983 तक सम्बन्धित श्रेणियों में उपलब्ध अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों में से भर लिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) समयबद्ध एक पदोन्नति के अन्तर्गत जो संवर्ग आते हैं उनके संबंध में 15-6-74 को जो आदेश जारी किए गए थे उन्हें 30-11-83 से रद्द कर दिया गया है ।.

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए ग्रुप 'ग' और 'घ' में 20 प्रतिशत पदोन्नति योजना के अन्तर्गत 30 नवम्बर, 1983 तक आरक्षित रिक्त पद इन समुदायों से संबंधित कर्मचारियों द्वारा भरे जाने हैं ।

ग्रुप 'ग' और 'घ' में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित पदों पर वास्तविक भर्ती के संबंध में 30 नवम्बर, 1983 तक की जानकारी एकत्र की जा रही है ।

बम्बई के टेलीफोन एक्सचेंजों में नये टेलीफोनों के लिए प्रतीक्षा की अवधि

*988. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई टेलीफोन के कई टेलीफोन एक्सचेंजों में नये टेलीफोन के लिए प्रतीक्षा की अवधि बहुत लम्बी होती है और कभी-कभी तो एक दशक भी लग जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह आवश्यक है कि बम्बई जैसे नगर में इस संचार व्यवस्था पर और अधिक धन लगाया जाना चाहिए;

(ग) क्या पहले योजना बनाते समय, बम्बई टेलीफोन विभाग ने इस पर समुचित ध्यान नहीं दिया था और वर्तमान मांग की परिकल्पना नहीं की थी; और

(घ) भविष्य में बम्बई में टेलीफोन के लिए कुल कितनी अवधि तक प्रतीक्षा करने की सम्भावना है ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) जी हां। ऐसा मुख्यतः सामान्य श्रेणी के आवेदकों के संबंध में है।

(ख) जी हां।

(ग) जी नहीं।

(घ) ऐसी सम्भावना है कि सातवीं योजना के दौरान बम्बई में टेलीफोन की अनुमानित औसत परीक्षा अवधि 3-5 वर्ष हो जाएगी, जो आवेदक की आवेदन श्रेणी पर निर्भर होगी।

भारत के हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड द्वारा बिजली घरों के लिए "इन्शोरेन्स स्पेयर पूल" योजना

*989. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स लिमिटेड ने संकटग्रस्त बिजली घरों द्वारा तत्काल आवश्यक तथा अत्यधिक मूल्य के अनुपलब्ध फालतू पुर्जों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 68 करोड़ रुपये की 'इन्शोरेन्स स्पेयर पूल' योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना से उक्त बिजली घरों को किस सीमा तक सहायता मिलेगी;

(ग) ये पुर्जे कब तक उपलब्ध हो सकेंगे और इन पर अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी; और

(घ) वे कब तक उत्पादन शुरू कर देंगे ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) भेल के सेटों के लिए एक इन्शोरेन्स स्पेयर पूल प्रारम्भ किया गया है। पूल के विधान के अनुसार, इसका नियंत्रण एक समिति द्वारा किया जाएगा जिसके अध्यक्ष केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के सदस्य (प्रचालन) होंगे। इस पूल का उद्देश्य भैल के सेटों वाले विद्युत केन्द्रों के लिए ब्रेक डाउन की स्थिति में ऊंची लागत वाले हिस्से-पुर्जों, जिनकी डिलीवरी की अवधि लम्बी होती है, तत्काल उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

(ख) 30 मेगावाट, 60 मेगावाट, 110 मेगावाट, 120 मेगावाट तथा 200/210 मेगावाट (200/210 मेगावाट के रूसी डिजाइन वाले) के ताप विद्युत उत्पादन सेटों वाले विद्युत केन्द्रों को इस स्कीम से लाभ प्राप्त होगा।

(ग) और (घ) स्टाक की जाने वाली प्रस्तावित मदों की कुल लागत लगभग 68 करोड़ रुपये है। इसका भुगतान भागीदार बिजली बोर्डों/निगमों द्वारा उनके सेटों की संख्या के अनुपात में किया जाएगा। स्टाक किए जाने के लिए प्रस्तावित मदों की पूरी सूची 12 से 18 महीने की अवधि में पूरी कर ली जाएगी। अपेक्षित मदों के निर्माण के लिए भेल को आश्य पत्र भेजा जा चुका है

तथा भेल निर्माण के संबंध में कार्रवाई कर रहा है। जो मदें उपलब्ध हैं, उन्हें स्टाक में लिया जा रहा है। इस प्रकार पूल का लाभ अभी से उपलब्ध हो गया है।

श्रम कानून की पुनरीक्षा के बारे में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का सुझाव

10292. **श्री ई० बालानन्दन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान देश में सभी श्रम कानूनों की पुनरीक्षा करने के बारे में गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिए गए सुझावों की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां। गुजरात की सरकार द्वारा सूचित किया गया है कि गुजरात उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने गांधी श्रम संस्थान, अहमदाबाद में श्रम न्यायपालिका के सदस्यों के लिए 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन करते समय श्रम कानून की पुनरीक्षा के बारे में सरसरी तौर पर उल्लेख किया।

(ख) श्रम कानून की विभिन्न त्रिपक्षीय मंचों पर राज्य सरकारों, नियोजकों तथा कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ परामर्श करके श्रम विभाग द्वारा निरन्तर पुनरीक्षा की जा रही है। वर्तमान स्थिति की वास्तविकताओं को देखते हुए नए विधान बनाने या वर्तमान कानूनों में संशोधन करने के लिए संसद में समय-समय पर उपयुक्त विधान भी पेश किए जाते हैं।

बिगस्टन टी० वी० दिल्ली की ओर कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की बकाया धनराशि

10293. **श्री निहाल सिंह :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिगस्टन टी० वी०, वी-86/1 औखला औद्योगिक क्षेत्र चरण-दो, नई दिल्ली में दैनिक तथा मासिक वेतन पर कार्य करने वाले श्रमिकों की संख्या क्या है;

(ख) फर्म द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना के खातों में पृथक्-पृथक् कितनी धनराशि जमा कराई गई तथा इन खातों में अभी कितनी धनराशि जमा करनी है; और

(ग) कम्पनी में अब तक कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं तथा इनमें से प्रत्येक मामले में वित्तीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि दी गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, इस प्रतिष्ठान में मासिक मजदूरी आधार पर 65 श्रमिक और दिहाड़ी आधार पर कोई भी श्रमिक नियोजित नहीं हैं।

(ख) नियोजक ने गत तीन वर्षों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि देय राशियों के संबंध में 41,913/- रुपये की राशि जमा कराई है और कोई राशि बकाया नहीं है। उन्होंने गत तीन वर्षों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा देय राशियों के संबंध में 20,226/- रुपये की राशि जमा कराई है और 17,513/- रुपये की राशि अभी बकाया है।

(ग) कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों के अनुसार, दुर्घटनाओं के चार मामले उनके ध्यान में आए हैं। एक मामले में अब तक 5,615.30 रुपये के आश्रित लाभ का भुगतान किया गया है। अन्य तीन मामलों में, लाभ के भुगतान के लिए कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ है।

ऊर्जा के लिए उत्पादन और वितरण नीति

10294. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने पिछले दिनों राज्य विद्युत बोर्डों के उत्पादन वितरण वृद्धि और हानि को दूर करने के लिए राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों से बातचीत की है;

(ख) यदि हां, तो राज्य विद्युत बोर्डों की राज्य-वार उनके द्वारा बताई गई उत्पादन क्षमता वितरण नीति, उत्पादन को बढ़ाने के लिए किए गए उपाय और उनको प्रतिवर्ष हुई हानि क्या है; और

(ग) बोर्डों की हानि कम करने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या उपाय किए गए हैं और हानि को कम करने और बोर्डों की कार्यनिष्पत्ति बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) ऊर्जा मंत्रालय, राज्य बिजली बोर्डों के ऊर्जा उत्पादन, ऊर्जा वितरण और वित्तीय कार्य निष्पादन संबंधी मामलों का सतत रूप से मानीटरिंग करता है। विद्युत क्षेत्र के उपर्युक्त पहलुओं के बारे में विभिन्न समस्याओं पर, विद्युत मंत्रियों का सम्मेलन, राज्य बिजली बोर्डों के अध्यक्षों का सम्मेलन आदि जैसे विभिन्न मंचों पर भी समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ शासित राज्यों के प्रशासनों और राज्य बिजली बोर्डों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है ताकि इनमें सुधार किया जा सके तथा राज्य बिजली बोर्डों आदि को उनके कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए सहायता भी की जा सके।

(ख) 31-3-1984 की स्थिति के अनुसार राज्यवार ऊर्जा उत्पादन क्षमता तथा 1983-84 के दौरान ऊर्जा उत्पादन संलग्न विवरण-एक में दिया गया है। देश में विद्युत उत्पादन में और सुधार करने के लिए अनेक उपाय किए जा रहे हैं। इन उपायों में ये शामिल हैं :—

(1) निर्माणाधीन परियोजनाओं को शीघ्र चालू करने के लिए कार्रवाई करना तथा क्षमता में तेजी से वृद्धि करने के लिए कार्यक्रम बनाना;

(2) वर्तमान ताप विद्युत संयंत्रों के क्षमता समुपयोजन में सुधार करने के उपाय करना, यथा (क) संयंत्र सुधार कार्यक्रम बनाने और हाथ लेने के लिए राज्य बोर्डों/विद्युत केन्द्रों की सहायता करना; (ख) बंदी की अवधि को कम करने के लिए सुरक्षात्मक अनुरक्षण तकनीकें अपनाना; (ग) स्वदेशी तथा विदेशी स्रोतों से अतिरिक्त पुर्जों का प्रबन्ध करना; (घ) अपेक्षित गुणवत्ता वाले तथा पर्याप्त मात्रा में कोयले का प्रबन्ध करना; (ङ) यूनिटों को शीघ्र सुस्थिर करने के लिए कृतिक बलों का गठन करना; (च) प्रचालन की मानीटरिंग करने तथा सलाह देने आदि के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से प्रालन विशेषज्ञों के भ्रमणशील दलों के दौरों का प्रबन्ध करना।

चूंकि विद्युत समवर्ती सूची में शामिल है, इसलिए ऊर्जा उत्पादन और वितरण नीति राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके तैयार की जाती है। ऊर्जा उत्पादन और वितरण के बारे में नीति संबंधी कई कदम उठाये गए हैं, जैसे (1) विद्युत विकास के लिए क्षेत्रीय आयोजना की संकल्पना; (2) क्षेत्रीय बिजली बोर्डों की स्थापना करना तथा अन्तर्राज्यीय पारेषण लाइनों का निर्माण करके प्रत्येक क्षेत्र में विद्युत प्रणालियों को अन्तःसम्बद्ध करना; (3) क्षेत्रीय आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए केन्द्रीय विद्युत उत्पादन परियोजनाओं की स्थापना करना; (4) अन्ततः राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का सृजन करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय विद्युत ग्रिडों की स्थापना करने के लिए अति उच्च वोल्टता लाइनों का निर्माण करना; आदि

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा लगाए गए हिसाब के अनुसार 1980-81 के दौरान बिभिन्न राज्य बिजली बोर्डों के संचय तथा अधिशेष/हानियां दिखाने वाला विवरण-दो संलग्न है।

(ग) राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्य-निष्पादन सहित समग्र कार्य-निष्पादन का दायित्व मुख्यतः राज्य सरकारों का है। राज्य बिजली बोर्ड से, अपनी क्षमता समुपयोजन में सुधार लाने, पारेषण और वितरण हानियों को कम करने, ताप विद्युत उत्पादन में कोयला और तेल जैसे निवेशों में किफायत करने, स्टाफ पर होने वाले खर्चे को कम करने, फेहरिस्त का बेहतर नियंत्रण करने, बकाया राशि के संचयन को रोकने के लिए निर्धारित किए गए राजस्व की शीघ्र तथा पूरी वसूली करने के लिए व्यवस्था करने, टैरिफों में उपयुक्त संशोधन करने पर विचार करने आदि के लिए अनुरोध किया गया है। टैरिफों का समायोजन करने के लिए विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 59 (1) में विद्युत (प्रदाय) संशोधन अधिनियम, 1983 के जरिये संशोधन किया गया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लेखे के किसी भी वर्ष में कुल राजस्व में प्रचालन, अनुरक्षण तथा प्रबंध व्यय आय और लाभ पर कर (यदि कोई हो), मूल्यह्रास तथा सभी डिवेन्चरों बान्डों और ऋणों पर देय ब्याज सहित राजस्व पर उचित रूप से प्रभार्य सभी व्ययों को पूरा करने के पश्चात् इतना अधिशेष रहे कि जो प्रत्येक वर्ष के आरंभ में बोर्ड की क्रियाशील अचल परिसम्पत्तियों के मूल्य का 3 प्रतिशत से कम या राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित की गई इससे अधिक प्रतिशतता से कम न हो।

विवरण–एक

1983-84 के दौरान राज्यवार ऊर्जा उत्पादन क्षमता और उत्पादन

राज्य/प्रणाली	31 मार्च, 1984 की स्थिति के अनुसार प्रतिष्ठापित क्षमता	विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट)
1. भाखड़ा व्यास प्रबंध बोड	2555.0	11263
2. दिल्ली	1030.0	4387
3. जम्मू और कश्मीर	196.5	898
4. हिमाचल प्रदेश	300.0	1413
5. हरियाणा	415.0	1135
6. राजस्थान	931.0	2543
7. पंजाब	640.0	3121
8. उत्तर प्रदेश	4932.4	14912
9. गुजरात	2753.4	11998
10. महाराष्ट्र	6006.5	23984
11. मध्य प्रदेश	3147.5	10027
12. आन्ध्र प्रदेश	3067.2	11443
13. कर्नाटक	1982.2	7781
14. केरल	1011.5	3646
15. तमिलनाडु	3354.0	11287
16. बिहार	1135.0	2435
17. उड़ीसा	1100.0	3657
18. पश्चिम बंगाल	1967.0	6184
19. दामोदर घाटी निगम	1549.0	6336
20. सिक्किम	12.0	23
21. असम	327.5	963
22. मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर	270.0	521

विवरण–दो

1980-81 के दौरान राज्य बिजली बोर्डों के लाभ तथा घाटे

क्र० सं०	राज्य बिजली बोर्ड	करोड़ रु०
क.	लाभ	
	निम्नलिखित बोर्डों को 1980-81 के दौरान लाभ हुआ :—	
1.	आन्ध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	8.30
2.	गुजरात बिजली बोर्ड	3.70
3.	कर्नाटक बिजली बोर्ड	15.90
4.	केरल राज्य बिजली बोर्ड	12.50
5.	उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड	7.70
6.	पंजाब राज्य बिजली बोर्ड	6.40
7.	तमिलनाडु बिजली बोर्ड	3.00
	कुल लाभ	58.5
ख.	हानियां	
	निम्नलिखित बोर्डों को 1980-81 के दौरान हानि हुई :—	
1.	बिहार राज्य बिजली बोर्ड	37.60
2.	हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड	30.60
3.	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	11.80
4.	मध्य प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	22.20
5.	महाराष्ट्र राज्य बिजली बोर्ड	20.10
6.	उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड	49.30
7.	पश्चिमी बंगाल राज्य बिजली बोर्ड	12.90
8.	राजस्थान राज्य बिजली बोर्ड	8.20
	कुल हानि	192.7

टिप्पण :—असम और मेघालय राज्य बिजली बोर्डों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है ।

विकास कार्यक्रमों के बारे में समाचारों का प्रसारण

10295. **श्री मनोहर लाल सैनी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने प्रसारण माध्यमों की इस सम्बन्ध में निर्देश जारी किए हैं कि विकास कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अधिक समाचार प्रसारित किये जाने चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में तथ्य क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) आकाशवाणी और दूरदर्शन के समाचार बुलेटिन राजनैतिक और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में समाचारों की उपेक्षा नहीं कर सकते । माध्यमों के लिए मार्गदर्शी सिद्धांत, अन्य बातों के साथ-साथ ये हैं कि प्रस्तुत किए जाने वाले समाचार तथा रूपक अन्वेषी और व्यापक होने चाहिएं तथा विकास और राष्ट्र निर्माण के समाचारों के नए क्षेत्रों का पता करने के लिए सविचार किया जाना चाहिये। आकाशवाणी और दूरदर्शन दोनों को सलाह दी गई है कि वे विकास कार्यक्रमों के संबंध में समाचारों को समुचित महत्व दें ।

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा मान्यता के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संघों/महासंघों की सदस्यता की जांच

10296. **श्री एन० ई० होरो :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कार्यरत संघों/महासंघों की सदस्यता की जांच के लिए महासंघ के प्रतिनिधियों के परामर्श से केन्द्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा मान्यता की मंजूरी के लिए कोई प्रक्रिया/नियम बनाए बिना आदेश जारी किए थे; और

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय श्रम मंत्रालय की केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि के समक्ष इसे प्रस्तुत किए बिना उनकी मंजूरी के बिना ऐसा निर्णय लेने की शक्तियां प्राप्त हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारी यूनियनों/ फैडरेशनों को 'उद्योग में अनुशासन संहिता' के अन्तर्गत मान्यता प्रदान करने के सिद्धांतों को केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, ने अपनी 7.11.1973 को हुई बैठक में संगठन में उस समय काम कर रहे फैडरेशनों के साथ परामर्श करने के पश्चात् अनुमोदित कर दिया था ।

दिल्ली न्यायालयों के लिए एक और भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव

10297. **डा० ए० यू० आजमी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बार और अधिवक्ताओं से भूमि लेकर और उन्हें प्रस्तावित बहु-मंजिले भवन में आवश्यक स्थान देकर तीस हजारी के आसपास दिल्ली न्यायालयों के लिए एक और भवन का निर्माण करने का प्रस्ताव है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : जी, नहीं ।

कछार शिक्षा संरक्षण समिति सिलचर का अभ्यावेदन

10298. **श्री आनन्द पाठक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कछार शिक्षा संरक्षण समिति सिलचर का 17 फरवरी, 1984 का अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उक्त अभ्यावेदन में क्या मांग रखी गई हैं; और

(ग) क्या सरकार मांगों को पूरा करने के लिए कदम उठा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

विवरण

कछार शिक्षा संरक्षण समिति, सिल्चर से दिनांक 17 फरवरी, 1984 का एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है । अभ्यावेदन में की गई मांगें इस प्रकार हैं :—

(1) आकाशवाणी के सिल्चर केन्द्र को सुदृढ़ करना तथा इसके क्षेत्र कवरेज की क्षमता को बढ़ाना;

(2) सुबह प्रतिदिन बंगला भाषा में समाचार बुलेटिन प्रसारित करने की व्यवस्था करना; और

(3) आकाशवाणी, सिल्चर के हेलाकंडी, करीमगंज तथा सिल्चर में तीन रिपोर्टरों की नियुक्ति करना ।

इन मांगों पर विचार किया गया था । स्थिति इस प्रकार है :

(1) आकाशवाणी का सिल्वर केन्द्र इस समय आई० टी० यू० करार के अन्तर्गत अनुज्ञेय 10 किलोवाट के मीडियम वेव ट्रांसमीटर पर कार्य कर रहा है । इस शक्ति को और नहीं बढ़ाया जा सकता ।

(2) यह केन्द्र बंगला भाषा में 3 केन्द्रीय बुलेटिन प्रसारित करता है जिनमें सुबह का एक बुलेटिन भी शामिल है । अत: कोई अतिरिक्त क्षेत्रीय बुलेटिन चालू करने की आवश्यकता महसूस नहीं की जाती ।

(3) सिल्वर केन्द्र पर संवाददाता के पद को शीघ्र ही भर लिये जाने की उम्मीद है । इस समय हेलाकंडी या करीमगंज में कोई संवाददाता तैनात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

गाम्मेन इंडिया कम्पनी द्वारा सुरक्षा उपायों का पालन

10299. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी कम्पनी "गाम्मेन इंडिया" को निवेली लिगनाइट कार्पोरेशन में ठेका दिया गया है;

(ख) क्या दुर्घटनाओं से बचने के लिए उक्त कम्पनी सुरक्षा उपयोग का पालन कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे उपायों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां । गाम्मेन इंडिया को निवेली लिगनाइट कारपोरेशन के दूसरे थर्मल पावर स्टेशन में तीन कूलिंग टावरों और तीन चिमनियों के निर्माण के लिए ठेका दिया गया ।

(ख) और (ग) यह सूचित किया गया है कि गाम्मेन इंडिया, जिसे ऊंची चिमनियों के निर्माण में विशेषज्ञता प्राप्त है, नियमों के अनुसार सुरक्षा उपायों का पालन कर रही है ।

सिपला द्वारा उत्पादित सालबूटाकोल की लागत सम्मिलित करना

10300. **श्री अनवर अहमद** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मै० सिपला द्वारा उत्पादित साल्बूटामोल की तकनीकी और वित्तीय लागत को, हिसाब लगाया है;

(ख) क्या यह सच है कि बी० आई० सी० सी० के अधिकारियों को उक्त लागत निर्धारण के लिए सिपला के परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था, यदि हां, तो सरकार द्वारा किस आधार पर मूल्य निर्धारित किया गया था; और

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि मै० सिपला ने सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य का कार्यान्वयन करें, यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस कम्पनी को अनुशासित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) सालबुटामोल का मूल्य मंत्रालय द्वारा एकत्रित तकनीकी आंकड़ों तथा अन्य विवरण और मूल्य लेखा परीक्षा रिपोर्ट के आधार पर निश्चित किया गया था।

(ग) सरकार द्वारा सालबुटामोल का मूल्य 27.2.84 को निश्चित किया गया था। कम्पनी ने इस मूल्य के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है तथा उनके अभ्यावेदन की जांच बी० आई० सी० पी० के साथ सलाह करके की जा रही है। उनके अभ्यावेदन पर अन्तिम निर्णय शीघ्र ही लिया जायेगा।

मध्य प्रदेश में पोस्टमास्टर और सब-पोस्टमास्टर की नियुक्ति में पक्षपात

10301. **श्री फूल चन्द वर्मा** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में खोले गए नए डाकघर में पोस्ट-मास्टरों और सब पोस्टमास्टरों की नियुक्तियां में अनियमितताओं के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त होती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ मामलों में उन पदों के लिए आवेदन करने वाले अधिक योग्यता प्राप्त व्यक्तियों की उपेक्षा कर कम योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) सरकार को इस सम्बन्ध में कोई विशेष शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) जी नहीं। अतिरिक्त विभागीय पदों पर नियुक्ति के लिए जहां तक योग्यता का संबंध है इस बारे मार्ग निर्देशक सिद्धांत मौजूद हैं। शिक्षा की दृष्टि से अधिक पढ़े लिखे व्यक्तियों को आवश्यक नहीं है कि महत्व दिया ही जाए।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

घुबरी के जनता प्रतिनिधियों का ज्ञापन

10302. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को घुबरी के सार्वजनिक प्रतिनिधियों का 2 फरवरी, 1984 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) इस ज्ञापन में उठाए गए मुद्दों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) घुबरी की जनता की शिकायत के बारे में सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं या करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) इस प्रकार का कोई ज्ञापन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

ठेका मजदूर (अधिनियमन तथा समापन) अधिनियम 1970 के अंतर्गत लाइसेंसों के लिये जमानत जमाराशियों की वापसी

10303. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह जानकारी है कि ठेका मजदूर (विनियमन तथा समापन) अधिनियम, 1970 तथा उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार लाइसेंसों के लिए नकद जमानत जमाराशियों की वापसी के संबंध में क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा साठ दिन की समय सीमा के सांविधिक व्यवस्था का बहुत ही कम पालन किया जाता है, यदि नहीं, तो अनुचित विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार जमानत जमाराशियों के लिए नकद भुगतान के बजाय "राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों" को स्वीकृत करने की सलाह पर विचार करेंगी;

(ग) क्या वेतन तथा लेखा अधिकारी के कार्यालय अथवा मुख्य श्रम आयुक्त के कार्यालय के जमानत जमाराशियों की वापसी से तैयार किये गये मामलों का साठ दिन से अधिक अनुपालन नहीं किया गया अवधि तक जबकि साधारणत: इसमें सात दिन से अधिक दिन का समय नहीं लगाना चाहिए, असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) कलकत्ता क्षेत्र के वेतन तथा लेखा अधिकारी सी० एल० सी० के कार्यालय में जनवरी 1984 में प्राप्त किए गए वापसी के मामलों में से कितने मामले लंबित हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन बनाए गए ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) नियम 1971 के नियम 31 के उपबंधों के अनुसार यथासम्भव 60 दिन के समय का अनुपालन किया जाता है । अनावश्यक देरी का कोई मामला इस मंत्रालय के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

(ख) रोकड़ के अलावा अन्य तारीकों से जमानत को स्वीकार करना ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के अधीन बनाए गए नियमों तथा सामान्य वित्तीय नियमों के उपबंधों में संशोधन के अध्यधीन होगा । इस समय में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) वेतन और लेखा कार्यालय ने अप्रैल, 1983 से मार्च, 1984 तक जमानत की जमा राशि को वापस लौटाने के सभी मामलों की जांच की है और इन मामलों में अनावश्यक देरी नहीं हुई है ।

(घ) शून्य ।

भूमि अधिग्रहण के कारण बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देना

10304. **श्री मोती भाई आर० चौधरी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृप करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को भूमि अधिग्रहण के कारण बेरोजगार हुए व्यक्ति को रोजगार देने के बारे में उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दिनांक 16 जनवरी, 1970 का पश्चिम संख्या 8(4) एल० पी० प्राप्त हुआ है।

(ख) यदि हां, तो मेहसाना-कलोल काड़ी-जोटाना तेल सम्पन्न क्षेत्रों में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अब तक कुल कितने एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है तथा कितने भू-स्वामियों की भूमि अधिग्रहीत की गई है;

(ग) उनमें से कितने भू-स्वामियों को तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा रोजगार प्रदान किया गया है;

(घ) उक्त क्षेत्रों में स्थित तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यालयों में खलासी, हेल्पर, चपरासी और चौकीदार जैसे निचले स्तर के पद भरे गये हैं और इनमें से कितने स्थान जाली हैं तथा कितने पदों पर ऐसे परिवारों के लोग भर्ती किए गए है जिनकी भूमि का अधिग्रहण किया गया है; और

(ङ) क्या निचले स्तर के पदों पर उन लोगों की भर्ती करने के लिए कड़े निर्देश जारी करने का विचार है और उसका कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

दिल्ली के लारेंस रोड और वजीरपुर क्षेत्रों में इण्डियन आयल कार्पोरेशन की गैस एजेंसियों के पास दर्ज उपभोक्ता

10305. **श्री डूंगर सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लारेंस रोड और वजीरपुर क्षेत्रों में जिन उपभोक्ताओं ने अपने नए कनेक्शन इंडियन आयल कार्पोरेशन की गैस एजेंसियों के पास बुक कराए थे उन्हें अपनी बारी किसी अन्य गैस एजेंसियों के पास आने पर तो वाऊचरों के अन्तरण के लिए क्या उन्हें भागना पड़ेगा और वोचरों की सिक्युरिटी के लिए अपनी पुरानी एजेंसियों (उनके पास जहां पर उन्होंने अपने गैस कनेक्शन बुक किये थे) के पास वापस आना पड़ेगा;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार ऐसे प्रबंध करने का है कि जिसमें उपभोक्ताओं को उन

एजेंसियों में गैस कनेक्शन मिल सके जहां पर उन्होंने अपनी बुकिंग कराई थी और इस कार्य के लिए उन्हें अन्य गैस एजेंसियों के पास न भागना पड़े; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) लारेंस रोड और वजीरपुर के क्षेत्रों के वितरकों ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस के नये कनेक्शन के लिए अपनी निर्धारित अधिकतम सीमा से अधिक भावी उपभोक्ताओं को पंजीकृत कर लिया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि कनेक्शन वरिष्ठता के अनुसार जारी किए जायें, प्रतीक्षा सूची में दर्ज इन उपभोक्ताओं को निकटवर्ती क्षेत्रों के उन वितरकों के पास स्थानान्तरित करने के प्रबंध किए गए हैं जो अधिकतम सीमा तक नहीं पहुंचे हैं।

टुंडला, आगरा में गैस एजेन्सी का आबंटन

10306. **श्री दया राम शाक्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा जिले के टुंडला में एक गैस-एजेन्सी आबंटित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस गैस-एजेन्सी को केवल ऐसे व्यक्ति को आबंटित करने का है; जो टुंडला का रहने वाला हो; और

(ग) क्या टुंडला में आबंटन के लिए प्रस्तावित यह गैस एजेंसी केवल अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित कर दी गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) गैस एजेंसी आगरा जिले के निवासी को दी जाएगी जिसमें "टूंडला" शहर आता है।

(ग) टूंडला में प्रस्तावित एल० पी० जी० एजेंसी केवल अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है।

उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन-जातियों के न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए अभ्यावेदन

10307. **श्री हीरा लाल आर० परमार** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में अनुसूचित जातियों के न्यायाधीश नियुक्त करने के बारे में व्यक्तियों से और एसोसिएशनों से 1978-83 के दौरान प्राप्त हुए अभ्यावेदनों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अभ्यावेदनों पर क्या कार्रवाई की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय के और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति संविधान के सुसंगत उपबंधों के अनुसार की जाती है। इसमें लोगो के किसी वर्ग या प्रवर्ग के आरक्षण के लिए कोई उपबंध नहीं है। समाज के विभिन्न वर्गों से, जिसके अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के सदस्य भी हैं, उच्चतम न्यायालय/उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में व्यक्तियों और एसोसिएशनों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। 1978-83 के दौरान इस बारे मे प्राप्त अभ्यावेदनों के ब्यौरे देना संभव नहीं है।

सरकार ने राज्यों के मुख्य मंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्याय मूर्तियों को लिखा है कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों को उच्च न्यायालयों में इस समय विद्यमान प्रतिनिधित्व से और अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाना संभव होना चाहिए।

पर्वतीय क्षेत्रों में डाकघर खोलना

10308. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या **संचार** मंत्री 22 अप्रैल, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या-898 के उत्तर और उसके बाद सभा पटल पर रखी गई जानकारी के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाक-तार विभाग पर्वतीय क्षेत्रों में डाकघर खोलने के लिए 1.5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्राम समूहों की जनसंख्या का आधार मानता है न कि किसी एक गांव विशेष की जनसंख्या की;

(ख) क्या योजना आयोग ने इस नीति का व्यवहारिक तौर पर पालन करने तथा पर्वतीय क्षेत्रों में शाखा डाकघर के लिए किसी प्रस्ताव को केवल इस आधार पर ही नामंजूर न कर देने के लिए कि संबंधित गांवों की जनसंख्या 1000 से कम है जबकि 1.5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले ग्राम समूहों में शाखा डाकघर हो सकता है; कोई मार्गनिर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में क्या मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं तथा क्या उनका पालन सुनिश्चित किया जाएगा ताकि दूर-दूर बसी जनसंख्या और कठिन भौगोलिक तराई वाले पर्वतीय क्षेत्रों में डाक सुविधाओं का पर्याप्त विस्तार किया जा सके ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) डाक की दृष्टि से पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में पहाड़ी इलाकों सहित सामान्य क्षेत्रों में डाकघर खोलने के मामले में डाक-तार विभाग 1.5 कि०मी० की अरीय दूरी के भीतर आने वाले गांव विशेष की जनसंख्या पर विचार करता है न कि ग्राम समूह की जनसंख्या पर।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

"गल्फ इंटरनेशनल सर्विसिज नई दिल्ली द्वारा मजदूरों की विदेशों को सप्लाई

10309. **श्री चतुर्भुज** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "गल्फ इंटरनेशनल सर्विसिज" चित्र गुप्त रोड, नई दिल्ली नामक फर्म मजदूरों आदि के रूप में विदेशों में रोजगार दिलाने के कार्य में कब से कार्यरत है;

(ख) इस फर्म द्वारा एक जनवरी, 1977 से 20 मार्च, 1984 तक कुल कितने मजदूर विदेश भेजे गए;

(ग) क्या यह फर्म इसी नाम के अंतर्गत लोगों को विदेशों में रोजगार दिलाने का काम करती रही है और यदि नहीं, तो इस फर्म द्वारा अपनाए गए नामों सहित किन-किन तारीखों को अपने नाम बदले गए;

(घ) यह जांच करने के लिए कि यह फर्म सरकार के नियमों के अनुसार पंजीकृत है इस मामले में कोई छानबीन की गई है; और

(ङ) क्या यह फर्म गरीब व्यक्तियों से भारी धन राशि वसूल कर करोड़ों रुपये का व्यापार कर रही है और यदि हां, तो कब से ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) इस फर्म द्वारा पंजीकरण के लिए अपने आवेदन पत्र में भेजी गई सूचना के अनुसार, यह पिछले दो वर्षों से विदेशों में लोगों को भेजने के व्यवसाय में लगी हुई है और इस अवधि के दौरान इसने 400 से अधिक व्यक्तियों के लिए विदेशों में रोजगार की मांगों को निपटाया है।

(ग) यह सूचना उपलब्ध नहीं है।

(घ) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के दिसम्बर, 1983 में लागू होने से पहले भर्ती एजेंटों के पंजीकरण की कोई पद्धति नहीं थी। इस फर्म ने नए अधिनियम के अधीन पंजीकरण के लिए अपना आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है और आवेदन-पत्र की जांच की जा रही है।

(ङ) इस संबंध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की नीति का पुनरीक्षण

10310. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इंटरनेशनल बार एसोसिएशन आफ इंडिया, 'लाएशिया' और बार एसोसिएशन आफ इंडिया द्वारा हाल ही में बम्बई में आयोजित संयुक्त क्षेत्रीय सम्मेलन (एशिया) की कार्यवाही में दिलचस्पी ली है;

(ख) क्या सरकार को न्यायाधीशों का अन्य राज्यों में स्थानान्तरण करने की सरकार की नीति के प्रति व्याप्त उनके भारी असंतोष का पता है जिसकी आवाज बम्बई और दिल्ली उच्च न्यायालयों के कुछ न्यायाधीशों ने सम्मेलन में उठाई थी; और

(ग) क्या न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की नीति की न्यायाधीशों और वकीलों द्वारा लगभग सर्वसम्मति से की गई आलोचना, और विशेषकर न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर इस नीति के विनाशकारी और बुरे प्रभाव के बारे में व्यक्त की गई आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार इस नीति का पुनरीक्षण करेगी ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) सरकार ने सम्मेलन के बारे में तारीख 15-2-84 को समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट देखी है। किन्तु सरकार को इस सम्मेलन की कार्यवाही प्राप्त नहीं हुई है।

समाचार-पत्रों में प्रकाशित इस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि उक्त सम्मेलन में भाग लेने वाले उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों और वकीलों ने बिना सहमति लिए न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की आलोचना की थी।

(ग) सरकार इस बात से सहमत नहीं है कि न्यायाधीशों के स्थानान्तरण की नीति से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर कोई चोट पहुंची है। अतः सरकार इसके पुनर्विलोकन की आवश्यकता नहीं समझती।

यू० के० दूरदर्शन द्वारा भारत विरोधी प्रसारण

10311. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि हाल ही में लंदन में दूरदर्शन पर दिखाए गए "दी जेवल इन क्राउन" नाटक में भारत की गलत तस्वीर प्रस्तुत की गई है और ब्रिटेन में भारतीय साहित्यिक/संस्थान ने इसकी कड़ी आलोचना की है;

(ख) क्या ब्रिटेन भारत से संबंधित ऐसी कुछ अन्य फिल्में भी प्रदर्शित होने वाली है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार भारत की गलत व अप्रमाणिक छवि प्रस्तुत करके, रूढ़िबद्ध विचार का प्रतिपादन करके और भारत विरोधी पूर्वाग्रह को उभारते हुए "ब्रिटिश राज" की महिमा का पुनः बखान करने के प्रयासों को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) "दी जेवल इन दी क्राऊन" नामक दूरदर्शन नाटक के बारे में

ब्रिटेन में किसी भी भारतीय साहित्यिक प्रतिष्ठान की कोई आलोचना सरकार के ध्यान में नहीं आई है ।

(ख) ब्रिटेन-भारत संबंध के बारे में कुछ फिल्मों को भारत सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है और कुछ की जांच पड़ताल की जा रही है ।

(ग) विदेशी फिल्म निर्माता द्वारा बनाए जाने वाली फिल्म की स्क्रिप्ट की जांच पड़ताल करते समय यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है कि फिल्म में किसी भी चित्रण या वर्णन से भारत की छवि कम न की गई हो । ऐतिहासिक प्रमाणिकता को ध्यान में रखा जाता है तथा अनुचित प्रशंसा की अनुसति नहीं दी जाती ।

"भगीरथ" के विशेष अंक का प्रकाशन

10312. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पब्लिकेशन डिवीजन द्वारा 1983 के दौरान, योजना कुरूक्षेत्र और भगीरथ पत्रिकाओं के अंग्रेजी, हिन्दी संस्करण किन तारीखों को निकाले गए थे और उनमें से प्रत्येक की कितनी प्रतियां प्रकाशित की गयी थीं और इन पत्रिकाओं की प्रत्येक प्रति की प्रकाशन लागत कितनी थी;

(ख) पब्लिकेशन डिवीजन ने किन कारणों से विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर भगीरथ विशेष अंक जारी करने से इन्कार कर दिया था;

(ग) इस विशेष अंक का प्रकाशन किसने किया और इसमें छापने के आदेश किसने जारी किए और इसकी प्रत्येक प्रति की प्रकाशन लागत कितनी आई; और

(घ) इस विशेष अंक का नियमानुसार न करने, इसका प्रकाशन अन्यत्र करने और इसके प्रकाशन पर अधिक खर्च करने के लिए कौन व्यक्ति उत्तरदायी है और फालतू खर्च करने तथा अनियमितता बरतने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में (उप मंत्री श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) अपेक्षित सूचना परिशिष्ट में दी गई है । [ग्रन्थालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एल० टी० 8374/84]

(ख) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने विश्व हिन्दी सम्मेलन के अवसर पर भगीरथ (हिन्दी) का विशेष अंक निकालने के लिए मना नहीं किया था । तथापि, भारत सरकार प्रेस, फरीदाबाद ने, जैसा कि केन्द्रीय जल आयोग ने चाहा था, पांडुलिपि के प्राप्त होने की तारीख से 15 दिन के भीतर विशेष अंक के मुद्रण की प्रक्रिया को मुकम्मल करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की । इसलिए अंक को, जैसा कि केन्द्रीय जल आयोग ने पेशकश की थी, केन्द्रीय जल आयोग के विभागीय आफसेट प्रेस में मुद्रित किया गया था ।

(ग) इस विशेष अंक को केन्द्रीय जल आयोग के आफसेट प्रेस में मुद्रित किया गया था और प्रिंट आर्डर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा दिया गया था। जैसा कि सिंचाई मंत्रालय ने बताया है, प्रति कापी लागत का अनुमान लगभग 1.90 रु० है जिसमें ऊपरी और श्रम प्रभार शामिल नहीं हैं।

(घ) क्योंकि अंक का मुद्रण केन्द्रीय जल आयोग के विभागीय प्रेस में किया गया था, अत: प्रश्न नहीं उठता।

डी-2 एमीनोबुटानोल के आयात के संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिये गठित दल का ब्यौरा

10313. **श्री तारिक अनवर**: क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने डी एल-2 एमीनोबुटानोल के नाम से डी-2 एमिनोबुटानोल के आयात के संबंध में तथ्यों का पता लगाने के लिए एक दल भेजा था, यदि हां, तो यह दल कब भेजा गया था और क्या इस दल ने अपना काम पूरा कर लिया है; और

(ख) क्या यह सच है कि इस संबंध में और यूनिटों के दौरा करने का विचार है और इस दल में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, बी० आई० सी० पी० स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय और विज्ञान और प्रौद्योगिक विभाग के सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव है, और यदि हां, तो सत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी हां। दल 19 मार्च, 1984 को भेजा गया था तथा इस दल ने 9 अप्रैल, 1984 को 6 कारखानों का निरीक्षण पूर्ण किया।

(ख) जी नहीं।

पार्वती मिल्स, (केरल) के कर्मचारियों की भविष्य निधि की बकाया राशि

10314. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पार्वती मिल्स क्लिन के कर्मचारियो को 1972-73 के दौरान भविष्य निधि की बकाया राशि को कर्मचारियों में वितरित न किए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि

प्राधिकारियों के अनुसार, पार्वती मिल्स के पदमुक्त कर्मचारियों के संबंध में 1970-72 अवधि के लिए केवल नियोजकों के अंशदान के हिस्से का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है।

(ख) मैसर्स पार्वती मिल्स 1.4.1974 से राष्ट्रीयकृत की गई कपड़ा मिलों में से एक मिल है। रूग्ण कपड़ा उपक्रम (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1974 के अधीन की गई व्यवस्था के अनुसार, भविष्य निधि प्राधिकारियों ने पिछले प्रबंधतंत्र से भविष्य निधि अंशदानों की सम्पूर्ण देय राशियों के लिए संदाय आयुक्त के पास दावा दायर किया था और राशि के वसूल किए जाने तक, वे सदस्यों को कर्मचारियों के अंशदानों के हिस्से की सीमा तक की राशि (इसमें वसूल न की गई राशि शामिल है) और वसूल किए गए नियोजकों के अंशदानों के हिस्से की सीमा तक की राशि का भुगतान कर रहे हैं। संदाय आयुक्त ने 3,10,672.74 रुपये की कुल राशि में से 2,57,119.75 रुपये की राशि का भुगतान कर दिया है और भविष्य निधि प्राधिकारी नियोजकों के अंशदानों के हिस्से (वसूल की गई राशि की सीमा तक) के भुगतान करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं।

मान्यता प्राप्त निर्यात गृहों को टेलीफोन कनैक्शन

10315. **श्री बालकृष्ण वासनिक :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मान्यता प्राप्त निर्यात गृहों के टेलीफोन/टेलेक्स कनेक्शनों के अनेक आवेदकों को उनके व्यापार परिसरों पर विभिन्न सिफारिशों के बावजूद कलकत्ता टेलीफोन से टेलीफोन कनेक्शन/टेलेक्स कनेक्शन के लिए उचित सेवा सुविधाएं प्राथमिकता नहीं मिल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो सत्संबंधी तथ्य क्या हैं और समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कलकत्ता द्वारा इन निर्यात गृहों के कितने आवेदनपत्रों पर सिफारिश की गई है; और

(ग) इन निर्यातकों को संचार प्रणाली की सहायता से और अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने हेतु सुविधा देने के लिए उन्हें तत्काल टेलीफोन कनेक्शन देने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण, कलकत्ता द्वारा जिन निर्यात गृहों के विशेष मामलों की सिफारिश की गई थी उनसे संबंधित जानकारी एकत्र की जा रही है। और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

त्रिपुरा राज्य में चाय बागानों द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के अंशदानों का जमा न किया जाना

10316. **श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य में स्थित अनेक चाय बागान अपने बागान श्रमिकों से वसूली की गयी भविष्य निधि जमा नहीं करा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और ऐसा करने वाले चाय बागानों उनके स्वामियों/प्रबंध निदेशकों के नाम क्या है तथा उनमें से प्रत्येक द्वारा ऐसी कितनी धनराशि देय है; और

(ग) उनके विरुद्ध क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ताकि श्रमिकों की भविष्य निधि की राशि जमा करने के मामले में विलम्ब दूर किया जा सके तथा देय राशि जमा की जाये?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

झांझर कोयला खनन परियोजना

10317. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत संघ के सहयोग से विकसित ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० परियोजनाओं में सबसे बड़ी झांझर कोयला खनन परियोजना की रोजगार क्षमता कितनी है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : झांझरा कोयला खनन परियोजना में वर्ष 1991-92 तक चरणबद्ध तरीके से 3127 कार्मिकों को रोजगार मिलने की आशा है ।

आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग के विदेशी भाषा एकाकों में खाली पद

10318. **श्री समीनुद्दीन** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग के विदेशी भाषा एककों में कार्यरत कापिस्ट/टाइपिस्ट और सहायकों की संख्या कितनी है और उनके वेतनमान क्या हैं;

(ख) ऐसे कितने पद तथा किस तारीख से खाली पड़े हैं और उन्हें भरने के लिए क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) विदेशी भाषाओं के कापिस्टों टाईपिस्टों के पदोन्नति के अवसर क्या हैं; और

(घ) ऐसे उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जो अपने वेतनमान के अधिकतम और किस तारीख तक पहुंच गए हैं या जो अपने वेतनमान के 3/4 भाग को पार कर गए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आकाशवाणी के विदेश सेवा प्रभाग में अब पांच सहायक और दो कापिस्ट/टाइपिस्ट कार्य कर रहे हैं । इन श्रेणियों का शुल्कमान 425-640 रु० है । तथापि, सहायक (फारसी) के पद का शुल्कमान 550-750 रु० है ।

(ख) सहायक के तीन पद और टाइपिस्ट का एक पद खाली पड़ा है। भर्ती नियमों के अनुसार, इन पदों को खुले बाजार से भरा जाना होता है। इन पदों को भरने के लिए प्रयास किए गए थे। तथापि, क्योंकि संबंधित विदेशी भाषाओं में अपेक्षित दक्षता वाले व्यक्ति सुलभ नहीं थे, अत: इन पदों को भरा नहीं जा सका था। तथापि, स्टाफ आर्टिस्टों को सरकारी कर्मचारियों में परिवर्तित करने की सरकार की स्कीम को देखते हुए, इन पदों को भरा नहीं गया है।

(ग) विदेश सेवा प्रभाग की विदेशी भाषा यूनिट में कापीस्ट/टाइपिस्ट के पदों को संविदा आधार पर भरा जाता है। ये पद विदेशी भाषा विशेष की विशिष्ट आवश्यकता के लिए हैं। विदेश सेवा प्रभाग की विदेशी भाषा यूनिटों में ऐसे आसन्न उच्च पद विद्यमान नहीं है जिनके लिए इस प्रकार का अनुभव आवश्यक हो।

(घ) एक व्यक्ति 1.12.1970 से शुल्कमान के अधिकतम तक पहुंच गया है। किसी भी व्यक्ति ने शुल्कमानों के 3/4 भाग को पार नहीं किया है।

बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए धन का आवंटन और उपयोग

10319. **श्री अनन्त रामुलु मल्लू** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1978-79 से विभिन्न राज्यों में बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के लिए धन आवंटित कर रही है;

(ख) यदि हां, तो उपयुक्त अवधि के दौरान राज्यों को आवंटित राशि के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ राज्य अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने और मंजूर राशि का उपयोग करने में असफल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) जी, हां। श्रम मंत्रालय बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के अंतर्गत बराबर-बराबर के अनुदान (50:50) के आधार पर 1978-79 से राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान करता आ रहा है। इस योजना में प्रति बंधुआ श्रमिक के लिए 4000 रुपये की सीमा तक पुनर्वास अनुदान की व्यवस्था की परिकल्पना की गई है, जिसमें से आधी राशि केन्द्रीय भाग के रूप में दी जाती है। अब तक, 1978-79 में योजना के शुरू होने से 1983-84 तक बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास के लिए इस योजना के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता के हिस्से के रूप में राज्य सरकारों को 1086.06 लाख रुपये की राशि प्रदान की गई है। राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं :—

राज्य	दी गई राशि (रु० लाखों में)
1. आन्ध्र प्रदेश	122.23
2. बिहार	123.80
3. गुजरात	0.39
4. कर्नाटक	348.99
5. केरल	9.53
6. मध्य प्रदेश	20.09
7. उड़ीसा	244.85
8. राजस्थान	41.30
9. तमिलनाडु	10.04
10. उत्तर प्रदेश	164.84
जोड़	1086.06

(ग) और (घ) प्रदान की गई 1086.06 लाख रुपये की राशि के विपरीत, राज्य सरकारों ने 531.00 लाख रुपये के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं और यह सूचित किया गया है कि शेष राशि के उपयोग के लिए कार्यवाही चल रही है । बन्धुआ श्रमिकों के पुनर्वास में समय लगता है और यह कई कारणों जैसे जलवायु और आर्थिक परिस्थितियों, मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों को दिए जाने वाले निवेशों और परिसम्पत्तियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है और इसलिए, बंधुआ श्रमिकों के पुनर्वास की प्रक्रिया में कुछ देरी की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

बीड़ी कामगरों की आय की वार्षिक रिपोर्ट

10320. **श्री राम प्रसाद अहिरवार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीड़ी उद्योग के कामगारों के संबंध में उनकी आय दर्शाने वाली मासिक तिमाही अथवा वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) यद्यपि, बीड़ी श्रमिकों की आय के संबंध में कोई मासिक/तिमाही/वार्षिक रिपोर्ट संकलित नहीं की जा रही

है, तथापि, बीड़ी उद्योग में कार्य और रहन-सहन की दशाओं के संबंध में श्रम ब्यूरो द्वारा एक सर्वेक्षण किया गया था। श्रम ब्यूरो द्वारा सर्वेक्षण संबंधी रिपोर्ट 1981 में प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में बीड़ी उद्योग में आय, व्यय और उपभोग नमूनों संबंधी सूचना दी गई है। बीड़ी बनाना न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन अनुसूचित रोजगारों में से एक रोजगार है। न्यूनतम मजदूरी दरों के आंकड़े, जिनमें बीड़ी उद्योग में न्यूनतम मजदूरी भी शामिल है, श्रम ब्यूरो द्वारा अपने महत्वपूर्ण प्रकाशनों अर्थात, भारतीय श्रम आंकड़े, न्यूनतम मजदूरी तथा इंडिया लेबर जर्नल में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं।

राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में उप-डाकघर, डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोला जाना

10321. **श्री बिरदा राम फुलवारिया**: क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980 से 1983-84 की अवधि के दौरान राजस्थान के जालौर और सिराही जिलों में कितने-कितने उप-डाकघर, डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोले गए; और

(ख) सरकार का विचार कितने और ऐसे उप-डाकघर और सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र खोलने का है तथा ये कब तक खोले जाएंगे ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

1980 से 1983-84 की अवधि के दौरान	जालौर	सिरोही
1. खोले गए उप-डाकघर	शून्य	1
2. खोले गए शाखा डाकघर	11	24
3. खोले गए लंबी दूरी के पी० सी० ओ०	10	4
वित्तीय वर्ष 1984-85 में खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघर		
1. उप-डाकघर	शून्य	शून्य
2. शाखा डाकघर	2	6
3. लंबी दूरी के पी० सी० ओ०	13	9

महिला आश्रम, करनाल का अभ्यावेदन

10322. **श्री अजित बाग** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री को महिला आश्रम करनाल के निवासियों का 9 अप्रैल, 1984 का एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मांगों को पूरा करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां तो इस सम्बन्ध में उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) एक विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

महिला आश्रम, करनाल (हरियाणा) में रह रहे भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए नए प्रवासी परिवारों के दिनांक 9-4-1984 के ज्ञापन में की गई मांगें

1. हरियाणा में करनाल स्थित महिला आश्रम में भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए 68 नये प्रवासी परिवार हैं । इनमें 56 परिवार पुनर्वास योग्य हो गए हैं । इन प्रवासियों के पुनर्वास के लिए अब एक योजना मंजूर की गई है और इस योजना के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा सरकार को आवश्यक धन-राशि भी दे दी गई है ।

2. प्रवासियों ने विभिन्न मांगें सम्मुख रखी हैं । कुल मिलाकर स्थिति निम्नानुसार है :—

(क) **पुनर्वास स्थल**

प्रवासी परिवारों ने अपने अभ्यावेदन में कहा है कि उन्हें उस स्थल पर बसाया जाए जहां कि आश्रम के शौचालय ब्लाक हैं अन्यथा किसी अन्य स्थान पर उन्हें भेजे जाने की अवस्था में उन्हें दुकान-सह-आवास के निर्माण के लिए प्रति परिवार 150 वर्ग गज भूमि आवंटित की जाए ।

महिला आश्रम स्थित स्थल समाज कल्याण काम्लेक्स के विस्तार के लिए अंकित है और इन परिवारों के पुनर्वास के लिए उपलब्ध नहीं कराया जा सकता है । इन परिवारों के पुनर्वास के लिए करनाल में 2 बीघा और 19 बिसवा के एक भूमि खण्ड का हरियाणा सरकार ने चुनाव किया है

(ख) **पुनर्वास सहायता**

प्रवासियों ने प्रति परिवार 15,000/- रुपये का वापस न किए जाने वाला ऋण

और प्रति परिवार 10,000/- रुपये का पुनर्वास अनुदान तथा एक वर्ष के लिए भरण-पोषण सहायता का अनुरोध किया है।

पात्र परिवारों को प्रति परिवार 50000/- रुपये की दर से व्यापार/लघु व्यवसाय के लिए ऋण सहायता दी जाएगी। इन परिवारों के लिए आवास का निर्माण राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त संस्थागत वित्त से किया जाएगा। भारत सरकार का योग-दान प्रति मकान 8,000/- रुपये और प्रति दुकान 1000/- रुपये तक होगा। अनुमोदित पैटर्न के अनुसार परिवारों को तीन माह के लिए भरण-पोषण सहायता दी जाएगी।

(ग) **नकद बेकारी अनुदान की दर में वृद्धि**

1. प्रवासियों का कहना है कि नकद बेकारी अनुदान को बढ़ाकर प्रति प्रवासी 100/- रुपये किया जाए।

2. राज्य सरकार, जिसके साथ मामला उठाया गया था, ने 1-7-1983 से नकद बेकारी अनुदान की दर बढ़ा कर 50/- रुपये से 75/- रुपये कर दी है।

(घ) **नकद बेकारी अनुदान पर लगाई गई कटौती की बहाली**

राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में व्यापक नियम निर्धारित किए हैं और ये नियम राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे सभी गृहों पर लागू हैं। राज्य सरकार इस कटौती को हटाने के लिए सहमत नहीं हुई है।

(ङ) **प्रवासियों के कब्जे की हटमेण्ट्स की मरम्मत**

हटमेण्ट्स का निर्माण 1950 में हुआ था और इनका निर्धारित समय समाप्त हो गया है तथा जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। इन झोपड़ियों की राज्य सरकार ने कुछ मरम्मत की थी और पानी के दो अतिरिक्त कनैक्शन भी लगाए गए हैं। प्रवासियों को राज्य सरकार द्वारा चुने गए पुनर्वास स्थल पर भेजना पड़ेगा।

(च) **आश्रम के कतिपय अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत**

आश्रम राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है जो पहले ही मामले से अवगत है क्योंकि अभ्यावेदन उन्हें भी भेजे गए हैं।

कोल इण्डिया लि० और इसकी सहायक कम्पनियों में बिक्री और खनन कार्यों में इंजीनियरों की नियुक्ति

10323. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इण्डिया और उसकी सहायक कंपनियों के अंतर्गत बिक्री

के काम के नियुक्त किए गए सभी खनन इंजीनियरों को वापस बुला लिया गया है और उन्हें खनन काम में नियुक्त कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास बिक्री के काम में लगाए गए ऐसे किसी खनन इंजीनियर के बारे में कोई जानकारी है जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन्हें कहां लगाया गया है;

(ङ) क्या ऐसे किसी अधिकारी का पदनाम बदल दिया गया था और दर्जा बढ़ा दिया गया था;

(च) क्या किसी खनन इंजीनियर को सतर्कता विभाग द्वारा आरोप-पत्र दिया गया था जिसे दो बार स्थानान्तरित किया गया था परन्तु बाद में उपरोक्त स्थानांतरण आदेश न केवल रद्द कर दिया गया था बल्कि उसे बिक्री विभाग में महत्वपूर्ण स्थान पर नियुक्त किया गया था;

(छ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ज) यदि नहीं, तो तत्संबंधी वास्तविकता क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ज) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

मैसर्स ईस्टर्न गैस एण्ड पावर कम्पनी, कलकत्ता के विरुद्ध शिकायतें

10324. **श्री के० लक्कप्पा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम लिमिटेड, कलकत्ता को उसके "इंडेन" डीलर मैसर्स ईस्टर्न गैस एण्ड पावर कम्पनी, हरीश मुखर्जी मार्ग, कलकत्ता के विरुद्ध उसके पंजीकृत ग्राहकों द्वारा ग्राहकों को खाना बनाने की गैस के बारे में उक्त डीलर द्वारा किए जा रहे विभिन्न कदाचारों के संबंध में शिकायतें की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस डीलर के विरुद्ध क्या कार्यवाई की जा रही है; और

(घ) प्रयोक्ताओं को उचित सेवा प्रदान करने के लिए और क्या कार्यवाही किए जाने के प्रस्ताव हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उनका संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित विषयों से है :—

(i) उपभोक्ताओं को रिफिलों की सप्लाई में अत्यधिक विलम्ब ।

(ii) कर्मचारियों द्वारा अभद्र व्यवहार ।

(iii) उपभोक्ताओं को रिफिल की सप्लाई में उचित प्रतिमान का पालन न किया जाना ।

(ग) असन्तुष्ट उपभोक्ताओं को उनके क्षेत्र में सप्लाई करने वाले अन्य समानान्तर डीलरों के पास अंतरित किया जा रहा है । इसके अलावा, उपभोक्ताओं को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार लाने के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड ने डीलरों को एक चेतावनी पत्र भी लिखा है ।

(घ) इस क्षेत्र में एक और एल० पी० जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने की योजना है । चुने गये उम्मीदवार को आशय पत्र जारी किया जा चुका है तथा डिस्ट्रीब्यूटरशिप के चालू हो जाने पर, आशा है, क्षेत्र में उपभोक्ता सेवा में सुधार हो जाएगा ।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू न किए गए बिजली एकक

10325. **श्री छोटूभाई गामित** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में अनेक निर्माणाधीन बिजली संयंत्र एककों को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चालू नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बिजली संयंत्रों की संख्या कितनी है;

(ग) इन संयंत्रों को चालू करने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संयंत्रों के कब तक चालू होने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) छठी योजना के दौरान जिन विद्युत परियोजनाओं/यूनिटों को चालू करने का कार्यक्रम हैं लेकिन चालू करने में विलम्ब हो रहा है, उनको चालू करने की संभावित तारीख सहित उनके नाम संलग्न विवरण-एक में दिए गए हैं ।

परियोजनाओं को चालू करने में विलम्ब के मुख्य कारण संलग्न विवरण-दो में दिए गए हैं ।

विवरण—एक

छठी योजना के दौरान जिन विद्युत परियोजनाओं/यूनिटों को चालू करने का कार्यक्रम है, जो योजना से पिछड़ सकते हैं, इन परियोजनाओं/यूनिटों के नाम

क्रम संख्या	परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	राज्य	चालू करने की संभावित तारीखें
1	2	3	4	5
जल विद्युत				
1.	पश्चिमी यमुना नहर यूनिट 1 से 6	6×8	हरियाणा	85-86/86-87

1	2	3	4	5
2.	मुकेरियां यूनिट 4 से 6	3×15	पंजाब	86-87
3.	आन्ध्रा यूनिट 1 से 3	3×5	हिमाचल प्रदेश	85-86
4.	रोंगटोंग यूनिट 1 से 4	4×0.5	हिमाचल प्रदेश	85-86
5.	माही बजाज सागर यूनिट 1 से 4	2×25+2×45	राजस्थान	85-86/87-88
6.	उकई बायां तट नहर यूनिट 1 और 2	2×2.5	गुजरात	85-86
7.	कडाना यूनिट 1 और 2	2×60	गुजरात	86-87
8.	पेंच यूनिट 1 और 2	2×80	मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र	85-86
9.	तिल्लारी	60	महाराष्ट्र	85-86
10.	भीड़ा रेल रेस यूनिट 1 और 2	2×40	महाराष्ट्र	86-87
11.	बालिमेला यूनिट 1 और 2	2×30	आन्ध्र प्रदेश	87-88
12.	कालीनदी चरण-1 सूपा बांध बिजली घर यूनिट 7 और 8	2×50	कर्नाटक	85-86
13.	इदामालायार यूनिट 1 और 2	2×37.5	केरल	85-86
14.	कक्कड़ यूनिट 1 और 2	2×25	केरल	87-88
15.	सरवालार	20	तमिलनाडु	85-86
16.	कदमपराई पी० एस०. एस० यूनिट 1 से 4	4×100	तमिलनाडु	85-86
17.	रंगाली यूनिट-2	50	उड़ीसा	85-86
18.	अपर कोलाब यूनिट 1 से 3	3×80	उड़ीसा	85-86/86-87
19.	रमन यूनिट 1 से 4	4×12.5	पश्चिम बंगाल	86-87
20.	पंचेत हिल	40	दा० घा० नि०	86-87

1	2	3	4	5
21. लोअर बोरपानी यूनिट 1 (कारबी लंगपी)		50	असम	86-87
22. दिक्खु यूनिट 1 और 2		1 × 0.25 + 1 × 0.5	नागालैण्ड	85-86
23. कोपिली बिजली घर यूनिट 3 और 4		2 × 50	उत्तर पूर्वी परिषद	85-86
ताप विद्युत				
1. पानीपत यूनिट-3		110	हरियाणा	85-86
	यूनिट-4	110	—वही—	85-86
2. अनपारा "क"	यूनिट-1	210	उत्तर प्रदेश	85-86
	यूनिट-2	210	—वही—	85-86
	यूनिट-3	210	—वही—	86-87
3. टांडा	यूनिट-1	110	—वही—	85-86
	यूनिट-2	110	—वही—	86-87
	यूनिट-3	110	—वही—	86-87
	यूनिट-4	110	—वही—	87-88
4. वानकबोरी	यूनिट-4	210	गुजरात	85-86
5. कोरबा पश्चिम	यूनिट-4	210	मध्य प्रदेश	85-86
6. चन्द्रपुर	यूनिट-3	210	महाराष्ट्र	85-86
7. रायचूर	यूनिट-1	210	कर्नाटक	85-86
	यूनिट-2	210	कर्नाटक	85-86
8. नेवेली दूसरा माइन कट	यूनिट-1	210	केन्द्रीय	86-87
	यूनिट-2	210	केन्द्रीय	85-86
9. मुजफ्फरपुर	यूनिट-2	110	बिहार	85-86
10. कोलाघाट	यूनिट-1	210	पश्चिम बंगाल	85-86
	यूनिट-2	210	पश्चिम बंगाल	85-86

1	2	3	4	5
11.	दुर्गापुर परियोजना यूनिट-6	110	पश्चिम मंगाल	85-86
12.	बोकारो "ख" यूनिट-1	210	दा० घा० नि०	85-86
13.	बोगाईगांव यूनिट-4	60	असम	85-86
14.	चन्द्रपुर विस्तार	30	—वही—	86-87

विवरण—दो

विद्युत परियोजनाओं के पूरा होने में विलम्ब के मुख्य कारण ?

(1) कमजोर परियोजना प्रबंध ।

(2) संयंत्र और उपस्कर की सप्लाई में देरी (गैर क्रमिक सप्लाई समेत) ।

(3) निधियों की अपर्याप्त उपलब्धता ।

(4) भूमि अधिग्रहण और वन भूमि को गैर वन भूमि के इस्तेमाल करने के लिए इसको प्राप्त करने में देरी तथा परियोजनाओं से प्रभावित होने वाले संभावित व्यक्तियों को पुनर्वास में देरी (वन संरक्षण), आदि नियम, 1980 के लागू होने के परिणाम-स्वरूप ।

(5) अपर्याप्त स्थल अन्वेषण ।

(6) सिविल कार्यों में विलम्ब । कई बार उपस्कर कार्य स्थल पर बेकार पड़े रहते हैं क्योंकि परियोजना प्राधिकारियों के लिए सिविल कार्य समयानुसार तैयार नहीं होते हैं ।

(7) परियोजना के लिए इंजीनियरिंग विशिष्टियों को अन्तिम रूप देने में देरी ।

(8) आनुषंगिक उपस्कर/ठेका देने के लिए आर्डर देने में विलम्ब ।

(9) औद्योगिक संबंधों का मधुर न होना ।

(10) मुख्य निर्माण सामग्रियों की कमी ।

(11) भू-वैज्ञानिक कारण (जल विद्युत परियोजनाओं के बारे में) ।

फास्फोरस उर्वरकों के उत्पादन के लिये तकनीक का विकास

10326. **श्री अमर सिंह राठवा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फास्फोरस संबंधित कम्पोस्ट उर्वरकों के उत्पादन के लिए हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों द्वारा सरल तथा मितव्ययी तकनीक का विकास किया गया है, जिससे देश को विदेशी मुद्रा बचाने में सहायता मिलेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसको उपयोग में लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी हां ।

(ख) हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय ने मसूरी राक फास्फेट तथा कार्बनिक अपशेष के प्रयोग से फास्फोरस संबंधित कम्पोस्ट (फोस्फोकम्पोस्ट) के निर्माण के लिए प्रौद्योगिकी का विकास किया है । इस सामग्री में कुल 6.5 से 8 प्रतिशत फास्फोरस होता है तथा फास्फेटिक उर्वरकों के आंशिक एवज के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है । गेहूं, अरहर, मूंग तथा लोबिया पर किए गए परीक्षणों से यह पता चला है कि यह सुपरफास्फेट के समान ही प्रभावशाली है ।

(ग) इस प्रौद्योगिकी का प्रदर्शन करने तथा किसानों को इस प्रौद्योगिकी के बारे में शिक्षित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, किसान मेलों, खेती दिवस आदि का आयोजन करता रहा है ।

गैस के जलाये जाने के परिणामस्वरूप नुकसान

10327. **श्री के० प्रधानी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रतिदिन भारी मात्रा में गैस के जलाये जाने विशेषकर तट दूर क्षेत्र में परिणामस्वरूप होने वाले नुकसान का कभी अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो प्रतिदिन घन मीटरों में तथा आर्थिक रूप से कितना नुकसान हो रहा है; और

(ग) तट से दूर कम्प्रेसर सुविधाएं उपलब्ध कराने तथा गैस का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करके इस नुकसान को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वी० शिव शंकर) : (क) और (ख) 1983-84 में उत्पादित गैस के लगभग 39 प्रतिशत को जलाया गया था । गैस के कुल उत्पादन में बहुत तेजी से वृद्धि होने के बावजूद पिछले 3 वर्षों में जलाये जाने का प्रतिशत लगभग यही रहा । अनुमान है कि तट से दूर लगभग 3.9 मि० घन मीटर गैस प्रतिदिन जलाई जाती है । जलाई गई गैस के सांकेतिक मूल्य के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है ।

(ग) तट दूर से धरती तक गैस के परिवहन के लिए सम्पोड़न सुविधायें बढ़ाने के काम को पहले से ही हाथ में ले लिया गया है और प्लेटफार्मों आदि के लिए आर्डर दिये जा चुके हैं ।

इनके 1985 में पूरे होने की सम्भावना है । इन सुविधाओं के बढ़ जाने और उपभोक्ताओं के मिल जाने से तट के दूर गैस का जलाया जाना काफी हद तक कम हो जायेगा ।

उड़ीसा में फार्मास्युटिकल एकक स्थापित करना

10328. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बिचार उड़ीसा राज्य में कुछ फार्मास्युटिकल एकक स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा देश में पिछले पांच वर्षों के दौरान राज्यवार अब तक स्थापित औषधि एककों के नाम क्या हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० ने उड़ीसा में 136.52 लाख रुपए की लागत पर राज्य औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से एक फार्मूलेशन एकक पहले ही स्थापित कर लिया है ।

(ग) देश में गत पांच वर्षों के दौरान निम्नलिखित औषध एकक स्थापित किए गए हैं :

राज्य औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से आई० डी० पी० एल० द्वारा

1. यू० पी० ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि०, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
2. पंजाब मेज प्राडक्ट लि० (संगरूर) (पंजाब)
3. राजस्थान ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लि०, जयपुर (राजस्थान)
4. उड़ीसा, ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लि०, भुवनेश्वर (उड़ीसा)

राज्य औद्योगिक विकास निगम के सहयोग से हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि० द्वारा

1. महाराष्ट्र एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लि०, नागपुर (महाराष्ट्र) ।
2. गोवा एंटिबायोटिक्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लि०, पणजी (गोवा) ।
3. कर्नाटक ड्रग्स एण्ड फार्मेस्युटिकल्स लि०, बंगलौर (कर्नाटक) ।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, आई० डी० पी० एल० ने गत पांच वर्षों में निम्नलिखित नए संयंत्र स्थापित किए हैं :—

1. गुड़गांव (हरियाणा) में फार्मूलेशन एकक ।

2. मद्रास (तमिलनाडु) में फार्मूलेशन एकक।

3. मुजफ्फरपुर (बिहार) में निकोटिनामाइड संयंत्र।

आई० ओ० सी० के ठेकेदारों और मिनरल आयल वर्कर्स यूनियन दिग्बोई (असम) के प्रतिनिधियों के बीच औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1943 के अन्तर्गत समझौता

30329. **श्री रेणुपद दास** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आई० ओ० सी० (ए० ओ० डी०) के ठेकेदारों और मिनरल आयल वर्कर्स यूनियन, दिग्बोई के प्रतिनिधियों के बीच 22 दिसम्बर, 1983 को ए० एल० सी० असम के समय औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अन्तर्गत कोई समझौता हुआ था।

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त समझौता को कार्यान्वित किया गया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि उपर्युक्त भाग (ख) का उत्तर नकारात्मक है, तो क्या सरकार का विचार उक्त समझौता को कार्यान्वित करने के लिये कोई कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

बल्क ड्रग्स का आयात

10330. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी कम्पनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बल्क ड्रग्स और ड्रग्स इंटरमीडिएट का कुल कितना आयात किया है और बल्क ड्रग्स, ड्रग्स इंटरमीडिएट आयात के स्रोतों और सी० आई० एफ० मूल्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि में भारतीय कम्पनियों द्वारा इन्हीं मदों के लिए दिए गए सी० आई० एफ० मूल्यों का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 से 1982-83 के दौरान आयातित रसायनों तथा सालवेन्टस सहित प्रपुंज औषधों, औषध मध्यवर्तियों का मूल्य निम्न प्रकार है :—

वर्ष	मूल्य (करोड़ रुपयों में)
1980-81	102.91
1981-82	134.40
1982-83	140.91

आयातों के वर्ष-वार तथा/अथवा स्रोत-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले में खेड़ा बभेड़ा में सब-पोस्ट आफिस का स्थानान्तरण

10331. **श्री जितेन्द्र प्रसाद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले में खेड़ा बभेड़ा पोस्ट आफिस को खेड़ा बभेड़ा गांव की बजाय खेमपुर गांव में स्थापित करने के क्या कारण हैं जबकि खेड़ा बभेड़ा गांव में कार्यालय के लिए भवन सार्वजनिक स्थान पर उपलब्ध हैं; और

(ख) क्या लोकहित में इस सब-पोस्ट आफिस को शीघ्र ही खेड़ा बभेड़ा ले जाया जायेगा?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) शाहजहांपुर जिले में खेड़ा बभेड़ा विभागीय उप डाकघर खेड़ा बभेड़ा ग्राम में ही कार्य कर रहा है न कि खेमपुर में।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्य प्रदेश कोयला श्रमिक संघ, विश्रामपुर (मध्य प्रदेश) द्वारा कोल इंडिया लि०, कलकत्ता के अध्यक्ष को भेजा गया अभ्यावेदन

10332. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि मध्य प्रदेश कोयला श्रमिक संघ (सीटू), विश्रामपुर (मध्य प्रदेश) ने कोल इंडिया लि०, कलकत्ता के अध्यक्ष को 5 अप्रैल, 1984 को एक अभ्यावेदन भेजा थां;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि उक्त अभ्यावेदन में कुछ समाज विरोधी तत्वों द्वारा संघ के अध्यक्ष सहित संघ के कार्यकर्त्ताओं पर उस समय किए गए कथित हमले के बारे में भी रिपोर्ट की गई है जबकि वे पहले दिन घट चुकी इसी प्रकार की घटना के बारे में प्रबंधक से विचार विमर्श करने के लिए गए थे;

(ग) इन घटनाओं की जांच कराने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्वतन्त्रता सेनानियों को मिट्टी के तेल की एजेन्सी के आबंटन के संबंध में इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की नीति

10333. **श्री दिगम्बर सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981 में स्वतन्त्रता सेनानियों के लिए मिट्टी के तेल की एजेन्सी देने के संबंध में इण्डियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड की नीति क्या थी;

(ख) जनवरी 1981 से जनवरी 1983 तक स्वतंत्रता सेनानियों को मिट्टी के तेल की कितनी एजेंसियां दी गई हैं; और

(ग) क्या बिना विज्ञापन जारी किए स्वतन्त्रता सेनानियों को एजेंसी देने की कोई व्यवस्था है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तेल उद्योग की 1981-82 की योजना के अन्तर्गत सामाजिक कार्यकर्ताओं/स्वतंत्रता सेनानियों के लिए सभी पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के दिये जाने के लिए 10 प्रतिशत का आरक्षण था । बाद में, 1982-84 (भाग-1) की योजना से इसे घटाकर केवल स्वतंत्रता सेनानियों के लिए 5 प्रतिशत कर दिया गया था ।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

(ग) जी, नहीं ।

बम्बई टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन

10334. **श्री एन० के० सेजवलकर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई टेलीफोन सलाहकार समिति का कब तक गठन किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या यह सच है कि महाप्रबंधक बम्बई टेलीफोन को टेलीफोन सलाहकार समिति के न होने से असुविधाओं और परिहार्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्यों को प्राप्त शक्तियों और सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) बम्बई टेलीफोन सलाहकार समिति के शीघ्र गठन की सम्भावना है ।

(ख) जी नहीं।

(ग) टेलीफोन सलाहकार समितियों के सदस्यों को प्राप्त अधिकार और सुविधाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

सदस्यों को प्राप्त अधिकार और सुविधाएं

(क) नियमों के अंतर्गत न्यायोचित तथा न्यायसंगत आधार पर ओ० वाई० टी० तथा गैर ओ० वाई० विशेष श्रेणियों के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के विभिन्न आवेदकों के तुलनात्मक योग्यता क्रम का संयुक्त मूल्यांकन कर बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन देने के निर्णय लेने में विभाग की सहायता करना।

किसी भी एक एक्सचेंज में भारी संख्या में टेलीफोन कनेक्शन देते समय प्रत्येक सदस्य, बिना बारी के तीन टेलीफोन कनेक्शनों की अिफारिश कर सकता है। फिर भी, ऐसे मामलों की कुल संख्या 100 टेलीफोन कनेक्शनों या एक्सचेंज में भारी संख्या में जारी किए जाने वाले टेलीफोन कनेक्शनों के 5 प्रतिशत, जो भी कम हो से अधिक नहीं होनी चाहिये।

(ख) टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्य को अपनी सदस्यता अवधि के दौरान बिना बारी के एक टेलीफोन प्रदान किया जाता है। उक्त टेलीफोन के लिए कोई किराया वसूल नहीं किया जाता है, और बिल भेजने की द्विमासिक अवधि के दौरान 1200 निःशुल्क कालें दी जाती है।

(ग) टेलीफोन सलाहकार समिति के सदस्य समिति की बैठक में सम्मिलित होने के लिए वास्तविक यात्रा भत्ता जिसकी अधिकतम सीमा 50 रुपये है, पाने के हकदार हैं।

खाना बनाने की गैस की अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित रीटेल डीलरशिप का दिया जाना

10335. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों से अनुसूचित जातियों के लिये आरक्षित भाभान जिला बस्ती (उत्तर प्रदेश) की एल० पी० जी० रीटेल डीलरशिप दिये जाने के सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या सुधारात्मक कार्यवाही की गई है/किये जाने का विचार है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों में उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों से भी इस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) क्या उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी उपर्युक्त (क) और (ख) में उल्लिखित शिकायतों जैसी शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी पिछले तीन वर्ष का ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

सेन्ट्रल कोल वाशरी आर्गेनाइजेशन के अधिकारियों की सेवा की शर्तें

10336. **श्री वासुदेव आचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि सेंट्रल कोल वाशरी आर्गेनाइजेशन के कुछ अधिकारियों को भारत कोकिंग कोल लि० की सेवा शर्तें अभी तक नहीं प्रदान की गई हैं और वे अब भी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि० की सेवा-शर्तों के अधीन है, यद्यपि इस संगठन का भारत कोकिंग कोल लि० के साथ विलय कर दिया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : दिनांक 1.1.1976 के अनुसार भूतपूर्व हिन्दुस्तान स्टील लि० (अब भा० इ० प्रा० लि०) के केन्द्रीय कोयला वाशरी संगठन में कार्यरत सभी कार्यकारी अधिकारियों को भा० को० को० लि० के वेतनमान तथा सेवा शर्तें स्वीकार करने के लिये विकल्प दिया गया था । उन सभी अधिकारियों ने भा० को० को० लि० के वेतनमान और सेवा की शर्तें मंजूर करने का विकल्प दिया था जिसे भा० को० को० लि० ने विधिवत मान लिया । लेकिन के० को० वा० सं० में अधिकारी पदों पर पदोन्नतियां पाने वाले कुछ गैर-अधिकारी कर्मचारियों को भा० को० को० लि० के अधिकारी वेतनमान और सेवा की शर्तों के अन्तर्गत आने के लिये अभी तक विकल्प नहीं दिया गया है । इन कार्यकारी अधिकारियों को पिट-मेंट लाभ कोल इण्डिया लि० के अधिकारियों की वेतन संरचना के संशोधन के प्रश्न पर निर्णय हो जाने के बाद दिया जायेगा ।

तेल कम्पनियों द्वारा सीधे चलने वाले पेट्रोल पम्प

10337. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इण्डियन आयल कार्पोरेशन/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन और सरकारी स्वामित्व वाली कम्पनियों द्वारा कितने पेट्रोल पम्प सीधे चलाये जाते हैं;

(ख) इन पेट्रोल पम्पों को कितना लाभ अथवा हानि हुई है;

(ग) इन पेट्रोल पम्पों में कर्मचारियों के वेतनमान क्या हैं;

(घ) क्या इन पम्पों में अनेक कर्मचारियों को नैमित्तिक श्रमिक समझा जाता है; और

(ङ) क्या खुदरा डीलरों को पेट्रोल के मूल्यों पर उपलब्ध कम लाभ इन पम्पों के घाटे पर चलने का कारण है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ङ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

मजदूरी बढ़ाने हेतु नारियल जटा श्रमिकों की मांग

10338. **श्री सन्तोष मोहन देव** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नारियल-जटा श्रमिकों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अधीन, नारियल-जटा उद्योग में रोजगार के लिए न्यूनतम मजदूरी दरों का निर्धारण और पुनरीक्षण के लिए राज्य सरकारें संबंधित प्राधिकरण हैं । उपलब्ध सूचना के अनुसार, केरल, उड़ीसा और तमिलनाडु की राज्य सरकारों ने नारियल जटा उद्योग में श्रमिकों की मजदूरी दरें निर्धारित की हैं । न्यूनतम मजदूरी दरों में और संशोधन करने के बारे में संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विचार किया जायेगा । इस संबंध में केन्द्रीय सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

महाराष्ट्र में नए टेलीफोन एक्सचेंज और डाकघर खोलना

10339. **श्री रामकृष्ण मोरे** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में आगामी दो वर्षों में कितने नए टेलीफोन एक्सचेंज और डाकघर खोलने की योजना है;

(ख) प्रत्येक एक्सचेंज और डाकघर कहां-कहां पर खोला जाएगा; और

(ग) सरकार का विचार महाराष्ट्र में दूर संचार सुविधाओं में सुधार करने हेतु आगे क्या कार्यवाही करने का है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) (एक) 1984-85 के दौरान 65 नए एक्सचेंज खोले जाने का कार्यक्रम बनाया गया है । 1985-86 में खोले जाने वाले एक्सचेंजों की संख्या को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(दो) 1984-85 में 180 डाकघर खोलने का लक्ष्य है । सातवीं योजनावधि के लिए लक्ष्य अभी योजना आयोग द्वारा मंजूर नहीं किए गए हैं ।

(ख) 1984-85 में खोले जाने वाले डाकघरों के लिए अभी स्थान निश्चित नहीं किए गए हैं। जहां तक 1985-86 का संबंध है, इस पर 1985 में निर्णय लिया जाएगा जब वार्षिक लक्ष्य आवंटित किए जाने हैं।

(ग) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

महाराष्ट्र में दूरसंचार सुविधाओं में सुधार लाने के लिए प्रस्तावित उपाय

(क) (एक) धुलिया जिले में मल्टी-एक्सेस ग्रामीण रेडियो योजना के अंतर्गत लम्बी दूरी के 44 सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था।

(दो) आर्वी (पुणे) को बेस स्टेशन बनाकर लम्बी दूरी के 14 सार्वजनिक टेलीफोनों की व्यवस्था बशर्ते कि यह तकनीकी रूप से यह व्यवहार्य हो और देसी उपस्कर उपलब्ध हो जाएं।

(ख) एम० ए० एक्स-1 एक्सचेंजों का 1984-85 में 9800 लाइनों में और 1985-86 में 7800 लाइनों में विस्तार करना।

(ग) निम्नलिखित कोएक्सियल योजनाओं का कार्यक्रम बनाया गया है :

(i) कोल्हापुर-इच्छलकरंजी 2.6 एम० एच० जैड०

(ii) थाना-मानवेल 2.6 एम० एच० जैड०

(iii) औरंगाबाद-जालना-परभनी-नांदेड 2.6 एम० एच० जैड०

(iv) थाना-पुणे-धुलिया 12 एम० एच० जैड में विस्तार

(v) नागपुर-मान्दरा सैक्शन आफ नागपुर सम्भलपुर 12 एम० एच० जैड० स्कीम

(vi) सूरत-धुलिया 2.6 एम० एच० जैड०

(vii) बान्द्रा-तुमसर-गौडिया 2.6 एम० एच० जैड०

(viii) नागपुर-सियोनी-जबलपुर 12 एम० एच० जैड०

(घ) निम्नलिखित एस० एच० एफ० योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है :

(i) काडेल रोड-बुतचेर द्वीपसमूह

(ii) बम्बई-पेन

(iii) वारसे-ओसमानाबाद

(iv) भीर-ओसमानाबाद

(v) बुलदाना-अकोला

(vi) सिलवासा-बुलसार

(vii) बुलसार-हवा

(viii) बम्बई-अलीबाग

(ix) हाथखोम्वा-रत्नागिरि ।

भारत-नेपाल बहुउद्देश्यीय परियोजनाएं

10340. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मंत्री बिहार और पूर्वी राज्यों में न्यूनतम आवश्यकता पूरी करने के लिए बिजली की उपलब्धता के बारे में 17 अप्रैल, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 716 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल दोनों देशों में बिजली की भारी कमी को देखते हुए कोशी और दूसरी भारत-नेपाल बहुउद्देश्यीय नवी घाटी परियोजनाओं के बारे में निर्णय किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उच्च स्तरीय राजनैतिक बातचीत के लिए की गई कार्यवाही सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सागर मथा (एवरेस्ट) और कंचनजंगा ग्लेशियरों के कोशो के केचमेन्ट क्षेत्र में होने और बारह क्षेत्र में तीव्र गिरावट के कारण पूरे बांध के निर्माण कार्य के पूरा होने से पहले बिजली पैदा हो सकती है; और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्ताव की जांच करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) विभिन्न भारत नेपाल बहुउद्देश्यीय नदी घाटी परियोजनाओं पर नेपाल की महामहिम सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है । पिछले कुछ समय पहले भारत-नेपाल की अधिकारी और तकनीकी स्तर पर हुई बैठक में बातचीत आगे बढ़ी है । चूंकि विभिन्न परियोजनाओं के तकनीकी ब्यौरों पर काफी बारीकी से विचार किए जाने तथा उनके समाधान किए जाने की आवश्यकता है, इसलिए इस समय उच्च स्तर पर राजनीतिक तौर पर बातचीत करना असामयिक होगा ।

(घ) और (ङ) कोसी उच्च बांध परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित नहर बिजली घर केन्द्र से शीघ्र लाभ प्राप्त होने की संभावनाएं हैं । बांध के निर्माण के दौरान बांध स्थल वाले बिजली घर पर परियोजना से उस समय आंशिक लाभ प्राप्त हो जाएगा, जब बांध का निर्माण इतनी ऊंचाई तक हो जाए कि जलाशय में संचित जल को न्यूनतम निष्कासन स्तर पर निकालना संभव हो । इस पहलू पर विस्तार से विचार परियोजना को निर्माण के लिए हाथ में लेने के समय हो सकेगा ।

लघु बल्क ड्रग्स एककों के लिए थियो थैमाइन का आयात और उपलब्धता

10341. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लघु बल्क ड्रग एककों को थिया थैमाइन जैसे इंटरमिडिएटस उपलब्ध नहीं हैं, जिससे वे मांग और प्रारम्भिक चरण से स्वदेशी उत्पादन के अन्तर को पूरा कर सकें;

(ख) क्या सरकार का विचार अधिक विदेशी मुद्रा खर्च करके उपरोक्त या वैकल्पिक इंटरमीडिएट्स को फाइनल बल्क ड्रग्स आयात करने का है और इस प्रकार ऐसे सस्ते इंटरमीडिएटस के आयात करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिन्हें लघु एककों द्वारा संबंधित बल्क ड्रग्स में परिवर्तित किया जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) आयात नीति 1984-05 (परिशिष्ट-3) की सीमित अनुमेय मदों की सूची में निर्दिष्ट एक उपान्तिम औषध मध्यवर्त्ती थियोथियामाइन का प्रयोग विटामिन बी-1 के उत्पादन में किया जाता है। मैं० आई० डी० पी० एल० द्वारा विटामिन बी-1 का उत्पादन मूल अवस्थाओं से किया जाता है और वे देश में विटामिन बी-1 की समग्र आवश्यकताओं को पूरा करने की स्थिति में है। विटामिन बी-1 एक सारणीबद्ध औषध मद है और 1983-84 में इसका कोई सारणीबद्ध आयात नहीं किया गया। निकट भविष्य में विटामिन बी-1 का आयात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गुजरात राज्य के भड़ौंच डिवीजन में नए टेलीफोन कनैक्शन

10342. **श्री अहमद मोहम्मद पटेल** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बड़ौंच डिवीजन में नए कनैक्शनों के लिए दिसम्बर, 1983 के अंत तक कितने अभ्यावेदन लंबित पड़े थे;

(ख) वर्ष 1980, 1982 और 1983 के दौरान बड़ौंच डिवीजन में कितने नए कनेक्शन दिए गए;

(ग) क्या गुजरात राज्य के बड़ौंच डिवीजन में नए कनेक्शन देने में भ्रष्टाचार और कदाचार के बारे में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) वर्ष 1980-81, 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में बड़ौंच डिवीजन में कितने नए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र और टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) बड़ौंच डिवीजन में दिसंबर, 1983 के अंत तक नए टेलीफोन कनेक्शनों के लिए 1086 आवेदन लंबित पड़े थे ।

(ख) 1980-83 के दौरान बड़ौंच डिवीजन में बिना बारी के कोई भी टेलीफोन कनेक्शन नहीं दिया गया ।

(ग) और (घ) दो शिकायतें मिली थीं । एक शिकायत जून 1982 में खैदूत मंडाली सोसायटी लि०, अदवाला, तालुका अमोद, जिला बड़ौंच से एस० डी० ओ० टी० बड़ौंच के खिलाफ नए टेलीफोन कनेक्शन में भ्रष्टाचार करने के बारे में मिली थी । इसकी जांच की गई परन्तु आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके । फलस्वरूप किसी कार्रवाई की आवश्यकता नहीं समझी गई ।

दूसरी शिकायत बड़ौंच डिवीजन के मै० लक्ष्मी हार्डवेयर मार्ट मंगलम शापिंग सेंटर जी० आई० डी० सी० अंक्लेश्वर से 22-12-83 को तार द्वारा मिली । यह शिकायत सहायक अधिकारी द्वारा ओ० वाई० टी० टेलीफोन देने भ्रष्टाचार बरतने के संबंध में थी । इससे पहले कि जांच कार्य शुरू किया जाता, उक्त पार्टी ने तुरन्त कार्रवाई तथा अपनी शिकायत वापस ले ली थी ।

(ङ) बड़ौंच तार डिवीजन में खोले गए सार्वजनिक टेलीफोन घरों और नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या इस प्रकार है :—

वर्ष	खोले गए सार्वजनिक टेलीफोन घरों की संख्या		खोले गए नए टेलीफोन एक्सचेंजों की संख्या
	स्थानीय	लम्बी दूरी के	
1980-81	2	3	1
1981-82	1	3	1
1982-83	5	6	6
1983-84	शून्य	2	शून्य

हिन्दुस्तान समाचार में आय की वृद्धि

10343. **श्री रघुनाथ सिंह वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान समाचार का प्रबंध दिल्ली द्वारा लिये जाने के पश्चात् इसकी आय में किस सीमा तक वृद्धि हुई है;

(ख) ग्राहकों की संख्या में किस सीमा तक वृद्धि/कमी हुई है;

(ग) कितनी नई शाखाएं खोली गई हैं; और

(घ) कितनी शाखाएं बन्द की गई हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) समाचार एजेंसी की आय में वृद्धि/कमी की सीमा का निर्धारण सहकारी वर्ष 1981-82 के इसके लेखों का आडिट, जो चल रहा है, पूरा हो जाने के बाद ही किया जा सकता है।

(ख) उसके अंशदाताओं की संख्या में प्रत्यक्षतः कमी हुई है।

(ग) समाचार एजेंसी की प्रबंध समिति के अधिक्रमण के बाद कोई भी नई शाखा नहीं खोली गई है।

(घ) जबकि किसी भी शाखा को औपचारिक रूप से बन्द नहीं किया गया है, कुछ शाखाओं को अपने कार्य संचालन में वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

हिन्दुस्तान समाचार का प्रबंध ग्रहण

10344. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली प्रशासन द्वारा "हिन्दुस्तान समाचार" समाचार एजेन्सी का किस तारीख को प्रबन्ध ग्रहण किया गया था;

(ख) उसके बाद कितने प्रकाशक और प्रशासकीय मंडल नियुक्त किये जा चुके हैं;

(ग) प्रशासन अथवा प्रशासकीय मंडलों को हर बार भंग करने अथवा बदलने का क्या प्रयोजन था; और

(घ) प्रत्येक प्रशासक अथवा प्रशासकीय मंडल की क्या उल्लेखनीय उपलब्धियां रहीं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) "हिन्दुस्तान समाचार" की प्रबंध समिति का अधिक्रमण पंजीयक, सहकारी संस्था, दिल्ली प्रशासन, द्वारा 10-5-1982 को किया गया था।

(ख) समाचार एजेन्सी के लिये समय समय पर अब तक प्रशासक के रूप में चार

व्यक्तियों की नियुक्ति की गई हैं तथा अंतिम दो प्रशासकों की नियुक्ति के समय प्रशासन मंडलों का भी गठन किया गया था ।

(ग) नए प्रशासकों/प्रशासकों के मंडलों की नियुक्ति इसलिये आवश्यक हो गई थी, क्योंकि पहले वालों ने त्यागपत्र दे दिया था ।

(घ) जीर्ण समाचार एजेन्सी को नष्ट होने से बचाने के लिये किये गये प्रयास समाचार एजेन्सी की प्रबंध समिति का अधिक्रमण होने के पश्चात् नियुक्त किये गये प्रशासकों की असाधारण उपलब्धि रही है ।

बीड़ी मजदूरों के इलाज के लिये मुर्शिदाबाद जिलों के निमतिला में "चैस्ट क्लिनिक" को दवाइयों की खरीद के लिये अनुदान में वृद्धि

10345. **श्री जायनल अबेदिन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुर्शिदाबाद जिले स्थित निमतिला में स्विस "चैस्ट क्लिनिक" जो विशेष रूप से बीड़ी मजदूरों के इलाज के लिये है, का कार्यक्षेत्र पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद और माल्दा जिले हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि दवाइयों की खरीद के अनुदान के रूप में केन्द्रीय सरकार के श्रम कल्याण विभाग द्वारा इस क्लिनिक को 15,000 रुपये की अल्प धनराशि प्रतिवर्ष प्रदान की जाती है;

(ग) क्या यह भी सच है कि चैस्ट क्लिनिक को दिये गये इस अनुदान से दवाइयों की कुल मांग के एक बहुत छोटे के भाग की ही पूर्ति हो सकती है;

(घ) उक्त जिलों में बीड़ी मजदूरों की भारी संख्या को देखते हुये क्या सरकार का विचार क्लिनिक को अनुदान के रूप में और अधिक धनराशि देने का है; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) से (घ) प्रारम्भ में, दवाइयों के लिये 15,000 रुपये की राशि मंजूर की गई थी और दवाइयों के लिये राशि में वृद्धि करने के प्रस्ताव पर चैस्ट क्लीनिक के कार्यकरण की पुनरीक्षा करने के पश्चात् विचार किया जायेगा ।

दूरदर्शन और आकाशवाणी पर शीतल पेयों के विज्ञापन

10346. **श्री सतीश अग्रवाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री 16 अगस्त, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3547 और 3696 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता के आकाशवाणी केन्द्रों पर 1 दिसम्बर 1983 और अप्रैल 1984 के अन्त तक उन्हीं ब्रांडों के इसी प्रकार ब्यौरा क्या है;

(ख) दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास दूरदर्शन से 1 दिसम्बर 1983 और अप्रैल 1984 के अन्त तक उन्हीं ब्रांडों के शीतल पेयों का उसी प्रकार का ब्यौरा क्या है; और

(ग) दिनांक 9 अप्रैल 1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 628 के उत्तर में उल्लिखित 30 नवम्बर 1983 की अन्तिम तारीख के बावजूद भी, किन-किन विज्ञापनों में ई० पी० ओ० 1955 की धारा 13 (3) के अन्तर्गत वांछित सांविधिक सूचना नहीं दी गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आकाशवाणी के दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास केन्द्रों से 1-12-1983 से 30-4-1984 तक की अवधि के दौरान प्रसारित रसिका, थ्रिल, लिमका, कैम्पा कोला, तथा कैम्पा औरेंज नामक शीतल पेयों के विज्ञापनों का ब्यौरा परिशिष्ट-1 में दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 8575/84] इस अवधि के दौरान गोल्ड स्पाट, अपेला, कैम्पा, स्प्रिंट, ट्रिप, कोला लाइट, फनडै, टिंग्लर तथा 77 [डबल सेवन] नामक शीतल पेयों का कोई विज्ञापन प्रसारित नहीं किया गया है।

(ख) इस अवधि के दौरान गोल्ड स्पाट, रसिका, अपेला, कैम्पा तथा फण्डे नामक शीतल पेयों का कोई विज्ञापन टेलीकास्ट नहीं किया गया है। अन्य शीतल पेयों के संबंध में ब्यौरा परिशिष्ट-2 में दिया गया है।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 8575/84]

(ग) आकाशवाणी पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों में सांविधिक सूचना नहीं दी गई। तथापि, आकाशवाणी इस अपेक्षा को 15-5-1984 से कार्यान्वित करेगा; विज्ञापन प्रसारण केन्द्रों तथा केन्द्रीय बिक्री एकांश को उपयुक्त रूप से सलाह दे दी गई है।

जहां तक दूरदर्शन का संबंध है, कैम्पा पेय ने मार्च, 1984 से सांविधिक सूचना देना शुरू कर दिया है। अन्य पेयों ने अभी तक सांविधिक सूचना देना शुरू नहीं किया है। दूरदर्शन ने शीतल पेय निर्माताओं को अनुदेशों को दोहराते हुए उनसे कहा है कि सांविधिक अपेक्षा को 15 जून, 1984 तक लागू कर दिया जाये।

इम्पलाईज प्रोवीडेन्ट फण्ड स्टाफ यूनियन, केरल का ज्ञापन

10347. **श्रीमती सुशीला गोपालन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इम्पलाईज प्रोवीडेन्ट फण्ड स्टाफ यूनियन केरल ने सरकार को भविष्य निधि कर्मचारियों की मांगों के संबंध में कोई ज्ञापन दिया है;

(ख) यदि हां, तो उनकी क्या मांगें हैं;

(ग) क्या सरकार ने इनमें से किसी मांग पर विचार किया है और उस पर कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ यूनियन ने भविष्य निधि कर्मचारियों की मांगों के संबंध में 1983-84 के दौरान तीन ज्ञापन दिये थे ।

(ख) ये मांगें संलग्न विवरण में दी गई हैं ।

(ग) और (घ) हालांकि कुछ मांगों पर विचार किया गया है और सरकार ने इनके संबंध में निर्णय लिये हैं, फिर भी शेष मांगें विचाराधीन हैं ।

विवरण

मांगों की सूची—

1. आल इंडिया इम्पलाइज प्रोविडेन्ट फण्ड स्टाफ फेडरेशन की मांगों का निपटान ।
2. चौथे वेतन आयोग के अंतर्गत भविष्य निधि श्रमिकों को शामिल करना ।
3. कर्मचारी भविष्य निधि स्टाफ यूनियन, केरल को मान्यता देना ।
4. स्थानान्तरण नीति ।
5. उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के कर्मचारियों को अशांति भत्ता ।
6. सूखा राहत पेशगी की मंजूरी ।
7. कार्यालय भवनों और स्टाफ क्वाटरों का निर्माण ।
8. रामानुजम समिति की प्रतिकूल सिफारिश को वापिस लेना ।
9. अर्जित छुट्टी के बदले नकद भुगतान करते समय मकान किराये भत्ते का भुगतान ।
10. कर्मचारियों के लिए पदोन्नति अवसर ।
11. ट्रेड यूनियनों को मान्यता ।
12. कार्य मानकों में एक तरफा वृद्धि ।

13. उत्दादकता सम्बद्ध बोनस योजना की पुनरीक्षा ।

14. लिपिकों और प्रमुख लिपिकों के बीच संशोधित अनुपात ।

15. सहायक लेखा अधिकारियों के पदों का पर्याप्त संख्या में सृजन ।

16. सहायक भविष्य निधि आयुक्त (लेखों) के पदों को तत्काल भरना ।

17. कर्मचारियों को स्थायी करना ।

18. छुट्टी के बदले नकद भुगतान पर लगे प्रतिबन्धों को हटाना ।

19. फकीर चन्द समिति/रामानुजम समिति की कतिपय सिफारिशों का कार्यान्वयन ।

20. सहायक लेखा अधिकारियों के पदों पर तत्काल पदोन्नतियां ।

अलीगढ़ जिले में सलेमपुर में स्वचालित काम्पलेक्स

10348. **श्री चन्द्रपाल शंलानी** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के सलेमपुर में स्वचालित संयंत्र काम्पलेक्स की स्थापना को मंजूरी प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1984-85 में इस परियोजना पर व्यय के लिए सरकार ने कितनी राशि आबंटित की है; और

(ग) यदि कोई राशि आबंटित नहीं की गई है तो इस परियोजना के लिए 1981 में मंजूर की गई राशि को अब तक उपलब्ध न कराए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) 1984-85 की वार्षिक योजना में, सलेमपुर में प्रस्तावित एरोमेटिक्स प्रायोजना सहित कुछ प्रायोजनाओं के लिए 10 लाख रुपये की व्यवस्था की गयी है ।

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा एम्पीसिलिन का उत्पादन

10349. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० मूल बेसिक स्तरों से एम्पीसिलिन ट्राइहाईड्रेट का उत्पादन कर रही है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जनवरी, 1984 में लघु क्षेत्र के अनेक निर्माताओं से मध्यवर्ती (इन्टरमीडियेट), स्तर से एम्पीसिलिन ट्राइहाईड्रेट का निर्माण कराने के लिये एक निविदा को आमंत्रित किया गया था;

(ग) इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० द्वारा पिछले एक वर्ष से अब तक महीनावार एम्पीसिलिन ट्राइहाईड्रेट तथा 6 ए० पी० ए० का अलग-अलग कितना उत्पादन किया गया;

(घ) उनके द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान से लेकर अब तक महीनावार एम्पीसिलिन ट्राइहाईड्रेट तथा 6 ए० पी० ए० की कितनी मात्रा में बाजार से खरीद की गई; और

(ङ) सरकार द्वारा लघु क्षेत्र से एककों द्वारा अपेक्षित 6 ए० पी० ए० मध्यवर्ती इंटरमीडियेट के सारणीवध्यकरण को उचित ठहराने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां ।

(ख) आई० डी० पी० एल० के प्रबन्धकों ने सूचित किया है कि उन्होंने जनवरी, 1984 को एक तहकीकात जारी की थी ताकि बाजार मूल का पता लग सके । इस तहकीकात के आधार पर किसी माल के आर्डर नहीं दिए गए थे ।

(ग) और (घ) एक विवरण-पत्र संलग्न है ।

(ङ) 6 रुपये के स्वदेशी उत्पादन की लागत के आयातित 6 ए० पी० ए० के अवतरित मूल्य से उच्चतर होने के कारण; इस औषध का आयात सरणीबद्ध कर दिया गया है ताकि स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन मिले तथा सस्ते आयात के लाभ को समान आधार पर वितरित किया जाए ।

विवरण

आई० डी० पी० एल० द्वारा 6 ए० पी० ए० तथा एम्पिसिलिन का उत्पादन

महीना	उत्पादित मात्रा कि० ग्रा० में	टिप्पणियां
1	2	3
6 ए० पी० ए०		
1983-84		
अप्रैल,83	100.00	
अक्तूबर,83	3321.75	
नवम्बर, 83	2341.15	
दिसम्बर, 83	1101.60	
जनवरी, 84	3100.10	

1	2	3
फरवरी, 84	3291.75	
मार्च, 84	3843.80	
योग	17100.17	

एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट

जून, 83	130.40	
मार्च, 84	101.40	
योग	231.80	

आई० डी० पी० एल० द्वारा एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट की प्राप्ति

महीना	प्राप्त की गयी मात्रा कि० ग्रा० में
1981-82	शून्य
1982-83	
सितम्बर, 82	450
अक्तूबर, 82	480
नवम्बर, 82	1890
दिसम्बर, 82	600
जनवरी, 83	350
फरवरी, 83	1300
मार्च, 83	1210
योग	6280
1983-84	
अप्रैल, 83	1243
मई, 83	225

1	2	3
जुलाई, 83	570	
अगस्त, 83	735	
सितम्बर, 83	465	
अक्तूबर, 83	439	
नवम्बर, 83	90	
दिसम्बर, 83	1375	
जनवरी, 84	1585	
फरवरी, 84	50.0	
योग	6777	

आई० डी० पी० द्वारा 6 ए पी० ए० की प्राप्ति

1981-82
1982-83
1983-84 } शून्य

भारत कोकिंग कोल लि० और सेंट्रल कोलफील्ड लि० के प्रबंधकों द्वारा न्यायाधिकरण के निर्णयों का क्रियान्वयन

10350. **श्री जगपाल सिंह**
श्री मोती लाल सिंह } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यायाधिकरण के उन निर्णयों का ब्यौरा क्या है जिनका भारत कोकिंग कोल लि० और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के प्रबंधकों द्वारा 1 अप्रैल, 1984 तक क्रियान्वयन कहीं किया गया है;

(ख) क्या उन्हें यह जानकारी है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० की खटारा कोयला खान से संबंधित मामला संख्या 136/82 में 11 जुलाई, 1983 को श्रमिकों के पक्ष में निर्णय दिया गया था और प्रबंधकों ने प्रत्येक श्रमिक को 600 रु० की अग्रिम धनराशि की अदायगी की थी और प्रबंधकों ने इस निर्णय के क्रियान्वयन का आश्वासन दिया था; यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि उस मामले में भी प्रबंधकों ने 6 महीने के बाद अपील दायर की है;

(घ) क्या यह सच है कि निर्णय का क्रियान्वयन न करना और लम्बे अर्से तक मुकदमेबाजी करना एक सरकारी क्षेत्र के उपक्रम के प्रबंधकों के लिए खराब श्रम प्रथा है और इससे श्रमिकों में रोष व्याप्त है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) और (ग) औद्योगिक न्यायाधिकरण ने मामला सं० 136/82 में कामगारों के पक्ष में निर्णय दिया था । प्रबंध मंडल ने उच्च-न्यायालय में एक प्रादेश याचिका दायर की थी और उच्च न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 9-3-1984 द्वारा न्यायाधिकरण के निर्णय पर कार्रवाई रोक दी है ।

(घ) और (ङ) सरकार की और कोयला कंपनियों की विशेष इच्छा रही है कि औद्योगिक संबंध मधुर बनें और बनाए रखे जाएं । कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कंपनियों में कंपनी स्तर पर औद्योगिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णयों की समय-समय पर समीक्षा/निगरानी की जा रही है । अधिकांश मामलों में निर्णय तेजी से कार्यान्वित किए जाते हैं और बहुत कम मामलों में कंपनी, सरकार की अनुमति प्राप्त करने के बाद, इन्हें चुनौती देती है ।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की घाटा तथा अतिरिक्त महाप्रबन्ध की नियुक्ति

10351. **श्री सुधीर गिरि** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को लगातार घाटा हो रहा है जबकि अन्य महानगरों में इस प्रकार के संगठनों को घाटा नहीं होता;

(ख) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान का बम्बई, मद्रास और कानपुर के इसी प्रकार के निकायों की तुलना में 1979 से 1983 तक वार्षिक व्यय कितना था तथा इसकी आय कितनी थी;

(ग) क्या सरकार प्रत्येक महानगर के विद्युत संगठन में अतिरिक्त महाप्रबन्धक की नियुक्ति करती है;

(घ) 1960 से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में कितने महाप्रबन्धकों की नियुक्ति की गई तथा उनके कर्तव्यों का स्वरूप क्या था, वेतन कितना था तथा अतिरिक्त महाप्रबन्धक के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि क्या थी तथा उनकी नियुक्ति के दौरान अनावर्ती मदों पर तथा अन्य प्रभारों के अन्तर्गत अलग अलग कितना वार्षिक व्यय हुआ; और

(ङ) क्या सरकार का इस नियुक्ति की उपयुक्तता की जांच करने के लिये एक न्यायिक समिति के गठन का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

कैंसर औषधों का उत्पादन

10352. **श्री मनमोहन टुडु** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैंसर औषधों का स्वदेश में उत्पादन करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसी कैंसर औषधों का उत्पादन कब तक शुरू हो जाएगा; और

(ग) इस बारे में क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) विनक्रिस्टीन विनब्लास्टिन तथा सिस-प्लेटिनम कैंसर निरोधी औषधों के उत्पादन के लिए औद्योगिक अनुमोदन जारी किये गये थे। विनक्रिस्टीन विनब्लास्टीन तथा सिस-प्लेटिनम का उत्पादन प्रारम्भ हो गया है।

इण्डियन पेट्रो कैमिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा लीनीयर एल्कायल बेनजीन की सप्लाई

10353. **श्री तैयब हुसैन**
श्री सुन्दर सिंह } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड लीनीयर एल्कायल बेनजीन की सप्लाई करने में अपनी स्वेच्छा का इस्तेमाल कर रहा है;

(ख) क्या इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड विकास आयुक्त, लघु उद्योग के दिनांक 11 दिसम्बर, 1981 के आदेश संख्या 6 (1)/81 एस० एस० टी० का उल्लंघन करके ऐसे एककों को एल० ए० बी० की सप्लाई कर रहा है जो कि न तो लघु उद्योग के अन्तर्गत पंजीकृत हैं और न ही बिजली से चलती है;

(ग) क्या सरकार को उत्पाद शुल्क की भारी धनराशि का घाटा हो रहा है क्योंकि इंडियन पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड ऐसे यूनिटों को एल० ए० बी० की सप्लाई कर रहा है जो कि न तो बिजली से चलती है और न ही लघु उद्योगों में पंजीकृत है;

(घ) क्या इंडियन पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड ऐसे उद्योगों को, हालांकि उद्योग निदेशक और अन्य अधिकारियों ने इंडियन पेट्रोकैमिकल्स को 5 टन के लिए अपना मूल्यांकन भेजा है बहुत ही कम एल० ए० बी० की सप्लाई कर रहा है जो बिजली से चलते हैं और लघु उद्योगों के अन्तर्गत पंजीकृत हैं; और

(ङ) बिजली से चलने वाले लघु उद्योगों के अन्तर्गत पंजीकृत यूनिटों को एल० ए० वी० सप्लाई करने संबंधी मांग निर्देश क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) और (ङ) लघु क्षेत्र के एककों को लीनीयर एल्कायलवेंजीन एल० ए० बी० सप्लाई करने के लिए इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड आई० पी० सी० एल० की एक वितरण नीति है । ऐसे एककों जो बिजली का उपयोग करते हैं और बिजली का उपयोग नही करते हैं उनके बीच कोई भेद-भाव नहीं रखा जाता है ।

(ख) इण्डियन पेट्रोकैमिकल्स लिमिटेड इस समय ऐसे एककों को एल० ए० बी० सप्लाई कर रहा है जो लघु उद्योग अथवा तकनीकी विकास के महानिदेशक के यहां पंजीकृत हैं । उपलब्धता की अनुकूल स्थिति के दौरान एल० ए० बी० कुछ पंजीकृत ग्राहकों को भी सप्लाई किया गया था ।

(ग) आई पी० सी० एल० द्वारा बिक्री के समय एल० ए० बी० पर उत्पाद शुल्क वसूल किया जाता है ।

(घ) आई० पी० सी० एल० की नीति है कि लघु उद्योग क्षेत्र के मौजूदा ग्राहकों को प्रति माह 5 मी० टन तक एल० ए० बी० की पूरी आवश्यकता की सप्लाई की जाये ।

इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन में लगाई गई प्रदूषण निरोधी मशीन

10354. **श्री नवल किशोर शर्मा**
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अमरीका की यूनीवर्सल आयल प्राडक्ट्स नामक फर्म ने दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के इन्द्रप्रस्थ पावर स्टेशन में एशियाड की पूर्व संध्या पर 3 करोड़ रुपए की लागत से "इलेट्रोस्टेटिक" प्रसिपीटेटर्स नाम की एक प्रदूषण विरोधी मशीन स्थापित की थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि अमरीकी फर्म ने इस मशीन की 99.7 प्रतिशत क्षमता का आश्वासन दिया था;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसकी स्थापना के एक महीने के भीतर ही "डेसू" के कर्मचारियों को यह पता चला कि यह मशीन अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में असफल रही थी;

(घ) क्या दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने इस मशीन की असफलता के बारे में अमरीका की फर्म से कहा है; और

(ङ) इस बारे में अमरीकी फर्म की क्या प्रति उत्तर हैं और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) जी, हां। अमरीका की मै० यू० ओ० पी० ने इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र की यूनिट 2, 3 और 4 के इलेक्ट्रोस्टेटिक प्रेसिपिटेटरों की सप्लाई विस्तार, आशोधन और गैस कंडीशनिंग का कार्य एशियाड 82 से पहले किया था।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) जी, हां।

(ङ) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने फर्म के साथ कार्य-निष्पादन का स्वीकार्य/अनुबंधित स्तर पर प्राप्त करने के लिए आवश्यक आशोधन/सुधार करने के लिए मामले पर प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही की है। लेकिन फर्म ने अभी तक किसी प्रकार की सुधारात्मक/उपचारात्मक कार्रवाई नहीं की है। भेल से यूनिट संख्या 2, 3 और 4 की ई० एस० पी० प्रणाली के कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए तथा मौजूदा प्रणाली की जांच करने के लिए तथा संशोधन/विस्तार करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए अनुरोध किया गया है।

मध्यवर्ती औषधों के आयात पर सीमाशुल्क की रियायती दर

10355. **श्री दौलत सिंह जी जदेजा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन औषधों तथा उनकी मध्यवर्तियों के नाम क्या हैं जिनसे देश में औषधियां बनाई जाती हैं;

(ख) इन मध्यवर्तियों के आधार पर एकक-वार, सीमाशुल्क की रियायती दर क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में सीमा शुल्क रियायती दरें लागू करने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) देश में कई औषधों का उत्पादन औषध मध्यवर्तियों से होता है। इनमें से कुछ मध्यवर्तियों का उत्पादन देश में होता है तथा कुछ का आयात किया जाता है। अनिवार्य औषधों के उत्पादन के लिए अपेक्षित कुछ महत्वपूर्ण मध्यवर्तियों पर रियायती दर पर सीमा शुल्क लगाया जाता है। इन मध्यवर्तियों तथा जिन औषधों के लिए इनका प्रयोग होता है उनके नाम संलग्न विवरण-पत्र में दिए गए हैं।

प्रपुंज औषधों के उत्पादन के लिए अपेक्षित मध्यवर्तियों पर रियायती सीमाशुल्क योग्यता के आधार पर प्रदान किया जाता है।

विवरण

25 प्रतिशत की दर वाले रियायती औषध मध्यवर्तियों की सूची

क्रमांक	औषध मध्यवर्ती का नाम	मुख्य प्रपुंज औषध जिनके लिए प्रयुक्त होते हैं।
1.	नोवालडिमाइन	क्लोरोक्वीन फास्फेट
2.	इथोक्सीमिथाइलीन डि-इथाइल मेलोनेट	क्लोरोक्वीन फास्फेट और अमोडोक्वीन एच० सी० एल०
3.	डिसाइनडियामाइड	सल्फा ड्रग
4.	मोनो सोडियम ग्लुकोनेट	फोलिक एसिड
5.	टिओक	एरिथोमाइसिन
6.	फुरफुरीलेमाइन	फ्रुसिमाइड
7.	एसिटो निट्राइल	विटामिन बी-2
8.	एक्राइलोनीट्राइल	
9.	फुरफुरा लडिहाइड	निट्रोफरानटोइन
10.	6-एपीए	एम्पिसिलिन, एमोक्सीसाइक्लीन और अन्य सेमी-सिन्थेटिक पेनिसिलिन
11.	पेन्क्रियाज	इन्सुलिन
12.	8-हाइड्रोक्सीक्वीनोलाइन	हेलो जिनेटेड क्वीनोलाइन लाइक डि-आयोडोहाइड्रोक्सी क्वीनोलाइन और आइडोक्लोरोहाइड्रोक्सी क्वीनोलाइन
13.	गुआनिडाइन निट्रेट/एच० सी० एल०	ट्राइमेथोप्रिम और विटामिन बी।
14.	क्वीनोलाइन	8-हाइड्रोक्सीक्वीनोलाइन और हेलो जिनेटेड क्वीनोलाइन लाइक डि-आइडोहाइड्रोक्सी-क्वीनोलाइन और आयोडोक्लोरोहाइड्रोक्सी-क्वीनोलाइन
15.	डी० एल०-2 अमीनोबुटानोल	इथम्बुटोल
16.	डी-एल्फा फिनाइल ग्लाइसिन क्लोराइड हाइड्रोक्लोराइड	एम्पिसिलिन और एमोक्सीसाइक्लीन

क्रमांक	औषध मध्यवर्ती का नाम	मुख्य प्रपुंज औषध जिनके लिए प्रयुक्त होते हैं।
17.	डी (—) एलफा फिनाइल ग्लाइसिन क्लोराइड इथाइल पोटाशियम साल्ट	एम्पिसिलिन
18.	डेनिज साल्ट	एमोकसीसाइक्लीन और डी (—) पी—हाइड्रोक्सी फिनाइल ग्लाइसिन इथाइल पोटाशियम साल्ट
19.	3: 4 जाइली डाइन	विटामिन बी-2
20.	2: 6 जाइली डाइन	जाइलोकेन
21.	आयोडीन	आयोडोक्लोरोहाइड्रोक्सी क्वीनोलाइन और अन्य फार्मूलेशन्स
22.	डी एलफा फुनाइल ग्लाइसिन बेस	एम्पिसिलिन और अमोक्सीसाइक्लीन
	90 प्रतिशत सीमाशुल्क वाले मध्यवर्तियों की सूची	
23.	मोनोकार्बोलिक एसिड	पाइरेजिनामाइड
24.	एल-बेस	क्लोरमफेनिकोल

बिहार में व्यक्तियों के पूर्ववृत्त पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्त

10356. **श्री सूरज भान**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी } : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार को निर्वाचक नामावलियों में के उन व्यक्तियों के पूर्ववृत्त की, जिनके नाम कुछ क्षेत्रों की पिछली निर्वाचक नामावलियों में नहीं थे, जांच करने को कहा गया है;

(ख) ऐसा करने के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों का पाठ क्या है और ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं जिनके नाम इस प्रकार निकाल दिए गए हैं और ऐसा किन जिलों में हुआ है; और

(ग) बिहार और अन्य राज्यों में भी ऐसे कौन से जिले हैं जहां इस प्रकार का सत्यापन किया जा रहा है या करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) जी हां। निर्वाचन आयोग ने, 1983-84 के लिए निर्वाचक नामावलियों के गहन पुनरीक्षण का निदेश देते हुए, बिहार के और मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और पश्चिमी बंगाल राज्यों और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचक आफिसरों को निर्वाचक नामावलियों में नामों को पहली बार सम्मिलित किए जाने के बारे में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत जारी किये हैं। निर्वाचन आयोग के तारीख 25 अगस्त, 1983 के पत्र की एक प्रति, जिसमें मार्गदर्शक सिद्धांत हैं, सदन के पटल पर रख दी गई है [ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 8376/84]। निर्वाचन आयोग ने बताया है कि नामावलियों से नामों के काटे जाने के कोई मामले नहीं थे, क्योंकि उनके नाम पूर्वत्तर नामावलियों में विद्यमान ही नहीं थे। आयोग ने उन व्यक्तियों की संख्या बताने वाले निम्नलिखित आंकड़े भी प्रस्तुत किए हैं जिनके नाम 1984 की नामावलियों में सम्मिलित नहीं किए गए थे, क्योंकि वे दावेदार भारतीय नागरिकता के अपने दावों को सिद्ध नही कर पाए थे :—

राज्य	जिला	संख्या
1	2	3
बिहार	पूर्णिया जिला	865
मणिपुर	—	—
मेघालय	—	—
नागालैंड	तुएनसांग ज़िला	62
सिक्किम	—	—
त्रिपुरा	दक्षिणी त्रिपुरा जिला	21
	उत्तरी त्रिपुरा जिला	2
पश्चिमी बंगाल	कूच बिहार जिला	18
	जलपाई गुडी जिला	39
	माल्दा जिला	7
	नादिया जिला	761
	24-परगना जिला	476
	कलकत्ता जिला	1
	हुगली जिला	1
	बीरभूम जिला	6
अंदमान और निकोबार द्वीप	अंदमान जिला	33

1	2	3
अरुणाचल प्रदेश	पश्चिमी कामेंग जिला	21
	तिराप जिला	33
मिजोरम	लुंगलेई जिला	20
	छिमतुइपुई जिला	192

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में चिकित्सा सुविधाओं का दुरुपयोग

10357. **श्री बी० डी० सिंह**
श्री रशीद मसूद } : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग में चिकित्सा सुविधाओं का दुरुपयोग किया जाता है तथा कर्मचारियों द्वारा भारी कदाचार किये जा रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप अत्याधिक चिकित्सा व्यय हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उसके परिणामस्वरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान (वर्ष-वार) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा कितना व्यय किया गया; और

(ग) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने तथा कदाचारों को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

देश की उन्नति और समृद्धि पर प्रकाश डालने के लिए राष्ट्र के नाम संदेश का प्रसारण

10358. **श्री भीम सिंह**
श्री मोतीभाई आर० चौधरी
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अपने शासन के चार वर्ष पूरा करने पर सरकार के नियंत्रणाधीन प्रसारण माध्यम से हाल में राष्ट्र के नाम एक संदेश प्रसारित किया था । जिसमें देश के विकास और सम्पन्नता का विशेष उल्लेख किया गया था;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस अवसर पर विपक्षी दलों को भी देश की समस्याओं, विकास आदि के बारे में अपना संदेश प्रसारित करने हेतु आमंत्रित किया था;

(ग) क्या यह प्रथा बन्द कर दी गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : (क) जी, हां। सरकार के प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री ने वर्तमान सरकार के चार वर्ष पूरे हो जाने पर 15 जनवरी 1984 को राष्ट्र के नाम एक संदेश प्रसारित किया था।

(ख) से (घ) परिपाठी के अनुसार, केवल सरकारी रूप से मान्यता प्राप्त विपक्षी नेता को ही इस प्रकार के प्रसारणों के लिए आमंत्रित किया जाता है। क्योंकि संसद में सरकारी रूप से मान्यता प्राप्त कोई भी विपक्षी नेता नहीं है, अत: विपक्षी नेता को कोई पेशकश करने का प्रश्न नही उठता।

दूरदर्शन और आकाशवाणी द्वारा सत्ताधारी और विपक्षी दलों के बीच भेद-भाव से बचना

10359. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को एक सुझाव मिला है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी जैसे माध्यमों द्वारा सत्ताधारी और विपक्षी दलों में भेदभाव न करने के प्रश्न पर उनको सभी दलों के नेताओं से बातचीत करनी चाहिए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) जी, हां। इस स्वरूप के सुझाव प्राप्त हुए हैं। तथापि, विभिन्न राजनैतिक दलों के कवरेज में दूरदर्शन या आकाशवाणी द्वारा कोई भेदभाव नहीं बरता जाता। आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा कवरेज किए जाने के लिए सुस्पष्ट मार्गदर्शी सिद्धांत पहले ही विद्यमान है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, यह व्यवस्था है कि प्रसारण माध्यम विभिन्न विचारों पर विपरीत दृष्टिकोणों को दे करके निष्पक्ष और संतुलित तरीके से सूचना या समाचारों का प्रसार करें। इन मार्गदर्शी सिद्धांतों का इन दोनों माध्यमों द्वारा कड़ाई से पालन किया जा रहा है। इसलिए, इस विषय पर विपक्षी दलों की बैठक बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं है।

अधिकृत संवाददाताओं के रूप में कार्य कर रहे सेवा निवृत्त सूचना अधिकारी

10360. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक सेवा निवृत्त सूचना अधिकारी भारत सरकार के मुख्यालयों में अधिकृत संवाददाताओं के रूप में काम कर रहे हैं;

(ख) ऐसे अधिकारियों का 1 जनवरी, 1984 तक का ब्यौरा क्या है और वे किन-किन अखबारों का प्रतिनिधित्व करते हैं;

(ग) क्या प्रत्यायन समिति ने उपरोक्त मामलों में उन सभी नियमों का पालन किया है जो अखबार की ओर से मान्यता के लिए आवेदन करने वालों पर लागू होते हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

क्रम संख्या	उन सेवा-निवृत्त सूचना अधिकारियों के नाम जो इस समय पत्र सूचना कार्यालय में प्रत्याशित है	सेवा-निवृत्ति के समय धारण किया हुआ पद	समाचारपत्र जिस का प्रतिनिधित्व करते हैं
1.	श्री बी० बी० माथुर	जन सम्पर्क निदेशक	सियासत, हैदराबाद
2.	श्री सी० एस० सवूर	उप प्रधान सूचना अधिकारी	राजस्थान पत्रिका जयपुर
3.	श्री जी० डी० चन्दन	सूचना अधिकारी	मुंसिफ, हैदराबाद
4.	श्री एम० एल० कपूर	सूचना अधिकारी	समाज, जलन्धर
5.	श्री एच० एल० कपूर	सूचना अधिकारी	नेशनल हैराल्ड, नई दिल्ली।
6.	*श्री राम लोक	सूचना अधिकारी	नेशनल प्रेस एजेंसी, नई दिल्ली।

* नोट :—श्री राम लोक इस समय प्रत्यायित नहीं है।

मैसर्ज थामसन प्रेस (इण्डिया) लिमिटेड फरीदाबाद

10361. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि थामसन प्रेस (इंडिया) लिमिटेड, फरीदाबाद एक विदेशी कम्पनी थी और यदि हां, तो इसे खरीदने वाले लोगों के नाम क्या हैं और यह किस तारीख को खरीदी गई तथा इसके निदेशक मंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 591 की परिभाषा के अनुसार थामसन प्रेस (इण्डिया) लिमिटेड, विदेशी कम्पनी नहीं है। इस कम्पनी को, कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली द्वारा 23-7-1962 को पंजीकृत किया गया था। तथापि 29-6-83 तक बनाई गई तथा कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली को प्रस्तुत कम्पनी की वार्षिक विवरणी के अनुसार, इसकी इक्यूटि शेयर पूंजी का 40 प्रतिशत मैसर्स थामसन इन्टरनेशसल कारपोरेशन, कनाडा द्वारा धारित है। उक्त वार्षिक विवरणी के अनुसार कम्पनी के निम्नलिखित निदेशक हैं :—

	नाम	राष्ट्रीयता
1.	माननीय लार्ड केनेथ एच० थाम्पसन आफ फ्लीट	भारतीय
2.	जे० एम० कोलहार्ट	ब्रिटिश
3.	जान ए० टोरी	कनाडियन
4.	एच० पी० नन्दा	भारतीय
5.	वी० वी० पुरिया	भारतीय
6.	अरुण पुरिया	भारतीय
7.	सुदेश के० खन्ना	भारतीय

दिल्ली न्यायिक सेवा के अधिकारियों के निवास स्थानों पर टेलीफोन सुविधाएं उपलब्ध कराना

10362. **श्री भोकू राम जैन** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली प्रशासन के वर्ग-1 के अधिकारियों और 650-1200 रुपए के वेतनमान में वर्ग-2 के अधिकांश अधिकारियों को उनके निवास स्थानों पर टेलीफोन सेवा उपलब्ध करायी गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि दिल्ली न्यायिक सेवा के 700-1300 रुपए और 1500-2000 रुपए के वेतनमान के 138 अधिकारियों में से केवल 10 अधिकारियों को ही टेलीफोन सुविधा प्रदान की गई है;

(ग) न्यायिक अधिकारियों के साथ इस भेदभाव को दूर करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है; और

(घ) यदि कोई कर्रवाई किए जाने का प्रस्ताव नहीं है, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) दिल्ली प्रशासन से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली प्रशासन के वर्ग-1 के अधिकतर अधिकारियों को निवास स्थान पर टेलीफोन सुविधा है । वर्ग-2 के अधिकारियों के संबंध में जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) 1500-2000 रुपये के वेतनमान में दिल्ली न्यायिक सेवा के 7 अधिकारियों को निवास स्थान पर टेलीफोन की व्यवस्था की गई है ।

(ग) और (घ) सरकारी अधिकारियों को निवास स्थान पर टेलीफोन की व्यवस्था वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार की जाती है। ऐसा करते समय अधिकारियों के कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखा जाता है । इस सम्बन्ध में न्यायिक अधिकारियों के विरुद्ध कोई भेदभाव नहीं बरता जाता और तदनुसार इस विषय में कोई कार्रवाई करने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

तिरुनेवेल्ली जिले में मंगलौर गणेश बीड़ी वर्क्स के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की कटौती स्लिप का जारी न किया जाना

10363. **श्री के० ए० राजन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तिरुनेवेल्ली जिले में मंगलौर गणेश बीड़ी वर्क्स के उत्पादन एजेंट लगभग 50,000 महिला बीड़ी कर्मियों से पिछले कुछ वर्षों से कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान की कटौती कर रहे हैं परन्तु उन्हें रसीद जारी नहीं करते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कर्मचारियों द्वारा यह मामला क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मद्रास और उपक्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त मदुरै के ध्यान में लाया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) भविष्य निधि प्राधिकरणों के अनुसार, मैसर्स मंगलौर गणेश बीड़ी वर्क्स में कोई उत्पादन एजेंट नहीं है । तथापि, मैसर्स मुरुगा होम इंडस्ट्री नाम का एक प्रतिष्ठान है जिसमे 50,000 श्रमिक काम कर रहे हैं और यह स्वेच्छा से अधिनियम के उपबन्धों को लागू कर रहा है, हालांकि उच्चतम न्यायालय ने उस अधिसूचना के प्रवालन को रोक दिया है जिसमें कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधि-

नियम, 1952 के उपबंधों को बीड़ी उद्योग पर लागू किया गया है। तथापि, भविष्य निधि प्राधिकरणों ने, उच्चतम न्यायालय का अंतिम निर्णय होने तक, सदस्यों को लेखों के वार्षिक विवरण जारी नहीं किए हैं। इस बीच, छोड़कर जाने वाले सदस्यों के भविष्य निधि लेखों का केवल कर्मचारियों के अंश तक निपटान किया जा रहा है। नियोजकों के अंश तक निपटान किया जा रहा है। नियोजकों के अंश और लेखों के वार्षिक विवरण जारी करने के बारे में निर्णय उच्चतम न्यायालय के फैसले को, जब वह प्राप्त हो जाता है, ध्यान में रखते हुए लिया जाएगा।

अभ्रक, लौह अयस्क, मैंगनीज अयस्क, चूना पत्थर, डोलोमाइट और बीड़ी श्रमिक कल्याण संगठन क्षेत्रों में अस्पताल, डिस्पेन्सरी, अचल व चलती-फिरती डिस्पेन्सरियां

10364. **श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभ्रक, लौह-अयस्क, मैंगनीज अयस्क, चूना-पत्थर, डोलोमाइट और बीड़ी श्रमिक कल्याण संगठन संबंधी प्रत्येक क्षेत्र में कुल कितने-कितने अस्पताल, डिस्पेन्सरी, अचल व चलती-फिरती डिस्पेन्सरियां हैं तथा ये किस-किस तारीख को स्वीकृत हुए थे और किस-किस तारीख से इन्होंने वास्तव में काम करना शुरू किया;

(ख) प्रत्येक अस्पताल, डिस्पेन्सरी और अचल व चलती-फिरती डिस्पेन्सरी के लिए चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञों की संख्या क्या है;

(ग) क्षेत्रवार और निधि-वार चिकित्सा अधिकारियों/विशेषज्ञों के कितने-कितने पद, ठीक-ठीक किस तारीख से रिक्त पड़े हुए हैं;

(घ) इन रिक्त पदों को भरने के लिए क्या प्रयास किये गए हैं;

(ङ) चिकित्सा अधिकारियों के रूप में कितनी-कितनी और किस-किस स्थान पर तदर्थ नियुक्तियां कर रखी हैं, और ये नियुक्तियां किस-किस तारीख से की गई थी; और

(च) प्रत्येक क्षेत्र में और प्रत्येक संगठन में वर्ष 1984-85 के दौरान कितनी नई डिस्पेंसरियां खोलने का विचार किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 8377/84]

(ख) और (ग) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। **देखिये** संख्या एल० टी० 8377/84]

(घ) विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों के विभिन्न पदों के विरुद्ध, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, स्वास्थ्य विभाग, उन अधिकारियों को नामित करता है, जो केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा काडर से संबंधित होते हैं। स्वास्थ्य विभाग से अनुरोध किया जा रहा है कि वे रिक्त पदों पर चिकित्सा अधिकारियों और विशेषज्ञों को तैनात करें। इस मामले में उक्त विभाग के साथ पैरवी की जा रही है।

(ङ) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8377/84]

(च) एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। [ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 8377/84]

डेसू द्वारा भूतपूर्व आबंटियों से बकाया धनराशियों की वसूली

10365. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 'डेसू' पिछले कुछ वर्षों से सरकारी आवासों के भूतपूर्व आबंटियों से संबंधित बिजली की बकाया धनराशियों को वर्तमान आबंटियों से वसूल कर रही है;

(ख) क्या 'डेसू' उपभोक्ताओं से प्रतिभूति जमा राशि लेती है;

(ग) यदि हां, तो 'डेसू' द्वारा कनेक्शन काटते समय उपभोक्ताओं की प्रतिभूति धनराशि/जमाराशि से बिजली के बिलों का समायोजन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) भूतपूर्व आबंटियों के बकाया बिलों की धनराशियों को वर्तमान आबंटियों से वसूल करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार इस प्रथा को कब तक समाप्त करेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार सरकारी आवासों में रह रहे सरकारी कर्मचारियों के मामलों में बिजली की बकाया राशि की नए आबंटियों से 13 सितम्बर, 1976 के बाद से वसूली नहीं की जा रही है।

(ख) जी, हां।

(ग) उपभोक्ता की जमा प्रतिभूति में से काटे गये कनेक्शनों के खपत बिलों के अंतिम निपटारे के समय बिजली की बकाया राशि समायोजित कर दी जाती है।

(घ) और (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

सागर से तेल निकालने के लिए उपस्करों की खरीद

10366. **श्री राजेश कुमार सिंह**
श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मार्च, 1984 के 'पंजाब केसरी' के दिल्ली संस्करण में 'समुद्र से तेल एकत्रण यंत्रों की खरीद में लाखों रुपये का घोटाला' शीर्षक से छपे समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के घोटाले को रोकने के लिये विभागीय अधिकारियों द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं; और यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इस मामले की किसी समिति द्वारा जांच किये जाने के आदेश देगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां। फिर भी निर्णय, तकनीकी उपयुक्तता, संचालन संबंधी विश्वसनीयता और डिलीवरी कार्यक्रमों के अनुरूप लागत को ध्यान में रखते हुए किया गया था।

(ख) से (ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सिक्किम में दूसरी डिस्टीलरी का कार्यकरण

10367. **श्री पी० एस० सुब्बा** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिक्किम में दूसरी डिस्टीलरी कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त डिस्टीलरी ने उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत आवश्यक अनुमति प्राप्त कर ली थी;

(ग) क्या यह भी सच है कि उनके मंत्रालय ने राज्य सरकार को एक पत्र में यह निदेश दिया था कि वह दूसरी डिस्टीलरी को कार्य करने की अनुमति न दें; और

(घ) उनके मंत्रालय द्वारा दिए गए मार्ग निर्देशकों का पालन सुनिश्चित करने के लिये अब तक क्या कदम उठाये गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) से (घ) औद्योगिक (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 और इसके अधीन बनाए गए अधिसूचित आदेशों, निदेशों और अधिसूचनाओं सहित सभी नियमों/आदेशों को 2 मार्च, 1983 की राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से 5 मार्च, 1983 से सिक्किम राज्य पर भी लागू कर दिया गया है। औद्योगिक विकास विभाग की 23 अप्रैल, 1983 की अधिसूचना का० आ० सं० 329 (ई) जिसमें सिक्किम राज्य में स्थित और अधिनियम की प्रथम अनुसूची में निर्दिष्ट उद्योगों में व्यस्त औद्योगिक उपक्रमों से अधिनियम की धारा 10 के अन्तर्गत पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लिए कहा गया है, के अनुपालन में मै० सिक्किम डिस्टीलरी, रंगपो और मै० हिमालयन डिस्टीलरी, रंगपो नामक दो आसवनियों ने इस संबंध में आवश्यक आवेदन पत्र प्रस्तुत कर दिये हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा इन आवेदन पत्रों पर निर्णय अभी लिया जाना है।

सिक्किम में आसवनियों की स्थापना करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने के बारे में राज्य सरकार से प्राप्त हुई एक रिपोर्ट के अनुसरण में 13 मई, 1983 को केन्द्रीय रसायन और उर्वरक

मंत्री द्वारा पेय अल्कोहल के निर्माण के बारे में केन्द्र सरकार की नीति और राज्य में उसके समुचित कार्यान्वयन के संबंध में स्पष्टीकरण देते हुए राज्यपाल और मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा गया था।

उत्तर प्रदेश में बागेश्वर में पैट्रोल पम्प का खोला जाना

10368. **श्री हरीश रावत :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रस्तावित पेट्रोल पम्प उत्तर प्रदेश के बागेश्वर जिला अल्मोड़ा में खोल दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इस सम्बन्ध में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या यह विलम्ब सदन में उनके द्वारा दिये गए आश्वासन के विपरीत नहीं है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) तेल उद्योग ने फुटकर बिक्री केन्द्र का विकास करने के लिए अपनी 1982-84 की विपणन योजना के मसौदे में अक्तूबर, 1983 में बागेश्वर को शामिल किया था। बाद में, योजना के मसौदे पर, तेल कम्पनियों के प्रतिनिधियों द्वारा विचार-विमर्श किया गया और बागेश्वर के स्थान को छोड़ दिया गया था क्योंकि भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड का वहां पर पहले से ही एक फुटकर बिक्री केन्द्र था। इस फुटकर बिक्री केन्द्र की एच० एस० डी० की औसत बिक्री 44 किलो लिटर प्रतिमास है, जो मात्रा संबंधी निर्धारित 80 किलो लिटर के प्रतिमास प्रतिमान से काफी कम है। इसलिए दूसरे फुटकर बिक्री केन्द्र को उपयुक्त नहीं समझा गया।

(ग) उपरोक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए, जी, नहीं।

हिन्दुस्तान समाचार कोआपरेटिव सोसाइटी

10369. **श्री कुंवर राम :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान समाचार कोआपरेटिव सोसाइटी की प्रबन्ध समिति का काम दिल्ली प्रशासन द्वारा अपने हाथ में लिये जाने के बाद, से उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए प्रतिमास क्या कार्यवाही की गई है; और

(ख) किये गए उपायों से क्या परिणाम प्राप्त हुए हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) :(क)और(ख) पंजीयक, सहकारी संस्था, दिल्ली प्रशासन से प्राप्त सूचना के अनुसार, समाचार एजेंसी की प्रबंध समिति का अधिग्रहण होने की तारीख से दोषी व्यक्तियों से वसूलियों की प्रक्रिया को तेज करके, सहकारी बैंकों तथा अन्य स्रोतों से ऋणों को प्राप्त करके तथा उपनियमों में संशोधन करके सोसाइटी के वित्तीय आधार का विस्तार करके सोसाइटी में नई जान डालने के लिये प्रयत्न किये गये। तथापि, इन उपायों की सफलता की स्पष्ट तस्वीर आडिट, जिसे इस समय पंजीयक, सहकारी संस्था, दिल्ली प्रशासन के कार्यालय द्वारा किया जा रहा है, के मुकम्मल हो जाने के बाद ही सामने आयेगी।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी संसदीय समिति द्वारा की गई सिफारिशों का दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान द्वारा क्रियान्वयन न करना

10370. **श्री त्रिलोक चन्द** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी आदेशों के अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के बीच आरक्षित पदों की अदला बदली नहीं की जा रही है ; यदि हां तो दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में विभिन्न श्रेणियों में कितने पदों की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों के बीच अदला बदली की गई है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार आवश्यक आर० एण्ड० पी० नियमों में सभी तक संशोधन नहीं किया गया है ; यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबन्ध में क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) डेसू द्वारा सूचित किया गया है कि जब कभी भी अन्य श्रेणी में उपयुक्त अभ्यार्थी उपलब्ध होते हैं तो इस विषय पर सरकारी आदेशों के अनुसार उनके द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के बीच आरक्षित पदों की अदला-बदली की जा रही है। तदनुसार समूह "ग" और "घ" के पदों में अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित 44 रिक्त पदों के आदान प्रदान द्वारा अनुसूचित जाति के अभ्यार्थियों को नियुक्तियां करके भरा गया है।

(ख) डेसू में विभिन्न पदों के लिए भर्ती तथा प्रोन्नति नियम, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से दिल्ली नगर निगम द्वारा बनाए जाते है और दिल्ली प्रशासन द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। चूंकि डेसू अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आरक्षण के बारे में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालना करता है इसलिए इन पदों के लिए भर्ती तथा प्रोन्नति नियम बनाते समय इनको ध्यान में रखा जाता है।

(ग) उपर्युक्त उत्तर को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

बोतलों में शराब भरने और उसकी ब्लेंडिंग करने वाले यूनिट

10371. **श्री ईरा मोहन** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और विशेषकर तमिलनाडु में बोतलों में शराब भरने और उसकी ब्लेंडिंग करने वाले यूनिटों के राज्यवार नाम क्या हैं,

(ख) शराब बोतलों में भरने और मिलाने उसकी ब्लेंडिंग करने वाले प्रत्येक यूनिट का वार्षिक उत्पादन कितना है; और

(ग) देश में राज्यवार ऐसे नए यूनिटों के लिए कितने आशय पत्र जारी किए हैं और आशय पत्र जारी करने के लिए अभी कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्यमन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) से (ग) अल्कोहलिक पेय के आसवन अथवा मुधकरण को 19-11-75 से एक विशेषतया नियंत्रित उद्योग के रूप में 16 फरवरी, 1973 की अधिसूचना की अनुसूची 4 में शामिल किया गया था परिणाम-स्वरूप उन सभी एककों के लिए सी० ओ० बी० लाइसेंस प्राप्त करना आक्षेपित था जिनके पास औद्योगिक लाइसेंस नहीं था किन्तु आई० (डी० एण्ड आर०) अधिनियम के अन्तर्गत आते थे। भारत में निर्मित विदेशी शराब (आई० एम० एफ० एल० और देशी शराब (सी० एल०), कोटलिंग और ब्लेंडिंग, सहित, के निर्माण के लिये आई० (डी० एण्ड आर०) अधिनियम के अधीन जिन कंपनियों को सी० ओ० बी० लाइसेंस प्रदान किए गए थे उनके नाम, क्षमता सहित संलग्न विवरण में दिए गए हैं। केन्द्रीय सरकार द्वारा तमिलनाडु में किसी भी उपक्रम को कोई सी० ओ० बी० लाइसेंस जारी नहीं किया गया है। एककों के उत्पादन आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं हैं तथापि, राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अल्कोहल वर्ष 1982-83 के दौरान स्वदेशी उत्पादन से पेय अल्कोहल की खपत 2867.55 लाख लिटर थी। इसके अतिरिक्त 8 कंपनियों, जिनके नाम विवरण में दिए गए हैं, को उनके सी० ओ० बी० आवेदन पत्रों के उत्तर में कुछ शर्तों के साथ आशयपत्र प्रदान किए गए थे। इन कंपनियों ने शर्तों के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया है और उन पर निर्णय अभी लिया जाना है। सी० ओ० बी० लाइसेंस हेतु मै० खोडे इन्डस्ट्रीज लि०, बंगलौर से प्राप्त दो आवेदन पत्र निर्णय के लिए लम्बित हैं।

100 प्रतिशत निर्यात हेतु आई० एम० एफ० एल० के निर्माण के लिए 3 आशयपत्र और एक अनुमति पत्र जारी किए गए हैं।

विवरण

(लाख लिटर)

उत्तर प्रदेश	लाइसेंसशुदा क्षमता
1. मै. कोपरेटिव कंपनी लि० सहारनपुर, उत्तर प्रदेश	1117
2. मै. अजुधिया डिस्टिलरी, मोरादाबाद	2859
3. मै. रामपुर डिस्टीलरी एण्ड कैमिकल्स वर्क्स	1989
4. मै. अपर डोह सूगर मिल्स लि० मिल्खाम	1733

1	2	3
	5. मै. अपर डोह सूगर मिल्स लि०, सामली	896
	6. मै. केरो एण्ड कंपनी लि०, रोआ	1960
	7. मै. सेन्ट्रल प्लास्टिक एण्ड कैमि० वर्क्स लि०	2762
	8. नारंग इन्डट्रीज लि०	2672
	9. सादीलाल डिस्टीलरी वर्क्स	1735
	10. सिम्बोली इन्ड० (प्रा०) लि०	1178
	11. मोहन मेकिन ब्रेवरीज लि०	831
	12. साराया डिस्टीलरी	2364
हरियाणा		
	1. पानीपत कोपरेटिव सूगर मिल्स लि०	5645
	2. इन्डो-लोवर ब्रो ब्रेवरीज लि०	600
जम्मू और काश्मीर		
	1. दीवान मोडर्न ब्रेवरीज	331
हिमाचल प्रदेश		
	1. हिमाचल प्रदेश इन्ड० डेवल० कार्पो०	1100
	2. रनगर ब्रेवरीज लि०	1100
	3. मोहन मेकिन लि०	385.40
केरल		
	1. ट्रावनकोर सूगर एण्ड केमिल्स लि०	1600
	2. कोप० सूगर लि०	3820
राजस्थान		
	1. सोना डिस्टीलरी (प्रा०) लि०	450

1	2	3
	कर्नाटक	
	1. मैसूर सूगर एण्ड कंपनी	206
	2. रामपसार डिस्टीलरी	8180
	3. अमरुत डिस्टीलरीज (प्रा०) लि०	980
	4. वेस्ट इंडिया डिस्टीलरी (प्रा०) लि०	1100
	5. उगर सूगर वर्क्स लि०	6282
	6. यजदी डिस्टीलरी	709
	7. विरायु प्रा० लि०	25:
	8. जोमिनी डिस्टीलरी	9910
	9. कुलबुरगी डिस्टीलरी	1100
	10. बबोरियन कैमिकल्स एण्ड डिस्टरीज लि०	1100
	पंजाब	
	1. पटियाला डिस्टलरी	1100
	2. जगतजीत इन्डट्रीज	15647
	3. भगत इन्डट्रीयल कार्पो०	5311
	4. मोहन मेकिन ब्रेवरीज लि०	627
	आन्ध्र प्रदेश	
	1. ब्रिनडोला डिस्टलरी	128
	2. कोकन सूगर एण्ड आबकारी कम्पनी लि०	3533
	महाराष्ट्र	
	1. गर्वन डिस्टलरी	1725
	2. जामिनर तालुक केनो प्रो० को०० सोसाइटी	675

1	2	3
	3. ग्रिहन डिस्टलरीज	3686
	4. तिलकनगर डिस्टरीज	3907
	5. केन डिस्टलरी (के० कैमिकल्स इन्डस्ट्रीज लि०)	1100
	6. कविद्रभा लिक्वर कार्पो०	1282
	7. रमन डिस्टलरीज	1100
	8. सरी सतूदातापी पेरियर शाहकारी सकर कारखाना	3282
	9. यूनाइटेड एजीन्सीज लि०	419
	10. राहौरी शाहकारी शक्कर कारखाना	6140
	11. महाराष्ट्रा मेन्यूफेक्चरिंग कार्पो०	1100
	12. परवारा एस० एस० के० लि०	8540
	13. सतकारी एस० एस० के० लि०	5033
	14. पोलीचैम लि०	500
	15. निरा वेली कार्पो० डिसट० लि०	1100
	16. साडथ कोणकन डिस्टलरीज	1100
	17. पन्चोंग एस० एस० के० लि०	820
	18. श्री कृष्णा एस० एस० के० लि०	4420
	19. वालवा तालुका एस० एस० के० लि०	1100
	20. निफड़ एस० एस० के० लि०	1100
	21. कोणकण एग्रो मेराइन इन्ड प्रा० लि०	1100
	22. कसंग कोप० डिस० लि०	1100
	23. तरना सतकारी शक्कर कारखाना लि०	1100
	24. यूनाइटेड कार्पो० डिस्ट० लि०	1976
	25. कोहलापुर सूगन मिल्स लि०	2129

इथाम्बुटोल गोलियों का उत्पादन तथा आयात

10372. **श्री तारिक अनवर** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इथाम्बुटोल गोलियों के निर्माताओं द्वारा वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान तपेदिक के रोगियों से अधिक मूल्य वसूल किया गया है;

(ख) सरकार द्वारा इन दो वर्षों की अवधि के दौरान प्रमुख निर्माताओं के लिए पैकेटवार बिक्री मूल्य तथा स्वीकृत मूल्य क्या निर्धारित किए गए;

(ग) क्या यह भी सच है कि इथाम्बुटोल के प्रमुख निर्माता डी० एल० 2 एमीनोबुटानोल के नाम पर डी- 2 एमीनोबुटानोल का आयात कर रहे थे यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ङ) इथाम्बुटोल के प्रमुख छः बड़े निर्माताओं द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार डी-2, डी० एल० 2 एमीनोबुटानोल और डी० टारटारिक एसिड का कितनी मात्रा में आयात किया गया तथा निर्माताओं के नाम क्या हैं तथा प्रत्येक द्वारा प्रत्येक मद का कितनी मात्रा में आयात किया गया तथा उनका सी० आई० एफ० मूल्य तथा स्त्रोत क्या है;

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) और (ख) इथाम्बुटोल सूत्रयोगों के विभिन्न पैकों के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित लीडर मूल्य नीचे दिए गए हैं :—

क्रम संख्या	इथाम्बूटोल गोलियों की शक्ति	पैक आकार	सरकार द्वारा अनुमोदित लीडर मूल्य	अनुमोदन की तिथि
1	2	3	4	5
1.	200 मिग्रा./गोलियां	10 का	3.60	21.4.82
			4.72	4.8.83
2.	—वही—	6 का	2.38	24.8.81
3.	—वही—	10 का	2.80	4.8.83
4.	400 मिग्रा./गोलियां	10 का	6.30	21.4.83
			7.98	4.8.83

1	2	3	4	5
4.	400 मिग्रा./गोलियां	6 का	4.18	24.8.81
			4.96	4.8.83
5.	600 मिग्रा./गोलियां	10 का	11.50	4.8.83
6.	—वही—	12 का	13.80	4.8.83
7.	—वही—	6 का	7.04	4.8.83
8.	800 मिग्रा./गोलियां	6 का	9.18	4.8.83
6.	—वही—	20 का	15.08	4.8.83
10.	—वही—	12 का	18.14	4.8.83

उत्पादित पैकों और उनके बिक्री मूल्यों के बारे में ब्यौरा का पता लगाया जा रहा है।

(ग) और (घ) एक तकनीकी दल ने इथाम्बुटोल के 6 अग्रणी निर्माताओं के कारखानों का दौरा किया था। दल द्वारा अपने निष्कृण अभी प्रस्तुत किये जाने हैं। उनके निष्कृष प्राप्त हो जाने के पश्चात यदि यह पाया गया कि ऐसा कोई आयात किया गया तो उपयुक्त कार्यवाही की जाएगी।

(ड.) उपलब्धि की सीमा तक सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

क्र० सं०	एकक का नाम	मध्यवर्ती का नाम अर्थात् डी-2 अमीनो-बुटानोल, डी एल-2 अमीनोबुटानोल और डी टारटरिक एसिड	दिनांक 1-1-83 को स्टाक (टन)	1983 के दौरान आयात/ अधिप्राप्ति (टन
1	2	3		4
1.	लुपिन लेब्स प्रा० लि०	डी एल-2 अमिनोबुटानोल	7.995	106.47
		डी टारटरिक एसिड	21.4	176.15

1	2	3	4	5
2.	आरती पेट्रोकैमिल्स इन्डस्ट्रीज लि०	डी—टारटरिक एसिड	4.708 (स्वदेशी)	(क) 26.0 (आयातित) (ख) 54.898 स्वदेशी
		डी एल-2 अमिनोबुटानोल	5.345	54.471
3.	डेक्सो लेबोरेटरीज	डी एल-2 अमिनोबुटनोल	0.76	78.675
		डी-टारटेरिक एसिड	शून्य	82.0
4.	थेमिस फार्मो० लि०	डी-2 अमिनोबुटानोल	अनुपलब्ध	10.0 1983-84
		डी एल-2 अमिनोबुटानोल	अनुपलब्ध	30.0 1983-84
		डी-टारटरिक एसिड	दर्शाया नहीं गया।	

शरीर और औद्योगिक अल्कोहल का राज्यवार उत्पादन

10373. **श्री अमल दत्त :** क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान विभिन्न स्त्रोतों से अल्कोहल के राज्यवार उत्पादन आंकड़े क्या हैं,

(ख) पिछले पांच वर्षों के दौरान शीरे का राज्यवार कितना उत्पादन हुआ तथा वास्तव में कितने शीरे का विवरण किया गया; और

(ग) 1984-85 में सभी स्तोत्रों से अल्कोहल के उत्पादन का लक्ष्य क्या है तथा लक्ष्य का स्त्रोतवार ब्यौरा क्या है;

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) अल्कोहल के राज्य-वार उत्पादन आंकड़े अनुबन्ध-I में दिये गये हैं। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 8578/84]

(ख) राज्य-वार शीरे का उत्पादन तथा विभिन्न प्रयोजनों के लिये इसकी खपत अनुबन्ध-II में दर्शायी गई है। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 8578/84] कमीवा ले राज्यों के सम्बन्ध में खपत से अधिक वाले राज्यों से प्राप्त शीरा भी शामिल है।

(ग) केन्द्रीय शीरा बोर्ड द्वारा जनवरी, 1984 में लगाए गए अनुमानों के अनुसार, वर्तमान अल्कोहल वाले 1983-84 (दिसम्बर, 1983 नवम्बर, 1984) के दौरान शीरे से 6544.84 लाख टन अल्कोहल का उत्पादन होगा।

सिने पोजिटिव रा सिनेमेटिक कलर फिल्मों का आयात

10374. **श्री आर० प्रभु** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1982-83 के दौरान कितनी मूल्य की सिने पोजिटिव रा सिनेमेटिक कलर फिल्मों का आयात किया गया ; और

(ख) आगामी पांच वर्षों में प्रत्येक वर्ष में सिने सिनेमाटिक कलर फिल्मों की अनुमानित आवश्यकता क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत): (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के क्षेत्र में हंगरी द्वारा तकनीकी सेवाओं की पेशकश

10375. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हंगरी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा के लिये अपनी तकनीकी सेवाएं प्रदान करने की पेशकश की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय श्रमिकों को थाईलैंड के लिए फुसलाया जाना

10376. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात हुआ है कि एक अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक गिरोह द्वारा भारतीय श्रमिकों को थाईलैंड के लिए फुसलाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस मामले में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, हां।

(ख) एक भारतीय नागरिक अपने भाई के साथ, जो कि उस देश का नागरिक है, सांठ-गांठ करके भारतीय श्रमिकों को थाइलैंड ले जाता था। भारतीय दूतावास ने इस मामले को स्थानीय पुलिस के साथ उठाया और उसे सजा दी गई है।

पासपोर्ट पर उप्रवास जांच शर्त की निलंबन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है और पासपोर्ट धारक को इस आशय का एक शपथ पत्र दायर करना पड़ता है कि वह विदेश में रोजगार के लिए नहीं जा रहा है।

आगरा में उच्च शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर की स्थापना

10377. **श्री शिव शरण वर्मा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगरा, उत्तर प्रदेश में उच्च शक्ति वाला दूरदर्शन ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक कार्य करना शुरू कर देगा;

(ग) क्या वहां एक स्टूडियो भी स्थापित किया जाएगा;

(घ) क्या वहां कैमरा मैन भी नियुक्त किये जाएंगे; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी हां। उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर 1984-85 के उत्तरार्ध के दौरान चालू हो जाएगा। तथापि आगरा में दूरदर्शन सेवा वर्ष के दौरान पहल ही अल्प शक्ति वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटर से चालू हो जाएगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) जी, नहीं।

(ड.) प्रश्न ही नहीं उठता।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा पूर्वी क्षेत्र के लिए पांच नई ताप बिजली परियोजनाओं की स्थापना

10378. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पूर्वी क्षेत्र के लिए पांच नई ताप बिजली परियोजनाओं की स्थापना का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन्हें केन्द्रीय क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें कब आरम्भ किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण विद्युत परियोजनाओं के लिए स्थलों का पता नहीं लगाता है। यह समय-समय पर विभिन्न परियोजना प्राधिकारियों प्राप्त परियोजना प्रस्तावों का तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन करता है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पूर्वी क्षेत्र में स्थित तथा केन्द्रीय क्षेत्र में कार्यान्वित की जाने वाली फरक्का सुपर ताप विद्युत् परियोजना (2×500 मेगा०) के विस्तार चरण तथा कहलगांव सुपर ताप विद्युत परियोजना (4×210 मेगा०) के प्रथम चरण को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है। इन परियोजनाओं से संबंधित मुख्य निर्माण कार्य सातवीं योजना के प्रारम्भिक वर्षों के दौरान शुरू किये जाने की संभावना है।

उड़ीसा के सभी जिलों में एस० टी० डी० सुविधा

10379. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सातवीं योजना अवधि के दौरान उड़ीसा के सभी जिला मुख्यालयों में एस० टी० डी० सुविधा प्रदान करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) उड़ीसा के सभी जिला मुख्यालयों में एस०टी०डी० सुविधाएं प्रदान किये जाने की योजना है इस योजना का कार्यान्वियन सातवीं और बाद की योजना अवधि के दौरान उत्तरोत्तर किया जाएगा।

(ख) किसी स्थान पर एस०टी०डी० सुविधाओं की व्यवस्था के लिए इससे संबंधित निम्नलिखित कार्य का पूरा होना आवश्यक है :

1. उस स्थान पर उपयुक्त किस्म के स्वचल एक्सचेंज की स्थापना।

2. उस स्थान को राष्ट्रीय नेटवर्क के साथ जोड़ने के लिए अपेक्षित मल्टीप्लेक्सिंग उपकरण सहित विश्वसनीय संचारण माध्यम की स्थापना ।

3. उस स्थान को जिस ट्रंक स्वचल एक्सचेंज के साथ संबद्ध किया जाना है वहां उपर्युक्त टर्मिनेशन उपकरण की संस्थापना ।

4. उस स्थान के स्थानीय एक्सचेंज में अपेक्षित टर्मिनेटिंग उपकरण की संस्थापना ।

13 जिला मुख्यालयों में से एक अर्थात कटक में पहले से ही एस०टी०डी० सुविधाएं हैं। अन्य जिला मुख्यालयों में उपरोक्त कार्य की चारों मदें, प्रत्येक स्थान पर पूरी हो जाने के पश्चात् एस०टी०डी० सुविधाएं उत्तरोत्तर प्रदान कर दी जाएंगी ।

नौकरी चाहने वालों को धोखा देना

10380. **श्री राम लाल राही** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और देश के अन्य भागों में कुछ ऐसे गिरोह सक्रिय हैं, जो लोगों को नौकरी दिलाने का नकली "धंधा" करते हैं तथा नौकरी के इच्छुक लोगों से बड़ी धनराशि ऐंठते हैं और बाद में उनके द्वारा इन नौकरी के इच्छुक लोगों को डराकर भगा दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन गिरोहों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है;

(ग) यदि, हां तो अब तक ऐसे कितने गिरोहों का भण्डाफोड़ किया गया है; और

(घ) क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कार्यवाही की जाती है कि इस तरह के गिरोहों में दिल्ली में रोजगार अधिकारी अन्तर्ग्रस्त नहीं हैं । यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां ।

(ख) जब ऐसी शिकायतें प्राप्त होती हैं तो इन्हें संबंधित पुलिस प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है, ताकि पुलिस उनके विरुद्ध कार्यवाही कर सके ।

(ग) लगभग 900 गिरोहों का भण्डाफोड़ किया गया है।

(घ) भारत सरकार द्वारा रोजगार कार्यालयों में बेईमानी और भ्रष्टाचार की जांच की आवश्यकता के बारे में समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिसमें दिल्ली प्रशासन शामिल है, को बताया गया है । इन अनुदेशों के अन्तर्गत रोजगार कार्यालयों में नियोजित सारा स्टाफ आता है जिनमें रोजगार अधिकारी भी शामिल है। पिछली बार अनुदेश 16-1-1984 को जारी किए गए ।

हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र के समय में वृद्धि

10381. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने हैदराबाद दूरदर्शन केन्द्र के समय में मद्रास दूरदर्शन केन्द्र के बराबर वृद्धि करने और ग्रामीण विकास कार्यक्रम की गुणवत्ता और समय में सुधार करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अभ्यावेदन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय लिया गया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) जी, हां। इस समय दूरदर्शन केन्द्र हैदराबाद उपग्रह दूरदर्शन केन्द्र के पैटर्न पर एक छोटे सादे स्टूडियो ढांचे के साथ अस्थाई भवन में है। स्थाई ढांचे के निर्माण का कार्य पहले ही चल रहा है और उसके मुकम्मल हो जाने के बाद हैदराबाद केन्द्र पर रंगीन कार्यक्रम भी बनाए जाएंगे।

क्षेत्र आधारित कार्यक्रमों के लिए ई०एन०जी उपकरण इन्सैट परियोजना के अंग के रूप में केन्द्रों को उपलब्ध किये गए है। 14 नवम्बर, 1983 से तेलुगु समाचार बुलेटिन भी शुरू किये गये हैं।

लखीमपुर-खीरी (उत्तर प्रदेश) में एक माइक्रोवेव स्टेशन की स्थापना

10382. **श्रीमती ऊषा वर्मा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखीमपुर-खीरी (उत्तर प्रदेश) में एक माइक्रोवेव स्टेशन स्थापित करने की योजना विचाराधीन थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजना को अब तक कार्यान्वित न किये जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इस प्रकार की योजना पर अब तक विचार न किये जाने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मौजूदा परियात को देखते हुए सूक्ष्म तरंग प्रणाली का औचित्य नहीं बनता।

"पीपल्स एण्ड प्रोबलम्" नामक पुस्तक का प्रकाशन

10383. **प्रो० रूपचन्द पाल :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लन्दन के होड़डर और सट्फटन नामक प्रकाशकों ने श्रीमती इंन्दिरा गांधी द्वारा लिखित "पीपल्स एण्ड प्रोबलम" नामक पुस्तक का प्रकाशन किया है;

(ख) क्या यह पुस्तक भारत के प्रधान मंत्री द्वारा विभिन्न अवसरों पर दिए गए भाषणों का संकलन है;

(ग) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री के इन सभी भाषणों को डी० ए० वी० पी० ने प्रकाशित किया था और संसद सदस्यों और अन्य व्यक्तियों में वितरित किया गया था; और

(घ) "पीपल्स एण्ड प्रोबलम" नामक इस पुस्तक का प्रतिलिप्यधिकार किसके पास है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हां ।

(ख) जी, हां । यह श्रीमती इंदिरा गांधी के भाषणों तथा लेखों का संग्रह है ।

(ग) सभी नहीं, किन्तु "पीपल एण्ड प्रोबलम्स" नामक पुस्तक में प्रकाशित कुछ भाषणों को विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय द्वारा भी प्रकाशित किया गया है ।

(घ) श्रीमती इंदिरा गांधी ।

रामगुण्डम परियोजना के लिए विदेशी सहायता की मांग

10384. **श्री जी० भूपति :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन की रामगुण्डम परियोजना के लिए किसी विदेशी एजेंसी से वित्तीय सहायता की मांग की गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन, रामगुण्डम परियोजना की सिविल वर्क्स पावर जेनरेटर तथा विभिन्न राज्यों के वितरण, आदि के संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उपरोक्त एकक की अभिकल्पित क्षमता कितनी है तथा उसको प्राप्त करने में क्या प्रगति की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) : राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की रामागुण्डम ताप विद्युत परियोजना (200-200 मेगावाट की 3 यूनिटें तथा 500-500 मेगावाट की 3 यूनिटें) को विश्व बैंक और ओपेक द्वारा क्रमशः लगभग 550 मिलियन अमरीकी डालर और 50 मिलियन अमरीकी डालर से अधिक ऋण वित्त-पोषित किया जा रहा

है । इस परियोजना के 500 मेगावाट के चरण के लिए साऊदी विकास निधि से 50 करोड़ रुपया (लगभग) का ऋण तथा पश्चिमी जर्मनी से 75 करोड़ रुपया (लगभग) की सहायता उपलब्ध होने की भी संभावना है । 200-200 मेगावाट की 3 यूनिटों के प्रमुख सिविल कार्य पूरे हो गये हैं तथा 500 मेगावाट के चरण का स्थल लैवलिंग का कार्य और मुख्य संयंत्र की नींव का कार्य प्रगति पर है ।

इस परियोजना की पहली यूनिट (200 मेगावाट) जो निर्धारित समय से 4 महीने पहले अक्टूबर, 1983 में चालू की गई थी, पूर्ण रूप से प्रचालन में है तथा इस समय आंध्र प्रदेश को विद्युत सप्लाई कर रही है । इन राज्यों को विद्युत की सप्लाई सुगम बनाने के लिए सभी लाभान्वित राज्यों के साथ बल्क सप्लाई समझौतों को राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने अंतिम रूप देने का कार्य शुरू कर दिया है ।

शेष यूनिटों पर कार्य सन्तोषजनक ढंग से प्रगति कर रहा है ।

देश में टेलीफोन एक्सचेंजों का उपयोग न किया जाना

10385. **श्री चित्त महाटा :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में कुछ टेलीफोन एक्सचेंजों का पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि नये टेलीफोन कनेक्शन यह बहाना कर नहीं दिये जाते हैं कि टेलीफोन एक्सचेंज में पहले ही अधिक भीड़-भाड़ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा टेलीफोन एक्सचेंजों का उपयोग न करने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) (क) जी नहीं । फिर भी कुछ एक्सचेंजों की टेलीफोन कनेक्शन क्षमता का पूर्व उपयोग नहीं किया गया है ।

(ख) जी नहीं । उन कुछ एक्सचेंजों से नए कनेक्शन नहीं दिये जाते जो वास्तव में ओवर लोडेड होते हैं ।

(ग) अधिकांश टेलीफोन जिलों में एक्सचेंजों से औसतन लगभग 90 प्रतिशत कनेक्शन दिए गए हैं जबकि सर्किलों का प्रतिशत लगभग 85 है । ग्रामीण इलाकों में केवल छोटे एक्सचेंजों में अतिरिक्त क्षमता उपलब्ध है क्योंकि वहां टेलीफोन कनेक्शनों की मांग अधिक नहीं है ।

उच्च न्यायालयों में मुख्य न्यायमूर्ति के रिक्त पदों का भरा जाना

10386. **डा० कृपासिंधु भोई** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सच्च न्यायालयों के नाम क्या हैं जिनमें इस समय कोई मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है;

(ख) ये पद कब से रिक्त पड़े हैं;

(ग) इन पदों के न भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) उन्हें भरने के लिए क्या उपाय किये गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) : निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में, प्रत्येक के सामने दर्शित तारीख से, कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति हैं :

क्रम संख्या	उच्च न्यायालय	कब से
1.	इलाहाबाद	29.11.1983
2.	आंध्र प्रदेश	8.4.1984
3.	केरल	28.9.1983
4.	मध्य प्रदेश	3.1.1984
5.	पंजाब और हरियाणा	29.11.1983

(ग) और (घ) इन उच्च न्यायालयों में नियमित मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के प्रश्न पर सरकार ध्यान दे रही है।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में नई भर्ती किये गये व्यक्तियों द्वारा उन्हें एच० पी० सी० ए० ग्रेड में रखने के बारे में अभ्यावेदन

10387. **स्वामी इन्द्रवेश**
श्री गयूर अली खाँ } : क्या ऊर्जा मंत्री राष्ट्रीयकरण के बाद "एस्सो" में भर्ती

के बारे में 10 मई, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 10873 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जुलाई, 1976 में बनाए गए नियमों के अनुसार सहायक इंजीनियर के पद का ग्रेड और वेतनमान, सरकारी क्षेत्र में प्रचलित कीमतों पर आधारित है;

(ख) क्या उक्त नियमों को बनाने के बाद, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड में कुछ नए भर्ती व्यक्तियों ने उनको सहायक इंजीनियर्स के पद के बाद एच० पी० सी० ए० ग्रेड में रखे जाने के विरुद्ध अभ्यावेदन दिया था जबकि यह पद एच० पी० सी० बी० ग्रेड से संबंधित है और उन्हें उक्त पद से संबंधित ग्रेड में रखा गया था; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों का ब्यौरा क्या है और उनको एच० पी० सी० बी० ग्रेड में कौन सी तारीख को रखा गया था?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हाँ।

(ख) और (ग) जी नहीं। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन में सहायक इंजीनियर के पद को "ए" ग्रेड में वर्गीकृत किया गया है, "बी" ग्रेड में नहीं। इसलिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन में "बी" ग्रेड में रखे जाने के संबंध में दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

टेलीविजन सापटवेयर ग्रुप की रिपोर्ट का प्रकाशन

10388. **डा० प्रताप भाथ** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का टेलीविजन सापटवेयर ग्रुप की रिपोर्ट प्रकाशित करने का विचार है;

(ख) क्या सरकार दूरदर्शन के वर्तमान स्वरूप और ढांचे में परिवर्तन करने पर विचार कर रही है;

(ग) सरकार द्वारा दूरदर्शन में मौलिकता और सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं; और

(घ) इस संबंध में पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सरकार ने दूरदर्शन साफ्टवेयर दल की रिपोर्ट प्रकाशित करने के

बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ख) विशेष दूरदर्शन विस्तार योजना को ध्यान में रखते हुए, महानिदेशक, दूरदर्शन तथा अपर महानिदेशक, दूरदर्शन के पदों का दर्जा हाल ही में बढ़ा दिया गया है। कोई अन्य संरचनात्मक परिवर्तनों पर इस समय विचार नहीं किया जा रहा है।

(ग) और (घ) दूरदर्शन का अपने कार्यक्रमों में मौलिकता तथा सृजनात्मकता को प्रोत्साहन देने का सतत प्रयास रहा है। बाहरी प्रतिभाओं को दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम तैयार करने का अवसर प्रदान किया जाता है।

एल० पी० जी० सिलेंडरों के लिये वितरकों को दिये जाने वाले कमीशन में वृद्धि की मांग

10389. **श्री सोमजी भाई डामोर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वितरण कार्य करने वाले इंडियन आयल कार्पोरेशन/हिन्दुस्तान पेट्रोलियम/इंडो-बर्मा पेट्रोलियम/भारत पेट्रोलियम वितरक को एल० पी० जी० सिलेंडर के लिए कितना कमीशन दिया जाता है तथा वितरकों के लिए यह कमीशन कब से निर्धारित किया गया था;

(ख) क्या वितरकों द्वारा प्रति एल० पी० जी० सिलेंडर अधिक कमीशन की मांग की गई है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार वितरकों द्वारा किये गये भारी निवेशों तथा प्रदान की गई अन्य मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ताओं को वितरित किये जाने वाले एल० पी० जी० सिलेंडरों पर कमीशन में वृद्धि करने का विचार किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो इसका निर्णय कब तक किये जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 3.62 रुपये प्रति सिलेंडर। यह 1 मार्च, 1981 से निर्धारित की गयी थी तथा उसी तारीख से प्रभावी हुई थी।

(ख) और (ग) जी, हां। मांग यह है कि कमीशन 5.50 रुपए प्रति सिलेंडर दी जाए। लागत समीक्षा समिति के सम्मुख यह एक विचाराधीन विषय है।

(घ) समिति की रिपोर्ट जुलाई, 1984 के अन्त तक उपलब्ध हो जाएगी।

आकाशवाणी महानिदेशालय के नैमित्तिक कर्मचारियों को हटाया जाना

10390. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आकाशवाणी महानिदेशालय के कई नैमित्तिक कर्मचारियों को उनके कार्य से हटा दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि वे उन कार्यों पर तीन वर्ष से अधिक समय से सेवारत थे;

(ग) क्या गृह मंत्रालय के हाल के आदेशों की दृष्टि से उन्हें उनके कार्य पर नियमित किया जाना चाहिए था;

(घ) क्या हटाए गए व्यक्तियों के स्थान पर नए व्यक्ति भर्ती कर लिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो पुराने कर्मचारियों को हटाने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार हटाए गए व्यक्तियों को पुनः नियुक्त करने का है; और

(छ) यदि नहीं, तो उसके मुख्य कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) व्यय तथा संगठन की वास्तविक आवश्यकता के संबंध में मितव्ययता के बारे में सरकार के नवीनतम अनुदेशों के अनुसरण में 3-3-1984 से 10 नैमित्तिक कर्मकारों को हटा दिया गया था।

(ख) और (ग) गृह मंत्रालय के हाल ही के 5-1-1984 के आदेशों के अनुसार यदि किसी दैनिक मजदूर ने गत 2 वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान दैनिक मजदूर के रूप में 240-240 दिन की सेवा करनी है, तो वह समूह "घ" के पद में रिक्ति पर नियमित नियुक्ति के लिए पात्र हैं, बशर्ते उसकी भर्ती रोजगार कार्यालय से हुई हो और वह पात्रता की अन्य शर्तों को पूरा करता हो। इस समय आकाशवाणी महानिदेशालय में चपरासी की कोई नियमित रिक्ति नहीं है जिस पर इन दैनिक मजदूरों को लगाया जा सके।

(घ) से (छ) जब भी आवश्यकता होती है दैनिक मजदूरों को लगाने का निर्णय लिया जाता है। गर्मी का मौसम शुरू होने के कारण उन दस व्यक्तियों को जिन्हें हटा दिया गया था, काम पर आने के लिए कहा गया था। दो व्यक्तियों को जिन्होंने काम के लिए रिपोर्ट की थी, 18-4-84 से पुनः लिया गया है। शेष 8 व्यक्तियों में से किसी ने भी काम के लिए रिपोर्ट नहीं की। रोजगार कार्यालय द्वारा भेजे गये 11 और नैमित्तिक कर्मकारों को उसी तारीख अर्थात 18-4-1984 से लगाया गया है।

लखनऊ दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों को पारिश्रमिक

10391. **श्री बनारसी दास** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखनऊ दूरदर्शन के कार्यक्रमों में भाग लेने वाले कलाकारों को कोई पारिश्रमिक दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो पारिश्रमिक निर्धारित करने का मानदण्ड क्या है;

(ग) क्या 29 जून, 1982 को दूरदर्शन पर एक कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले पत्रकार और कवि श्री दिवाकर प्रकाश को केवल 50.00 रुपये पारिश्रमिक दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो पारिश्रमिक निर्धारित करने का मानदण्ड क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्यमंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) पारिश्रमिक की राशि कार्यक्रम के स्वरूप तथा भागीदारी की किस्म पर निर्भर करती है।

(ग) और (घ) जी हाँ, श्री दिवाकर प्रकाश ने 29-6-1982 को टेलीकास्ट किए गए कामगार सभा नामक कार्यक्रम में भाग लिया था तथा उन्हें 50/- रु० की राशि का भुगतान किया गया था जो ऊपर भाग (ख) में उल्लिखित मानदण्ड के अनुसार इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सामान्य शुल्क था।

इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो अलायज कारपोरेशन उड़ीसा

10392. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में इंडियन मैटल्स एण्ड फैरो अलायज कारपोरेशन लिमिटेड के स्वामित्व में अनेक उद्योग हैं;

(ख) उड़ीसा में तथा भारत में अन्य स्थानों पर उसके द्वारा कितने उद्योग और कम्पनियां आरम्भ की गई हैं; और

(ग) सराफ कम्पनी समूह की अद्यतन कुल अस्तियां क्या हैं ?

विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) यह कल्पना की जाती है कि माननीय सदस्य इण्डियन मेटल्स एण्ड फैरो अलायज लिमिटेड का हवाला दे रहे हैं। एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो अलायज औद्योगिक घराने की तीन उपक्रमें हैं, नामश:

(1) इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो अलायज लिमिटेड

(2) बी० पंडा एण्ड कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड, और

(3) इण्डियन मैटल्स एण्ड कार्बाइड लिमिटेड

(ख) इण्डियन मैटल्स एण्ड फैरो अलायज लिमिटेड ने उड़ीसा में एक नई कम्पनी अर्थात् इण्डियन चार्ज क्रोम लिमिटेड प्रारम्भ की है। भारत में अन्य स्थानों पर प्रारम्भ किए गए उद्योगों और कम्पनियों के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) नवीनतम उपलब्ध सूचना के अनुसार, मैसर्स फैरो अलायज लिमिटेड, जो एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत है तथा जिसमें सराफ ग्रुप के निदेशक मालूम पड़ते हैं, की 30-8-1983 की परिसम्पतियां 75.89 करोड़ रु० थी।

तट दूर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को तट दूर पोतों की आवश्यकता

10393. **श्री आर० पी० गायकवाड** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग को अपनी तट दूर अनुसंधान परियोजनाओं के लिए कुल कितने तट दूर पोतों की आवश्यकता है;

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इन पोतों को प्राप्त करने के संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1985 तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को 42 ओ० एस० वी० की आवश्यकता होने का अनुमान लगाया गया है।

(ख) और (ग) उपरोक्त आवश्यकता में से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को 37 ओ० एस० वी० खरीदने की अनुमति दी जा चुकी है और उन्होंने 13 ओ० एस० वी० विदेशी शिपयार्डों से और 20 ओ० एस० वी० भारतीय से खरीदने के लिए पहले से ही आर्डर दिए हैं।

केन्द्रीय सूचना सेवा के ग्रेड दो, तीन और चार के लिये विभागीय पदोन्नति समिति

10394. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सूचना सेवा में ग्रेड दो, तीन और चार के "मीडियम-वार" और पदनामवार कितने पद हैं :

(ख) ग्रेड तीन से दो में दो वर्ष से अधिक समय से पदोन्नति समिति की बैठक न बुलाए जाने के क्या कारण हैं जबकि ग्रेड दो में रिक्तियां हैं और यह नियम है कि विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक प्रतिवर्ष आयोजित की जाए ; और

(ग) क्या सेवा के मूल संविधान के विरुद्ध ग्रेड तीन और चार के सेवा अवसरों के विरुद्ध ग्रेड दो और तीन के कार्य रूप में अन्तर स्थानांतरित पदों को केन्द्रीय सूचना सेवा के "क" और "ख" वर्गों में शामिल करने का निर्णय लिया गया है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न है ।

(ख) 1982 और 1983 में केन्द्रीय सूचना सेवा, समूह "क" के जूनियर स्केल (ग्रेड-2) में पदोन्नति कोटे के अन्तर्गत कोई रिक्तियां नहीं थी। इसलिए इन वर्षों के दौरान ग्रेड-3 से ग्रेड-2 में पदोन्नति करने के लिए विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक बुलाने का प्रश्न नहीं उठा । इस कोटे के अन्तर्गत रिक्तियां 1984 में हुई हैं और अधिकारियों की ग्रेड-3 से ग्रेड-2 में पदोन्नति द्वारा इन रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई पहले ही शुरू की जा चुकी है ।

(ग) जी, नहीं । ग्रेड-3 के पद, जो 650-1250 रु० के वेतनमान में हैं, ग्रेड-3 में चल रहे हैं और ग्रेड-2 के पद, जो 700-1300 रु० के वेतनमान में हैं, ग्रेड-2 में चल रहे हैं । ग्रेड-2 के पद केन्द्रीय सूचना सेवा के समूह "क" में है जबकि ग्रेड-3 के पद केन्द्रीय सूचना सेवा के समूह "ख" में हैं। ग्रेड-3 और ग्रेड-4 के कैरियर हितों के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया गया है ।

विवरण

ग्रेड II, III और IV में पदों की संख्या

जन संचार इकाइयों के नाम	केन्द्रीय सूचना सेवा, समूह "क" का कनिष्ठ वेतनमान (ग्रेड-2)	ग्रेड 3 समूह "क" (राजपत्रित)	ग्रेड-4 समूह "ख" (अराजपत्रित)
1	2	3	4
प्रेस सूचना कार्यालय महानिदेशक, आकाशवाणी	सहायक सूचना अधिकारी-84 सहायक समाचार सम्पादक/ समाचार रिपोर्टर-84	सहायक सूचना अधिकारी-46 सहायक समाचार सम्पादक/ संवाददाता/सहायक निदेशक (एम) सहायक समाचार संपादक (एम)/ संदर्भ अधिकारी/सह संपादक/ सहायक निदेशक-95	सूचना सहायक-144 उप संपादक/प्रचार सहायक/संदर्भ सहायक-19
महानिदेशक दूरदर्शन	सहायक समाचार संपादक-20	—	—
प्रकाशन विभाग	सहायक संपादक-6	सह-संपादक/सह संपादक (सी०डब्ल्यू०एम०जी०)-47	उप संपादक/संदर्भ सहायक/ उप संपादक (सी०डब्ल्यू०एम०जी० -54
निदेशक, क्षेत्रीय प्रचार	क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी/ सहायक कार्यक्रम अधिकारी-8	क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी/ सहायक कार्यक्रम अधिकारी/ सहायक प्रादेशिक अधिकारी-198	—
निदेशक, विज्ञापन और दृश्य प्रचार	—	सह संपादक/सहायक अनुसंधान अधिकारी/ सहायक निदेशक-18	उप संपादक/प्रचार सहायक अनुसंधान सहायक-7

1	2	3	4
अनुसंधान और संदर्भ प्रभाग	सहायक अनुसंधान अधिकारी-5	सहायक अनुसंधान अधिकारी-1	अनुसंधान सहायक-10
निदेशक, जन सम्पर्क (डी)	—	सहायक जन सम्पर्क अधिकारी/ सह संपादक-22	उप संपादक/सूचना सहायक-15
पंजीयक, भारतीय समाचार पत्र	—	पंजीकरण पर्यवेक्षक-2	अनुसंधान सहायक/पंजीकरण सहायक-13
फिल्म प्रभाग	—	कमेंट्री लेखक/आलेख लेखक-19	अनुसंधान सहायक-5
गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो		संपादक, इंडियन पुलिस जनरल-1	—
योग :	207	449	267

मंत्रालय में कार्य कर रहे नैमित्तिक मजदूरों को नियमित किया जाना

10395. **श्री के० बी० एस० मणि :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों में नैमित्तिक श्रमिकों को निश्चित संख्या के दिनों तक कार्य करने के बाद स्वत: ही नियमित कर दिया जाता है, यदि हां, तो इसके बारे में ब्यौरा क्या है;

(ख) उनके मंत्रालय/अधीनस्थ कार्यालयों में कितने नैमित्तिक श्रमिकों को पिछले एक वर्ष के दौरान नियमित किया गया है;

(ग) ऐसे कितने नैमित्तिक श्रमिक हैं जो कि दो वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं और उन्हें नियमित नहीं किया गया है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या सरकार ने उनको नियमित बनाने के लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम तैयार किया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और उसे यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

कोचीन में भारतीय तेल निगम की कंपनियों द्वारा पेट्रोल की ढुलाई के लिए प्राइवेट ट्रकों का प्रयोग

10396. **श्री स्कारिया थोमस :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन, से अपना कार्य संचालन कर रही भारतीय तेल निगम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम आदि जैसी तेल कंपनियां केरल के विभिन्न भागों को पेट्रोलियम भेजने के लिए, प्राईवेट ट्रकों का प्रयोग कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या इन कम्पनियों से तेल की ढुलाई हेतु अपने ही ट्रकों का प्रयोग करने के लिए कहा जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी हां, तेल कम्पनियां केरल के विभिन्न भागों में पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन के लिए अपनी टैंक गाड़ियों के अलावा गैर सरकारी टैंक गाड़ियों का ठेके के आधार पर प्रयोग करती हैं।

(ख) तेल कम्पनियां गैर सरकारी गाड़ियों का प्रयोग इसलिए करती हैं क्योंकि उनकी अपनी गाड़ियां आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

(ग) जी, नहीं। ट्रकों को बड़ी संख्या में ऐसी ढुलाई में लगाये जाने, रेल क्षमता की उपलब्धता में घट-बढ़, वित्तीय और प्रशासनिक बाधाओं आदि को ध्यान में रखते हुए गैर सरकारी ट्रकों के स्थान पर कम्पनी के ट्रकों को लगाया जाना सम्भव नहीं है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली उत्पादन परियोजनाओं का निर्माण

10397. **प्रो0 निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वाणिज्य और उद्योग मंडल द्वारा हाल ही में आयोजित एक बैठक में उन्होंने गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली उत्पादन के महत्व को स्वीकारा था;

(ख) यदि हां तो क्या निकट भविष्य में गैर-सरकारी क्षेत्र में बिजली परियोजनाओं के निर्माण की अनुमति दिए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार का विचार संयुक्त क्षेत्र में इन परियोजनाओं को चलाने का है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल संघ द्वारा 16 सितम्बर, 1983 को आयोजित की गई वर्कशाप का उद्घाटन करते हुए ऊर्जा मंत्री ने इस बात पर बल दिया कि ऊर्जा के विकास की जिम्मेदारी मुख्य रूप से केवल सार्वजनिक क्षेत्र की है। उन्होंने यह भी बताया कि कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के बारे में सरकार की नीति स्पष्ट है। केप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिए अनुमति दी जाएगी यदि विद्युत की मांग पर्याप्त रूप से अधिक हो तथा सतत और विश्वसनीय विद्युत की सप्लाई जरूरी हो। तथापि, तेल पर आधारित विद्युत संयंत्रों को प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा। जिन उद्योगों में संसाधित भाप की आवश्यकता होती है, उनके लिए विद्युत और ऊष्मा के संयुक्त उत्पादन की सुविधा वाले केप्टिव विद्युत संयंत्रों को केवल प्रोत्साहन ही नहीं दिया जाता बल्कि वास्तव में इन पर जोर दिया जाता है। विद्युत संयंत्रों की स्थापना करने के लिए निजी क्षेत्र के प्रस्तावों पर गुणवत्ता के आधार पर विचार किया जाएगा बशर्ते वे अपने निजी स्रोतों में से पर्याप्त निवेश करें। विद्युत विकास के क्षेत्र में निहित निवेश की मात्रा को ध्यान में रखते हुए किसी भी हालत में निजी क्षेत्र केवल बाह्य भूमिका ही निभा सकता है।

(ख) और (ग) औद्योगिक नीति संकल्प 1956 के अन्तर्गत, विद्युत के उत्पादन और वितरण को विद्युत क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया है। तथापि, यदि राष्ट्रीय हित में, अपेक्षित हो तो निजी स्वामित्व वाली मौजूदा यूटिलिटिज का विस्तार करने अथवा नई यूनिटों की स्थापना

करने पर प्रतिबन्ध नहीं है। निजी/संयुक्त क्षेत्र से प्राप्त प्रस्तावों की जांच तकनीकी-आर्थिक दृष्टि से और वास्तव में हुई बढ़ोत्तरी की दृष्टि से अथवा प्रयोग किए जाने वाले प्रस्तावित संसाधनों तथा उनकी उपयुक्तता की दृष्टि से तथा समग्र राष्ट्रीय विद्युत योजना के अन्तर्गत उनकी अनिवार्यता को देखते हुए की जाएगी।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा श्रम कानूनों का उल्लंघन

10398. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन द्वारा यह पता चलता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और मजदूरी संदाय अधिनियम सहित श्रम कानूनों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया है; और

(ख) यदि हाँ, तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) हालांकि कोई अध्ययन नहीं किया गया है, लेकिन श्रम विभाग के अधीन मुख्य श्रमायुक्त ने विभिन्न श्रम कानूनों को लागू करने के दौरान एकत्र की गई सूचना के आधार पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा श्रम कानूनों के उल्लंघन की स्थिति की पुनरीक्षा की थी। सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के क्रास-सेक्शन के किए गए पुनरीक्षण से, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न श्रम कानूनों के, जिनमें ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम और मजदूरी संदाय अधिनियम हैं, उल्लंघन का पता चला। ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम के अधीन, ये उल्लंघन कार्य की प्रतिसिद्धि श्रेणियों में ठेका श्रमिकों के नियोजन, पंजीकरण प्राप्त किये बिना ठेका श्रमिकों के नियोजन, ठेकेदारों द्वारा कार्य शुरू करने की सूचना देने में असमर्थता, पंजीकरण के प्रमाणपत्र में परिवर्तन की सूचना देने में असमर्थता, ठेकेदारों के बारे में रजिस्टर न रखने, ठेकेदारों द्वारा मजदूरी बांटने के समय और स्थान पर विभिन्न प्रतिनिधियों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने में असमर्थता, नोटिस प्रदर्शित न करने, वार्षिक विवरणी प्रस्तुत न करने आदि से संबंधित है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के बारे में ये उल्लंघन निर्धारित मजदूरी की न्यूनतम दरों से कम मजदूरी दरों की अदायगी से संबंधित हैं।

इन उल्लंघनों को, जब कभी ये निरीक्षण अधिकारियों द्वारा बताये जाते हैं, प्रबंधतन्त्रों के ध्यान में लाया जाता है ताकि वे इन अनियमितताओं को दूर करें, यदि उपक्रम इन्हें दूर नहीं करते, तो अभियोजन द्वारा कानूनी कार्यवाही भी की जाती है। वैध देय राशियों का भुगतान न करने/उससे कम राशि का भुगतान करने के मामलों में दावा मामले भी दायर किए जाते है।

श्रमिक उत्पादकता पुरस्कार योजना

10399. **श्री हरिहर सोरन**
श्री नवीन रवाणी } : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उपक्रम स्तर पर सुधार करने के लिए श्रमिक उत्पादकता पुरस्कारों की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की योजनाएं कब लागू हो रही हैं और किस उद्योग में; और

(ग) इन योजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) जी, नहीं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने एक योजना बनाई थी, जिस पर उत्पादकता संबंधी त्रिपक्षीय बैठक में विचार किया गया। यह निर्णय किया गया कि योजना पर संबंधित औद्योगिक समितियों द्वारा विचार किया जाए।

बिहार में निर्वाचक नामावलियों में से नामों को हटाया जाना

10400. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों द्वारा लोगों के भारतीय नागरिक न होने के आधार पर निर्वाचक नामावलियों में से कितने नाम हटाए गए हैं और निर्वाचक नामावली में नाम जोड़ने के कितने दावों को नामंजूर किया गया है;

(ख) एक से अधिक स्थानों पर नाम होने, सामान्यतः निवासी आदि न होने के अन्य आधारों पर इस प्रकार कितने नाम हटाये गए हैं और ऐसे कितने दावे नामंजूर किए गए हैं; और

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) में से प्रत्येक प्रवर्ग के व्यक्तियों के कितने मामलों में अधिकारियों के निर्णय अभी तक लम्बित हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) निर्वाचन आयोग द्वारा मुख्य निर्वाचन आफिसर, बिहार से अपेक्षित जानकारी की प्रतीक्षा की जा रही है और ज्यों ही यह आयोग से प्राप्त हो जाएगी उसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

सरकारी फर्मों की उपेक्षा कर गैर-सरकारी पार्टियों को आर्डर देना

10401. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान कलकत्ता से प्रकाशित दिनांक 3 अक्तूबर, 1983 के एक बंगाली साप्ताहिक "कोलफील्ड टाइम्स" में केन्द्रीय कोलफील्ड लि० द्वारा सरकारी फर्मों की उपेक्षा कर गैर-सरकारी पार्टियों को आर्डर देने संबंधी समाचार की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तथ्यों का ब्यौरा क्या है तथा उन पर क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

समाचार पत्रों द्वारा निराधार समाचार प्रकाशित किया जाना

10402. **श्री के० मालन्ना** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि कुछ समाचार पत्र बिल्कुल झूठे और निराधार समाचार प्रकाशित कर रहे हैं और अफवाहें व गलत सूचनाएं फैला रहे हैं जो देश के हित में अच्छा नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच०के०एल० भगत) : (क) और (ख) भारतीय प्रेस परिषद्, जो एक स्वायत्त निकाय है और जिसका गठन प्रेस की स्वतंत्रता का परिरक्षण करने तथा भारत के समाचार पत्रों और समाचार एजेंसियों के स्तरों को बनाए रखने तथा उनमें सुधार करने के उद्देश्य से किया गया है, ने बताया है कि इसे समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से ऐसी शिकायतें प्राप्त होती रही जिनमें यह आरोप लगाया गया है कि देश के कतिपय समाचारपत्र झूठे और निराधार समाचार प्रकाशित कर रहे हैं ।' परिषद् ने दोषी समाचारपत्रों के विरुद्ध प्रेस परिषद् अधिनियम, 1978 की धारा 14 के उपबन्धों के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की है।

दामोदर घाटी निगम में भर्ती

10403. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम द्वारा पिछले दो वर्षों में एकर्क-वार की गई भर्ती का ब्यौरा क्या है ;

(ख) तालिका सूची (पेनल लिस्ट) में विस्थापित व्यक्तियों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता क्या है;

(ग) क्या उन्हें अपने दिये गये आश्वासन की जानकारी है कि स्थानीय रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भविष्य की किसी भी भर्ती में विस्थापित व्यक्तियों को वरीयता दी जायेगी, यदि हां, तो क्या उस आश्वासन का अनुसरण किया गया था;

(घ) क्या दामोदर घाटी निगम के मैथोन एकक ने भर्ती के सम्बन्ध में मंत्री द्वारा वर्ष 1983 में संसद में दिये गये इस प्रकार के किसी आश्वासन से अनभिज्ञता प्रकट की है तथा कार्यवाही वृतांत की फोटोस्टेट प्रतिलिपियां देने के बावजूद भी उस ओर कोई ध्यान देने से मना कर दिया था; और

(ङ) यदि हां, तो तथ्यों का ब्योरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) समूह क और ख के पदों के लिए भर्ती मुख्यालय द्वारा केन्द्रीय आधार पर की जाती है जबकि समूह 'ग' के पदों के लिए भर्ती यूनिट-वार की जाती है। विभिन्न श्रेणियों के लिए गत दो वर्षों के दौरान की गई यूनिट वार भर्ती के संबंध में सूचना नीचे दी गई है :—

पद	कुल संख्या	विस्थापित व्यक्ति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
समूह क	135	लागू नहीं होता	3	शून्य
समूह ख	532	लागू नहीं होता	7	1
समूह ग				
(1) एस० सी० डी० (हजारीबाग)	3	शून्य	3	शून्य
(2) जी० ओ० एम० डी० 7 (हजारी बाग)	1	शून्य	1	शून्य
(3) जी० ओ० एम० डी० 3 (जमशेदपुर)	1	शून्य	शून्य	शून्य
(4) तिलैया जल (विद्युत केन्द्र)	4	शून्य	4	शून्य
(5) मैथोन अतिथि गृह	1	शून्य (भूतपूर्व सैनिक)	शून्य	शून्य

(ग) से (ङ.) विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के लिए दामोदर घाटी निगम ने निदेशक रोजगार तथा प्रशिक्षण, बिहार सरकार को लिखा था । इसको स्वीकार करते हुए निदेशक रोजगार तथा प्रशिक्षण ने बताया कि रोजगार कार्यालय द्वारा विस्थापित व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत करने के लिए उनको कोई आपत्ति नहीं है लेकिन अभ्यर्थियों को ऐसा सुनिश्चित करने के लिए संबंधित रोजगार कार्यालय में अपनी पहचान करवानी चाहिए। वर्तमान राज्य सरकार के मानदण्डों के अनुसार दामोदर घाटी निगम केवल रोजगार कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए पैनल में से समूह "ग" के पदों के लिए चयन कर सकता है।

नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में "गम्मोन इंडिया" को दिया गया ठेका

10404. **श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवेली लिग्नाइट कारपोरेशन में एक गैर-सरकारी कंपनी "गम्मोन इंडिया" को ठेका दिया गया था ;

(ख) क्या उपरोक्त कंपनी द्वारा दुर्घटनाओं को बचाने के लिए सुरक्षा उपायों को लागू किया जा रहा है, यदि हां, तो ऐसे उपायों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) क्या उपरोक्त कंपनी द्वारा श्रमिकों को सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम वेतन दिया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां । फर्म को तीन चिमनियां और तीन कूलिंग टावर निर्माण करने के लिए ठेका दिया गया था ।

(ख) नेवेली लिग्नाइट कारपोरेशन ने सूचना दी है कि फर्म नियमों के अनुसार सभी सुरक्षा उपायों का पालन करती रही है ।

(ग) जी, हां ।

दिल्ली में गैस के अतिरिक्त सिलेण्डर की सप्लाई

10405. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन आयल कार्पोरेशन ने जनवरी, 1984 से दिल्ली में गैस के अतिरिक्त सिलेण्डर की सप्लाई करना आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक एजेन्सी को 15 मार्च, 1984 तक कितने अतिरिक्त सिलेण्डर दिये गये हैं;

(ग) क्या एल० पी० जी० के उप प्रबंधक ने भी उपभोक्ताओं को अतिरिक्त सिलेण्डर सीधे दे दिये हैं; और

(घ) यदि हां, तो दिल्ली में 1 जनवरी, 1984 से 15 मार्च, 1984 की अवधि के दौरान ऐसे कितने सिलेण्डर दिये गये गये हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री० पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां । तथापि, यह पिन टाइप के उपकरण रखने वाले ग्राहकों तक ही सीमित है।

(ख) जारी किये गये अतिरिक्त सिलेंडरों की संख्या नीचे दी गई है :

जनवरी 1984	—	1458
फरवरी 1984	—	5070
मार्च 1984 (15 मार्च तक)	—	2408

(ग) जी, हां ।

(घ) इंडियन आयल कार्पोरेशन द्वारा प्राथमिकता के आधार पर जारी किये गये अतिरिक्त सिलेंडरों की संख्या लगभग 1460 है ।

वर्ष 1958 में आयोजित राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाई गयी उद्योग संहिता को ध्यान में रखते हुए मजदूर संगठनों को मान्यता देना

10406. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1959 में आयोजित राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन द्वारा अपनाई गई उद्योग संहिता को ध्यान में रखते हुए, कर्मचारी और प्रबंधकों के बीच मान्यता के संबंध में मानदण्डों की सातवीं मद की भावना के अन्दर कोई समझौता करना पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य निधि संगठन में केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि संगठनों के माध्यम से मान्यता देने की प्रक्रिया अपनाने के संबंध में सभी मजदूर संघों का कोई सम्मेलन बुलाया गया था और

(ग) यदि हां, तो उसमें उठाये गये मुद्दों और उनके बारे में किये गये निर्णय का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (ग) 1974 में

प्रथम बार मान्यता प्रदान करने से पहले, स्टाफ फैडरेशन के साथ परामर्श करके मान्यता प्रदान करने की वर्तमान प्रक्रिया तैयार की गई थी। तब यह निर्णय लिया गया कि मान्यता उद्योग में अनुशासन संहिता के अन्तर्गत दी जानी चाहिए। तब से वही प्रक्रिया चल रही है। इस उद्देश्य के लिए हर बार सत्यापन करने हेतु ट्रेड यूनियन संगठनों की बैठकें बुलाना आवश्यक नहीं समझा गया है।

रुग्ण फार्मेसी एककों का अधिग्रहण और उनको हुआ घाटा

10407. **श्री नवीन रवाणी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन रुग्ण फार्मेसी एककों के क्या नाम हैं जिनका सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि ये एकक अभी भी घाटे में चल रहे हैं, यदि हां, तो वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान कितना घाटा हुआ तथा इस प्रकार के घाटों के क्या कारण हैं;

(ग) उत्पादन को सुधारने तथा एककों को लाभकारी बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) उन फार्मेसी एककों का ब्यौरा क्या है जो अभी भी रुग्ण स्थिति में हैं, और

(ङ.) श्रमिकों के हित में उनका संचालन करने के लिए सरकार की क्या नीति है, ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे): (क) से (ङ.) भारत सरकार द्वारा अधिग्रहित तीन रुग्ण फार्मेसी एकक अर्थात् स्मिथ स्टैनस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि०, बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि० तथा बंगाल इम्युनिटी कंपनी अभी भी घाटे में चल रहे हैं। 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान इन कंपनियों को हुए घाटे का विवरण निम्न प्रकार है :

रु. लाख में

	1982-83	1983-84
1. स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट फार्मा० लि०	27.70	14.84
2. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मा० लि०	175.00	209.74
3. बंगाल इम्युनिटी कंपनी लि०	338.85	367.97

विपणन की कठिनाई, पावर की कमी तथा मशीनरी के नवीकरण तथा बदलाव आदि विभिन्न पहलुओं के कारण स्थापित क्षमता का आंशिक उपयोग ही उपरोक्त एककों के अभी भी घाटे में चलने का मुख्य कारण है।

ये कंपनियां अपने उत्पादन तथा बिक्री को बढ़ाने तथा उसमें परिवर्तित करने के लिए तथा अधिष्ठापित क्षमता के प्रयोग तथा बिक्री प्रोत्साहन में कमियों को दूर करने के लिए कदम उठा रही है।

भारत कोकिंग कोल लि० के महुलबनी भौरा साउथ एरिया के क्वार्टरों में सफेदी

10408 **श्री ऐ० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत कोकिंग कोल लि० के महुलबनी औरसाउथ, एरिया XI के क्वार्टरों में सफेदी पिछली बार कब की गई थी, उसकी तारीख कितनी है, उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी और सफेदी करने वाले ठेकेदार का नाम क्या है, तत्संबंधी ब्यौरेवार तथ्य क्या हैं;

(ख) क्या यह सच है कि तीन महीने के अन्दर दोबारा सफेदी करने के लिए एक नया प्राक्कलन तैयार किया जाता है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उनको इस बात की जानकारी है कि एरिया IX में सड़क और नाला बनाने, क्वाटरों की मरम्मत करने, रेत की ढुलाई करने के लिए एक ही काम को कागज पर बार-बार किया जाता है और अधिक मूल्य का बिल लिया जाता है तथा ऐसे कार्यों पर कुछ ठेकेदारों ने एकाधिकार किया हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) पिछली बार सफेदी अभी हाल ही में मार्च, 1984 में की गई है। यह काम दो ठेकेदारों अर्थात श्री त्रिपुरारी तिवारी और मेसर्स ब्राइट कांस्ट्रक्शन ने पूरा किया था और उन्हें क्रमश: रु० 15,785.93 और रु० 35,470.16 का भुगतान किया गया है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसा कोई उदाहरण जानकारी में नहीं आया है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

सरकार के समाजार्थिक उत्थानकार्यक्रमों को दर्शाने और आदिवासियों के शोषण प्रकाश में लाने वाली फिल्मों का निर्माण

10409. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिल्म प्रभाग की उत्पादन इकाइयों ने कला, संस्कृति सरकार के समाजार्थिक उत्थान कार्यक्रमों और मुख्यत: आदिवासियों के शोषण पर प्रकाश डालने वाली 16 मि० मी० की फिल्मों का उत्पादन प्रारम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक बनाई गई फिल्मों के नाम क्या है और ऐसी फिल्मों में जो कि मुख्यत: आदिवासियों के लिये है इकाई-वार कौन सी भाषाएं अपनाई गई;

(ग) उनके मंत्रालय द्वारा प्रत्येक फिल्म पर कितनी राशि व्यय की;

(घ) उत्पादन इकाइयों द्वारा बनाई गई फिल्में कौन सी है और उत्पादन इकाइयों द्वारा वित्त पोषण से फिल्म निर्माताओं द्वारा यदि कोई फिल्में बनाई गई हैं तो वे कौन सी; और

(ङ) वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान योजनानुसार और उत्पादन कार्यक्रमों के अनुसार इकाई-वार कौन कौन-सी फिल्में बनाई जायेंगी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्यमंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) **जी हां।**

(ख) से (ङ) (1) पूर्वी क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र कलकत्ता द्वारा निर्मित 16 मि० मी० लघु फीचर फिल्में :—

क्रम संख्या	निर्माण वर्ष	भाषा/बोली के साथ शीर्षक	हुआ व्यय
1	2	3	4
1.	1982	भोरेर आलो (बंगला)	2,35,000.00 रु०
2.	1983	पलेचेंई ना की कटी जोंग नगी (दि फ्यूचर इज अवर्स) (खासी)	2,50,000.00 रु०

1	2	3	4
3.	1983	जीवाकू देवी नाहिन (उड़िया)	1,36,118.86 रु०
4.	1983	सोनामुरार किरण किशोर (बंगला)	2,55,000.00 रु०
5.	1983	पाओखम अम्ब (मणिपुरी)	2,55,000.00 रु०
6.	1984	मोहेमुक्ति (संथाली)	2,05,000.00 रु०
7.	1984	जागरण (उड़िया)	2,45,000.00 रु०
8.	1984	यापि (आदि)	2,25,000.00 रु०

(2) दक्षिण क्षेत्रीय निर्माण केन्द्र, बंगलौर द्वारा निर्मित 16 मि० मी० लघु फीचर फिल्में :

9.	1983	क्रुयय डोम्बनाडा (कन्नड़)	2,38,219.70 रु०
10.	1983	सुगंधगिरी (मलयालम)	2,06,400.00 रु०
11.	1983	आदीवी पूबुलु (तेलुगु)	2,40,000.00 रु०
12.	1984	सुग्गी कुनिया (कन्नड़)	2,30,000.00 रु०

भिवन्डी जिला थाणे (महाराष्ट्र) में दूरसंचार की खराब स्थिति के बारे में अभ्यावेदन

10410. **श्री जगन्नाथ पाटिल :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्हें तथा उनके मंत्रालय में उपमंत्री को भिवन्डी वाणिज्य तथा

उद्योग मंडल के अध्यक्ष से महाराष्ट्र में भिवन्डी जिला थाणे में दूरसंचार की खराब स्थिति के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलंब होने के क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

कानपुर में अनाधिकृत टेलीफोनों का पता लगाया जाना

10411. **श्री रामविलास पासवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 22 फरवरी, 1984 के दैनिक 'आज' कानपुर में नया गंज में सट्टेबाजी का भंडाफोड़, 30 व्यक्ति गिरफ्तार शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा कानपुर में अब तक कितने अनाधिकृत टेलीफोनों का पता लगाया गया है तथा दोषी व्यक्तियों और कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार वे क्या कार्यवाही की है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) दिनांक 22 फरवरी 84 के कानपुर के "आज" हिन्दी दैनिक में प्रकाशित समाचार को निराधार बतलाया गया है। कानपुर शहर के पुलिस प्राधिकारियों ने अभी तक न तो इस समाचार की पुष्टि की है और न ही कानपुर टेलीफोन के उन अधिकारियों/कर्मचारी के नाम ही बतलाए हैं जिन्हें पकड़ा गया था अथवा छापे में पहचाना गया था, जैसा कि समाचार है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बिहार राज्य में टेलीफोन यूनिट की स्थापना

10412. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार केन्द्र सरकार से राज्य में टेलीफोन यूनिट स्थापित करने की मांग काफी समय से कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त मांग के बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन०पाटिल) : (क) और (ख) जी नहीं, केवल सन् 1979 में बिहार राज्य शासन के उद्योग मंत्री से, बिहार में इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के एक कारखाने की स्थापना पर विचार करने के लिए एक पत्र प्राप्त हुआ था ।

(ग) आई० टी० आई० की टेलीफोन उपकरण, निजी स्वचल एक्सचेंज/ग्रामीण स्वचल एक्सचेंज/ट्रंक स्वचल एक्सचेंज की अधिकतर परियोजनाएं मौजूदा एककों की परियोजनाओं के विस्तार के रूप में हैं। सरकार ने, जुलाई, 1982 में औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के विकास की दृष्टि से मनकापुर (गोंडा) उत्तर प्रदेश में आई० टी० आई० के अधीन पहला डिजिटल इलेक्ट्रानिक स्विचिन कारखाना स्थापित करने का निर्णय लिया था। सरकार ने, दूरसंचार समिति (सरीन समिति) और सरकारी उद्यमों की विशेषज्ञ समिति (फजल समिति) की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, बंगलौर में आई० टी० आई० के अधीन, 5 लाख समतुल्य लाइनों की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला दूसरा इलेक्ट्रानिक स्विचिंग प्रणाली का कारखाना स्थापित करने का भी निर्णय लिया है। आई० टी० आई० का और कोई कारखाना लगाने का प्रस्ताव नहीं है।

बिहार राज्य इलेक्ट्रानिक विकास निगम को इलेक्ट्रानिक ग्रामीण स्वचल (आर० ए० एक्स०) उपस्कर की प्रतिवर्ष 50,000 लाइनें बनाने के लिए एक आशय पत्र दिया गया है।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में अनुसूचित जातियों की पदोन्नति

10413. **श्री भीखा भाई :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यूनियन के साथ किये गये एक समझौते के अनुसार दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान अनुसूचित जातियों के कुछ व्यक्तियों की पदोन्नति की गई थी;

(ख) यदि हां, तो अनुसूचित जन-जातियों के कर्मचारियों को भी समान दर्जा न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को अनारक्षित करने के क्या कारण हैं;

(घ) उपयुक्त प्रक्रिया को अपनाये बिना आरक्षित पदों पर सामान्य उम्मीदवारों की भर्ती करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन पदों को आगे तक न ले जाये जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) डेसु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कामगार एसोसिएशन के साथ कई बैठक के दौरान हुए छूट के लिए सहमति के अनुसार वर्ष 1979 और 1980 के दौरान अनुसूचित जाति के कुछ कर्मचारियों की तदर्थ आधार पर पदोन्नति की गई थी। उस समय उस छूट के साथ अनुसूचित जनजाति का कोई कर्मचारी पदोन्नति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं था।

(ग) से (ङ) अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त स्थानों का अनारक्षित नहीं किया गया है, परन्तु जैसे ही वे लोग पात्र होंगे, इन रिक्त स्थानों का भविष्य में भरने के लिए आगे ले जाया गया है। इस बीच, कार्यहित को ध्यान में रखते हुए रिक्त स्थानों को सामान्य उम्मीदवारों में से पूर्णतः तदर्थ आधार पर भर लिया गया है।

औषधों और भेषजों का आयात

10414. **श्री नवीन रवाणी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में विभिन्न देशों में कौन सी तथा कितनी धनराशि की औषधियां और भेषजों का आयात किया गया है ;

(ख) क्या आयात की जाने वाली औषधियों और भेषजों का उनके आयात पर खर्च की जाने वाली लागत पर भारत में निर्माण किया जा सकता है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) वर्ष 1981-82 से 1983-84 तक के दौरान आयात किए गए बल्क औषधों और मध्यवर्तियों सहित तैयार फार्मूलेशनों, रसायनों और घोलकों तथा यांत्रिकी गर्भ निरोधकों का मूल्य नीचे दिया गया है :—

वर्ष		मूल्य
1981-82	—	136.77 करोड़ रुपए
1982-83	—	148.48 करोड़ रुपए
1983-84	—	79.54 करोड़ रुपए

वर्ष 1982-83 और 1981-82 में औषधों के प्रमुख आयातों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है ।

(ख) और (ग) सामान्यत: उन औषधों पर दवाईयों का आयात करने की अनुमति दी जाती है जिनका देश में निर्माण नहीं किया जाता अथवा जिनका स्वदेशी उत्पादन देश की मांग को पूरा करने में अपर्याप्त है । आयातित दवाईयों की तुलना में स्वदेश में उत्पादित दवाईयों का लागत ढांचा भिन्न-भिन्न औषधों के लिए भिन्न-भिन्न होता है ।

सरकार सामान्यत: स्वदेशी उत्पादन को प्रोत्साहन देती है विशेषकर यदि वह आयात प्रतिस्थापन के लिए हो और साथ ही साथ उपयुक्त मूल्यों पर अनिवार्य औषधो की उपलब्धता सुनिश्चित करता हो ।

विवरण

क्र० सं०	औषध का नाम	सी०आई०ए०एफ० मूल्य (रु० लाखों में) 1981-82	सी०आई०ए० एफ० मूल्य (रु० लाखों में) 1982-83
1	2	3	4
1.	रिफाम्पिसिन	663.02	1205.70
2.	क्लोरोक्वीन साल्ट (बल्क)	411.56	523.20
3.	एल-बेस (अमीनोडियल)	570.20	404.35
4.	विटामिन बी-6	190.90	304.30
5.	प्रेडनीसोलोन	61.35	187.60
6.	अमोक्सिसिन ट्राइहाइड्रेट	229.03	186.22
7.	सिफैलोक्सिन	29.44	158 17
8.	थियोफाइलिन	99.80	154.67
9.	एम्पिसिलिन सोडियम	127.31	149.82
10.	कोन्ट्रैक्टिव मेकेनिकल (वेल्यू आनली)	43.57	1,144.85
11.	एम्पिसिलिन ट्राइहाइड्रेट	210.82	137.13
12.	पाइरेजिनामाइड	113.45	124.75
13.	ग्रीसोफ्लविन	126.52	122.03
14.	आक्सीटेट्रासाइक्लीन	92.30	116.35
15.	इफीड्रीन	47.00	114.79
16.	डेक्सामेथाजोन और इसके लवण	98.24	113.93

हजारीबाग में रांची पालामऊ और उत्तरी कर्णपुरा में कोयले के भण्डार

10415. **श्री ए० के० राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हजारीबाग के रांची, पालामऊ और उत्तरी कर्णपुरा क्षेत्र में कितनी मात्रा में और किस किस्म के कोयले के भंडार हैं ;

(ख) इन क्षेत्रों से कोयला निकालने के लिए अब तक कौन सी परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है ;

(ग) भविष्य की योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(घ) खनन में आने वाली बाधाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या इन पिछड़े क्षेत्रों में शीघ्र परियोजनाएं शुरू करने के लिए उन्हें राज्य सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) नार्थ करनपुरा कोयला क्षेत्र में बिहार के रांची, पलामू और हजारीबाग जिले हैं और इसमें कुल अनुमानित कोयला भंडार लगभग 10,000 मि० टन हैं। इस कुल अनुमानित भंडार में से 3,600 मि० टन बढ़िया किस्म का कोयला और 6,400 मि० टन घटिया किस्म का कोयला होने का अनुमान है।

(ख) अभी तक नार्थ करनपुरा कोयला क्षेत्र से कोयला निकालने के लिए आठ परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं।

(ग) सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि० की योजना सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस कोयला क्षेत्र में नई परियोजनाएं खोलने और बाकी का विस्तार करने की है ताकि यहां कोयले का उत्पादन 1983-84 के 4.35 मि० टन से बढ़ाकर 1989-90 में 10.50 मि० टन कर दिया जाए। छ परियोजनाएं बनाई जा रही है और सातवीं योजना अवधि के दौरान बना ली जाएंगी।

(घ) आधारभूत सुविधाओं जैसे संचार साधन, बिजली की सप्लाई, जल-पूर्ति आदि की कमी इस कोयला क्षेत्र के विकास में प्रमुख अड़चन है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

हवा और सौर ऊर्जा का उपयोग

10416. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में हवा और सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उपयोग के लिए सरकार ने एक कार्यकारी दल का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत विभाग की सातवीं पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए सरकार ने हाल ही में एक कार्यकारी दल का गठन किया है। हवा और सौर ऊर्जा सहित ऊर्जा के नए स्त्रोतों के लिए आगामी पांच वर्षों के लिए कार्यदल की शर्तें, साथ-साथ सिफारिश की गई नीति और कार्यक्रम के अनुसार हैं। कार्यकारी दल ने अभी तक अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत नहीं की है।

बिहार और उड़ीसा के जनजाति बहुल क्षेत्रों में लौह अयस्क खानों का बन्द किया जाना

10417. **श्री लक्ष्मण मलिक**
श्री नित्यानन्द मिश्र } : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार तथा उड़ीसा में जनजाति बहुल क्षेत्रों में लौह अयस्क खानों को बन्द करने का निर्णय लिया है, जिससे अनेक जनजाति व मजदूर बेरोजगार हो जायेंगे ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें बन्द करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार ने इन जनजाति लोगों की आजीविका के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। यह सूचित किया गया है कि खनिज और धातु व्यापार निगम निर्यात तथा घरेलू स्टील प्लांटों को सप्लाई करने के प्रयोजनार्थ उड़ीसा और बिहार राज्यों से पूर्वी क्षेत्रों में लौह अयस्क प्राप्त कर रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

नेशनल फेडरेशन आफ इंशोरेंस फील्ड वर्कर्स की त्रिवेन्द्रम डिवीजनल एसोसिएशन का अभ्यावेदन

10418. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फेडरेशन आफ इंशोरेंस फील्ड वर्कर्स की त्रिवेन्द्रम डिवीजनल एसोसिएशन ने सरकार को जनवरी, 1984 में एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है ; और

(ख) यदि हां, तो अभ्यावेदन की मुख्य बातें क्या हैं और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) नेशनल फैडरेशन आफ इंशोरेंस फील्ड वर्कर्स आफ इंडिया त्रिवेन्द्रम डिवीजन के जनरल सैक्रेटरी ने 30 जनवरी, 1984 को वरिष्ठ डिवीजनल प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम, डिवीजनल कार्यालय, त्रिवेन्द्रम को एक अभ्यावेदन भेजा था तथा इसकी प्रति सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) त्रिवेन्द्रम को को पृष्ठांकित की थी ।

(ख) अभ्योवदन की मुख्य बातें ये हैं—वार्षिक ग्रेड वेतन-वृद्धि न देना, मूल वेतन और भत्तों में कमी और विकास अधिकारियों के रोजगार को समाप्त करना ।

क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) मद्रास ने यह मामला संराधन के लिए उठाया । औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबंध के अनुसार संराधन कार्यवाहियां अभी पूरी नहीं हुई है ।

दिल्ली में डाक वस्तुएं बांटने की बारम्बारता का कम किया जाना

10419. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाकतार विभाग द्वारा दिल्ली में पत्र तथा अन्य डाक वस्तुएं बांटे जाने की बारंबारता क्या है ;

(ख) क्या डाक विभाग द्वारा हाल ही में डाक वस्तुए बांटने की बारम्बारता कम कर दी गई है या इसके कम किए जाने का विचार है ; यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि डाक वस्तुएं बांटने की बारम्बारता कम करने से जनता को अत्यधिक असुविधा होगी ; और

(घ) यदि हां, तो डाक तार विभाग द्वारा पुरानी बारम्बारता बहाल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) दिल्ली में वितरण डाकघरों से पत्रों और अन्य डाक वस्तुओं का वितरण दिन में तीन बार किया जाता है परन्तु 8 डाकघर ऐसे हैं जहां से वितरण दिन में चार बार किया जाता है।

(ख) किसी भी डाकघर में डाक वितरण की आवृति आने वाली डाक की मात्रा और नमूनों पर निर्भर करती है। फील्ड यूनिटों को वितरण संख्या के युक्तिसंगत पुनर्गठन के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं जिससे प्रतिदिन वितरण की अधिकतम संख्या 3 तक सीमित रहे।

(ग) वितरण की संख्या जनता को बिना कोई असुविधा पहुंचाए बचत और दक्षता पर यथोचित ध्यान देते हुए निर्धारित की गई है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

केरल में ग्रुप डायलिंग प्रणाली के अंतर्गत टेलीफोन केन्द्र

10420. **श्री नीलालोहितदसन नाडार** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय केरल के कितने टेलीफोन केन्द्र ग्रुप डायलिंग प्रणाली के अंतर्गत लाए गए हैं ; तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या सरकार का विचार केरल के त्रिवेन्द्रम जिले के कांजीवमकुलम एक्सचेंज को इस प्रणाली के अंतर्गत लाने का है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) केरल के कुल 522 टेलीफोन एक्सचेंजों में से 290 एक्सचेंजों को ग्रुप डायलिंग प्रणाली के अंतर्गत लाया गया है। इससे 40 ग्रुप डायलिंग केन्द्रों का परिपथ जाल बन गया है।

(ख) कांजीवमकुलम में ग्रुप डायलिंग सुविधा पहले से है।

(ग) कांजीवमकुलम से नेयात्तिंकारा, बलरामपुरम, पुवर, ओट्टासेखारामंलम, परास्तला, वेल्लाराडा और कराकोरम को तथा इन स्थानों से कांजीवमकुलम के लिए ग्रुप डायलिंग सुविधा उपलब्ध है।

केरल दूरसंचार सर्किल के कर्मचारियों के लिए मुन्नार अथवा कुमिली में होलीडे होम खोलना

10421. **श्री ए० नीलालोहितदसन नाडार** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूर संचार विभाग द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए चलाई गई कल्याण गतिविधियों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) केरल दूरसंचार सर्किल में इस प्रकार की कार्यान्वित की जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या केरल दूरसंचार सर्किल के कर्मचारियों के लिए कुमिली की तरह ही मुन्नार में भी एक होलीडे होम खोलने का प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) विभाग द्वारा किए जाने वाले कल्याण कार्य इस प्रकार हैं :

गंभीर या लम्बी बीमारी । सर्किल आपरेशन के दौरान आर्थिक सहायता देना, बाढ़, आग आदि के कारण हुई क्षति के लिए सहायता देना, किसी कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में परिवार की मदद करना, कर्मचारियों के बच्चों को छात्रवृत्ति देना, मनोरंजन क्लब और कैंटीन खोलना, होलीडे होम स्थापित करना, टी०बी० के रोगी कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए टी० बी० बेड का आरक्षण करना, विकलांग कर्मचारियों एवं उनके परिवार के सदस्यों को कृत्रिम उपकरण आदि खरीदने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना ।

(ख) उपर्युक्त सभी कार्य केरल दूरसंचार सर्किल द्वारा भी किए जा रहे हैं । केरल दूरसंचार सर्किल के कर्मचारी केरल सर्किल के त्रिवेन्द्रम और कुमिली स्थित होलीडे होमों सहित देश भर के 21 होलीडे होमों की सुविधा से लाभ उठा सकते हैं । केरल सर्किल में पुलयनरकोट्टै के चैस्ट डिजीज सैनिटोरियम में टी० बी० बेड आरक्षित रखे गए है ।

(ग) और (घ) मुन्नार में भी एक होलीडे होम खोलने का प्रस्ताव है । इसके लिए भूमि का अधिग्रहण करने और इमारत बनाने का प्रयास किया जा रहा है । इस समय कोई उपयुक्त इमारत उपलब्ध नहीं है । कुमिली में एक किराये के आवास में होलीडे होम स्थापित कर दिया गया है और यह 1-5-84 से खुल गया है ।

अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ श्रेणी तीन, मुरादाबाद से प्राप्त शिकायतें

10422. **श्री आनन्द पाठक** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें अखिल भारतीय डाक कर्मचारी संघ श्रेणी तीन (आल इंडिया पोस्टल इम्पलाईज यूनियन क्लास थ्री) मुरादाबाद से दिनांक 2 अप्रैल, का एक खुला पत्र प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो पत्र के मुख्य मुद्दे क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार शिकायतों की जांच हेतु कदम उठा रही है ; और

(घ) क्या उन पर कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो किस प्रकार की जांच के आदेश दिए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) पत्र में उन पांच ज्ञापनों का उल्लेख है जो लखनऊ के पोस्टमास्टर जनरल को यूनियन द्वारा पहले ही प्रस्तुत किए जा चुके हैं । ये ज्ञापन डाक-तार निदेशालय में उपलब्ध नहीं है और इनके बारे में पोस्टमास्टर जनरल से एक रिपोर्ट मांगी गई है ।

(ग) और (घ) पोस्टमास्टर जनरल की रिपोर्ट की जांच करने के पश्चात आगे कार्रवाई यदि कोई हो, की जाएगी ।

बिजली की कमी के कारण गुजरात में उद्योग पर विपरीत प्रभाव

10423. **श्री नवीन रवाणी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वर्ष 1983-84 के दौरान बिजली की कमी के कारण गुजरात में उद्योग पर विपरीत प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो गुजरात राज्य में वर्ष 1984-85 के दौरान बिजली की सामान्य सप्लाई पुन: आरम्भ करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) गुजरात अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को कुल मिलाकर पूरी तरह पूरा करने के लिए 1983-84 के दौरान सक्षम हो जाएगा। यहां पर दिन के दौरान सप्लाई तथा मांग में अन्तर था तथा इस अन्तर को पूरा करने की दृष्टि से राज्य ने उच्च वोल्टता वाले उद्योगों पर औसतन 20-25% मांग कटौती लगाई थी । सप्लाई तथा मांग में अन्तर मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से है :—

(1) तारापुर यूनिट सं० II (210 मेगावाट) में पुन: ईंधन भरने के लिए लम्बी अवधि की बन्दी ।

(2) उकई ताप विद्युत यूनिट सं० 1 (120 मेगावाट) की ओवरहालिंग के लिए तथा अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कम्पनी की 110 मेगावाट की यूनिट में स्टार्टर मरम्मत के लिए लम्बी अवधि की बंदी ।

(3) बड़े अनुरक्षण कार्यों के कारण कार्य कर रहे अन्य ताप विद्युत सेटों से प्रतिबंधित उत्पादन उपलब्धता ।

(ख) मई, 1984 में बंदी वाली यूनिटों को पुनः चालू करने तथा अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता चालू होने से गुजरात में 1984-85 में विद्युत स्थिति संतोषजनक होने की संभावना है।

केरल के मालापुरम जिले में खाना पकाने की गैस की सप्लाई

10424. **श्री जो० एम० बनातवाला** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खाना पकाने की सुविधाओं के लिए खाना पकाने की गैस की सप्लाई में केरल के मालापुरम जिले की उपेक्षा की गई है और इस संबंध में उक्त जिले की सही स्थिति क्या है ; और

(ख) उक्त जिले के विभिन्न स्थानों में खाना पकाने की गैस की पर्याप्त सप्लाई करने के लिए किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) मालापुरम जिले के चार शहरों अर्थात मालापुरम, मंजेरी, पोन्नानी और तिरूर की जनसंख्या 20,000 से अधिक है । मालापुरम और मंजेरी में पहले ही एल० पी० जी० की सुविधायें उपलब्ध है । तिरूर में जुलाई 1984 तक एल० पी० जी० की एक एजेन्सी चालू किये जाने की संभावना है । पोन्नानी को तेल उद्योग को 1982-84 की एल० पी० जी० विपणन योजना (भाग 2) में शामिल किया गया है ।

विद्युत का राज्य-वार आबंटन और आर्थिक सहायता

10425. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान क्षेत्र-वार और राज्य-वार विद्युत का वर्ष-वार कितने मेगावाट का आबंटन किया गया और आर्थिक सहायता प्रदान की गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : छठी पंचवर्षीय योजना में 19666 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता को चालू करने की परिकल्पना है । छठी पंचवर्षीय योजना के आरम्भ की गई परिकल्पना के अनुसार राज्यवार तथा वर्ष-वार चालू की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता संलग्न विवरण में दी गई है । विभिन्न राज्यों के लिए वर्ष-वार अनुमोदित परिव्यय भी इस विवरण में दिया गया है ।

विवरण

1. छठी योजना में जोड़े जाने वाली क्षमता संबंधी कार्यक्रम (मेगावाट में) वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा

क्षेत्र/राज्य का नाम	1980-81 (मेगा०)	1981-82 (मेगा०)	1982-83 (मेगा०)	1983-84 (मेगा०)	1984-85 (मेगा०)	जोड़ (मेगा०)
1	2	3	4	5	6	7
उत्तरी क्षेत्र						
हरियाणा	60	—	—	183	211	454
पंजाब	—	50	48·5	206	367·5	672
हिमाचल प्रदेश	15	—	21	2	—	038
उत्तर प्रदेश	272	200	320	430	750	1972
राजस्थान	—	110	160	193	33	496
जम्मू व कश्मीर	—	—	—	—	—	—
चण्डीगढ़	—	—	—	—	—	—
दिल्ली	—	—	—	—	—	—
केन्द्रीय	220	480	420	420	—	1540
जोड़	567	840	969.5	1434	1361·5	5172
दक्षिणी क्षेत्र						
आन्ध्र प्रदेश	310	445	340	—	—	1095
कर्नाटक	135	270	270	210	1310	1195
केरल	—	—	75	—	50	125
तमिलनाडु	—	210	120	100	200	630
लक्षद्वीप	—	—	—	—	—	—
केन्द्रीय	235	235	—	420	630	1520
जोड़	680	1160	805	730	1190	4565

1	2	3	4	5	6	7
पश्चिमी क्षेत्र						
गुजरात	—	420	425	60	370	1175
मध्य प्रदेश	120	210	684	54	420	1488
महाराष्ट्र	500	810	446	678	210	2644
केन्द्रीय	—	—	210	420	—	630
जोड़	620	1440	1765	1212	900	5937
पूर्वी क्षेत्र						
बिहार	65	110	220	220	110	725
उड़ीसा	110	110	—	180	160	560
पश्चिमी बंगाल	330	218	440	330	50	1368
दामोदर घा० नि०	210	—	—	40	210	460
सिक्किम	—	—	—	—	—	—
अण्डमान निकोबार	—	—	—	—	—	—
केन्द्रीय	—	—	—	—	210	210
जोड़	715	438	660	770	740	3323
उत्तर पूर्वी क्षेत्र						
असम	105	103	—	90	110	408
अरुणाचल प्रदेश	—	—	—	—	—	—
मणिपुर	—	—	—	—	—	—
मेघालय	—	—	—	—	—	—
मिजोरम	—	—	—	—	—	—
नागालैंड	—	1	—	—	—	1
त्रिपुरा	—	—	5	—	—	5
केन्द्रीय/उ०पू० परिषद	—	105	150	—	—	256
जोड़	105	209	155	90	110	669

2. छठी योजना के लिए अनुषोदित परिव्यय-वर्षवार तथा राज्यवार :—

(करोड़ रु० में)

					अनन्तिम
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	159.32	155.53	173.53	135.00	200.00
2. असम	74.80	77.47	90.70	108.35	108.05
3. बिहार	120 88	137.49	155.73	15.50	169.60
4. गुजरात	110.00	163.07	209.00	265.00	260.00
5. हरियाणा	73.73	80.46	102.50	135.15	137.97
6. हिमाचल प्रदेश	20.81	23.32	29.92	37.20	45.00
7. जम्मू व कश्मीर	21.25	28.74	24.36	27.75	35.00
8. कर्नाटक	99.50	121.50	141.81	174.06	168.11
9. केरल	50.07	50.09	50.00	62.50	71.50
10. मध्य प्रदेश	222.03	264.00	300.00	343.80	400.50
11. महाराष्ट्र	318.61	350.94	440.00	449.29	450.34
12. मणिपुर	3.78	3.80	4.47	4.50	5.34
13. मेघालय	8.59	9.00	9.00	9.50	11.00
14. नागालैण्ड	2.63	2.90	3.12	3.41	3.70
15. उड़ीसा	73.45	75.44	84.00	891.20	95.74
16. पंजाब	104.31	133.60	189.38	215.05	215.05
17. राजस्थान	117.27	117.12	114.09	122.08	122.03
18. सिक्किम	2.60	2.26	2.50	2.30	2.98
19. तमिलनाडु	154.96	167.06	220.00	272.42	237.17
20. त्रिपुरा	3.57	3.74	4.61	5.55	5.55
21. उत्तर प्रदेश	301.35	354.95	100.16	485.44	485.44
22. पश्चिम बंगाल	144.70	144.00	163.35	141.01	141.01
23. संघ शासित क्षेत्र	38.25	41.98	53.15	63.63	74.40
24. केन्द्रीय योजना	508.42	701.00	929.26	1322.47	1764.42

पोटेशियम उर्वरक का देश में उत्पादन

10426. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा वर्ष 1981-82 से पोटेशियम उर्वरकों के आयातों में वृद्धि, जो वर्ष 1955-56 में 10 हजार टन थी उसके वर्ष 1981-82 में बढ़कर 644 हजार टन हो जाने तथा इन 26 वर्षों के दौरान पोटेशियम उर्वरक का कोई स्थानीय उत्पादन न किये जाने को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1981-82 से पोटेशियम उर्वरक का देश में ही उत्पादन करने के लिए कोई प्रयास किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) वाणिज्यिक उपयोग के लिए पोटाशिक सामग्री का कोई स्वदेशी भण्डार नहीं है । अतः पोटेशिक उर्वरकों का उत्पादन देश में नहीं होता है तथा समस्त आवश्यकता आयात द्वारा पूरी की जाती है ।

जपोर कोरापुट और रायगडा के लिए स्वचलित एक्सचेंज भवनों का निर्माण

10428. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के दूरसंचार सर्किल ने जैपोर, कोरापुट और रायगड़ा के वर्तमान हस्तचालित एक्सचेंजों को स्वचालित एक्सचेंजों में परिवर्तित करने के लिए व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है और उसे स्वीकृति और धन की मंजूरी करने के लिए उनके मंत्रालय को प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो सर्किल द्वारा रिपोर्ट कब भेजी गयी थी उसके अनुमानों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय ने इन प्रस्तावों की जांच कर ली है ; और

(घ) यदि हां, तो वर्ष 1983-84 और 1984-85 के दौरान जैपोर कोरापुट और रायगड़ा के स्वचालित एक्सचेंजों के भवनों के निर्माण के लिए कितना धन दिया गया है और उन स्वचालित एक्सचेंजों को लगाने के लिए कौन से उपकरण दिए गए हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जैपोर, कोरापुट और

रायगडा के मौजूदा मैनुअल एक्सचेंजों के स्वचलीकरण की योजना बनाई गई है। यह प्रस्ताव मंत्रालय को भेज दिया गया है।

(ख) परियोजना प्राक्कलन तैयार किए जा रहे हैं और सर्किल द्वारा सामान्यतया मंजूर कर दिए जाएंगे।

(ग) यदि सर्किल द्वारा ये प्राक्कलन लाभकारी न पाए गए तो परियोजना प्राक्कलनों की निदेशालय द्वारा जांच की जाएगी। क्योंकि ऐसे सभी प्राक्कलनों को निदेशालय भेजा जाना होता है।

(घ) टेलीफोन एक्सचेंजों की इमारतों के निर्माण के लिए 1984-85 के बजट प्राक्कलन में राशि की व्यवस्था की गई है। सातवीं योजना के दौरान स्वचलीकरण के पूरा हो जाने की संभावना है। उपस्कर और उपकरणों की सप्लाई फैक्टरी द्वारा की जाएगी। उपस्कर का 1982-83, 1984-85 और 1983-84 के सप्लाई कार्यक्रम में क्रमशः आबंटन कर दिया गया है। जैपोर एक्सचेंज की इमारत के लिए 8.88 लाख रु० कोरापुट एक्सचेंज की इमारत के लिए 10 लाख रु० और रायगडा एक्सचेंज की इमारत के लिए 8.88 लाख रु० मंजूर किए गए हैं।

उड़ीसा के कोरापुट जिले में वर्ष 1982--85 के दौरान शाखा डाकघर, उप डाकघर और प्रधान डाकघर खोलना

10429. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा सर्किल द्वारा कोरापुट जिले में अब तक कुल कितने शाखा डाकघर उप डाकघर और प्रधान डाकघर खोले गए हैं और वर्ष 1984—85 के दौरान कितने डाकखाने खोलने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में डाकखानों को खोलने के नियमों और मानदंडों को उदार बनाया गया है तो महत्वपूर्ण शाखाओं का दर्जा बढ़ाकर उन्हें उप्डाकघर करने और उस जिले में प्रधान डाकघर के खोलने में देरी करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या उनके मंत्रालय का विचार, डाक सेवाओं के विकास के लिए उड़ीसा के कोरापुट जिले में संचार संबंधी अवरोधों और जिले के पहाड़ी और भीतरी क्षेत्रों तथा गांवों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे नये डाकघर खोलने हेतु उड़ीसा सर्किल को शाखा डाकघरों, उप-डाकघरों और प्रधान डाकघरों को पुनर्गठन करने के अनुदेश जारी करने का है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क)

	शाखा डाकघर	उप डाकघर	मुख्य डाकघर
अब तक खोले गए डाकघर	507	91	3
1984-85 के दौरान खोले जाने वाले प्रस्तावित डाकघर	4	13	शून्य

(ख) जनजातीय इलाकों में केवल शाखा डाकघर खोलने के लिए ही मानदंडों में ढील दी जाती है। विभागीय उप-डाकघरों और मुख्य डाकघरों के लिए जनजातीय इलाकों हेतु विशेष मानदंड नहीं है।

(ग) और (घ) पोस्टमास्टर जनरल के समक्ष जनजातीय और पिछड़े इलाकों के आधार पर विशेष लक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं। विभागीय उप डाकघर एवं मुख्य डाकघर खोलने के उद्देश्य से देश के सभी भागों के लिए मानदंड समान है। अतः इसके लिए विशेष निर्देश देने की आवश्यकता महसूस नहीं की गई।

उड़ीसा में जयपुर से तालचेर तक 200 के० वी० लाइन

10430. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा सरकार ने जयपुर से तालचेर तक 200 के० वी० लाइन का निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया था और इसके लिए उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड को धन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार ने राज्य के राजकोष से करोड़ों रुपये व्यय करने के बाद उनके मंत्रालय से उक्त लाइन का निर्माण करने का सुझाव दिया है ;

(ग) यदि हां, तो उसे क्रियान्वित करने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किए जाने के क्या कारण हैं ; और

(घ) उनके मंत्रालय ने उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड ने जैपोर से तलचेर तक एक 400 के० वी० सिंगल सर्किट पारेषण लाइन का निर्माण कार्य

आरम्भ कर दिया था। उड़ीसा रा० बि० बोर्ड ने सूचित किया है कि इसने योजना पर 8.96 करोड़ रु० व्यय किए हैं।

(ख) और (ग) जी, हां। जैपोर-तालचेर 400 के० वी० पारेषण लाइन एक ऐसी लाइन है जो कि अन्ततः राष्ट्रीय विद्युत ग्रिड का एक अंग बनने के लिए निर्धारित की गई है। तदनुसार भारत सरकार तथा उड़ीसा सरकार इस लाइन का केन्द्रीय क्षेत्र के अन्तर्गत निर्माण करने के लिए सहमत हो गई हैं।

(घ) जैपोर-तलचेर लाइन का कार्यान्वयन केन्द्रीय क्षेत्र में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम द्वारा किए जाने के प्रस्ताव पर पहले ही अनुमोदन कर दिया गया है।

पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों को दिया जा रहा कमीशन

10431. **श्री के० मालन्ना :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेट्रोल डीलरों को प्रति लिटर पेट्रोल में दिये जा रहे कमीशन की राशि का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि कमीशन की दरें बहुत कम होने के कारण पेट्रोलियम उत्पादों में बड़े पैमाने पर मिलावट की जाती है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पेट्रोल की बिक्री के लिए डीलरों को दी जाने वाली कमीशन की दर नीचे दी गई है :

स्लेब	कमीशन की दर	
(बिक्री किलो लिटर प्रतिवर्ष में)	रुपये/किलो लिटर	पैसे प्रति लिटर
01 से 360	135	13.5
361 से 600	99	9.9
601 से 1080	87	8.7
1080 से अधिक	70	7.0

(ख) जी, नहीं।

रक्षित विद्युत प्रजनन एकक

10432. **श्री के० मालन्ना :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ध्यान दिया है कि विभिन्न उद्योगों द्वारा स्थापित ऊर्जा प्रजनन यूनिटों (कैप्टिव पावर जैनरेटिंग यूनिट्स) पर अत्याधिक लागत आती है ;

(ख) क्या यह सच है कि जबकि ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता है ऐसे जैनरेटिंग सेट्स में डीजल आदि जैसे ईंधन की दुगनी मात्रा से अधिक की खपत होती है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार अभी भी ऐसे एकल "जैनरेटिंग सेटों" की स्थापना को प्रोत्साहित करेगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां): (क) से (ग) कैप्टिव विद्युत उत्पादन सेटों की कीमत, यूनिट के आकार तथा इनके प्रचालन के लिए अपेक्षित ईंधन के स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। औद्योगिक यूनिटों से प्राप्त ठोस प्रस्तावों पर, प्रत्येक विशिष्ट मामले के गुण-दोषों के आधार पर कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। सामान्यत: कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को स्थापित करने के लिए औद्योगिक यूनिटों को अनुमति दे दी जाती है यदि विद्युत की आवश्यकता काफी अधिक होती हैं और सतत एवं सुनिश्चित विद्युत सप्लाई आवश्यक होती है। तेल पर आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। जिन उद्योगों में संसाधित भाप की आवश्यकता होती है उनके लिए विद्युत और ऊष्मा के संयुक्त उत्पादन की सुविधा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों वाले को प्रोत्साहन दिया जाता है। उद्योगों की विद्युत की आवश्यकताओं को पूरा करने में विद्युत सप्लाई की अनुपूर्ति करने संबंधी भूमिका को ध्यान में रखते हुए कैप्टिव विद्युत के उत्पादन के महत्व का मूल्यांकन किया जा सकता है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और आयल इंडिया लिमिटेड द्वारा 1982-83 और 1983-84 के दौरान कमाया गया मुनाफा

10433. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग और आल इंडिया लिमिटेड द्वारा 1982-83 और 1983-84 के दौरान कमाए गए मुनाफे का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि देश के कुछ तेल शोधक कारखाने घाटे पर चल रहे हैं ;

(ग) यदि हां, तो इन तेल शोधक कारखानों का ब्यौरा क्या है तथा उपर्युक्त अवधि के दौरान उन्हें कितना घाटा हुआ तथा उसके क्या कारण थे ; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क)

	कर से पूर्व लाभ तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग	कर से पूर्व लाभ आल इंडिया लि०
1982-83	1,182.87 करोड़ रु०	221.09 करोड़ रु०
1983-84	1,669.64 करोड़ रु० (अस्थायी)	194.76 करोड़ रु० (अस्थायी)

(ख) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

सोडा ऐश का उत्पादन और आयात

10434. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोडा ऐश का उत्पादन करने वाले कारखानों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) इन कारखानों द्वारा वर्ष 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान सोडा ऐश का कितना उत्पादन किया गया ;

(ग) देश में सोडा ऐश की वार्षिक खपत कितनी है ;

(घ) मांग को पूरा करने हेतु उक्त अवधि के दौरान कितना सोडा ऐश का आयात किया गया ;

(ङ) क्या देश में मांग को पूरा करने हेतु निकट भविष्य में नए एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) वर्ष 1984-85 के दौरान सोडा ऐश के आयात के बारे में सरकार की क्या नीति है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) इस समय, देश में सोडा ऐश के उत्पादन में संलग्न पांच एकक हैं। वे एकक हैं :—

1. मै० टाटा कैमिकल्स लि०

2. मै० सौराष्ट्र कैमिकल्स लि०

3. मै० धारगंधरा कैमिकल्स वर्क्स लि०

4. मै० हरी फर्टिलाइजर्स और सौराष्ट्रा कैमिकल्स और

5. मै० तुतीकोरिन एलकली कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०

(ख) से (घ) अपेक्षित जानकारी जहां तक उपलब्ध है, निम्न प्रकार है :—

(मात्रा लाख टन में)

वर्ष	अनुमानित मांग	उत्पादन	आयात
1981-82	6·80	6·32	1·48
1982-83	7·30	6·35	0·30 (सितम्बर, 82 तक)
1983-84	7·90	7·81	तत्काल उपलब्ध नहीं है।

(ङ) जी हां। सोडा ऐश के उत्पादन के लिए नए एककों की स्थापना हेतु दिए गए आशयपत्रों/औद्योगिक लाइसेंसों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) 1984-85 के दौरान सोडा ऐश खुले सामान्य लाइसेंस (ओ० जी० एल०) के अन्तर्गत आता है।

विवरण

क्रमांक	कंपनी का नाम	औद्योगिक लाइसेंस आशय पत्रों की संख्या व दिनांक	वार्षिक क्षमता (टनों में)	स्थिति
1	2	3	4	5
औद्योगिक लाइसेंस				
1.	मै० पंजाब नेशनल फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स	सी.आई.एल. 138 (82) दि० 5.4.82	66,000	नया नंगल (पंजाब)
2.	मै० हिन्दुस्तान फर्टि० लि०	एल./18 (1)/6/71-फर्टि०। दि० 27·12·71	60,000	हल्दिया (वेस्ट बंगाल)

1	2	3	4	5
	आशयपत्र			
1.	मै० गुजरात इंडस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट कार्पोरेशन	एल. आई. : 379 (79) दि० 15.11.79	3,00,000	वारावल गुजरात
2.	आन्ध्रा प्रदेश इन्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन	एल. आई. : 828 (80) दि० 30.12.80	1,20,000	मछलीपत्तनम (आंध्र प्रदेश)
3.	मै० इंडियन फारमर्स फर्टि० कार्पोरेटिव लि०	एल.आई. : 353 (82) दि० 31.5.82	66,000	फूलपुर (उत्तर प्रदेश)

आल इण्डिया रेडियो तथा दूरदर्शन और अखबारों में शीतल पेय के विज्ञापन

10435. **श्री रामप्रसाद ग्रहिरवार** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री 22 नवम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1248 और 9 अप्रैल, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 628 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 नवम्बर, 1983 की निर्धारित सीमा की समाप्ति के पश्चात भी आल इण्डिया रेडियो तथा दूरदर्शन पर शीतल पेय विज्ञापनों में फल उत्पाद आदेश 1955 के खण्ड 11(3) के अन्तर्गत अपेक्षित सांविधिक सूचना को सम्मिलित न करने के क्या कारण हैं;

(ख) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड द्वारा उन शीतल पेय विज्ञापन फिल्मों के सेंसर प्रमाणपत्रों को रद्द न करने के क्या कारण हैं जो उपरोक्त सांविधिक सूचना को सम्मिलित नहीं करते हैं तथा सरकार द्वारा फल उत्पाद आदेश, 1955 का अनुसरण करने की सलाह दिये जाने के बावजूद भी इस प्रकार की फिल्मों के प्रमाणीकरण करने के क्या कारण हैं; और

(ग) समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार द्वारा फल उत्पाद आदेश के खण्ड 11(3) की अपेक्षा को सभी समाचार पत्रों के ध्यान में न लाने के क्या कारण हैं, ताकि वे इस प्रकार के विज्ञापनों को सांविधिक सूचना के बिना स्वीकार न कर सकें ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड द्वारा पुलों और सड़क की लागत का हिस्सा देना

10436. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड ने हिमाचल प्रदेश के विलासपुर जिले में भाखड़ा बांध के निर्माण के परिणामस्वरूप गोविन्द सागर लेक से प्रभावित क्षेत्र में पुलों और सड़कों के निर्माण की लागत का हिस्सा देने के संबंध में हिमाचल प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश की जनता के प्रतिनिधियों की मांग को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो उन पुलों सड़कों के नाम क्या हैं और प्रत्येक परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) भाखड़ा व्यास प्रबन्ध बोर्ड ने या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से लागत का हिस्सा देने के संबंध में अपनी स्वीकृति किस तारीख को दी है; और

(घ) यदि नहीं, तो अब तक हिमाचल प्रदेश को भागीदार राज्य माना जा चुका है, उसका दावा स्वीकार किये जाने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) जैसाकि भारत सरकार (परिवहन मंत्रालय) द्वारा गठित किए अन्तर्विभागीय दल द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड के खर्चे पर जलाशय क्षेत्र में विभिन्न स्थानों पर प्रतिस्थापना/विकल्प पुलों का निर्माण पहले ही किया गया था, परन्तु नए पुलों पर आने वाली लागत को बांटने के लिए भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड के अन्य भागीदार राज्य सहमत नहीं हैं, क्योंकि वे महसूस करते हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है ।

विलासपुर जिला में तलाई एस०ए०एक्स० को घुमई सी०वी०एन०एम० एक्सचेंज के साथ संबंद्ध (पर ब्रटग) करने का प्रस्ताव

1043 7. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विलासपुर जिले में तलाई एस०ए०एक्स० को दुमई सी०वी०एन०एम० एक्सचेंज से संबंद्ध करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी जा चुकी है क्योंकि तलाई और घुमुई के बीच संचार की आवश्यकता है और न कि तलाई और बरसोर के बीच;

(ख) यदि हां, तो उसे किस तारीख को स्वीकृति दी गई और किस तारीख को स्थापित किया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो स्थापित करने में विलंब के क्या कारण हैं और उसे किस तारीख तक स्थापित कर दिए जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) उपरोक्त भाग (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) तलाई एस०ए० एक्सं० को ट्रंक परियात और वित्तीय दृष्टि से बिलासपुर जिले के घुमारविन एक्सचेंज के साथ जोड़ने का औचित्य नहीं।

स्थायी आधार पर बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने के लिए नियमों में संशोधन

10438. **प्रो० नारायण चन्द्र पराशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न श्रेणियों में स्थायी आधार पर बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शन मंजूर करने हेतु क्या नियम है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य संघ क्षेत्र राजधानियों में इस प्रकार के कनेक्शनों के लिए कितनी पार्टियों,व्यक्तियों ने आवेदन पत्र दिये हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार कितने व्यक्तियों को स्थायी टेलीफोन कनेक्शन दिये गये हैं;

(ग) क्या आबंटन से सम्बन्धित नियमों में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संशोधन किस तारीख तक किये जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) अत्यधिक टेलीफोन करने वाले उपभोक्ताओं को ट्रैफिक रिलीफ देने के लिए, अथवा मल्टी-एक्सचेंज प्रणाली में इलाके के बदल जाने पर जब "मुख्य टेलीफोन" या "बाह् एक्सटैंशन" इलाका परिवर्तन से प्रभावित हो जाए, तो उस हालत में बिना बारी के आधार पर स्थायी टेलीफोन कनेक्शन मंजूर किया जा सकता है। दूरसंचार सर्किलों/टेलीफोन जिलों के अध्यक्ष औचित्य सम्मत मामलों में, उनके गुण-दोष के आधार पर, अपने अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत, "ओ०वाई०टी० विशेष" और गैर-ओ० वाई०टी०-एस०एस० प्राथमिकता श्रेणियों में टेलीफोन को मंजूरी दे सकते हैं, और अन्य औचित्य सम्मत मामलों में डाक-तार महानिदेशालय से बिना बारी के आधार पर टेलीफोन मंजूर किए जा सकते हैं।

(ख) बिना बारी के टेलीफोन कनेक्शनों के लिए आवेदनों की संख्या अत्यधिक हो सकती

है, और अपेक्षित जानकारी एकत्र कर पाना संभव न होगा, क्योंकि इस प्रकार के मामलों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता ।

(ग) और (घ) इस प्रकार का कोई विशेष प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है फिर भी, टेलीफोन आवंटन की नीति की निरंतर समीक्षा की जाती है ।

सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र की स्वीकृति के लिए शर्तें

10439. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन स्थानों पर डाकघर नहीं होते उन स्थानों पर गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्रों की स्वीकृति की क्या शर्तें हैं;

(ख) क्या उत्तर पश्चिम सर्किल हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में किसी स्थान के लिए शर्तों को पूरा करने वाले ऐसे कोई आवेदन प्राप्त हुए है तथा इस प्रयोजन के लिए किन-किन व्यक्तियों ने आवेदन कर रखे हैं और ये आवेदन किस-किस तारीख को प्राप्त हुए हैं;

(ग) हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के पिपलू में सार्वजनिक टेलीफ़ोन केन्द्र किस-किस तारीख को स्वीकृत हुए हैं;

(घ) क्या उन स्थानों पर सार्वजनिक टेलीफोन केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं तथा किस-किस तारीख को स्थापित किये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, किस तारीख तक उन्हें स्थापित कर दिया जाएगा तथा विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) ऐसे स्थान जहां डाकघर नहीं है वहां प्राइवेट पार्टियों के यहां लम्बी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोन खोले जाते हैं जिसके लिए उनसे परियोजना की कुल पूंजीगत लागत का वार्षिक आधार पर प्रचलित प्रतिशत दर का भुगतान लिया जाता है । इसके अलावा प्राईवेट पार्टी द्वारा प्रतिभूति जमा के बतौर 500/- रु० जमा कराने होते हैं । इसके साथ-साथ एक एग्रीमेंट फार्म, जोकि स्थानीय मंडल कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, देना होता है ।

(ख) 1983-84 के दौरान प्राप्त ऐसे आवेदन जो शर्तों को पूरा करते हैं नीचे दिए

गए हैं :—

1. हिमाचल प्रदेश.	कोई नहीं
2. पंजाब	जुलाई, 1983 में फरीदकोट जिले में स्थित ग्राम-पंचायत बिलासपुर से एक आवेदन प्राप्त हुआ था ।
3. हरियाणा व चंडीगढ़	कोई नहीं ।

(ग) 1. बिलासपुर में सार्वजनिक टेलीफोन घर के लिए 22-3-84 को मंजूरी दे दी गई है ।

2. ऊना जिले के पिपलू नामक स्थान पर सार्वजनिक टेलीफोनघर के लिए 29-12-83 को प्रबंधक सभा ठाकर डाबरा पिपलू से आवेदन प्राप्त हुआ था । किराए और गारंटी की शर्तों से उन्हें अवगत करा दिया गया है तथा उनकी स्वीकृति की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(घ) बिलासपुर में अभी तक सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित नहीं किया है ।

(ङ) साज समान प्राप्त हो जाने पर ही बिलासपुर में सार्वजनिक टेलीफोनघर स्थापित किया जाएगा ।

तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा 24 परगना में बोथरा में ड्रिलिंग कार्य

10440. **श्री अजित बाग** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने 24 परगना में बोथरा में ड्रिलिंग कार्य बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अन्य किन् स्थानों पर ड्रिलिंग कार्य चलाये जा रहे हैं; और

(घ) कलकत्ता नगर में प्राथमिक जांच के कार्य में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) बोथरा के अलावा, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में माजू तथा धनंजय पुर में खुदाई की जा रही है।

(घ) कोई विलम्ब नहीं हुआ था। कार्य पूरा किया जा चुका है।

कोयला खानों में सुरक्षात्मक उपाय

10441. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयले का खनन करना उसमें नियुक्त श्रमिकों और अधिकारियों के लिए जोखिम पूर्ण कार्य है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक खान में क्या अनिवार्य सुरक्षात्मक उपाय अपनाये गये हैं;

(ग) क्या सभी सहायक कम्पनियों में निदेशक (सुरक्षा) का कोई पद है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां।

(ख) सभी खानों में काम खान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाता है। खान सुरक्षा महानिदेशक उन खानों में कार्यरत कामगारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इस कार्य का पर्यवेक्षण करते हैं।

इन सांविधिक प्रावधानों के अलावा, सुरक्षा का उच्च स्तर बनाए रखने के लिए खानों पर सुरक्षा समिति (1979), प्रमुख खान दुर्घटनाओं के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त विभिन्न जांच अदालतों तथा साथ ही खानों पर सुरक्षा सम्मेलनों की सिफारिशों का भी कार्यान्वयन किया जा रहा है।

खान सुरक्षा महानिदेशालय के अलावा, महाप्रबंधक (सुरक्षा) की अध्यक्षता में एक आंतरिक सुरक्षा संगठन कोल इंडिया लि० की प्रत्येक सहायक कंपनी में बनाया गया है। यह संगठन सुरक्षा सम्बन्धी पहलुओं की निगरानी करेगा, खान के काम की कमियों पर प्रकाश डालेगा तथा सुधार के उपाय करने के लिए प्रबंध मंडल का मार्गदर्शन करेगा।

एक सुरक्षा बोर्ड कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष की अध्यक्षता में समय-समय पर सुरक्षा उपायों की पुनरीक्षा कर रहा है।

ऊर्जा मन्त्री की अध्यक्षता में स्थायी सुरक्षा समिति भी सुरक्षा उपायों और विभिन्न

सुरक्षा समितियों आदि की सिफारिशों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा और निगरानी कर रही है।

(ग) और (घ) कोल इंडिया लि० की सहायक कंपनियों में सुरक्षा संबंधी काम की देख-रेख निदेशक (तकनीकी) अथवा निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग एण्ड प्रोडक्शन) द्वारा की जा रही है और महाप्रबंधक (सुरक्षा) तथा अन्य अधिकारी उनकी सहायता करते हैं। यह देखा गया है कि वर्तमान व्यवस्था सुरक्षा की सांविधिक तथा अन्य जरूरतों की देखरेख के लिए पर्याप्त है।

कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों से विदेशों से प्रशिक्षण लेने के लिए भेजे गये अधिकारी

10442. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों से विदेशों में प्रशिक्षण देने के लिए नियमित रूप से अधिकारी भेजे जाते हैं यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों से कितने अधिकारी प्रशिक्षण के लिए भेजे गए हैं, उन्हें किस विषयों में प्रशिक्षण दिया गया है और उन्हें प्रशिक्षण के लिए किन देशों में भेजा गया था;

(ख) क्या इसके लिए ऐसे अधिकारियों का चयन किया गया था और उन्हें इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिये विदेशों में भेजा गया था जिनके विरुद्ध सतर्कता जांच/गंभीर किस्म की शिकायतें विचाराधीन हैं यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं और वे किन स्थानों पर तैनात हैं;

(ग) क्या जिन अधिकारियों को विभिन्न विषयों के लिए विदेशों में प्रशिक्षण दिया गया था उन्हें ऐसे स्थानों पर तैनात किया गया जहां पर उनका कार्य उन विषयों से भिन्न था जिनमें उन्हें प्रशिक्षण दिया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी कारण क्या हैं और कोयला उद्योग के लाभ के लिए ऐसे प्रशिक्षण अधिकारियों की सेवाओं का उपयोग करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालयों के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां। पिछले तीन वर्षों में कोल इंडिया लि० और उसकी सहायक कंपनियों के जो अधिकारी प्रशिक्षण के लिये भेजे गए उनकी संख्या संलग्न विवरण में दी गई है और साथ ही जिन विभिन्न विषयों के प्रशिक्षण के लिए वे भेजे गए थे और जिन देशों को भेजे गए थे उनके नाम भी दिए गए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) जहां प्रशिक्षण किसी विदेशी उपकरण के सीधे संचालन और रख-रखाव का ज्ञान प्राप्त करने से संबंधित होता है वहीं प्रशिक्षित व्यक्ति को प्रशिक्षण से वापस लौटने पर अनिवार्यतः उसी काम पर लगाया जाता है। जो व्यक्ति नई तकनालॉजी के प्रबन्ध अथवा सामान्य प्रबन्ध के लिए प्रशिक्षित किए जाते हैं उन्हें ज्यादातर प्राप्त ज्ञान से सम्बन्धित पदों पर तैनात किया जाता है। जिन थोड़े से मामलों में ऐसा नहीं हो सका उनमें कोल इंडिया लि० ने यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय किए हैं और कर रहा है कि उन्हें उनके प्रशिक्षण से संबद्ध पदों पर ही लगाया जाए। कोल इंडिया लि० ने सभी सहायक कंपनियों को यह अनुदेश दिए हैं कि, ऐसे प्रशिक्षण का पूरा उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से ऐसे व्यक्तियों के अन्तर-कंपनी अथवा अंतः कम्पनी तबादले कोल इंडिया लि० के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किए जाएं।

विवरण

अधिकारियों की संख्या	विषय	जिन देशों को भेजे गए
1	2	3
	1981-82	
19	खनन और भूविज्ञान	यू०के०, संघीय जर्मन गण-राज्य, आस्ट्रिया, संयुक्त राज्य अमेरिका
48	इंजीनियरिंग	फ्रांस, संघीय जर्मन गणराज्य, संयुक्त राज्य अमेरिका
5	प्रबन्ध	जापान, सिंगापुर
2	प्रशिक्षण	यू०के०, सिंगापुर
	1982-83	
13	खनन और भूविज्ञान	यू०के०, संघीय जर्मन गण-राज्य, आस्ट्रिया
17	इंजीनियरिंग	यू०के०, आस्ट्रिया स्वीडन, सिंगापुर
8	प्रबन्ध	यू०के०
1	प्रशिक्षण	आस्ट्रिया
4	कार्मिक	यू०के०

1	2	3
	1983-84	
37	खनन और भूविज्ञान	यू०के०, संयुक्त राज्य अमेरिका, आस्ट्रिया
26	इंजीनियरिंग	यू०के०, सं० रा० अमेरिका, संघीय जर्मन गणराज्य, फ्रांस, डेनमार्क
12	प्रबन्ध	यू०के०
5	प्रशिक्षण	यू०के०

विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजने हेतु अभ्यर्थियों का चयन

10443. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत विदेशों में प्रशिक्षण पर भेजने के लिए कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के अधिकारियों में से अभ्यर्थियों का चयन करने के लिए कोई मानदण्ड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं; यदि हां, तो उसकी तत्सम्बन्धी बातें क्या हैं और यह मार्ग निर्देश कौन सी तारीख को जारी किए गए हैं; और

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विदेश में प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों का चयन करते समय उन मार्ग-निर्देशों का पालन किया गया था यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री बलबीर सिंह) : (क) और (ख) जी हां।

सरकार ने विदेश में प्रशिक्षण के लिए अधिकारियों के नामांकन के सम्बन्ध में कोल इंडिया लि० को निदेश जारी किए हैं। एक पत्र 23-10-1981 को और दूसरा 9-3-1982 को जारी किया गया था। इन पत्रों में दिए गये निर्देशों की प्रमुख बातें यह हैं :—

(1) ऊर्जा मंत्री जी के अनुमोदन के बिना विदेश में प्रशिक्षण के लिए कोई अधिकारी प्रति नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(2) कोल इंडिया लि० यह सुनिश्चित करेगा कि केवल उन्हीं व्यक्तियों के नाम भेजे

जाएं जो पहले कभी किसी विदेश प्रशिक्षण कार्यक्रम पर विदेश नहीं भेजे गए थे।

(3) प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए सिफारिश किए गए अधिकारियों की आयु वरीयता 45 वर्ष से कम होनी चाहिये। यह सोचा गया था कि विदेश में प्रशिक्षण के लिए अपेक्षाकृत कम आयु के अधिकारी कोयला कंपनी को अधिक समय तक लाभ पहुंचाते रहेंगे।

(ग) निर्देशों का पालन किया गया है।

विभिन्न मंत्रालयों से प्राप्त नियमों, निर्देशिकाओं आदि के अनुवाद के लिए समयबद्ध स्कीम

10444. **श्री छोटू भाई गामित :** क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मन्त्रालयों से प्राप्त नियम, निर्देशिकाएं और संविदा प्ररूप कितनी मात्रा में अभी भी उनके मन्त्रालय में अनुवाद के लिए लंबित हैं;

(ख) उपरोक्त सामग्री के अनुवाद को संबंधित मन्त्रालयों के पास कब तक भेज दिए जाने की संभावना है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई समयबद्ध स्कीम है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) लंबित सामग्री की मात्रा टंकित पृष्ठों में (प्रत्येक पृष्ठ में लगभग 250 शब्द के हिसाब से) निम्नलिखित है :—

(1) नियम	1,332 पृष्ठ
(2) मैनुअलों के रूप में अधीनस्थ विधान	300 पृष्ठ
(3) संविदा प्ररूप और अन्य विधिक दस्तावेज	100 पृष्ठ

(ख) से (घ) अनुवाद को यथासंभव शीघ्र अंतिम रूप देकर मन्त्रालयों को भेजने का हर संभव प्रयास किया जाता है, किन्तु कार्य की प्रकृति को देखते हुए कोई निश्चित समय-सीमा बताना या किसी पक्की समयबद्ध स्कीम का अनुसरण करना कठिन है। इसका कारण यह है कि यह कार्य निरंतर चलता रहता है और प्रायः प्रतिदिन अनुवाद के लिए नई सामग्री प्राप्त होती रहती है।

यह कार्य अनुवाद की जाने वाली विभिन्न सामग्री की सापेक्ष अत्यावश्यकता और पूर्विकताओं को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। उदाहरणार्थ, यदि कोई बड़ी मैनुअल शीघ्रता से प्रकाशित की जाती हो तो अन्य कार्य बीच में रोक देना पड़ता है। इसके अतिरिक्त, जब किसी तकनीकी प्रकृति की सामग्री का अनुवाद करना होता है तो अनुवाद को अंतिम रूप देने के लिए प्रशासनिक मंत्रालयों विभागों से और तकनीकी विशेषज्ञों से भी विचार-विमर्श करना आवश्यक होता है। कभी-कभी वह सामग्री जिसका अनुवाद किया जा रहा होता है, प्रशासनिक मन्त्रालय द्वारा उनमें कुछ उपान्तर करने का विनिश्चय किए जाने के कारण लंबित रखनी पड़ती है। फिर भी आशा है कि लंबित कार्य, जिसे नए कार्य के साथ-साथ निपटाना होगा, एक वर्ष में निपटा दिया जाएगा।

बिजली घरों के विकास के लिए विदेशी सहायता

10445. **श्री अमर सिंह राठवा :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बाहरी देशों में बिजली घरों के विकास में भारत की सहायता करने के लिये अपनी सेवाओं की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने उक्त पेशकश को स्वीकार करने के लिये क्या कार्यवाही की है; और

(घ) इस सहायता का उपयोग किन-किन राज्यों में किए जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) पश्चिम जर्मनी, यू०के०, सोवियत रूस, स्विटजरलैंड, फ्रांस, इटली, स्वीडन, पोलेंड, यूगोस्लाविया जापान, आस्ट्रिया कनाडा, रोमानिया तथा यूनाइटेड अरब अमीरात सहित देशों से कुछ विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिसमें उन्होंने, सरकारी ऋण, सप्लाईकर्ताओं के ऋण, तथा वाणिज्यिक ऋणों के जरिए वित्त-व्यवस्था करने की संभाव्यताओं सहित टर्न-की आधार पर विद्युत उपस्करों की सप्लाई अथवा विद्युत परियोजनाओं की प्रतिष्ठापना करके भारत में विद्युत परियोजनाओं में सहयोग करने की अपनी इच्छा व्यक्त की है। रिहन्द और विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं (राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम) तथा चमेरा जल विद्युत परियोजना (राष्ट्रीय जल-विद्युत निगम) की स्थापना क्रमशः यू०के०, सोवियत रूस और कनाडा की विदेशी सहायता का उपयोग करके की जा रही है।

बिहार में कहलगांव ताप विद्युत केन्द्र (राष्ट्रीय ताप विद्युत केन्द्र) के बारे में सोवियत रूस के प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया जाता है। परियोजना के लिए वित्त-व्यवस्था

करने हेतु ऋण देने के लिए वे सहमत हो गए हैं। इस परियोजना के निर्माण में सहयोग करने की शर्तों तथा अनुबंधनों को अन्त: सरकारी समझौते में अलग से परिभाषित किया जाएगा।

अनपारा "ख" ताप विद्युत केन्द्र (उ०प्र०) के लिए आंशिक रूप से वित्त-व्यवस्था करने से सम्बन्धित मामले पर जापान सरकार के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

विद्युत सेक्टर के लिए समय-समय पर कुछ अन्य प्रकार के ऋणों का भी उपयोग किया जाता है।

फेज कंपनियों द्वारा उपान्तिम पेनुलटीमेंट अवस्था में भारी मात्रा में दवाइयों का उत्पादन

10446. **श्री के० प्रधानी :** क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि 1978 की औषध नीति की घोषणा किये हुए पांच वर्ष से भी अधिक समय व्यतीत हो चुका है फिर भी कुछ विदेशी औषध कम्पनियां बल्क औषधों का उपान्तिम अवस्था (पेनुलटीमेंट) स्टेज से मूल अवस्था तक भारी मात्रा में उत्पादन बढ़ाने में असमर्थ रही है;

(ख) यदि हां, तो इन दोषी औषध बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या हैं और उन्होंने कौन-कौन सी औषधियों का उत्पादन किया है;

(ग) इन दोषी कम्पनियों के विरुद्ध उनके बेसिक और मितव्ययी औषधियां बनाने में असफल रहने के कारण सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है, अथवा करने का क्या प्रस्ताव है;

(घ) क्या इनमें से कुछ कम्पनियां अपनी विदेशी इक्विटी को 40 प्रतिशत तक अथवा उससे भी कम करने की योजना बना रही है ताकि उन्हें औषध नीति अनुबन्ध के प्रतिबन्धों से अलग रखने में सहायता मिल सके; और

(ङ) यदि हां, तो इस औषध द्वारा अपनाई जा रही इस क्रियाविधि पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ग) उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 में वर्तमान औद्योगिक लाइसेंस को वापस लेने तथा उस पर नई शर्तें लगाने के किसी उपबन्ध के अभाव में, नयी औषध नीति के पैराग्राफ 21 में दिए गए नीति

निर्णय को उक्त अधिनियम के संशोधन के बाद ही पूर्णतः कार्यान्वित किया जा सकता है। तथापि, जिन मामलों में विदेशी कम्पनियों ने सितम्बर, 1980 की नीति के अधीन स्थापित क्षमता को मान्यता देने के लिए आवेदन किये हैं, उनमें इस शर्त को निर्दिष्ट किया जा रहा है, जैसा कि मंत्रालय के दिनांक 17-10-1981 के प्रेस नोट में व्यवस्था की गयी है बशर्ते कि यह तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता एवं क्षेत्रीय आरक्षण आदि जैसे औषध नीति के मापदण्डों के अनुरूप हो।

(ख) एक विवरण-पत्र संलग्न है जिसमें विदेशी औषध कम्पनियों के नाम, उनके द्वारा उपान्तिम स्तर से उत्पादित की जाने वाली औषधियों, जिनकी 1978 की औषध नीति की घोषणा के बाद शिनाख्त की गयी थी। अनुबन्ध में दी गयी कंपनियों में से निम्नलिखित कंपनियां गैर-फेरा कम्पनियां बन गयी हैं :—

1. मैसर्स ग्लैक्सो लेबोरेट्रीज।
2. मैसर्स आरगेनन (आई) लि०।
3. मैसर्स एस०जी० कैमिकल्स। (पहले सहृद गिगि)
4. मैसर्स ज्योफरी मेनर्स।

(घ) और (ङ) 40 प्रतिशत तक की सीधी विदेशी इक्विटी वाली कम्पनियां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत नहीं आती और उन्हें सभी प्रयोजनों के लिए भारतीय कम्पनियों के समान माना जाता है।

विवरण

क्रमांक	विदेशी औषध कंपनी का नाम	उपान्तिम स्तर से उत्पादित की जाने वाली प्रपुंज औषध का नाम
1	2	3
1.	मै० अल्काली एण्ड कैमिकल्स कार्पन, आफ इंडिया लि०	प्रीमिडन्स हेलोथेन
2.	मै० बेयर (इंडिया) लि०	डिटिजन सब्सटेंश (क्लोरफोडिनोल बेस) इंसीडल सब्सटेंश (मोनोहाइड्रोलिन) बेडिनोल (एसिटानिलिड-4-सल्फोनाइल कार्बामाइड) यूवोलिन (पिपराजाइन फास्फेटस)

1	2	3
3.	मै० बुरोज वेलकम एण्ड कंपनी (इंडिया) लि०	आइसोप्रेनालाइन सल्फेट पेरासिटामोल एलोपुरिनोल
4.	मै० सीबा गेगी आफ इंडिया लि०	डेक्सामेथाजोन ट्राइमिथाइल एसिटेट सल्फाफिनाजोल और सल्फासोमिडाइन पेथेनाइल सल्फाथियाजोल 3-मिथाइल सल्फाफिनाजोल (वसूलोग) फोर्मो सल्फाथियाजोल (फार्मोसिबाजोल) डिहाइड्रेलाजाइन सल्फेट गुनिथिडियन सल्फेट साइक्लोपेन्थीजाइड केलसियम कोरामाइन हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड
5.	मै० ग्लेक्सो लेब्स (आई) लि० बम्बई	क्लोरफेनासिन
6.	मै० होचेस्ट फार्मा० लि० बम्बई	टोलबुट्रामाइड प्रोन्लिमाइन लेक्टेट पाइरोलिडाइन मिथाइल टेट्रासाइक्लीन नोवालजिन केलसियम सोडियम साल्ट आफ एन-4 मिथाइल बेन्जीन सल्फोनाइल कार्बानिक एसिड मिथोक्सी इथाइल ईस्टर नोवालजिन क्वीनाइन
7.	मै० आर्गेनन (आई) लि० कलकत्ता	एस्ट्राडियल बेन्जोएट एस्ट्राडियल फिनाइल प्रोपियोनेट
8.	मै० फाइजर लि०, बम्बई	क्लोरप्रोपामाइड
9.	मै० मर्क शार्प एण्ड धोहमे लि०	साइप्रोहेप्टाडाइन
10.	मै० ज्योफरी मेनर्स	बेन्जामाइन पेनिसिलिन मिप्रोपामेट

1	2	3
11.	मैं० सुहृद गेगी (अब मैं० एस० जी० कैमिकल्स,	कार्बामाजोपाइन हेलोपाइरामाइन हाइड्रोक्लोराइड क्लोरोक्वीनालडोल हेप्टाबारबिटोन

मजदूरी ढांचे में फेरबदल

10447. **श्री के० प्रधानी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान दिनांक 14 अप्रैल, 1984 के स्टेटमेन, नई दिल्ली में "माइट इज राइट" इन बेज "जंगल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के मजदूरी-ढांचे में भी फेरबदल करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इस समय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आक्कलन में आवास्तविक ढंग अपनाया जा रहा है ; और

(घ) स्थिति को दुरुस्त करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) वेतन-मानों, महंगाई भत्ते की दरों और अन्य फ्रिन्ज सुविधाओं में अन्तर, जो विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में विद्यमान है, व्यापक रूप से ऐतिहासिक कारणों और संबंधित उपक्रमों में यूनियनाइज्ड कर्मचारियों द्वारा सामूहिक सौदेकारी के दबाव के कारण है।

(ग) और (घ) उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संकलन में तकनीकी रूप से सुदृढ़ प्रक्रिया अपनाई जाती है। कीमत और निर्वाह व्यय की सांख्यिकी संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा सभी तकनीकी और सांख्यिकी मामलों के बारे में मार्गदर्शन प्रदान किए जाते हैं। अतः प्रत्येक सीरीज में पिछली सीरीज की तुलना में सुधार होता है।

श्रम कानूनों की पुनरीक्षा और मजदूर संघों को राजनीति से मुक्त करना

10448. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में नई दिल्ली में हुए भारतीय वाणिज्य और व्यापार महासंघ वार्षिक अधिवेशन में वर्तमान श्रम कानूनों की पुनरीक्षा और मजदूर संघों को राजनीति से मुक्त किए जाने की जोरदार मांग की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) इस मंत्रालय में कोई विशेष मांग प्राप्त नहीं हुई है। तथापि प्रैस रिपोर्टों से पता चला है कि वार्षिक अधिवेशन के दौरान अनेक मांगे की गई थी, जिनके बारे में प्रबंधतंत्र, यूनियनों तथा सरकार की ओर से कार्यवाही की जानी हैं।

कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंज में टेलीफोन सेवा

10449. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कलकत्ता के टेलीफोन एक्सचेंजों में, विशेषकर एक्सचेंज संख्या 33, 34, 35, 41, 42, और 46 में खराब टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है ;

(ख) क्या कलकत्ता टेलीफोन एक्सचेंजों के क्षेत्रों में एक्सचेंजों की अनुपयोगिता के कारण खराब टेलीफोन सेवा के बारे में शिकायतों में भी वृद्धि हुई है ;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और पिछले तीन महीनों में विभिन्न खराबियों के कारण जिनमें भूमिगत केबिल की खराबी भी शामिल है, उक्त एक्सचेंज के अन्तर्गत खराब टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या कितनी है ; और

(घ) ऐसे टेलीफोन कनेक्शनों की उपयोगिता में वृद्धि करने और ऐसी खराबियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में खराब टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या मे दिन प्रतिदिन कमी आ रही है। इसमें 33, 34, 35, 41, 42 और 46 नम्बरों के एक्सचेंज भी शामिल है।

(ख) कलकत्ता टेलीफोन प्रणाली में एक महीने में प्रति सौ स्थानों की दोष संबंधी शिकायतें 81-82 की 44.6 की तुलना में 82-83 में कम होकर 35.7 की गई है।

(ग) जनवरी, फरवरी और मार्च, 1984 महीनों के दौरान भूमिगत केबिल में खराबी आने के कारण खराब हुए टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या क्रमशः 16371, 16449 और 16845 है।

(घ) टेलीफोन कनेक्शनों की उपयोगिता में वृद्धि करने और टेलीफोन की खराबियों को दूर करने के लिए निरंतर निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(एक) अन्य उपयोगी एजेंसियों के साथ अधिक समन्वय स्थापित किया जा रहा है ताकि भूमिगत केबिल परिपथ जाल के क्षतिग्रस्त होने की स्थिति को कम से कम किया जा सके ।

(दो) जंक्शन और प्राइमरी केबिलों का दाबीकरण ।

(तीन) डक्ट बिछाना और केबिलों के लिये उनका उपयोग करना ।

(चार) अन्तर एक्सचेंज जंक्शनों का पी० सी० एम० प्रणालियों एवं अंकीय सूक्ष्मतरंग प्रणालियों द्वारा विस्तार किया गया है ।

(पांच) जंक्शन केबिल परिपथ जाल में वृद्धि करना ।

(छः) मेट्रो रेल मार्गों से केबिल का मार्ग परिवर्तन करना ।

(सात) खराबी उत्पन्न होने की स्थिति में उसका सहजता से पता लगाने व शीघ्र जांच करने के उद्देश्य से और अधिक केबिनेट एवं पिलर स्थापित करना ।

(आठ) पुराने टेलीफोन उपकरणों को बदल कर उनके बदले में नए उपकरण लगाना ।

(नौ) घरों में लगी एल्यूमीनियम तारों के बदले ताबें की तारों का उपयोग करना ।

मैसर्स सुख-धाम गैस सर्विस, दिल्ली के अधीन आने वाले क्षेत्र में खाना बनाने की गैस के प्रयोक्ताओं की प्रतीक्षा सूची.

10450. **प्रो० अजित कुमार मेहता :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स सुख-धाम गैस सर्विस, लारेंस रोड, दिल्ली के अधीन आने वाले क्षेत्र में खाने पकाने वाली गैस के प्रयोक्ताओं की प्रतीक्षा सूची 1979 के बाद से अब तक नहीं निपटायी गयी है ; और

(ख) इस प्रतीक्षा सूची की दिल्ली के अन्य क्षेत्रों के बराबर लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) (ख) और मैसर्स सुखधाम गैस सर्विस, लारेंस रोड, दिल्ली की प्रतीक्षा सूची में क्रम संख्या 2000 दिनांक 31 जनवरी, 1979 तक गैस कनेक्शन दिये जा चुके हैं । आशा है जल्दी ही शकूरबस्ती/रानी बाग क्षेत्र में एक और डिस्ट्रीब्यूटरशिप आरंभ

कर दी जायेगी। इसके अलावा, लारेंस रोड के लिए एक अन्य डिस्ट्रीब्यूटरशिप विज्ञापित की गई है। इन डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चालू हो जाने पर, मैसर्स सुख धाम गैस सर्विस की प्रतीक्षा सूची को और तेजी से निपटाया जा सकेगा।

कर्मचारी भविष्य निधि यूनियनों/फेडरेशनों को मान्यता देना

10451. **श्री एन० ई० होरो** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि न्यासी कर्मचारी भविष्य निधि का केन्द्रीय बोर्ड, भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों की एजेंसी है और इस संगठन में कार्य कर रहे संघों, परिसंघों को मान्यता प्रदान करने के लिए नियमों और कार्यविधि को, न्यासी कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या संघों और परिसंघों को मान्यता प्रदान करने के लिए कोई नियम और कार्यविधियां बनाई गई हैं और उन्हें मान्यता प्रदान करने से कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से परामर्श करके उनका अनुमोदन किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य कब किया गया था ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ग) केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि, ने 7.11.1973 को हुई अपनी बैठक में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कर्मचारी यूनियनों/फेडरेशनों को "उद्योग में संहिता" के अन्तर्गत मान्यता प्रदान करने के सिद्धांतों को संगठन में तब तक काम कर रहे फेडरेशनों से परामर्श करने के पश्चात अनुमोदित किया था।

आई० डी० पी० एल० द्वारा दिल्ली में किराये पर लिया गया भवन

10452. **श्री भीखा भाई** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगातार हो रहे करोड़ों रुपयों के घाटे के तथ्य के बावजूद आई० डी० पी० एल० अपने अधिकारियों, कार्यालयों और गोदामों को रखने के लिए राजधानी में मकानों के किराये पर अन्धाधुन्ध खर्च हो रहा है ;

(ख) क्या वह राजधानी में 1 अप्रैल, 1984 तक आवासीय और कार्यालय प्रयोजनों के लिए आई० डी० पी० एल० द्वारा किराये पर किए गए विभिन्न भवनों का ब्यौरा, मासिक अथवा वार्षिक किराये के भुगतान, यदि अग्रिम किराया दिया गया हो तो उसका विवरण, किराये पर लेने का प्रयोजन, पट्टे की अवधि प्रत्येक मामले में इन भवन के दैनिक रख रखाव पर आई०

डी० पी० एल० द्वारा किए जाने वाले अतिरिक्त खर्च का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण सभा पटल रखेंगे ; और

(ग) उनका मंत्रालय इस प्रकार के विलासिता पूर्ण खर्च में कटौती करने और दिल्ली के कार्यालय को बंद करके गुड़गांव अथवा दूसरे संयंत्र स्थलों पर ले जाने के संबंध में क्या कार्यवाही कर रहा है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ग) आई० डी० पी० एल० की प्रबंध समिति ने सूचना दी है कि राजधानी में उनके द्वारा किराये पर ली गई जगह केवल आवश्यकता पर आधारित है। विपणन प्रभाग मुख्य कार्यालय, क्षेत्रीय विक्रय कार्यालय तथा बल्क सेल्स डिपो के लिए किराये पर लिया गया वाणिज्यिक स्थान अनिवार्य है क्योंकि उन कार्यालयों का कुशलतापूर्वक तथा मितव्ययी संचालन दिल्ली से बाहर रह कर नहीं किया जा सकता है। कम्पनी द्वारा दिल्ली में किराये पर लिये गये भवनों का ब्यौरा देने वाला विवरण पत्र संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8379/84]

'ब्वाय' और 'टर्मिनल' के फालतू पुर्जों की खरीद

10453. **श्री भीखा भाई**
श्री जैनुल बशर } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय के अधिकारी 'ब्वाय' और 'टर्मिनल' के फालतू पुर्जों की खरीद करने के लिए अमरीका गये थे ;

(ख) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने "सोफेक इंक" के टेण्डरों को अस्वीकार कर दिया, जिनकी दर सबसे कम थी ;

(ग) क्या यह सच है कि "सोफेक इंक" तकनीकी रूप से संसार भर में आधुनिक फर्म है, जिसके सम्बन्ध में रखरखाव पर कोई लागत नहीं आती और संचालन में कोई परेशानी नहीं होती ;

(घ) क्या मंत्रालय ने "सोफेक इंक" अमरीका के टेण्डर को सराहा या जिसका मूल्य सबसे कम था—और जो तकनीकी रूप से उपयुक्त तथा जिसके लिए बैंक ऋण सुविधाएं और बैंक कार्य निष्पादन गारंटी उपलब्ध थी ; और

(ङ) यदि हां, तो मंत्रालय किस कारण 17 प्रतिशत अधिक विदेशी मुद्रा देने पर सहमत हो गया ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) इस बात की पुष्टि करना सम्भव नहीं है कि "सोफेक इंक" तकनीकी रूप से आधुनिक फर्म है, जिसके सम्बन्ध में रख-रखाव पर कोई लागत नहीं आती और संचालन में कोई परेशानी नहीं आती।

(ग) और (ङ) तकनीकी दृष्टि से उपयुक्तता के अनुरूप लागत, संचालन की विश्वसनीयता तथा डिलीवरी की अवधि को ध्यान में रखते हुये निर्णय लिया गया था।

मुख्य श्रम आयुक्त, नई दिल्ली और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कार्यालयों में उच्च श्रेणी लिपिकों की उच्च पदों पर पदोन्नति

10454. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मुख्य श्रम आयुक्त, नई दिल्ली के कार्यालय में कार्य करने वाले उच्च श्रेणी लिपिकों की श्रम प्रवर्तन अधिकारियों के पद पर सीधी पदोन्नति होती है, परन्तु कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में कार्य करने वाले उच्च श्रेणी लिपिकों को उस विशेष संवर्ग में दस वर्ष से भी अधिक लगातार सेवा पूरी करने के पश्चात भी मुख्य लिपिक हैड क्लर्क के पद पर पदोन्नति नहीं की जाती है?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : क्षेत्रीय श्रमायुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालयों में अधीक्षक सहित उच्च श्रेणी लिपिक उस संवर्ग में 25 प्रतिशत रिक्तियों के लिए श्रम प्रवर्तन अधिकारी (केन्द्रीय) के पद पर पदोन्नति के पात्र हैं। वर्तमान भर्ती नियमों के अनुसार कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में प्रधान लिपिकों/सहायकों के संवर्ग में पद 75 प्रतिशत रिक्तियों के लिए उच्च श्रेणी लिपिकों तथा आशुलिपिकों (कनिष्ठ) की पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। शेष 25 प्रतिशत रिक्तियां ऐसे अधिकारियों द्वारा भरी जाती है, जो विभागीय प्रतियोगी परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं। यह परीक्षा 3 वर्ष की सेवा वाले उच्च श्रेणी लिपिकों तथा आशुलिपिकों (कनिष्ठ) तक सीमित हैं। एक पद से दूसरे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए अवसर और प्रतीक्षा की अवधि प्रत्येक कार्यालय में भिन्न-भिन्न हैं जो कि संवर्ग स्थिति, उच्च ग्रेड में पदों की उपलब्धता, आदि पर निर्भर होती है।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के वेतनमानों में असमानता

10455. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मे काम करने वाले कर्मचारियों के वेतनमान अन्य सरकारी उपक्रमों जैसे बोकारो इस्पात संयंत्र, भारतीय तेल निगम आदि से कहीं कहीं कम है;

(ख) यदि हां, तो जब कार्य समान है तो इतना अधिक अंतर होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार वेतनमानों में असमानता दूर करेगी और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के कर्मचारियों के वेतनमानों की पुनरीक्षा करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) से (घ) कर्मचारी भविष्य निधि संगठन में काम कर रहे स्टाफ के वेतन मान केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के सदृश वर्गों के लिए प्रचलित वेतनमानों के नमूने पर है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के स्टाफ के वेतनमानों में संशोधन के प्रश्न पर चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार के निर्णयों, जब कभी वे किए जाते हैं, के आधार पर विचार किया जाएगा।

कर्मचारी भविष्य निधि निरीक्षकों और प्रवर्तन अधिकारियों का स्थानान्तरण

10456. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री कर्मचारी भविष्य निधि निरीक्षकों द्वारा स्थापनाओं का निरीक्षण न किए जाने के बारे में 6 दिसम्बर, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2244 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रवार ऐसे दोषी कर्मचारी भविष्य निधि निरीक्षकों के विवरण क्या है जिनसे स्पष्टीकरण मांगे गए हैं और उनके द्वारा परिणाम क्या निकले हैं ;

(ख) क्या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के भविष्य निधि विधियों और प्रवर्तन अधिकारियों के कार्य निष्पादन की सावधानी पूर्वक छानबीन कर ली गई है ताकि उनके विरुद्ध निम्न आय वाले कर्मचारियों जिन्हें भविष्य निधि के लाभों से वंचित रखा गया है के वृहद हितों की रक्षा के लिए कार्यवाही की जा सके ;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार उन सभी क्षेत्र अधिकारियों जिन्होंने किसी क्षेत्र विशेष में तीन वर्षों की सेवा पूरी कर ली है के स्थानान्तरण के लिए केन्द्रीय सरकार भविष्य निधि आयुक्त को आवश्यक निर्देश जारी करेगी ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

महाराष्ट्र में थाणें जिले के कल्याण कस्बे में डाकघरों के भवनों से पानी टपकना

10457. **श्री जगन्नाथ पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र में थाणें जिले के कल्याण कस्बे में कुछ डाकघरों के भवन गत वर्ष बरसात के मौसम में काफी रिसे थे ; और

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष ऐसी घटनाएं न होने देने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) यह सच है कि कल्याण आर० एस० डाकघर और कल्याण शहर के डाकघर भवन गतवर्ष वर्षा के मौसम में रिसे थे। इसे रोकने के लिए आवश्यक मरम्मत की गई।

(ख) पानी न रिसने देने के लिए इस वर्ष मानसून आने से पहले ही उपचारात्मक कार्रवाई की जा रही है।

देश में नए पालिस्टर फाइबर एककों की स्थापना

10458. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय कितने पालिस्टर फाइबर एकक चल रहे हैं और उनके द्वारा पालिस्टर फाइबर का वार्षिक उत्पादन कितना है ;

(ख) क्या देश में ऐसे और अधिक एकक स्थापित करने का विचार है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसे एककों की स्थापना के लिए कौन से स्थानों की सिफारिश की गई है और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) इस समय देश में पांच एकक पालिस्टर स्टेपल फाइबर का उत्पादन कर रहें हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन एककों द्वारा पालिस्टर स्टेपल फाइबर का उत्पादन इस प्रकार किया गया था :—

वर्ष	उत्पादन (मी० टन)
1981-82	29,700 लगभग
1982-83	26,000 लगभग
1983-84 (अप्रैल-दिसम्बर)	20,000 लगभग

(ख) और (ग) पालिस्टर स्टेपल फाइबर का उत्पादन करने के लिए निम्नलिखित स्थानों पर नए एककों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस/आशय पत्र जारी किए गए हैं :

क्रम सं०	राज्य/स्थान	क्षमता (मी० टन/वर्ष)
1.	असम (बोंगाईगांव)	30,000
2.	उड़ीसा (धेंकानल)	15,000
3.	कर्नाटक	15,000
4.	मध्य प्रदेश (झाबुआ)	15,000
5.	उत्तर प्रदेश (बाराबंकी)	15,000
6.	पंजाब	15,000

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृति के लिए विचाराधीन गुजरात की ताप परियोजनाएं

10459. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन ताप बिजली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिन्हें गुजरात सरकार द्वारा छठी योजना में केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृति के लिए भेजा गया है ; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा उनकी स्वीकृति के लिए क्या कार्यवाही की गई है तथा इन परियोजनाओं के प्रारंभ होने के पश्चात कुल कितनी बिजली के उत्पन्न होने की संभावना है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) गुजरात बिजली बोर्ड से प्राप्त छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान अप्रैल, 1984 तक विद्युत उत्पादन क्षमता सहित ताप परियोजनाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

साबरमती ताप विद्युत केन्द्र (1 × 110 मेगा०) जिसे फरवरी, 1982 में अनुमोदित किया गया था, के 1984-85 के दौरान चालू होने की संभावना है । कच्छ विस्तार स्कीम (70 मेगा०) तथा गांधी नगर विस्तार स्कीम चौथी यूनिट (210 मेगा०) को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति दे दी गई है तथा निवेश निर्णय की प्रतीक्षा है । शेष स्कीमों पर तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए विचार कोयला, गैस तथा पानी आदि जैसे आवश्यक निवेशों की व्यवस्था किए जाने के बाद ही किया जा सकता है ।

विवरण

क्र० सं०	स्कीम का नाम	क्षमता (मेगावाट)	परियोजना रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख
(1)	साबरमती ता० वि० केन्द्र (प्रतिस्थापन-सह-युक्तिसंगत स्कीम (अहमदाबाद एलेक्ट्रिक कं०)	1×110	दिसम्बर, 1980
(2)	कच्छ ता० वि० केन्द्र	1×70	जून, 1981
(3)	नर्मदा ता० वि० केन्द्र	1×500	मई, 1982
(4)	गांधी नगर ता० वि० केन्द्र विस्तार (यूनिट-4)	4×210	जून, 1982
(5)	कवास ता० वि० केन्द्र (गैस पर आधारित संयुक्त साइकल प्लांट)	3×130	अगस्त, 1982
(6)	सिक्का ता० वि० केन्द्र विस्तार (120 मेगावाट की दूसरी यूनिट)	1×120	जुलाई, 1983
(7)	प्रतिस्थापन-सह-आधुनिकीकरण स्कीम) (अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कं० लि०)	1×11½	अप्रैल, 1984

बम्बई दूरदर्शन के कर्मचारियों को बाहर का काम करने की अनुमति

10460. **डा० वसन्त कुमार पंडित :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि बम्बई दूरदर्शन के कुछ कर्मचारी विभाग की अनुमति बिना बाहर का काम करते हैं, जो कि स्थापित आचार संहिता के विरुद्ध है;

(ख) क्या बम्बई दूरदर्शन में सरकारी कांट्रेक्ट पर कार्य करने वाला एक कर्मचारी सिनेमा उद्योग में एक कथा-चित्र का निर्देशन कर रहा है;

(ग) क्या बम्बई दूरदर्शन का एक अन्य कर्मचारी बाहर की फिल्मों में अभिनय कर रहा है और उसने 'लवर', 'त्रिशूल' नामक फिल्मों में अभिनय किया है तथा अब एक अन्य फिल्म में भी अभिनय कर रहा है;

(घ) क्या बंबई दूरदर्शन के एक अन्य कर्मचारी ने भी 'बेआबरू' नामक फिल्म में अभिनय किया है, जो कि रिलीज हो चुकी है;

(ङ) क्या बंबई दूरदर्शन का एक टेक्नीशियन पैसे लेकर कई फिल्म निर्माताओं के साथ काम कर रहा है; और

(च) क्या बंबई दूरदर्शन ने उक्त कर्मचारियों को बाहर कार्य करके धन अर्जित करने की अनुमति दी है; यदि हां, तो इस बारे में सरकार की नीति क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ङ) यह बताया गया है कि दूरदर्शन केन्द्र बंबई के कुछ कर्मचारियों ने बाहर की फिल्मों के निर्माण में भाग लिया है।

(च) कुछ मामलों में प्रत्येक मामले के गुण दोष के आधार पर फिल्मों के निर्माण में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। उन मामलों में जिनमें कर्मचारियों ने बाहर की फिल्मों के निर्माण में अनधिकृत रूप से भाग लिया है, उपयुक्त कार्रवाई की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन क्षेत्र में ज्वारीय तरंगों में बिजली उत्पादन की क्षमता

10461. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1966 में किए गये प्रारंभिक अध्ययनों से पता चला है कि पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में ज्वारीय तरंगों में बिजली उत्पादन की क्षमता है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को शुरू करने के लिये संभाव्यता रिपोर्ट बनाने हेतु क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) देश में ज्वारीय विद्युत का विकास की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित होता रहा है। अब तक तीन स्थानों पर ज्वारीय विद्युत के विकास की संभावनाओं का पता लगाया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सातवें दशक के अन्त में सुन्दरबन डेल्टा क्षेत्र में विद्युत के विकास के लिए एक कार्यक्रम आरंभ किया था इसके एक अंग के रूप में इस क्षेत्र में ज्वारीय विद्युत के जरिये बिजली उत्पादन करने के प्रश्न का उनके द्वारा अध्ययन किया गया है। यू०एन०डी०पी० के एक विशेषज्ञ

द्वारा 1976 में तैयार की गई रिपोर्ट की सिफारिशों और उनके द्वारा किये गये संप्रेषण के आधार पर पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने इस क्षेत्र में ज्वारीय विद्युत विकास के लिये एक व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में हुगलीमुहानी संकरी खाड़ी में 2×2 मेगावाट की प्रतिष्ठापना की परिकल्पना की गई है और इस पर केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में विचार किया गया था जिसके पश्चात व्यवहार्यता अध्ययन संबंधी कार्य करने के लिये अग्रिम अन्वेषण कार्य करने हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत जून, 1983 में पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड को भेजे गये थे। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा भी इस विषय में सूचना अप्रैल, 1984 में राज्य योजना बोर्ड पश्चिम बंगाल सरकार को भेज दी गई थी।

दिसम्बर, 1980 के आरंभ में पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण को सूचित किया था कि डिजाइन और प्रचालनात्मक पैरामीटरों का निर्धारण करने की दृष्टि से आई०आई०टी० खड़कपुर की सहायता से स्कीम का माडल अध्ययन संबंधी कार्य हाथ में लिया गया था। अब तक किए गए माडल अध्ययनों के रिपोर्ट की एक प्रति भेजने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से अनुरोध किया है। पश्चिम बंगाल राज्य बिजली बोर्ड से इसकी प्रतीक्षा है।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय दिल्ली में जाली पंजीकरण के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती

1046. **श्री बाल कृष्ण वासनिक :** क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रोजगार कार्यालय दिल्ली ने उन दो कर्मचारियों के नामों को प्रायोजित करने से इन्कार किया है जिन्होंने रोजगार कार्यालय के जाली पंजीकरण के आधार पर क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त दिल्ली के कार्यालय में नौकरी पा ली थी;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस प्रकार की भर्ती नियमों के विपरीत है और ये व्यक्ति नौकरी से निकाले जा सकते हैं और मामले को पुलिस को सौंपा जाना चाहिए था;

(ग) यदि हां, तो सरकार का विचार इन लोगों को निकालने और उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धुम वोर) : (क) से (घ) अभिकथित बोगस रोजगार कार्यालय पंजीकरणों के आधार पर, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, दिल्ली के

कार्यालय में निम्न श्रेणी लिपिकों के रूप में दो व्यक्तियों के बारे में 1981 में शिकायत की गई थी। इस शिकायत के प्राप्त होने पर, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त ने रोजगार अधिकारी, दरियागंज, दिल्ली को लिखा, ताकि उन सूचियों, जिसमें दोनों उम्मीदवारों के नाम अन्य उम्मीदवारों के साथ भेजे गए थे, की वास्तविकता के बारे में पुष्टि की जा सके। रोजगार अधिकारी ने इस आधार पर अपेक्षित सूचना भेजने में अपनी असमर्थता के संबंध में खेद प्रकट किया कि संगत रिकार्डों को उनके रखने की अवधि के समाप्त होने पर नष्ट कर दिया गया।

चयन के बाद जब चुने गये उम्मीदवारों की सूची रोजगार कार्यालय को भेजी गई थी, तब उन्होंने अभिकथित बोगस पंजीकरणों सहित दो उम्मीदवारों को शामिल किये जाने के बारे में कोई आपत्ति नहीं उठाई थी।

उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए अब इस मामले पर कार्यवाही करना संभव नहीं होगा।

नैमित्तिक कर्मचारियों का नियमित किया जाना

10463. **श्री निहाल सिंह** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन मंडी हाउस, नई दिल्ली में चतुर्थ श्रेणी में दैनिक मजदूरी के आधार पर काम करने वाले ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो रोजगार दफ्तर के माध्यम से आए थे और पिछले दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष में जिन्होंने 240 दिन पूरे कर लिए थे;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारियों को गृह मंत्रालय के दिनांक 21 मार्च, 1979 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 49014(4)/77-ई०एस०टी०(सी) और दिनांक 5 जनवरी, 1984 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 49014(3)/83 एस०टी०सी० (सी०) के अनुसार नियमित किया गया है और कितने कर्मचारियों को नियमित नहीं किया गया है;

(ग) क्या यह सच है कि चतुर्थ श्रेणी के ग्रुप (डी) के उन कर्मचारियों को जो पिछले तीन वर्षों से तदर्थ आधार पर काम कर रहे हैं कर से नैमित्तिक कर्मचारियों की श्रेणी में लाया जा रहा है और यदि हां, तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं; और

(घ) क्या यह सच है कि एशियाई खेलों के दौरान चतुर्थ श्रेणी के जिन कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदावनत किया गया था उन्हें पदावनत किया जा रहा है यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) आठ।

(ख) आठ दिहाड़ी वाले कर्मकारों में से, 7 को सर्वथा तदर्थ आधार पर चपरासी के रूप में नियुक्त कर दिया गया है तथा शेष एक दिहाड़ी वाले कर्मकार को नियुक्ति प्रस्ताव भेज दिया गया है।

(ग) तदर्थ आधार पर कार्यरत समूह 'घ' के किसी भी कर्मचारी को दिहाड़ी वाले कर्मचारी की श्रेणी में पुन: नहीं लाया गया है।

(घ) 1982 के दौरान, दूरदर्शन में तदर्थ आधार पर अवर श्रेणी लिपिकों के रूप में पदोन्नति किए गए चतुर्थ श्रेणी के 18 कर्मचारियों में से एक व्यक्ति को कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नामित नियमित उम्मीदवार के उपलब्ध हो जाने पर चतुर्थ श्रेणी के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

पंजाब की घटनाओं पर सरकारी स्रोतों से सही सरकारी सूचना का समय पर प्राप्त न होना

10464. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पंजाब की हाल की घटनाओं के बारे में सरकारी स्रोतों में समय पर सही सरकारी सूचना के प्राप्त न होने के बारे में एक संपादक 'गिल्ड' दल द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शीघ्र तथा प्रमाणित सूचना के लिए संचार माध्यम तथा सार्वजनिक संपर्कों के समन्वयन के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सरकार ने इस आशय की प्रेस रिपोर्ट देखी है।

(ख) यह बताया गया है कि दल ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह बताया है कि जबकि पुलिस या प्रशासनिक स्रोतों से पंजाब की घटनाओं के बारे में यथा समय और सही सरकारी सूचना का अभाव था, चंगीगढ़ की संभवतया बेहतर सेवा की गई थी और अमृतसर और जलंधर में स्थिति अपर्याप्त थी। तदनुसार यह सुझाव दिया गया है कि इस कमी का निदान किया जाए।

(ग) पंजाब की घटनाओं पर प्रेस रिपोर्टों और जलंधर के समाचारपत्रों में उन पर

प्रकाशित टिप्पणियों का प्रतिदिन मानिटरिंग की जाती है ताकि किसी गलत सूचना को ठीक किया जा सके या सूचना अन्तर को रोका जा सके। राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित प्राधिकारी प्रतिदिन माध्यमों के प्रतिनिधियों से मिलते हैं और विभिन्न घटनाओं पर उन्हें प्रमाणित सूचना उपलब्ध करते हैं। पंजाब के स्थानीय प्राधिकारियों को भी यह सलाह दी गई है कि वे इसी प्रकार की परिपाठी अपनाए।

दूरदर्शन और आकाशवाणी के लिए स्वायत्तता

10465. **प्रो० मधु दण्डवते**
श्री दिगम्बर सिंह
श्री सनत कुमार मण्डल } : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार आगामी लोक सभा चुनाव से पहले देश के विभिन्न भागों में दूरदर्शन कार्यक्रम का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस पृष्ठभूमि में क्या दूरदर्शन पर से केन्द्र में सतारूढ़ दल के लाभ के लिये उसके दुरुपयोग के किसी अवसर को रोकने के लिये, सरकार के संपूर्ण नियंत्रण हटाने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या दूरदर्शन तथा आकाशवाणी जैसे जन संचार माध्यमों के मामले में अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिये कदम उठाये जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सरकार का 1984-85 के दौरान देश की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या को दूरदर्शन सेवा उपलब्ध करने का प्रस्ताव है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकार ने आकाशवाणी और दूरदर्शन के लिए स्वायत्त निकाय स्थापित न करने का निर्णय लिया है क्योंकि इस प्रकार का संगठन इन माध्यम एककों को अपने मूलभूत उद्देश्य अर्थात् लोगों की सेवा करना, की पूर्ति करने के लिए समर्थकारी बनाने के लिए आवश्यक नहीं समझा जाता। तथापि, इन संगठनों को कार्यात्मक स्वायत्तता प्राप्त है।

थामसन प्रेस, फरीदाबाद पर ई० पी० एफ० और इ० एस० आई० की बकाया धनराशि

10466. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि थामसन प्रेस (भारत) लिमिटेड फरीदाबाद अपने कर्मचारियों की भविष्य निधि की धनराशि अभी तक समय पर जमा नहीं कराती रही हैं;

(ख) प्रबंधक बोर्ड द्वारा कर्मचारियों की अब तक ऐसी कितनी धनराशि जमा नहीं कराई गई है और कब से जमा नहीं कराई गई है;

(ग) कर्मचारियों के वेतन से कितनी धनराशि काटी गई और कम्पनी के पास रखी रही और यह धनराशि कब से कम्पनी के पास रखी रही तथा कर्मचारियों द्वारा कटाई जा रही धनराशि और उसके साथ कम्पनी द्वारा दी जाने वाली राशि मिलाकर अभी तक कुल कितनी धनराशि जमा कराई जानी है; और

(घ) इसके लिए कम्पनी के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, यह प्रतिष्ठान छूट न प्राप्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में भविष्य निधि अंशदानों को नियमित रूप से सांविधिक निधि में जमा करा रहे हैं। वे छूट प्राप्त कर्मचारियों के सम्बन्ध में भविष्य निधि अंशदानों को अपने न्यासी बोर्ड को नियमित रूप से तथा समय पर हस्तांतरित भी कर रहे हैं। यह भी सूचित किया गया है कि यह प्रतिष्ठान नियमित रूप से कर्मचारी राज्य बीमा अंशदान का भुगतान भी कर रहा है, सिवाय 2,424.85 रुपये के अल्प भुगतान के, जिसके सम्बन्ध में नियोजक के विरुद्ध एक दावा किया गया है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भागीरथ के रिक्त स्थानों को भरा जाना

10467. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भगीरथ के हिन्दी और अंग्रेजी संस्करणों के अनेक सम्पादकीय पद पिछले वर्ष से रिक्त हैं जिसके कारण पत्रिका समय पर नहीं निकलती है;

(ख) क्या पिछले वर्ष सेवा निवृत हुए भगीरथ के सम्पादक ने पत्रिका के हित में सुझाव दिया था कि सूचना संवर्ग में अनुभवी लोगों, में से ,पदों को भरा जाना चाहिए, जिस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कब और क्या कार्यवाही की जाएगी रिक्त पदों पर केवल सम्पादकीय क्षेत्र के अनुभवी व्यक्तियों को ही नियुक्त किया गया है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) 'भगीरथ' के सम्पादकीय कर्मचारी सिंचाई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन है। जैसा कि उस मंत्रालय ने सूचित किया है, 'भगीरथ' (अंग्रेजी) के सम्पादक तथा 'भगीरथ' (हिन्दी) के उप-सम्पादक के पद रिक्त हैं। सह सम्पादक (हिन्दी) के पद का दर्जा बढ़ाकर सम्पादक के स्तर का कर दिया गया है। इस पद को भी नियमित आधार पर भरा जाना है। उस समय तक इस पद को सह-सम्पादक द्वारा धारण किया जा रहा है।

जैसा कि बताया गया है, 'भगीरथ' (अंग्रेजी) नियमित रूप से प्रकाशित हो रही है। 'भगीरथ' (हिन्दी) के प्रकाशन में कभी-कभी कुछ देरी हुई है।

(ख) जी, नहीं। जैसा कि बताया गया है, 'भगीरथ' के सेवानिवृत्त सम्पादक ने अनुशंसा की कि नियमित सम्पादक का चयन हो जाने तक, इंजीनियरी पृष्ठभूमि वाले सक्षम अधिकारी को 'भगीरथ' (अंग्रेजी) के सम्पादक के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए तैनात किया जाये।

(ग) 'भगीरथ' (अंग्रेजी) के सम्पादक के पद पर नियुक्ति मौजूदा भर्ती नियमों के अनुसार की जाती है। तदनुसार, संघ लोक सेवा आयोग से आवश्यक कार्रवाई करने के लिए अनुरोध किया गया है। 'भगीरथ' (हिन्दी) के सम्पादक तथा 'भगीरथ' (हिन्दी) के उप सम्पादक के पदों को भर्ती नियमों को अंतिम रूप दिए जाने तक भरा नहीं गया है।

मथुरा तेल शोधक कारखाने में आग

10468. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री दिगम्बर सिंह
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति } : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मथुरा तेल शोधक कारखाने की 15 मार्च, 1984 की रात को लगी आग से एक इकाई के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण उक्त कारखाने में उत्पादन ठप्प हो गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या महत्वपूर्ण साज-सामान क्षतिग्रस्त हो गया था और तीन कर्मचारी भी जख्मी हो गए थे;

(ग) क्या आग लगने के किसी कारण का पता चला है;

(घ) क्या यह भी सच है कि गत 3-4 महीनों के दौरान कई तेल शोधक कारखानों में आग लगी है;

(ङ) यदि हां, तो क्या इससे ऐसा पता चलता है कि तेल शोधक कारखाने को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से वहां कोई एजेंसियां सक्रिय हैं;

(च) यदि हां, तो क्या सरकार ने भारत में तेल शोधक कारखाने के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रबंध किए हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां ।

(ग) आग के कारणों का पता लगाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है । इस की अन्तिम रिपोर्ट शीघ्र मिल जाने की संभावना है ।

(घ) से (छ) पिछले 3-4 महीनों की अवधि के दौरान, बोंगाई गांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि० में मामूली आग लगने की दो दुर्घटनाएं और कोचीन रिफाइनरी लि० में एक बड़ी दुर्घटना और मथुरा रिफाइनरी में आग लगने की एक दुर्घटना हुई है । बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लि० में आग की दुर्घटनाएं उपकरण की खराबी के कारण ही हुई थीं । कोचीन रिफाइनरी लि० और इंडियन आयल कार्पोरेशन की मथुरा रिफाइनरी में आग लगने के कारणों की इस समय जांच की जा रही है । इंडियन आयल कार्पोरेशन की शोधनशालाओं का सुरक्षा सम्बन्धी नियंत्रण केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल के पास है जो इन शोधनशालाओं की सुरक्षा और बचाव के संबंध में कड़ी निगरानी रखता है । कोचीन रिफाइनरी लि०, भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि० आदि जैसी अन्य शोधनशालाओं के पास सुरक्षा सम्बन्धी अपने प्रबन्ध हैं । इन दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जांच पड़ताल से पता चला है कि आग की ये घटनाएं संभवत: उपकरणों की खराबी और मानवीय विफलताओं के कारण हुई हैं ।

मुफ्त ट्रंककाल सेवा उपलब्ध कराने वाले कर्मचारी

10469. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या संचार मंत्री मुफ्त ट्रंककाल सेवा उपलब्ध कराने वाले कर्मचारियों के बारे में 27 मार्च, 1984 के तारांकित प्रश्न संख्या 443 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भद्रक टेलीफोन एक्सचेंज के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों की जांच नहीं की गई;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) टेलीफोन आपरेटरों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ दैनिक कार्यों की आवश्यकता पूर्ति हेतु एक्सचेंज की क्षमता में सुधार के लिए क्या विशेष कायवाही की गई है।

संचार मंत्रालयों में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) भद्रक टेलीफोन एक्सचेंज के दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध लगाए गए सभी आरोपों की जांच करा ली गई है और जहां आवश्यक था, उपयुक्त कार्रवाई की गई है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को मुद्दे नजर रखते हुए लागू नहीं होता।

(ग) भद्रक से कलकत्ता तक अतिरिक्त डायलिंग ट्रंक सर्किटों की व्यवस्था करने के मामले की जांच की जा रही है। टेलीफोन आपरेटरों की स्वीकृति संख्या 21 है जबकि वहां पर इस समय 19 आपरेटर काम कर रहे हैं जो पर्याप्त हैं।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में अनुसूचित जाति के सहायक अभियंताओं को पदोन्नति

10470. **श्री रामविलास पासवान** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान में अनुसूचित जाति के दस सहायक अभियंताओं को जून, 1983 में सहायक अधिशासी अभियंता के पद पर पदोन्नत किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह पदोन्नतियां तदर्थ आधार पर की गई थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन सभी दस सहायक अधिशासी अभियंताओं को नियमित नहीं किया गया है ;

(घ) क्या उपर्युक्त सहायक अधिशासी अभियंताओं ने नियमित सहायक अभियंता के रूप में तीन वर्ष से अधिक की सेवावधि पूरी कर ली है जो कि सहायक अधिशासी अभियंता के रूप में नियमित किए जाने के लिए आवश्यक है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन्हें नियमित किए जाने के लिए कोई कदम न उठाए जाने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के अनुसार नौ (दस नहीं) अधिकारियों की पदोन्नति की गई थी।

(ख) जी, हां।

(ग) नौ अधिकारियों को अभी नियमित नहीं किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) पंजाब राज्य बिजली बोर्ड के नमूने के अनुसार जून, 1982 में (1) सहायक इंजीनियर, तथा (2) सहायक कार्यपालक इंजीनियर के दोनों ग्रेडों के लिए 1000-1150 रुपये एक समान वेतनमान को स्वीकृति किए जाने के परिणामस्वरूप इन पदों को कार्यपालक इंजीनियर के पद पर भविष्य में भर्ती तथा प्रोन्नति के कार्य के लिए डेसू के भर्ती तथा प्रोन्नति विनियमों में एक ग्रेड के रूप में रखा गया है। इसको ध्यान में रखते हुए सहायक कार्यपालक इंजीनियर के पद पर तदर्थ आधार पर कार्य कर रहे अधिकारियों को नियमित करने के लिए डेसू द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा सकी है।

मैसर्स एस्कोर्ट इंडिया लिमिटेड, फरीदाबाद के कर्मचारियों की भविष्य निधि की राशि की कटौती

10471. **श्री कृष्ण चन्द्र पाण्डे** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्स एस्कोर्ट इंडिया लिमिटेड फरीदाबाद द्वारा कर्मचारियों की भविष्य निधि के रूप में कितनी राशि की कटौती की गई है तथा इसकी तुलना में कम्पनी द्वारा कितनी राशि जमा करा दी गई ; और

(ख) क्या इसका पूर्ण ब्यौरा सभा पटल पर रखा जाएगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार, मैसर्स एसकोर्ट्स लिमिटेड, फरीदाबाद (इसमें उनके विभिन्न डिवीजन शामिल है) अपने कर्मचारियों के संबंध में भविष्य निधि अंशदान नियमित रूप से जमा करा रहा है। 1983-84 वर्ष के लिए उनके द्वारा जमा कराई गई राशि निम्नानुसार है :—

	कर्मचारी हिस्सा	नियोजक हिस्सा
1. एस्कोर्ट्स लिमिटेड	29,90,997.50	29,29,255.50
2. एस्कोर्ट्स लिमिटेड (मोटरसाईकिल एंड स्कूटर डिवीजन)	24,82,758.25	24,10,902.25
3. एस्कोर्ट्स लिमिटेड (ट्रैक्टर डिवीजन)	9,37,545.00	9,24,902.50
4. एस्कोर्ट्स ट्रांसमिशंस लिमिटेड	1,93,017.75	1,88,067.75
5. एस्कोर्ट्स जे० सी० बी० लिमिटेड	1,10,076.50	1,04,822.00

कर्मचारियों का हिस्सा नियोजकों के हिस्से की तुलना में अधिक है, क्योंकि कुछ कर्मचारी सांविधिक दर की अपेक्षा उच्च दर पर स्वैच्छिक रूप से अंशदान दे रहे हैं, जबकि नियोजक सांविधिक दर के अनुसार अंशदान का भुगतान कर रहे है ।

इमोडो यू० एस० ए० द्वारा डी० डब्लू० टी० ब्वाय की सप्लाई

10472. **श्री भीखा भाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड तथा इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के अधिकारियों को यू० एस० ए० भेजा गया था अथवा वे स्वयं वहां जाने के लिए तैयार हुए थे ;

(ख) उनके द्वारा केवल इमोडको यू० एस० ए०, जिसने पहले कभी भी कोई "ब्वाय" और टर्मिनल की सप्लाई नहीं की, का दौरा करने तथा अन्य कम दर वाली अन्य फर्मों की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि सोफेक इन कारपोरेशन नवीनतम प्रौद्योगिकी के 7,50,000 डी० डब्लू० टी० "ब्वायज" का विश्व में अकेला सप्लायर है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) दल की यात्रा का उद्देश्य ब्वाय का सेल्फ-इंस्टालेशन प्रोसीडिंग के अन्तर्गत परिवर्तित कार्य-संचालनों का मूल्यांकन करना था और, इसलिए, दल ने तंजानिया तथा यू० के०/हालैण्ड की यात्रा की थी ।

(ग) मैसर्स सोफेक इंक की सप्लाई सूची से, यह देखा गया है कि मैसर्स सोफेक इंक ने सिंगल एंकर लेग मूरिंग सिस्टम (एम० ए० एल० एम०) सप्लाई किया था, जो ,50,000 डी० डब्लू० टी० टैंकरों के लिए उपयुक्त है, न कि सी० ए० एल० एम० सिस्टम, जिसकी इंडियन आयल कार्पोरेशन को आवश्यकता थी ।

मैसर्स हिन्दुस्तान डवलपमेंट कारपोरेशन द्वारा सीरे पर आधारित उद्योग की स्थापना

10473. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्स हिन्दुस्तान डवलपमेंट कारपोरेशन ने खलीलाबाद, जिला

बस्ती, उत्तर प्रदेश ने सीरे पर आधारित उद्योग को स्थापित करने के लिए एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बस्ती जिला औद्योगिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों की श्रेणी 'ख' के अन्तर्गत आता है ;

(ग) यदि हां, तो आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) मै० हिन्दुस्तान डवलपमेंट कारपोरेशन ने जिला बस्ती उत्तर प्रदेश में स्थापित होने वाली अपनी परियोजना में इथिलीन ग्लाइमोल के उत्पादन के लिए आवेदन पत्र दिया है ।

(ख) जी हां ।

(ग) आवेदन पत्र को प्रत्यक्षत: इस आधार पर रद्द कर दिया गया था कि प्रस्तावित परियोजना के लिए कच्चे माल के रूप में अपेक्षित सीरे की उपलब्धता राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित नहीं की गई है । तथापि इस मामले में अभी अन्तिम निर्णय लेना बाकी है ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

महाराष्ट्र सरकार द्वारा औद्योगिक एल्कोहल के मूल्य में वृद्धि

10474. **श्री राम कृष्ण मोरे** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से परामर्श किए बिना औद्योगिक एल्कोहल के मूल्य में वृद्धि कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) महाराष्ट्र सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने औद्योगिक अल्कोहल का मूल्य नहीं बढ़ाया है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

थल वेसट उर्वरक परियोजना

10475. **श्री रतन सिंह राजदा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि सरकारी क्षेत्र की थल बेसट परियोजना के लागत प्राक्कलनों में, विलम्ब के कारण 511.34 करोड़ से 919 करोड़ रु० की अत्याधिक वृद्धि हुई है ; और

(ख) क्या परियोजना को शीघ्र चालू करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) थाल परियोजना के लिए 511.3 करोड़ रु० के मूल लागत अनुमान 1976 के मध्य के मूल्यों पर 4200 टन प्रति दिन यूरिया क्षमता तथा केवल 25 मेगावाट के सृजन के लिए सुविधाओं पर आधारित थे। जैसा कि बाद में हुआ, परियोजना के आरंभ होने के समय वास्तविक लागत काफी उच्चतर थी और केवल इस कारण से ही लागत में अन्तर 125 करोड़ रुपये के थे। संयंत्र को पूर्ण करने के लिए समय सूची के दौरान, 40 करोड़ रु० की राशि की मूल्य वृद्धि हुई। बाद में यह निर्णय लिया गया कि यूरिया क्षमता को बढ़ाकर 45000 टन प्रतिदिन कर दिया जाए और बायलर तथा टी० वी० सेटों की क्षमता को बढ़ावा जाए, अधिक विस्तृत प्रदूषण नियंत्रण उपायों की व्यवस्था की जाए तथा कुछ नए मद आरंभ किए गए 42.2 करोड़ रु० के व्यय की वृद्धि हुई। मूल अनुमान आई० सी० बी० पद्धति पर आधारित थे, यद्यपि अन्ततः यह निर्णय लिया गया कि थाल परियोजना के लिए विश्व व्यापी निविदा पद्धति को अपनाया जाए। विश्व व्यापी निविदा पद्धति स्वदेशी उत्पादकों को काफी उच्चतर मूल्य वरीयता स्वीकृत करती है और प्राप्ति पद्धति में इस परिवर्तन के प्रभाव से 31.3 करोड़ रु० की अतिरिक्त लागत हुई। इस अवधि के दौरान, शुल्कों तथा करों की दरों में परिवर्तन हुए, जिनके परिणामस्वरूप लगभग 51 करोड़ रुपए का अतिरिक्त व्यय हुआ है तथा विनियम दर की समता में परिवर्तन से 22 करोड़ रु० का अतिरिक्त व्यय हुआ। 511.3 करोड़ रु० के मूल लागत अनुमानों तथा 919 करोड़ रु० के संशोधित लागत अनुमानों के बीच का अन्तर ऊपर उल्लिखित पहलुओं के कारण हुआ।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव उपाय किए जा रहे हैं कि यह परियोजना यथा शीघ्र चालू कर दी जाए। आर० सी० एफ० उपस्कर आपूर्तिकर्ताओं के साथ निकट सम्पर्क रख रहे हैं ताकि सभी महत्वपूर्ण उपस्करों की शीघ्र आपूर्ति की जा सके। परियोजना की प्रगति की आवधिक रूप से मंत्रालय से पुनरीक्षा की जाती है ताकि की गयी प्रगति तथा परियोजना प्राधिकारियों द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाइयों का मूल्यांकन किया जा सके और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाते हैं कि परियोजना को शीघ्र चालू किया जा सके।

एबोट लेबोरेटरीज (इण्डिया) लिमिटेड

10476. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एबोट लेबोरेटरीज (इंडिया) लि० के कम्पनी के अन्य नियमों के

अनुपात यह सुनिश्चित करने के लिए कानूनी व्यवस्था की गयी है कि नौ निदेशकों में से पांच निदेशक बहुराष्ट्रीय होंगे और चेयरमैन का वोट निर्णायक होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इसकी पूर्ति यह व्यवस्था करके की गयी है कि एक तिहाई निदेशक एबोट द्वारा नामजद किए जाएंगे और शेष छः निदेशकों में से दो का चुनाव सम्बद्ध बहुराष्ट्रीयों की मत संख्या के आधार पर अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा किया जायेगा जिससे नौ सदस्यों के निदेशक मंडल में पांच बहु राष्ट्रीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकेंगे ; और

(ग) यदि हां तो सरकार का विचार बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा इस प्रकार पिछले दरवाजे से नियंत्रण करने पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) कंपनी के संस्था अन्तर्नियमों में यह व्यवस्था है कि मैसर्स एबोट लेबोरेटरीज यू० एस० ए० जब तक कि इक्विटि का 25 % से कम नहीं रखती है, कुल निदेशकों में से एक तिहाई को नियुक्त कर सकती है। उक्त नियमों के अनुसार, कम्पनी के अन्य निदेशकों को अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसरण में तीन वर्षों में एक बार नियुक्त किया जा सकता है। इससे आगे मैसर्स एब्बोट लेबोलेटरीज, यू० एस० ए० को निदेशकों में से एक को कम्पनी का अध्यक्ष नियुक्त करने का अधिकार है जो बोर्ड में भत्तों की एक समान की स्थिति में द्वितीय या निर्णायक मत देता है। दिनांक 17.5.83 तक उसमें सात निदेशकों में से तीन अमेरिका के थे तथा एक पाकिस्तानी था। अध्यक्ष तथा प्रबंध निदेशक सहित शेष तीन भारतीय थे।

(ग) कम्पनी के संस्था अन्तर्नियमों के उक्त उपबंधों में एबोट लेबोरेटरीज, यू० एस० ए० द्वारा निदेशकों की कुल संख्या के एक-तिहाई की नियुक्ति और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा अध्यक्ष द्वारा निर्णायक मत देने के विषय में व्यवस्था से कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों का उल्लंघन नहीं होता है।

भारतीय चलचित्रों के निर्यात के लिए मानदण्ड

10477. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कथा चित्र और लघु चित्रों (शार्ट फिल्म) के निर्यात के संबंध में कोई मार्गनिर्देश निर्धारित किए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) भारतीय फिल्मों के निर्यात के लिए इस रूप में कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं। निर्यातक देशों समारोह प्राधिकारियों आदि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये इनका निर्यात किया जाता है।

विदेशी कथा चित्रों के आयात के लिए मार्गनिर्देश

10178. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी कथा चित्रों के आयात के संबंध में कोई मार्गनिर्देश दिए गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) विदेशी फीचर फिल्मों का आयात राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा किया जाता है। इस प्रकार की फिल्मों के आयात और वितरण के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांतों, जिनका अनुपालन निगम द्वारा किया जाना अपेक्षित है, को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

विवरण

1. आयात भारत सरकार द्वारा विदेशी पक्षकारों के साथ किए गए करारों के अनुसार किया जाए, इस प्रकार आयात की गई फिल्मों का वितरण इस प्रकार की व्यवस्थाओं के अनुसार किया जाएगा।

2. आयात राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम द्वारा पूर्णतया खरीद आधार पर या लाभ हिस्सा या राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के अपने खाते पर वितरण आधार पर किया जाए।

3. आयात निगम द्वारा गैर-सरकारी सुप्रतिष्ठित चैनलों के माध्यम से वितरण के लिए किए जाएं। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और विदेशी निर्माता। अधिकार धारक के बीच लाभ का हिस्सा इस प्रकार होगा कि विदेशी निर्माता/अधिकार धारक का हिस्सा किसी भी हालत में 60 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा और इसके अलावा, भारतीय करों के निबत 40,000 डालर के अधिकतम भुगतान के अधीन होगा। आयातित फिल्मों के गैर सरकारी सुप्रतिष्ठित चैनलों के माध्यम से वितरण की शर्तें वे होंगी जो राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और वितरकों के बीच आपस में तय की जायेगी।

4. कैनेलाइजिंग एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम भारत, अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों (प्रतियोगी और गैर-प्रतियोगी दोनों) के दौरान उन फीचर फिल्मों के गैर सरकारी पक्षकारों द्वारा आयात को प्राधिकृत कर सकता है जो राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में प्रविष्ट होती है। इस प्रकार के आयातों की अनुमति उन फिल्मों के बारे में दी जाएगी जिनके लिए आयात संविदाओं का पंजीकरण अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों के दौरान गैर-सरकारी पक्षकारों द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के पास कराया जाता है और वे उन शर्तों के अधीन होंगी जिन्हें समय-समय पर भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार के आयातों को राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से कैनेलाइज किया जाता रहेगा। प्राधिकृत भारतीय पक्षकारों को भारत में फिल्म के वितरण की अनुमति दी जाएगी।

राज्यों को मिट्टी के तेल की सप्लाई

10479. **श्री चिन्तामणि जैना**
श्री मोहन लाल पटेल } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह पता है कि इन दिनों अधिकांश लोग अपना खाना आदि पकाने के लिए ईंधन के रूप में मिट्टी का तेल का उपयोग कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य को वर्ष 1983-84 के दौरान प्रत्येक महीने के लिए कितना मिट्टी का तेल आबंटित किया गया तथा उनकी आवश्यकतानुसार वास्तव में कितना तेल सप्लाई किया गया ;

(ग) क्या यह सच है कि देश के कुछ भागों में और विशेषकर उड़ीसा में मिट्टी के तेल की भारी कमी है और उसके कारण मिट्टी का तेल 8 से 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से काला बाजार में बेचा जा रहा है ; और

(घ) यदि हां, तो ऐसे क्षेत्रों में स्थिति में सुधार करने के लिए मिट्टी का तेल सप्लाई करने हेतु तुरन्त ही क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां। बड़ी संख्या में लोग मिट्टी के तेल का उपयोग रोशनी करने तथा खाना पकाने के प्रयोजनों के लिए कर रहे हैं।

(ख) 1983-84 के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ क्षेत्र को मिट्टी के तेल का किया गया मासिक आबंटन तथा बिक्री दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8380/84]

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार से मिट्टी के तेल की अत्यधिक कमी के संबंध में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, कभी-कभी कमियों के होने से इंकार नहीं किया जा सकता है।

जैसे ही किसी विशेष क्षेत्र से कोई कमी होने के बारे में सूचना प्राप्त होती है, प्रभावित क्षेत्रों को शीघ्र सप्लाई करने के लिए तत्काल उपचारी उपाय किए जाते है।

चूंकि राज्यों के अंदर मिट्टी के तेल का वितरण करने का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है, इसलिए उन्हें समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए तथा मिट्टी के तेल की बिक्री की जमाखोरी/कालाबाजारी जैसे कदाचारों में लगे हुए व्यक्तियों के विरुद्ध, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और काला बाजारी रोकने तथा आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई बनाए रखने संबंधी अधिनियम, 1980 के अंतर्गत सख्त कार्यवाही करने के लिए समय-समय पर परामर्श दिया गया है।

कारखानों में श्रमिकों की संख्या के बारे में कर्मचारी भविष्य निधि राज्य कर्मचारी बीमा निगम के निरीक्षकों द्वारा गलत सूचना दिया जाना

10480- **श्री निहाल सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उन शिकायतों की जांच की है जिनमें बताया गया है कि राज्य कर्मचारी बीमा निगम और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के अधिकारी और निरीक्षक कारखानों के मालिकों के साथ सांठ-गांठ करके कारखानों के श्रमिकों के हितों की अनदेखी कर रहे हैं और सरकार को सही रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करते और कारखाने में श्रमिकों की संख्या इतनी कम दिखाते हैं जिससे उन पर कम्पनी अधिनियम लागू न होने पाए, जिसके परिणामस्वरूप कर्मचारियों को बोनस, कर्मचारी राज्य बीमा और भविष्य निधि की सुविधाओं से वंचित रखा जाता है और सरकार को कर्मचारी बीमा और भविष्य निधि के कारण लाखों का नुकसान होता है ; और

(ख) क्या इन अधिकारियों और निरीक्षकों ने अपनी भर्ती के बाद हजारों रुपये की सम्पत्ति बना ली है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) व्यक्तिगत अधिकारियों (जिनमें निरीक्षक शामिल हैं) के खिलाफ शिकायतों की, जब कभी ये प्राप्त होती हैं, विधिवत जांच की जाती है, और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है, तो संबंधित अधिकारी (रियों) के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाती है। अधिकारियों से प्रति वर्ष सम्पत्ति विवरणियां भी प्राप्त की जाती हैं और उनकी यह देखने के लिए सावधानीपूर्वक जांच की जाती है कि क्या उनके पास ऐसी कोई परिसम्पत्ति/जायदाद है, जो उनकी ज्ञात आय के स्रोतों से बेमेल हो।

एरोमेटिक एण्ड केप्रोलेक्टम प्लांट बरौनी के लिए स्थान का चयन करने सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन

10481. **श्री कुंवर राम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बरौनी (बिहार) में एरोमेटिक एण्ड केप्रोलेक्टम प्लांट के लिए स्थान चयन समिति की रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इस रिपोर्ट की जांच कर ली गई है ; और

(ग) इस संबंध में कब निर्णय लिए जाने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) स्थल चयन समिति ने जिसकी स्थापना मई, 1980 में की गई थी, महाराष्ट्र, केरल और उत्तर प्रदेश प्रत्येक में एक-एक संयंत्र की स्थापना के लिए तीन एरोमेटिक संयंत्रों के स्थान की सिफारिश की थी। इसने यह भी सिफारिश की थी कि बिहार में एक बड़ी पेट्रो-रसायन परियोजना को स्थापित किया जा सकता है। इन सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। बिहार में निम्नलिखित पेट्रो-रसायन संयंत्रों की स्थापना के लिए आशय-पत्र पहले से ही जारी किये जा चुके हैं :—

(1) बिहार स्टेट फार्मेस्युटिकल एण्ड केमिकल डवलपमेंट कार्पोरेशन लि० को प्रतिवर्ष 10,000 मी० टन स्टाइरीन और 10,000 मी० टन पोलिस्टाइरीन का उत्पादन करने के लिए।

(2) बिहार स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि० को प्रतिवर्ष 6,000 मी० टन नाइलान फिलामेंट यार्न का उत्पादन करने के लिए।

ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पाइलट प्लांट की स्थापना

10482. **श्री बी० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का प्रथम ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट कब स्थापित किया जा रहा है ;

(ख) क्या अमरीका की जनरल इलैक्ट्रिक कम्पनी ने तकनीकी सहयोग से कुलशेखरपतनम के तट से दूर ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पाइलट प्लांट की स्थापना करने का सबसे पहले तमिलनाडु बिजली बोर्ड ने सुझाव दिया था ;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से उसी समय अस्वीकार कर दिया था ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त प्लांट अब कब तक स्थापित हो जाने की संभावना है; और

(ङ) क्या इस संबंध में कोई विदेशी सहयोग प्राप्त किया जायेगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) लक्षद्वीप में एक मेगावाट समुद्री ताप ऊर्जा रूपान्तरण प्रायोगिक संयंत्र के लिए एक व्यवहारिक अध्ययन इस समय प्रगति पर है और प्रस्तावित क्षेत्र के लिए हाईड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पहले ही किया जा चुका है।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) संयंत्र स्थापित करने के लिए समय और यदि विदेशी सहयोग की आवश्यकता हो तो इसकी व्यावहारिक रिपोर्ट उसके मूल्यांकन के आधार पर ही जांच की जाएगी।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत मान्यता प्राप्त मेडिकल प्रेक्टिशनरों की संख्या

10483. **श्री आर० प्रभु** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 31 दिसम्बर, 1983 को रोजगार कार्यालयों में राज्य-वार कुल कितने मान्यता प्राप्त मेडिकल प्रेक्टिशनर पंजीकृत हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : 31.12.1983 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर जिन चिकित्सा-स्नातकों (स्नातकोत्तरों सहित) के नाम दर्ज थे, उन से संबंधित उपलब्ध सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

31.12.1983 की स्थिति के अनुसार रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत चिकित्सा-स्नातकों (स्नातकोत्तरों सहित) की संख्या।

राज्य/संघ शासित क्षेत्र		संख्या (अनन्तिम)
1		2
राज्य		
1.	आन्ध्र प्रदेश	4462
2.	असम	153
3.	बिहार	1044

1		2
4.	गुजरात	348
5.	हरियाणा	238
6.	हिमाचल प्रदेश	106
7.	जम्मू व कश्मीर	5
8.	कर्नाटक	1628
9.	केरल	836
10.	मध्य प्रदेश	645
11.	महाराष्ट्र	1411
12.	मणिपुर	1
13.	मेघालय	6
14.	नागालैण्ड	—
15.	उड़ीसा	542
16.	पंजाब	408
17.	राजस्थान	519
18.	सिक्किम*	
19.	तमिलनाडु	1906
20.	त्रिपुरा	2
21.	उत्तर प्रदेश	884
22.	पश्चिम बंगाल	1313
संघ शासित क्षेत्र		
1.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	—
2.	अरूणाचल प्रदेश@	
3.	चण्डीगढ़	243

1		2
4.	दादर व नागर हवेली**	
5.	दिल्ली	2300
6.	गोवा	38
7.	लक्षद्वीप	1
8.	मिजोरम	—
9.	पाण्डिचेरी	138
	अखिल भारतीय योग :	19177

नोट : 1. *इस राज्य में कोई रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है ।

2. **इस संघ शासित क्षेत्र में कोई रोजगार कार्यालय कार्य कर रहा है लेकिन आंकड़े अभी प्राप्त किए जाने हैं ।

3. @कोई पूर्ण विकसित रोजगार कार्यालय कार्य नहीं कर रहा है । कुछ रोजगार सैल कार्य कर रहे हैं, जिनसे संबंधित आंकड़े अभी प्राप्त किए जाने हैं ।

4. रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर पंजीकृत सभी चिकित्सा स्नातक अनिवार्यत: बेरोजगार नहीं हैं ।

पाकिस्तान और बंगलादेश को जाने के लिए आप्रवास पृष्ठांकन

10484. **मोहम्मद असरार अहमद** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान या बंगलादेश जाने के लिए भारतीय राष्ट्रिकों के पास फोटो पर आप्रवास पृष्ठांकन किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या दिनांक 1 अप्रैल, 1984 से इस पृष्ठांकन के लिए कोई नया फार्म निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा क्या पृष्ठांकन के लिए आवेदन के साथ एक शपथ-पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य कर दिया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां।

(ख) पर्यटकों के लिए पाकिस्तान और बंगलादेश जाने के लिए तीन माह या उससे कम के लिए उत्प्रवास निलम्बन प्रदान किया जाता है। यह अनधिकृत उत्प्रवास पर रोक लगाने के लिए किया गया है।

(ग) जी, हां।

(घ) उन पासपोर्ट धारकों मे जो पाकिस्तान और बंगलादेश जाने के इच्छुक हैं, प्राप्त आवेदनपत्र के आधार पर उत्प्रवास निलम्बन दिया जाता है। उनके मामले में शपथ-पत्र आवश्यक नहीं है।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड का कार्यकरण

10485. **प्रो० अजित कुमार मेहता**
श्रीमती किशोरी सिन्हा
डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी
श्री बापूसाहेब परुलेकर } : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोल इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन ने भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के कार्यकरण के बारे में अपना असंतोष व्यक्त किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) भारत कोकिंग कोल लि०, कोल इंडिया लि० की वह एकमात्र सहायक कम्पनी है जो इस्पात संयंत्रों के लिए प्राइम कोकिंग कोल का उत्पादन करती है। चूंकि भा० को० को० लि० में बेहतर कार्य निष्पादन के लिए गुंजाइश है और बेहतर कार्य-निष्पादन कंपनी की अर्थव्यवस्था और साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के लिए बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए कंपनी के कार्य को सुधारने का व्यापक अभियान शुरू किया गया हैं। इस संबंध में की गई कार्रवाई के परिणामस्वरूप कंपनी के काम में बेहतरी के लक्षण दिखाई दे रहे हैं।

मारिशस के साथ फिल्म निर्माण में संयुक्त सहयोग

10486. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत ने मारिशस को फिल्क निर्माण में संयुक्त सहयोग की पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) भारत सरकार ने मारिशस को फिल्म निर्माण में संयुक्त सहयोग की कोई पेशकश नहीं की है। तथापि, मारिशस सरकार ने विदेश मंत्रालय से मारिशस में भारतीय प्रवासन पर 30 मिनट की एक डाकुमेंट्री फिल्म बनाने का काम हाथ में लेने के लिए अनुरोध किया है।

भारतीय भागीदारिता अधिनियम को सिक्किम में लागू करना

10487. **श्री के० ए० स्वामी** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ विलोपन के साथ भारतीय भागीदारिता अधिनियम, 1932 को सिक्किम राज्य में लागू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) हां श्रीमान् जी। सिक्किम राज्य सरकार की प्रार्थना पर भारतीय भागीदारिता अधिनियम, 1952 को सिक्किम राज्य में उसकी धारा 72 में जहां भी 'वर्नाकुलर शब्द आता है, का लोप करते हुए, लागू किया गया है।

दूरदर्शन पर फिल्में दिखाना

10488. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन द्वारा 1981, 1982 और 1983 के दौरान भारतीय और विदेशी चल-चित्रों के प्रसारण अधिकारों को खरीदने पर कितना व्यय किया गया तथा प्रत्येक फिल्म की खरीद के संबंध में कितनी राशि दी गई; और

(ख) इनमें से कितनी फिल्में प्रसारित हुए बिना 6 मास, 1 वर्ष, दो वर्ष और दो वर्ष से अधिक समय तक डिब्बों में बन्द पड़ी रहीं और प्रत्येक मामले में इसके क्या कारण थे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) सामान्यतया दूरदर्शन फीचर फिल्में नहीं खरीदता है। यह फीचर फिल्मों के एक समय टेलीकास्ट करने हेतु रायल्टी का भुगतान करता है। तथापि, वर्ष 1983 के दौरान, दूरदर्शन ने "तेरी मेरी कहानी" तथा "धरती आकाश" नामक दो फिल्मों के टेलीकास्टिंग अधिकारों को पांच-पांच लाख रुपए की लागत पर खरीदा। ये दोनों फिल्में 18-12-1983 को टेलीकास्ट की गई थीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय चलचित्र निर्माता संघ द्वारा दूरदर्शन का बहिष्कार

10489. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय चलचित्र संघ ने हाल ही में दूरदर्शन का बहिष्कार करने की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और इसकी पृष्ठभूमि क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सरकार को दूरदर्शन का बहिष्कार किए जाने जाने के बारे में भारतीय चलचित्र निर्माता संघ से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, भारतीय फिल्म महासंघ ने 12-4-1984 को सरकार को सूचित किया था कि महासंघ के तत्वावधान में फिल्म उद्योग के प्रतिनिधियों की 10 और 11 अप्रैल, 1984 को हुई बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया था कि टेलीकास्ट किए जाने हेतु फिल्में दूरदर्शन को ऋण पर न दी जाएं।

भारतीय फिल्म महासंघ का मत था कि फिल्म उद्योग द्वारा सामना की जा रही विभिन्न समस्याओं के प्रति सूचना और प्रसारण मंत्रालय का रुख सहानुभूतिपूर्ण नहीं है तथा यह कि मंत्रालय फिल्म निर्माताओं के केवल एक वर्ग विशेष अर्थात् तथाकथित "कला फिल्म" निर्माताओं के संवर्धन से ही संबंधित है। महासंघ के प्रतिनिधियों के साथ 18-4-84 को एक बैठक की गई तथा उनकी शिकायतों पर बातचीत की गई है। यह आशा की जाती है कि महासंघ सरकार के साथ सहयोग करता रहेगा।

उर्वरकों के उत्पादन के लिए नए एकक स्थापित करने हेतु मंजूरी

10490. **डा० बसन्त कुमार पण्डित** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरकों के उत्पादन के लिये नये एकक स्थापित करने हेतु सरकार को पेश की गई नई परियोजनाओं को मंजूरी देने में विलम्ब से विकास-कार्य में व्यवधान पड़ा है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) यह समझा जाता है कि प्रश्न मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थापित किये जा रहे गैस पर आधारित छः नये उर्वरक संयंत्रों के सन्दर्भ में पूछा गया है। इन परियोजनाओं को मंजूरी देने में कोई विलम्ब नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

पी० टी० आई०, यू० एन० आई०, हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती में कर्मचारियों की श्रेणियां

10491. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समाचार एजेंसियों तथा पी०टी०आई०, यू०एन०आई०, हिन्दुस्तान समाचार और समाचार भारती में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उनके वेतनमानों का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) सरकार द्वारा यथा स्वीकृत पालेकर ट्रिब्यूनल की सिफारिशों के अनुसार, समाचार एजेंसियों में कर्मचारियों की श्रेणियां और उनके वेतनमान वे होंगे जो संलग्न विवरण में निर्दिष्ट हैं। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 8381/84]।

पी० टी० आई०, यू० एन० आई० समाचार भारती और हिन्दुस्तार समाचार को राज-सहायता

10492. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समाचार एजेंसियों पी०टी०आई०, यू०एन०आई, समाचार भारती और हिन्दुस्तान समाचार, को सरकार से कोई राज सहायता मिलती है;

(ख) यदि हां, तो पिछले पांच वर्षों में एजेंसीवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एजेंसियों में निदेशक मंडल हैं अथवा प्रबंध समितियां हैं;

(घ) क्या उनमें सरकार के नामजद व्यक्ति हैं;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या इन एजेंसियों को गैर अथवा दूसरी एजेंसियों से किसी प्रकार की कोई सहायता अथवा ऋण मिले हैं;

(छ) इन चार एजेंसियों में से प्रत्येक से पास कितने टेलिप्रिन्टर अथवा टेलेक्स केन्द्र हैं; और

(ज) ये एजेंसियां किन भाषाओं में काम करती हैं; तत्सम्बन्धी एजेंसी-वार ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) 'समाचार' के विघटन के परिणामस्वरूप यह निर्णय लिया गया था कि इन समाचार एजेंसियों को 'समाचार' के अस्तित्व के दौरान उनके कर्मचारियों द्वारा ली गई परिलब्धियों तथा यदि 'समाचार' का गठन न होता तो वे जो परिलब्धियां लेते, उन पर आधारित वेतन अन्तर का भुगतान 14-4-78 से 6 वर्ष की अवधि के लिए किया जाए बशर्ते कि सरकार द्वारा पहले तीन वर्ष के दौरान 100 प्रतिशत अन्तर का भुगतान किया जाएगा और उसके बाद उत्तरवर्ती तीन वर्ष के दौरान 25 प्रतिशत की दर से वार्षिक कटौती की जाएगी। तथापि, इन समाचार एजेंसियों द्वारा पालेकर एवार्ड को कार्यान्वित कर दिए जाने के परिणामस्वरूप बाद में यह निर्णय लिया गया कि चतुर्थ, पंचम तथा छठे वर्ष के लिये अन्तर की गणना 1-4-80 से 30-9-80 तक की अवधि के दौरान देय-वेतन अन्तर के आधार पर की जायेगी।

(ख) एक विवरण जिसमें अपेक्षित सूचना दी गई है, संलग्न है।

(ग) से (ज) संगत सूचना एकत्र की जा रही है और उसको यथा समय सदन की मेज पर रख दिया जाएगा।

विवरण

(रुपयों में)

क्रम संख्या	एजेंसी का नाम	1981-82	1982-83	1983-84
1.	प्रेस ट्रस्ट आफ इंडिया	14,83,205.12	6,21,504.15	3,21,952.85
2.	यूनाइटिड न्यूज आफ इंडिया	5,50,666.85	3,21,552.74	1,40,000.00
3.	हिन्दुस्तान	6,46,000.00	4,21,985.65	1,79,413.57
4.	समाचार भारती	4,19,807.00	2,18,361.39	3,37 064.95

बारी के बिना मंजूर किए गए खाना बनाने की गैस के कनेक्शन

10493. **श्री मोहम्मद अलरार अहमद** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981-82, 1982-83 और 1983-84 के दौरान उनके द्वारा तथा तेल कंपनियों द्वारा अलग-अलग बारी के बिना खाना बनाने की गैस के वर्षवार कितने कनेक्शन मंजूर किए गए ;

(ख) 1 अप्रैल, 1984 को उनके तथा तेल कंपनियों के पास बिना बारी के मंजूरी के लिये कितने आवेदन लम्बित पड़े थे; और

(ग) इन आवेदनों को कब तक मंजूर कर दिया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

सऊदी अरब का कच्चे तेल के मूल्य में वृद्धि करना

10494. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सऊदी अरब कच्चे तेल के मूल्य मे वृद्धि करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि सऊदी अरब कच्चे तेल का मूल्य बढ़ाने का विचार कर रहा है।

(ख) से (घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होते।

छोटे और मध्यम दर्जे के समाचारपत्रों को हो रही अखबारी कागज की कमी

10495. श्री कृष्ण कुमार गोयल
श्री मोती भाई आर० चौधरी
श्री भीष्म सिंह
श्री रवीन्द्र वर्मा
श्री मनोहर लाल सैनी
श्री सतीश अग्रवाल
: क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखबारी कागज की कमी ने छोटे और मध्यम दर्जे के कुछ समाचार पत्रों को अपने प्रकाशन स्थगित करने या अपने पृष्ठों की संख्या घटाने को मजबूर कर दिया है;

(ख) क्या देश में आयातित और स्वदेशी अखबारी कागज की भारी कमी है; और

(ग) अखबारी कागज के अकाल से समाचारपत्रों को बचाने हेतु सहायता करने के लिये राज्य व्यापार निगम द्वारा क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) इस बारे में सरकार के पास कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) वर्ष के प्रारम्भ में मुख्यतया बन्दरगाह तथा गोदी कर्मचारियों की हड़ताल के कारण अखबारी कागज की अस्थायी कम सप्लाई रही। किन्तु सरकार ने कतिपय कदमों को, जो नीचे दिये गये हैं, उठा करके इस पर काबू पा लिया है :—

(1) घरेलू अखबारी कागज मिलों से कहा गया है कि वे अधिकतम उत्पादन करने के लिए विशेष प्रयास करें;

(2) राज्य व्यापार निगम से कहा गया है कि वह वर्ष 84-85 के प्रथम छः माह के दौरान प्रत्येक माह अधिक मात्रा में आयात आगमनों को सुनिश्चित करें; और

(3) नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि वह अखबारी कागज लाने वाले जहाजों को ठहराने तथा उनसे माल उतारने के लिये सर्वोच्च प्राथमिकता दें।

दिल्ली में टेलीफोन प्रणाली का आधुनिकीकरण

10496. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दिल्ली संघ राज्य संघ में समूची टेलीफोन-प्रणाली का आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रयोजन के लिये कितनी धनराशि नियत की गई है;

(ग) इस आधुनिकीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम के किस वर्ष में शुरू किये जाने की संभावना है;

(घ) इस कार्यक्रम के किस वर्ष तक पूरा हो जाने की आशा है; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं। संघ क्षेत्र दिल्ली की समूची टेलीफोन प्रणाली को आधुनिक बनाने के सम्बन्ध में अलग से कोई योजना नहीं है। फिर भी, संघ क्षेत्र दिल्ली में टेलीफोन प्रणाली में और सुधार लाने संबंधी एक योजना पर विचार किया जा रहा है। इस योजना की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं;

(1) स्थानीय, ट्रंक तथा टेलेक्स एक्सचेंजों में अपनी कार्य अवधि पूरी करने वाले उपस्करों को बदलना तथा नए आधुनिक उपस्कर प्रदान करना।

(2) पी० सी० एम० प्रणालियां और अंकीय सूक्ष्मतरंग प्रणालियां प्रदान करके तथा भूमिगत केबिल और उनके दाबीकरण की व्यवस्था द्वारा बाह्य संयंत्रों में वृद्धि।

(3) डायरेक्टरी पूछताछ एवं ट्रंक बुकिंग। पूछताछ जैसी आटो मैनुअल सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण।

(ख) से (ङ) प्रश्न ही नहीं उठते।

कोल इण्डिया लिमिटेड के नियंत्रणाधीन कोयला खानों का परिचालन

10497. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड अपने नियंत्रणाधीन भारी संख्या में कोयला खानें चला रही है;

(ख) यदि हां, तो कोल इण्डिया लिमिटेड के नियन्त्रणाधीन कुल कितनी कोयला खानें है;

(ग) इनमें से कितनी कोयला खानों में इस समय काम नहीं हो रहा है;

(घ) इन खानों को कोल इण्डिया लिमिटेड द्वारा न चलाए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इन खानों को चलाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह)। (क) जी हां।

(ख) कोल इण्डिया लि० के अधीन 400 से अधिक कोलियरियां कार्यरत हैं।

(ग) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को 1983-84 के दौरान आबंटित धनराशि और उसका उपयोग

10498. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को 1983-84 के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई ;

(ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने उक्त वर्ष में आबंटित कुल धनराशि में से कितनी धनराशि का उपयोग किया;

(ग) उन योजनाओं/परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन पर उस वर्ष आबंटित धनराशि का उपयोग किया गया;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने इस वर्ष विश्व बैंक से ऋण लिया था; और

(ङ) यदि हां, तो निगम द्वारा 1983-84 के दौरान विश्व बैंक ऋण की कुल कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने 1983-84 के दौरान 654.15 करोड़ रु० (लगभग) के परिव्यय की तुलना में 654.10 करोड़ रु० की राशि का उपयोग किया है।

(ग) आबंटित की गई निधियों का प्रयोग राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं, नामशः सिंगरौली, कोरबा, रामागुण्डम, फरक्का चरण-1 तथा विंध्याचल चरण-1 तथा रिहन्द चरण-1, सम्बद्ध पारेषण प्रणालियों तथा कुछ नई परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं अन्वेषण के लिए किया गया है।

(घ) जी, हां।

(ङ) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने 1983-84 में विश्व बैंक क्रेडिट/ऋण के उपयोग के लिये 219.62 मिलियन अमरीकी डालर की राशि के सरकार को दावे प्रस्तुत किये हैं।

वर्ष 1983-84 में स्वीकृत कोयला परियोजना की क्षमता और कुल पूंजीगत परिव्यय

10499. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 में सरकार द्वारा कितनी कोयला परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई थी;

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना की क्षमता और कुल पूंजीगत परिव्यय क्या है;

(ग) इन कोयला परियोजनाओं के परिचालन में कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) वर्ष 1983-84 के दौरान सरकार ने 31 परियोजनाएं मंजूर की हैं। इनमें से 21 नई योजनाएं हैं और 10 चल रही परियोजनाओं के संशोधित लागत अनुमान हैं। इन सभी योजनाओं की कुल मंजूर लागत रु० 1699.84 करोड़ आती है और खानों की कुल क्षमता पूर्ण उत्पादन क्षमता पर 43.99 मिलियन टन आती है। अलग-अलग योजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) जिन 10 परियोजनाओं के लिए संशोधित लागत अनुमान मंजूर किए गए हैं, उसका कार्यान्वयन पहले से ही हो रहा है। नई शुरू परियोजनाओं के मामले में भी परियोजना स्थलों पर प्राथमिक कार्य शुरू हो गया है।

विवरण

वर्ष 1983-84 के दौरान सरकार द्वारा मंजूर कोयला परियोजनाएं

क्र०सं०	परियोजना/कंपनी का नाम	उत्पादन का लक्ष्य (मि० टन/वर्ष)	अनुमानित पूंजी लागत (रु० करोड़)	मंजूरी की तारीख
1	2	3	4	5
1.	दामोदर रिवर डायवर्शन (से०को०लि०) के लिए अग्रिम कार्रवाई	गैर-खनन परियोजना	2.00	12-4-83
2.	संशोधित बिजुरी कोलियरी (वि०को०लि०)	0.48	12.75	14-6-83

1	2	3	4	5
3.	धेमोमैन कोलियरी के लिए संशोधित लागत अनुमान (ई०को०लि०)	1.42	74.00	16-6-83
4.	संशोधित रामगढ़ ओ०का०प० (से०को०लि०)	3.00	91.46	17-6-83
5.	संशोधित पाथाखेड़ा विस्तार (वे०को०लि०)	1.32	26.38	18-6-83
6.	संशोधित जयन्त ओ०का०प० (चरण-II) (से०को०लि०)	10.00	313.61	20-6-83
7.	संशोधित खानी नं० 8 इन्क्लाइन (सिं०को०कं०लि)	0.38	0.08	7-7-83
8.	संशोधित लाजकुरा ओ०का०प० (वे०को०लि०)	1.00	25.80	22-8-83
9.	साओनेर परियोजना (वे०को०लि०)	1.50	46.96	22-8-83
10.	सं०प०रि० जमुना कोलियरी (भू०गा०) के लिये	0.50	10.60	23-8-83
11.	वेंकटेश खानी नं० 7 (सिं०को०कं०लि०)	0.48	16.00	29-8-83
12.	बालगी (वे०को०लि०)	0.60	28.00	16-9-83
13.	जमुना ओ०का० परि० के लिए सं०प०रि० (वे०को०लि०)	0.60	18.00	16-9-83
14.	गोदावरी खानी नं० 11-ए (सिं०को०कं०लि०)	1.52	54.53	20-9-83
15.	न्यू चचई (वे०को०लि०)	0.60	12.38	29-9-83
16.	संशोधित राजमहर (वे०को०लि०)	0.70	33.93	31-10-83

1	2	3	4	5
17.	घुसस ओ०का०प० (वे०को०लि०)	1.50	65.38	9-11-83
18.	येलन्दू ओ०का०प० (सिं०को०कं०लि०)	0.50	16.00	24-11-83
19.	जवाहर खानी नं० 5 (सिं०को०कं०लि०)	0.54	23.59	30-11-83
20.	भरतपुर ओ०का०प० (से०को०लि०)	3.50	61.84	30-11-83
21.	पुटकी-बुल्लीयारी (भा०को०को०लि०)	3.00	199.87	29-12-83
22.	जगन्नाथ (बिस्तार) (से०को०लि०)	2.00	29.89	7-2-84
23.	घूर्वीचुआ ओ०का०प० (से०को०लि०)	5.00	289.68	27-2-84
24.	रामगुंडम ओ०का०प०-II (सिं०को०कं०लि०) के लिए अग्रिम कार्रवाई	—	4.40	23-2-84
25.	मानुगुरू ओ०का०प०-I (सिं०को०कं०लि०) के लिए सं०ला०अ०	0.80	18.84	28-2-84
26.	मुकुन्दा ओ०का०प० (भा०को०को०लि०) के लिए अग्रिम कार्रवाई	—	15.00	29-2-84
27.	अमलाई ओ०का०प० (वे०को०लि०)	0.70	30.82	27-3-84

1	2	3	4	5
28.	दामोदर ओ०का०प० (भा०को०को०लि०)	1.00	57.04	26-3-84
29.	पदमपुर ओ०का०प० (वे०को०लि०)	1.25	50.74	31-3-84
	वर्ष 1983-84 के दौरान मंजूर कोयला वाशरियां			
			(रु० करोड़)	
30.	मूनीडीह वाशरी (भा०को०को०लि०) के लिए संशोधित लागत अनुमान		25.09	4-10-83
31.	भरतपुर वाशरी (से०को०लि०)		35.18	31-12-83

डाक-तार कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों का आबंटन

10500. **श्री अनादि चरण दास** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार कर्मचारियों को पिछले तीस वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितने सरकारी क्वार्टरों का आबंटन किया गया;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों (श्रेणी-वार) को वर्ष-वार कितने क्वार्टरों का आबंटन किया गया;

(ग) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों को सरकारी क्वार्टरों के आबंटन का कोई कोटा निर्धारित है और यह कोटा किस आधार पर पूरा किया जाता है;

(घ) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों के लिए निर्धारित कोटा $22\frac{1}{2}$ प्रतिशत (अर्थात् अनुसूचित जातियों के लिये 15 प्रतिशत तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 1/2 प्रतिशत) से कम है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कमी के पिछले बकाया को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) से (ङ) यूनिट कार्यालयों से जानकारी एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

डीलरों द्वारा बम्बई के रसोई गैस उपभोक्ताओं को उन्हीं से चूल्हे खरीदने को विवश किया जाना

10501. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बम्बई में रसोई गैस के नए उपभोक्ताओं को सिलेंडरों के आबंटन के समय स्थानीय डीलरों द्वारा उन्हीं से चूल्हे खरीदने के लिए विवश किया जाता है ।

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि ऐसे न करने सम्बन्धी विनियम निर्धारित करने के बावजूद ऐसा किया जा रहा है; और

(ग) ऐसे डीलरों के विरुद्ध सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) जी, हां । कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ग) ऐसी शिकायतों की पूरी तरह से जांच-पड़ताल का जाती है और यदि सही पाई जाती हैं तो डीलर के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है ।

बम्बई के पूर्वी उप-नगरों में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड तथा भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत खाना पकाने की गैस के डीलरों की संख्या

10502. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के पूर्वी उप.नगरों में हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत खाना पकाने की गैस के डीलरों के नाम और पते क्या हैं; और

(ख) इनमें से प्रत्येक डीलर के पास कुल कितने उपभोक्ता है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

बम्बई में खाना पकाने की गैस के कनेक्शन

10503. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई शहर में (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, (दो) भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड ने जनवरी 1980 से लेकर अब तक खाना पकाने की गैस के कुल कितने नए कनेक्शन दिए हैं;

(ख) इनमें से कितने कनेक्शन पूर्वी उप-नगरों में दिए गए हैं;

(ग) बम्बई शहर में भविष्य में कितने नए कनेक्शन दिये जाने हैं; और

(घ) इनमें से कितने कनेक्शन पूर्वी उपनगरों में दिए जायेंगे ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) बम्बई शहर में दिये गये नये एल०पी०जी० कनेक्शनों की संख्या नीचे दी गई है :—

(1)	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (जनवरी, 1980 से 3-5-1984 तक)	86482
(2)	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (जनवरी, 1981 से 31-3-1984 तक)	195398
(ख) (1)	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	24013
(2)	भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड	63708

(ग) और (घ) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निकट भविष्य में वृहत बम्बई में लगभग 50,000 नये एल०पी०जी० कनेक्शन दिये जाने की आशा है जिसमें से लगभग 18,000 कनेक्शन पूर्वी उपनगरों में दिये जायेंगे। भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड अपनी नगर-वार नामांकन योजनाओं को अन्तिम रूप दे रहा है।

सिंगापुर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय सार्थसमूह को त्रिनकोमली में आयल टैंक पट्टे पर देने सम्बन्धी श्री लंका का निर्णय

10504. **श्री बो० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगापुर स्थित एक अन्तर्राष्ट्रीय सार्थसमूह को, जिसकी विश्वसनियता पर भारी सन्देह है, सामरिक महत्व के त्रिनकोमली में आयल टैंक पट्टे पर देने सम्बन्धी श्री लंका के निर्णय से भारत अत्यधिक चिन्तित है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में इन्दिरा सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कदम उठाये जा रहे हैं; और

(ग) श्री लंका के इस निर्णय का भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) इस विषय पर श्री लंका सरकार के निर्णय के बारे में पूरी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है।

भारत और जर्मनी के बीच ऊर्जा के क्षेत्र में मिल कर काम करने का समझौता

10505. **श्री बो० वी० देसाई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जर्मनी ऊर्जा के सामान्य क्षेत्र, ऊर्जा उत्पादन कुशल उपस्कर प्रणाली और सहायक संयंत्रों के सम्बन्ध में और अधिक मिल कर काम करने के लिये सहमत हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या जर्मनी के विशेषज्ञों ने अप्रैल के महीने में भारत का दौरा किया था और इस सम्बन्ध में विचार-विमर्श किया था;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सम्बन्ध में अन्तिम करार कब तक होने की आशा है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) में (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय तेल निगम द्वारा स्पेयर ब्वाय के लिए समिति विश्वव्यापी निविदायें आमंत्रित किया जाना

10506. **श्री दलीप सिंह भूरिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20 मार्च, 1984 को अतारांकित प्रश्न सख्या 3733 और 3 अप्रैल, 1984 को अतारांकित प्रश्न संख्या 6090 के भिन्न-भिन्न उत्तर देने के क्या कारण हैं;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जो पूछताछ के लिए केवल एक ही फर्म के पास गये थे और अन्य फर्मों से सम्पर्क स्थापित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह सच है कि एस०ओ०एफ०ई०सी० इन्क ने सभी दृष्टिकोण से अर्थात तकनीकी उपयुक्तता के अनुरूप लागत संचालन की विश्वसनीयता और डिलीवरी की अवधि, विश्व में नाम कमाया है; और

(घ) एस० ओ० एफ० ई० सी० इन्क का टेंडर किस आधार पर अस्वीकृत किया गया था ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) उल्लिखित उत्तरों में कोई भिन्नता नहीं थी ।

(ख) आई०ओ०सी०एल०/इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड के निम्नलिखित अधिकारियों ने स्वत: संस्थापन पद्धति का मूल्यांकन करने के लिए उन स्थानों का दौरा किया जहां आई०एम० ओ०डी०सी०ओ० और एस०बी०एम० इन्क ने एक ही प्रकार के सी०ए०एल०एम० किस्म के ब्वाय सप्लाई किये हैं :—

1. मुख्य महा प्रबंधक (परियोजना)
2. वित्त नियंत्रक (रिफाइनरी एवं पाइप लाइन)
3. महा प्रबंधक (पाइप लाइन)
4. परियोजना प्रबन्धक (इन्जीनियर्स इण्डिया लिमिटेड)

(ग) और (घ) आई०ओ०सी०एल० द्वारा आवश्यक सी०ए०एल०एम० किस्म के ब्वाय की सप्लाई के लिये ये पहलू उनके पक्ष, में नहीं जाते हैं।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरना

10507. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सरकार को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रिक्त पदों को 3 मई, 1984 तक भरने का आखिरी अवसर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रिक्त पदों को तदनुसार भरा जा रहा है; और

(ग) यदि नहीं तो विभिन्न उच्च न्यायालयों में अभी भी पड़े रिक्त पदों का ब्यौरा क्या है और उन पर नियुक्ति न किये जाने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) 6-4-1984 को रिट याचिका सं० 686/82-चरण लाल साहू बनाम भारत संघ और रिट याचिका सं० 11271/83 श्री भीम सिंह बनाम भारत संघ की प्रारम्भिक सुनवाई पर उच्चतम न्यायालय ने उन्हें यह आशा और विश्वास व्यक्त करते हुए 3-5-1984 तक स्थगित कर दिया था कि उस समय तक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के अधिकतर रिक्त पद भर दिये जाएंगे।

(ख) और (ग) विभिन्न उच्च न्यायालयों में 1-5-1984 को न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या और रिक्त पद दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रिक्त पदों को भरने के लिये राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और सरकार इनकी ओर गम्भीरता से विचार कर रही है। कुछ मामलों में राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं और उन्हें इसके लिये निरन्तर स्मरण कराया जा रहा है।

विवरण

क्रम सं०	उच्च न्यायालय	स्वीकृत संख्या	रिक्त पद
1	2	3	4
1.	इलाहाबाद	60	20
2.	आंध्र प्रदेश	26	4
3.	बम्बई	43	4
4.	कलकत्ता	39	6
5	दिल्ली	27	2

1	2	3	4
6.	गौहाटी	9	1
7.	गुजरात	21	2
8.	हिमाचल प्रदेश	5	1
9.	जम्मू-कश्मीर	7	4
10.	कर्नाटक	24	2
11.	केरल	18	7
12.	मध्य प्रदेश	29	11
13.	मद्रास	25	6
14.	उड़ीसा	10	1
15.	पटना	35	1
16.	पंजाब और हरियाणा	23	4
17.	राजस्थान	18	4
18.	सिक्किम	3	1
		422	81

टिप्पण :—इलाहाबाद, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और सिक्किम उच्च न्यायालयों में 28 नियुक्तियों का अनुमोदन किया गया है और वे शीघ्र ही अधिसूचित की जाएंगी ।

श्री लंका में अन्तर्राष्ट्रीय तेल भण्डारण परियोजना के निर्माण के लिए भारतीय तेल निगम की पेशकश

10508. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी**
श्री भीम सिंह
श्री रवीन्द्र वर्मा
श्री मनोहर लाल सेनी

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय तेल निगम ने श्री लंका में अंतर्राष्ट्रीय तेल भण्डारण परियोजना के निर्माण के लिये पेशकश की है; और

(ख) यदि हां, तो उस परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) त्रिनाकोमल्ली स्थित तेल भंडारण टैंक फार्म के पुनःस्थापन, विकास तथा संचालन के लिए सीलोन पेट्रोलियम कार्पोरेशन (सी०पी० सी०), जो श्रीलंका की सरकारी स्वामित्ववाली एक निगम है, के द्वारा अप्रैल, 1982 में आमंत्रित

की गई विश्वव्यापी निविदाओं के उत्तर में इण्डियन आयल कार्पोरेशन (आई०ओ०सी०) ने मई, 1982 में एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

टैंक फार्म को, कम से कम प्रीमियम तथा वार्षिक किराये के भुगतान पर, कच्चे तेल/पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद/बिक्री का व्यापार, भण्डारण आदि करने के उद्देश्य से विकसित करने और उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराया जाना था। पट्टे/नवीकरण की अवधि समाप्त होने पर मरम्मत/सृजित की गई सुविधाओं का स्वामित्व सी०पी०सी० को वापस मिल जाएगा।

सरकारी क्षेत्र के औषध उपक्रमों को हुआ घाटा

10509. **श्री तारिक अनवर :** क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के प्रमुख उपक्रमों के नाम क्या हैं और पिछले तीन वर्षों में इन्हें कितना घाटा हुआ है; और

(ख) इन एककों में से प्रत्येक को आरम्भ से लेकर कितनी बार और कब-कब पूंजी को पुनर्व्यवस्थित करने की अनुमति दी गई और उसकी मात्रा कितनी है और ऐसा करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं और उसके क्या परिणाम निकले ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) सरकारी क्षेत्र की औषध कम्पनियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान ब्याज, टैक्स तथा अवमूल्यन के पश्चात हुए नेट लाभ (+)/हानि (—) निम्न प्रकार हैं :—

	1981-82	1982-83	1983-84 (अनन्तिम)
1. इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मा० लि०	(—) 2744	(—) 2401	(—) 2307
2. हिन्दुस्तान एंटिबायोटिक्स लि०	(—) 569	(+) 2424	(—) 160
3. स्मिथ स्टेनीस्टीट फार्मास्यूटिकल्स लि०	(—) 36	(—) 28	(—) 15
4. बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मस्यूटिकल्स लि०	(—) 210	(—) 175	(—) 210

(ख) यह जानकारी 17 अप्रैल, 1984 को लोक सभा में अता० प्र०सं० 7782 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में दी जा चुकी है।

राष्ट्रीय पन बिजली ऊर्जा निगम में उप-प्रबन्धक के पद के लिए साक्षात्कार

10510. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पन बिजली ऊर्जा निगम, नई दिल्ली द्वारा उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए "त्वरित पदोन्नति" के अन्तर्गत उप-प्रबंधक और वरिष्ठ प्रबन्धक के पद के लिये जल्द ही साक्षात्कार किये जाने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार की पदोन्नतियां अन्य वर्गों जैसे उप-प्रबंधक से प्रबन्धक, वरिष्ठ प्रबंधक से मुख्य अभियन्ता आदि के मामले में क्यों नहीं की जा रही है;

(ग) क्या राष्ट्रीय पन बिजली ऊर्जा निगम के नियमों में अगले ग्रेड के लिए पात्रता हेतु न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि का प्रावधान है; और

(घ) राष्ट्रीय पन बिजली ऊर्जा निगम के प्रबंधकों ने सहायक प्रबंधक से उप-प्रबंधक तथा प्रबंधक से वरिष्ठ प्रबंधक के सम्बन्ध में अर्हता अवधि को तीन वर्ष से घटा कर दो वर्ष किस प्रकार कर दिया है ?

* **ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां)** : (क) से (घ) संगठनात्मक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के पदोन्नति निगमों के अन्तर्गत रा०ज०वि०नि० के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्राप्त नियमों को शिथिल करने की शक्तियों के अंतर्गत रा०ज०वि०नि० ने एक त्वरित पदोन्नति स्कीम अपनाने का निर्णय किया है। प्रारम्भ में, इस स्कीम में सहायक प्रबंधकों तथा प्रबन्धकों के ग्रेड शामिल किए गए हैं।

पदोन्नति सम्बन्धी नियमों के अनुसार एक ग्रेड से दूसरे ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि अलग-अलग ग्रेड के लिए भिन्न-भिन्न है। तथापि, सहायक प्रबन्धक से उपप्रबन्धक के पद पर तथा प्रबन्धक से वरिष्ठ प्रबन्धक के पद पर पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि तीन वर्ष है। "त्वरित पदोन्नति स्कीम" के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने इस अवधि को कुछ कम करने का प्रस्ताव किया है। तथापि इस स्कीम की संवीक्षा की जा रही है तथा इसे अभी कार्यान्वित किया जाना है।

कानपुर में टेलीफोन सेवाओं में सुधार

10511. **श्री रामविलास पासवान** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 28 फरवरी, 1984 के दैनिक "जागरण" कानपुर में "भरोसा करिये और टेलीफोन एक्सचेंज के गुण गाइये" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कानपुर में टेलीफोन सेवा में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा क्या विशेष उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) कानपुर की टेलीफोन सेवाओं में सुधार के लिए निम्नलिखित विशेष उपाय किए गए हैं :—

(1) खराब टेलीफोनों के स्थान पर उपयोगी टेलीफोन लगाना।

(2) अल्यूमीनियम हाऊस वायरिंग के स्थान पर तांबे के तार लगाए जा रहे हैं।

(3) डी०पी० बक्सों को पुन: लगाना।

(4) जंक्शन और प्राईमरी भूमिगत केबिलों को शुष्क वायु द्वारा दाबीकृत किया जा रहा है।

(5) उपभोक्ताओं के अहातों के निकट खुले हुए ऊपरी तारों के स्थान पर इन्स्युलेटिड-ड्राप वायर लगाए जा रहे हैं।

(6) प्रबंध सूचना प्रणाली के जरिए टेलीफोनों की कार्य प्रणाली पर निगरानी रखी जाती है।

अधिक मात्रा में तेल और गैस की प्राप्ति सम्बन्धी परियोजनाएं

10512. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में जलाशय विकास तथा अधिक मात्रा में तेल और गैस की प्राप्ति सम्बन्धी परियोजनाओं से सम्बद्ध समस्याएं कितनी गम्भीर हैं;

(ख) अधिक प्राप्ति सम्बन्धी परियोजनाएं प्रारम्भ करने से क्या अतिरिक्त लाभ प्राप्त होने की संभावना है; और

(ग) तेल तथा गैस के चालू कुओं से प्राप्ति में वृद्धि के लिए इस समय क्या प्रयास किए जा रहे हैं तथा प्रयोग की जा रही प्रौद्योगिकी का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) तरलाशय (रेजर्वायर) विकास और प्रबंध, जिसमें अधिक मात्रा में तेल की प्राप्ति की प्रौद्योगिकी का प्रयोग शामिल है, की समस्याओं की जटिलता को स्वीकार करते हुए, अहमदाबाद में एक तरलाशय अध्ययन की एक विशेष संस्था की स्थापना की गई है। अधिक मात्रा में तेल की प्राप्ति संबंधी प्रौद्योगिकी से 5 से 25 प्रतिशत के बीच अतिरिक्त तेल प्राप्त हो सकता है। अधिक तेल प्राप्त करने के लिए मौजूदा प्रयासों का लक्ष्य जल अन्त:क्षेपण द्वारा दबाव को बनाये रखना और उद्दीपन द्वारा कुएं के छेद में प्रवाह की दर को बढ़ाया जाना है।

दूरसंचार उपकरणों का आयात

10513. **श्री सत्य नारायण जटिया** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) स्वदेशी टेलीफोन एक्सचेंज उपकरण और टेलीफोन उपकरणों की उत्पादन क्षमता और मांग तथा सप्लाई के सम्बन्ध में क्या स्थिति है;

(ख) वर्ष 1980-81 से 1983-84 की अवधि के दौरान दूरसंचार प्रणाली के लिए आयात किए गए उपकरणों का देश-वार ब्यौरा क्या है और वे कितने मूल्य के थे; और

(ग) क्या यह सच है कि स्वदेशी और आयातित टेलीफोन एक्सचेंस विस्तार उपकरणों की सप्लाई की स्थिति संतोषजनक नहीं है और उस बारे में क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) नए टेलीफोनों के लिए 7 लाख लाइनों से अधिक मांग की तुलना में इस समय देश में स्विचन उपस्कर का वार्षिक उत्पादन लगभग 2 लाख लाइनों का है। वर्ष 1984-85 के दौरान टेलीफोन उपकरण के 9.63 लाख लाइनों के देश में उत्पादन की योजना है, जबकि प्रस्तावित मांग 8.39 लाख लाइनों की है।

(ख) जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जी हां, विदेशी मुद्रा की उपलब्धता के कारण आयात पर प्रतिबंध लगाया जाता है और अपर्याप्त उत्पादन क्षमता के कारण देशी उपकरणों की सप्लाई सीमित होती है। मांग पूरी करने की दृष्टि से देश में दो फैक्ट्रियां संस्थापित की जा रही हैं। जिनमें से प्रत्येक फैक्ट्री की वार्षिक उत्पादन क्षमता 5 लाख लाइनों की होगी।

विवरण

1	2	3	4
	1980-81		रु० एन०ओ०बी०
1.	एस०पी०सी०टी०ए०एक्स० 15,000 लाइनें	एन०ई०सी० जापान	6,15,25,239.00
2.	पी०एस०सी० टेलेक्स 10400 लाइनें	सीमेंस पश्चिम जर्मनी	5,99,58,784.00
3.	क्रासबार एक्सचेंज 1,30,000 लाइनें	एन०ई०सी० जापान हिटाची, जापान ओ०के०आई० जापान	14,33,98,886.00
	1981-82		
1.	ए०पी०सी०टी०ए० एक्स० 9000 लाइनें	एन०ई०सी० जापान	2,44,15,032.00
2.	एस०पी०सी० टेलेक्स 6964 लाइनें	सीमेन्स पश्चिम जर्मनी	4,18,11,287.00
3.	एस०पी०सी० इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज 90,000 एक्सचेंज	जुजित्सु जापान	15,98,292.00
4.	क्रासबार एक्सचेंज 1.83 लाख लाइनें	एन०ई०सी० जापान हिटाची जापान ओ०के०आई० जापान	36,63,28,499.00
	1982-83		
1.	एस०पी०सी० टेलेक्स 4500 लाइनें	सीमेंस पश्चिम जर्मनी	2,22,10,030.00
2.	एलेक्ट्रानिक्स पी०ए०बी० एक्स एक्सचेंज 15178 लाइनें	सी०एस०एफ० थामसन, फ्रांस	2,35,26,097.00

1	2	3	4
3.	अंकीय "इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज" 2 लाख लाइनें	सी०आई०टी० अल्कातेल फ्रांस	54,37,87,196.00
4.	क्रासबार एक्सचेंज 38000 लाइनें	सी०ई०एन० जापान हिटाची जापान ओ०के०आई० जापान	8,60,57,888.00
5.	एस०पी०सी० इलेक्ट्रानिक एक्सचेंज 85,000 लाइनें	जुजित्सु जापान	14,63,877.00
	1983-84		
1.	इलेक्ट्रानिक पी०ए०बी० एक्स० 882 लाइनें	सी०एस०एफ० थामसन-फ्रांस	10,73,42,681.00
2.	अंकीय सी०ए०एक्स० 22,000 लाइनें	सी०आई०टी० अल्कातेल, फ्रांस	एफ०एफ० 147,445,750 रु० 1,978,000.00
3.	मीडिया साइज कंटेनराइजर एक्सचेंज 68,000 लाइनें	फिलिप्स हालैंड	रु० 1,23,140.00

कोल इंडिया लिमिटेड और उसकी सहायक कंपनियों के अधीन कोयला खानें

10514. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में कोई इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कम्पनियों के अधीन कुल कोयला खानों की संख्या कितनी है;

(ख) 31 मार्च, 1984 तक गत तीन वर्ष में उक्त कोयला खानों में कोयला खान-वार कोयले का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उपरोक्त (ख) भाग के अनुसार उक्त प्रत्येक कोयला खान में कुल कितने कोयले के नुकसान/कमी का पता चला;

(घ) क्या उन कोयला खानों/क्षेत्रों में और निगमित स्तर आदि पर नियुक्त अधिकारियों को कोई पदोन्नति दी गई है जहां कोयले की भारी कमी का पता चला था; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उड़ीसा में 1984-85 के दौरान गांवों को बिजली देना

10515. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में 1984-85 के दौरान सम्भवतः कितने गांवों को बिजली दी जायेगी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) योजना आयोग ने उड़ीसा में 1984-85 के दौरान 1225 गांवों का विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इनमें से 15 गांव राज्य योजना के अंतर्गत तथा 1210 ग्रांव ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा वित्त पोषित स्कीमों के अंतर्गत विद्युतीकृत किए जाने हैं। जिलेवार कार्यक्रम को, जिसे राज्य स्तर पर अन्तिम रूप दिया जाता है, अभी तक अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

31 मार्च, 1984 तक बिजली प्रदान की गई बोलांगीर और कालाहंडी की अनुसूचित जातियों की बस्तियां

10516. **श्री रास बिहारी बहेरा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा के बोलांगीर और कालाहंडी जिले के कितने गांवों में अनुसूचित जातियों की बस्तियों में 31 मार्च, 1984 तक बिजली पहुंचाने का प्रस्ताव था और क्या इस प्रकार के गांवों की एक सूची सभा पटल पर रखी जायेगी;

(ख) क्या अनुसूचित जातियों की बस्तियों में इस सम्बन्ध में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार बिजली पहुंचाई गई हैं;

(ग) यदि हां, तो ऐसी बस्तियों के गांव-वार नाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ; और

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (घ) राज्य बिजली बोर्ड से सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा संघों की सदस्यता का नये सिरे से सत्यापन

10517. **श्री एन० ई० होरो** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के मुख्य श्रम आयुक्त द्वारा सदस्यता सत्यापन प्रक्रिया को नये सिरे से प्रारम्भ करने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में अन्य नेशनल ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधियों के विचार भी प्राप्त किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अपनाई जाने वाली सत्यापन प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

ऊर्जा स्रोतों में कमी और इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही

10518. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में ऊर्जा के स्रोतों में तेजी से कमी हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार का विचार इस सम्बन्ध में क्या

कार्यवाही करने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) और (ख) ऊर्जा की समग्र मांग को पूरा करने के लिए देश में ऊर्जा संसाधनों का इष्टतम रूप से विकास करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अनुसार 1984-85 तक तेल का उत्पादन 29.63 मिलियन टन तक, कोयला उत्पादन 152 मिलियन टन तक तथा विद्युत उत्पादन 154 बिलियन यूनिट तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सीमित ऊर्जा संसाधनों का क्षय होना, इनके उपयोग की दर तथा मात्रा पर निर्भर करते हुए अपरिहार्य है।

तथापि, सरकार द्वारा अपनाई गई समग्र ऊर्जा नीति ने मांग प्रबंध तथा ऊर्जा संरक्षण पर पर्याप्त जोर दिया गया है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करने तथा ऊर्जा संबंधी उभरती हुई प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास को और गहन करने के बारे में और अधिक ध्यान देने हेतु सरकार द्वारा गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग का गठन किया गया है। पारम्परिक ऊर्जा संसाधनों के नए भंडारों का पता लगाने तथा अन्वेषण करने के लिए भी काफी प्रयास किए जा रहे हैं।

वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान दक्षिणी क्षेत्र की बिजली सम्बन्धी आवश्यकता

19519. **श्री आर० प्रभू** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान दक्षिणी क्षेत्र की बिजली की कुल कितनी मांग है;

(ख) इन दो वर्षों के दौरान बिजली का कितना उत्पादन होने का अनुमान है; और

(ग) बिजली के उत्पादन में कितनी कमी है तथा इस असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : (क) से (ग) वर्ष 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान दक्षिणी क्षेत्र में ऊर्जा की प्रत्याशित आवश्यकता, ऊर्जा उत्पादन तथा ऊर्जा की कमी नीचे दी जाती है।

	ऊर्जा की प्रत्याशित आवश्यकता (मिलियन यूनिट)	ऊर्जा का प्रत्याशित उत्पादन (मिलियन यूनिट)	कमी (मिलियन यूनिट)
1984-85	40500	37680	2820
1985-86	47188	43799	3389

ऊर्जा की उपर्युक्त उपलब्धता दक्षिणी क्षेत्र में 1984-85 तथा 1985-86 के दौरान चालू

की जाने वाली यूनिटों तथा ताप विद्युत उत्पादन में सम्भावित सुधार को ध्यान में रखते हुए असंतुलन को समाप्त करने के लिए अनेक उपाय शुरू किए गए हैं। इन उपाय में ये शामिल हैं :

(1) मौजूदा विद्युत केन्द्रों से अधिकतम विद्युत उत्पादन करना।

(2) नई विद्युत उत्पादन क्षमता शीघ्र चालू करना।

(3) फालतू विद्युत वाले राज्यों से विद्युत की कमी वाले राज्यों को विद्युत का अन्तरण।

(4) पारेषण और वितरण हानियों में कमी करना।

रिफेम्पिसीन के निर्माताओं द्वारा अनाशयित लाभ कमाया जाना

10520. **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रिफेम्पिसीन पर आधारित फार्मूलेशन्स के निर्माताओं ने स्वीकृत कीमत और वास्तविक आयात मूल्य में अन्तर के कारण 20 करोड़ रुपए का अनाशयित लाभ अपने पास रखा है;

(ख) अनाशयित लाभ की राशि वापस लेने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और प्रत्येक निर्माता के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत तीन महीनों के दौरान रिफेम्पिसीन फार्मूलेशन्स के निर्माता उन्हें तथा उनके मंत्रालय के अधिकारियों को कब-कब और कितनी बार मिले तथा इन मुलाकातों के क्या परिणाम निकले ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) रिफेम्पिसिन पर अनभिप्रेत लाभ की मात्रा अभी आंकी जा रही है।

(ख) जिन उत्पादकों ने अभी विवरण नहीं दिए हैं उनका ध्यान औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 तथा अनिवार्य वस्तु अधिनियम, 1955 की सम्बद्ध धाराओं की ओर आकर्षित करते हुए उनको नोटिस जारी किए गए हैं। उसी तरह, बाकी उत्पादकों से प्राप्त सूचना के आधार पर अनभिप्रेत लाभ की राशि एकत्र करने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं। उनके उत्तर प्राप्त होने पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

(ग) रिफम्पिसिन फार्मूलेशनों सहित औषधों के उत्पादक तथा उपभोक्ता मुझे तथा वरिष्ठ अधिकारियों को अपनी दैनिक समस्याएं बताने हेतु मिलने के लिए स्वतंत्र हैं।

टेक्नीकल दल द्वारा इथामबुटोल का निर्माण करने वाली फैक्टरियों के निरीक्षण के निष्कर्ष

10521. **श्री तारिक अनवर** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डी०एल-2/डी-2 एमाइनोबुटोल ने इथामबुटोल का निर्माण करने वाली फैक्ट्रियों का निरीक्षण करने वाले टेक्नीकल दल ने रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) इस प्रकार के दौरे के समय दल द्वारा मौके पर जिन पहलुओं की जांच की गई उनका ब्यौरा क्या है और क्या एकत्र की गयी सामग्री पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए हैं और उसे सरकार को सौंप दिया गया है;

(ग) प्रत्येक कम्पनी के सम्बन्ध में दल के क्या निष्कर्ष हैं और इन निष्कर्षों को सरकार को कब प्रस्तुत किया गया था;

(घ) सरकार ने निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) क्या यह सच है कि दल ने पाया है कि अधिकांश निर्माता इथामबुटोल को 625/- रु० से 650/- रु० प्रति कि०ग्रा० के हिसाब से बेचते हैं जब कि सरकारी निर्धारित मूल्य 750 रु० प्रति किलोग्राम है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी नहीं।

(ख) दल ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न पहलुओं की जांच की जिनमें वर्ष 1982-83 तथा 1983-84 के दौरान इथाम्बुटोल के उत्पादन के लिए डी 2-अमीनोबुटानोल/डी एल-2 अमीनाबुटानोल तथा डी-तारतारिक एसिड तथा अन्य कच्चे माल का क्रय तथा उपयोग भी सम्मिलित है।

(ग) समिति ने अभी अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करने हैं।

(घ) तथा (ङ) आगे कार्यवाही करने या इथाम्बुटोल के विक्रय मूल्यों की जांच का प्रश्न तभी उठेगा जब समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ओ०एस०वी० का खरीदा जाना

10522. **डा० वसन्त कुमार पंडित** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के कार्यों में हो रही वृद्धि को ध्यान में रखते हुए क्या निगम को वर्ष 1986 और 1987 के दौरान कितने ओ०एस०वी० की आवश्यकता होगी।

(ख) क्या भारतीय प्राइवेट नौवहन कम्पनियां जिनके पास नौवहन सम्बन्धी विशेष जानकारी उपलब्ध है ऐसी नौकाएं खरीदने और उन्हें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को किराए पर देने को तैयार है; और

(ग) यदि हां, तो तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा ऐसी नौकाएं खरीदे जाने के क्या कारण हैं जबकि उनके पास नौवहन संबंधी विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 1984-85 तक तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग को 42 ओ०एस०वी० की आवश्यकताओं को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ख) जी, हां ।

(ग) अपने स्वामित्व वाले रिगों और प्लेटफार्मों की मरम्मत आदि करने के लिए आवश्यक ओ०एस०वी० को तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा खरीदा जाना है और शेष को चार्टर किराये पर लिया जाना है । इस आधार पर भारतीय नौवहन कम्पनियों को अभी तक 26 ओ० एस०वी० खरीदने की अनुमति दी जा चुकी है ।

औषधियों पर से नियंत्रण हटाने के लिए औषध मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यदल की सिफारिशों में संशोधन

10523. **श्री बी० वी० देसाई**
श्री पी० एम० सईद } : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा औषधियों के लिए गठित किए गए कर्णधार दल ने देश में निर्मित औषधियों के 75 प्रतिशत पर से नियत्रण हटाने हेतु औषधि मूल्य निर्धारण सम्बन्धी कार्यदल की सिफारिशों में आमूल संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसा करने के मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार को जानकारी है कि नियंत्रण हटाने की सिफारिश, केवल इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद ही की जा सकती है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को यह जानकारी भी है कि नियंत्रण हटाने से मूल्यों में तुरन्त कम से कम 50 प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (ङ) मूल्य निर्धारण, नीति और पद्धति पर कार्यकारी दल ने राष्ट्रीय औषध और भेषज विकास परिषद को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है । विभिन्न दलों की सिफारिशों की जांच करने और परिषद को अपने सुझाव देने के लिए परिषद ने एक संचालन समिति का गठन किया है । संचालन समिति की केवल दो बैठकें हुई है । सरकार परिषद की सिफारिशें प्राप्त होने के पश्चात कोई अन्तिम निर्णय लेगी ।

दडकारण्य एम्पलाईज एसोसिएशन, कोरापुट यूनिट (उड़ीसा) की ओर से ज्ञापन

10524. **श्री अजित बाग** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको दण्डकारण्य एम्पलाईज एसोसिएशन (नान गजेटिड) कोरापुट यूनिट (उड़ीसा) की ओर से प्रधान मंत्री को संबोधित दिनांक 23 मार्च, 1984 का ज्ञापन संख्या-आर० पी/84 प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो ज्ञापन की मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) ज्ञापन में उल्लिखित मुद्दों के सम्बन्ध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी. हां।

(ख) दण्डकारण्ड कर्मचारी संघ (अराजपत्रित), जो कि मान्यता प्राप्त संघ नहीं है, के ज्ञापन में निम्न मुद्दों को उठाया गया है :—

(1) स्टाफ की विभिन्न श्रेणियों अर्थात् चालक चिकित्सा, तथा जन-स्वास्थ्य, भूमि सर्वेक्षण स्टाफ तथा शिक्षकों इत्यादि के वेतनमानों में संशोधन।

(2) 10-1-1977 अर्थात सामान्य अनुदेशों के जारी होने की तारीख से समूह 'ग' और 'घ' में चयन ग्रेड पदों का सृजन।

(ग) उक्त मुद्दों से संबंधित स्थिति निम्नानुसार है :—

(1) विभिन्न श्रेणियों के वेतनमानों में संशोधन।

(क) **चालक**

दण्डकारण्ड परियोजना के 90 भारी वाहन चालकों, जिन्हें बी०एम० पी० वर्ग के वाहनों को चलाना पडता है, के वेतनमानों में संशोधन करके 260-350 रु० से बढ़ाकर 260-400 रु० किया गया है।

(ख) **चिकित्सा तथा जन-स्वास्थ्य**

दण्डकारण्य परियोजना में चिकित्सा अधिकारियों के 9 पदों के वेतनमानों में संशोधन करके 650—1200 रु० से बढ़ाकर 700—1300 रुपये किया गया है।

(ग) **पशु-चिकित्सा सहायक सर्जन**

दंडकारण्य परियोजना में पशु-चिकित्सा सहायक सर्जनों के वेतनमान में संशोधन करके 425—640 रुपये से बढ़ाकर 550—900 रुपये किया गया है।

(घ) **भूमि-सर्वेक्षण स्टाफ, शिक्षण-स्टाफ आदि**

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के विभिन्न वेतनमानों की जांच के लिए चतुर्थ वेतन आयोग का गठन किया गया है। आयोग द्वारा दंडकारण्य परियोजना के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों के वेतनमानों पर भी विचार किया जाएगा।

(.) 10-1-1977 अर्थात सामान्य अनुदेशों के जारी होने की तारीख से समूह 'ग और 'घ' में चयन ग्रेड पदों का सृजन।

जब कभी वित्त मंत्रालय के दिनांक 10-1-1977 के कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित सामान्य नियमों में छूट देकर चयन ग्रेड पदों का सृजन किया जाता है, तो सामान्यतः मंजूरी तारीख 10-1-1977 से लागू न होकर आदेश जारी होने की तारीख से लागू होती है।

उर्वरकों की खपत में पर्याप्त वृद्धि के कारण उर्वरक उद्योग को कठिनाई

10424क. **श्री के० मलन्ना** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में उर्वरक खपत में अपर्याप्त वृद्धि के कारण उर्वरक उद्योग को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा समस्या का अध्ययन करने और स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पिम्परी को घाटे के बारे में दिनांक 17-4-84 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7782 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : सदन का ध्यान दिनांक 17 अप्रैल, 1984 के अतारांकित प्रश्न सं० 7782 के संबंध में दिए गए उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को भाग (क) और (ख) का उत्तर पढ़ा जाये और भाग (ख) और (ग) के उत्तर को भाग (ग) और (घ) का उत्तर पढ़ा जाये ।

त्रुटि टंकण गल्ती के कारण हुई जिसके लिए खेद है ।

रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के बारे में दिनांक 17-4-1984 के अतारांकित प्रश्न संख्या 7849 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : अतारांकित प्रश्न सं० 7849 दिनांक 17-4-1984 के भाग (ग) और (घ) के उत्तर में सारणी के कालम शीर्षकों में टाईपिंग में गल्ती हो गई है ।

पहले दी गई सारणी के स्थान पर नीचे दी गई संशोधित सारणी प्रतिस्थापित की जाए :

वर्ष	पंजीकरणों की तुलना में नियुक्तियों की प्रतिशतता	
	विकलांग	समग्र
1981	21·8	8·0
1982	22·1	8·1
1983	16·0	7·2

12.00 म० प०

श्री सतीश अग्रवाल '(जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे एक तुच्छ अनुरोध है। मैं जम्मू और कश्मीर में वर्तमान स्थिति का स्थल पर जाकर अध्ययन करने के लिए संसद सदस्यों का एक दल भेजने के बारे में जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री द्वारा आपको लिखे गए पत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : अध्यक्ष कभी ऐसा नहीं करता.....

(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें जवाब दे रहा हूं।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : यह निर्णय सदन को करना है, अध्यक्ष को नहीं। अध्यक्ष अपनी मर्जी से कभी कुछ नहीं करता।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे या आपके लिये नहीं है। यह पूरे सदन को निर्णय करना है। यह मेरा निर्णय है और मैं समझता हूं कि मेरे पूर्ववर्ती सभी अध्यक्षों ने भी यह निर्णय किया होगा। मैं इस प्रतिष्ठित सदन के निर्णय से बंधा हुआ हूं। जो कुछ सदन में सर्वसम्मति से निर्णय किया जाता है मैं उसका पालन करता हूं।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो० मधुदण्डवते को बोलने के लिये कहा है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : कुछ नहीं। मैंने किसी को बोलने की अनुमति नहीं दी है। हां, प्रोफेसर साहब आप बोलें।

(**व्यवधान**)**

प्रो० मधु दण्डवते (रांजापुर) : मैं कल आपको बताना चाहता था।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : यह समाचार पत्रों में पहले हीं छप चुका है।

(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : वे पहले ही कह चुके हैं।

(**व्यवधान**)**

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनिए । उन्होंने मुझे लेटर भेजा है । मैंने लेटर रिसीव किया है। उसके कंटेन्ट्स वही है ।

मैं स्वयं निर्णय नहीं लेता । पूरे सदन को सर्वसम्मति से निर्णय करना है । पंजाब के बारे में यह वैसा ही प्रश्न था ।

जब तक हाउस डिसाइड नहीं करता, मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करता ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ नहीं जानता ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने प्रो० मधु दण्डवते को कहा है कि यदि वे कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं ।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मुझे विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है । मैंने किसी को अनुमति नहीं दी है । यदि प्रो० मधु दण्डवते कुछ कहना चाहें तो उन्हें बोलने की अनुमति दी गई है । प्रोफेसर साहब आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

प्रो० मधु दण्डवते : मैं यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्री द्वारा कल सोंगा में दिए गए वक्तव्य से और भी शांति हो गई है । यह पहले दिए गए वक्तव्य के विपरीत है ।

अध्यक्ष महोदय : नहीं । इस पत्र के सम्बन्ध में मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो सूचना मुझे भेजी गई है उसे मैंने गृह मंत्री को भेज दिया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : निदेश 115 के अन्तर्गत गृह मंत्री का वक्तव्य गलत है ।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे भेज दिया है । उन्हें इसका उत्तर देना है ।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या उनका कोई उत्तर प्राप्त हुआ है ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे आज ही भेजा है । मैंने इसे भेज दिया है ।

प्रो० मधु दण्डवते : केवल एक दिन शेष है । मुझे नहीं पता कि हम फिर मिलेंगे भी कि नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं इससे ज्यादा जल्दी कर सकता था ? क्या मेरी ओर से और जल्दी हो सकती थी ?

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, जैसे ही आपको पत्र प्राप्त हुआ, आपने भेज दिया । हम केवल आपसे यही आशा कर सकते हैं । कल अंतिम दिन है । उन्हें वक्तव्य देने दें ।

अध्यक्ष महोदय : यदि वह वक्तव्य देना चाहें तो अब दे सकते हैं ।

...(व्यवधान)...

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह पर खड़े होकर बात करिए। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं होता है। मैं आप दोनों मैडम से कह रहा हूं कि आप अपनी जगह पर खड़े रहें, मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगा।

···(**व्यवधान**)···

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : यह बहुत अच्छी बात है कि एक तरफ सरकार उग्रवादियों के खिलाफ कार्यवाही कर रही है, लेकिन···

अध्यक्ष महोदय : और कोई बात है तो बताइए।

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं। अनुमति नहीं।

···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात आप करते हैं। मैंने उस दिन जो कहा था, वही आज अर्ज कर रहा हूं। उस दिन भी वही रुलिंग था और आज भी वही है। आप दोबारा क्यों दोहराते हैं। एक दफा रुलिंग दे दिया है।

···(**व्यवधान**)···

श्री अब्दुल रशीद काबुली (श्रीनगर) : अध्यक्ष महोदय, आज अखबार में आया है कि खान अब्दुल गफ्फार खान जी बहुत बीमार हैं। वे इलाज के लिए अफगानिस्तान गए थे। पांच हफ्ते के बाद पाकिस्तान वापिस लौट आए हैं। वे हमारे बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर हैं और उनकी बड़ी सैक्रिफाइसेस हैं।

अध्यक्ष महोदय : काबुली जी आप में एक बुरी आदत है कि आप दूसरे की बात नहीं सुनते हैं। मैंने आपकी बात सुन ली है। मैंने आपसे अर्ज किया हुजूरे अनवर, जिल्ले-इलाही कि हमने हाउस में कहा था कि वे हमारे बहुत माननीय नेता हैं। हम उनकी सेवा करने के लिए तैयार हैं। इलाज कराने के लिए अब भी तैयार हैं।

श्री अब्दुल रशीद काबुली : मेरी ख्वाहिश थी कि उनको दावत दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं।

···(**व्यवधान**)···

श्री रतन सिंह राजदा (दक्षिण बम्बई) : मैंने विशेषाधिकार भंग का नोटिस दिया है। आपने गृह मंत्री से बात करनी थी। मुझे नहीं पता कि गृह मंत्रालय में कोई उत्तर दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी जानकारी में है। मैं इसे कर दूंगा। चिन्ता न करें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : अध्यक्ष महोदय, मेरे एडजार्नमेंट मोशन देने पर अपने एग्री नहीं किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको कह दिया, क्या आपको मेरे ऊपर एतबार नहीं है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अध्यक्ष महोदय, मैं होम मिनिस्ट्री की बात नहीं कह रहा हूं। मैं टूरिज्म मिनिस्टर के बारे में कहना चाहता हूं आप मुझे आधा मिनट दे दीजिए। जम्मू-काश्मीर टूरिज्म के ऐसे मसले पैदा हो गए हैं, जिन पर श्री खुर्शीद आलम खान साहब को हमारी बात सुननी पड़ेगी। वे टूरिज्म के इनचार्ज हैं। उनको यह देखना पड़ेगा। आपको हमारे साथ हमदर्दी है।

अध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुन लीजिए। आप वक्तव्य दे रहे हैं। व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठा रहे हैं। मैंने कल वायदा किया था कि आपको नियम 377 की अनुमति दे दूंगा। और मैं अनुमति दूंगा। मैं वचनबद्ध हूं। मैं जब वचन देता हूं तो उसे पूरा करता हूं। मैं वचन नहीं तोड़ता।

···(**व्यवधान**)···

अध्यक्ष महोदय : आप इस तरीके से नजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। यह मेरा काम है।

···(**व्यवधान**)···

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : जीवन बीमा निगम के 46,000 कार्य मंत्री आज हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह तो चलता रहता है।

···(**व्यवधान**)···

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, भीषण गर्मी पड़नी शुरू हो गई है। पानी अभाव शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के बांदा में तीन रु० टिन पानी बिक रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप वहां क्या करते हैं। वहां कुछ खींचिए।

···(**व्यवधान**)···

श्री दौलतराम सारन (चुरू) : राजस्थान में भी पानी की बहुत कमी है, इन्सान और पशु दोनों प्यासे मर रहे हैं···

अध्यक्ष महोदय : इस में ये क्या करेंगे ? यह स्टेट का मामला है।

श्री आर० एन० राकेश (चैल) : अध्यक्ष महोदय, मैंने लिख कर दिया था कि टैलो की डील में कामर्स मिनिस्टर ने**···। उस का क्या हुआ ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास जवाब आ गया है।

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : सबसे पहली बात तो यह कि मैं जम्मू-काश्मीर वाली बात का समर्थन करता हूं, मुझे उम्मीद है आप इस को रिकार्ड पर जाने देंगे।

श्री आर० एन० राकेश : आपने क्या कहा ?··· (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इसको नहीं जाने दूंगा, आगे जो कहेंगे उसको जाने दूंगा। इस तरह से एलीगेशन नहीं लगाया करते हैं, इसको दूसरे ढंग से करते हैं।

मैं कहना चाहता हूं---किसी मिनिस्टर या मेम्बर के खिलाफ सीधे एलीगेशन नहीं किया करते हैं, यह रूल के खिलाफ हैं···

श्री आर० एन० राकेश : मैं आपकी बात समझा नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से सीधे एलीगेशन लगाना रूल के खिलाफ है, इसका दूसरा तरीका है। फिर भी आपने जो कहा है उसका जवाब दिलवाऊंगा।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : फिर भी कोई ऐसा करे, तो आप क्या करोगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपने ही रूल बनाये हैं···

श्री मनीराम बागड़ी : फिर भी कोई करे तो आप क्या करोगे ?

अध्यक्ष महोदय : आपने ही रूल बनाये हैं, इसलिये आप क्यों तोड़ेंगे ?

श्री रामविलास पासवान : 5 सितारा होटलों में गऊ-मांस परोसे जाने के सम्बन्ध में मैंने प्रिवलेज का मोशन दिया है···

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

श्री रामविलास पासवान : मैंने तीन दिन पहले दिया है और प्रूफ के साथ दिया है।

अध्यक्ष महोदय : शायद आपने पढ़ा नहीं है, मैंने प्रूफ के साथ दिया है कि गाय का मांस वहां रखा जाता है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने भेज दिया है ?

श्री रामविलास पासवान : कहां भेज दिया है ?

अध्यक्ष महोदय : कन्सीडर करने के लिये भेजा है।

श्रीमती प्रमिला दण्डवते (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय, पार्लियामेन्ट्री अफेअर्स मिनिस्टर श्री बूटा सिंह हमारे पास आये थे और उन्होंने कहा था कि प्रिवेन्शन-आफ-डावरी बिल को आज इन्टोड्यूस कर रहे हैं। कल हमारी महिला समिति की बैठक भी हो गई। लेकिन यह बिल न तो आज के लिस्ट आफ बिजनेस में है और न कल के लिस्ट आफ बिजनेस में है···

कुछ माननीय सदस्य : हम उनका समर्थन करते हैं।

श्री रतन सिंह राजदा (बम्बई दक्षिण) : पूरा सदन इसका समर्थन करता है।

संसदीय कार्य, खेल और निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं भी इतना ही इच्छुक हूं क्योंकि मैंने माननीय सदस्यों से अपने कमरे में बात की है और मैं इस करने का प्रयास कर रहा हूं। मैं समझता हूं कि सत्र समाप्त होने से पहले इसे प्रस्तुत कर दिया जाएगा—**व्यवधान** मेरा मतलब सदन स्थगित होने से पहले।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी): जम्मू और कश्मीर के मुख्य मंत्री ने कश्मीर में पर्यटन के बारे में एक पत्र लिखा है। यदि ऐसा पत्र आपको मिला है···

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक है। मैंने इसमें हिस्सा दिया है। मेरी जेब में कुछ नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : मैं तो, अध्यक्ष महोदय, यह दरख्वास्त करना चाहता था कि इन्सानी जिन्दगी की कीमत कुछ केन्द्र की निगाह में भी होनी चाहिये। आज किसान की जिन्दगी मक्खी और मच्छर से भी कम कीमत पर आ गई है। 40 आदमी बस में सफर कर रहे थे···

अध्यक्ष महोदय : वह किसी के बस की बात नहीं है। गवर्नमेन्ट नहीं चाहती है कि लोग मरें।

श्री मनीराम बागड़ी : बस में सफर करते हुए चालीस आदमी मर गये, क्या उसकी जिम्मेवारी गवर्नमेन्ट पर नहीं है? सरकारी बिजली से मरे हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : मुझे प्रसन्नता है कि गृह मंत्री यहां मौजूद हैं। आपने त्रिपुरा-बांग्लादेश सीमा पर उग्रवादियों की गतिविधियों के बारे में समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा। केन्द्रीय सरकार क्या कर रही है? राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार से अपील कर रही है। वे यहां हैं···क्या किया जा सकता है? उस दिन मैंने यह बात उठाई थी।

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे दें। मैं इसे उनके पास भेज दूंगा।

अध्यक्ष महोदय : कुछ अन्य सदस्य यह सोच रहे होंगे कि उनके विचार से वे महत्वपूर्ण नहीं हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह एक अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है।

अब सभा-पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

12.15 म० प०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पैट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, धालीगांव के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की

उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पर रखता हूं :

(1) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, धालीगांव, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, धालीगांव, का वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एल० टी० 8332/84]

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 22 के अन्तर्गत प्रतिवेदन, विधि आयोग का 93वां प्रतिवेदन, भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1977-78 में वर्ष 1982-83 तक के वार्षिक प्रतिवेदन, संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1980-81 में वर्ष 1982-83 तक के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा-परीक्षित लेखे

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 62 के अन्तर्गत, महाराष्ट्र राज्य में चन्द्रपुर जिले में तालुका वारोरा में अर्थ-मूविंग उपकरणों के विनिर्माण के लिए एक नये उपक्रम की स्थापना हेतु मेसर्स वोल्टास लिमिटेड, बम्बई के मामले में, उक्त अधिनियम की धारा 22 के अन्तर्गत प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा केन्द्रीय सरकार का 30 मार्च, 1984 का आदेश ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एल० टी० 8333/84]

(2) जनसंचार माध्यम द्वारा जानकारी के स्रोतों के प्रकटन के संबंध में विधि आयोग के 93वें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गई । **देखिये** संख्या एल० टी० 8334/84]

(3) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, का वर्ष 1977-78 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

[श्री जगन्नाथ कौशल]

(दो) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, का वर्ष 1978-79 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(तीन) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, का वर्ष 1979-80 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(चार) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, का वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(पांच) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेवन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(छः) भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 8335/84]

(5) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, का वर्ष 1980-81 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, का वर्ष 1981-82 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(तीन) संवैधानिक तथा संसदीय अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली, का वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।
[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 8336/84]

सातवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान विभिन्न मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों आदि कर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले विवरण

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं सातवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा की गई

प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विवरण संख्या 23 — पांचवां सत्र 1981
(2) विवरण संख्या 18 — छठा सत्र 1981
(3) विवरण संख्या 16 — आठवां सत्र 1982
(4) विवरण संख्या 12 — नवां सत्र 1982
(5) विवरण संख्या 11 — दसवां सत्र 1982
(6) विवरण संख्या 9 — ग्यारहवां सत्र 1983
(7) विवरण संख्या 5 — बारहवां सत्र 1983
(8) विवरण संख्या 3 — तेरहवां सत्र 1983
(9) विवरण संख्या 2 — चौदहवां सत्र 1984

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 8337/84]

भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन—संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग दो—खनिज निगम लिमिटेड

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : श्री एम० एम० कृष्ण की ओर से, मैं संविधान के अनुच्छेद 151 (1) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक-संघ सरकार (वाणिज्यिक) भाग दो—खनिज निगम लिमिटेड के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल० टी० 8336/84]

(व्यवधान)**

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : खड़े हुए।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें स्वीकृति नहीं दी है। उनकी किसी भी बात को कार्यवाही वृतान्त में शामिल नहीं किया जायेगा।

श्री दलबीर सिंह।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 1982-83, नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के 12 जनवरी, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन आदि

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

** कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री योगेन्द्र मकवाना]

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन—भाग 2 (प्रशासन तथा वित्त) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 8339/84]

(3) (एक) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 17 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के 12 जनवरी, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक की अवधि के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नारियल विकास बोर्ड अधिनियम, 1979 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के 12 जनवरी, 1981 से 31 मार्च, 1983 तक की अवधि के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) नारियल विकास बोर्ड, कोचीन के 12 जनवरी, 1981 से 31 मार्च, 1982 तक की अवधि के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिये** संख्या एल० टी० 8340/84]

तेल उद्योग (विकास) बोर्ड कर्मचारी (छुट्टी) नियम, 1984

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : मैं श्री गार्गी शंकर मिश्र की ओर से तेल उद्योग (विकास) अधिनियम, 1974 की धारा 31 की उपधारा (3) के अन्तर्गत, तेल उद्योग (विकास) बोर्ड कर्मचारी (छुट्टी) नियम, 1984 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 12 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 277 (अ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिये** संख्या एल० टी० 8341/84]

नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नैवेली के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन आदि

ऊर्जा **मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह)** : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :

(1) नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नैवेली, के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा ।

(2) नैवेली लिगनाइट कारपोरेशन लिमिटेड, नैवेली का वर्ष 1982-83 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 8342/84]

अधिसूचना संख्या 239/82-के० उ० शु० की वैधता की अवधि को 30 अप्रैल, 1985 तक बढ़ाने वाली अधिसूचना और वर्ष 1982-83 के संघ सरकार के वित्त लेखे

श्री जनार्दन पुजारी : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 313 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 30 अप्रैल, 1984 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जिसके द्वारा 1 नवम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या 239/82—के० उ० शु० को० वैधता की अवधि को 30 अप्रैल, 1985 तक बढ़ाया गया है ।

[ग्रंथालय में रखे गये । **देखिये** संख्या एल० टी० 8343/84]

(2) वर्ष 1982-83 के संघ सरकार के वित्त लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[ग्रंथालय में रखी गयी । **देखिये** संख्या एल० टी० 8344/84]

12.16 म० प०

राज्य सभा से सन्देश

महा सचिव : मुझे राज्य सभा के महा सचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है :

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उप-

[महा सचिव]

बंधों के अनुसरण में, मुझे लोकसभा को यह लाने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 7 मई, 1984 को हुई अपनी बैठक में लोकसभा द्वारा 24 अप्रैल, 1984 को पारित किए गए मुगल लाइन लिमिटेड (शेयरों का अर्जन) विधेयक, 1984 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।"

12.16 म० प०

प्राक्कलन समिति

85वां प्रतिवेदन और तत्सम्बन्धी कार्यवाही-सारांश तथा की-गई-कार्यवाही के बारे में 86वां प्रतिवेदन

श्री बंसी लाल (भिवानी) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(एक) निर्माण और आवास मंत्रालय—दिल्ली विकास प्राधिकरण—भाग I के बारे में समिति का 85वां प्रतिवेदन और समिति की तत्संबंधी बैठकों के कार्यवाही-सारांश।

(दो) वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग)—प्रत्यक्ष कर (धन कर, दान कर और सम्पदा शुल्क)—भाग 2 के संबंध में समिति के 29वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 86वां प्रतिवेदन।

12.17 म० प०

सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति

(एक) 15वां प्रतिवेदन

श्री पी० वी० जी० राजू (बोबली) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति का 15वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

(दो) 7 मई, 1984 की बैठक का कार्यवाही-सारांश

श्री पी० वी० जी० राजू : मैं सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की 7 मई, 1984 को हुई बैठक के कार्यवाही-सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं।

12.17½ म० प०

सभा पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति

(एक) 20वां प्रतिवेदन

श्रीमती कृष्णा साही : मैं सभा-पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति का 20वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं।

(दो) कार्यवाही सारांश

श्रीमती कृष्णा साही : मैं सभा-पटल पर रखे गये पत्रों सम्बन्धी समिति के 20वें प्रतिवेदन से सम्बन्धित बैठकों के कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैं यह चाहता हूं कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेने से पूर्व मंत्री महोदय विधेयकों को पुरःस्थापित करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप कृपया उनको निर्देश दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनको निदेश नहीं दे सकता। आपका निवेदन ही पर्याप्त है। मेरी भांति आप भी एक माननीय सदस्य है। मैं आपके निवेदन को उन तक पहुंचाता हूं। श्री मकवाना।

12.18 म० प०

बहु-राज्य सहकारी सोसायटी विधेयक*

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाना) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो एक से अधिक राज्य के सदस्यों का हितसाधन कर रही है, से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि ऐसी सहकारी सोसाइटियों, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है और जो एक से अधिक राज्य के सदस्यों का हितसाधन कर रही हैं, से सम्बन्धित विधि का समेकन और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप विधेयक पुरःस्थापित कर सकते हैं।

श्री योगेन्द्र मकवाना : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* दिनांक 7-5-84 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड 2, में प्रकाशित।

15.19 म० प०

विद्युत (प्रदाय) संशोधन विधेयक*

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खां) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री आरिफ मोहम्मद खां : मैं विधेयक को पुर:स्थापित करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को लेते हैं । श्रीमती पटनायक यहां पर मौजूद नहीं हैं । श्री पासवान । आप बहुत ही संक्षिप्त में अपना भाषण दीजिए । केवल 10 मिनट की अनुमति है ।

12.19½ म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

सीमापुरी (दिल्ली) में हाल ही में भीषण अग्निकांड और उसके परिणाम-स्वरूप जान-माल की भारी हानि होने का समाचार

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर सदन का ध्यान दिलाता हूं और गृह मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे सदन में वक्तव्य दें—

"सीमापुरी (दिल्ली) में हाल ही में भीषण आग लगने और उसके परिणामस्वरूप जान-माल की भारी हानि होने के समाचार तथा इसके सबंध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही ।"

12.20 म० प०

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**]

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : महोदय, 3 मई, 1984 को 15.05 बजे शाहदरा अग्नि शमन केन्द्र के वाच रूम में आग के बारे में सूचना प्राप्त हुई कि दिल्ली परिवहन निगम के

---

* दिनांक 7-5-84 के भारत के असाधारण राजपत्र भाग II, खण्ड 2, में प्रकाशित ।

शाहदरा बस स्टाप के निकट नई सीमापुरी में एक झुग्गी में आग लग गई है । सूचना प्राप्त होने के तुरन्त बाद शाहदरा अग्नि शमन केन्द्र से आग बुझाने वाली दो गाड़ियां भेजी गईं । रास्ते में आकाश में गहरा धुआं देखकर अग्नि शमन कर्मचारियों ने हैडक्वाटर कंट्रोल रूम को अधिक सहायता भेजने के लिए संदेश भेजा । 12 मिनट में शाहदरा अग्नि शमन केन्द्र से दो फायर यूनिट घटनास्थल पर पहुंचीं और अग्नि शमन कार्य शुरू कर दिया । अधिक ताप और तेज हवा तथा झुग्गियों के निर्माण में प्रयोग की गई ज्वलनशील सामग्री के कारण आग इतनी जल्दी फैली कि उसने लगभग 5 एकड़ क्षेत्र में बनी झुग्गियों तथा सड़क के पार पुनर्वास बस्ती के कुछ मकानों और दुकानों को भी अपनी चपेट में ले लिया। 39 अग्नि शमन यूनिटें 16.45 बजे तक आग बुझाने में कामयाब हो सकीं ।

अग्निकाण्ड में 7 जानें गईं और 6 व्यक्ति घायल हो गये । पुलिस द्वारा की गई प्राथमिक जाँच-पड़ताल से मालूम होता है कि आग आरम्भ में एक झुग्गी में चूल्हे के कारण लगी जो जलता हुआ छोड़ दिया गया था । आग की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए दिल्ली के उप राज्यपाल ने मैजिस्टेरियल जाँच का आदेश दिया है जो एक अपर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा की जानी है और जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :—

(i) आग का तात्कालिक कारण निश्चित करना और वह घटनाक्रम मालूम करना जिनके परिणामस्वरूप आग लगी ।

(ii) स्थिति से निपटने के लिए प्रबन्धों की पर्याप्तता का पता लगाना ।

(iii) आग के परिणामस्वरूप दुर्घटना की सीमा और सार्वजनिक तथा निजि सम्पत्ति को हुई क्षति का अनुमान लगाना; और

(iv) उपर्युक्त से सम्बन्धित अथवा प्रासंगिक अन्य मामलों की जांच करना ।

7 मृत व्यक्तियों में से प्रत्येक के निकटतम संबंधी को 5000/- रुपए और 6 घायल व्यक्तियों को 2500-2500 रुपए दिए गए हैं । यह भी निर्णय किया गया है कि उन 729 परिवारों में से जो बेघर हो गए हैं प्रत्येक को 250/- रुपए दिए जाएंगे । प्रधानमंत्री के सहायता कोष से 3 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं । जो लोग बेघर हो गए हैं उनके लिए तम्बुओं के रूप में अस्थाई शरणगृहों की व्यवस्था की गई है । चिकित्सा सहायता चलती-फिरती डिस्पेंसरियों से दी गई है और घायल व्यक्तियों को लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया । दिल्ली नगर निगम के वाटर टैंकरों द्वारा पानी की व्यवस्था की गई और रैडक्रास सोसाइटी जरूरतमन्द व्यक्तियों को ब्रैड और दूध दे रही है । कुछ अन्य स्वयमसेवी संगठन भी भोजन बांट रहे हैं । सहायता कार्यों का पर्यवेक्षण दिल्ली प्रशासन और दिल्ली नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है ।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, आज हम लोग जिस घटना के संबंध में यहां विचार कर रहे हैं, वह अत्यन्त ही दर्दनाक और दिल को दहलाने वाली घटना है। वहां का सीन अगर आप देखेंगे तो आपका या किसी का भी दिल पिघल सकता है। लाशें, टुकड़ों में जलकर पड़ी हुई हैं। गर्मी के दिनों में जिनकी झोंपड़ी जल गई है, वह बेचारे कैसे रहते हैं। यह सबसे बड़ी समस्या है। मंत्री महोदय ने अभी कहा कि पांच हजार और ढाई हजार रुपया दे दिया गया है। जब मैं गया था तब तक तो उनको मिला नहीं था। मैं इनको चैलेंज नहीं कर सकता हूं क्योंकि हो सकता है, मिल गया हो। इस भयावह घटना को वाणी के द्वारा यहां नहीं कहा जा सकता। मैंने देखा कि महिला, पुरुष या बच्चों ने जो कपड़े पहन रखे हैं, उसके अलावा बदलने के लिए दूसरे कपड़े भी नहीं हैं। यह घटना उस समय घटी जब आफिस का समय था। लोग अपने-अपने आफिसों में जा चुके थे और महिलाएं भी काम करने के लिए चली गई थीं। घर में सिर्फ बच्चे या जो बीमार थे, वह लोग ही थे। ऐसी परिस्थिति में आग लग जाए तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने प्राण त्यागे होंगे। मुझे, वहां पर यह बताया गया था कि काफी लोग मरे हैं। लेकिन जब मैंने पेपर्स में सरकार की ओर से निकाले गए नामों को पढ़ा तो सरकार का कहना सही होगा कि जो लोग मरे हैं उनके परिवार के लोगों को सूचना भेजनी चाहिए थी। मैं यहां पर मंत्री महोदय से दो-तीन महत्वपूर्ण सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे यहां झुग्गी-झोंपड़ी की समस्या केवल यहीं पर ही नहीं है, पहले भी कई बार झुग्गी-झौंपड़ियों में आग लग चुकी हैं और भविष्य में भी लगेंगी। इस बात की पूरी आशंका है। मंत्री महोदय ने इस घटना की मजिस्ट्रेट द्वारा जांच कराये जाने के आदेश जारी किए हैं कि किन परिस्थितियों में यह आग लगी। लेकिन एक बात का मुझे संदेह है कि यह आग खाने पकाने के समय नहीं लगी, यह कोई मामूली घटना नहीं है, क्यों कि आज भी वहां आम लोगों में यह बात चर्चा का विषय बनी हुई है कि कुछ लोग इस झुग्गी-झोंपड़ी वालों को वहां से बेदखल कर देना चाहते हैं, वहां से हटा देना चाहते हैं। अब वे ही लोग उन झुग्गी-झोंपड़ी वालों को वहां फिर से बसने नहीं देना चाहते हैं। इसके पीछे कुछ खास तरह का नियोजित षडयंत्र नजर आता है। मजिस्ट्रेट के द्वारा जब उसकी जांच होगी तो रिपोर्ट से सारे तथ्य सामने आ जाएंगे। फिर भी मैं मंत्री महोदय से दो-तीन महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। मंत्री महोदय, सबसे पहले तो उन लोगों के पास आज खाने की कोई व्यवस्था नहीं है। आपने स्वयं सेवी संस्थाओं का जिक्र किया है, लेकिन जैसा आप जानते हैं किसी स्वयं-सेवी संस्था के भरोसे रहकर किसी आदमी के जीवन को नहीं बचाया जा सकता। निश्चित रूप से इसमें सरकार को आगे आना पड़ेगा। वैसे तो कल भी यहां डिस्कशन हुआ था, लेकिन आप पूरे भारत के गृहमंत्री हैं और यह घटना दिल्ली में घटी है इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप तुरन्त दो-तीन चीजों की व्यवस्था करिए। सबसे पहले तो उनको खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरे, लोगों के पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनके तन ढकने के लिए सरकार की ओर से कपड़े की व्यवस्था होनी चाहिए। तीसरे, उनके पास रहने का अब कोई ठिकाना नहीं रह गया है। वैसे तो सरकार की ओर से ढाई-ढाई सौ रुपया उनको रिलीफ के तौर पर दिया गया है, लेकिन इतने अनुदान से आप समझ सकते हैं कि इस महंगाई के जमाने में क्या हो सकता है। यदि सरकार उनको मकान नहीं दे सकती तो उनके लिए झुग्गी-झोंपड़ी की ही व्यवस्था कीजिए, उनका ही निर्माण करवाईये। उनको कहीं पर शैल्टर या छाया में तो रखिए, उसकी व्यवस्था सरकार को अविलम्ब करनी

चाहिए । क्योंकि उपाध्यक्ष महोदय, आज उनमें भीख मांगने तक की नौबत आ गई है । इसके बाद मंत्री महोदय यह स्पष्ट करें कि दिल्ली में और खास कर यमुना-पार कितनी झुग्गी-झोंपड़ी कलोनियां हैं । जैसा मैंने पहले भी कहा, आज तक उनमें पहले ही आग न लगी हो, लेकिन उसकी संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता, आपने आगं लगने से रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं, उनको भी मंत्री महोदय स्पष्ट करें । विभिन्न समाचार पत्रों से ऐसा ज्ञात होता है कि जब वहां आग लगी तो उसके काफी देर बाद उसको बुझाने की व्यवस्था की जा सकी, दमकल काफी देर बाद वहां पहुंची । यह बात भी निश्चित तौर पर सही है कि आप के पास जमुना पार इलाके में दमकल केन्द्र सफीशियेंट मात्रा में नहीं हैं । वहां अभी तक केवल दो केन्द्र ही बने हुए हैं इसलिए कुछ अधिक केन्द्रों के खोले जाने की आवश्यकता है । जैसा यहां एक माननीय सदस्य ने भी कहा, भविष्य में इस तरह की आग को रोकने के लिए सरकार ने क्या प्रीवैन्टिव मैयर्स उठाये हैं ताकि इस तरह की आग दोबारा न कहीं लग सके । सबसे बड़ी बात यह भी होती है कि हमारे पास पानी की व्यवस्था क्या है । यदि कहीं हमारे पास पानी की व्यवस्था न हो तो मशीन के पहुंचने या न पहुंचने से कोई फर्क नहीं पड़ता । फिर वह पानी कहां से लेगी । मुझे बताया गया है कि वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, लगभग हजार झुग्गी-झोंपड़ियों के बीच में एक नलका है, जहां से लोग अपना पीने का पानी लेते हैं। वैसे तो प्रधान मंत्री सहायता कोष से तीन लाख रुपये स्वीकृत किए हैं, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं, इसके साथ ही आपने भी मृत व्यक्तियों के परिवारों को पांच-पांच हजार रुपये देने की घोषणा की है, लेकिन फिर भी यह राशि बहुत कम है । आपको मानवीय दृष्टिकोण को सामने रखते हुए सहायता राशि को बढ़ाना चाहिए । क्योंकि जब कोई आदमी ट्रेन दुर्घटना में मरता है, जो कोई आदमी किसी प्लेन दुर्घटना में मरता है तो उसको आप एक लाख रुपया देते हैं । फिर क्या वजह है कि जो अभागे लोग, आग लगने से मरते हैं, उनको आप एक लाख रुपया नहीं दे सकते । इस दुर्घटना में सात व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, मैं चाहता हूं कि उनमें से प्रत्येक परिवार को आप ह्यूमैनिटेरियन ग्राउन्डस पर कम से कम 50 हजार रुपया सहायता राशि देने की घोषणा करें । जो लोग झुलस गये हैं उनके लिये भी 10,000 रु० की तत्काल व्यवस्था करनी चाहिये और यह भी देखा जाय कि यह पैसा उनको मिल जाय, ऐसा न हो कि बीच में ही लोग खा जायें और उस रुपए को लेने में कठिनाई न हो । हमें लोगों ने बताया कि जो नहीं भी जले हैं, या जिनका कोई नुकसान नहीं हुआ है उनके नाम से पैसा ले लिया जायगा और जो वाकई में पीड़ित हैं उन्हें पैसा नहीं मिलेगा । इसलिये आपको देखना है कि रुपया उन लोगों तक पहुंच जाये जो इस आग से मरे हैं, जख्मी हुए हैं या जिनको नुकसान पहुंचा है । जिनकी झोंपड़ी जली है उनके लिये झोंपड़ी की व्यवस्था की जाय, या कम से कम 2,000 रु० झोंपड़ी बनाने के लिये दिये जायें ।

झुग्गी झोंपड़ियों में जो आग लगती है अक्सर देखा गया है कि वहां जाने का कोई रास्ता नहीं होता है । हमारे पास नाम हैं जहां लोग नहीं पहुंच पाते हैं । यदि आग लग जाये और कोई वहां पहुंचना चाहे दमकल लेकर तो वहां जाने का रास्ता नहीं होता है । दिल्ली में जब इस तरह की झुग्गी झोंपड़ियां हैं तो सरकार को देखना चाहिये कि उनमें आने जाने का रास्ता होना चाहिये । ऐसा न होने से लोगों की जानमाल, सम्पत्ति नष्ट होती है और घर जलते हैं । इसलिये दिल्ली में जो

[श्री राम विलास पासवान]

भी झुग्गी झोंपड़ियां हैं वहां देखना चाहिये कि रोशनी की व्यवस्था है कि नहीं, सड़क की व्ययस्था है कि नहीं, पानी की व्यवस्था है कि नहीं और साफिशियेंट मात्रा में आग बुझाने वाली मशीनें हैं कि नहीं। अपने उत्तर में मंत्री महोदय बतायें कि इनके यहां कितनी इस तरह की झुग्गी झोंपड़ियां हैं, और इस तरह की आशंका को समाप्त करने के लिये कितने दमकल हैं और भविष्य में कितनी जगह पर दमकल खोलने का प्लान बनाया है, कितनी गाड़ियां हैं ? और क्या सरकार पुनः विचार करेगी कि 5,000 रु० की राशि को बढ़ाया जाय। इसी तरह जो राशि घायलों के लिये रखी है उसको भी बढ़ाया जाय और जो बेघरबार हो गये हैं उनके लिये घर बसाने की योजना है कि नही और साथ ही उनके लिये भोजन की व्यवस्था करने की भी योजना है कि नहीं ?

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली में लगभग सवा लाख के करीब झुग्गी झोंपड़ियों का अनुमान लगाया गया है, यद्यपि इसकी सही जनगणना अभी नहीं हुई है। लेकिन उन झुग्गी झोंपड़ियों को जो 1977 तक थीं उनको पहले ही रेगुलराइज कर दिया गया। उसके बाद फिर प्रश्न उठा। फिर 1980 तक यह अवधि बढ़ा दी गई और 1980 तक जितनी झुग्गी झोपड़ियां हैं उनको भी वहां रहने दिया गया। यह जितनी झुग्गी झोपड़ियां जली हैं इनको इस स्थान से हटाने का कोई प्रश्न नहीं हैं। उनको वहीं बसाया जायेगा।

जहां तक 5 हजार रु० की राशि है, मैं स्वयं महसूस करता हूं कि यह रकम कम है, और मैं लेफ्टीनेंट गवर्नर से इस बात के लिये कहूंगा कि 5,000 रु० की राशि को बढ़ाया जाय और कम से कम इसको 10, 15 हजार रु० करें। जो लोग घायल हुए हैं उनको दी जाने वाली राशि भी बढ़ाई जाय।

यह कहना कि वहां जाग बुझाने वाले इंजन समय पर नहीं पहुंचे ठीक नहीं है। मैंने बताया कि 12 मिनट में पहले 2 इंजन वहां पहुंच गये और रास्ते में ही उन्होंने वायरलैस दे कर के और दमकलों को सूचना दी। कुल मिला कर वहां 39 दमकल पहुंचे और साढ़े चार बजे शाम को आग बुझाने का काम खत्म हुआ।

वहां टैंट्स लगा दिये गये हैं और जो रु० दिया जा रहा है उससे उनकी मदद की जा रही है। जहां तक खाने और कपड़े का प्रबन्ध है वालेंटरी आर्गनाइजेशन्स और प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड से इस बात का इंतजाम किया जा रहा है।

मैं दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करूंगा कि अगर राशि कम पड़ती है, तो फिलहाल वह उनके खाने और कपड़े के लिए राशि दें। छः आदमी घायल हुए थे, जिनमें से 2 अस्पताल से डिसचार्ज हो गए हैं और 4 खतरे से बाहर हैं। उनका इलाज ठीक तरह से चल रहा है। इस बारे में कोई दुरवस्था नहीं है। पानी म्युनिसिपल कार्पोरेशन के टैंकर्ज से वहां पहुंचाया जा रहा है और उनके पीने के लिए पानी मिल रहा है। जब तक कोई दूसरी व्यवस्था नहीं हो जाती, तब तक यह

व्यवस्था जारी रहेगी। हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि झुग्गी-झोंपड़ियों के लिए बिजली और पानी के नल आदि की सुविधा प्रदान की जाए।

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : मैंने वक्तव्य का अध्ययन किया है। मैंने श्री पासवान जी द्वारा पूछे गये प्रश्नों को भी सुना है। मैं अपने प्रश्न करने से पूर्व इस अग्निकांड के सम्बन्ध में सूचना मिलने पर तुरन्त ही प्रधानमंत्री राहत कोष से तीन लाख रुपये स्वीकृत करने के लिए अपनी प्रिय प्रधानमंत्री का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहता हूं।

माननीय गृह मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में बताया है कि बेघर हुए प्रत्येक परिवार को 250 रुपये स्वीकृत किये गये हैं। इन दिनों में कोई व्यक्ति केवल 250 रुपये में एक छोटी-सी झोंपड़ी कैसे बना सकता है। क्या यह बात सच है कि हम अकाल संहिता के अनुसार चल रहे हैं, जिसे स्वतंत्रता से पूर्व ब्रिटिश शासकों द्वारा अपनाया गया था ? क्या सहायता के रूप में अधिकतम धनराशि देने के लिए, जैसा कि यहां बताया गया है, हम उसके अनुसार कार्य करते हैं। अतः केवल दिल्ली प्रशासन ही नहीं बल्कि देश में प्रत्येक राज्य सरकार भी क्या इस संहिता का ही पालन करती हैं और इस प्रकार के दुर्घटनावश अग्निकांड अथवा तूफान, बाढ़ आदि जैसी किसी प्राकृतिक विपत्ति से बेघर हुए प्रत्येक परिवारों को सहायता के रूप में (250 रुपये अथवा 500 रुपये से अधिक अनुदान की राशि नहीं दे सकतीं ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि हम उस अकाल संहिता के द्वारा शासित होते हैं, जिसको ब्रिटिश शासकों द्वारा अपनाया गया था। क्या सरकार अपने देश की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इसमें संशोधन करने पर विचार कर रही है ? इसके अलावा, मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करता हूं कि वे अपने पद का सदुपयोग करें ताकि बेघर हुए प्रत्येक परिवार को कम से कम 2000 रु० दिये जा सकें।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि 729 परिवार बेघर हुए हैं। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार इनकी संख्या 1000 से अधिक है। स्थल पर किस व्यक्ति ने जाकर इनकी संख्या का निर्धारण किया था ? क्या वह इस ओर ध्यान देंगे कि इसका पुनः निर्धारण किया जाये ताकि बेघर हुए लोगों की वास्तविक संख्या का पता लगाया जा सके और उसी के अनुसार सहायता अनुदान स्वीकृत किया जा सके।

मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में बताया है कि उनको टेंटों की सप्लाई की गई है। लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार आज की सुबह तक लगभग 40 अथवा 50 टेंट सप्लाई किये गये थे लेकिन बेघर हुए किसी भी व्यक्ति को टेंट नहीं दिया गया है। क्या मंत्री महोदय इस बात का पता करेंगे और इस ओर भी ध्यान देंगे कि सभी बेघर हुए व्यक्तियों को आज शाम तक तुरन्त टेंट सप्लाई किये जायें ?

एक बात और है। मेरे पास केवल दो अथवा तीन प्रश्न है। मैं मंत्री महोदय से केवल

[श्री चिन्तामणि जैना]

वास्तविक तथ्यों को जानने के लिए प्रश्न कर रहा हूं । मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में उन व्यक्तियों के रोजगार के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, जिनकी सम्पत्तियां तथा जिनके मंकान नष्ट हुए हैं । लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं ? आप कृपया इस घटना के बारे में दिनांक 3 मई, 1984 के हिन्दुस्तान टाइम्स में प्रकाशित समाचारों को देखें, जिन्हें मैं उद्धृत करता हूं :

"एक रिक्शा चालक मुजीबर रहमान अपने जली हुई झुग्गी में बैठकर रिक्शा के नये पुर्जों को देख रहा था, जिनको उसने कुछ दिन पूर्व खरीदा था । रिक्शा के पुर्जे पूर्णतः जल गये थे ।"

इसी प्रकार एक अन्य समाचार में बताया गया है :

"ताहिरी, एक परचून की दुकान के मालिक ने बताया कि उसकी दुकान जल जाने के कारण उसको लगभग 20,000 रु० की हानि हुई है, उसने बताया कि एक टिन में रखे हुए नकद 200 रु० भी आग में जल गये ।

इसी प्रकार,

"गंगाराम, एक रिक्शा चालक की पत्नि अपने एक संदूक को नहीं ढूंढ सकी जिसमें 12 मई को होने वाली उसके लड़के की शादी के लिए एकत्रित किये गये सभी जेवहरात तथा साड़ियां रखी हुई थी ।"

इन झुग्गियों में जो सभी लोग रह रहे थे, वे बहुत ही निर्धन हैं और वे रिक्शा चलाकर अथवा कोई अन्य छोटा धंधा, आदि करके अपना जीवन-निर्वाह कर रहे थे । उनका सारा सामान नष्ट हो गया है । दिल्ली प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जानी चाहिए ताकि उन्हें तुरन्त वैकल्पिक रोजगार दिया जा सके ताकि वे अपना जीवन निर्वाह कर सकें ।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं एक स्पष्टीकरण जानना चाहता हूं । दिल्ली प्रशासन अथवा उप-राज्यपाल द्वारा एक मजिस्ट्रेट से जांच कराने के आदेश दिये गये हैं, जिसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं । लेकिन मंत्री महोदय ने यह नहीं बताया है कि मजिस्ट्रेट द्वारा कराई जा रही इस जांच का प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया जायेगा । प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिये कोई तिथि अथवा समय कहने के तौर पर एक सप्ताह अथवा दस दिन अथवा पखवाड़ा निर्धारित नहीं किया गया है । ताकि उस प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की जा सके । इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । महोदय, आपको धन्यवाद ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : यह सच है कि जो मुआवजा दिया जा रहा है वह पूर्व दृष्टान्तों के आधार पर है । लेकिन मैंने सदन में बताया है कि जहां तक मृतक परिवारों को 5,000 रु० का मुआवजा देने का सम्बन्ध है, इस बारे में मैं दिल्ली प्रशासन तथा उप-राज्यपाल से यह अनुरोध कर

रहा हूं कि इस धनराशि को बढ़ाकर इसे दस से पन्द्रह हजार तक किया जाये और उन व्यक्तियों के मामले में भी जिनके घर जल गये हैं, 250 रु० की धनराशि कम जान पड़ती है और मैंने यह भी सिफारिश की है कि उनको 750 रु० से 1,000 रु० दिये जायें।

जहां तक उन व्यक्तियों के पुनर्वास अथवा हटाने का सम्बन्ध है, इस समय उनके हटाये जाने का कोई प्रश्न नहीं है। और जहां तक दिल्ली प्रशासन द्वारा नियुक्त न्यायाधीश के प्रतिवेदन का सम्बन्ध है उनको एक सप्ताह के समय में प्रतिवेदन देने का निवेदन किया गया है और मुझे विश्वास है कि इसमें अधिक समय नहीं लगेगा।

इस ओर ध्यान देने के लिए सभी संभव प्रयत्न किये गये हैं कि उन सभी लोगों को जिनकी झुग्गियां जल गई हैं, रोजगार दिया जाये और जहां तक उन सभी रिक्शा चालकों का सम्बन्ध है, जिनके रिक्शा जैसी वस्तुएं नष्ट हो गई हैं, जिन पर वे निर्भर थे, उनको रिक्शा उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली प्रशासन को कहा गया है अथवा उनके रोजगार के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की जायेंगी।

अध्यक्ष महोदय : आप यह सुझाव दे सकते हैं कि जिन लोगों के रिक्शा आदि सभी नष्ट हो गये हैं उनको रिक्शा अथवा उसी प्रकार की अन्य वस्तुओं को पुनः खरीदने के लिए कुछ ऋण की व्यवस्था की जा सकती है।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : या तो ऋण अथवा रिक्शा दीं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी हां, यह ठीक है, धन्यवाद।

श्री मनीराम बागड़ी (हिसार) : उपाध्यक्ष महोदय, एक दिल्ली वह है जहां देवता और आदमी रहते हैं और दूसरी दिल्ली वह है जो कि नरक है और पशुओं से भी बदतर इन्सानों की जिन्दगी गुजारते हैं। यह कहर भी उन्हीं लोगों के ऊपर ज्यादा होता है। मैं आज सुबह वहां पर गया था और वहां की हालत को मैंने देखा। संसदीय शब्दों में कहूं तो मंत्री जी के वक्तव्य में सत्य कम है और अगर हमारी भाषा में कहें तो यह हो सकता है कि झूठा बयान है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि छः हजार नर-नारी और बच्चे प्रभावित हुए हैं। वहां की स्थिति का विश्लेषण यह है कि सौ में से साठ वेस्ट बंगाल और बंगलादेश के लोग हैं, 15 से 20 परसेंट बिहार और उत्तर प्रदेश और कुछ राजस्थान के लोग हैं। इसी तरीके से साठ प्रतिशत माइनोरिटीज और चालीस प्रतिशत हरिजन व शूद्र कहलाने वाले हैं। जो बिल्कुल सर्वहारा लोगों की आबादी है। थाने की रपट के मुताबिक और जैसा कि कुछ लोगों ने बताया है कि आग साढ़े तीन बजे लगी है और आप की गाड़ी वहां पर साढ़े चार बजे पहुंची है। आपकी रपट के अनुसार धुआं बहुत ज्यादा था, इस लिए हैलीकाप्टर को मदद के लिए बुलाया। मैंने वहां थाने के लोगों से बात की और वहां के लोगों

[श्री मनीराम बागड़ी]

से भी बात की, यह घटना 20-40 मिनट के अन्दर कुछ नहीं हुआ है। जब वहां की आग पर काबू पा लिया जाता है, तब शाम को साढ़े छः बजे एल० जी० साहब पहुंचते हैं। सबसे पहले आदमी एल० जी० साहब हैं, जो आग के बुझने पर पहुंचे हैं। तीन तारीख को कोई मदद नहीं, चार तारीख की सुबह तक कोई मदद नहीं, लेकिन शाम को मदद एक कांसा कम्पनी, जिसको मैं नहीं जानता, रचना के अन्दर उसका दफ्तर है। एक दूसरी संस्था जो कि बिल्लीमारो के अन्दर है। प्रधानमंत्री कोष से तीन लाख रुपया दिया गया है। लेकिन उस पैसे का भी सदुपयोग नहीं होता। वहां पर चार टैंट खड़े हैं, जैसे किसी का भाषण हो रहा है। बिना झंडे के चार टैंट और ऐसा मालूम देता है कि कोई मदारी खेल खेल रहा है। इससे ज्यादा वहां पर कुछ नहीं है। यदि गृह मंत्री जी चाहें तो मैं उनको ले जाकर दिखा सकता हूं। मैं गृह मंत्री को बताना चाहता हूं कि वहां पर तीन प्रकार की झुग्गियां हैं। एक तो मकान वे हैं जो पक्के हैं, दूसरे वे झुग्गियां हैं जिनकी एलाटमेंट हो चुकी थी और तीसरी वे झुग्गियां हैं जो बगैर एलाटमेंट के हैं। कुल मिलाकर 1127 झुग्गियां हैं, जो जली हैं।

अब इनको मदद क्या दी जा रही है ? इन्सानी जिन्दगी की मदद न मिले, लेकिन कम से कम हैवानी जिन्दगी की मदद तो मिले। दिल नहीं मानता है, इसलिये मजबूरन जाना पड़ता है, वरना हमारा दिमाग भी यहां की तेल-फुलेल और खुशबू में सड़ गया है। उन्होंने हम से कहा कि हमारे पाखाने चलकर देखिये—क्या हालत है। रेड क्रास कहता है कि हम मदद कर रहे हैं लेकिन एक भी सरकारी अफसर वहां नहीं था। 11 पी० ए० सी० के जवान थे इनके अलावा मैं चैलेन्ज करके कहता हूं एक भी सरकारी आदमी वहां नहीं था। किसी किस्म का कोई इन्तजाम नहीं था, बच्चे एक-दूसरे पर पड़े हुए थे, कोई बर्तन नहीं था, खाना बनाने का कोई इन्तजाम नहीं था··· (व्यवधान)।

ये वहां के एम० पी० नहीं हैं, वहां के एम० पी० भगत जी हैं। यह इलाका दिल्ली में नहीं है, दिल्ली से दूर है, सीमापुरी का मतलब है सीमा के पास है। गांधी जी ने एक गलती की थी जो भंगी कालोनी में रहने लगे। इस लिये इनको उठाकर वहां से भगा दिया। जो पुराने गांधीवादी हैं, जैसे त्रिपाठी जी हैं, ऐसे लोग वहां जाते नहीं हैं। अगर वहां जाते तो पता लग जाता कि उनकी क्या दशा है, वहां जाने से उनको बहुत ज्ञान हो सकता था, पूजा-पाठ की दृष्टि से भी यह बहुत बड़ी पूजा होती। वहां पर बीमारी फैलने का खतरा है। कोई टैंकर वहां पर नहीं था। कासा कम्पनी ने कुछ नल्के वहां खोद कर लगा दिये हैं। वहां बेश्तर आबादी मुसलमानों और हरिजनों की है। उनमें बहुत से ऐसे हैं जिनके पास लंगोटी के अलावा तन ढकने के लिये कोई कपड़ा भी नहीं है। औरतों के भी सिर और पैर ढके हुए नहीं हैं।

मैं चाहूंगा—सेठी जी तीन-चार बातों को स्पष्ट करें। पहले सवाल का जबाब तो यह दें कि सेठी जी को आग लगने की इत्तिला कब मिली ? आप गृह मंत्री हैं, इत्तिला मिलने पर आपने क्या किया, इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। आपके मंत्रालय को कोई इत्तिला मिली या नहीं मिली ? कल मैट्रोपोलिटन कान्सिल में इसके बारे में काल-एटेन्शन आया था, हमने पुलिसवालों को यह कहते सुना, कल हमने उनको जवाब बनाकर भेजा था, आज उसकी नकल कर के यहां भेज देंगे। प्रधान मंत्री जी के कोष से तीन लाख रुपया वहा भेजा गया, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। मुझे इन के दो सोशल वर्कर वहां मिले, जो अपने आपको कांग्रेस-नेता बतलाते थे। वे बेचारे काम कर रहे थे—उनमें एक तो महिला थी—हाजरा बेगम और दूसरे थे—एस० रहमान, जो अपने को पुराने कांग्रेस नेता कहते थे, और भी लोग मिले थे, वे भी अपने को पुराने कांग्रेसी नेता कहते थे। कहा गया है कि उनके अन्दर पैसा बांटा गया है--कल शाम तक 96 आदमियों को 250 रुपये के हिसाब से दिया गया है, जबकि टोटल झुग्गियां 1127 हैं। यह पैसा कौन बांट रहा है—पुलिस वाले बांट रहे हैं। कौन बांटने वाला है, कौन करने वाला है, किसी को कुछ ज्ञान नहीं है। इसमें ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है—इसमें एक बुनियादी बात है—जब एक तरफ ऐसे मकान बनाये जायेंगे जो आकाश छू रहे हों, जब एक तरफ आकाशदीप बनायेंगे तो बेचारे झुग्गी-झोंपड़ी वालों की क्या हालत होगी—आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। दिल्ली की आबादी का 18-20 प्रतिशत झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं, अगर उनका झुग्गी-झोंपड़ी में रहना बन्द हो जाय तब भी उनका कुछ कल्याण हो सकता है। या फिर इनको कम से कम आग से बचाने के लिए 20 या 50 गज के कोई कमरे ही बना दो। आज आप एशियाड के जरिए हिन्दुस्तान की तरक्की दिखाते हैं लेकिन ऐसे स्थान भी यहां हैं जहां लोग आग से जलकर मर जाएं और उनको कोई देखने वाला नहीं है।

(व्यवधान)

मैं सरकार से दो-तीन सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल तो यह पूछना चाहता हूं कि सेठी जी को कब इत्तिला मिली और गृह मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की। दूसरा यह कि क्या केन्द्र सरकार उनकी स्थिति का जायजा लेगी और तीन लाख रुपया जो प्रधानमंत्री कोष से दिया गया है, उसके लिए कार्यवाही की जाएगी। क्या केन्द्र सरकार भी अपनी तरफ से उनको मदद देगी। केन्द्र सरकार राज्यों को जरूरत के वक्त मदद देती है। बाढ़, सूखा, तूफान आदि विपदाओं के समय केन्द्र सरकार मदद देती है। इसलिए क्या केन्द्र सरकार दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को इसके अंदर मदद देगी।

वहां पर एक भी डाक्टर नहीं है। सफाई के लिए वहां पर कोई फलश लैट्रिन का इंतजाम नहीं है। इस ओर क्या कार्यवाही की जाएगी। पानी का इंतजाम भी नहीं है। डी० डी० ए० भी असल में तंग हो गया है। शुरू में तो एल० जी० साहब फोटो खिचवाने के लिए पहुंच गए लेकिन उसके बाद जाने के लिए कोई तैयार नहीं है। मैं अखबार वालों को बधाई देना चाहता हूं कि

[श्री मनीराम बागड़ी]

उन्होंने दिल्ली की गंदगी के बारे में तस्वीर छाप दी है । "नव भारत टाइम्स" ने खाका खींच दिया है कि यह दिल्ली है । दिल्ली सिर्फ विशाल भवनों में ही नहीं है ।

तीसरी बात यह है कि जांच आप करवा रहे हैं, क्या उस जांच में ये विषय भी जोड़े जायेंगे कि सफाई, पानी और रोटी का इंतजाम तीन दिन तक नहीं किया गया और झूठे आंकड़े दिखा दिए गए । इस तरह से प्रधानमंत्री फण्ड के पैसे का दुरुपयोग किया गया । क्या इसकी भी जांच की जाएगी । एक आदमी के मरने पर उसके आश्रितों को 5000 रुपये मुआवजा मिला था । उसकी चोरी कल हो गई । सुरक्षा की वहां पर कोई व्यवस्था नहीं है । तो क्या वहां पर कोई अधिकारी नियुक्त किया जाएगा जो इन सब चीजों की देखभाल करे ।

मुआवजा तो आप नहीं दे सकते लेकिन जिसका सर्वस्व जल गया है, उसके लिए कुछ तो बंदोबस्त आपको करना होगा । उनको 20-25 गज का कोई कोठा ही दे दिया जाए जिससे उनकी सुरक्षा हो सके । इसके अलावा उनको अब कानूनी बातों में भी फंसना होगा । उनके राशन कार्ड जल गये हैं । उनसे सुबूत मांगा जायेगा जो उसके पास नहीं होगा । तो क्या मंत्री महोदय यह भी आश्वासन देंगे कि उनको इन कानूनी बातों में नहीं उलझाया जाएगा।

दिल्ली में लाख या सवा लाख झुग्गियां हैं तो कम से कम उनके इलाकों में फिल्म इत्यादि के माध्यम से यह प्रचार तो किया जाना चाहिए कि आग से बचाव कैसे किया जाये । आग से कैसे बचा जाये । क्या इस चीज का प्रबंध मंत्री महोदय करेंगे और दमकल वगैरह आग बुझाने का प्रबंध है, पानी है, इन सब चीजों के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा ।

1.00 म० प०

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य एक बहुत अनुभवी और पुराने सदस्य हैं । इनका यह कहना कहां तक उचित है कि मैंने जो ब्यान दिया है, वह झूठा है ? मैंने जो ब्यान दिया है, वह तथ्यों पर आधारित है । दिल्ली प्रशासन ने जो मुझे जानकारी दी है, उस पर आधारित है । इसमें कोई भी गलती नहीं हो सकती । एक-आध आंकड़े में हो सकता है कि हुई हो । वहां पर जितने आदमी बसते हैं, उसमें कुल 1300 लोग वैस्ट बंगाल से आये हुये हैं । बाकी लोग दूसरी जगह के हैं । इसलिये, यह कहना कि सब वैस्ट-बंगाल के हैं, ठीक नहीं है । बिहार, उत्तर प्रदेश और दूसरी जगहों के लोग भी वहां पर हैं । उनके रहने की व्यवस्था का जहां तक प्रश्न है उसमें आपके और दूसरे माननीय सदस्य के ब्यान में फर्क आ गया है । आपने कहा कि छः व्यक्ति हैं और उन्होंने कहा था कि पचास व्यक्ति हैं । वहां पर तम्बुओं का पूरा प्रबन्ध किया गया है । पहले,

लोग उनमें नहीं जा रहे थे लेकिन अब चले गये हैं। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि प्रधानमंत्री कोष का रुपया दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन के लोग बांटेंगे। मैं देखूंगा कि जो रकम पुलिस थाने के जरिये से बांटी जा रही है, वह न बंट सके। स्थानीय कार्यकर्त्ताओं को साथ लेकर और जो इनको जानते हैं, उनको लेकर बंट सके। जहां तक झुग्गी-झोंपड़ियों को बसाने का सवाल है, वर्क्स एण्ड हाउसिंग मिनिस्ट्री उसका प्रबन्ध करती है। उनकी सैटलमेंट कालोनी बसाने का सवाल कई दिनों से चल रहा है। पानी के टैंकरों से पानी सप्लाई किया जा रहा है। मैंने भी कहा है कि पानी और बिजली की कम से कम व्यवस्था की जानी चाहिये और शिक्षा के लिये भी शीघ्र ही स्कूल खोले जाने चाहिये। माननीय सदस्य ने जो सुझाव दिये हैं, उनके लिये मैं उनका आभारी हूं। जहां तक होम मिनिस्ट्री में सूचना का ताल्लुक है। यह सूचना दोपहर में आई। आग बुझाने वाले दो दमकल वेन वहां 12 मिनट के अन्दर ही पहुंच गए थे। कुल मिलाकर 39 दमकल वैन वहां पहुंचे। साढ़े चार बजे तक आग बुझ चुकी थी। साढ़े छः बजे की बात, जो माननीय सदस्य ने की है, वह ठीक नहीं है।

श्री मनीराम बागड़ी : मैंने आपको यह नहीं कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं। मैंने तो उस ब्यान के बारे में कहा है, जो आपके पास आया है। अपनी तरफ से तो आपने कोई जांच नहीं करवायी। आपके पास तो दिल्ली प्रशासन के द्वारा दी गई जानकारी है। मैंने यह कहा था कि आपने जो कहा है, वह सत्य पर आधारित नहीं है। मैं, तो खुद मौके पर देखकर आया हूं। आप देखकर आये हैं।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष जी, इस दुर्घटना में जान और माल का नुकसान हुआ। कम से कम ऐसे मामलों में तो राजनीति को नहीं लाना चाहिये। पासवान जी ने जो भाषण दिया, वह राजनीति से ऊंची तकरीर थी। इसी प्रकार बागड़ी जी भी काफी पुराने सदस्य हैं। जैसा कि कहा गया कि पुराने कांग्रेसी मिल गये तो हो सकता है कि किसी जमाने में उनके साथ रहे होंगे। आग लगने के फौरन बाद ही फायर-इंजीन वहां पहुंच गये। ट्रैफिक होने के बावजूद भी बारह मिनट में वहां पहुंच गये।...**(व्यवधान)** इस आग लगने के बाद रिहेबिलिटेशन का प्रबन्ध होना चाहिये। आइन्दा आग न लगे, इसके लिये भी प्रबन्ध होना चाहिये। एक आदमी ने चूल्हा जलाया और पूरी बस्ती जल गई। मैं चाहता हूं कि आप प्रत्येक सिनेमा घर में और हर जगह ऐसे बोर्ड लगा दें कि आग से अपने घर को किस प्रकार से बचाया जा सकता है। जब तक आप शिक्षा नहीं देंगे, तब तक आप चाहे जितने लाख खर्च कर दें, कुछ नहीं होने वाला है। मैं, एक दौलतमंद देश का नाम नहीं लेना चाहता बल्कि एक उदाहरण उसके बारे में आपको बता देना चाहता हूं। एक साहब जेट-विमान में बैठे। अपनी चाय बनाने के लिये उन्होंने चूल्हा जलाया जिसकी वजह से पूरा एयर-क्राफ्ट जल गया। दुनिया में ऐसे बहुत से मूर्ख लोग होते हैं।

[श्री एम० राम गोपाल रेड्डी]

इसलिये मैं कहना चाहता हूं कि हमें लोगों को एजूकेट करना चाहिये कि आग से बचने के क्या तरीके हो सकते हैं। वरना कुछ होने वाला नहीं है। आज यहां आग लगी है कल कहीं और भी लग सकती है, लेकिन हर जगह फायर ब्रिग्रेड नहीं पहुंच सकता, रोड नहीं जा सकती या पानी का इंतजाम नहीं हो सकता। यदि आप किसी जगह झुग्गी-झोंपड़ी में आग लगने पर इंजन न पहुंचने के कारण होम मिनिस्टर को गालियां दें तो उससे किस्सा खत्म होने वाला नहीं है। इस वास्ते हर आदमी को जानना चाहिये कि आग से बचने के कौन-कौन से तरीके होते हैं, क्या इंतजाम करना चाहिये। उसकी शिक्षा उसको दी जानी चाहिये।

दूसरे, जैसा आप जानते हैं, दक्षिण में, विशेष रूप से तमिलनाडु में जब भी इस तरह की कोई घटना हो जाती है तो वहां लगातार पांच दिन खाना दिया जाता है। पैसा तो आप भी दे रहे हैं, लेकिन धोतियां और साड़ियां भी दीजिये क्योंकि पैसे के कई दूसरे इमकान हो सकते हैं, वह लूटा जा सकता है या उसका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यदि कपड़ा दिया जाता है तो वह लोगों के काम आयेगा। वैसे कुछ आर्गेनाइजेशन्स खाने के पैकेटस का इंतजाम तो कर रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिये। क्योंकि यह बहुत सीरियस सब्जैक्ट है। प्राइम मिनिस्टर की तरफ से तीन लाख रुपया दिया गया है जो लगभग 700 फैमिलीज में बांटा जायेगा। इस हिसाब से हर परिवार को लगभग 400 रुपया हिस्से आता है। इसके अलावा दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन कुछ मदद दे रहा है। मैं चाहता हूं कि उस सब का सही तरीके से इस्तेमाल होना चाहिए।

इसके बाद हम जगह जगह देखते हैं कि एक के ऊपर एक झुग्गी झोंपड़ी बनती चली जा रही हैं। यह हमारे देश की बदकिस्मती है कि यहां जनसंख्या बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है, हम जितने लोगों को प्लाट्स देते हैं, पांच साल बाद फिर वे ही लोग हमसे प्लाट्स मांगते हैं कि हमारे पांच बच्चे हो गये, थोड़ी दया कीजिये इस देश पर और कम से कम खुलकर बोलिये। यदि किसी को एक प्लाट मिल जाये तो उसे अगले 20-50 साल तक प्लाट नहीं मिलने चाहियें। आपको मालूम है---इस नई दिल्ली शहर में सारे विश्व में सबसे कम लोग रहते हैं और पुरानी दिल्ली विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर है। इसलिये हमें इस डिफरैंस को ध्यान में रखते हुये अपनी बात कहनी चाहिये। उसके पहले जब ओल्ड दिल्ली से कुछ लोगों को बाहर ले जाया गया तो उसका पूरा पोलिटिकल एडवान्टेज आप लोगों ने लेने की कोशिश की है। यदि झुग्गी-झोंपड़ी कालोनी में, जहां एक स्थान पर 50 लोग रहते हैं, आप किसी को कहिये कि मेहरबानी करके 25 आदमी किसी दूसरे स्थान पर जाकर रह लें तो उनमें से एक भी आदमी वहां से जाने को तैयार नहीं होगा। फिर जो वहां पर जले हैं, वे सारे हिन्दुस्तानी लोग हैं, हमें उसकी बहस में ज्यादा नहीं

जाना चाहिये । अब जब उनका नुकसान हो गया है तो सरकार की तरफ से सहायता उनको दी जा रही है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो लोग मर गये हैं, उनकी अपेक्षा जो लोग घायल हुये हैं, उनका नुकसान ज्यादा हुआ है क्योंकि अब वह जिन्दगी-भर काम नहीं कर सकता, जिन्दा तो है, लेकिन मेहनत नहीं कर सकता । यदि किसी घायल व्यक्ति की काम करने की पोटैन्श्यलिटी कम हो गई है तो उनको कुछ ज्यादा कम्पैन्सेशन मिलना चाहिये । यदि कोई आदमी मर जाता है तो उसके बच्चे आदि अपने वास्ते कोई इंतजाम कर लेंगे, लेकिन जो डिस-एबल्ड हो जाता है, किसी तरह से कमजोर हो जाता है, उनके लिए हमारे मिनिस्टर साहब को इफैक्टिव स्टैप्स लेने चाहियें ।

यह बात मेरी समझ में नहीं आई कि दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन या दिल्ली कार्पोरेशन की तरफ से जो पैसा दिया गया, उसमें से कैसे चार रुपया या दो रुपया लोगों ने खा लिया । यह कोई कांग्रेस कल्चर भी नहीं है कि यदि किसी गरीब आदमी को 50 रुपया मिले तो दो रुपये उसमें से कोई अपनी जेब में डाल लें । हमारे मिनिस्टर साहब ने साफ कहा है और फिर दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से या दिल्ली कार्पोरेशन की तरफ से जो कुछ हो रहा है, वह आखिर सैन्ट्रल गवर्नमैंट और होम मिनिस्टर की तरफ से ही तो हो रहा है, हमको इस चीज को नहीं भूलना चाहिये और इनके बीच में कोई फर्क नहीं करना चाहिए कि कोई भी आदमी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता । इस वास्ते जो कदम उठाये गये हैं अच्छे हैं और मैं होम मिनिस्टर से कहूंगा कि और जितनी सहूलियतें उन लोगों को दी जा सकती हैं वह दी जायें ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय रेड्डी जी का आभारी हूं कि इन्होंने बहुत अच्छे सुझाव दिये हैं । आप नहीं लगे इस प्रकार का शिक्षण लोगों का होना चाहिये चाहे सिनेमा एलाइड से या साइन बोर्ड से । और इस तरह की कोचिंग कलासेज लगाकर लोगों को बताया जाय । जो उनकी सहायता दी गई है, मैंने अभी बताया कि 3 दिन तक उनको खाने और कपड़े का इंतजाम दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन को करना चाहिये, यह मैं उनसे कहने जा रहा हूं और वह किया जायगा । साथ ही झुग्गी झोंपड़ी वालों को अच्छी तरह से रहने का और जिन्दगी की अन्य आशाइशें मिलें इसके लिये पानी की व्यवस्था,.....

श्री मनीराम बागड़ी : दवाई और सफाई की व्यवस्था का भी इंतजाम किया जाए ।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : जो आदमी मेडिकल एड के लिये जा रहे हैं उसके लिये अलग से मेडिकल हैल्थ सेंन्टर खोल दिया जायेगा । जो लोग जले हैं उनको मामूली खारिश है, उसमें से दो लोग डिसचार्ज हो गये हैं । कोई डिसएबिल नहीं हुआ है । और अगर कोई हुआ है तो उसको ऐसा मुआवजा दिया जायगा जैसा कि डिसीज्ड पर्सन को दिया जाता है ।

1.11 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बम्बई में छेदानगर, चेम्बूर और गारोडिया नगर घाटकोपर में सहकारी आवास समितियों के निवासियों के हितों की रक्षा की आवश्यकता

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : महोदय, मेरे निर्वाचन-क्षेत्र उत्तर बम्बई में छेदानगर, चेम्बूर तथा गारोडिया नगर, घाटकोपर में दो बड़ी निजी आवासीय कालोनियां हैं। बहुत सी निजी सहकारी आवासीय समितियों ने क्रमशः मैसर्स छेदा तथा मैसर्स गारोडिया से भूखण्ड खरीदे थे और इन आवासीय भवनों का निर्माण किया था। इन भूखण्डों को खरीदने से पूर्व इन सहकारी समितियों ने यह पूछताछ की थी कि क्या इन भूखण्डों के स्वामित्व के अधिकार स्पष्ट हैं तथा बम्बई नगर निगम द्वारा इमारतों के नक्शे भी मंजूर किये गये थे।

नमक आयुक्त ने अचानक रूप से इन भूखण्डों पर जहां पर ये भवन बनाये गये हैं अपने स्वाभित्व का दावा किया है और जगह खाली करने के लिए उनको नोटिस किये हैं।

यह बात आश्चर्यजनक है कि नमक आयुक्त ने उस समय कोई आपत्ति नहीं की जब इन भवनों का निर्माण किया जा रहा था और जबकि इन भूखण्डों की बिक्री के सम्बन्ध में अग्रिम प्रचार किया गया था। यह भी समाचार प्रकाशित हुआ है कि राज्य-सरकार ने कथित स्वामियों मैसर्स गारोडिया तथा मैसर्स छेदा, को राजकीय राजमार्ग आदि के लिए इन भूखण्डों के कुछ भाग के अर्जन के लिए मुआवजे का भुगतान किया था। केन्द्रीय सरकार की इस कार्यवाही से निर्दोष वासिदों को एक असमंजस की स्थिति में कर दिया है क्योंकि उनमें से अधिकतर ने इन मकानों के लिए अपनी जीवन भर की बचतों को लगाया है।

केन्द्रीय सरकार को इस मामले में तुरन्त हस्तक्षेप करना चाहिए तथा वासिदों के हितों की रक्षा करनी चाहिए।

(दो) बंधुआ मजदूर (उत्सादन) अधिनियम के उपबन्धों को कड़ा और कठोर करने की आवश्यकता

श्री माधव राव सिन्धिया (गुना) : महोदय, मध्यप्रदेश के रायपुर जिले के निर्धन आदिवासी अभी भी अमानवीय बंधुआ मजदूर प्रथा से पीड़ित हैं। उनको अपने बच्चों को बन्धक बनाने के लिए मजबूर किया जाता है और जिन्हें नियोक्ताओं की ओर से भोजन के सिवाय कोई मजदूरी नहीं दी जाती है। उनके बड़े होने पर उनको शादी के लिए लगभग 200 रुपये का ऋण दिया जाता है। चूंकि वे धनराशि को वापस करने में कभी भी समर्थ नहीं होते हैं। इसके बदले में वे अपने बच्चों को बंधक रख देते हैं और बंधुआ मजदूर प्रथा जारी रहती है।

इन मजदूरों से प्रतिदिन बिना विश्राम के औसतन रूप से दो जन दिवसों का काम लिया जाता है। उनको कोई छुट्टी नहीं दी जाती है, और जब वे बीमार होने के कारण कार्य करने में असमर्थ होते हैं, उस समय की उनको मजदूरी नहीं दी जाती है। लगातार कार्य करने से उनमें से अधिकतर को विशिष्ट कुबड हो जाता है तथा उनकी चमड़ी खुरदरी हो जाती है।

ऐसी संभावना है कि भूस्वामी बंधुआ मजदूर (उत्सादन) अधिनियम की कुछ त्रुटियों का लाभ उठाकर निर्धन आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं और इस अहितकर प्रथा को बनाये रख रहे हैं।

मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह बंधुआ मजदूर (उत्सादन) अधिनियम के उपबन्धों को कठोर बनाने के लिए तुरन्त कदम उठाये, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसमें कोई त्रुटि बाकी नहीं है जिसका अवांछित भू-स्वामियों द्वारा निर्धन आदिवासियों का शोषण करने के लिए लाभ उठाया जा सकता है।

(तीन) नर-कंकालों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने की आवश्यकता

श्रीमती माधुरी सिंह (पूर्णिया) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे देश में मृत मानव शरीरों को और उनके अस्थि-पंजरों को मंहगी कीमत में विदेशों में बेचने का धंधा जोरों पर चल रहा है। हर वर्ष लगभग 20,000 अस्थि-पंजर विदेशों को निर्यात किए जाते हैं। अमरीका, इंगलैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया, हांगकांग, स्विट्जरलैंड आदि देशों में इनका आयात होता है। इनकी सबसे अधिक खपत अमरीका में हो रही है। कुछ देशों में इस व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। भारत से नर-कंकाल सबसे अधिक आस्ट्रेलिया, कनाडा और ब्रिटेन भेजे जाते हैं। बिहार में यह व्यवसाय काफी जोरों पर है। हमारे देश में कई कंपनियां यह काम कर रही हैं। आजकल लाशों को नदी, कब्रों से और अस्पतालों से चुरा लिया जाता है।

मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि इस व्यवसाय पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा दिया जाए। इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा की हानि हुई है। यह आश्चर्य की बात है कि जानवरों की हड्डियों का निर्यात तो बन्द है, लेकिन मानव-कंकालों के निर्यात पर कोई रोक नहीं है।

आजकल वयस्क व्यक्ति का पूरा कंकाल विदेशों में लगभग 10,000 रुपए में पड़ता है, जबकि हमारे यहां यह 200 रुपए में प्राप्त कर लिया जाता है। अतः मैं सरकार से आग्रह करूंगी कि आर्थिक लाभ की परवाह न करते हुए हमारे देश की प्रतिष्ठा की दृष्टि से नर-कंकालों का निर्यात तुरन्त बन्द कर दिया जाए।

(चार) दिल्ली में प्रसाद नगर में दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित फ्लैटों के कमजोर ढांचे के लिए मुआवजा दिये जाने और आवंटियों से लिए गये अधिक मूल्य को वापस दिये जाने की आवश्यकता

श्री सूरज भान (अम्बाला) : दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अपनी बहु-मुखी प्रक्रिया द्वारा

[श्री सूरज भान]

प्रसाद नगर, नई दिल्ली के 352 फ्लैटों के लागत मूल्य में वृद्धि कर दी है। लागत मूल्य में वृद्धि करने के लिए इन फ्लेटों के निर्माण में अधिक समय लगाया गया। इन फ्लैटों को एक ही ठेकेदार द्वारा एक ही चरण में निर्मित किया गया लेकिन इनका आवंटन तीन चरणों में किया गया।

विवरणिका में बताये गये मूल्य का उल्लंघन करते हुए दूसरे चरण के आवंटन में लागत मूल्य में 5,000 रु० की वृद्धि की गई। आवंटियों के सामने बढ़ाये गये मूल्य को स्वीकार करने के अलावा कोई उपाय नहीं था। दूसरी चकित करने वाली बात यह है कि नमूना मकान में जो कुछ प्रदर्शित किया गया था उसकी गुणता तथा मात्रा के अनुसार कार्य नहीं किया गया। दूसरे तथा तीसरे चरणों में आवंटित किये गये 256 फ्लैटों में टाइलों को बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया है।

'टेण्डर्ड स्पेसिफिकेशन' एक बंधक दस्तावेज होता है जिसमें आवंटियों के लिए अपेक्षित बातों की वचनबद्धता होती है। यह बात दयनीय है कि बार-बार आग्रह करने के बावजूद रेजिडेन्ट्स वेल्फेयर एसोसिएशन, प्रसाद नगर II, नई दिल्ली-5 को अन्य बहुत से महत्वपूर्ण दस्तावेजों सहित इस दस्तावेज को देने से इंकार किया गया है।

क्वालिटी कंट्रोल विंग से कोई न्याय न मिलने पर एसोसिएशन को मजबूर होकर केन्द्रीय सतर्कता आयोग के पास जाना पड़ा। केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रथम प्रतिवेदन के अनुसार "निर्माण सम्बन्धी बहुत सी न सुधारी जाने वाली त्रुटियों के अतिरिक्त नकली तथा घटिया श्रेणी की सामग्री का उपयोग किया गया है।" इससे सम्बन्धित स्थल के अधिशासी अभियन्ता ने इस बात की टोह पाकर अपने आप को अधिशासी अभियन्ता, क्वालिटी कंट्रोल, दिल्ली विकास प्राधिकरण के पद पर तैनात करा लिया, जिससे वह उस अधिशासी अभियन्ता के स्थान पर पहुंच गया जिस स्थान से उनके विरुद्ध जांच की गई और उसके प्रतिकूल रिपोर्ट पेश हुई थी।

अतः मैं यह मांग करता हूं कि इन मकानों की जीवन-अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली निर्माण सम्बन्धी त्रुटियों तथा नकली और घटिया सामग्री उपयोग करने के लिए मुआवजा दिया जाये। इसके अतिरिक्त, मूल्य वृद्धि प्रक्रिया के माध्यम से वसूल की गई अतिरिक्त लागत को सम्बन्धित व्यक्तियों को वापस किया जाना चाहिए।

(पांच) पूर्वी उत्तर प्रदेश के ग्रामीणों को मिट्टी का तेल उपलब्ध कराने तथा चोर बाजारी करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने की आवश्यकता

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश में मिट्टी के तेल का भीषण संकट उत्पन्न हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में दीपक जलाने के लिए भी किसानों एवं

मजदूरों आदि को मिट्टी का तेल नहीं मिल पा रहा है। इस कठिन परिस्थिति का लाभ उठा कर कुछ असामाजिक तत्व जखीरेबाजी, चोर-बाजारी और मुनाफाखोरी करने में संलग्न हैं। ये तत्व मिट्टी के तेल को डीजल में भी मिला रहे हैं और मुनाफाखोरी कर रहे हैं। अतः सरकार से मेरी मांग है कि इस संकट को दूर करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मिट्टी के तेल का प्रबन्ध किया जाए और चोर बाजारियों को दंडित करने के बड़े उपाय किए जाएं।

(छः) बिहार में महेशखूट से बीहपुर तक राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 की मरम्मत करने और उस क्षेत्र में नई पक्की सड़कें बनाने की आवश्यकता

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : स्वतंत्रता के 37 वर्षों के पश्चात् भी खानों तथा खनिजों में सबसे अधिक समृद्ध होने तथा इसके विपरीत प्रति व्यक्ति आय में सबसे निर्धन होने पर बिहार अभी भी प्रगति तथा समृद्धि के पथ पर अग्रसर होने का प्रयास कर रहा है।

सड़कें किसी भी क्षेत्र के लिए रक्षा-रस्सी तथा भौतिक और वित्तीय सभी प्रकार के विकास के लिए धमनियों के रूप में कार्य करती हैं। राष्ट्रीय राजपथ, रक्षा सड़कें तथा पार्श्व सड़कों की देखभाल करने का उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार पर होता है तथा शेष का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का होता है।

यह बात सत्य है कि वित्तीय साधनों के अभाव में राज्य अपनी सड़कों को स्वयं सुव्यवस्थित करने अथवा गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने में असमर्थ रहते हैं। जिन राष्ट्रीय राजपथों की देखभाल की जिम्मेदारी पूर्णतः केन्द्रीय सरकार की होती है उनकी देखभाल भी ठीक प्रकार नहीं की जाती है। उदाहरण के तौर पर राष्ट्रीय राजपथ-31 जो कि असम रोड के नाम से भी जाना जाता है, और जो स्वयं बहुत महत्वपूर्ण है। उसकी स्थिति बिहार में महेशकूट से बीहपुर तक लगभग 20 किलोमीटर लम्बे रास्ते की स्थिति बहुत ही दयनीय है। इसकी स्थिति इतनी खराब है और सड़क पर इतने गड्डे बने हुए हैं कि वाहनों को एक घंटे में 5 से 10 किलोमीटर से अधिक आगे बढ़ना लगभग असंभव होता है। इस सब से ऊपर आसपास के गावों के निवासी असहाय यात्रियों के सभी सामान को पिस्तोल की नोंक पर छीन लेते हैं।

इस पृष्ठ भूमि में तथा सड़कों के महत्व को ध्यान में रखते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र में नई पक्की सड़कों का निर्माण करने के लिए प्राथमिकता प्रदान की जाये और महेशकूट से बीहपुर तक राष्ट्रीय राजपथ 31 की ओर विशेष ध्यान दिया जाये ताकि इसकी पूर्णतः मरम्मत की जा सके और इसको सड़क के योग्य बनाया जा सके।

(सात) मुरादाबाद में प्रथमा बैंक में तालाबंदी

श्री चन्द्र पाल सिंह (अमरोहा) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रथमा बैंक, मुरादाबाद के सभी

[श्री चन्द्र पाल सिंह]

शाखाओं में पूर्ण तालाबन्दी, अधिकारियों एवं कर्मचारियों में बैंक प्रशासन से क्षुब्ध होने और व्यापक असंतोष की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसके अध्यक्ष के विरुद्ध सभी कर्मचारियों ने वित्त राज्य मन्त्री, श्री पुजारी जी को ज्ञापन भी दिया है, लेकिन खेद है कि अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है। इस कारण समस्त क्षेत्रीय नागरिक परेशान हैं और विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

अत: माननीय वित्त मन्त्री जी से निवेदन है कि प्रथमा बैंक के अध्यक्ष के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करें और इस बैंक की सभी शाखाओं में कामकाज चालू करवायें, जिससे जनता को होने वाली कठिनाइयों एवं बैंक के ठप्प कामकाज को सामान्य गति प्रदान की जा सके।

(आठ) राजस्थान में सरदार शहर से हनुमानगढ़ के बीच, बरास्ता मंडी रावतसर, रेल लाइन बिछाने की आवश्यकता

श्री बीरबल (गंगा नगर) : उपाध्यक्ष महोदय, सरदार शहर से वाया मंडी रावतसर होती हुई हनुमानगढ़ जंक्शन तक रेलवे लाइन मंजूर की जावे और यह नई लाइन दो जिलों को जोड़ेगी, जिला श्री गंगानगर और चुरू। इस लाइन के ऊपर (1) मंडी जंक्शन, नं० (2) मंडी हनुमानगढ़, नं० (3) मंडी रावतसर, नं० (4) पल्लूकस्बा, यह कस्बा जिला गंगानगर का सबसे पुराना और ऐतिहासिक है, इस कस्बे में श्री दुर्गा माता का मेला लगता है और इस मेले में श्रद्धालु यात्री लाखों की संख्या में आते हैं और सरदार शहर से लेकर गांव धन्नासर तक का एरिया जिप्सम का भण्डार है और इस जिप्सम का लदान ट्रकों पर होता है और रोजाना हजारों ट्रक हनुमानगढ़ जंक्शन पर आकर रुकते हैं और सरदार शहर से लेकर हनुमानगढ़ जंक्शन के बीच में बड़े-बड़े गांव भी सैकड़ों आते हैं। तो मैं आपसे आशा करता हूं कि इस 185 किलोमीटर लम्बी लाइन की मंजूरी देंगे।

(नौ) लखीमपुर खेरी (उत्तर प्रदेश) में किसानों से गेहूं खरीदने के लिए संबंधित अधिकारियों को निदेश देने की आवश्यकता

श्रीमती ऊषा वर्मा (खेरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मामला सदन के सामने रख रही हूं।

मेरे प्रदेश उत्तर प्रदेश में और खासकर मेरे संसदीय क्षेत्र लखीमपुर खेरी में इस समय एक बहुत बड़ा संकट आ गया है। इस वर्ष गेहूं की फसल काफी अच्छी है। लेकिन किसान को बड़ी आपदा आ पड़ी है। बिजली न मिलने के कारण गेहूं की कटाई व सफाई में काफी परेशानी हो रही है। इसके अलावा जो गेहूं मंडियों में आ गया है उसकी सरकारी खरीद में काफी देर से किसान परेशान हैं। इतनी मेहनत के बाद अगर किसान को समय पर अपनी फसल का लाभ नहीं होगा तो यह एक बहुत गम्भीर हालत पैदा कर देगा।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि कृषि मन्त्री तुरन्त गेहूं की खरीद के बारे में समुचित आदेश दें।

(दस) पारादीप बन्दरगाह का आधुनिकीकरण करने और उसे लाभ-प्रद बनाने के लिए उड़ीसा में रेल सुविधाओं को सुधारने की आवश्यकता

श्री चिन्तामणि जेना (बालासोर) : देश के पूर्वी तट पर उड़ीसा के पारादीप बन्दरगाह को एक समय सबसे अधिक गहरे बन्दरगाहों में से एक समझा जाता था, परंतु अब वह पूर्णत: नष्ट होता जा रहा है। प्रारम्भ से ही इस बन्दरगाह का आधुनिकीकरण न किये जाने के कारण, विशेषज्ञों के विचार के अनुसार इस बन्दरगाह को भारी हानि हो रही है। यद्यपि इस बन्दरगाह को 6500 टन भार के जहाजों के उपयुक्त वर्ष 1966 में निर्मित किया गया था, इसको अभी भी आधुनिक नहीं बनाया गया है। लेकिन 1966 के पश्चात् आधुनिकीकरण किये जाने के बाद मद्रास तथा विशाखापत्तनम बन्दरगाह 1 लाख टन भार के जहाजों को प्राप्त करने तथा गोवा धन्दरगाह 1.5 लाख टन भार के जहाजों के उपयोग के समर्थ हैं। विशेषज्ञों ने मत व्यक्त किया है कि राज्य में रेल सुविधाओं के अभाव में बन्दरगाह को हानि हो रही है। उन्होंने यह बताया है कि 147 किलोमीटर के दैतारी-बंसपानी रेल सम्पर्क के पूरा हो जाने पर गन्धामरदान तथा बंसपानी क्षेत्र से लौह अयस्क तथा अन्य खनिज उत्पादों को बारास्ता राज खारसन, खड़गपुर तथा कटक से 664 किलो मीटर रेल लाइन रास्ते से ले जाने की वर्तमान दूरी को 326 किलो मीटर कम किया जा सकेगा तथा इन खनिजों के मूल्य का इस समय जो 66 प्रतिशत रेल भाड़े का भुगतान किया जाता है उसमें 30 प्रतिशत तक की कटौती की जा सकेगी, और तब ही उड़ीसा खनन निगम, जो कि लौह अयस्क का एक ही वितरक है, ब्राजील तथा आस्ट्रेलिया के लौह अयस्क मूल्यों से प्रतिस्पर्धा करने में समक्ष हो सकेगा।

जापान, दक्षिण कोरिया आदि जैसे देश, जो कि पारादीप बन्दरगाह से लौह अयस्क के प्रमुख क्रेता है, पहले की भांति छोटे जहाजों की बजाय 1 लाख टन भार से अधिक भार के जहाजों का उपयोग कर रहे हैं। पारादीप बन्दरगाह में एक लाख टन भार से अधिक जाहाजों को प्राप्त करने की व्यवस्था करना, वर्तमान 39 फुट की अपेक्षा अधिक गहराई तक खुदाई करना और नौभारों का लदान करने तथा उसको उतारने के लिए बहुत ही खर्चीले बाह्य बन्दरगाह के निर्माण कार्य जिसको समुद्र-मध्य में मशीनों द्वारा करने की आवश्यकता है पूरा किये बिना पारादीप बन्दरगाह को एक लाभकारी बन्दरगाह बनाने के मुख्य उद्देश्य हैं।

मैं नौवहन और परिवहन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि इस समस्या की ओर ध्यान दें ताकि इस बन्दरगाह को लाभ प्रद बनाया जा सके।

(ग्यारह) वैगनों के निरीक्षण कार्य को आर० डी० एस० ओ० से आर० आई० टी० ई० एस० को स्थानान्तरित करने के रेल बोर्ड के प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : रेलवे बोर्ड अधिकतर निजि क्षेत्र में तैयार किये गये वैगनों के निरीक्षण कार्य को रिसर्च, डिजाइन्स एण्ड स्टेण्डर्डस (आर्गनाइजेशन) (आर० डी० एस० ओ० के नाम से जाना जाता है) से हस्तांन्तरित करने पर विचार कर रहा है। यह एक मान्य तथ्य है कि आर० डी० एस० ओ० के डिजाइन विंग में मजबूत तथा परिचित तकनीकी सुविधा के तत्काल उपलब्ध होने के कारण इसका निरीक्षण स्तर सबसे अच्छा है जबकि मैसर्स आर० आई० टी० ई० एस० के पास यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। मैसर्स आर० आई० टी० ई० एस० द्वारा रेलवे भण्डारों के निरीक्षण करने की निम्न-स्तरीय गुणता के बारे में क्षेत्रीय रेलों द्वारा की गई बहुत सी शिकायतें रेलवे बोर्ड के रिकार्ड में मौजूद हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि रेल मंत्रालय द्वारा इस तथ्य की उपेक्षा की गई है कि सुरक्षा की दृष्टि से वैगनों का बहुत महत्व है क्योंकि तीन प्रकार के रोलिंग स्टाक में वैगन ही दुर्घटनाओं में सबसे अधिक योगदान करते हैं। इस प्रयोजन के लिए नियुक्त की गई रेलवे बोर्ड के वरिस्ठ निदेशकों की एक समिति ने यह स्पष्ट रूप से सिफारिश की है कि वैगनों तथा उनकी सुरक्षात्मक मदों के निरीक्षण का कार्य आर० डी० एस० ओ० के पास ही रहना चाहिए। प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स आर० आई० टी० ई० एस० ने वर्तमान स्थिति को बनाये रखने का समर्थन किया है। इसके अतिरिक्त, इस कार्य के लिए रेलवे द्वारा मैसर्स आर० आई० टी० ई० एस० को जो धनराशि देनी पड़ेगी उसकी अपेक्षा आर० डी० एस० ओ० द्वारा जो निरीक्षण कार्य किया जायेगा उस पर कम व्यय होगा। आर० डी० एस० ओ० के वैगन निरीक्षण संगठन के वर्तमान कर्मचारियों को तबादला, वेतन, वरिष्ठता तथा पदावनति के कारण गंभीर आघात पहुंचेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद पर विचार करेंगे।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : महोदय, मैंने 377 के अधीन विचारार्थ अपना मामला प्रस्तुत किया था और मैं अध्यक्ष महोदय से भी मिला हूं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और पूरे सत्र में मैंने अन्य कोई मामला 377 के अधीन नहीं पेश किया है। अतः मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि मुझे सभा में वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान की जाए, विशेष रूप से तब, जबकि शिक्षा मन्त्री इस समय मौजूद हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : इस संबंध में कल विचार किया जा सकता है।

श्री जी० एम० बनातवाला : 'किया जा सकता है' अथवा 'किया जाएगा ?'

उपाध्यक्ष महोदय : कई बार 'सकने' का अर्थ 'जाएगा' से भी लगाया जाता है।

1.30 म० प०

विश्व भारती (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा श्रीमति शीला कौल द्वारा प्रस्तुत किए गए निम्नलिखित प्रस्ताव पर आगे विचार करेगा, अर्थात

"कि विश्वभारती अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

श्रीमति शीला कौल अपना भाषण आगे जारी रख सकती है।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमति शीला कौल) : सभापति महोदय, यह एक महत्वपूर्ण बात है कि हमने विश्वभारती संशोधन विधेयक पर कल 7 मई, रवीन्द्र नाथ टैगोर के जन्म दिन के पुनीत दिवस को विचार करना शुरू किया है। मुझे पक्का विश्वास है कि वर्तमान विधेयक, जिसे संसद की संयुक्त समिति ने प्रस्ताविक किया है और जो रवीन्द्र नाथ टैगोर के मूल विचारों और आदर्शों को पूरा करने के लिए इस विश्वविद्यालय के पुनरुद्धार के प्रयास के रूप में है, रवीन्द्र नाथ टैगोर की भावना को संसद द्वारा उचित अवसर दिया जाना है। विश्वभारती रवीन्द्र नाथ टैगोर की बहुमुखी प्रतिभा की एक जिन्दा मिसाल है और मुझे पक्का विश्वास है कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि विधाता ने हमें यहां रवीन्द्र नाथ टैगोर को अपनी श्रद्धांजली अर्पित करने के लिए इकट्ठा होने का एक अनूठा अवसर प्रदान किया है।

अब मैं कल के अपने भाषण को आगे जारी रखती हूं।

संयुक्त समिति में तीन पूर्ण कालिक निदेशकों का उपबन्ध करने की सिफारीश की है, जिसे मैं कुछ खोलकर स्पष्ट करती हूं। ऐसा सोचा जाता रहा है कि विश्वभारती को शिक्षा की एक ऐजी एकजुट संस्था के रूप में व्यवस्थित किया जाना चाहिए, जिसमें इन दो बातों का समन्वय हो, पहला शक्ति निकेतन में दी जाने वाली शिक्षा और दूसरा श्रीनिकेतन में ग्रामीण पुनर्निर्माण को दिया जाने वाला बढ़ावा। शान्तिनिकेतन और श्रीनिकेतन में इस समन्वय पर बल देने के लिए और शैक्षिक क्रान्ति के लिए प्रयोगशाला के रूप में विश्वभारती की भूमिका पर बल देने के लिए समिति ने यह सुझाव दिया है कि एक निदेशक होना चाहिए, जिसका पदनाम अध्ययन, शैक्षिक क्रान्ति और ग्रामीण पुनर्निर्माण निदेशक हो। इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वह शान्ति-

[श्रीमती शीला कौल]

निकेतन में अध्ययन, शैक्षिक क्रान्ति और शिक्षा कार्यक्रमों के लिए तथा श्रीनिकेतन में ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्यक्रमों के लिए भी निर्णयों को कार्यान्वित करने और उन्हें शीघ्र लेने के लिए जिम्मेदार होगा। और वह शान्तिनिकेतन की गतिविधियों तथा श्रीनिकेतन की गतिविधियों के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।

संस्कृति के पहलू पर विचार करते समय हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि गुरूदेव की कृतियां, चाहे यह ड्रामा हो, चाहे कविताएं और गाने हों चाहे संगीत या चित्रकला हो, विश्वभारती की सीमा में ही बंधी न रह जाएं। हमें ऐसे उपाय करने चाहिए कि यह बहुमूल्य विरासत पूरे देश के तथा विदेशों के भी बच्चों और युवाओं को उपलब्ध हो। हमें गंभीरतापूर्वक यह सोचना चाहिए कि हमारे देश के बच्चे और युवा गुरुदेव द्वारा शिक्षा, संस्कृति और सामान्य रूप से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए कार्यों की जानकारी से अनभिज्ञ क्यों रहते हैं। क्या हम ऐसी सुविधाएं और अपेक्षित तन्त्र मुहैया नहीं कर सकते, जिसके द्वारा बच्चे, युवा तथा अध्यापक गुरूदेव की 'गीतांजली', 'दि गार्डनर' 'लिपिका' और 'डाकघर' जैसे अनेक ड्रामे, मधुर संगीत के अनगिनत गाने और बढ़िया चित्रकारी के बारे में अधिक से अधिक जान सकें। संस्कृति के इस पहलु पर बल देने के लिए समिति ने एक 'निदेशक' की सिफारिश की है, जिसका पदनाम संस्कृति तथा सांस्कृतिक संबंध निदेशक होगा। इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन वह रवीन्द्र भवन के प्रमुख के रूप में कार्य करेगा तथा वह रवीन्द्रनाथ टैगोर के आदर्शों और कार्य के बारे में तथा भारतीय संस्कृति और इसका विदेशों की संस्कृति से सम्बन्ध के बारे में अध्ययन और अनुसन्धान आयोजित करेगा। वह कला, साहित्य और संगीत सहित अपनी सांस्कृतिक विरासत की फिल्में और वीडियो टेपों के माध्यम से प्रसार और प्रचार का कार्य आयोजित करेगा। इसके अतिरिक्त उपाचार्य के सामान्य निरीक्षण के अन्तर्गत वह भारत और विदेशों की सांस्कृतिक संस्थाओं और एजेन्सियों के सम्बन्धों के लिए भी जिम्मेदार होगा तथा रवीन्द्र नाथ टैगोर की रचनाओं का भारत की तथा अन्य देशों की विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराने की उन्हीं की जिम्मेदारी होगी। संस्कृति और सांस्कृतिक संबंधों के मामले में शान्तिनिकेतन और श्रीनिकेतन की विभिन्न संस्थाओं की गतिविधियों के समन्वय का कार्य संस्कृति और सांस्कृतिक संबंध निदेशक को करना होगा।

शारीरिक शिक्षा, खेल, छात्र कल्याण और राष्ट्रीय सेवा की गतिविधियों को उच्च दर्जा प्रदान करने के उद्देश्य से एक ऐसे निदेशक की नियुक्ति की व्यवस्था होगी, जिसका पदनाम शारीरिक शिक्षा, खेल, राष्ट्रीय सेवा और छात्र कल्याण निदेशक होगा। वह राष्ट्रीय सेवा, शारीरिक शिक्षा, खेल और छात्र कल्याण संबंधी कार्यक्रमों और गतिविधियां आयोजित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

इसके अतिरिक्त संयुक्त समिति ने संसद कर्म-समिति और शिक्षा समिति के गठन में संशोधन का प्रस्ताव भी किया है, ताकि शिक्षकों और छात्रों को इस प्रकार प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिससे चुनावों से बचा जाये तथा वरिष्ठता और गुणों को उचित महत्व दिया जाये। संयुक्त समिति ने शैक्षिक क्रान्ति संबंधी परामर्शदात्री परिषद् की भी सिफारिश की है, जो रवीन्द्र नाथ टैगोर के विचारों को ध्यान में रखते हुये विश्व भारती में वर्तमान शिक्षा पद्धति का पुनर्निरीक्षण करेगी और इस बात के उपाय सुझाएगी कि टैगोर के विचारों को वहां कैसे स्थापित किया जा सकता है।

इसके अलावा छात्रों की उन्नति, विकास और कल्याण से सम्बन्धित विभिन्न मामलों पर छात्रों से विचार-विमर्श करने के बारे में उन्हें उचित अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से संयुक्त समिति ने यह सिफारिश की है कि एक ऐसी छात्र परिषद् होनी चाहिये, जिसमें चेयरमैन के रूप में शारीरिक शिक्षा, खेल, राष्ट्रीय सेवा और छात्र कल्याण निदेशक तथा सभी शोध और शोधोत्तर छात्र, सभी ऐसे छात्र, जिन्होंने अध्ययन, ललित कलाएं, खेल और विस्तार कार्य में तथा दसवीं कक्षा के स्तर पर कोई अन्य पुरस्कार प्राप्त किये हों और अध्ययन, खेल, शिक्षा-इतर गतिविधियों तथा व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास में गुणों के आधार पर शैक्षिक परिषद् द्वारा नामित 20 छात्र शामिल होंगे। यह भी व्यवस्था की गई है कि विश्वविद्यालय के दसवीं कक्षा और इससे उच्च कक्षा के किसी भी छात्र को यह अधिकार होगा कि वह विश्वविद्यालय संबंधी कोई भी मामला छात्र परिषद् के सम्मुख पेश कर सके, यदि चेयरमैन को इसकी अनुमति प्रदान की जाय, और उसको यह अधिकार भी होगा कि इस मामले पर विचार करने के लिए जब कभी कोई बैठक हो, तो वह इसमें विचार-विमर्श के लिए भाग ले सकता है।

परिषद् का यह कार्य होगा कि वह अध्ययन, छात्र कल्याण के बारे में तथा सामान्यतः विश्वविद्यालय के काम-काज के बारे में महत्वपूर्ण अन्य मामलों के बारे में उचित प्राधिकारियों को सुझाव दे सकती है। सुझाव राय के मतैक्य के आधार पर दिये जाएंगे।

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में कहा था कि समिति द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों का दूसरी सभा ने स्वागत किया है और मैं इन्हें इस सम्मानीय सभा के समक्ष विचारार्थ और अनुमोदनार्थ पेश करती हूं।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार करने का प्रस्ताव करती हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, जब पूरा देश ही नहीं, पूरा संसार गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर का यह जन्म दिवस, 25 वैशाख मना रहा है, उस समय हम इस विधेयक पर, जो यदि आप मुझे कहने की अनुमति दें, रवीन्द्र नाथ टैगोर के महान आदर्शों का अपमान है, उनकी स्मृति का अपमान है और विश्वभारती का भी अपमान है, विचार कर रहे हैं।

[श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती]

महोदय, टैगोर स्वयं शिक्षा की आत्माहीन पद्धति से दुःखी थे और वे एक ऐसा वातावरण तैयार करना चाहते थे, जहां छात्रों का स्वतन्त्र रूप से विकास हो, स्वतन्त्र रूप से प्रकृति के समीप रहकर वे अपना मानसिक उत्थान कर सकें। मूल रूप से वे स्वतन्त्रता में, लोकतन्त्र में, अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता में विश्वास रखते थे और यह चाहते थे कि मानसिक और शारीरिक विकास के लिए उन्मुक्त आजादी प्रदान की जाए। महोदय, इन महान आदर्शों के साथ उन्होंने एक स्थापना की, जो आज 'शान्ति निकेतन के नाम से जाना जाता है। शान्त वातावरण में खोले गये इस स्कूल में केवल पांच छात्र थे जिन्हें गुरुदेव पढ़ाया करते थे और धीरे-धीरे यह घरेलू और राष्ट्रीय आदर्शों पर आधारित प्रायोगिक शिक्षा का केन्द्र बन गया। मूल आश्रम की न केवल भौगोलिक सीमाओं, बल्कि इसकी सांस्कृतिक और बौद्धिक सीमाओं का भी विस्तार किया गया। इसने विश्ववादी रूप ग्रहण किया और इसके क्षितिज का विस्तार हुआ।

महोदय, वर्ष 1921 में विदेशी शासन से मुक्त होने के लिए अपने स्वतंत्रता संघर्ष के विकास के साथ-साथ विश्व भारती ने पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया और वर्ष 1921 में विश्व भारती का अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण के एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में, एक ऐसे शिक्षा केन्द्र के रूप में, जहां पूर्व और पश्चिम की संस्कृतियां मिलजुल कर एक साथ पनप सकती है, सार्वजनिक रूप से उद्घाटन हुआ।

जब सुकरात से यह पूछा गया—"क्या तुम राथेन्स के नागरिक हो ?" तो उसने यह उत्तर दिया—"मैं विश्व का नागरिक हूं।" टैगोर विश्व-साहचर्य में विश्वास करते थे। उनका विश्वास था कि सभी संस्कृतियों का मेल होना चाहिए। यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं उनकी एक कविता का एक अंश सुनाता हूं—

पिबे पर निबे मिलिबे

जबे ना फिरे

अय भारातर

महामनेबेर

सागर तीरे

यह संस्कृतियों का मेलजोल होगा, आपसी आदान-प्रदान होगा और इसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपना हिस्सा डालना चाहिए। वास्तव में इस विश्वविद्यालय में उन्होंने विदेशों से ऐसे लोगों को आमन्त्रित किया, जो विभिन्न संस्कृतियों का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिष्ठित विद्वान थे। वे इस विश्वविद्यालय को विश्व-स्तर का एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहते थे, जहां मन में कोई

भय न हो, जहां आदमी स्वतन्त्र हो, और अपना अस्तित्व पहचान ले, जहां ज्ञान का मुक्त प्रवाह हो, यही उनकी इच्छा थी और इसी की पूर्ति के लिए वे पूरा जीवन कार्य करते रहे।

प्रारम्भ में जीवन बहुत सरल और आडम्बरहीन था। यह एक क्रियाशील जीवन हुआ करता था, लेकिन इसमें संयम था। विश्वविद्यालय ज्ञान के अर्जन के लिए है और अज्ञात का पता लगाने के लिए है। इसीलिए उन्होने इसका विस्तार किया। यह उसी प्रकार है जैसे 'यूलिसस' और अधिक जानने के लिए आगे तथा और आगे बढ़ता ही रहा। यह निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

आजादी के बाद, जब पंडित जवाहर लाल नेहरू प्रधान मंत्री थे, तब वर्ष 1951 में संसद के अधिनियम द्वारा विश्व भारती को राष्ट्रीय महत्व की एक संस्था घोषित किया गया था। वर्ष 1971 तक विश्व भारती के इस कानून के अनुसार चलती थी। पंडित नेहरू ने इस सभा में यह वादा किया था कि यह अधिनियम विश्व भारती की आजादी, स्वतन्त्रता और प्रमुसत्ता को नहीं छीनेगा। यह विश्वभारती को वित्तीय सहायता देने के लिए तथा इसके आदर्शों के अनुरक्षण और उत्थान के लिए अधिनियमित हुआ था। वर्ष 1971 में, संसद के एक और अधिनियम ने विश्व-विद्यालय के लोकतांत्रिक निकायों को पूर्णत: नष्ट कर दिया और विश्वविद्यालय के सभी निकाय नामित निकाय बनाये गए। महोदय, आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में वर्ष 1970-71 के दौरान क्या हुआ था। वहां नक्सली आन्दोलन चला था और विश्व भारती इससे अछूता नहीं रह गया था। जी हां, वहां कुछ हलचल हुई थी, कुछ गड़बड़ी हुई थी। लेकिन सरकार ने इसका फायदा उठाया। इसका फायदा उठाते हुए उसने विश्वविद्यालय को इसके लोकतान्त्रिक निकायों से वंचित कर दिया। सभी नामित निकाय बना दिये गए। लेकिन तब सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि यह एक अस्थायी उपाय है और बहुत जल्दी ही 1971 के अधिनियम के स्थान पर एक नया अधि-नियम बनाया जायेगा और लोकतन्त्र बहाल किया जायेगा।

वर्ष 1978 में, जब श्री पी० सी० चन्द्र शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने राज्य सभा में एक विधेयक पुर:स्थापित किया था। उसमें भी, लालफीताशाही और राजतन्त्रवाद स्थापित करने के प्रयास थे। लेकिन वर्तमान विधेयक की तुलना में वह बेहतर था, क्योंकि उसमें चुनावों का प्रावधान था।

वे जनता सरकार पर आरोप लगाते हैं। लेकिन जनता सरकार के काल में, उन्होंने कम-से-कम शिक्षकों और छात्रों के प्रतिनिधियों के चुनाव का प्रावधान तो रखा गया। लेकिन महोदय, आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि वर्तमान विधेयक में इसका पूर्णत: सफाया कर दिया गया है। इसमें चुनाव का कोई प्रावधान नहीं है, परंतु नामांकन के प्रावधान के स्थान पर वरिष्ठता के आधार पर उनके बारी-बारी से बदले जाने की व्यवस्था है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : क्या यह बेहतर नहीं है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं इसी बात की तरफ आ रहा हूं। मैं तो केवल यही चाहता हूं कि आपको सर्वोत्तम उपाय अपनाना चाहिए। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं, क्योंकि मैंने विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर विचार किया है कि विश्वविद्यालयों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के प्रबंध के प्रति इसका क्या रवैया है। उन्हें यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या लोकतांत्रिक सिद्धांतों में उनका विश्वास है अथवा नहीं है। यदि वे लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, भागीदारवादी लोकतंत्र में, तो निश्चित रूप में इसका अर्थ यही होगा कि शिक्षा संस्थाओं सहित सभी संस्थाओं में भागीदारवादी लोकतंत्र होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य : पश्चिम बंगाल राज्य सहित।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मैं उसी तरफ आ रहा हूं। वहां लोकतंत्र का अधिकतम विस्तार है।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : लेकिन जितने की अनुमति है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह एक कटु मजाक है कि सरकार यह कहती है कि वे लोकतांत्रिक सिद्धांतों के विरुद्ध हैं, क्योंकि लोकतंत्र से विवाद पैदा होते हैं। यही तर्क पाकिस्तान में इस समय दिया गया, जब सैनिक तानाशाह से यह पूछा गया : "पाकिस्तान में कोई मतदान क्यों नहीं हो रहा है ?" उसने उत्तर दिया : "आप जानते हैं कि अब पाकिस्तान में सब ओर शांति है। जब कभी मतदान की बात होगी, विवाद पैदा हो जाएगा।" क्या लोकतंत्र का दावा करने वाली सरकार को इस तर्क का सहारा लेना चाहिए ? लोकतंत्र का अर्थ चयन है। और चयन का, निश्चित रूप से अर्थ विचारों का द्वन्द है। आपका इस बात से क्या तात्पर्य होता है, जब आप यह कहते हैं कि इससे संघर्ष बढ़ेगा ? एक आजाद समाज में, एक लोकतांत्रिक समाज में आदर्शों और सिद्धांतों का संघर्ष होना ही चाहिए। और लोगों को इन अलग-अलग विचारों और सिद्धांतों में से, अपने हिसाब से उत्तम का चयन करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अपने विचार और सिद्धांत से मेल खाते हुए व्यक्ति का ही चयन करेगा। शिक्षा संस्थाओं में, जहां पढ़े-लिखे लोग होते हैं, जिम्मेदार लोग होते हैं, वहां भिन्न-भिन्न विचारों का मुक्त खेल होना चाहिए। अन्यथा कोई कैसे चयन करेगा। जब मैंने अपना भाषण शुरू किया था, मैंने कहा था कि रवीन्द्र नाथ टैगोर पूर्व और पश्चिम, दोनों संस्कृतियों के उन्मुक्त मिलन में विश्वास करते थे; वे स्वतंत्रता और लोकतंत्र में विश्वास करते थे। इस विधेयक में लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़िया तरीके से दफनाया गया है। लेकिन परिसर में शांति बनाये रखने के नाम पर ऐसा क्यों किया गया है ?

वर्ष 1971 से अब तक वे बिना किसी निर्वाचित निकाय के काम चला रहे हैं। आपने अपने उद्देश्यों और कारणों संबंधी वक्तव्य में यह कहा गया है कि उसका स्तर गिर रहा है। क्यों ? क्या आप मुझे यह आश्वासन दे सकते हैं कि जहां चुनाव नहीं होते हैं, उस विश्वविद्यालय में शांति

रहती है ? नहीं । ऐसा नहीं हो सकता । यदि समाज में संघर्ष है, तो शिक्षा संस्थाओं सहित सभी संस्थाओं में संघर्ष होंगे । विधेयक के पृष्ठ 7 पर यह लिखा है :

"भारत का राष्ट्रपति विश्वविद्यालय का परिदर्शक होगा ।"

हमें यह फैसला करना चाहिए कि क्या हमें राजनीतिक व्यक्तियों को विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना चाहिए । जब मैं राष्ट्रपति, राज्यपाल का नाम लेता हूं, तो निश्चित रूप से इन पदों को ग्रहण करने से पहले वे राजनैतिक नेता होते हैं । विश्व भारती के मामले में, प्रधानमंत्री भी इसकी आचार्य हैं । मुझे नहीं मालूम, यह कैसे हुआ । यदि पश्चिम बंगाल में हम यह व्यवस्था करते हैं कि मुख्यमंत्री कलकत्ता विश्वविद्यालय का आचार्य होगा तो आप कहेंगे, कि सब कुछ नष्ट हो गया; यह राजनीति है । लेकिन आपने यहां क्या किया है ? मेरा प्रधानमंत्री के प्रति असम्मान प्रगट करने का अर्थ नहीं है । यह उपलब्धि क्यों है कि प्रधानमंत्री आचार्य होंगी और राष्ट्रपति परिदर्शक होंगे ? कुछ भी हो आपने राष्ट्रपति को परिदर्शक बना दिया है । ठीक है । लेकिन उनकी शक्तियां क्या हैं ? आपको मैं बतलाता हूं कि राष्ट्रपति क्या कर सकता है । इस विधेयक के पृष्ठ 8 पर निम्नलिखित रूप से लिखा है :

> "इस धारा के पूर्वगामी उपबन्धों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, परिदर्शक (विजीटर) लिखित आदेश द्वारा, विश्वविद्यालय को ऐसी कोई कार्यवाही बातिल कर सकेगा, जो इस अधिनियम, परिनियमों या अध्यादेशों के अनुरूप नहीं है ।"

परिदर्शक को ये व्यापक शक्ति प्रदान की गई है । संसद (कोर्ट), कर्म-समिति (एक्जीक्यूटिव काऊंसिल) में भी नामित लोग भरे पड़े हैं; और वहां निर्वाचन के सिद्धान्त का सफाया कर दिया गया है । शिक्षकों के प्रतिनिधि और अन्य व्यक्ति बारी-बारी से आते हैं । लेकिन इन निकायों की वास्तविक शक्तियां क्या हैं ? "जब कभी राष्ट्रपति यह समझे कि विश्वविद्यालय का कोई कार्य अथवा कार्रवाई अधिनियम के अनुकूल नहीं है"—इस बात का निर्णय कौन करेगा कि कोई बात अधिनियम के अनुकूल है अथवा नहीं है ? क्या परिदर्शक मत निर्णय लेगा ? और वह विश्वविद्यालय निकाय की कोई भी कार्यवाही बातिल कर सकेगा ।

1.55 म० प०

(श्री आर० एस० स्पैरो पीठासीन हुए)

इसका क्या अर्थ है ? इसका अर्थ हुआ कि अन्ततः परिदर्शक के पास पूर्ण शक्ति है । क्या यह लोकतन्त्र का मजाक नहीं है ? शैक्षिक मामलों में भी परिदर्शक सर्वोच्च है । यदि यह केवल वित्तीय मामलों में होता, तो मैं कुछ समझ सकता था, लेकिन जब कभी परिदर्शक चाहे, वह हस्तक्षेप कर सकता है और इन नामित निकायों को बेअसर कर सकता है । वास्तव में इसका अर्थ क्या हुआ ? क्या आप रवीन्द्र नाथ टैगोर के आदर्शों के प्रति सम्मान प्रगट कर रहे हैं ? आप जानते हैं कि टैगोर

[श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती]

ने शासी निकाय में अपने परिवार के किसी सदस्य को शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं किया था, वे लोकतन्त्र में इस प्रकार का विश्वास रखते थे। वास्तव में, अपने प्रकाशनों से जो उन्हें आय हुई, उसे उन्होंने विश्वभारती को दे दिया। उन्होंने अपने परिवार के किसी भी सदस्य को पदेन रूप में शासी निकाय में शामिल करने का कोई प्रावधान नहीं किया था। वे चाहते थे कि यह लोकतन्त्र के आधार पर चले, आपसी सद्भावना के आधार पर चले। लेकिन यहां, इस विधेयक में, यह सरकार परिदर्शक को इतना शक्तिशाली बना रही है कि सभी लोकतांत्रिक मूल्य नष्ट हो गए हैं, निर्णय लेने संबंधी प्रक्रिया में सभी प्रकार की भागादारी का अर्थ समाप्त हो गया है। मैं यह अवश्य कहूंगा, कि वर्ष 1951 में, पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह वायदा किया था कि केन्द्रीय सरकार विश्वविद्यालय की स्वायत्तता में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, यह केवल वित्तीय जिम्मेदारी ले रही है। यह उन्होंने वायदा किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने भी वायदा किया था कि सरकार विश्वविद्यालय के सिद्धान्तों की रक्षा करेगी और उन्हें बढ़ावा देगी। लेकिन मेरे विचार में वर्तमान विधेयक उल आवर्शों को नष्ट कर रहा है, जिनके लिए विश्वभारती का महत्व है।

अब आप आचार्य-चांसलर के बारे में देखें, आचार्य का चुनाव कैसे होता है ? संसद या कोर्ट द्वारा नहीं, बल्कि कर्म-समिति द्वारा। इसमें कहा गय, है : "आचार्य (चांसलर) की नियुक्ति, परिदर्शक (विजीटर), व्यक्तियों के उस पैनल से करेगा, जो उपधारा (2 क) के अधीन कर्म-समिति (एक्जीक्यूटव काउन्सिल) द्वारा तैयार किया गया है और सिफारिश की गई है।" ऐसा क्यों है कि उच्च निकाय, जहां अधिक प्रतिनिधित्व है, हालांकि अलोकतान्त्रिक ही है, आपको संसद में भरोसा नहीं है, लेकिन कर्म समिति (एक्जीक्यूटव काउन्सिल) व्यक्तियों के नामों का पैनल बनाएगी और उस पैनल में से, परिदर्शक चांसलर की नियुक्ति करेगा ?

मैंने कई बार यह कहा है कि यह बहुत बुरी बात है कि हमने प्रधानमंत्री के पद का मेरा तक इस्तेमाल किया है कि आचार्य के रूप में उस व्यक्ति को कार्य करने में कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इस प्रकार प्रधानमंत्री विश्वविद्यालय का एक अधिकारी बन जाता है। मुझे इसका कोई कारण समझ में नहीं आता। यदि आप विश्वविद्यालय को, वास्तव में स्वायत्-निकाय बनाना चाहते हैं, तो किसी शिक्षा-विद् को आचार्य बनाया जाना चाहिए''' (व्यवधान)

श्रीमती शीला कौल : प्रधानमंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी प्रधानमंत्री होने के नाते विश्वभारती की आचार्य (चांसलर) नहीं है, लेकिन वे अपने व्यक्तिगत रूप पर निर्वाचित हुई है। वे वहां एक निर्वाचित आचार्य (चांसलर) हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह सच है, लेकिन मैं मेरा यह कहना हैं कि जब से पंडित जवाहर लाल विश्वभारती से सम्बद्ध थे, आप देखें, कि विश्वभारती के आचार्य (चांसलर) कौन-कौन व्यक्ति रहे हैं।

2.00 म० प०

आप देखेंगे कि अधिकांश समय तक प्रधानमंत्री ही इस पद पर रहे हैं। परन्तु मैं समझता हूं कि यदि आप कोई व्यवस्था करना चाहते हैं तो आपको शैक्षिक समुदाय से सम्बन्धित व्यक्तियों का उल्लेख करना चाहिये। परन्तु आपने राजनीति से सम्बन्धित व्यक्तियों का उल्लेख किया है। इसका मतलब है कि आपने राजनीतिज्ञों के लिये रास्ता खोल दिया है। चांसलर मूलतः शिक्षाविद होना चाहिए और उसका चयन राजनीति से सम्बन्धित व्यक्तियों के बजाय शैक्षिक समुदाय से किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : मैं समझता हूं कि ये आपके अपने विचार हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : जी हां। अतः क्या किया गया है ? अब वे चिल्ला चिल्लाकर कह रहे हैं कि शैक्षिक संस्थानों को राजनैतिक हस्तक्षेप से दूर रखा जाए। यह लोगों को समझाने के लिए है। परन्तु जब वे कोई व्यवस्था करते हैं तो प्रधानमंत्री और उनके लोग हस्तक्षेप करते हैं और यह वह गैर-राजनैतिक हो जाता है। यह बड़ा अद्भुत तर्क है। मुझे नहीं पता इसे किस प्रकार कायम रखा जाएगा। शिक्षा मंत्री को उत्तर देना होगा परन्तु उन्होंने यह काम इतनी चालाकी से किया है कि पूरे विश्वविद्यालय पर दिल्ली बैठे नियंत्रण किया जा सकता है।

मैं जानता हूं कि आपके नियंत्रण का मतलब नौकरशाही का नियंत्रण है। आप नौकरशाही की बात सुनेंगे। आप वही करेंगे जो नौकरशाही कहेगी। अर्थात् इन शक्तियों से अधिक मजबूत होगी जिसका मतलब है कठोर नियंत्रण। जिसके विरुद्ध रवीन्द्रनाथ टैगोर सारी जिन्दगी लड़ते रहे।

सभापति महोदय, वे इससे भी संतुष्ट नहीं है और वे अपने विजीटर को अत्यधिक शक्तिशाली बना रहे हैं। महोदय, मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि कई बार विजीटर को हस्तक्षेप करना पड़ता है। परन्तु ऐसा कब करना पड़ता है ? उसे हस्तक्षेप तब करना चाहिए जब शासन व्यवस्था ठप्प हो जाए। मैं यह स्वीकार करता हूं कि कोई भी सरकार मूक दर्शक नहीं बनी रह सकती। परन्तु सामान्य परिस्थितियों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। परन्तु इसके अनुसार सामान्य परिस्थितियों में भी वे हस्तक्षेप कर सकते हैं। महोदय, इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने वाइस-चांसलर को अत्यधिक अधिकार दे दिए हैं। महोदय, मैं विधेयक में से उद्धरण प्रस्तुत करता हूं :—

> "उपाचार्य (वाइस चांसलर) के विचार में यदि किसी मामले पर तुरन्त कार्यवाही आवश्यक है।"—मैं 'किसी मामले' पर विशेष बल दे रहा हूं—इस अधिनियम के द्वारा या इसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकारी को प्रदत्त किसी भी अधिकार का प्रयोग कर सकता है और इस अधिकारी को ऐसे मामले भी उसके द्वारा की गई कार्यवाही की सूचना देगा :
>
> "बशर्ते कि यदि संबंधी प्राधिकारी के विचार में यह कार्यवाही आवश्यक नहीं है तो इसे परिदर्शक (विजीटर) को भेजेगा जिसका निर्णय अंतिम होगा।"

[श्री सत्य साधन चक्रवर्ती]

इसका क्या मतलब है ? वाइस चांसलर न्यायालय, संसद, कार्यकारी परिषद्, ग्राम समिति के परामर्श बिना कोई भी कार्यवाही कर सकता है । अतः ये निकाय केवल दिखावे के लिए हैं । इन निकायों में अधिकांश लोग नामनिर्देशित आधार पर, बारी-बारी से चयन के आधार पर, बेहतरी के आधार पर होते हैं और इसके बावजूद भी वाइस चांसलर इन निकायों की परवाह किये बिना कोई भी कार्यवाही कर सकता है ।

विश्व विद्यालय के किसी कर्मचारी को अपनी बात कहने के लिए केवल एक उपबन्ध है अन्यथा सभी मामलों में वाइस चांसलर सर्वोच्च है ।

प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में वाइस चांसलर को अत्यधिक शक्तिशाली बनाया जा सकता है ? एक तर्क यह दिया जाता हैं कि यदि आप विश्वविद्यालय को ठीक ढंग से चलाना चाहते हैं तो विश्वविद्यालय के प्रति दिन के प्रशासन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को शक्ति दी जानी चाहिए । जब श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर इसके कर्णधार थे तब उन्होंने सुनिश्चित किया था संस्थान में लोकतन्त्र विद्यमान रहे और यह संस्थान भ्रष्टाचार और स्वार्थपरता से दूर रहे । वह शक्तिशाली व्यक्ति थे और लोगों ने उसे स्वीकार किया । परन्तु क्या आप छोटे-मोटे लोगों को ऐसे अधिकार दे सकते हैं ? सभी रवीन्द्रनाथ टैगोर नहीं हैं, सभी महान् व्यक्ति नहीं हैं । क्या आप जो अधिकार महान प्रतिभाशाली व्यक्ति को दे सकते हैं उन्हें कम प्रतिभाशाली लोगों को दे देंगे ? मैं समझता हूं कि उन पर नियंत्रण करना चाहिए क्योंकि क्या प्रतिभाशाली व्यक्ति अधिकारों का प्रयोग बे रोक-टोक और शैक्षिक कार्यों के अलावा अन्य कार्यों के लिए करते हैं । ऐसा होता है । इसलिए लोकतंत्र में कार्यपालिका पर लोकतांत्रिक नियंत्रण अत्यन्तावश्यक है । अथवा, कार्यकारी द्वारा अधिकारों का दुरुपयोग किया जाएगा । मेरी समझ में नहीं आता कि उपाचार्य को इतने अधिकार क्यों दिए गए हैं ।

महोदय, लोकप्रिय चुनाव के आधार को समाप्त कर दिया गया है । उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ध्यान संयुक्त समिति की ओर दिला रहे थे । मैंने उस पूरे रिकार्ड का अध्ययन किया है, जिन व्यक्तियों से वह मिले । मैं पूछना चाहता हूं कि क्या वे अध्यापकों से मिले हैं । क्या वे छात्रों से मिले हैं ? क्या वे कर्मचारियों से मिले हैं ? मेरे पास उनके ज्ञापन हैं । मेरे पास वह सब कुछ है जो छात्रों, कर्मचारियों और अध्यापकों ने सरकार को लिखा है । विश्वभारती में हमें पहली बार आए दिन 'काम-बंद' देखने को मिलता है । ऐसा पहले कभी नहीं हुआ । क्यों ? छात्रों, कर्मचारियों और अध्यापकों ने मिलकर उस विधेयक के उपबंधों का विरोध किया है जिसमें चुनाव की व्यवस्था नहीं है । अध्यापकों ने रोष प्रकट किया है । क्यों ? क्योंकि 'बारी-बारी' का सिद्धान्त गैर-लोकतांत्रिक है । वे अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं । अन्यथा वह किसका प्रतिनिधित्व करेगा ? लोकतंत्र का मतलब है प्रतिनिधित्व । अगले दिन श्री जगन्नाथ कौशल, हमारे कानून मंत्री ने ही कहा था कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, हम बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं । ठीक है, यह हमने मान लिया । इसलिए आप सत्ता में है । परन्तु जो व्यक्ति 'कोर्ट' या कार्यकारी परिषद् में 'बारी-बारी'

के आधार पर बैठेगा वह किसका प्रतिनिधित्व करेगा ? लोकतंत्र में उसे बहुमत का प्रतिनिधित्व करना चाहिए ।

श्री चित्त बसु : यह 'निर्देशित' लोकतंत्र है ।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मान लो एक व्यक्ति 'कोर्ट' में जाता है और कोई अध्यापक उसे पसन्द करता । तो वह किसका प्रतिनिधित्व करता है ? वह किसकी ओर से बोलेगा ? इसके पीछे क्या तर्क है । आप ऐसा नहीं कर सकते, यह गैर-लोकतांत्रिक है । इसलिए यह एक विचित्र बात है ।

कांग्रेस (आई), सत्तारुढ़ दल और वामपंथी दलों दोनों से संबंधित सभी छात्र इस विधेयक के उपबन्धों का विरोध कर रहे है । कृपया इस ओर ध्यान दें कि कांग्रेस (आई) और वामपंथी दोनों दलों के छात्र मिलकर आंदोलन कर रहे हैं । महोदय, मैं 31 मार्च, 1984 के 'इंडिया टुडे' का एक उद्धरण प्रस्तुत करता हूं :

> "विश्वविद्यालय परिसर में इसकी प्रतिक्रिया का अन्दाजा इसी से लगाया जा सकता है कि कांग्रेस समर्थित छात्र परिषद (आई) और मार्कसिस्ट स्टुडेंट्स फेडरेशन आफ इंडिया दोनों ही संयुक्त रूप से इसका विरोध कर रहे हैं । गौतम भट्टाचार्य और सुभा बोस, परस्पर विरोधी संगठनों के नेताओं, ने कहा है कि राजनैतिक मतभेदों के बावजूद हम इसका मिल कर मुकाबला करेंगे क्योंकि इसमें हमारे अस्तित्व को खतरा पैदा हो गया है ।"
> छात्र इसलिए एक हो गए हैं कि उनके अस्तित्व को खतरा है ।

इसके लिए बड़ा ही दिलचस्प तर्क दिया गया है । छात्रों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा ? प्रतिभाशाली व्यक्ति और पुरस्कार विजेता उनका प्रतिनिधित्व करेंगे । सम्भव है कि प्रतिभाशाली व्यक्ति और पुरस्कार विजेता सार्वजनिक जीवन में सक्रिय नहीं हों । वे किताबी कीड़े हो सकते है । श्री रंगा प्रतिभाशाली छात्र नहीं थे परन्तु उन्होंने स्वतन्त्रता आंदोलन में भाग लिया । निश्चितरूप से कुछ प्रतिभाशाली छात्र थे । क्यों लोकतंत्र में यह भी कोई सिद्धान्त हो सकता है । यह मेरी समझ में नहीं आया । और इसीलिये छात्र ठीक ही विरोध कर रहे हैं । अध्यापकों ने भी अपना ज्ञापन दिया है । वे विरोध कर रहे हैं । कर्मचारियों ने भी सरकार को अपना ज्ञापन दिया है । मुझे नहीं पता संयुक्त प्रवर समिति इससे किस प्रकार निबटती है । वे कहते हैं कि हम प्रतिनिधियों को चुनना चाहते हैं । इसके अतिरिक्त दिल्ली कार्यकारी निकाय और शैक्षिक परिषद नाम निर्देशित सदस्यों, पदेन सदस्यों से भरे पड़े है, वे बहुमत में है । विश्वविद्यालय को चलाने के जिम्मेदार कौन हैं, श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर की 'परिवार' विचारधारा को प्रसारित कौन करेगा, यही लोग करेंगे जो इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं । आप विश्वविद्यालय का संचालन किस प्रकार करेंगे । आपका सिद्धान्त क्या है ? यदि छात्र, कर्मचारी असंतुष्ट है तो आप विश्वविद्यालय को किस प्रकार चलायेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता ? मैं समझता हूं शिक्षा मंत्री सदन को यह स्पष्ट रूप से बतायेंगे कि चुनाव प्रक्रिया को पुनः शुरू किया जायेगा । मैं फिर कहता हूं कि 1978 के विधेयक में युवा की कुछ व्यवस्था थी । इस सरकार को जब हम कहते हैं कि आप अधिनायकवादी हैं तो

[श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती]

वे कहते हैं कि हम प्रजातांत्रिक हैं। इसलिए हम आपको अधिनायकवादी कहते हैं। यह भी एक कारण है। अन्य कारण भी हैं।

1978 के विधेयक में मामलों को निबटाने के लिए न्यायाधिकरण की व्यवस्था नहीं थी। परन्तु 1983 के विधेयक में उन्होंने मामलों को निबटाने के लिए न्यायाधिकरण की व्यवस्था की है। अब उन्होंने इसे अपना लिया है। सभी अध्यापकों ने जिसमें कांग्रेस (आई) से सम्बन्धित अध्यापक भी हैं, अस्पताल और अन्य संस्थान विधेयक के विरोध में प्रदर्शन किया है। इसमें निर्णय अनिवार्य था। 1978 के विधेयक में यह नहीं था। इस विधेयक में अधिनायकवाद की बू आ रही है और यह रवीन्द्रनाथ टैगोर के नाम पर, उच्च आदर्श के नाम पर किया जा रहा है। इसलिये ही मैंने शुरू में कहा था कि यह रवीन्द्रनाथ टैगोर का अपमान है।

शिक्षा मंत्री को मसूद समिति की सिफारिशों की जानकारी अवश्य होगी। पिछली सरकार ने न्यायाधीश मसूद की नियुक्त की थी। आप मसूद समिति की सिफारिशों को क्यों नहीं मानते। आप गजेन्द्र गडकर आयोग की सिफारिशों को क्यों नहीं मानते ? इसने विश्वविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था, इसके लोकतांत्रिक ढांचे के लिए क्या सिफारिशें दी हैं। अब यह प्रवृत्ति बहुत ही खतरनाक है।

मैंने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की हाल ही की रिपोर्ट का अध्ययन किया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि जिन लोगों का शैक्षिक समुदान से कोई संबंध नहीं है, संभवतः उन्होंने बहुत पहले पढ़ाया होगा, जो शैक्षिक समुदाय से संबंधित नहीं रहे हैं, वही लोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में हैं। दो या तीन व्यक्ति अध्यापक हैं। परन्तु उनकी सिफारिशें क्या हैं ? उनके सिफारिशें हैं कि विश्वविद्यालय में शांति बनाए रखने के लिए चुनाव नहीं होने चाहिएं विश्वविद्यालय में शांति बनाए रखने के लिए शांति बल होना चाहिए, विश्वविद्यालय में शांति बनाए रखने के लिए राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। फिर वहां राजनीति क्यों हैं ? छात्र विश्वविद्यालयों और कालेजों में राजनैतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं। अध्यापक राजनैतिक चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो फिर यह कौन कर रहा है ? संभवतः वे चाहते हैं कि हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति काला बाजारिये, गुंडे और अन्य लोग राजनीति में भाग लें। यह उनकी लोकतंत्र के बारे में विचारधारा है। इसलिए मैं कहता हूं कि लोकतंत्र नहीं है। हमेशा असंतोष बना रहता है। महोदय, आप मेरी बात से सहमत होंगे। पाकिस्तान में तानाशाही है और इसलिए वहां असंतोष है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। प्लूटो के प्रतिभाशाली छात्र अरस्तु, जोकि राजनीतिक विज्ञान के जनक हैं, ने लोकतंत्र की हिमायत लेते हुए कहा था कि लोकतांत्रिक प्रणाली की सरकार आदर्श सरकार है, उसने लोकतंत्र का विश्लेषण करते हुए कहा था कि कोई व्यक्ति अचूक नहीं है, अकेला व्यक्ति

सच्चाई का पता नहीं लगा सकता, लोकतांत्रिक प्रणाली अच्छी है क्योंकि सामूहिक बुद्धि से काम लिया जाता है ? सामूहिक बुद्धि के लिए लोगों को चयन करने का अधिकार है। लोकतंत्र का यह आधार है। मुझे विश्वभारती से कुछ आशाएं हैं क्योंकि सरकार इसकी स्वायतता, इसकी लोकतंत्रता, अध्यापकों की मान मर्यादा बनाए रखने के लिए वचनबद्ध हैं। परन्तु मुझे खेद है कि इसमें सामूहिक बुद्धि के विचार की अनदेखी की जा रही है, इसमें अफसरशाही मौजूद हैं और गुटबंदी के प्रयास किए जा रहे है।

इस विधेयक में वह धारणा दी गई है जिसका अनुपालन किया जाना चाहिए। इस संबंध में मेरा कोई विवाद नहीं है। किप्लिंग के इस कथन में मेरा विश्वास नहीं है कि "पूर्व-पूर्व है और पश्चिम-पश्चिम है और ये दोनों कभी नहीं मिल सकते।" ऐसा नहीं है, महोदय। हम मिलेंगे। हम अपनी संकृति में कृत्रिम रुकावटें नहीं डाल सकतें। संस्कृतियों को मिलना चाहिए। विश्व भारती को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिलना चाहिए। रवीन्द्र नाथ टैगोर ऐसा ही चाहते थे। मैं चाहता हूं कि विश्व भारती में न केवल पश्चिम बंगाल के बल्कि भारत के सभी राज्यों के अध्यापक और छात्र आने चाहिएं। विश्वविद्यालय में प्रतिभाशाली अध्यापक आने चाहिएं। रवीन्द्र नाथ टैगौर ने सिलवानु, तोवी और टुक्की से अध्यापक बुलाए थे और वे आए। विश्व भारती में इस समय चीन भवन चीन का बहुत ही समृद्ध साहित्य रखा हुआ है। एक वर्ष पहले मैं वहां गया था। यह साहित्य बहुत ही समृद्ध है। परन्तु प्रतिभाशाली विद्वान कहां हैं ? यह साहित्य किस के काम आएगा। हमें प्रतिभाशाली विद्वानों को आकर्षित करना चाहिए। हमें प्रतिभाशाली अध्यापक बुलाने चाहिएं "कृपया यहां पधारें, यह विश्व का विश्वविद्यालय है।" बे रोक टोक विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए। हमें सच्चाई और ज्ञान की शिक्षा देनी चाहिए। परन्तु क्या हो रहा है ? अध्यापन के स्तर में बहुत अधिक गिरावट आई है और श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर के आदर्शों को ताक पर रखा जा रहा है। विश्वविद्यालय का विस्तार पारंपरिक लाइन पर हो रहा है। श्री टैगोर यह नहीं चाहते थे। आप यह बात मानेंगे कि श्री रवीन्द्रनाथ टैगोर का यह विश्वास था कि असली भारत गांवों में है और इसलिए वे चाहते थे कि श्रीनिकेतन में छात्र कृषि, कृषि के विकास, उत्पादन के विकास और आधुनिकीकरण का अध्ययन करें। मैं समझता हूं कि सरकार को इन सब बातों पर विचार करना चाहिए।

मैं शिक्षा मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि आप यह सीमित स्वतंत्रता, नौकरशाही कहां से लाए। क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि विश्व भारती में प्रतिभाशाली विद्वान पढ़ाने के लिए आएंगे। जब अन्य विश्वविद्यालय उन्हें बेहतर सुविधाएं और स्वतंत्रता प्रदान करते हैं तो विश्व भारती में प्रतिभाशाली अध्यापक नहीं आएंगे। वे उसी समय आते थे जब वहां गुरुदेव थे। वे उन्हें बुलाते थे, स्वतंत्रता प्रदान करते थे तथा उन्हें प्रतिष्ठा देते थे। परन्तु आप इन सबको नष्ट कर रहे हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह कहता हूं कि वे पश्चिम बंगाल के विश्व-

[श्री सत्य साधन चक्रवर्ती]

विद्यालयों की बात कर रहे थे। मुझे गर्व है कि हमने कलकत्ता और अन्य विश्वविद्यालयों में लोकतंत्र की व्यवस्था की है, 75 प्रतिशत से अधिक सदस्य··· (व्यवधान)

आप कृपया उन्हें बता दें। बुद्धि ही शक्ति है। बिना बुद्धि के शक्ति ग्रहण नहीं कर सकते। हमने अपने विश्वविद्यालय अधिनियम में अधिकतम लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की है और इसका सभी ने स्वागत किया है। यह इतना लोकतांत्रिक है कि सीनेट द्वारा अनुपतिक प्रतिनिधित्व के आधार पर बनाए गए पेनल के अतिरिक्त भी आप ऐसे वाइस सांसलर की नियुक्ति कर सकते हैं जिसे बहुमत का विश्वास प्राप्त नहीं है। यह विषय से अलग है। मेरे पास समय की कमी है नहीं तो मैं इस विधेयक की कलकत्ता विश्वविद्यालय विधेयक से तुलना करके दिखाता कि अपने किस प्रकार छात्रों, अध्यापकों, कर्मचारियों और लोकतांत्रिक संगठनों को प्रतिनिधित्व दिया है और विश्वविद्यालय के सभी निकायों में लोकतांत्रिक मूल्यों को स्थापित किया गया है। हमने यह सब कुछ अपनाया है। हमने शिक्षा आयोग की सिफारिशों को स्वीवार किया है। हमने अलीगढ़ विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय, बम्बई विश्वविद्यालय से लिया है और इसे समृद्धशाली बनाकर इसका विस्तार किया है। सरकार से मेरा अनुरोध है कि इस पर गंभीरता से विचार किया जाए। यह विधेयक राज्यसभा में पारित हो गया है और मैं समझता हूं कि लोकसभा में शिक्षा मंत्री इस पर विचार करें। मैंने कुछ कहा है। वे या तो इसे रद्द कर दें या स्वीकार करलें और विधेयक में परिवर्तन करके इसे पुनः प्रस्तुत करें ताकि विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक स्वरूप, इसकी स्वतंत्रता और उसके विशिष्ट स्वरूप को बनाए रखा जा सके।

इस शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। विश्व भारती विश्वविद्यालय अन्य विश्वविद्यालयों से भिन्न है। ये और इसकी भिन्नता बनाए रखी जानी चाहिए। इसमें लोकतंत्र और स्वतंत्रता को बनाए रखा जाना चाहिए।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : जब मेरे मित्र श्री चक्रवर्ती अपने वाकपटु और स्पष्ट-वादी ढंग से बोल रहे थे तो मुझे आश्चर्य हो रहा था कि इन्हें निःशुल्क विमान से पोलैंड, हंगरी, युगोस्लाविया, चैकोस्लाविया, रोमानिया, सोवियतसंघ, चीन और अन्य किसी भी देश में भेजकर इसी ढंग से बोलने की अनुमति दी जाए जिस ढंग से वे लोकतंत्र की वकालत कर रहे थे।

उनका भाषण बड़ा लच्छेदार है और वहां बड़े सभी मित्रों के हृदय को छूने वाला है और मुझे आश्चर्य है कि वे उनका किस प्रकार स्वागत करेंगे। अब वह न केवल पाकिस्तान और बंगलादेश की अथवा इन सभी अन्य देशों की तथा उनके लोगों के हितों की बात कर रहे होंगे जबकि उन्होंने लोकतांत्रिक भारत और लोकतांतरिक राज्यों तथा केन्द्र में लोकतांत्रिक सरकार में विश्वविद्यालयों को अभिजात वर्ग का बनाने के लिए तर्क दिया है इसमें और उसमें जमीन आसमान का अन्तर है। मेरे मित्र इस मूल्यांकन मे अन्तर के बारे में जानते हैं।

एक छोटी-सी बात बड़ा रूप धारण कर लेती है, एक अन्तिम स्थिति आ जाती है और आमूल परिवर्तन होते हैं। यह मार्क्सवाद का सिद्धान्त है। यहां भी एक देश की सरकार और कुछ सीमित लोगों के लिए एक विशेष क्षेत्र में विश्वविद्यालय के बीच, जिसमें प्रोफेसर, कर्मचारियों से लेकर संकायों के डीन, छात्र और प्रोफेसर और प्राध्यापकों के बीच, भारी अन्तर है। अत: जो बात सारे देश, और सरकार पर लागू होती है उसे समान अथवा उचित रूप से छोटी-सी बात के लिए लागू नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त जब सभी विश्वविद्यालय ब्रिटिश नियन्त्रण में थे तो हमने इनमें लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी। परन्तु अंग्रेजों के चले जाने के बाद हमने राज्यों में तथा देश में अपनी लोकतान्त्रिक सत्ता कायम की है। हम यह सोचते हैं कि क्या हमें अपने आन्दोलन स्पष्टवादिता, लम्बे भाषण आदि का पुराना रास्ता अपनाना चाहिए। यही हुआ है। शान्तिनिकेतन को विश्वविद्यालय में बदला गया था तब श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर के पुत्र ने हमारे नेता श्री जवाहर लाल नेहरू के तथा मेरे इस स्थान को तथा अन्य स्थानों को पवित्र किया और मुझे बताया कि इन सभी अध्यादेशों, नियमों, विनियमों और कानूनों के जरिये शान्तिनिकेतन को आधुनिक विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। मैंने उनसे यह भी कहा था कि इन सब कानूनों से शान्तिनिकेतन को सीमाबद्ध करना बेहतर होगा। उन्होंने कहा, "अब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई है"। अन्य बहुत से विश्वविद्यालय हैं जिनके पास काफी कर्मचारी हैं। हम इसको गुरुदेव के तरीके से नहीं चला सकते। हमें करोड़ों रुपयों की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि इसे आधुनिक विश्वविद्यालय में बदलना बेहतर होगा। आधुनिक किस्म के विश्वविद्यालयों की अपनी सीमायें हैं। वह उन्हें स्वीकार करने के लिए तैयार थे।

मैंने उनके साथ सहयोग किया। पंडित जवाहर लाल नेहरू को वह विचार पसन्द आया और तत्पश्चात् इसे एक कानून का रूप दिया गया। उस समय भी हमने दो बातों का प्रावधान किया था—नामांकन तथा निर्वाचन। कतिपय निकायों के लिए नामांकन की व्यवस्था थी और कुछ के निर्वाचन की व्यवस्था है। जहां पर हमने निर्वाचन की व्यवस्था की। वहां पर भी हमने पैनलों का प्रावधान रखा और उनमें से ही एक अथवा दो व्यक्तियों का चयन किया जाता है। चयन के इन सभी विभिन्न तत्वों और विभिन्न किस्मों को अपनाया गया और नियमित किया गया।

मेरे माननीय मित्र डा० चक्रवर्ती ने मुझे तथा इस सदन को, जब भी हमारी संसद में विश्वविद्यालयों पर चर्चा हुई, जानकारी प्रदान की। मुझे इन सभी बातों के ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं है। मैं सदन को केवल यही याद दिलाना चाहता हूं कि आज क्या हो रहा है। वे कहते हैं—आप राजनीति को किस प्रकार दूर रख सकते हैं ? वे निश्चित रूप से राजनीति पर चर्चा कर सकते हैं जिस प्रकार हम भारत में तथा विदेशों में अपने विश्वविद्यालयों में करते हैं। मुझे आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लंदन विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का कुछ अनुभव है। मैं जानता हूं कि अमरीकी विश्वविद्यालय किस प्रकार चलाए जा रहे हैं। कुछ सीमा तक मुझे इन सभी बातों की जानकारी है। वे लोग इन सभी बातों पर चर्चा कर सकते हैं। जब गुरु

[प्रो० एन० जी० रंगा]

शिष्य के संबंधों की बात आती है तो मेरा यह कहना है कि भारत में विद्यार्थियों को विभिन्न विरोधी राजनीतिक दलों जो हमारे देश में, हमारी विधान सभाओं में सक्रिय हैं, के द्वारा पट्टी पढ़ायी गई है, प्रोत्साहित किया गया है तथा उकसाया गया है। वे सभी विद्यार्थियों का इस्तेमाल अपने विचारों के अनुसार करने तथा उन्हें अपनी दलगत राजनीति की ओर प्रेरित करने तथा उन्हें एक-दूसरे के विरुद्ध लड़ाने के भी इच्छुक हैं।

इसलिए हमें अपने विचारों पर पुन: चिन्तन करना है कि लोकतन्त्र को किस प्रकार लागू किया जाए अथवा न किया जाए कि किस प्रकार से समाप्त किया जाय अथवा किस प्रकार से उसे सशक्त बनाया जाए तथा लोकतंत्र को किस प्रकार का स्वरूप प्रदान किया जाए जिससे हमारे विश्वविद्यालयों को नुकसान न हो। एक समय जब गुरुदेव रवीन्द्रनाथ थे तो हमारे कुछ आदर्श थे, क्या उस समय यह सभी निकाय थे। यदि थे तो क्या लोकतांत्रिक निर्णय, नियम अथवा विनियम थे? महोदय क्या यह सत्य नहीं है कि वह निर्णय किया करते थे और उनका निर्णय अन्तिम था —और अन्य लोग उनके पास जाकर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निवेदन कर सकते थे। वही सर्वेसर्वा थे।

हम आजकल इस प्रकार के विश्वविद्यालय के बारे में विचार नहीं कर रहे हैं। हम इस प्रकार के विश्वविद्यालय के संबंध में समस्त भारत में विचार कर रहे हैं। यहां पर 100 से अधिक विश्वविद्यालय हैं। दुर्भाग्य से अधिकांश विश्वविद्यालयों में औद्योगिक संघर्ष का वातावरण है। केवल केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को ही लें बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय और अलीगढ़ विश्व-विद्यालय में क्या हुआ है। आन्ध्र प्रदेश में मेरे अपने विश्वविद्यालय में क्या हो रहा है? हमारे कृषि विश्वविद्यालयों में क्या हो रहा है? हर जगह गड़बड़ी है। विद्यार्थी इसके लिए नहीं कहते किन्तु उन्हें प्रेरित किया जाता है प्रशिक्षित किया जाता है और इस दिशा की ओर उकसाया जाता है। लोग अधिक से अधिक विद्यार्थियों को अपनी ओर मिलाना चाहते हैं। यह उन दिनों तो ठीक था जब मैं एक प्रोफेसर था और विद्यार्थियों को संगठित कर रहा था; बाद में मैं कांग्रेस आन्दोलनकारी बन गया। तब मैं भूमिगत रहकर कार्य कर रहा था, मैं विद्यार्थियों को संगठित किया करता था क्योंकि उस समय हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद, ब्रिटिश तानाशाही के विरुद्ध लड़ रहे थे। किन्तु, यदि मैं कड़े शब्दों में कहूं तो हमें यह मजाक में नहीं लेना चाहिए। अब हमारा वास्ता हमारे अपने लोकतांत्रिक समाज, लोकतांत्रिक सरकार से है। हम आतंकवादियों तथा तथाकथित उग्रवादियों तथा अन्य लोगों, जो प्रजातन्त्र में विश्वास नहीं रखते, को प्रोत्साहित करने के इच्छुक नहीं हैं। हम अपने राष्ट्रीय मुद्दों को वार्ता द्वारा सुलझाना चाहते हैं—इसीलिए यह संसद यहां पर है।

वे कौन-से निर्णय हैं जो उन लोगों ने लेने हैं? संकाय का डीन कौन हो? मुख्य प्राध्यापक कौन हो? प्राध्यापक कौन होना चाहिए? रीडर कौन हो? प्राध्यापक कौन हो? आप चाहते हैं कि इन

सब बातों के लिए विद्यार्थी राजनीति में प्रवेश करें जो कि उनके कानों में बाहरी तत्वों द्वारा डाली जा रही है। विद्यार्थी नेता नहीं है; विद्यार्थी निर्णायक नहीं है, विद्यार्थी ही इस देश के सभी निर्णय नहीं लेते। इन सभी बातों में हमारी अपनी मनोवृत्ति प्रतिबिम्बित होती है। इसलिए सबसे पहले तो हमें यह ध्यान रखना होगा कि हमारे छात्र यह सीखें कि प्रजातंत्र में किस प्रकार का आचरण होना जाहिए। (व्यवधान) वेलेसा अभी मरे नहीं; किन्तु मेरे मित्र इसकी प्रशंसा नहीं करते। वेलेसा इतने महान और लोकतांत्रिक भी नहीं जितने मेरे मित्र श्री चक्रवर्ती हैं। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय का कार्य किस प्रकार सम्भाला ? उनका विचार है कि उन्होंने बड़ा शानदार काम किया है। अन्य स्थानों के अन्य विश्वविद्यालयों का क्या हुआ ? महोदय इसलिए हम प्रजातंत्र के घोड़े को इतना न पीटें कि यह अपनी वाज्यिता और हमारे शब्दों के भार के तले दब कर मर जाए। प्रजातंत्र हो सकता है। पिछले 10 या 15 वर्षों से सभी विश्वविद्यालयों में 'प्रजातन्त्र' न होकर 'दानव तंत्र' है। यह विद्यार्थी नहीं है, बल्कि यह रूढ़िवादी हैं जिनका अधिक प्रभाव है और जिनके अनुयायी काफी हैं और इसके परिणाम वास्तव में भयानक है। वे लोग हमारे विद्यार्थियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हमारे बहुत-से मित्रों का कहना है कि कुछ ऐसे छात्र है जो प्रौढ़ शिक्षा के छात्र नहीं है, उन्होंने कई बार एम० ए० किया उसके पश्चात पी० एच० डी० के लिए अनुसंधान कार्य करने का उपक्रम करते रहे और इस प्रकार विद्यार्थियों को अपने प्रभाव में लेते रहे, वे अब भी छात्र नेता के रूप में कार्य कर रहे हैं और उनके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। महोदय, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में उन्होंने कितनी शरारत की है। मैं नहीं जानता कि अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उन्होंने कितनी शरारत की है। यह भी उसी प्रकार से उतनी ही मात्रा में होगी। इसलिए हमें काफी सावधान रहना होगा। आओ हम सभी अपने आपको गम्भीरता से लें और अपने आप से ईमानदारी बरतें। यदि हम लोकतंत्री हैं, तो हमें अपने राजनैतिक कार्य-कलाप के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसा होना चाहिए, किन्तु हमारे मित्रों के साथ यह बात नहीं है। हम लोकतंत्रवादी भी हैं और उसके साथ ही हमारे लोकतंत्र की सीमाएं भी हैं। इसलिए हमें यह बात स्पष्ट करनी होगी। किन्तु मेरे माननीय मित्र, साम्यवादी लोग, साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) और नक्सलवादियों तथा उग्रवादियों को भी हमारी तरह से ईमानदार होना चाहिए और हम दावा करते हैं।...

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : प्रो० रंगा, आप ऐसा किस प्रकार कह रहे हैं और आप नक्सलवादियों और साम्यवादियों को एक साथ जोड़ रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : मैं आरोप नहीं लगा रहा। किन्तु दूसरों पर पत्थर न फेंके क्योंकि आप स्वयं शीशे के घर में रहते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हम समाजवादी प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : 'हाट-हाउस' फूल उगाने के लिए तो शीशे के घर ठीक हैं। किन्तु व्यवहारिक राजनीति में शीशे के गृह कोई सहायता नहीं देंगे। मेरे विचार से रूस और अमरीका को छोड़ कर विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं है

[प्रो० एन० जी० रंगा]

जहां पर 100 विश्वविद्यालय हों। हमारे यहां हैं। हमारे देश में सर्वाधिक विद्यार्थी हैं। किन्तु इसके साथ ही दुर्भाग्य से हमारे यहां ऐसे विद्यार्थी हैं जो इस बात पर विरोध प्रकट करते हैं कि उन्हें नकल करने की अनुमति नहीं दी जाती, एसे विद्यार्थी हैं जो यह बताते हैं कि परीक्षाएं कब होनी चाहिए, कहां होनी चाहिए, किस प्रोफेसर को पदोन्नत किया जाए और किस लेक्चरार को न किया जाए। इन परिस्थितियों में मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि विधेयक प्रस्तुत करने के लिए यह सशक्त आधार है और मेरा विश्वास है कि संयुक्त चयन समिति ने भी अन्तिम रूप में यह विधेयक प्रस्तुत करके हमारा भार हल्का कर दिया। किन्तु मैं शिक्षा मन्त्रालय तथा देश भर के शिक्षा शास्त्रियों को सलाह देना चाहता हूं। कुलपतियों की नियुक्ति के संबंध में, मैं भारत सरकार, न केवल भारत सरकार बल्कि राज्य सरकारों तथा उनके शिक्षा मंत्रियों से भी चाहूंगा कि वे उन्हीं सिद्धान्तों के विस्तार की सम्भावनाओं की जांच करे जिसे वे अब उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में अपना रहे हैं। दुर्भाग्य से हमारे विश्वविद्यालय साम्प्रदायिकता, संकीर्णता, भाषायी प्रतिद्वद्विता और स्थानीय प्रान्तीयता के शिकार हो रहे हैं और जातिवाद के स्तर तक गिर चुके हैं। पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर प्रत्येक राज्य में 4 अथवा 5 राज्यों से कम नहीं आते और इन 4 राज्यों के संबंध में विद्वान लोग, प्रोफेसर लोग भी कुलपति का पद प्राप्त करने के लिए जातिवाद की धुन पर नाच रहे हैं और स्थानीय मुख्य मंत्री भी इन संबंधित जातियों के राजनीतिक महत्व के अनुसार इन नियुक्तियों को प्रति संतुलित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह हमारे शहरी जीवन में विद्यमान जीवाणु से भयानक जीवाणु है। राजनीतिज्ञों ने विश्वविद्यालयों की राजनीति पर अपना शिकंजा इतना अधिक कस रखा है। जितनी जल्दी भारत सरकार, शिक्षा विशेषज्ञ, हमारे मंत्री तथा राज्य मंत्री इस समस्या को पकड़ सकेंगे, उतना ही राष्ट्रीय एकता के लिए अच्छा होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कुलपतियों को संबंधित राज्यों के अलावा अन्य राज्यों से चुनने की सम्भावनाओं का अध्ययन किया जाना चाहिए ताकि हमें पहले से विद्यमान प्रथा का लाभ प्राप्त हो सके। लाहौर विश्वविद्यालय में बंगाली कुलपति हुआ करते थे। बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में महाराष्ट्र विश्वविद्यालय से कुलपति हुआ करते थे। यदि हम अधिकतम संभव सीमा तक अन्तर्राजीय कुलपति नियुक्त कर सके तो इससे प्राध्यापकों तथा अन्य कर्मचारियों में भारत की एकता के प्रति चेतना पैदा की जा सकेगी। मान लो एक पंजाबी, चाहे वह हिन्दू हो अथवा सिख मद्रास जाता है तो वह स्थानीय जाति सम्बन्धी झगड़ों से अलग-थलग होगा और यह संभावना है कि वह थोड़ा कम संकीर्ण होगा और थोड़ा अधिक राष्ट्रवादी होगा। वह उन्हें भारत के अस्तित्व के बारे में उनकी चेतना जगाने में सहायता कर सकता है। अपने झगड़ों और विद्वेषों के दौरान वे याद रख सकें कि वे लोग इसी देश के नागरिक हैं और उन्हें इस देश की एकता के बारे में सोचना चाहिए। अब तक इस दिशा में कोई प्रयत्न नहीं किया गया है।

अब तक विश्व भारती कोर्ट द्वारा तीन बंगालियों का चयन किया जाता है और विजिटर के पास भेजा जाता है। यह तीनों हमेशा ही बंगाली ही होते हैं। यह तरीका केवल शांतिनिकेतन तक ही सीमित नहीं है। आंध्रप्रदेश की भी यही स्थिति है। आंध्रप्रदेश में पांच अथवा छह विश्व-

विद्यालय है और यह भयानक जाति सम्बन्धी समस्या वहां पर भी विद्यमान है। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव इस प्रकार है। जहां तक सम्भव हो सके, इन तीन में से कम से कम एक सदस्य राज्य के बाहर से होना चाहिए। इन दो बंगालियों में से एक जो भारतीय अधिक हो, विश्व बन्धुत्ववादी हो, जो न केवल टैगोर के विचारों से सहमत हो और उसकी पंक्तियां गुनगुनाता हो बल्कि पूरी तरह से टैगोर से प्रेरित हो, चुना जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री द्वारा इस देश में इस किस्म का प्रयत्न किया जाना चाहिए और इस पर कुछ विचार किया जाना चाहिए। मैं यह बहस का मुद्दा कुलपतियों के, अन्य शिक्षा मंत्रियों और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से शिक्षा मंत्री और शिक्षा मंत्रालय के विचार के लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। जो भी प्रयत्न सरकार कर सकती है, वह जितनी जल्दी सम्भव हो किया जाना चाहिए।

इस सबसे बढ़कर, मैं, चाहता हूं कि वह विश्वविद्यालयों को हमारे भावी बुद्धिजीवियों, विद्वानों, संतों के उत्पत्तिस्थल के रूप में माने और इन उत्पत्तिस्थलों को खराब कीटनाशकों और खराब खाद से विषाक्त नहीं बनाया जाना चाहिए, जो कि राजनीतिक दलों के नाम पर शिक्षा क्षेत्रों में घुस रहे हैं। केवल सुदूर भविष्य की गवेषणा ही सम्भव और लाभदायक हो सकती है।

धन्यवाद !

श्री राम किंकर (बाराबंकी) : अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने प्रस्तुत विश्व भारती विधेयक, 1984 पर बोलने का अवसर दिया है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

मान्यवर, गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर ने 1921 में बंगाल में शांति निकेतन की स्थापना की थी। उनके विचार देश में ही नहीं विश्व में शांति स्थापित करने के थे। हमारी संस्कृति और संगीत का पाश्चात्य देशों में प्रचार और प्रसार हो। लेकिन दुर्भाग्य है कि सन् 1970 में अन्य यूनिवर्सिटियों की तरह से यहां पर भी उपद्रव हुए। सम्पत्ति को जलाया गया और क्षति पहुंचाई गई तथा मारपीट भी की गई। एक ऐसी कल्पना जो गुरुदेव ने की थी, लेकिन उसके विपरीत उस संस्था में इस तरह की घटनायें और क्लेश हो रहे हैं। इसलिए इस आदरणीय पार्लियामेंट में 1951 में एक विधेयक अधिनियमित किया गया था। उसकी कुछ रूपरेखा बनी, लेकिन वह ठीक से चल नहीं पाई, उसमें बहुत सी खामियां थीं। फिर 1971 में पार्लियामेंट में अधिनियम बना, उसके बाद कलकत्ता हाई कोर्ट के एक भूतपूर्व जज की अध्यक्षता में 8 सदस्यों की एक कमेटी बनी जिसने एक बहुत बड़ी रिपोर्ट दी। उसके बाद 1978 में एक बिल पेश हुआ, उसके बाद 1980 में भी पेश हुआ, उसके बाद एक ज्वाइंट सिलैक्ट कमेटी बनी जिसने बृहद रूप से इसमें संशोधन किये और अब एक अच्छा विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

इसमें जो प्रावीजन्ज हैं, उनमें नामिनेशन्स और सिलेक्शन्ज दोनों के लिए प्रावधान है पदाधिकारियों तथा विद्यार्थियों के लिए रिप्रेजेन्टेशन, ज्येष्ठता और योग्यता के आधार पर व्यवस्था है। लेकिन मेरा आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से एक अनुरोध है---इसको केवल बंगाल प्रदेश

[श्री राम किंकर]

तक सीमित न रखकर हिन्दुस्तान के अन्य प्रांतों तथा विश्व के अन्य देशों से भी इसका सम्बन्ध हो ताकि प्राच्य सभ्यता तथा पाश्चात्य शिक्षा और रविन्द्रनाथ टैगोर की विचारधाराओं का सामंजस्य और समन्वय हो सके।

विद्यार्थियों के प्रवास हेतु छात्रावासों की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम यदि उनकी मातृभाषा में नहीं है तथा उनको पुस्तकें प्राप्त नहीं होती है तो इसमें भी बहुत कठिनाई होती है। रुपये का जहां तक सम्बन्ध है—सरकार को रुपये की पूरी व्यवस्था करनी चाहिए ताकि गुरुदेव की जो परिकल्पना थी, वह सही रूप में साकार हो सके। गुरुदेव की ग्रामीण विकास के बारे में भी एक विचारधारा थी और उसके विकास के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया था। विज्ञान, तकनीकी क्षेत्र, संगीत, कला और पेंटिंग, इन सब विषयों पर उनके अपने विचार थे और वे उनको सीमित नहीं रखना चाहते थे। वे चाहते थे। कि विश्व में उनका प्रचार और प्रसार हो। मैं अधिक न कहकर इस विधेयक का स्वागत करता हू।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति जी, आज गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की 123वीं जयन्ती देश और विदेश में मनाई जा रही है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री जी के द्वारा विश्व भारती के सम्बन्ध में जो बिल पेश किया गया है, वास्तव में वह बहुत स्तुत्य कार्य है और इसके लिए आप अभिनन्दन की पात्र हैं। आपने इतना सुन्दर बिल पेश किया है जिसकी राज्य सभा ने स्वीकृति दे दी है। दोनों सदनों की प्रवर समिति भी उस पर विचार कर चुकी है—अब यदि कोई इस बिल का विरोध करता है तो मुझे उस व्यक्ति की बुद्धि पर तरस आता है। मैं इस सदन से यह आशा रखता हूं—कि यह सदन भी राज्य सभा का अनुकरण करके सर्वसम्मति से इस बिल को पास करेगा।

अभी प्रो० चक्रवर्ती कह रहे थे कि गुरुदेव टैगोर ने अपने खानदान के किसी व्यक्ति को वहां नहीं रखा, उन्होंने लोकशाही की बड़ी दुहाई दी। पता नहीं वह बंगाल में रहते हैं या चीन में रहते हैं या रूस में उनका दिमाग चलता है। उनको इतना भी पता नहीं कि यह जमीन उनके पूज्य पिता देवेन्द्रनाथ टैगोर ने ली और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने वहां पौधा लगा कर उसको वट-वृक्ष का रूप दिया। श्री अवनिन्द्र नाथ और रविन्द्रनाथ का क्या सम्बन्ध था—मैं समझता हूं ये उससे अनभिज्ञ हैं, उनको पता नहीं है। पता नहीं इनका दिमाग चीन या रशिया कहां-कहां घूमता रहता है। वरना इस तरह की बात दावे के साथ इस सदन में ये नहीं कर सकते।

सभापति महोदय, इस संस्था को स्थापित हुए कई वर्ष हो गए हैं। 1863 में इसकी स्थापना हुई और 1888 में इस संस्था ने एक न्यास का रूप लिया। गुरू रवीन्द्र नाथ टैगोर ने 5 विद्यार्थियों से सादगी के वातावरण में इस संस्था को बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया। इसके अंतर्राष्ट्रीय रूप को सामने रख करके विश्व में भारत की संस्कृति का परिज्ञान कराने के लिए विश्व

शांति और बंधुत्व का संदेश देने के लिए, संसार भर के मजहब, धर्म और विचारधाराएं हैं, चाहे ईसाई हो, इस्लाम हो, बौद्ध हो, जैन हो या हिन्दू हो या पारसी हो, हर प्रकार की संस्कृतियों का सुमेल हो, संगम हो, इस बात को उन्होंने कहा। उन्होंने सब संस्कृतियों के संगम की कल्पना की थी। मैं चक्रवर्ती जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वे सब संस्कृतियों को मानते हैं। वे तो साम्यवाद की ही संस्कृति को मानते हैं। संगम की बात कहने का आपको क्या हक है। (व्यवधान)

चौबे जी बैठे रहिए··· (व्यवधान) **···

श्री रसूद मसूद (सहारनपुर) : सभापति महोदय, इस मुल्क में जात-पात समाप्त करने की बात कही जाती है। लेकिन इस तरह से कैसे होगा। (व्यवधान)

आचार्य भगवान देव : मेरे कहने का मतलब यह है कि ये शांति से बैठे रहें। इस तरह से बोलना लोक सभा की परम्परा नहीं है।

श्री रसीद मसूद : आप जो बोल रहे हैं, क्या वह लोक सभा की परम्परा है।

श्री राजेश कुमार सिंह (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, यह सदन की मर्यादा का सवाल है। आप इस बात को कैसे अलाऊ कर सकते हैं।

सभापति महोदय : मैं देख लूंगा। आप बैठिए।

आचार्य भगवान देव : इनको महसूस नहीं हुआ क्योंकि ये समझते हैं मैंने जिस लहजे में कहा है। बीच में इनको नहीं बोलना चाहिए था।

सभापति महोदय उसके बाद सन् 1912 में गुरूदेव लंदन और अमरीका गए। उनकी गीतांजलि छपी। उससे इस संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय रूप मिला और उस गीतांजलि के आधार पर दूसरे साल सन् 1913 में उनको नोबल पुरस्कार मिला और इस संस्था ने एक अंतर्राष्ट्रीय रूप धारण कर लिया। उसके बाद सन् 1915 में पूज्य महात्मा गांधी जब अफ्रीका से हिन्दुस्तान में आए तो वे गुरुदेव से मिलने के लिए शांति निकेतन गए और कुछ दिन वहां रहे। उससे इस संस्था ने राजनीतिक दृष्टि से महत्व प्राप्त किया। देश को आजादी दिलानी थी। बड़े-बड़े विचारक बैठे और सन् 1922 में सोसायटी के एक्ट के अधीन इसका रजिस्ट्रेशन कराया गया। इसमें बड़े-बड़े व्यक्तियों ने अपना योगदान दिया। सी० एफ० एंड्रयूज, डब्ल्यू डब्ल्यू पिअरसन, काका साहेब कालेलकर आदि व्यक्तियों का योगदान रहा। संगीत के महान व्यक्ति श्री भीम राव शास्त्री ने भी अपनी साधना वहां की। श्री कृष्ण कृपलानी जैसे तपस्वी व्यक्ति ने भी वहां अपना जीवन-यापन किया और अनेक व्यक्तियों को शिक्षा दी। अभी प्रधान मंत्री जी के बारे में हीन भावना से जो बात कही गई, उनके चांसलर सम्बन्धी, उसे सुनकर मुझे बड़ा दुःख हुआ। जो व्यक्ति अपने आपको प्रोफेसर मानता है और इस तरह से आक्षेप करता है और शिक्षा-शास्त्री बनने का ठेका लेता है, मैं

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

[आचार्य भगवान देव]

पूछना चाहता हूं कि महर्षि दयानन्द, जो आर्य-समाज के इतने बड़े संस्थापक थे, क्या उन्होंने किसी यूनिवर्सिटी से एम० ए० और पी० एच० डी० की थी ? उन्होंने जो वेदों का अध्ययन किया, उसको सारी दुनिया के लोग भी समझ नहीं पायेंगे । महर्षि बाल्मीकि कोई प्रोफेसर नहीं थे । उन्होंने रामायण की रचना की । क्या ये लोग उसको समझ पायेंगे जो अपने आपको प्रोफेसर कहते हैं ? क्या कभी उसके राज को समझा है ? आज, एक अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति के रूप में संसार के सामने प्रधान मंत्री खड़ी हैं । बड़े-बड़े राष्ट्र और जहां पर डिक्टेटरशिप है, उन्होंने भी प्रधान मंत्री को अपना अध्यक्ष माना है । उस व्यक्ति के सम्बन्ध में एक साधारण-सा व्यक्ति**···वह सदन में खड़े होकर आक्षेप करता है ।··· (**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे : वह बोल रहे हैं**·····वह क्या बोल रहे हैं ? (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : मैं आपसे सहमत हूं । आप जल्दी क्यों मचा रहे हैं । मुझे यह करने दीजिए । मुझे में यह समझने की बुद्धि है । अनावश्यक रूप से उत्तेजित न हों । मेरी बात सुनें । प्रोफेसर साहब आप बैठ जाएं ।

श्री राजेश कुमार सिंह : इनको माफी मांगनी चाहिए ।···(**व्यवधान**)

श्री रशीद मसूद : यह न्यूयार्क नहीं है, हिन्दुस्तान का पार्लियामेंट है ।···(**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : पहले उन्हें खेद प्रकट करना चाहिए (**व्यवधान**)

सभापति महोदय : पहले आपको मेरी बात सुननी होगी । मैं कुछ कह रहा हूं और आप मेरी बात सुनें । मैं इस सदन को नियंत्रित कर रहा हूं आपको नहीं । मैं आपको बताता हूं आप सब बैठ जाएं । अब यह रिकार्ड नहीं किया जाएगा । मुझे विश्वास है कि इस भाषा का प्रयोग यहां नहीं किया जाना चाहिए था । और आपको भी ऐसी बात कहने के लिए खेद प्रकट करना चाहिए था । मुझे आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे ।

प्रो० एन० जी० रंगा : आप अपनी बात वापस लीजिए ।

3.00 **म० प्र०**

आचार्य भगवान देव : सभापति जी, जैसा शिक्षा मंत्री जी ने कहा, प्रधान मंत्री जी जब वहां चांसलर बनीं तो वे प्रधान मंत्री की हैसियत से चांसलर नहीं बनीं बल्कि उन्होंने वहां शिक्षा ली, शांति निकेतन में रहकर उन्होंने शांति का संदेश अपने जीवन में लाने की कोशिश की और आज वे सारे संसार में उसी का प्रचार और प्रसार कर रही हैं उसकी हैसियत से उनकी नियुक्ति

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया ।

की गई। बाकायदा उनका चुनाव हुआ है, लेकिन जब यहां पर उनके ऊपर आक्षेप किये जाते हैं तो मैं उसको अनुचित मानता हूं। यहां पर ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिएं और इसीलिए मुझे उसका उल्लेख यहां पर करना पड़ा। उसके अलावा श्रीमती सरोजिनी नायडू जैसी महान विचारक इस संस्था से जुड़ी हुई हैं।

3.01 म० प्र०

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए)

उन्होंने इस संस्था की बहुत सेवा की। सन् 1951 में पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने इसे राष्ट्रीय स्वरूप प्रदान किया और उसके बाद इस संस्था का अच्छी तरह से विकास होता रहा। परन्तु जैसा मेरे एक माननीय सदस्य ने कहा, सन् 1971 में वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने तोड़फोड़ की और उसके कारण हमारे देश के महान व्यक्तियों को सोचना पड़ा कि जिस महान उद्देश्य को लेकर इस अन्तर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की गई ताकि संसार भर के हर वर्ग और हर मुल्क के लोग यहां आकर शांति निकेतन और श्री-निकेतन की परिधि में स्थित शिक्षा भवन, विद्या भवन कला भवन, संगीत भवन, विनय भवन, रवीन्द्र भवन में आकर मानवता का संदेश लें, उसको दृष्टि में रखते हुए, बहुत सोच-समझकर आज यह बिल इस सदन में पेश किया गया है। अब वहां तीन निदेशकों का नियुक्तियां होंगी और तीन नये विभाग शुरू किए जाएंगे—प्रौढ़ शिक्षा, ग्राम्य पुनर्गठन, सहकारी संगठन, समाज कल्याण, कुटीर उद्योग आदि की प्रवृत्ति वहां चलेंगी।

यहां पर लोकशाही के सम्बन्ध में आशंका खड़ी की गई तथा विशेषकर राष्ट्रपति जी को परिदर्शक अर्थात् विजीटर का पद दिया गया, उस पर आक्षेप किया गया, आपत्ति उठाई गई। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रपति का पद हमारे देश में सर्वोच्च पद नहीं माना गया है। क्या उनका चुनाव लोकशाही के द्वारा नहीं किया जाता। यदि लोकशाही के माध्यम से चुनकर ही राष्ट्रपति के पद पर कोई व्यक्ति पहुंचता है तो क्या उसको सारे हिन्दुस्तान के अधिकार नहीं मिल जाते। फिर किस आधार पर आप उनको इस संस्था का अधिकारी बना देने पर या कोई पद देने पर आपत्ति करते हैं। मैं समझता हूं कि इसमें लोकशाही के विपरीत कोई बात नहीं है। राष्ट्रपति लोक सभा और राज्य सभा तथा राज्यों की विधान सभाओं के माध्यम से चुना जाता है। यहां पक्ष और विपक्ष के लोगों ने इस सम्बन्ध में अपने-अपने विचार रखे। हमारी ज्वाइंट प्रवर समिति में दोनों सदनों के हर पार्टी के सदस्य हैं, उसमें उन्होंने भी अपने विचार रखे हैं। क्या उसको भी आप लोकशाही नहीं समझते ? यदि आप उसको डिक्टेटरशिप समझते हैं तो मुझे बड़ा अफसोस है कि आप इस तरह की विचारधारा रखते हैं।

यहां पर प्रोफेसर साहब ने कहा कि वहां पर जो पढ़े-लिखे व्यक्ति हैं, जिनको यहां पर किताबी-कीड़े की संज्ञा दी गई, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि जिन शरारती तत्वों की राजनैतिक पार्टियों की ओरसे भी आलोचना हुई, जिनका उल्लेख हमारे रंगा साहब ने भी किया, जो

[आचार्य भगवान देव]

उच्छृंखल व्यक्ति, विद्यार्थियों को प्रोत्साहन देकर, पैसा देकर, तोड़फोड़ करवाते हैं, हर यूनिवर्सिटी में अराजकता फैलाते हैं, क्या यही हमारी शिक्षा है। पहले जो विद्यार्थी क्लास में अच्छी तरह से शिक्षा ग्रहण करके मैरिट पर आ जाता था तो उसको मौनिटर बनाया जाता था, उसको क्लास और स्कूल के कुछ अधिकार दिए जाते थे, लेकिन आज उसके स्थान पर जो गुण्डागर्दी, शरारत, तोड़फोड़, या आग लगाने के काम ज्यादा करता है, यूनियनवाद के आधार पर वहां कब्जा जमाना चाहता है, उसको प्रोत्साहन देना क्या यही हमारी शिक्षा है, क्या ऐसी शिक्षा पद्धति हम हिन्दुस्तान में चलाना चाहते हैं। इस तरह के यूनियनवाद से हिन्दुस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। मैं शिक्षा मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि तमाम यूनिवर्सिटीज में जो विद्यार्थी अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, अच्छे मार्ग पर चलकर शिक्षा प्राप्ता करना चाहता है, उनको वहां अधिकार मिलने चाहिएं। इस बिल के जरिए आप जिस तरह का प्रयास करना चाहते हैं, उनको निश्चय ही प्रोत्साहन मिलना चाहिए अन्यथा जो राजनैतिक व्यक्तियों के हाथों में शरारती तत्व आज खेल रहे हैं जो हमारी शिक्षा-संस्थाओं में आग लगाकर देश को बर्बाद करना चाहते हैं और इसके साथ-साथ एक और मांग करता हूं, आप स्पष्टीकरण दें, सारे देश की जितनी यूनिवर्सिटीज हैं उनमें जो वाइस-चांसलर्स का नियुक्ति है, जिसका उल्लेख प्रोफेसर रंगा ने किया कि अलग-अलग प्रांतों में अलग-अलग ढंग से हो रही है, कहीं कोर्ट से, कहीं प्रांतीय सरकार द्वारा और कहीं किसी और के द्वारा, इसको आपको दूर करना पड़ेगा चाहे इसके लिए भले ही आपको बिल लाना पड़े। सारे देश की यूनीवर्सिटीज में एकरूपता लानी पड़ेगी। आप बतायें ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं? अगर आपको एकरूपता लानी है तो जरूरी है कि वाइस-चांसलर्स की नियुक्ति के बारे में बिल लायें।

इन शब्दों के साथ महान गुरुदेव के नाम पर स्थापित महान संस्था जो अन्तर्राष्ट्रीय है उसका गौरव बढ़ाने के लिए जो बहुत लोगों के बीच में से गुजरे इस बिल को पेश कर रही हैं उसका समर्थन करता हूं और बिल पेश करने के लिए बधाई देता हूं।

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : विश्व-भारती में शांति निकेतन है और हमारे पूर्ववक्ता ने इस विधेयक पर बहस करते समय चर्चा को जिस प्रकार अशांतपूर्ण बनाया वह वास्तव में अजीब है। जोइंट सेलेक्ट कमेटी ने अनुशंसा की कि विश्व-भारती का यह विशिष्ट कर्तव्य होना चाहिये कि वह शिक्षा के माध्यम में गुरुदेव के विचारों को कार्यरूप दे, उसी रूप में शैक्षिक कार्यक्रमों को भी लागू करे।

विश्वविद्यालय की स्थापना गुरुदेव ने जिस उद्देश्य से की थी उसमें उनकी संकल्पना एकता में अनेकता पर आधारित सांस्कृतिक मूल्यों का प्रचार और प्रसार ही नहीं था, बल्कि विश्वबंधुत्व की भावना का प्रचार भी इसमें सम्मिलित था और इसीलिये इसका नाम विश्व-भारती रखा गया था। परन्तु विश्व-भारती के छात्रों की सूची वह हम देखते हैं तो मुझे अफसोस होता है कि उसमें बंगाल के छात्रों की बहुसंख्या है, जो कि नहीं होनी चाहिये थी। कुछ न कुछ ऐसा प्रावधान किया

जाना था जिसमें अन्य राज्यों, कम से कम अन्य राज्य और अन्य देश का भी उचित प्रतिनिधित्व छात्रों की संख्या में होता है और तभी विश्व-भारती का नाम सार्थक होता। गुरुदेव केवल बंगाल की ही धरोहर नहीं थे, वह सारे देश के थे और बंगाल को ही उस पर अपना अधिकार नहीं जतलाना चाहिये।

यों तो सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के परिसरों में अनुशासन और शैक्षिक मापदंडों में गिरावट आयी है और कमोबेश रूप में यहां भी देखी जा सकती है। फिर भी मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय में उन मापदंडों के अनुपालन का काफी अधिक प्रयास रहता है। यद्यपि हम देश में कोई एक रीति नहीं बनाते हैं, फिर भी हमें प्रसन्नता है कि अनुशासन और शैक्षिक मापदंडों का यहां पालन होता है और जगहों की अपेक्षा अधिक।

सभापति जी, टैगोर ने इस बात पर बल दिया था कि हम अपने आध्यात्मिक आदर्शों को तभी प्राप्त कर सकेंगे जब हम छात्रों को प्रकृति के निकट सम्पर्क में लायेंगे और उन्हें पडोसी गांवों के किसानों और मेहनतकश लोगों के सम्पर्क में लायेंगे।

उन्होंने प्यार और बलिदान की आवश्यकता पर बल दिया।

इस विधेयक में क्या प्रवर समिति ने इस पर कहीं जोर डाला है ? लोकतांत्रिक परम्परा की चर्चा हुई। मुझे आश्चर्य होता है प्रो० रंगा पर। बचपन में मैं स्व० पं० जवाहरलाल नेहरू की एक किताब "हिन्दुस्तान की समस्या" पढ़ रहा था। पंडित जी ने भी इस पर विचार किया था। एक लेख में उन्होंने आश्चर्य व्यक्त किया था। उस समय का एस्टैब्लिशमैंट भी कहता था कि छात्रों में राजनीति नहीं आनी चाहिये। "हिन्दुस्तान की समस्या" एक बहुत पुरानी किताब है और सस्ता साहित्य मंडल से प्रकाशित हुई थी।

श्री दीनबन्धु वर्मा : उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था।

प्रो० अजित कुमार मेहता : आप हिन्दुस्तान की समस्याएं पढ़ें।

श्री दीनबन्धु वर्मा : उन्होंने कहा कि उन्हें ताजा राजनीति की जानकारी देनी चाहिए, किन्तु उन्होंने यह नहीं कहा कि विद्यार्थियों को इसमें भाग नहीं लेना चाहिए।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने इतना मान लिया।

पंडित जी ने लिखा था कि उस समय के एस्टैब्लिशमैंट ने विद्यार्थियों में राजनीति लाने का विरोध किया था। पंडित जी ने भी इस बात की चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि विद्यार्थी इस देश के नागरिक बनेंगे और उनमें राजनीतिक चेतना का अभाव होना खतरनाक होगा। इसलिए उन्होंने इस बात की तसदीक की थी कि विद्यार्थियों में राजनीतिक चेतना आनी चाहिये। परन्तु आप कैसे राजनीतिक चेतना लायेंगे ? क्या लोकतांत्रिक परम्पराओं का अनुकरण करके ?

[प्रो० अजित कुमार मेहता]

लोकतांत्रिक परम्पराएं न चलने देकर क्या राजनीतिक चेतना बढ़ेगी ? मुझे आश्चर्य होता है कि कहीं का भी एस्टैब्लिशमैंट यह कहता है कि विद्यार्थियों में यह नहीं होनी चाहिये । उसका विरोध जो करते हैं, वह चाहते हैं कि विद्यार्थियों में भी राजनीतिक चेतना आये और जब वह लोग सत्ता में आते हैं तो उसका विरोध करते हैं । एस्टैब्लिशमैंट की बात करने लगते हैं ।

प्रो० रंगा ने कहा कि उस समय की बात दूसरी थी, यह हर एस्टैब्लिशमैंट कहता है । क्या आज के युग में विद्यार्थियों मे राजनीतिक चेतना नहीं आनी चाहिये ? यहां पर विभिन्न विश्व-विद्यालयों की विभिन्न बाडीज में विद्यार्थियों और शिक्षकों को नामित करने का प्रस्ताव है । इन नामित विद्यार्थियों का नामीनेशन किस आधार पर हुआ, वह किसका प्रतिनिधित्व उस बाडी में करेंगे ? सिवाय अपने वह और किसका प्रतिनिधित्व करेंगे और किसके प्रतिनिधि हैं ? और किसके प्रति उत्तरदायी हैं ? हर आदमी का मत अलग हो सकता है । इस तरह का प्रतिनिधित्व प्रदान करने से आप क्या अपेक्षा और उम्मीद करते हैं ? अगर आपको पूरी प्रजातांत्रिक पद्धति से असंतोष है तो बात दूसरी है परन्तु जो विस्तृत रूप में सही हो सकता है, वह छोटे रूप में गलत कैसे होगा, यह बात मुझे समझ में नहीं आती है ।

एडमीशन पालिसी के बारे में धारा 20-सी में कहीं न कहीं यह प्रावधान होना चाहिये था कि भारत में कम-से-कम सभी राज्यों के छात्र एक निश्चित संख्या में इस विश्वविद्यालय में रहें। किन्तु ऐसा कहीं प्रावधान नहीं है । तभी विश्वविद्यालय के मूल उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी अन्यथा नहीं । विश्वविद्यालय के सिलैबस का विस्तार किया गया है । यह मैं मानता हूं कि कोई भी ऐसी शिक्षा सफल नहीं होगी जो जीविका अर्जित न करा सके, परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि इस विश्वविद्यालय को भी देश के अन्य विश्वविद्यालय कीत रह का ही बना दिया जाए। फिर तो जो इसके पीछे उद्देश्य हैं उन्हीं का हनन हो जायेगा । देश में चारों तरफ आर्ट्स कालेज हैं, ऐसे विश्वविद्यालय हैं जो आर्ट्स की शिक्षा देते हैं परन्तु इस विश्वविद्यालय को उनसे कुछ अलग ही बनना था ।

आज सारे देश में नैतिक अवमूल्यन हो गया है । हमारे समाज की जो आज दशा है वह नैतिक अवमूल्यन के कारण ही है । इस नैतिक अवमूल्यन के अथाह सागर में इस विश्वविद्यालय के माध्यम से सही नैतिक-शिक्षा छात्रों को प्रदान की जा सकती थी परन्तु उसका स्वरूप ऐसा होता कि उसके साथ-साथ छात्र यहां से निकलने के बाद, स्नातक होने के बाद, अपनी जीविका अर्जित करने में भी सक्षम रहते । ऐसा रूप इस विश्वविद्यालय को देना चाहिए था ।

जहां तक सिलैबस की बात है, एक बात समझ में नहीं आती है । इसमें ग्रामीण पुनर्निर्माण सम्बन्धी शिक्षा का भी प्रावधान रखा गया है परन्तु वैज्ञानिक और टैक्निकल अध्ययन का कहीं उल्लेख नहीं है । मुझे सन्देह है कि बिना वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिक अध्ययन के ग्रामीण पुनर्निर्माण

सम्भव नहीं हो सकेगा। इसलिए ग्रामीण पुनर्निर्माण का जो सिलैबस हो उसमें इस बात का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिए।

इस विधेयक की धारा 38(1) में एक नया प्रयोग किया गया है—तीन सदस्यों की एक समिति बनाने का प्रावधान रखा गया है, जो कि वहां पर मतान्तर के कारण पैदा हुए झगड़ों का निपटारा कर सकेगी। इस समिति का निर्माण अपने में एक नवीन प्रयोग है और यदि यह प्रयोग सफल हो तो मैं आशा करता हूं दूसरे विश्वविद्यालयों में भी इस प्रकार का प्रावधान रखा जायेगा।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय शिक्षा मन्त्री जी से, अपने दिए गये सुझावों पर, ध्यान देने का अनुरोध करता हूं।

श्री संतोष मोहन देव (सिल्चर) : सभापति महोदय, मैं टैगोर के जन्म दिवस, इस पावन दिन 25 वैशाख को विश्व भारती विश्वविद्यालय संबंधी विधेयक का समर्थन करने में सम्मान अनुभव करता हूं।

महोदय, इस विधेयक का प्रारूप संयुक्त चयन समिति द्वारा बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है और मैं पूरे हृदय से इसका समर्थन करता हूं। मुझे अपने विद्वान मित्र प्रो० सत्य-साधन चक्रवर्ती का भाषण सुन कर हैरानी हुई और धक्का लगा और मुझे उनका रवीन्द्रनाथ टैगोर के प्रति सम्मान, प्रेम देखकर भी हैरानी हुई। जिस राज्य, अर्थात् पश्चिम बंगाल, से वह संबद्ध है, यह देखा गया है कि अब उनके विश्वविद्यालय से लेकर प्राथमिक स्तर के पाठ्यक्रम में रवीन्द्रनाथ टैगोर का कोई स्थान नहीं। सहज पथ प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय पुस्तक हुआ करती थी। रवीन्द्रनाथ टैगोर की कवितायें दी जाती थीं। मैं जानता हूं वे आरम्भ से ही आपत्ति कर रहे हैं कि 'सहजपथ' रवीन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक नहीं है। 'सहज पथ' में रवीन्द्र नाथ टैगोर की बहुत सी कवितायें हैं। इन्हें हटा दिया गया है। पश्चिम बंगाल में इतिहास के पाठ्य क्रम में रवीन्द्रनाथ टैगोर अथवा सुभाष चन्द्र बोस के बजाए लेनिन और स्टालिन को अधिक महत्व दिया जाता है। (**व्यवधान**) मैं एक अशिक्षित व्यक्ति हूं। सारी शिक्षा आपने ही ग्रहण की है।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : क्या आपने वह पुस्तक पढ़ी है ?

श्री सन्तोष मोहन देव : मैंने सभी पुस्तकें पढ़ी हैं। (**व्यवधान**) जब इस विधेयक पर इस सदन में चर्चा हो रही थी, तब भी कुछ मुद्दे उठाए गए थे। मेरा कहना है कि इस विधेयक का प्रारूप संयुक्त चयन समिति द्वारा तैयार किया गया है। संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट से हमें पता चलता है कि समिति में राज्य सभा और लोक सभा से सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने प्रतिनिधित्व किया था।

[सन्तोष मोहन देव]

साम्यवादी दल मार्क्सवादी और भारतीय साम्यवादी दल से सम्बन्धित कुछ सदस्यों ने इस विधेयक में अपनी अलग राय दी। वामपंथी राजनीतिक दल यह कहते रहे हैं कि परिषद में योग्यता अथवा वरिष्ठता के आधार पर प्रतिनिधित्व क्यों हो ? उन्होंने विद्यार्थी परिषद के गठन के विषय में प्रश्न किए हैं। इस पर आपत्ति प्रकट की गई है और आलोचना की गई है। किन्तु मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि यह एक आदर्श विधेयक है। ऐसा न केवल विश्व भारती में ही किया जाना चाहिए बल्कि समस्त भारत में ऐसा किया जाना चाहिए। यह आवश्यक है। सारे देश में नियमों में एकरूपता होनी चाहिए हमारे देश में आजकल विश्व विद्यालय राजनीतिक विध्वंसक गतिविधियों के अखाड़े बन गए हैं। असम में हमारा क्या अनुभव रहा है ? गोहाटी विश्वविद्यालय, असम आंदोलन का मुख्य केन्द्र रहा है जिससे न तो देश को लाभ हुआ है और न ही असम के लोगों को। विश्वविद्यालयों का दुरुपयोग किया जा रहा है। यह नहीं कहा जा सकता है कि विद्यार्थी राजनीति में भाग न लें। उनमें राजनीतिक जागरूकता होनी चाहिए और उन्हें राजनीति में भाग भी लेना चाहिए। परन्तु, वे ऐसी राजनीति में भाग लेते हैं जो कि अव्यवस्था फैलाने वाली तथा देश के लिए हानिप्रद है। अतः मैं इस विधेयक का, जो कि बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है, पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं और शिक्षा मन्त्री से अपील करता हूं कि कुलपति की नियुक्ति के लिए भी कुछ नियम होने चाहिए जो कि भारत सरकार द्वारा बनाये जायें ओर उन्हें सारे देश में, चाहे वह पश्चिम बंगाल हो, असम अथवा केन्द्र शासित प्रदेश अथवा अन्य कहीं भी समान रूप से लागू किया जाए।

कलकत्ता में हम क्या देखते हैं ? श्री चक्रवर्ती ने इस विषय पर काफी कुछ कहा है। सदन के एक सदस्य ने, जिन्होंने चुनाव लड़ा था, चुनाव हार गए हैं। यह एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है कि वह हार गए। फिर क्या हुआ ? उन्होंने हार को गरिमापूर्वक स्वीकार नहीं किया। उन्होंने राज्यपाल का मामला उठाया है। यह मामला अभी भी जारी है। राज्यपाल महोदय जहां कहीं भी जाते हैं, कार्यकर्ता गड़बड़ी करते हैं। न तो यह किसी राज्य के लिए ठीक है और न ही देश के लिए।

अब उन्होंने पश्चिम बंगाल में एक विधेयक पारित किया है। मैं उनसे अपील करता हूं कि वह एक ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न दें जो कि मूल भावना के विरुद्ध है.....

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : क्या आपने उस विधेयक को पढ़ा है ? मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। क्या आप जानते हैं कि उस विधेयक में क्या है ?

श्री संतोष मोहन देव : महोदय, वह चाहते हैं कि मैं विधेयक को पढ़ूं.....

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं श्री देव से अनुरोध करूंगा कि वह विधेयक को पढ़ें।

श्री सन्तोष मोहन देव : क्या वह एक अच्छा विधेयक है ? मेरा कहना यह है कि वहां जो प्रणाली विद्यमान थी वह ठीक थी। यदि उस प्रणाली के माध्यम से जो कलकत्ता में थी श्री सत्य-

साधन चक्रवर्ती और श्री सोमनाथ चटर्जी जैसी प्रतिभाएं पैदा की जा सकती हैं तो उस प्रणाली में क्या बुराई है ? उनके पास वहां पर अच्छी प्रतिभाएं हैं। उनका यह दावा है कि वह हम में से बहुतों से अधिक शिक्षित हैं, और यदि मैं इससे सहमत होऊं, तो इसका यही अर्थ हुआ कि पुराना कलकत्ता विश्वविद्यालय अधिनियम ठीक था·····

श्री सोमनाथ चटर्जी : 1979 का अधिनियम वामपंथी मोर्चा सरकार द्वारा पारित किया गया था।

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं शिक्षा मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि तमाम देश में, कुलपतियों के निर्वाचन अथवा चयन के मामले में एकरूपता होनी चाहिए। (**व्यवधान**)

इससे पहले मैं अपना भाषण समाप्त करूं, मैं शिक्षा मन्त्री से फिर अनुरोध करूंगा कि इस विधेयक को कुछ संशोधनों के साथ सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक आदर्श विधेयक के रूप में माना जाए और इसे सारे देश में अपनाया जाना चाहिए क्योंकि तमाम देश में विश्वविद्यालयों के परिसर आंदोलन के गढ़ बन गए हैं और इसके परिणामस्वरूप शिक्षा प्रणाली दिनोंदिन खराब होती चली जा रही है और इसके लिए हम अपनी भावी पीढ़ियों के प्रति जवाब देह होंगे। इसलिए, इस पुनीत सदन को इस बात का ध्यान रखना होगा। सभी विश्वविद्यालयों के लिए एक विस्तृत विधेयक प्रस्तुत किया जाये। तमाम देश में कुलपतियों और उपकुलपतियों ने भी नियुक्ति के लिए एक आदि प्रारूप प्रणाली होनी चाहिए।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, विश्वभारती संशोधन विधेयक का मैं समर्थन करता हूं। यह विधेयक जो आज 13 वर्षों के अध्ययन, मनन और कमेटी में डालने के बाद लाया गया है, इसे पहले लाते तो ज्यादा अच्छा होता। फिर भी इसे एक सर्वांगीण विधेयक कहा जा सकता है और मैं समझता हूं कि इसके प्रावधान बहुत अच्छे हैं। जिस तरह से विश्व-भारती शान्ति-निकेतन में अवस्थित है और विश्व के सारे देशों के बीच प्राच्य संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति के तालमेल, तादात्म्य स्थापित करने की भावना हमारे गुरुदेव रविन्द्र नाथ ठाकुर में थी, उसी परिपेक्ष यह बिल प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह श्लाघनीय है। गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर की इस कल्पना को मूर्त रूप देने में जितना समय लगा उस दृष्टि से यह बिल बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। विश्व भारती को आज भी देश के लिए एक ऐतिहासिक प्रतीक के रूप में माना जा सकता है तथा उनकी जो भावना थी—इस विश्वविद्यालय में हिन्दू, बौद्ध, जैन, सिख, इस्लाम, ईसाई सब की कलाओं का अध्ययन, मनन और चिन्तन यहां पर किया जाएगा। उसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, प्राच्य कला और संस्कृति तथा पाश्चात्य कला और संस्कृति के सम्बन्धों को इतना प्रगाढ़ बनाया जाएगा जिनसे भारत और एशिया के देशों के सम्बन्ध धीरे-धीरे बढ़ते चले जायेंगे।

इसके साथ-साथ विश्व के गोलार्धों के बीच शांति की भावना का उदय हो और विश्व

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

शांति स्थापित हो। हर व्यक्ति के हृदय से मनोमालिन्य और शोषण करने की भावना समाप्त हो, द्वेष और हिंसा का निदान हो। तो इस तरह से बहुत अच्छी भावनाओं के साथ नोवल प्राइज विजेता रवीन्द्र नाथ टैगोर ने यह कल्पना की थी। इसके लिए शांति निकेतन का एक अच्छा स्थल चयन किया था। उन्हें आशा थी कि इससे विश्व शांति स्थापित हो सकेगी। इसलिए सत्यं, शिवं और आदित्यं शब्दों का मेल किया था। ईश्वर को आध्यात्म के रूप में लोग समझ सकें और सभी देशों और धर्मों को एक ही स्वरूप मान सकें। अध्यापक और छात्र यहां सौहार्द्र पूर्ण वातावरण में रहेंगे और अशान्ति तथा क्लेष का यहां स्थान नहीं होगा। समग्र विश्व के कार्यकलापों का एकीकार होगा और एक जगह साथ-साथ सामाजिक विषयों का अनुसंधान होगा। इसके द्वारा कारगर उपायों पर निरन्तर चिंतन होगा। इस प्रकार से इसका बहुत ही अच्छा उद्देश्य था। लेकिन अभी जो कुछ हुआ, बहुत सी आलोचना हुई और अशांति का जो वातावरण बना, उससे रवीन्द्र नाथ टैगोर की भावना को मैं समझता हूं कि चोट पहुंच सकती है। इस तरह की छींटाकशी करने से उस भावना पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ऐसे विचार नहीं होने चाहिएं। अगर गलतियां हैं तो उनको राजनीतिक छलछद्म से हटकर दूर किया जा सकता है। इसकी जो मूल भावना है, उसके विपरीत कोई बात नहीं होनी चाहिए। यह बात सही है कि इसमें राष्ट्रपति या प्रधान मन्त्री चांसलर के रूप में रहें, इसमें राजनीतिक दलगत भावना हो सकती है लेकिन जहां तक इसके राष्ट्रीय महत्व का सवाल है, इस संस्था का मैं समर्थन करता हूं। इस तरह की संस्था का राष्ट्रीय स्वरूप होना चाहिए क्योंकि इसमें विश्व शांति का ख्याल किया गया है और विश्व संस्कृति, शिक्षा और ललित कला के द्वारा विचार किया गया है। अगर इसमें प्रांतीयता और क्षेत्रीयता की बात आती है तो इसका उद्देश्य समाप्त हो जाता है। इसलिए इसी दृष्टिकोण से इस पर विस्तृत रूप में विचार करना चाहिए।

सभापति महोदय, एक दो समस्याओं की ओर और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। विश्व भारती में संस्कृत और पाली विभाग है। वहां पर जो प्राध्यापक हैं, उनके साथ बड़ा ही भेदभाव बरता जा रहा है। विश्व भारती में "रिसर्च असिस्टेंट" के पद हैं लेकिन विभिन्न पदों के वेतनमान अलग हैं। इसे पक्षतापूर्ण कहा जा सकता है। मैं, एक उदाहरण देना चाहूंगा। संस्कृत विभाग के डा० मंजूल मयन्क एक प्राध्यापक हैं वह, निरन्तर संस्कृत के अध्यापक रहे हैं। उनकी प्रोन्नति रीडर के पद पर अभी तक नहीं की गई। उनसे कम योग्यता के हर विभाग में जिन्होंने न पी० एच० डी० की है न विशेष अध्ययन किया है और न रिसर्च के पेपर्स प्रस्तुत किए हैं, उन्हें रीडर तथा उससे आगे के पदों पर प्रोन्नत किया गया है। संस्कृत, पाली एवं प्राकृत विभाग, विश्व-भारती के विभागाध्यक्ष डा० वी० एन० बैनर्जी का एक कांफीडेंशियल लैटर पढ़कर सुनाना चाहता हूं।

"डा० एम० मयंक,

कृपया नोट कीजिये कि जब तक मैं यहां विभागमुख्य हूं, इस विभाग में आपको रीडर

या प्रोफेसर बनने नहीं दूंगा। बेहतर यही होगा, आप कोई अन्य जगह देखिए, श्रेयत: आपके अपने प्रांत उत्तर प्रदेश में"

यह पत्र दिनांक 31-8-1981 का था।

इस संस्था को विश्व-भारती न कहकर बैनर्जी भारती कहा जा सकता है। इस तरह की बातों को रोका जाना चाहिए। वहां पर पे-स्केल्स में भी बड़ा भेदभाव बरता जा रहा है। रवीन्द्र भवन और कला भवन के रिसर्च असिस्टेंट्स का पे-स्केल 425 से 700 तक है जबकि दोनों जगह पोस्ट एक-एक ही है। इसके अलावा पाली चर्चा केन्द्र, जहां पर पांच पोस्ट हैं, वहां पर 330 से 560 का ही ग्रेड दिया हुआ है। जब यू० जी० सी० को लिखा गया तो उन्होंने भी इनके साथ न्याय नहीं किया। कई वर्षों से ये लोग कार्यरत हैं। डा० मयंक को 25 वर्षों तक लगातार कार्य करने पर भी प्रोमोशन नहीं मिला इस प्रकार की क्षेत्रीयता और प्रांतीयता की भावना विश्व-भारती में चलेगी तो इसका ठीक तरह से दृष्टिकोण नहीं बन पायेगा और इसकी कल्पना ही समाप्त हो जायेगी। मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदया तुरन्त ही इस मामले में वहां पर सुधार करवायेंगी ताकि जो लोग अपने को अध्ययन, मनन और चिंतन में पचासों वर्षों से खपा रहे हैं, उनको न्याय मिल सके।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : सभापति महोदय पहले मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आज विश्व-कवि रवीन्द्र नाथ टैगोर की जन्म-तिथि पर इस सदन में इतने महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा की जा रही है। इस चर्चा के पहले मार्क्सवादी सदस्य श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने कुछ बातें कहीं, टैगोर जी की इतनी प्रशंसा की, इतना ट्रिब्यूट उन्हें पेश किया, मुझे आश्चर्य हुआ कि इतने दिनों तक जिनको उन्होंने बुजुर्वा कवि माना, आदर्श की बातें कीं आज उन्हें क्या हो गया। मैंने कम्युनिस्टों के बारे में यह देखा है कि जिस सिद्धांत को वे मानकर अपना कार्य करते हैं, कुछ समय बाद उसे यह कह कर छोड़ देते हैं कि हम गलती पर थे। आपने बुजुर्वा कवि के बारे में जो बातें कहीं, मैं आपको उनके लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। रवीन्द्र नाथ टैगोर को आज भारत में ही नहीं, सारे संसार में विश्व कवि माना जाता है। उन्होंने सारे देश के लोगों के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट किए। जिस समय यहां चौबे जी, बोल रहे थे, मुझे वह समय याद आया जब वे और उनकी पार्टी के सदस्य मिलकर कहते थे कि यह आजादी झूठी है। मार्क्सवादी पार्टी के एक महत्वपूर्ण सदस्य ने श्री रवीन्द्र नाथ टैगोर पर एक आर्टिकल लिखते हुए उन्हें बुजुर्वा कवि माना। इसलिए जब आप लोग आजादी के साथ अपने विचार यहां रख सकते हैं तो हमें भी अपने विचार रखने की आजादी होनी चाहिए ताकि हम आपकी आलोचना कर सकें। जब ज्वाइंट सलैक्ट कमेटी में इस बिल पर विचार हो रहा था, तथा लोक सभा और राज्य सभा दोनों के सदस्य मिलकर विचार कर रहे थे तो उसकी रिकमैंडेशन में इनके दल के श्री संतोष मित्र तथा श्री फारदीश रॉय के डिस्सैंट नोट थे। उनका कहना था कि लोकल एम० पी० को नहीं रखा इसलिए सारी बात गलत हो गई। यदि पंचायत मैम्बर को रखा जाता तो ठीक हो जाता। चौबे साहब का डिस्सैंट नोट अलग है, मैं उसको फिर दोहराना नहीं

[श्री मनोरंजन भक्त]

चाहता। लेकिन यह बात सही है कि यह बिल काफी पहले आना चाहिए था। फिर भी अब इस सदन में आ गया है तो अच्छी बात है और हमें आज के हालात को देखते हुए, तमाम एजूकेशनल इंसटीट्यूशंस को देखते हुए इस मौके का लाभ अपने अच्छे विचार प्रकट करके उठाना चाहिए। हमारे यहां सारी यूनिवर्सिटीज में एक जैसा पढ़ाई का सिस्टम नहीं है एक किस्म के नियम सारी जगह नहीं हैं। यदि हम इस बात पर पहले से ध्यान देते और एजूकेशन को आजादी के बाद सैन्ट्रल लिस्ट में रखते तो आज शायद इस देश की इतनी बर्बादी न हुई होती। कन्करैंट लिस्ट में आने की वजह से सारे देश में एकता की भावना पैदा नहीं हुई क्योंकि हरएक स्टेट में अपने ढंग से शिक्षा प्रणाली चल रही है। सारे देश में एक-जैसी व्यवस्था नहीं है। इसलिए मैं माननीया शिक्षा मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बिल में उन्होंने जिस तरह से सारे देश की तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए विधि अपनाई है, जिसके अनुसार इस देश में शिक्षा की हालत को सुधार जाएगा, देश में शिक्षा का प्रसार किया जायेगा, उस विधि को आप इस तरीके से बनवाइये···जिससे सारे देश की यूनिवर्सिटीज एक ही नियम के अनुसार चल सकें जिससे देश का लाभ हो सके।

डेमोक्रेसी की जो बात माननीय सत्य साधन जी कह कह रहे थे मैं उनको बताऊं कि आपकी पार्टी के शासनकाल में सारी शिक्षण संस्थाओं को कितनी चोट पहुंचायी है, कुछ कहा नहीं जा सकता। कितने ही कालेजों की कमेटियों को भंग करके अपने दल के लोगों को वहां बैठाया है। कलकत्ता विश्वविद्यालय के चांसलर ने जिस वाइस-चांसलर को अपाइंट किया उसके साथ आप जो बर्ताव कर रहे हैं वह शोभा की बात नहीं है। इसलिए शिक्षा व्यवस्था पर जितनी चोट आपने पहुंचायी है सारी जगह नौमीनेशन से आपने भरी हैं चाहे वे सकेण्ड्री एजूकेशन बोर्ड हो, या इंटरमीडिएट बोर्ड, सभी जगह नौमीनेशन्स से अपने आदमी भरे हैं। और यहां सदन में डेमोक्रेसी की बात करते हैं जो शोभा नहीं देता है।

यह बिल समर्थन योग्य है और सारे देश के लिए एक ही किस्म का विधेयक होना चाहिए जिससे एक-सी शिक्षा व्यवस्था हो सके। राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो काम हो रहा है उसको तभी रोक सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और आपको अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं।

सभापति महोदय : श्री नारायण चौबे।

श्रीमती शीला कौल : सभापति महोदय, वह इस समिति के एक सदस्य हैं और मैं नहीं समझती कि नियमों के अनुसार वह इस विधेयक के सम्बन्ध में बोल सकते हैं।

श्री नारायण चौबे : मैंने एक विमति टिप्पण दिया है।

सभापति महोदय : इसमें कोई प्रतिबन्ध नहीं है। आप बोल सकते हैं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, हमने पहले ही इस विधेयक के लिए निर्धारित समय ले लिया है। अत: मैं आप से अनुरोध करूंगा कि आप कृपया वक्ताओं से कहिये कि वे अपना भाषण संक्षिप्त रखें। उन्हें केवल मुख्य मुद्दे बताने चाहिए, लम्बा भाषण नहीं। अन्यथा अन्य सभी कार्यवाही रुक जायेगी।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : मैंने सभा के माननीय सदस्यों के भाषण को तल्लीनता-पूर्वक सुना है। महोदय, टैगोर ने गाया था—

पूरव पश्चिम आसे
तब सिंहासन पासे

उन्होंने चाहा था कि पूरब और पश्चिम भारत माता के सिंहासन के दोनों तरफ बैठे। टैगोर के बारे में कई बातें बताई गई हैं। टैगोर कभी भी स्थिरवाद में विश्वास नहीं रखते थे। वह जीवन्त प्रगतिशीलता के प्रतीक थे। टैगोर बीसवीं सदी के प्रारम्भिक भाग में जैसे थे, वर्ष 1920 में जब अंग्रेज हमारे स्वतंत्रता संघर्ष को कुचल रहे थे, वही टैगोर नहीं थे। जब जलियांवाला बाग जनसंहार हुआ, टैगोर वह टैगोर नहीं थे जो 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू में थे। ये लोग सदैव यह सिद्ध करने की कोशिश करते आये कि टैगोर भगवान 'महादेव' जैसे थे, जो सही नहीं है। टैगोर 'शांति' के लिए, क्षमा के लिए, इस प्रकार की कई अच्छी बातों के लिए थे। परन्तु टैगोर को कहना पड़ा था—

जाहारा तोमार विषाई के वायु,
निभाई के तब आलो,
तुमि कि तादेर करियाव क्षमा,
तुमि कि बेशेक मालों।

"जिन लोगों ने तुम्हारे वातावरण को दूषित किया, क्या तुम उन्हें प्यार करती हो ? क्या तुम कभी उन्हें क्षमा करती हो ?" टैगोर ने यह प्रश्न पूछा था। और आज ये सज्जन टैगोर के लिए मगरमच्छी आंसू बहा रहे हैं। टैगोर लोकतंत्रवादी थे। वह पूरी तरह से लोकतंत्रवादी थे। मैं उन सज्जनों से यह सवाल नहीं कर रहा हूं।

सभापति महोदय : आप सज्जनों के बजाए माननीय सदस्य कह सकते हैं।

श्री नारायण चौबे : हम इस बिधेयक के बारे में आपत्ति नहीं कर रहे हैं। हमने इस

[श्री नारायण चौबे]

विधेयक के कुछ सिद्धांतों पर आपत्ति की है। टैगोर लोकतंत्रवादी थे। अब छात्रों का प्रतिनिधित्व कौन करेगा। हम अपने राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, हां। हम अपने प्रधान मंत्री का चुनाव करते हैं, हां यह सच है। परन्तु छात्रों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति नहीं है। अध्यापकों को अपने प्रतिनिधियों को चुनने की अनुमति नहीं है। तब, यही आपका विधेयक है। अन्यथा, उसमें कई बातें ठीक हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (जादवपुर) : यह एक भ्रष्ट विधेयक है।

श्री नारायण चौबे : प्रो० रंगा जो बातें कह रहे थे, उसे मैंने सुना है। जब प्रो० रंगा छात्रों को विश्वविद्यालयों से बाहर निकाल रहे थे, वह सही था, क्योंकि वह स्वतंत्रता का समय था। स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करने का समय था। हम में से अनेकों ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान ऐसे कार्य किये। परन्तु जब पूंजीवाद सिंहासन पर बैठता है और जिस समय वामपंथ पूंजीवाद को नीचे धकेलना चाहता है और जब हम पूंजीवादरूपी इस दानव से लड़ने के लिए, छात्रों को आह्वान करते हैं। तब यह गलत है। मैं इससे सहमत नहीं हूं।

श्री बूटा सिंह : कलकत्ता में इसे तोड़ दिया गया है।

श्री नारायण चौबे : जब तक इसे दिल्ली में नहीं तोड़ा गया, हम लड़ते रहेंगे।

मैं प्रो० रंगा से सहमत नहीं हूं। मैंने श्री भगवान जी को भी तल्लीनतापूर्वक सुना है। वह मुझे चौबे कह सकते हैं दुबे, या जो कुछ भी। वह महान आदमी हैं। वह बहुत नाराज हैं क्योंकि श्री सत्य साधन चक्रवर्ती ने प्रधान मंत्री के बारे में कुछ पूछा है। वह एक···**···प्रधानमंत्री हैं।

सभापति महोदय : आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। कृपया इसे वापस लीजिये।

श्री नारायण चौबे : मैं इसे वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : वह सज्जन हैं। उन्होंने इसे वापस ले लिया है।

श्री नारायण चौबे : परंतु महोदय, मैं भगवान जी से और क्या आशा कर सकता हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात विधेयक तक सीमित रखिये।

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : सभापति महोदय, इनको यहां स्पष्ट कहना चाहिए। इन शब्दों का क्या सम्बन्ध है, यहां जो बात कहना चाहते हैं। स्पष्ट कहें। इन्हें हाउस में इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। ये यहां इस प्रकार से अच्छी बात नहीं करते हैं।

बात खुलकर कहें और उसका जवाब सुनने के लिए तैयार रहें।

श्री रशीद मसूद (सहारनपुर) : स्पष्ट है।

आचार्य भगवान देव : क्या स्पष्ट है। (**व्यवधान**)

श्री नारायण चौबे : मैंने यहां अपने मित्रों को केवल याद दिलाना चाहा कि जलियांवाला बाग जनसंहार के बाद, टैगोर को अंग्रेजी सरकार की ओर से जो उपाधि दी गई थी, उन्होंने उसका परित्याग किया। कांग्रेसी लोगों के सोचने के बहुत ही पहले, टैगोर ने पंजाब तक एक जत्था ले जाना चाहा। तत्कालीन कांग्रेस पार्टी ने इसे स्वीकार किया था। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेताओं ने उपाधि (नाइटहूड) लौटाने के लिए टैगोर को बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना चाहा। परन्तु कुछ दक्षिणपंथी कांग्रेसी लोगों ने इस पर आपत्ति की और प्रस्ताव पारित नहीं हो सका। इसे चुपचाप समाप्त कर दिया गया। टैगोर की अत्यधिक तारीफ करने वाले कांग्रेसियों ने टैगोर के लिए ऐसा किया था।

सभापति महोदय : कृपया, विधेयक तक ही सीमित रहें।

श्री नारायण चौबे : मैं केवल कह रहा हूं कि कांग्रेसी लोग कह रहे हैं कि यह शुरू से आखिरी तक एक आदर्श विधेयक है। और यह विधेयक सभी विश्वविद्यालयों; सभी परिसरों के लिए आदर्श विधेयक होना चाहिये ताकि वे दिल्ली से सभी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण रख पायें (**व्यवधान**)। सभी गद्दी से हटाये जायेंगे। आप भी जायेंगे। घबड़ाइये मत।

मैं आपको कहता हूं मेरी मातृभूमि भारत है ब्रिटेन नहीं है। यह फ्रांस नहीं है। यह बहु-राष्ट्रीय और बहु-भाषीय है (**व्यवधान**)। हां, यह बहु राष्ट्रीय और बहु-भाषीय है। आप लोगों को इसी बात पर आपत्ति है। यह भारत अनेक संस्कृतियों का देश है। यदि आप कहना चाहते हैं कि हममें से सभी को देश के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चरचरी अथवा धनिया पता खाना चाहिये, यह इससे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। हममें विभिन्न किस्म के लोग हैं।

"नाना भाषा, नाना मत,
नाना परिधान,
विविधेर माझे देखो
मिलन महान"

दूसरे शब्दों में, हमारे देश में विविधता में एकता है। अत: स्वाभाविक रूप से भारत माता

[श्री नारायण चौबे]

की शिक्षा प्रणाली के लिए वे जो नुस्खा दे रहे हैं, उसमें ये कमियां रह जायेंगी। अतः हम इस विधेयक का विरोध करते हैं, परंतु साथ ही, हम उनसे इस बात पर विचार करने हेतु अनुरोध करते हैं क्या इस चुनावी प्रणाली को, जिसके बारे में हमने प्रस्ताव किया था, पुनः लागू किया जा सकता है ?

मैं इन बातों के लिए उनसे फिर अपील करता हूं और मैं अब अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री गिरधारी लाल डोगरा (जम्मू) : जनाब साहेब-सदर, मैं आपका मशकूर हूं कि आपने मुझे मौका दिया। अगर हमने यूनिवर्सिटी को तालीम का भरकज बनाना है, तो हमें एक तरीका अपनाना पड़ेगा अगर हमने उसे एजीटेशन का मरकज बनाना है, तो फिर कोई दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर हम टैगोर की कायम की हुई यूनिवर्सिटी को इस तरह चलाएंगे कि स्टुडेंट्स फैसला करें कि उनके टीचर कौन होंगे, कौन-सी किताबें होंगी और एग्जामिनेशन कैसे होगा, तो वह कैसे चल सकेगी श्री चौबे यूनिवर्सिटी में डेमोक्रेसी लाना चाहते हैं, जायंट कमेटी ने जो रिपोर्ट दी है, वह उसको भी मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर यनिवर्सिटी को इल्म और विद्या का मरकज बनाना है, तो इस बारे में एजूकेसनिस्ट्स की राय पर अमल करना होगा। सब यूनिवर्सिटीज के लिए सिस्टम एक होना चाहिए और इस सिलसिले में लोकल कन्डीशन्ज और ट्रेडीशन्ज वगैरह को ध्यान में रखना चाहिए।

हमारा इरादा स्टुडैन्ट्स को बांध कर रखने का नहीं है। हम यह भी नहीं कहते कि एकतरफाना राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि स्टुडेंट्स यह तय करें कि उनके लिए किताबें कौन-सी होनी चाहिए, करीकलम क्या होना चाहिए वगैरह। जब हम यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, तो बेस्ट स्टुडेंट को कन्सल्ट किया जाता था। एक बार ला कालेज में स्टुडेंट्स ने स्ट्राइक कर दी। प्रिंसिपल ने बैस्ट स्टुडेंट को बुला कर कनसल्ट किया। जो स्टुडेंट पढ़ता है, वह जानता है कि एजूकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए। जो सिर्फ एजीटेशन करता है, उसको क्या मालूम कि इल्म को कैसे आगे बढ़ाना है। यह तो बिल्कुल उल्टी बात कही जा रही है कि एजीटेटर्ज यह फैसला करें कि यूनिवर्सिटी का निजाम क्या होना चाहिए। हमारी परम्परा रही है कि जब स्टुडेंट्स अपनी एजूकेशन पूरी कर लेते हैं, तो उन्हें लिबर्टी दी जाती है कि वे अपने ख्यालात का खुल कर इजहार करें। हमारे यहां टीचर शिक्षा देने में और स्टुडेंट्स की पर्सनेलिटी को डेवलप करने में मदद करते थे।

हमारे ये दोस्त किसानों और मजदूरों में काम नहीं करेंगे, एक्सप्लायटेशन के खिलाफ नहीं लड़ेंगे, मगर स्टुडेंट्स को उलझायेंगे।

4.00 म० प०

कोई नहीं कहता कि आप स्टुडेन्ट्स में न जाइये या उनको एजूकेट न कीजिए लेकिन यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेन्ट है और उसके लिए जो एक रास्ता अपनाया है उसमें आप स्टूडेन्ट्स से इंटरफीयर करवाना चाहते हैं—यह मुनासिब नहीं होगा। मैं एजूकेशन मिनिस्टर से दरख्वास्त करूंगा कि तमाम मुल्क में चांसलर और वाइस चांसलर के एप्वाइन्टमेन्ट और उनकी फंक्शनिंग का एक तरीका होना चाहिए और उसमें पालिटिक्स नहीं आनी चाहिए। आज तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज एजिटेशन की सेन्टर बन गई है और उसकी वजह से तमाम उसका ढांचा ही बिखर रहा है। इससे सारा देश आज सफर कर रहा है और हमारा जो पुराना सिस्टम था एजूकेशन का उसके स्टैंडर्ड में कमी आ रही है। हालांकि आप नया करीकुलम बना रहे हैं और नयी बातें रख रहे हैं लेकिन मेरी गुजारिश है कि आज दुनिया बहुत आगे बढ़ रही है इसलिए तालीम को भी बहुत आगे ले जाना होगा ताकि हमारे जो स्टूडेन्ट्स हैं वह भी तरक्की कर सकें। आज हम देखते हैं कि स्टूडेन्ट्स की तादाद तो बढ़ी है लेकिन जो एजिटेटर्स होते हैं वे जैसा चाहें वैसा ही चलाते हैं। यहां दिल्ली की दो यूनिवर्सिटीज में भी हमने देखा है कि पं० जवाहरलाल नेहरू के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बनी थी वहां पर ऐसे कुछ लोग बैठ गए हैं जो सैबटाज करते रहते हैं। और जो दूसरी यूनिवर्सिटी हैं उसमें भी कुछ दूसरी तरफ के लोग बैठे हैं जो कि चलने ही नहीं देते हैं। इसलिए मैं समझता हूं आपको कोई नया सिस्टम लागू करना होगा। आज हमारे वाइस प्रेसीडेन्ट शायद विजिटर हैं, दोनों यूनिवर्सिटीज के होंगे, लेकिन हम देखते हैं दोनों ही यूनिवर्सिटीज ठीक ढंग से नहीं चल रही हैं। इसकी वजह से सारा मुल्क सफर कर रहा है, हमारे देश के नौजवान सफर कर रहे हैं। स्टूडेन्ट्स रोते हैं, वे एम० फिल करना चाहते हैं लेकिन उनको एडमीशन नहीं

4.01 म० प०

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए।)

मिल पाता। वे इम्तहान भी पास कर लेते हैं लेकिन प्रोफेसर उनको दाखिला नहीं देते हैं। दाखिला भी अगर हो गया तो उनको पढ़ाते नहीं हैं।

ऐसी हालत में मेरी आपसे गुजारिश है कि आपको कोई नया सिस्टम इन्ट्रोड्यूस करना चाहिए और इस सिलसिले में स्टेट गवर्नमेन्ट्स से सलाह-मश्विरा करनी चाहिए ताकि यूनिवर्सिटीज की फंक्शनिंग प्रापर हो सके और उनका डेवलपमेन्ट हो सके तथा हमारा देश तरक्की कर सके। इसकी जिम्मेदारी आपके ऊपर ही है और अगर आप इस जिम्मेदारी से भागेंगे तो आने वाली नस्लें आपको माफ नहीं करेंगी। बस इतना ही मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहता था—बाकी आप जाने और आपका काम।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय सभापति जी, विश्व-भारती के बारे में जो विधेयक यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसका एक विशेष तथ्य के आधार पर मैं विरोध करना

[श्री हरिकेश बहादुर]

चाहता हूं। वैसे विधेयक का यहां पर लाया जाना बहुत अच्छी बात है, हम भी चाहते थे कि, जल्दी से जल्दी यह विधेयक यहां पर लाया जाये। लेकिन इसके अतिरिक्त दूसरे केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी हैं जैसे कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में बराबर मांग होती रही है कि यहां पर विधेयक लाया जाये लेकिन वह नहीं लाया गया है। मैं सरकार से विशेष रूप से प्रार्थना करना चाहूंगा कि बनारस विश्वविद्यालय के बारे में भी विधेयक लाया जाए क्योंकि इस समय का जो ऐक्ट है उसके अन्तर्गत वाइस चांसलर को बहुत सारे अधिकार दे दिए गए हैं और जैसा वे चाहते हैं वैसा करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि बनारस विश्वविद्यालय के लिए भी विधेयक लाया जाए। तो विधेयक यहां पर लाए जाने का हम स्वागत करते हैं लेकिन विधेयक कैसा होना चाहिए, इस सम्बन्ध में हमारा थोड़ा सा विरोध है। ऐसा नहीं दिखाई देता है कि यह लोकतांत्रिक विधेयक है। शिक्षा संस्थाओं से संबंधित जो भी विधेयक हो उसमें लोकतांत्रिक मर्यादाओं और मूल्यों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। यह बात इसमें दिखाई नहीं देती है। गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर के आदर्शों, मान्यताओं और लोकतन्त्र के प्रति उनकी निष्ठा को सभी लोग जानते हैं। इसलिए यह विधेयक उनके आदर्शों के अनुरूप, उनकी इच्छा के अनुरूप और उनकी प्रवृत्ति के अनुरूप आना चाहिए था। इस विधेयक में कोर्ट में नोमिनुशन की बात कही गई है। छात्र प्रतिनिधियों और कर्मचारियों के प्रतिनिधि के बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं। यह नोमिनेशन के आधार पर नहीं बल्कि चुनाव के आधार पर होना चाहिए। उसी प्रकार अध्यापक का प्रतिनिधित्व चुनाव के आधार पर होना चाहिए, जो कि इस विधेयक में नहीं है। इसलिए मैं विशेष रूप से सरकार से मांग करूंगा कि वह अभी भी इस विधेयक के बारे में इन सुझावों पर ध्यान दे। जहां कहीं भी नोमिनेशन की प्रक्रिया है, उसे चुनाव की प्रक्रिया के रूप में बदलने का प्रयास करे। अगर हम विश्वविद्यालयों का प्रबन्ध लोकतांत्रिक तरीके से नहीं कर सकते हैं तो हम और क्या करेंगे? विश्वविद्यालयों में यदि अयोग्य व्यक्ति बैठे हुए होंगे और इस बात का भी भरोसा नहीं होगा कि वे संस्था को लोकतांत्रिक तरीके से चला सकें, तो किस पर हम भरोसा कर सकते हैं। हमने तमाम ऐसे लोगों को अधिकार दे दिए हैं, जो अनपढ़ हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। हम शिक्षाविदों की संस्थाओं को लोकतन्त्र के माध्यम से चलाए जाने का अधिकार नहीं देना चाहते हैं, यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मेरे सुझाव पर विचार किया जाएगा, इसका मैं विशेष रूप से आग्रह करता हूं।

उपकुलपतियों के चुनाव से सम्बन्धित एक प्रश्न भी पूछा गया और सुझाव दिया गया कि सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर के चुनने की एक ही प्रणाली होनी चाहिए। यदि इस प्रकार की कोई व्यवस्था इस विधेयक में होती तो मैं उसका विरोध नहीं करता। हम चाहते हैं कि हर एक विश्वविद्यालय की कोर्ट को यह अधिकार दिया जाना चाहिए कि वह वाइस चांसलर चुन सके। भले ही इसके लिए वहां की एकेडेमिक काउन्सिल को वाइस चांसलर की योग्यता पहले से निर्धारित करनी पड़े। जैसे यदि किसी ने बीस वर्ष तक कम से कम अध्यापन का कार्य नहीं किया है, वह वाइस चांसलर नहीं हो सकता। इसी प्रकार पांच वर्ष तक जिसने प्रोफेसर के पद पर कार्य नहीं किया है, वह वाइस चांसलर नहीं हो सकता है। इसी प्रकार की योग्यतायें एकेडेमिक

काउन्सिल द्वारा पहले से निर्धारित कर दी जाए। इसके आधार पर वहां के कुलपति का चुनाव किया जाए, यह हम चाहते हैं। इस प्रकार का प्रावधान होना चाहिए।

इसी प्रकार चांसलर के चुनाव के लिए मैं सुझाव देना चाहता हूं। तमाम विश्वविद्यालयों के चांसलर इस प्रकार के चुन लिए जाते हैं, जो अच्छी तरह पढ़े-लिखे नहीं होते हैं। कम से कम चांसलर तो विश्वविद्यालयों के पढ़े-लिखे होने चाहिएं। ऐसे लोग जो कम से कम ग्रेजुएट हों उन्हीं को चांसलर चुना जाना चाहिए। जिसको चाहते हैं, उसको बना देते हैं, यह व्यवस्था अच्छी नहीं है। इसलिए इस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए जो व्यक्ति ग्रेजुएट नहीं है, वह किसी भी विश्वविद्यालय का चांसलर न चुना जाए। विश्वभारती के चांसलर और वाइस चांसलर गुरुदेव रवीन्द्र नाथ टैगोर की योग्यता और महानता को देखते हुए चना जाना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इन तमाम सुझावों पर ध्यान दे और स्थिति में सुधार करे। इसके साथ ही मैं पुन: इस बात की जोरदार मांग करना चाहता हूं कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के बारे में भी एक बिल शीघ्र ही सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

श्री चन्द्रपाल शैलानी (हाथरस) : सभापति जी, मैं इस विश्वभारती संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं। मैं माननीया विद्वान शिक्षा मन्त्री जी को भी धन्यवाद देता हूं कि वह इस महान संस्था की बिगड़ती हुई हालत को सुधारने के लिए इतना अच्छा, प्रभावी और सुन्दर बिल लेकर आई हैं। श्रीमन्, जिस संयुक्त प्रवर समिति को यह बिल सौंपा गया था, मैं भी उसका एक सदस्य था और यह मेरे लिए एक सौभाग्य की बात थी। लगभग तीन वर्षों के कठोर परिश्रम के बाद यह समिति अपनी रिपोर्ट पेश कर सकी। यह समिति दो बार शान्ति निकेतन गई, गुजरात गई तथा अन्य कई स्थानों पर गई और सभी संस्थाओं का गहन अध्ययन करने के बाद जो बिल यहां पेश किया गया उसका दोनों पक्षों के साथियों ने समर्थन किया है—यह बहुत स्वागत योग्य बात है।

श्रीमन्, जब हम इस महान संस्था के सम्बन्ध में विचार करते हैं तो अनायास ही हमें भारत के उस महान सपूत का स्मरण हो आता है जो शिक्षा, संस्कृति, कला, लेखन, संगीत आदि अनेक क्षेत्रों में बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और जिन्होंने न केवल भारत बल्कि पूरे संसार में देश का नाम रोशन किया—उस महान सपूत का नाम था—गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर। जिस कल्पना और जिस आशा को लेकर गुरुदेव ने इस संस्था की स्थापना की, मैं ऐसा सोचता हूं कि वैसे तो भारत में शिक्षा के बहुत से केन्द्र हैं, संस्थायें हैं, लेकिन गुरुदेव एक भिन्न प्रकार की संस्था की कल्पना करते थे जो इस देश की सभ्यता, संस्कृति, कला को बढ़ाने के लिए एक आदर्श केन्द्र स्थापित हो। यदि मैं यह कहूं कि उनकी मंशा थी कि वह नालंदा और तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालयों के आधार पर एक विद्यालय स्थापित करना चाहते थे तो वह गलत नहीं होगा। वे विश्वविद्यालय किसी जमाने में दुनिया के देशों को अपनी ओर आकर्षित करते थे। आपको याद होगा—भारत की सभ्यता और संस्कृति सीखने के लिए नालंदा और तक्षशिला में विद्यार्थी विदेशों से आया करते थे। गुरुदेव की भी यही कल्पना थी कि एक ऐसी संस्था स्थापित की जाय जिसमें विदेशों से लोग आकर यहां की कला, शिक्षा और कल्चर को अच्छी तरह से समझें, पढ़ें और अपने देशों में जाकर भारत का नाम रोशन करें, भारत का गुणगान करें। लेकिन पिछले दिनों उस विश्वविद्यालय में

[श्री चन्द्रपाल शैलानी]

काफी गड़बड़ हुई। खासतौर से 1971 और 1972 में जो आंदोलन हुए, तोड़फोड़ हुई, विद्यार्थी और अध्यापकों में आपस में जो झगड़े हुए वे गुरुदेव की इस संस्था को देखते हुए मैं समझता हूं बहुत अशोभनीय बात थी। दिन प्रतिदिन उसकी हालत बिगड़ती चली जा रही थी। तब सरकार ने सोचा कि उसकी दशा को सुधारने के लिए क्यों न ऐसा विधेयक लाया जाय जिससे यह संस्था अपने पूर्व गौरव को प्राप्त कर सके।

हमारी प्रवर समिति जब शान्तिनिकेतन गई तो हम वहां सभी वर्ग के लोगों से मिले। वाइस-चांसलर से मिले, उनके विचार सुने, अध्यापकों के विचार सुने, विद्यार्थियों के विचार सुने और विश्वविद्यालय के जो कर्मचारी थे उनके विचार भी सुने। उन सबके विचार सुनने के बाद उनकी भावनाओं और मंशाओं के अनुरूप कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और उसके बाद यह विधेयक पास किया गया। वहां पर लोकतंत्र नहीं था। इस बात को सुनकर तब हंसी आती है जब मार्क्सवादी लोग इस तरह की बात करते हैं जिनका लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं है। हमारी सरकार चाहती है, हमारे शिक्षा मंत्री चाहते हैं कि वहां पर लोकतन्त्र कायम रहे और उस विश्व-विद्यालय का उद्देश्य आगे बढ़े। विधेयक में इसके लिए विभिन्न प्रकार के प्रावधान किए गए हैं। तीन व्यक्तियों की समिति बनाई गई है जो इस चीज को देखेगी। किस तरह से वहां पर अनुशासन-हीनता को रोका जा सकता है। किस तरह से विद्यार्थियों और अध्यापकों के टकराव को रोका जा सकता है।

सभापति महोदय, वहां पर शांति निकेतन है जहां पर पढ़ने और पढ़ाने का काम होता है। श्री निकेतन में रूरल डेवलपमेंट और कृषि के विकास के लिए, कला के विकास के लिए व्यवस्था है। इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं उनसे वहां पर आई अस्वाभाविकता को दूर किया जा सकेगा। अगर इन प्रावधानों को सही रूप में लागू किया गया तो मेरा विश्वास है कि गुरुदेव की कल्पना साकार होगी। वहां पर एक आदर्श रहा है। शुरू में वहां पर पेड़ों के नीचे बैठकर विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुओं का आदर करते थे। वही आदर और सत्कार पुनः स्थापित होगा ऐसी मुझे आशा है। इस महान संस्था को पुनः प्राचीन काल का महत्व प्राप्त होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : सभापति महोदय, क्योंकि आप मुझे ज्यादा समय नहीं देंगे, अतः मैं विश्व भारती के बारे में कुछ मुख्य बातें बताना चाहता हूं। विश्व-भारती कोई खास जगह पर स्थित नहीं है। वहां कोई सुन्दर पहाड़ नहीं है। कोई समुद्र किनारा अथवा अवकाश स्थल नहीं है। यह सूखी जमीन थी, गरम क्षेत्र और बंजर धरती थी और जहां उसके आस पास आदिवासी और गरीब लोगों के सिवाय कोई शरीफ लोग नहीं रहते थे।

उस क्षेत्र से गुजरते समय, रवीन्द्र नाथ के पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ एक पेड़ के नीचे बैठ गए

और उस खास जगह ने उन्हें आकर्षित किया। धीरे-धीरे वर्ष 1900 में उन्होंने कुछ जमीन खरीदी और 1901 में एक छोटा स्कूल स्थापित किया और 1921 में एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना की गई। जिसे 1951 में एक राष्ट्रीय विश्व विद्यालय बनाया गया। अपना विधेयक पेश करते समय तत्कालीन शिक्षा मन्त्री, श्री अबुल कलाम आजाद ने उल्लेख किया था कि यह एक अमानत है, तोहफा है जिस पर ध्यान रखने के लिए महात्मा गांधी ने उन्हें सौंपा था। यह मसूद समिति के प्रतिवेदन के अनुसार है। नेहरू जी ने वाद-विवाद में हस्तक्षेप करते हुए कहा था कि यह दूसरे विश्वविद्यालयों की तरह बंधे बंधाए कठोर नियमों में चलने वाला दूसरा विश्वविद्यालय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कठोर बंधन के प्रति चेतावनी दी थी। परन्तु आज हम अपने समक्ष कठोरतम बन्धन से युक्त इस विधान का सामना कर रहे हैं। मसूद समिति की सिफारिशों में लक्ष्य और उद्देश्यों में इस बात का उल्लेख था कि वे इसे कानूनी रूप दे रहे हैं। अपनी समिति के प्रतिवेदन को अधिनियम का रूप दे रहे हैं परन्तु मसूद समिति ने यह सिफारिश भी की थी कि छात्र चुने जाने चाहिए, अध्यापक चुने जाने चाहिए, क्यों इसके बावजूद भी आपके पास पर्याप्त शक्तियां हैं। आप उससे भी बचे रहें। यह चर्चा भी की गई थी कि समितियों में अच्छे छात्रों को लिया जाना चाहिए। यह भी अच्छा होता कि अच्छे छात्रों को छात्रों का नेता बनाया जाए। अगर समिति में अच्छे छात्र नहीं होते, तो उसके लिए हमें छात्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए और चुनाव का अधिकार वापस लेकर हम उसे नहीं सुधार सकते। उसके लिए हमें मानना पड़ेगा कि किसी न किसी प्रकार हम अपने कर्त्तव्य को पूरा करने में विफल रहे हैं कि छात्रों के सामने कोई आदर्श नहीं है। अब हमने प्रो० वाटन के संस्मरण में पढ़ा है कि जब कुछ विवाद खड़ा हुआ, उन पर हमला करने वाले, सुभाष बोस नहीं थे। परन्तु उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ले ली और स्वयं को निष्कासित करवा लिया। यह सच है कि हमें आन्दोलनों से नहीं डरना चाहिए। आज की समस्या छात्रों द्वारा आंदोलन किए जाने की नहीं है, परन्तु समस्या आंदोलन के मार्गदर्शन की है। अपने जमाने में हमने कभी नहीं देखा है कि छात्र लोग कठिन प्रश्नपत्रों के लिए आंदोलन कर रहे हैं अथवा इसलिए आन्दोलन कर रहे हैं कि निरीक्षक नहीं होने चाहिए। इस प्रकार की कोई बात उस समय नहीं थी। मेरे मित्र श्री चौबे ने कहा है कि छात्र पूंजीवाद को हटाने के लिए लड़ रहे थे। परन्तु मुझे सन्देह है कि क्या यह सच है। छात्र उसके लिए नहीं लड़ रहे हैं। यदि छात्र पूंजीवाद की मांग, जातिवाद की मांग अथवा सांप्रदायिकता की मांग के विरुद्ध लड़ते, तो अच्छा होता। आज हम देश को किस दिशा में ले गए हैं कि पंजाब में छात्र उग्रवादी बन रहे हैं वे भगत सिंह बनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, वह भगतसिंह, जो पुराने कांग्रेसी लोगों की अपेक्षा अधिक अतिवादी थे। इस मामले में वे दो कदम पीछे रहते हैं। त्रिपुरा में क्या हुआ ? 40 वर्ष की उम्र से अधिक के सभी आदिवासी मार्क्सवादी कम्युनिस्टों के साथ हैं और 20 साल से कम उम्र वाले त्रिपुरा युवा समिति के साथ हैं।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मन्त्रालयों में उप मन्त्री (श्री पी० के० थुंगन) : मैं ऐसा नहीं समझता।

श्री ए० के० राय : आप न समझें। परन्तु यदि आप ईमानदारी से सोचें, तो आप उसी प्रकार समझेंगे। मेरा अभिप्राय यह है कि क्या योगदान रहा है ? मैं कहता हूं कि चुनाव के अधिकार को वापस लेकर आप उस प्रवृत्ति को नहीं रोक सकते।

दूसरे, मैं कहना चाहूंगा कि शांति निकेतन के अतिरिक्त श्री निकेतन बनाने का क्या प्रयोजन है। हमारी शिक्षा प्रणाली में सबसे बड़ा असन्तुलन यह है कि शारीरिक श्रम से बोध शक्ति संपन्न अभ्यास को अलग करना। उसे गांधी जी ने भी समझा था। रवीन्द्र नाथ टैगोर ने भी समझा था और सभी राष्ट्रीय नेताओं ने भी समझा था कि किसी भी कीमत पर मानसिक और शारीरिक अभ्यासों के बीच अलगाव न पैदा होने दिया जाए। यही कारण था कि रवीन्द्र नाथ टैगोर ने एक विख्यात कृषि विशेषज्ञ को श्री निकेतन में बुलाया था और वहां पर ग्रामीण प्रौद्योगिकी स्थापित की गई। यह ठीक है कि आपने चुनाव करने का अधिकार वापस ले लिया है। परन्तु क्या आप अपने संशोधित अधिनियम में टैगोर के आदर्शों को जीवन्त रख सकते हैं ? आपके लक्ष्यों और उद्देश्यों में भी कुछ प्रावधान होना चाहिए जिससे मानसिक और शारीरिक अभ्यास के संबंध और मूल भाव मिट न जाए। इन कई गवाहियों में आपने यह देखा है। मैं गवाहों की गवाहियों का अध्ययन कर रहा था। उनका कहना है कि विश्व-भारती का गलत दिशा में जाने का एक कारण यह है कि श्री निकेतन की उपेक्षा की गई। आपने ग्रामीण प्रौद्योगिकी की उपेक्षा की, आपने व्यावहारिक कार्य की उपेक्षा की, आपने समाज के साथ अपनी अखंडता की उपेक्षा की। मैं आपसे कहता हूं कि चारों ओर के गांवों में आदिवासी लोग रहते हैं, अत्याधिक गरीब लोग रहते हैं, तो आपने उस भाग की उपेक्षा की है। अतः आपको उस मुद्दे पर जोर देना चाहिए। श्री वाजपेयी यहां बैठे हैं। मैं समिति में उनके कार्य-निष्पादन के बारे में पढ़ रहा था। (**व्यवधान**) उनका कार्य निष्पादन बहुत ही अच्छा था। उन्होंने पूछा, विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों की संख्या कितनी है ? विश्वविद्यालय में 400 अध्यापक और 3000 छात्र हैं। विदेशी छात्रों की कुल संख्या 50 है। विदेशी अध्यापकों की संख्या कम है, परन्तु मूल अवधारणा ऐसी नहीं थी। परन्तु यह नाम 'विश्व-भारती' क्यों ? रवीन्द्र नाथ टैगोर ने सी० एफ० एन्ड्रयूज, डब्लू डब्लू पीयरसन, काका साहेब कालेलकर को लेकर विश्व-भारती की शुरूआत की थी, वास्तव में समूचे भारत से लोगों को एकत्र करके किया था और वह विशेषता बनी रहनी चाहिए। प्रो० रंगा ने पैनलों का सुझाव दिया, यह सब कहते हुए कि बंगाल से एक और दूसरे राज्यों से एक होना चाहिए मैं कहता हूं कि विश्व-भारती के लिए तीन जनों के पैनल में एक बंगाल से, एक बंगाल के अतिरिक्त भारत के अन्य राज्य से और एक विदेशी राष्ट्र से होना चाहिए। ये पैनल होने चाहिए और उनमें से एक कुलपति अथवा उपाचार्य चुना जाना चाहिए। तब आप सही अर्थ में विश्व-भारती के नामकरण को सार्थक बनायेंगे। वहां आरक्षण ऐसा होना चाहिए कि विश्व-भारती के 1/3 छात्र पश्चिम बंगाल से, 1/3 दूसरे राज्यों से और शेष 1/3 छात्र भारत से बाहर के होने चाहिए। अध्यापकों की संख्या भी उसी तरह होनी चाहिए। उसे लागू किया जाना चाहिए। इस प्रकार, कुछ सीमा तक आप कुछ उन उद्देश्यों को बनाये रख सकते हैं जिन्हें लेकर रवीन्द्र नाथ टैगोर ने इस संस्थान को स्थापित किया था। धन्यवाद।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) सभापति महोदय, आज यदि देश का भविष्य आंकना हो तो उसके विश्व-विद्यालयों से आंका जा सकता है। यदि संसार का भविष्य आंकना हो तो उसके आंकने का एक ही मापदण्ड है और वह विश्व भारती जैसी संस्थाओं से आंका जा सकता है। जब इस बिल पर हमारे वक्ता महोदय पहले बोल रहे थे तो उससे स्पष्ट नहीं होता था कि वे क्या संशोधन इस बिल में चाहते हैं, किस बात पर जोर देना चाहते हैं, किस तरह की डैमोक्रेसी चाहते हैं। यदि आप स्टूडेंट्स के बारे में ज्यादा जोर देकर कहना चाहते हैं तो आप इस क्लाज को क्या कहेंगे—इससे ज्यादा आप क्या चाहते हैं—निम्नलिखित की एक छात्र परिषद गठित की जायेगी :

(एक) शारीरिक खेल-कूद, राष्ट्रीय सेवा और छात्र कल्याण के निदेशक अध्यक्ष।

(दो) ऐसे सभी छात्र, जिन्होंने अध्ययन, ललित कलाओं, खेल-कूद, विस्तार कार्य में पारितोषिक प्राप्त किये हैं या दसवीं कक्षा या उसके ऊपर के स्तर पर कोई अन्य पारितोषिक प्राप्त किया है। इसमें वही विद्यार्थी लिये जायेंगे जो प्रथम श्रेणी के विद्यार्थी होंगे और उनकी सारी क्वालिटीज इसमें लिखी हुई है क्या यह चुनाव नहीं है। यह भी चुनाव का एक तरीका है।

इसलिए आप ऐसा मत कहिए कि इसको खत्म कर दीजिए।

ऐसे सभी छात्र जिन्होंने अध्ययन, ललित कलाओं, खेल-कूद, विस्तार कार्य में पुरस्कार जीता है या पारितोषिक प्राप्त किये हैं या दसवीं कक्षा या उसके ऊपर के स्तर पर कोई अन्य पारितोषिक प्राप्त किया है। क्या यह चुनाव नहीं है ? राष्ट्रपति को कौन चुनता है ? देश की सर्वोच्च संस्था के सदस्य चुनते हैं और उसमें कोई तानाशाही नहीं है। आप सैक्शन 10 देखें :

"उपधारा (3) और (4) के उपबंधों के अधीन रहते हुए परिदर्शक विजिटर को ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जो वह विनिर्दिष्ट करे, विश्व-विद्यालय का और उसके भवनों का निरीक्षण कराने का अधिकार होगा।

परिदर्शक (विजिटर) निरीक्षण या जांच कराने के अपने आशय की सूचना विश्व-विद्यालय को देगा और विश्व-विद्यालय को, ऐसी सूचना मिलने पर, सूचना मिलने की तारीख से तीस दिन के भीतर या ऐसी किसी अन्य अवधि के भीतर, जो परिदर्शक (विजिटर) अवधारित करे। परिदर्शक (विजिटर) से ऐसा अभ्यावेदन करने का अधिकार होगा।

अतः ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा, जो गैर-लोकतांत्रिक है।

राष्ट्रपति को तो सर्वोच्च संस्था के सदस्य चुनते हैं। आपने क्या किया कि गवर्नर ने वाइस-चांसलर को अपोइंट किया तो आप ऐसा बिल ला रहे हैं वेस्ट बंगाल में जिसके द्वारा चांसलर की सारी पावर्स को खत्म करना चाहते हैं। आप तो वहां चाहते हैं कि गवर्नर को कोई अधिकार न रहे। जो

[मूलचन्द डागा]

अनुभव का लाभ उठा कर आगे नहीं बढ़ता उसको क्या कहा जाय। आपने कहा स्टूडेंट्स का चुनाव होना चाहिए। क्या चुनाव ही राजनीति है। आजकल दिल्ली विश्वविद्यालय में जो चुनाव होते हैं किस प्रकार के काम वहां होते हैं? क्या जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी की बात नहीं आप जानते हैं? क्या हमने कुछ बातें सीखी नहीं? एक मनीषी और दार्शनिक ने एक बात कही थी, उसकी भावना थी और उसको अमली रूप इस बिल द्वारा दिया गया है। इसके ऑब्जेक्ट्स में जो बात कही गई है, मेरे मन में एक शंका होती है :

> "(एक) मानव मन का, विभिन्न प्रतिकूल दृष्टिकोण से सत्य के विभिन्न पहलुओं से उसकी अनुभूति का अध्ययन करने के लिए"

कितने सुन्दर औबजेक्ट्स रखे हैं। लेकिन इन उद्देश्यों को रखने के बाद मेरे मन में एक शंका होती है :—

> संसद के विधान में ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, जिसे लागू न किया जा सके।

इतने ऊंचे उद्देश्य हैं, लेकिन अगर लेजिस्लेशन में ऐसे औबजेक्ट्स रख दें जो ऐनफोर्स नहीं किये जा सकते हैं तो कैसे काम चलेगा?

उधर के माननीय सदस्य डिग्री के बारे में बात कर रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या टैगोर बी० ए०, एम० ए० थे। बाल्मीकि ने रामायण लिखी क्या वह बहुत विद्वान थे? क्या रैदास बहुत विद्वान थे?

मेरी राय में यह एक मौडल बिल है और तमाम यूनिवर्सिटीज के लिए एक नया बिल आना चाहिए जिसमें विद्यार्थियों और टीचर्स के चुनाव बन्द होने की बात हो और नए तरीके से विश्वविद्यालय शिक्षा को सेन्टर का विषय बनाना चाहिए।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : सभापति महोदय, मैं शुरू में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम इस विधेयक के उद्देश्यों का विरोध नहीं कर रहे हैं जिसका आशय विश्व भारती के अनूठेपन और विशिष्ठता को सुरक्षित रखना है। लेकिन इसकी कुछ व्याख्याओं के बारे में हमारा विरोध है।

इस विश्व भारती के बारे में पं० जवाहर लाल नेहरू ने जो कहा था बहुत संक्षेप में मैं उसका उल्लेख करना चाहता हूं। क्योंकि इससे उन लोगों के मस्तिष्क में जमा हुआ कुहरा मिट जायेगा जो इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं, प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था—

> "हमने इस विश्वविद्यालय को न केवल एक महान संस्थान के रूप में देखा है अपितु

यह एक बहुत विशिष्ठ और बेजोड़ संस्थान है, और हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि अन्य विश्वविद्यालयों की तरह यह भी अव्यवस्था में न फंस जाय, यदि मैं कहूं कि हमें इस बात की चिन्ता है कि हमारे शिक्षा विभाग को अन्य विश्वविद्यालयों की तरह इसको भी कठोर नियंत्रण में रखने की कोशिशनहीं करनी चाहिये।"

महोदय, क्या यह स्पष्ट नहीं है ? उनकी स्पष्ट इच्छा थी कि शिक्षा विभाग को ऐसी परिस्थितियां पैदा नहीं करनी चाहिए जिनके कारण इसे कठोर नियन्त्रण में रखने अथवा उसमें हस्तक्षेप करने की जरूरत पड़े। यह मैं या श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती नहीं कह रहे हैं। चर्चा में भाग लेते हुए इस देश के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधान मंत्री ने यह टिप्पणी की थी, माननीय शिक्षा मंत्री से मेरा यही प्रश्न है कि क्या उन्हें इसकी भर्त्सना करने का साहस है ? यदि उनमें इतना साहस है तो वे इसकी भर्त्सना करें और हमारा सारा विरोध समाप्त हो जायेगा।

एक माननीय सदस्य : वे पहले ही भर्त्सना कर चुके हैं।

श्री चित्त बसु : उन्हें ऐसा कहने दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : भर्त्सना क्यों करें उन्हें इससे केवल अलग होने दे।

श्री चित्त बसु : यह उस टिप्पणी का उद्देश्य की भर्त्सना के अलावा और कुछ नहीं है। मेरे माननीय दसोत श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती ने निस्संदेह कुछ खास भाषा का प्रयोग किया है उसकी तुलना में 'भर्त्सना' मेरे विचार से ज्यादा कठोर है। वे स्वयं अपनी भर्त्सना कर रहे हैं। वे अपने नेता की भर्त्सना कर रहे हैं। मूल कठिनाई यही है।

लेकिन विधेयक में एक अच्छी बात यह है कि इसमें रवीन्द्र नाथ टैगोर के आदर्श को शामिल किया गया है जो पहले नहीं किया गया था, यह एक विशेष बात है। लेकिन मैं ऐसा महसूस करता हूं और मेरे विचार से आप में से अनेक लोग इस बात पर सहमत होंगे कि कवि गुरु रवीन्द्र नाथ टैगोर के दर्शन के विभिन्न आयामों को शामिल करने हेतु लक्ष्य के लिए तैयार किया गया मसौदा पर्याप्त व्यापक नहीं है। मेरे पास बहुत कम समय है इसलिए मैं उन सभी पहलुओं पर चर्चा नहीं कर सकता हूं जिनके बारे में मुझे लक्ष्य के प्रारूप में समुचित उल्लेख नहीं मिला है। मैं केवल दो पहलुओं का उल्लेख करना चाहता हूं। वास्तव में रवीन्द्र नाथ टैगोर की राष्ट्रीय एकता की धारणा यह थी कि अनेकता में एकता हो और यह उनकी महान कविताओं में से एक में दृष्टव्य है—

हेथाप आर्य हेथाप अनार्य
हेथाप द्राविण चीन
शक हुन दल, पाठान मोंगल
एक डेहे होलो लीन।

[श्री चित्त बसु]

अनेकता में भारतीय एकता की यही धारणा है। भारत की राजनीति के वर्तमान सन्दर्भ में अनेकता में भारतीय एकता की मूल धारणा विलुप्त की जा रही है। विश्वविद्यालय के लक्ष्य के प्रारूप में उसी धारणा को समुचित स्थान नहीं मिला है।

रवीन्द्र नाथ के बारे में मैं जिस दूसरे पहलू का उल्लेख करना चाहता हूं वह यह है कि वह केवल अन्तर्राष्ट्रीयता के ही प्रवक्ता नहीं थे, उनकी अन्तर्राष्ट्रीयता राष्ट्रीयता की मजबूत भावना पर आधारित थी और उनके द्वारा स्थापित विश्व-भारती के निम्नलिखित लक्ष्यों में इसका उल्लेख है।

> 'विश्व-भारती भारत का प्रतिनिधित्व करती है जहां सभी के लिए उसके पास विचारों की सम्पत्ति है। विश्व भारती भारत के दो कर्त्तव्यों को अर्थात् दूसरों को अपनी सर्वोत्तम संस्कृति का आतिथ्य देना; और दूसरों की अच्छी बातों को ग्रहण करने का भारत के अधिकार को स्वीकार करती है।"

इसलिए भारतीय राष्ट्रीयता और अन्तर्राष्ट्रीयता के बीच का यही मेल है। दूसरे देशों में जो सर्वोत्तम है हमें उसे स्वीकार करना है और हमारे पास जो सर्वोत्तम है हमारा दायित्व उसे दूसरों को देने का है।

मेरे विचार से मूल भावना को उस अध्याय में समुचित स्थान नहीं मिला है। जहां तक कठोर नियन्त्रण स्थापित करने का प्रश्न है। मुझे यह कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य केवल शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता पर हस्तक्षेप करना है।

जब मैं देखता हूं कि प्रो० एन० जी० रंगा जैसे कांग्रेस (ई०) के सम्माननीय और अनुभवी सदस्य लोकतन्त्र की भावना की गलत ढंग से व्याख्या करने का प्रयत्न करते हैं तो यह विधेयक हमारे लिए और अधिक चिन्ता और भय का कारण बन जाता है।

प्रो० एन० जी० रंगा का कहना है कि कुछ क्षेत्रों और कुछ संस्थानों के लिए लोकतन्त्र अच्छा है परन्तु कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जहां लोकतंत्र की जरूरत नहीं है और उनमें लोकतंत्र नहीं होना चाहिए।

मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूं कि पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस बारे में क्या कहा था :

> "स्वतंत्रता अविभाज्य है। लोकतंत्र अविभाज्य है।"

यहां पर प्रो० एन० जी० रंगा कह रहे हैं कि वह लोकतंत्र का विभाजन कर सकते हैं। यही वह

पहलू है, यही वह दर्शन है जिसके कारण लोकतंत्र को प्यार करने वाले हमारे देश के सभी लोगों के दिमाग में गलत भावनायें ही पैदा हो सकती हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव से लेकर अण्डमान निकोबार के माननीय सदस्य तक ने एक मत से इसी बात की पुनरावृत्ति की है कि यह विधेयक सभी विश्वविद्यालयों के लिए आदर्श विधेयक होना चाहिए। यह बात अब सबको मालूम हो गयी है कि उनकी वास्तविक मंशा पश्चिम बंगाल विधान सभा द्वारा पारित कलकत्ता विश्वविद्यालय विधेयक को अस्वीकृत करना है और उन्हें मालूम है कि समवर्ती विषय के अन्तर्गत सदन द्वारा बनाया गया कानून राज्य के कानून से ऊपर होता है। इसलिए उन्होंने इस कानून को पारित करने के लिए यह समय चुना है। यह मेरी व्याख्या है।

सभापति महोदय : यह आपका दृष्टिकोण है।

श्री चित्त बसु : यह मेरी व्याख्या है। आपकी अपनी व्याख्या हो सकती है। सरकार का सारा ध्यान शैक्षणिक संस्थानों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करने की ओर है।

विधेयक पर इस चर्चा का लाभ उठाकर पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार पर कुछ आरोप लगाए गए हैं। आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने स्कूलों और कालेजों के रवीन्द्र नाथ टैगोर की रचनाओं को पाठ्यक्रम से हटा दिया है। यह सफेद झूठ है, झूठी अफवाह के सिवा और कुछ नहीं है। एक ऐसी सरकार की छवि को बिगाड़ना है जिसकी राजनैतिक संरचना इस सरकार से भिन्न है। वास्तव में इस सदन को यह मालूम होना चाहिए पश्चिम-बंगाल की सरकार ने रवीन्द्र नाथ टैगोर की सारी रचनाओं को बंगाली में प्रकाशित करवाया है और उनको सस्ते मूल्य पर बेचा जा रहा है।

मैं अपना वक्तव्य यह कहते हुए समाप्त करूंगा कि सभी स्तरों पर चुनाव के सिद्धांत की अवहेलना करते हुए इस सरकार ने पं० जवाहर लाल नेहरू की आकांक्षा के प्रति असम्मान प्रकट किया है, यह प्रवृत्ति अधिनायकवाद की द्योतक है और मेरे विचार से जो भी लोकतंत्र को प्यार करता है उसे इसका विरोध करना चाहिए।

अन्त में विश्व भारती विश्वविद्यालय के सभी छात्र, कर्मचारी, प्रोफेसर और शोध छात्र आज बहुत अधिक उत्तेजित हैं और इस विधेयक के विरुद्ध है। मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार का उनकी सहायता और सहयोग के बिना जिनका विश्वविद्यालय के प्रशासन में बहुत अधिक महत्व है, विश्वविद्यालय को किस प्रकार से चलाने का विचार है, क्या उसका विचार विश्व भारती परिसर में पनप रहे असंतोष को दबाने के लिए केन्द्रीय रिजर्व पुलिस अथवा उस प्रकार के किसी अन्य संगठन का गठन करने का है।

इन शब्दों के साथ, मैं विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति जी, विश्व भारती अमेंडमेंट बिल, 1984 जो यहां पर प्रस्तुत किया गया है उसका मैं स्वागत करता हूं। यहां पर हमारे सी० पी० एम० के भाइयों ने कहा है कि यह बिल जो लाया गया है वह गुरुदेव की विचार धाराओं पर आधारित नहीं है। और यूनिटी इन डाइवर्सिटी का जो प्रश्न बसु जा ने उठाया है, उसके सम्बन्ध में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इसके जो आब्जेक्ट्स हैं सेक्शन 5 में उसमें कहा गया है :

> "विश्वविद्यालय का लक्ष्य समष्टि के उदाहरण और प्रभाव से तथा शिक्षा का प्रसार और अनुसंधान सुविधाएं प्रदान करके, ज्ञान और समझदारी का प्रसार करना और उसे आगे बढ़ाना होगा।"

जो आखिरी है उसमें दिया है :

> "वंश, राष्ट्रीयता, अन्य अथवा जाति सभी प्रकार के मतभेदों से मुक्त और एक सर्वोच्च सत्ता के नाम पर जो शान्तम, शिवम, अद्वेतम है।"

तो जो भी उनकी विचारधारा थी और जो आइडियाज थे उसको इन आब्जेक्ट्स में रखा गया है। ऐसी हालत में इस प्रकार का प्रश्न उठाना मैं समझता हूं निश्चित तरीके से बुद्धिमत्तापूर्ण बात नहीं है।

दूसरी बात रेजिमेंटेशन के सम्बन्ध में कही गई है, लेकिन यह बात उस समय पैदा होती है जब सारा बोर्ड सरकारी अधिकारियों का ही बना दिया जाता लेकिन इसमें तो हर प्रकार के लोगों को, क्वालिफिकेशन, डिग्री और मेरिट के आधार पर, चाहे एग्जिक्युटिव कोंसिल हो या कोर्ट हो, उसमें उन लोगों को रखने की व्यवस्था की गई है। सभी प्रकार के लोगों को रिप्रेजेन्टेशन दिया गया है। लेकिन सी० पी० एम० के भाई तो जो रेजिमेन्टेशन करते हैं उसी के आधार पर बात कर रहे हैं। ये लोग सरकारी नौकरों का रेजिमेंटेशन नहीं करना चाहते, सी० पी० एम० के भाई तो जिस प्रकार का रेजिमेंटेशन कलकत्ता यूनिवर्सिटी में किया गया है, उसी तरह का रेजिमेंटेशन यहां पर भी चाहते हैं। वे तो चाहेंगे कि वहां पर टीचर्स भी उसी विचार धारा के होने चाहिए और स्टूडेंट्स भी उसी विचारधारा में विश्वास रखने वाले होने चाहिए। यदि इस प्रकार कर रैजीमेंटशन हमारे बसू साहब करना चाहते हैं तो दूसरी बात है। अगर आप सारे देश के लोगों को एक साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिस प्रकार की हमारी भावना है तो प्रश्न दूसरा है। तब तो निश्चित तरीके से इस प्रकार के लोगों को लिया जाना चाहिए। ताकि सभी लोग रिप्रजेट कर सकें।

अब आप यह देखें कि जहां पर अध्यापकों को वोटिंग राइट दिया है, वहां पर क्या स्थिति है। कितने उनमें ग्रुप बन गए हैं। जहां कहीं भी झगड़े होते हैं, वे उन्हीं ग्रुपबाजी की वजह से होते हैं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जो बिल सदन में लाए हैं, वह रेजीमेंटेशन को खत्म करने के लिए लाए हैं ताकि यूनिवर्सिटीज का कामकाज ठीक प्रकार चल सके। इस व्यवस्था को उल्टा

विरोधी पक्ष को समर्थन देना चाहिए, लेकिन ये इसका विरोध कर रहे हैं। आप अपने दृष्टिकोण से इसका विरोध कर रहे हैं और आपको विरोध करना भी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं हैं। सरकार को ऐसी व्यवस्था निश्चित तरीके से करनी पड़ेगी जिससे शांतिपूर्वक जो लोग पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ने के अवसर मिल सकें। पांच-सात परसेंट ही ऐसे लोग हैं जो दादागिरी करके झगड़ा फसाद पैदा करके सारी व्यवस्था को बिगाड़ना चाहते हैं। लेकिन 95 फीसदी ऐसे लोग हैं, जो पढ़ना चाहते हैं। अव्यवस्था फैलाने वाले लोग इन्हीं पोलिटिकल पार्टियों से गाइडेड होते हैं, जिनका इसके पीछे राजनीतिक स्वार्थ होता है।

एक माननीय सदस्य : बैन कर दो।

श्री गिरधारी लाल व्यास : बैन का सवाल नहीं है, सवाल यह है कि यूनिवर्सिटियों में इस प्रकार की अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, ताकि वहां की व्यवस्था ठीक प्रकार से चल सके। अभी राय साहब कह रहे थे कि इसमें एग्रीकल्चर के सम्बन्ध में व्यवस्था नहीं की गई है। उन्होंने रूरल डवेलपमेंट के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था नहीं है, इनका काम ही केवल सरकार को किसी तरह से क्रिटिसाइज करना है। आपने देखा नहीं है कि डायरेटोरेट रूरल डवेलपमेंट के सम्बन्ध में अलग से व्यवस्था है।

सभापति महोदय, आप अभी से घंटी बजा रहे हैं, लेकिन मुझे तो अभी बहुत कुछ बोलना है। आप मुझे बोलने ही नहीं देना चाहते हैं।

सभापति महोदय : बेजा बात न करें। आपके दल की सूची में आपका नाम नहीं है। फिर भी मैंने आपको मौका दिया है। मुझ पर लांछन न लगायें।

श्री गिरधारी लाल व्यास : मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : मेरे विचार से मुझे इस विधेयक का समर्थन अवश्य करना चाहिए क्योंकि···

एक माननीय सदस्य : किसलिए

प्रो० सैफुद्दीन सोज : क्योंकि हमेशा आपके इरादे सही नहीं होते हैं···(**व्यवधान**)

विश्व विद्यालय के जिन चार लक्ष्यों का इसमें उल्लेख किया गया है उनके कारण मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। ये लक्ष्य बहुत प्रशंसनीय हैं और मैं इनमें से केवल पहले लक्ष्य का ही उल्लेख करूंगा क्योंकि सभी लोगों ने इन लक्ष्यों का अध्ययन किया है। विभिन्न दृष्टिकोणों से सत्य के विभिन्न पहलुओं के बारे में मनुष्य के मस्तिष्क का अध्ययन करना है। अन्य प्रशंसनीय

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

बातें और प्रशंसनीय उद्देश्य भी हैं। शिक्षा मन्त्रालय के समक्ष मैं इन लक्ष्यों के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं और पांचवां लक्ष्य यह है कि वे सांस्कृतिक संश्लेषण चाहते हैं और विभिन्न सभ्यताओं के अध्ययन के लिए भी व्यवस्था होगी, जो एक प्रशंसनीय लक्ष्य है जो उन्होंने अपने सामने रखा है।.....

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह उन्होंने नहीं किया है। इन लक्ष्यों को स्वयं टैगोर ने पेश किया था। हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जहां तक विश्व भारती का सम्बन्ध है वह ऐसी सर्वोच्च संस्था है जहां पर आप सांस्कृतिक संश्लेषण का अध्ययन कर सकते हैं। यदि आपको भारत की संस्कृति के बारे में वास्तव में सीखना है, तो आप इसे विश्वभारती से सीख सकते हैं। मैं उस संस्थान को नमन करता हूं और उस संस्थान के संस्थापक की मधुर स्मृति को नमन करता हूं। चूंकि उन्होंने इन लक्ष्यों को प्रस्तुत किया है इसलिए मैं इन लक्ष्यों को भी नमन करता हूं और जो लक्ष्य उन्होंने रखे हैं उन्हें इसका सारा श्रेय देता हूं।

4.56 म० प्र०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोज, मैं पीठासीन हो गया हूं। आप मुझे संबोधित कर सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं आपके माध्यम से सभी को सम्बोधित कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि आप प्रो० चक्रवर्ती को सम्बोधित कर रहे थे इसलिए मुझे आपसे यह कहना पड़ा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जहां तक लक्ष्यों का सम्बन्ध है वे बहुत प्रशंसनीय हैं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : आपको सदन को बताने की जरूरत नहीं है। आपकी उपस्थिति अपने आप महसूस हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : चूंकि वह प्रो० चक्रवर्ती को सम्बोधित कर रहे थे इसलिए मुझे उन्हें बताना पड़ा कि मुझे सम्बोधित करें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : वे बहुत कुछ करना चाहते थे। जहां तक लक्ष्यों का सम्बन्ध है, उदाहरण के लिए गम्भीर अध्ययन और अनुसंधान के माध्यम से मूल एकता के आधार पर पूर्व

की विभिन्न संस्कृतियों के बीच वे और अधिक गहरे सम्बन्ध बनाना चाहते हैं। वे विचारों की एकता की बातें करते हैं; वे संस्कृति की बात करते हैं; वे विभिन्न संस्कृतियों के अध्ययन की बात करते हैं; ये बहुत प्रशंसनीय लक्ष्य हैं। मैंने विधेयक को अपना समर्थन दिया है और मैं समर्थन देने वाला भी हूं। ये सभी लक्ष्य प्रशंसनीय हैं। लेकिन मैं उन्हें कुछ याद भी दिलाना चाहता हूं। बात करना और विधेयक प्रस्तुत करना एक बात है और जो उन्होंने पेश किया है उसके बारे में बताना दूसरी बात है। महोदय, तिरुपति में इनके नेताओं ने दो हजार नवयुवकों की, भारत के नवयुवकों की, सभा को सम्बोधित किया था, वे उन्हें उग्रवादी बनाना चाहते थे। उन्होंने जम्मू और कश्मीर की स्थिति को पंजाब की स्थिति जैसी बताया। इस प्रकार ये लोगों के दिमाग में जहर भर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री जगदीश टाइटलर (दिल्ली सदर) : क्यों नहीं ? मैं स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। यह सच है कि हम कहते हैं जहां पर भी उग्रवादी हैं उनके साथ कठोरतापूर्वक निबटना चाहिए। इनके राज्य में भी कुछ उग्रवादी हो सकते हैं।

श्री सैफुद्दीन सोज : महोदय, ये लोग जनता के दिमाग में इसलिए जहर घोलना चाहते हैं क्योंकि सत्ता में हैं। ऐसी परिस्थिति में आप इन आदर्शों का पालन किस प्रकार करेंगे, मैं नहीं जानता। आप इनका पालन नहीं कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सही विषय पर चर्चा करें, श्री सोज, यह बहुत महत्वपूर्ण विधेयक है।

श्री बापू साहिब परूलेकर (रत्नगिरि) : जब दूसरे वक्त बोल रहे थे आप यहां पर नहीं थे। शायद ये उनका उत्तर दे रहे हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैंने उनसे केवल एक या दो बात कहनी हैं। मैं खण्ड पर चर्चा नहीं कर रहा। मुझे उनसे केवल इतना ही कहना है कि राष्ट्र के प्रति अपने दायित्व के प्रति उन्हें सचेत रहना चाहिए। उन्होंने प्रशंसनीय लक्ष्य सामने रखे हैं। लेकिन जहां तक व्यवहार की बात है विधेयक में जो कुछ इन्होंने रखा है ये उसके विपरीत कार्य कर रहे हैं। इनके क्या लक्ष्य हैं। क्या लोकतन्त्री संस्थानों के लिए इनके दिल में कोई सम्मान है। मैं आपको एक या दो बातें बताऊंगा। वे सच्चाई की बात करते हैं। लेकिन सच्चाई के लिए उनके पास सम्मान नहीं है। उनके मन में किसी भी बात के लिए सम्मान नहीं है फिर भी वे प्रशंसनीय लक्ष्यों की बात करते हैं इसलिए मैं सदन का ध्यान इस बारे में आकृष्ट करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री सोज, आप एक अनुभवी वक्ता हैं।

एक माननीय सदस्य : क्या वह समर्थन कर रहे हैं ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं विधेयक का समर्थन कर रहा हूं और मैं उन्हें उनके उत्तरदायित्व की भी याद दिला रहा हूं और उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि उसको ध्यान में रखें और बाद में उसके

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

अनुसार काम करें। मैं आपके सामने दो बातें रखूंगा। मेरे विचार से आपको मेरे संशोधनों को यदि आप इस बात के लिए तैयार हों तो अवश्य मानना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपने संशोधनों की सूचना दी है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिये। इस सदन में ऐसा होता है कि जब भी कोई विधेयक रखा जाता है, उसे पारित होना होता है। विपक्ष के द्वारा पेश किए गए विचारों के प्रवर्त उनके मन में कोई स्थान नहीं होता है। वे इसकी परवाह नहीं करते हैं।

श्री जगदीश टाइटलर : विपक्ष को अपने विचार रखने की हमेशा छूट मिली हुई है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० सोज बहुत विद्वान आदमी हैं जिनके विचारों पर हमेशा ध्यान दिया जायेगा।

श्री नारायण चौबे : क्या वह तिरुपति से आ रहे हैं ?

श्री जगदीश टाइटलर : इन सब बातों के बारे में आपके ऊपर नियन्त्रण रखने के लिए उन्हें किसी न किसी व्यक्ति को रखना होगा।

5.00 म० प्र०

श्री सैफुद्दीन सोज : विश्वविद्यालय का सुझाव है। अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्य समिति द्वारा संस्तुति किये गये पेनल के लोगों में से परिदर्शक द्वारा उसकी नियुक्ति की जायेगी आचार्य के लिए समुचित अर्हताएं निर्धारित होनी चाहिए। विधेयक में इस बात की व्यवस्था नहीं की गयी है बिना समुचित अर्हताओं के वह आचार्य नहीं बन सकता है। विधेयक में इसे अस्पष्ट रखा गया है। आचार्य को एक सुविज्ञ शिक्षाविद् होना चाहिए। परन्तु विधेयक में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या परिदर्शक अपनी मर्जी से और इच्छा के अनुसार आचार्य की नियुक्ति करेंगे। मैं शिक्षा मन्त्री से यह पूछना चाहता हूं कि आचार्य को नियुक्त करने का क्या फार्मूला है। किसी भी विश्वविद्यालय में आचार्य को बहुत अधिक प्रशासनिक शक्तियां मिली होती हैं। कर्म समिति के पास अपने अधिकार होते हैं। लेकिन आचार्य को सीधे अधिनियम से अधिकार मिलते हैं और वह कार्यकारी काम करता है। इसलिए विश्वभारती के आचार्य का चयन करने के लिए उनको बहुत सावधानी बरतनी चाहिए और वे इच्छा और मर्जी के अनुसार इस बात के बारे में फैसला नहीं कर सकते हैं। विधेयक में आचार्य की अर्हताओं का उल्लेख होना चाहिए जो उन्होंने नहीं किया है। उसे एक विख्यात शिक्षाविद् होना चाहिए जिसके मन में भारत की संस्कृति और कलाओं के प्रति रुचि हो। मुझे विधेयक में ऐसी किसी बात का उल्लेख नजर नहीं आ रहा है।

अब मैं नामांकन के विषय पर आता हूं। वे इस देश में कोई लोकतन्त्रात्मक संस्थान चलने देना नहीं चाहते हैं। छात्र परिषद, एक ऐसा ही संस्थान है जिसके बारे में मैं बहुत चिन्तित हूं। छात्रों की आयु सरलता से प्रभावित होने वाली आयु होती है। सारी बात इस पर निर्भर करती है कि आप उन्हें किस प्रकार प्रशिक्षित करते हैं। जिन्दगी में यदि आप उन्हें लोकतन्त्र का प्रशिक्षण देंगे तो वे लोकतांत्रिक बनेंगे। यदि आप निरंकुश ढंग से उन्हें प्रशिक्षण देंगे तो वे निरंकुश बनेंगे; यदि आप उन्हें अधिनायकता का प्रशिक्षण देंगे तो वे अधिनायक बन जायेंगे। उनका कहना है कि योग्यता के आधार पर छात्र परिषद का गठन किया जायेगा। इस सम्बन्ध में जो भी व्यवस्था की गयी है सब अस्पष्ट है। आप कहते हैं जिन छात्रों को अपने क्षेत्र में पुरस्कार मिला है। किस किस्म का पुरस्कार ? कोई भी हाई स्कूल का मुख्य अध्यापक किसी भी प्रकार का पुरस्कार दे सकता है। आप किस किस्म का पुरस्कार चाहते हैं। जिस पर विचार किया जाएगा ? सभी किस्म के पुरस्कार हैं। आप कहते हैं कि पाठ्येत्तर गतिविधियों और वक्तव्य के सर्वांगीण विकास के आधार पर चयन किया जायेगा। लेकिन इन सभी बातों का फैसला कौन करेगा ? इसलिए इसको बिल्कुल अस्पष्ट रखा गया है। विधेयक में 'पाठ्येत्तर गतिविधियां' और 'सर्वांगीण विकास' विषयों को समुचित ढंग से परिभाषित किया जाना चाहिए। माननीय मन्त्री जी से मेरा यही सुझाव है उनका व्यक्तित्व किस प्रकार सर्वांगीण हो सकता है ? ऐसा कौन सा संस्थान होगा जो इन्हें ऐसा प्रमाण पत्र देगा। माननीय मंत्री जी को इन बातों पर गौर करना चाहिये।

जहां तक छात्र परिषद का सम्बन्ध है विधेयक में व्यवस्था की गयी है कि यह नामांकन के आधार पर होगा। इस सम्बन्ध में योग्यता के आधार पर 50 प्रतिशत के नामांकन की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसा किस प्रकार किया जायेगा इसकी व्यवस्था नहीं की गयी है और 50% सदस्यों का चुनाव चयन के आधार पर होना चाहिए। वे इसे स्पष्ट करें और अस्पष्टता को दूर करें। चुनाव स्कूलों में होने चाहिएं अन्यथा लोक सभा अथवा राज्य सभा में हमें कभी भी लोकतन्त्र नहीं मिल सकता है। जब तक हमारे स्कूलों में ऐसी प्रणाली नहीं होती, तब तक देश के प्रशासन में हमें लोकतन्त्र नहीं मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सबको वहां जाना चाहिए और अभियान में सम्मिलित होना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, कभी-कभी ऐसा होता है कि आपके पास मेधावी छात्र होते हैं, उनका मस्तिष्क मेधावी हो सकता है, लेकिन हो सकता है वे किताबी कीड़े न बनें और विश्वविद्यालयों की परीक्षाओं में प्रथम श्रेणी अथवा प्रथम स्थान प्राप्त कर सकें, पंडित जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त नहीं कर सके। लेकिन वह उन 11 व्यक्तियों में से एक थे जिनका एशिया में अंग्रेजी पर जबरदस्त अधिकार था। मैंने किसी पत्रिका में 25 वर्ष पूर्व इसे पढ़ा था। मेधावी छात्रों में वह भी एक थे और भाषा पर उनका इतना जबरदस्त अधिकार था। लेकिन अपने छात्र जीवन में वह कभी प्रथम श्रेणी के छात्र नहीं रहे। इसलिए

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

वास्तविक मेधावी छात्रों का पता लगाने के लिए, प्रथम स्थान अथवा प्रथम श्रेणी के डिग्रीधारकों को मापदण्ड नहीं बनाना चाहिए, इसके अलावा अन्य गुण भी हैं और समुचित चुनाव के माध्यम से उन गुणों पर प्रकाश पड़ता है और अभिव्यक्ति मिलती है। इसलिए मैं आपसे यह अनुरोध करता हूं कि आपको विधेयक में यह व्यवस्था रखनी चाहिए कि कम से कम 50% छात्रों को नामांकन से न लिया जाकर, सीधे चुनाव से लिया जाये।

शिक्षा और संस्कृति तथा समाज कल्याण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती शीला कौल): महोदय, मैंने सदन के माननीय सदस्यों के भाषणों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है। इस चर्चा में लगभग 17 सदस्यों के भाग लेने के तथ्य से ही स्पष्ट है कि उन्होंने इस विधेयक के बारे में गहरी रुचि ली है। प्रो० चक्रवर्ती ने हमें कुछ विचार दिये हैं और उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि लोगों का विकास स्वतंत्रता में हो सकता है, रचनात्मकता और संस्कृति का विकास कर सकते हैं, और मैं उनसे इस बात में सहमत हूं इसीलिए मुख्य रूप से इसी कारण मैं इस बात पर जोर देने के लिए विधेयक में, स्वतंत्रता और रचनात्मकता की भावना को बढ़ावा देने के लिए संस्कृति के निदेशक के लिए विशेष पद, और एक अन्य निदेशक का पद शैक्षणिक अभिनव परिवर्तन की देख-रेख के लिए बनाया जा रहा है। चर्चा के दौरान मुझे ऐसा भी महसूस हुआ कि कुछ माननीय सदस्यगणों ने शायद विधेयक को समुचित रूप से नहीं पढ़ा है, यदि उन्होंने ऐसा किया होता, तो शायद उन्हें पूरा सन्तोष होता। प्रो० चक्रवर्ती ने यह भी कहा था कि उप-आचार्य को बहुत अधिक अधिकार दिये गये हैं। परिदर्शक को यह प्रभावी अधिकार है कि वह ऐसी कार्यवाहियों को रद्द कर सकते हैं जो अधिनियम के उपबन्धों के अनुरूप न हों। यह अधिकार निश्चित रूप से अपीलीय अधिकार के रूप में होता है और जब तक सांविधिक प्रावधानों के उल्लंघन के सम्बंध में कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बन जाता है, इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। उसके बाद प्रो० चक्रवर्ती ने यह सुझाव भी दिया था कि विधेयक को लौटा दिया जाना चाहिए। लेकिन जिस विधेयक पर दोनों सदनों में चार वर्ष से चर्चा और बहस हुई है उसे लौटाना उचित नहीं है। और मैं ऐसा करने को उचित नहीं समझती क्योंकि समिति में बुद्धिमान सदस्य थे, और उन्होंने अपने सुझाव दिये हैं और उन्होंने इस सदन में इस विधेयक को लाने के लिए इतना समय और श्रम लगाया है मेरे विचार से ऐसा करना व्यावहारिक नहीं होगा। प्रो० रंगा ने भी अपने अनुभवों का उल्लेख किया है। प्रो० रंगा ने इस बात का उल्लेख किया है कि गुरुदेव के समय में कोई चुनाव नहीं होते थे। उन्होंने सही कहा है कि विश्वविद्यालय के प्रशासन को उन प्रक्रियाओं से मुक्त रखा जाना चाहिए जिनके कारण झगड़े बढ़ते हैं। उन्होंने ठीक ही यह अनुरोध किया है कि विश्वविद्यालयों को संकीर्ण क्षेत्रीयता, जातीयता से मुक्त रखा जाये। और उनका यह सुझाव भी बहुत सामयिक है कि आचार्यों की नियुक्ति क्षेत्र अथवा राज्य से बाहर से की जानी चाहिए। प्रो० रंगा ने यह भी कहा है कि अनेक शिक्षाविदों ने यह महसूस किया है कि विश्वविद्यालयों में चुनाव सिद्धांत के कारण झगड़ों को प्रोत्साहन मिलता है और विश्वविद्यालयों में झगड़े होने में इसका बहुत भारी योगदान है। इसलिए यह बात बिल्कुल सही है कि विश्वविद्यालयों को चुनाव के स्थान पर

अनुसंधान, प्रशिक्षण और शैक्षणिक सुधारों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। संयुक्त समिति ने इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चुनाव के सिद्धांत को हटा दिया है और इसी कारण से हमने संयुक्त समिति की सिफारिशों को मान लिया है।

श्री भगवान देव ने भी कुछ सुझाव दिये थे जिनकी हमने सराहना की थी और उन्होंने भी हमारे विधेयक का समर्थन किया था।

प्रो० अजित कुमार मेहता ने पूछा है कि क्या संयुक्त समिति ने प्रकृति से मानव के समन्वय के गुरुदेव के विचार के सम्बन्ध में सोचा था और क्या समन्वय को बढ़ावा देने के लिए विधेयक में कोई व्यवस्था की गयी है। अब मैं माननीय सदस्य का ध्यान विधेयक के पृष्ठ 46 की ओर दिलाती हूं जिसमें एक सलाहकार परिषद् की व्यवस्था की गयी है और इसमें इस सम्बन्ध में सुझाव देने का विशेष उत्तरदायित्व सौंपा गया है अर्थात विश्व भारती में इस प्रकार के वातावरण और पर्यावरण का निर्माण करना ताकि यह छात्रों और अध्यापकों को सत्य के मूल्यों, अच्छाई, सौंदर्य और प्रकृति के साथ समन्वय को देखने के लिए स्वाभाविक प्रोत्साहन मिल सके।

तत्पश्चात् प्रो० मेहता ने यह भी कहा है कि विश्वविद्यालय में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान और अध्ययन करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है। यदि उन्होंने विधेयक को पढ़ा होगा, तो वह ऐसा नहीं कहते। वह देखते कि विज्ञान के अध्ययन के लिए शान्तिनिकेतन में शिक्षा भवन जैसा भवन है। वहां पर पाली शिक्षा भवन है, कृषि भवन है और ग्रामीण पाली संगठन विभाग है और ग्रामीण पुनर्निर्माण के लिए विभाग है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि रवीन्द्र नाथ टेगौर ने 'विश्व परिचय' नामक एक किताब लिखी थी जिसमें विज्ञान के अध्ययन के लिए आधार की व्यवस्था दी गयी है।

श्री राम किंकर ने भी इस विधेयक का समर्थन किया था। उन्होंने कहा कि हमें उनकी पेन्टिंग्स पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए था। मैं उनको बताना चाहती हूं कि उनकी पेन्टिंग्स की नुमाइशें न केवल हिन्दुस्तान में ही आयोजित की गई हैं, बल्कि कई बाहर के यूरोपियन मुल्कों में भी गुरुदेव की पेन्टिंग्स की नुमाइशें हुई हैं और हो रही हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वहां होस्टल का इंतजाम हो तो बेहतर होगा। हमने इस काम के लिए 50.20 लाख रुपये का प्रबन्ध किया है ताकि विश्व-भारती में होस्टल का निर्माण किया जा सके। इसके अतिरिक्त विश्व-भारती को लगभग 1·67 करोड़ रुपया इसी ख्याल से दिया गया है ताकि उसकी तरक्की हो सके। यहां पर राय साहब ने कहा कि गुरुदेव श्रीनिकेतन को बहुत ज्यादा अहमियत देते थे, हमने उसको बिल्कुल नैग्लैक्ट कर दिया है। लेकिन उनकी यह बात तथ्यों पर आधारित नहीं है, सही नहीं है। क्योंकि जो—श्री निकेतन के विकास और श्री निकेतन का शांति निकेतन के साथ एकीकरण करने के लिए प्रौद्योगिकी परिवर्तन और ग्रामीण पुनर्निर्माण विभाग मे डायरेक्टर आफ स्टडीज का पद ठीक ही बनाया गया है। और बहुत सारे मेम्बर्स ने जिक्र किया है, मैं सब की आभारी हूं जिन्होंने

[श्रीमती शीला कौल]

अपनी राय दी है और सब ने यही कहा कि यह बिल अच्छा है, जैसा कि दूसरे सदन में भी इसको पसन्द किया गया था। हमें अफसोस है कि इसके आने में देरी हो गई, उसकी वजह आपको भी पता है क्योंकि यह पहले का बिल था, बीच में तबदीली हो गई थी। फिर जब यह सरकार आ गई तो हम इस बिल को लाये हैं और यह मैं बताना चाहती हूं कि :

> संयुक्त समिति ने सिफारिश की है कि विश्वविद्यालय के निर्णय लेने वाले निकायों में प्रतिनिधित्व हेतु चुनाव की प्रणाली के स्थान पर वरिष्ठता के अनुसार प्रतिनिधियों को बारी-बारी से चुनने की व्यवस्था होनी चाहिए। अब चूंकि जोइंट कमेटी ने यह बात कही है हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। समिति ने यह टिप्पणी काफी विचार-विमर्श करने के बाद की है। समिति के अनुसार किसी विश्वविद्यालय की अवधारणा को अध्ययन, अनुसंधान और चिंतन-मनन के केन्द्र के रूप में, जिसमें शिक्षक और छात्र सहभागी हों, सामूहिक तथा सद्भावभूर्ण जीवन को बढ़ावा देना चाहिए। चुनाव करने की प्रणाली में आम तौर पर झगड़े होते हैं जो शांतिपूर्ण शैक्षणिक वातावरण के लिए सहायक नहीं है। इसलिए संयुक्त समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि चुनाव की प्रणाली बदली जानी चाहिए। उचित यही है कि उनकी सिफारिश को परीक्षण के रूप में माना जाना चाहिए।

चूंकि अधिनियम में तंत्रों की स्थापना पर भी महत्व दिया गया है, जो विश्वविद्यालय समुदाय के सभी वर्गों को अपने-अपने क्षेत्रों में अपने विचार व्यक्त करने के सुअवसर प्रदान करते हैं। ऐसा कोई भय अथवा आशंका करना कि विश्वविद्यालयों के विभिन्न वर्गों के लोगों के पास विश्वविद्यालय के कार्यकलापों में भाग लेने का अवसर नहीं होगा, अनुचित है।

मैंने संविधान में शिक्षा के बारे में सहमति के उपबंध के क्रियान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही की आवश्यकता के बारे में अनेक सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिन्ता को महसूस किया है। सदस्यों ने यह भी बताया है कि विश्वविद्यालय स्थापना के परम्परागत संघटकों के मामले में पद्धतियों की व्यापक विविधता है। कुछ सदस्यों ने विभिन्न अधिकारियों जैसे कुलाधिपति (चांसलर), वाइस-चांसलर और प्रो-वाइस-चांसलर की नियुक्ति, शक्तियों और कृत्यों के बारे में प्रक्रियाओं में अन्तर होने का उल्लेख किया है, कुछ सदस्यों ने विभिन्न सांविधिक निकायों जैसे सिंडिकेट, सीनेट आदि के गठन, शक्तियां और कृत्यों के मामले में मौजूदा अव्यवस्थित दशाओं का उल्लेख किया है। उन राज्य सरकारों द्वारा की जा रही कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी चिन्ता व्यक्त की गई है जिन्होंने विश्वविद्यालय के मानदण्डों और परम्पराओं को महत्वहीन समझा है, जैसे कि हम जानते हैं।

मैं सदस्यों से पूरी तरह सहमत हूं कि यह बिल्कुल अवांछित कार्य है और इस सम्बन्ध में तत्काल कुछ किए जाने की आवश्यकता है। जहां तक सहमति का सम्बन्ध है, मैं यह बताना चाहूंगी

कि कांग्रेस सरकार ने जनवरी, 1977 से शिक्षा को समवर्ती विषय बनाया था। मैं इस बात को दोहराना चाहती हूं कि शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में, जिससे हम एकदम सम्बन्धित हैं, सहमति के संवैधानिक उपबन्ध का हमें पूरी तरह से क्रियान्वयन करना है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करना चाहती हूं कि उनकी मांगों के जवाब में हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशेष रूप से शासन के मामले में एक व्यापक विधेयक लायेंगे। जब विधेयक का ब्यौरा और उसकी मुख्य बातों का प्रारूप तैयार किया जाएगा, तो जहां तक मैं देखती हूं यह विधेयक 1971 में विश्वविद्यालयों के शासन सम्बन्धी गजेन्द्रगडकर समिति द्वारा की गई सिफारिशों और परवर्ती परिणामों का जायजा लेगा। इस विधेयक का एक लक्ष्य यह होगा कि विश्वविद्यालय के कतिपय मुख्य अधिकारियों अर्थात् चांसलर, वाइस-चांसलर तथा प्रो-वाइस-चांसलर आदि की नियुक्ति, शक्तियों और कृत्यों के मामले में एकरूपता लाई जाएगी जैसे कि माननीय सदस्यों द्वारा सुझाया गया था।

क्योंकि विश्वविद्यालयों में युगों पुराना ढांचा इतना जा रहा है कि उच्च शिक्षा के स्वरूप में कोई उचित परिवर्तन और सुधार करना आसान नहीं है। शारीरिक शिक्षा और खेल, संस्कृति, राष्ट्रीय सेवा, विस्तारण गतिविधियों आदि को संस्थापित करने हेतु पाठ्यचर्या सुधार करना व छात्रों की मौलिकता और समन्वित व्यक्तित्व के विकास के लिए उच्च शिक्षा को सफल बनाना अनिवार्य है। विश्वविद्यालयों में ये सुधार लाने के लिए विश्वविद्यालय के अन्तर्गत समुचित तंत्र बनाना जरूरी होगा।

यह सभी लोगों के परम हित की बात है। मैं सरकार के इस इरादे के प्रति उत्सुकता को दोहराऊंगी कि सरकार विश्वविद्यालयों के शासन ढांचे में और संगठन पद्धति में वांछित एकरूपता लाने की बात को ध्यान में रखकर एक व्यापक विधेयक ला रही है जिसके माध्यम से उच्चतम शैक्षणिक हितों की रक्षा की जा सकती है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विश्वभारती अधिनियम, 1951 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेगी।

खण्ड 2 से 8

उपाध्यक्ष महोदय : खण्ड 2 से 8 के लिए कोई संशोधन नहीं है। मैं उन्हें एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"खण्ड 2 से 8 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 8 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खण्ड 9

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 27 से 28 **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये ।**

"(14) (1) संसद कोर्ट, कर्म-समिति (एक्जिक्यूटिव काउंसिल) द्वारा इसी प्रकार निर्वाचित किये जाने वाले तीन व्यक्तियों की तालिका में से एक व्यक्ति को, साधारण बहुमत के आधार पर, उपाचार्य (वाइस-चांसलर) के पद के लिए निर्वाचित करेंगी और उपाचार्य (वाइस-चांसलर) की नियुक्ति परिदर्शक (विजिटर) द्वारा की जायेगी ।" (1)

मैं चाहता हूं कि वाइस-चांसलर की नियुक्ति और चयन न्यायालय द्वारा किया जाये, जो कि विश्वविद्यालय का सर्वोच्च निकाय है और वहां उस तरह की प्रक्रिया न अपनाई जाये जिसमें यह लिखित है कि एक समिति का नामांकन किया जाएगा तथा वह तीन व्यक्तियों की एक तालिका बनायेगी और उसे परिदर्शक को भेजा जाएगा तथा वह उन 3 व्यक्तियों में से होगा । यह अनावश्यक और गैर-प्रजातन्त्रीय है । तालिका, जो कि कर्म समिति, न्यायालय के सचिवालय द्वारा बनायी जाएगी, में से एक व्यक्ति का चयन करने की शक्ति न्यायालय के पास होनी चाहिए । यह तालिका अन्तिम होगी । इसे किसी दूसरे व्यक्ति के पास भेजने का कोई प्रश्न नहीं होता । उनके पास पूर्ण स्वायत्तता होनी चाहिए । मैं इसे इस आधार पर कह रहा हूं, जो कलकत्ता विश्वविद्यालय में हुआ है । सीनेट ने समानुपातिक प्रतिनिधित्व के माध्यम से तीन व्यक्तियों की तालिका का निर्वाचन किया और उसे भेजा । कानून में यह लिखा था कि राज्य के शिक्षा मन्त्री के साथ परामर्श करके कुलाधिपति अर्थात राज्यपाल उसकी नियुक्ति करेगा । राज्यपाल ने क्या किया कि अपनी अनुचित स्वविवेक शक्ति का प्रयोग किया और उन्होंने पश्चिम बंगाल सरकार की सलाह नहीं मानी, जिसे मानने के लिए वह बाध्य हैं । राज्यपाल ने सीनेट के सदस्यों के बहुमत का सुझाव नहीं माना । कुलाधिपति को किसने लिखा । उन्होंने प्रत्येक बात का उल्लंघन किया और अपनी पसन्द का अपना ही व्यक्ति नियुक्त कर दिया । यह पूर्णतः अनादरपूर्ण है और यह किसी से प्रेरित है ।

इसके परिणामस्वरूप उस कानून में एक और संशोधन किया गया कि इस सम्बन्ध में

सीनेट ही अन्तिम रूप से निर्णय लेगा और इस मामले में मन्त्री अथवा कुलाधिपति के आने का सवाल नहीं होता। सीनेट अन्तिम रूप से एक व्यक्ति का चयन करेगा।

श्रीमती शीला कौल : मैं समझती हूं इस विधेयक का प्रस्ताव करने वाले का मुख्य उद्देश्य यह है कि न्यायालय और कार्यकारी परिषद को 'वाइस-चांसलर' के चयन के साथ सहयोजित किया जाए। लेकिन इस बात पर विधेयक के उपबन्धों द्वारा पहले ही ध्यान दिया गया है। किन्तु मुख्य अन्तर यह है कि प्रस्ताव करने वाला परिदर्शक की इच्छा के बिना निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ करना चाहता है जबकि हमारे प्रस्ताव में चयन समिति की प्रक्रिया को महत्व दिया गया है। हम महसूस करते हैं कि निर्वाचन की प्रक्रिया में अनुचित तर्क होगा। चयन समिति मामले में शांति और निष्पक्ष ढंग से विचार करेगी। उसमें उस समय पुनः कांट छांट होगी जब परिदर्शन के पास उत्तम व्यक्ति का चयन करने का अवसर होगा। इससे अधिक, हमारे द्वारा सुझायी गई प्रक्रिया कमोवेश उस प्रक्रिया से मेल खाती है, जो अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में वाइस-चांसलर के चयन के लिए अपनाई जाती है। विधेयक में दी गई प्रक्रिया विवेकपूर्ण जान पड़ती है और उसकी कई खूबियां हैं। मैं संशोधन का विरोध करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा खण्ड 9 में प्रस्तावित संशोधन संख्या 1 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 और 10 से 26

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई संशोधन नहीं हैं। मैं उन्हें एक साथ सभा के मतदान के लिए रखता हूं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 से 26 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 से 26 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : अब खण्ड 27। श्री सैफुद्दीन चौधरी।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

खण्ड 27

पृष्ठ 31 और 32 :—

क्रमशः पंक्ति 33 से 38 और 1 से 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये—

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

"अध्यापकों के प्रतिनिधि"

(xii) साधारण बहुमत प्रणाली के अनुसार निर्वाचन द्वारा सभी संस्थाओं के अध्यापकों में से एक अध्यापक;

अध्यापकों से भिन्न कर्मचारियों के प्रतिनिधि

(xiii) अध्यापकों से भिन्न कर्मचारियों के पांच प्रतिनिधि निर्वाचित किये जायेंगे :—

छात्रों के प्रतिनिधि

(xiv) विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा दो छात्र निर्वाचित किये जायेंगे।" (2)

पृष्ठ 34,—

पंक्ति 22 से 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"(vi) पालि-संगठन विभाग, पालि शिक्षा सदन, कला भवन, संगीत भवन, विद्या भवन और शिक्षा भवन के अध्यक्षों में से तीन अध्यापक निर्वाचित किए जायेंगे;

(vii) विश्वविद्यालय के तीन अध्यापक, जो अध्यापकों द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे;

(viii) अध्यापकों से भिन्न तीन कर्मचारी, जो कर्मचारियों द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे;

(ix) तीन छात्र, जो छात्रों द्वारा निर्वाचित किये जायेंगे;" (3)

पृष्ठ 37,—

पंक्ति 9 से 24 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(x) विश्वविद्यालय के सात अध्यापक, जो अध्यापकों में से निर्वाचित किए जायेंगे;

(xi) पांच छात्र, जो छात्रों द्वारा निर्वाचित किए जायेंगे ; (4)

पृष्ठ 39,—

पंक्ति 8 से 12 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए।

"(ii) एक अध्यक्ष, जो कर्म-समिति (एक्जिक्यूटिव काउंसिल) के अध्यक्ष सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जायेगा;

(iii) दो व्यक्ति, जो कर्म-समिति (एक्जिक्यूटिव काउंसिल), द्वारा अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे और जिनमें से एक विश्वविद्यालय कर्मचारी होगा।" (5)

पृष्ठ 50,—

पंक्ति 20 से 44 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(1) छात्र परिषद् विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा साधारण बहुमत पद्धति के अनुसार निर्वाचन द्वारा गठित की जायेगी।

(2) छात्र परिषद् के कृत्य होंगे छात्रों में भ्रातृ भाव तथा संगठन एवं समाज सेवा की भावना को बढ़ावा देना और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके देश के अच्छे नागरिक बनाना तथा छात्र परिषद् छात्रों की शिकायतों को दूर कराने के लिए प्रयास करेगी और विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करेगी और सांस्कृतिक तथा खेल-कूद की गतिविधियों का नियमित रूप से आयोजन भी करेगी।" (6)

अब, इस विधेयक में, कारण और उद्देश्य के विवरण में अनेक अच्छी बातों का उल्लेख किया गया है जिसके कारण अनेक सदस्यों ने इस विधेयक का समर्थन किया है। उस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। जिन लोगों ने विधेयक का समर्थन किया है यदि उन्हें लिखने का मौका दिया जाता तो वे भी अच्छे सुझाव दे सकते हैं। यह मंत्रालय की खोज नहीं है। हमारी चिन्ता का कारण वह रूपात्मकता है जो टैगोर के आदर्शों को क्षत-विक्षत कर रही है। संसद के संविधान में चुनाव की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। ऐसा चुनाव द्वारा किया जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति को नाम-निर्देशित किया जायेगा। अध्यापकों को नाम-निर्देशित किया जाएगा; गैर-शिक्षण कर्मचारियों को नाम-निर्देशित किया जायेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि कांग्रेस (इ०) दल के अधिकारियों का नाम-निर्देशन किया जाये। परन्तु विद्वानों और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों का नाम-निर्देशन नहीं किया जा सकता है। हम उनकी शक्ति में विश्वास रखते हैं। हम यह नहीं समझते हैं कि योग्यता अथवा वरिष्ठता का लोकतन्त्र द्वारा विरोध किया जाता है। दूसरी ओर लोकतन्त्र इन सब तथा अन्य गुणों को मूर्त रूप देता है। जहां लोकतन्त्र है वहां योग्यता को दबाया नहीं जा सकता है। यहां पर कुछ ऐसा कहा गया है कि लोकतांत्रिक कार्यचालन से योग्यता की वृद्धि को क्षति पहुंच रही है। यह बिल्कुल झूठ है। हमारा अपना अनुभव है। इन दिनों जब कांग्रेस (इ०) सत्ता में थी और आतंक तथा निरंकुशता का शासन था, तब पश्चिम बंगाल में हमने क्या देखा था ? हमने देखा कि वहां किसी प्रकार का लोकतन्त्र नहीं था। किसी भी छात्र संघ का चुनाव नहीं हुआ था। उन दिनों योग्यता कहां थी ? योग्यता कांग्रेस (इ०) के नेताओं और गुण्डों की जेब में थी। वे इसे बेचते थे। प्रश्न पत्र समय से पूर्व खुल गए थे। सामूहिक रूप से नकल

[प्रो० सैफुद्दीन सोज]

चली थी। यह सब तब ठीक हुआ जब छात्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों को अपने लोकतांत्रिक अधिकार वापस मिले, जिसके लिए हम सभी ने अपने अधिकारों के साथ इसके लिए संघर्ष किया था।

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : बिल्कुल वैसा जैसा अब पश्चिम बंगाल में हो रहा है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या ? दिल्ली विश्वविद्यालय में आप क्या देखते हैं ? केन्द्रीय बोर्ड की परीक्षा में क्या हो रहा है ?

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यह क्या हो रहा है ? मैं एक बंगाली कहावत बताता हूं :

"चिरादीन अंधकारे बसोती जाहार आलोक ताहार पक्ष्या लाजार कारोन" जिसका अंग्रेजी में अनुवाद करने पर यह अर्थ निकलता है, "एक व्यक्ति जो निरन्तर अंधकार में रहता है, प्रकाश से लजाता है।"

(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव : मैं भी एक बंगाली कहावत बता सकता हूं :

"लोके जारा बोड़ो बाले सेई बोड़ो हाय आपनारे बोड़ो बाले सेई बोड़ा नाय" अर्थात् "लोगों द्वारा बड़ा कहे जाने पर लोग अपने को बड़ा समझने लगते हैं। अपने कहने से कोई बड़ा नहीं बनता है।"

श्री वसन्त साठे : यह अंधकार को प्रकाश का उत्तर है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : हम वरिष्ठता और योग्यता की हिमायत कर रहे हैं और लोकतन्त्र की यही मांग है। वरिष्ठता ही एकमात्र मापदण्ड नहीं हो सकता है। एक वरिष्ठ व्यक्ति को अशक्त बनाया जा सकता है, दूसरा अनिच्छुक हो सकता है, इसका हल क्या है ? यह मामल सिद्धान्त का है अर्थात् एक अध्यापक को सरकार द्वारा नाम-निर्देशित किया जाता है। मैं इस बात पर बहुत नाखुश हूं कि संयुक्त समिति ने इस पर विचार नहीं किया। यह बहुत गम्भीर मामला है। अब नाम-निर्देशन को समाप्त किया जाना चाहिए।

जब तक छात्र संघ के पदों के लिए चुनाव नहीं होते हैं तब तक छात्रों का व्यवहार और बिगड़ेगा जिससे सामूहिक नकल और लोकतन्त्र के बिना अन्य सभी प्रकार के भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद और षड़यन्त्र फैलेंगे जिन्हें रोका नहीं जा सकेगा। अब मुद्दा यह है कि छात्रों का

संगठित, जागरूक, कर्त्तव्यपरायण और सभ्य बनाने के लिए हम मांग करते हैं कि उन्हें चुनाव का अधिकार दिया जाए और आप उसे वापस नहीं ले सकते हैं ।

श्रीमती शीला कौल : जहां तक अध्यापकों का सम्बन्ध है, यह विश्वभारती के सभी संस्थानों का प्रतिनिधित्व नहीं करता है । गैर-शिक्षण कर्मचारियों के सम्बन्ध में हमारी प्रक्रिया गैर-शिक्षण कर्मचारियों के बीच पदानुक्रम का कोई भेदभाव पैदा नहीं करती है । हमने जो प्रक्रिया बनाई है । वह अधिक समतावादी है और प्रस्तावक की प्रक्रिया इसकी विरोधी है । हमने प्रस्ताव किया है कि शिक्षा समिति द्वारा छात्रों में से दो छात्रों का नाम-निर्देशन किया जाये, जिन्होंने स्वयं को अध्ययन और अन्य पाठ्येत्तर गतिविधियों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योग्य सिद्ध किया हो । प्रस्तावक का प्रस्ताव अर्थात् आम चुनाव इस महत्वपूर्ण पक्ष की उपेक्षा करता है । अतः मैं इस संशोधन का विरोध करती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 2 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

प्रश्न यह है कि

पृष्ठ 31 और 32 :—

क्रमशः पंक्ति 33 से 38 और 1 से 13 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"अध्यापकों के प्रतिनिधि"

(xii) साधारण बहुमत प्रणाली के अनुसार निर्वाचन द्वारा सभी संस्थाओं के अध्यापकों में एक अध्यापक;

अध्यापकों से भिन्न कर्मचारियों के प्रतिनिधि

(xiii) अध्यापकों से भिन्न-कर्मचारियों के पांच प्रतिनिधि निर्वाचित किए जायेंगे :—

छात्रों के प्रतिनिधि

(xiv) विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा दो छात्र निर्वाचित किए जायेंगे ।" (2)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 31

विपक्ष में : 75

संशोधन संख्या 2 अस्वीकृत हुआ ।

* निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत विभाजन में भाग लिया :—

पक्ष में : श्री हन्नान मोल्लाह ।

विपक्ष में : सर्वश्री मधुसूदन वैराले और विष्णु प्रसाद ।

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 2

आचार्य, श्री बसुदेव

बर्मन, श्री पलाश

भट्टाचार्य, श्री सुशील

चक्रवर्ती, श्री सत्यसाधन

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

गिरि, श्री सुधीर

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

इम्बीचीबावा, श्री ई० के०

झा, श्री भोगेन्द्र

खां, श्री गुलाम मोहम्मद

कोडियन, श्री पी० के०

महाटा, श्री चित्त

मैत्रा, श्री सुनील

मंडल, श्री धनिकलाल

मण्डल, श्री सनत कुमार

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मिर्धा, श्री नाथूराम

मुखर्जी, श्री समर

पाल, प्रो० रूपचन्द

पाठक, श्री आनन्द

राय, श्री एम० रामन्ना

राय, श्री ए० के०

राय, डा० सरदीश

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार
साहा, श्री गदाधर
सेन, श्री सुबोध
शमन्ना, श्री टी० आर०
जायनल अवेदिन, श्री

विपक्ष में

मत-विभाजन सं० : 2

अंसारी, श्री जियाउर्रहमान
बागुन सुम्बरुई, श्री
बन्सी लाल, श्री
भगवान देव, आचार्य
भोले, श्री आर० आर०
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
बीरबल, श्री
बूटा सिंह, श्री
चौधरी, श्री मनफूल सिंह
चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश
चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान
दाभी, श्री अजीत सिंह
डागा, श्री मूलचन्द
डेनिस, श्री एन०
देव, श्री संतोष मोहन
डोगरा, श्री गिरधारी लाल
घोरपाड़े, श्री आर० वाई०
गोंमांगो, श्री गिरिधर
जैन, श्री भीकू राम
जेना, श्री चिन्तामणि
कौल, श्रीमती शीला

कौशल, श्री जगन्नाथ

केन, श्री लाला राम

खां, श्री आरिफ मोहम्मद

किदवई, श्रीमती मोहसिना

कुचन, श्री गंगाधर एस०

लकप्पा, श्री के०

महाजन, श्री वाई० एस०

मालन्ना, श्री के०

मलिक, श्री लक्ष्मण

मल्लिकार्जुन, श्री

मिश्र, श्री रामनगीना

मिश्र, श्री नित्यानन्द

महन्ती, श्री बृजमोहन

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

नायर, श्री बी० के०

नामग्याल, श्री पी०

पटेल, श्री शान्तुभाई

पाटिल, श्री ए० टी०

पाटिल, श्री चन्द्रभान आठरे

पट्टाभिरामाराव, श्री एस० बी० पी०

फूलवारिया, श्री चिरदा राम

पुजारी, श्री जनार्दन

प्रसन्न कुमार, श्री एस० एन०

राणे, श्रीमती संयोगिता

रंगा, प्रो० एन० जी०

राव, श्री एम० नागेश्वर

राव, श्री एम० सत्यनारायण

राव, श्री पी० वी० नरसिंह

राठौर, श्री उत्तम

रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर

रौत, श्री जय नारायण

साठे, श्री वसन्त

सावन्त, श्री टी० एम०

सेबस्तियन, श्री एस० ए० दोराई

सेठी, श्री अर्जुन

सेठी, श्री पी० सी०

शैलानी, श्री चन्द्रपाल

शर्मा, श्री काली चरण

शर्मा, श्री नवल किशोर

शिव शंकर, श्री पी०

सिदनाल, श्री एस० बी०

सोरन, श्री हरिहर

सूर्यवन्शी, श्री नरसिंह

थोरट, श्री भाऊसाहिब

थुंगोन, श्री पी० के०

टाईटलर, श्री जगदीश

वर्मा, श्री जय राम

वेंकटरामन, श्री आर०

वर्मा, श्री दीन बन्धु

विजयराघवन, श्री वी० एस०

व्यास, श्री गिरधारी लाल

वांसनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्रन

यादव, श्री आर० एन०

यादव, श्री राम सिंह

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं खण्ड 27 पर संशोधन संख्या 3, 4 और 5 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 3, 4 और 5 सभा में मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 6 को सभा के समक्ष मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है कि :

"पृष्ठ 50,— 27

पंक्ति 20 से 44 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—"

"(1) छात्र परिषद् विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा साधारण बहुमत पद्धति के अनुसार निर्वाचन द्वारा गठित की जायेगी।

(2) छात्र परिषद् के कृत्य होंगे छात्रों में भ्रातृ भाव तथा संगठन एवं समाज सेवा की भावना को बढ़ावा देना और उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का प्रयोग करके देश के अच्छे नागरिक बनाना तथा छात्र परिषद् छात्रों की शिकायतों को दूर कराने के लिए प्रयास करेगी और विश्वविद्यालय के अध्यापकों तथा कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध स्थापित करेगी और सांस्कृतिक तथा खेल-कूद की गतिविधियों का नियमित रूप से आयोजन भी करेगी।" (6)

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्याधीन, मत-विभाजन का परिणाम* इस प्रकार है :

पक्ष में : 30

विपक्ष में : 77

संशोधन संख्या 6 अस्वीकृत हुआ।

पक्ष में : डा० सरदीश राय।

विपक्ष में : प्रो० एन० जी० रंगा।

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी मत-विभाजन में भाग लिया :

पक्ष में : डा० सरदीश राय,

विपक्ष में : प्रो० एन० जी० रंगा

पक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 3

आचार्य, श्री बसुदेव

बर्मन, श्री पलाश

भट्टाचार्य, श्री सुशील

चक्रवर्ती, श्री सत्य साधन

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चौबे, श्री नारायण

चौधरी, सैफुद्दीन

गिरि, श्री सुधीर

हाल्दर, श्री कृष्ण चन्द्र

हन्नान मोल्लाह, श्री

इम्बीचीबावा, श्री ई० के०

झा, श्री भोगेन्द्र

खां, श्री गुलाम मोहम्मद

कोडियन, श्री पी० के०

महाटा, श्री चित्त

मैत्रा, श्री सुनील

मण्डल, श्री सनत कुमार

मसुदल हुसैन, श्री सैयद

मिर्धा, श्री नाथू राम

मुखर्जी, श्री समर

पाल, प्रो० रूप चन्द

पाठक, श्री आनन्द

राय, श्री एम० रामन्ना

*रंगा, प्रो० एन० जी०

*गलती से 'पक्ष में' मतदान किया।

राय श्री ए० के०

राय प्रधान, श्री अमर

साहा, श्री अजित कुमार

साहा, श्री गदाधर

सेन, श्री सुबोध

जायनल अबेदिन, श्री

विपक्ष में

मत-विभाजन संख्या : 3

अन्सारी, श्री जियाउर्रहमान

बागुन लुम्बरूई, श्री

बन्सीलाल, श्री

भगवानदेव, आचार्य

भोले, श्री आर० आर०

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

बीरबल, श्री

विष्णु प्रसाद, श्री

बूटा सिंह, श्री

चौधरी, श्री मनफूल सिंह

चौधरी, श्रीमती ऊषा प्रकाश

चौधरी, श्री ए० बी० ए० गनी खान

दांभी, श्री अजीत सिंह

डागा, श्री मूलचन्द

डेनिस, श्री एन०

देव, श्री संतोषमोहन

डोगरा, श्री गिरधारीलाल

घारपाड़े, श्री आर० वाई०

गोमांगो, श्री गिरिधर

जैन, श्री भीकूराम

जेना, श्री चिन्तामणि
कौल, श्रीमती शीला
कौशल, श्री जगन्नाथ
केन, श्री लालाराम
खां, श्री आरिफ मोहम्मद
किदवई, श्रीमती मोहसिना
कुचन, श्री गंगाधर एस०
लकप्पा, श्री के०
महाजन, श्री वाई० एस०
मालन्ना, श्री के०
मलिक, श्री लक्ष्मण
मल्लिकार्जुन, श्री
मिश्र, श्री रामनगीना
मिश्र, श्री नित्यादन्द
महन्ती, श्री बृजमोहन
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर
नायकर, श्री डी० के०
नायर, श्री बी० के०
नामग्याल, श्री पी०
पटेल, श्री शान्तुभाई
पाटिल, श्री ए० टी०
पाटिल श्री चन्द्रभान आठरे
पट्टाभिरामाराव, श्री एस० बी० पी०
फुलवारिया, श्री विरदाराम
पुजारी, श्री जनार्दन
प्रसन्नकुमार श्री एस० एन०
राणे श्रीमती संयोगिता
राव, श्री एम नागेश्वर
राव, श्री एम० सत्यनारायण
राव, श्री पी० वी० नरसिंह
राठौर, श्री उत्तम
रेड्डी, श्री के० विजय भास्कर
रात, श्री जयनारायण
साठे श्री वसन्त
सावन्त श्री टी० एम०

सईद, श्री पी० एम०
सिन्धिया, श्री माधवराव
सेबिस्तियन, श्री एस० ए० दोराई
सेलवाराजू, श्री एन०
सेन, श्री ए० के०
सेन, श्री सुबोध
सेठी, श्री अर्जुन
सेठी, श्री पी० सी०
शैलानी, श्री चन्द्रपाल
शक्तावत, प्रो० निर्मला कुमारी
शाक्य, श्री दयाराम
शाक्य, श्री रामसिंह
शाक्यावर श्री नाथूराम
शमन्ना, श्री टी० आर०
शर्मा, श्री कालीचरण
शर्मा, श्री नवलकिशोर
शिवशंकर, श्री पी०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सोरन, श्री हरिहर
सूर्यवंशी, श्री नरसिंह
थोरट, श्री भाऊसाहिब
थुंगोन, श्री पी० के०
टाईटलर, श्री जगदीश
वैराले श्री मधुसूदन
वर्मा, श्री जयराम
वेंकटरामन श्री आर०
वर्मा, श्री दीनबन्धु
विजयराघवन, श्री वी० एस०
व्यास, श्री गिरधारीलाल
वासनिक, श्री बालकृष्ण रामचन्द्र
यादव, श्री आर० एन०
यादव, श्री रामसिंह

उपाध्याय महोदय : खण्ड 28 से 30 में कोई संशोधन नहीं है। इसलिए मैं खण्ड 27, 28 से 30 को सभा में एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 27 से 30 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 27 से 30 विधेयक में जोड़ दिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्रीमती शीला कौल : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

5 42 म० प०

बैंककारी सेवा आयोग विधेयक

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :—

"कि पब्लिक सैक्टर के बैंकों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिकारियों की भर्ती और चयन के लिए आयोग की स्थापना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को ज्ञात है पहले सरकारी क्षेत्र के बैंकों में पदों पर नियुक्ति

[श्री जर्नादन पुजारी]

करने के लिए एक केन्द्रीयकृत एजेंसी बनाने पर विचार किया गया था और सरकारी क्षेत्र के बैंकों में सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए व्यक्तियों के चयन के लिए एक सांविधानिक आयोग की स्थापना हेतु प्रावधान करने के लिए 1975 में संसद द्वारा बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार बैंककारी सेवा आयोग की स्थापना 21 फरवरी, 1977 को की गई थी। तथापि मार्च, 1977 में आयोग द्वारा कार्य आरम्भ करने से पूर्व इस आयोग को समाप्त करने का निर्णय लिया गया और बैंककारी सेवा आयोग अधिनियम को निरस्त कर दिया गया। एक केन्द्रीयकृत आयोग के बजाय सरकारी क्षेत्र के बैंकों में लिपिक संवर्ग के साथ साथ अधिकारी संवर्ग में नियुक्तियां करने के लिए विभिन्न केन्द्रों पर बैंकों के समूह के लिए नियुक्ति बोर्डों की स्थापना की गई।

पिछले पांच वर्षों में नियुक्ति बोर्डों के कार्यकरण की सरकार द्वारा पुनरीक्षा की गई। पुनरीक्षा से पता चला कि उन्हीं प्रत्याशियों में से दस विभिन्न बोर्डों द्वारा सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए अधिकारियों की भरती की वर्तमान प्रणाली में परिहार्य आवृति और प्रयास और संसाधन व्यर्थ होते हैं। इसलिए यह प्रस्ताव किया जाता है कि अधिकारियों की नियुक्ति के वर्तमान प्रबंधों में संशोधन किया जाए ताकि उसमें समानता, चयन की प्रक्रिया में वास्तविकता व्यय में किफायत, नियुक्ति में तेजी और अधिकारियों की तैनाती अधिक विधि सम्मत हो सके।

इसलिए सरकार का विचार एक केन्द्रीयकृत सांविधिक आयोग की स्थापना का है जिसे सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में कनिष्ठ वेतनमान के अधिकारियों की सीधी भर्ती करने का दायित्व सौंपा जाएगा। अन्य स्तरों पर अधिकारियों की सीधी भरती, जब भी वे बैंक उच्च स्तरों पर सीधी भर्ती की इच्छा व्यक्त करें, करने का दायित्व भी आयोग का ही होगा। यह प्रस्ताव भी है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कनिष्ठ प्रबंध वेतनमान में, इस समय खाली पड़े हुए स्थानों में से पच्चीस प्रतिशत स्थानों को आयोग के माध्यम से केवल सीधी भरती द्वारा ही भरा जाएगा।

जहां तक बैंकों में लिपिकीय संवर्ग में भरती का संबंध है, चूंकि लिपिकीय भरती क्षेत्रीय आधार पर आवश्यक है और वर्तमान बोर्ड इस कार्य को कुल मिला कर सन्तोषजनक रूप से पूरा कर रहे हैं, वर्तमान प्रबंधों को जारी रखने का विचार है। यह आशा की जाती है कि अधिकारियों की भरती के उत्तरदायित्व से मुक्त होने पर, ये बोर्ड लिपिकीय संवर्ग की भरती पर अपना पूरा ध्यान दे सकेंगे। सरकार की आशा यह है कि इससे चयन की किस्म में आगे और सुधार होगा और चयन की प्रक्रिया तेज होगी।

सरकार कुछ समय से बैंकों में वरिष्ठ पदों पर पदोन्नतियों में समानता और वास्तविकता लाने पर विचार कर रही है। इसलिए यह प्रस्ताव है कि जब आयोग की स्थापना की जाएगी, तो उसे सरकारी क्षेत्र के सभी बैंकों में वरिष्ठ स्तरों पर पदोन्नतियां करने काम भी सौंपा जाएगा।

प्रस्तावित आयोग में एक पूर्णकालिक चेयरमेन होगा और उसके साठ से अधिक सदस्य नहीं होंगे। पचास प्रतिशत सदस्य वे होंगे जिन्हें बैंकों अथवा वित्तीय संस्थानों की जानकारी होगी अथवा उन्होंने उनमें काम किया होगा। प्रस्ताव यह है कि कम-से-कम एक सदस्य अनुसूचित जातियों अथवा जनजातियों से होगा।

सरकार को आशा है कि प्रस्तावित बैंककारी सेवा आयोग की स्थापना से सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए भरती प्रणाली सुचारु और युक्ति संगत बनेगी।

अब मैं अनुरोध करता हूं कि विधेयक पर विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि पब्लिक सैक्टर के बैंकों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिकारियों की भर्ती और चयन के लिए आयोग की स्थापना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अब प्रो० रूपचन्द पाल को बोलना है।

प्रो० रूपचन्द पाल, श्री शमन्ना अभी बोलना चाहते हैं क्योंकि वे कल दिल्ली से जा रहे हैं। अत: क्या मैं अब उन्हें बोलने का कह सकता हूं ?

प्रो० रूपचन्द पाल : जी हां

श्री टी० आर० शमन्ना (बंगलौर दक्षिण) : मुझे पहले बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको प्रो० रूपचन्द पाल को धन्यवाद देना चाहिए।

श्री टी० आर० शमन्ना : म उन्हें भी धन्यवाद देता हूं।

महोदय, यह एक स्वागत योग्य उपाय है क्योंकि बैंक के अनेक कर्मचारी यह भूल गए थे कि वे दूसरों के धन को सम्भालने का काम कर रहे हैं और इसलिए, यह बहुत आवश्यक है कि जब दूसरे के धन का मामला हो, तो यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी सावधानी बरती जानी चाहिए कि इसका विधि सम्मत और उचित रूप से प्रबंध किया जाए ताकि इस संबंध में जनता और निवेशकों तथा अन्य सभी की सुरक्षा की जा सके।

माननीय मंत्री ने विचार किए जाने के लिए विधेयक प्रस्तुत करते समय कहा था कि लिपिकीय संवर्ग के लिए भरती की वर्तमान प्रणाली को बोर्ड द्वारा जारी रखा जाएगा। उन्होंने आगे कहा था कि आयोग को यह भरती लिपिकीय संवर्ग के लिए करनी होगी। इसकी विस्तार से व्याख्या करनी होगी कि यह भरती आयोग द्वारा की जाएगी अथवा बोर्ड द्वारा। यदि इसकी व्याख्या की जाती है तो हमें सहायता मिलेगी।

मैं कुछ समय पूर्व इन्स्टीट्यूट आफ बैंकर्स की परीक्षा में भाग लेने के लिए एक बैंक में

[श्री टी० आर० शमन्ना]

प्रशिक्षु रह चुका हूं। यह कोई 30 वर्ष पहले की बात है। वहां पर कर्मचारी इतना कड़ा परिश्रम करते थे कि जब तक लेखे का मिलान नहीं कर लिया जाता था। वे अपना स्थान नहीं छोड़ सकते थे और न कोई अतिरिक्त डी० ए० अथवा अन्य कोई चीज उन्हें उन दिनों दिया जाता था और एक स्नातक को प्रतिमाह 35 रुपए वेतन दिया जाता था। अब उन्हें अच्छा वेतन मिल रहा है और लोग काम भी नहीं करते हैं और जैसा कि मन्त्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है, कर्मचारियों को यह बताया जाना चाहिए कि उन्हें उचित वेतन दिया जाता है और यह सुनिश्चित करना उनका कर्तव्य है कि वे बैंक के हित में ठीक से काम करें।

आखिरकार, कर्मचारियों के हितों की रक्षा करनी है। परन्तु फिर भी कर्मचारियों को यह याद रखना चाहिए कि वे कर्मचारी हैं और उन्हें अपने वेतन के अनुसार न्याय करना चाहिए।

अब आयोग की नियुक्ति की जा रही है। हमें इनके ईमानदार होने की आशा है। उन्हें जाति, क्षेत्रीयता आदि से दूर रहना चाहिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित स्थानों सबसे अच्छे आदमियों का चयन हो, क्योंकि इन बैंकों द्वारा करोड़ों रुपए का लेनदेन किया जाता है और ठीक ढंग के और लोगों की भलाई के लिए काम करने वाले तथा सरकार जिसकी वे सेवा कर रहे है, की नीति चला सकने वाले व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिए। आजकल आयोग द्वारा चयन युक्ति संगत ढंग से, ईमानदारी से नहीं किए जाते हैं। इसलिए मैं मन्त्री महोदय से जोरदार आग्रह करूंगा कि उचित मार्गनिर्देश जारी किए जायें और उचित नियम तैयार किए जायें ताकि चयन करते समय, लोगों को योग्यता के आधार पर चुना जाए। नि:सन्देह, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण पर उनकी योग्यता के अनुसार विचार किया जाना चाहिए। यदि योग्यता पर अपेक्षित रूप से विचार नहीं किया जाता है, तो आगे चलकर बैंकों को काफी परेशानी उठानी पड़ेगी। इसलिए, मैं पुरजोर आग्रह करता हूं कि उचित नियम तैयार किए जायें और आयोग को दिए जायें ताकि सही चयन किया जा सके।

यह प्रस्ताव किया गया है कि 35% चयन कर्मचारियों में से किया जाए और यदि समय पर आवश्यकता पड़ने पर इस प्रतिशत को बढ़ाया जा सकता है। पदोन्नति स्वत: नहीं होनी चाहिए। केवल उन लोगों को जो कठिन परिश्रम करते हैं, जिनका रिकार्ड ठीक है, उन्हें पदोन्नति दी जानी चाहिए। पदोन्नति स्वत: नहीं होनी चाहिए। यदि पदोन्नति वास्तविक परिणाम पर आधारित है, और यह अच्छे रिकार्ड के कारण दी गई है तो यह उपभोगी होगी।

इस विधेयक की काफी देर से प्रतीक्षा थी क्योंकि कुछ विनियमन आवश्यक है। इस विधेयक में भारतीय रिजर्व बैंक में भर्ती के सम्बन्ध में कोई बात नहीं कही गयी है। क्या यह निकाय अथवा कोई अलग निकाय इस बात को उठायेगा ? ग्रामीण विकास बैंकों, निर्यात-आयात बैंकों को उसके अन्तर्गत नहीं लिया गया है। जहां तक उस विधेयक का सम्बन्ध है, यह केवल भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहायक बैंकों तथा अन्य राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होता है। भर्ती के लिए चयन उचित आधार पर किया जाना चाहिए और यह अन्य बैंकों पर भी और विशेषकर भारतीय रिजर्व बैंक पर भी लागू होना चाहिए। यह आवश्यक है कि उसके लिए भी नियुक्तियों के सम्बन्ध में कुछ विनियमन बनाया जाए क्योंकि यह सर्वोच्च बैंक है।

यह स्पष्ट किया गया है कि किसी भी सदस्य अथवा चेयरमैन को दोबारा नियुक्त नहीं किया जा सकता। यह एक स्वागत योग्य कदम है। चेयरमैन के लिए पांच वर्ष का समय पर्याप्त है। हालांकि, एक सदस्य को चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है। यह व्यवस्था इसमें है क्योंकि हम महत्वपूर्ण और अनुभवी व्यक्ति चाहते हैं। यह स्पष्टीकरण दिया गया है कि एक सदस्य को चेयरमैन नियुक्त किया जा सकता है।

महोदय, अब यह विधेयक काफी हद तक व्यापक है और यह संघ लोक सेवा जैसे अन्य आयोगों के काम करने के तरीके पर आधारित है। इस बात को ध्यान में रखा गया है और इस सम्बन्ध में विनियमन भी बनाए गए हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि अनुभव के साथ सरकार ने यह बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक तैयार किया है जो अधिकारियों के उचित चयन में सहायता करने के लिए काफी सहायक होगा। किसी प्रकार का आरक्षण करने से कुछ नहीं होगा जब तक कि उचित अनुशासन लागू नहीं किया जाता। अनुशासन एक बहुत ही आवश्यक बात है विशेषकर इन बैंकों में क्योंकि बैंकों के कर्मचारियों को जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों के समान अच्छा वेतन दिया जा रहा है। इसलिए अनुशासन बनाये रखने के लिए सभी उपाय किये जाने चाहियें।

बहुत से माननीय सदस्यों ने अनुशासन और समय की पाबंदी लागू करने के लिये मंत्री जी को पहले ही मुबारकवाद दी है। यद्यपि उन पर आक्षेप लगाया गया है और उनकी आलोचना की गई है क्योंकि उन्होंने कुछ कठोर कदम उठाये हैं। जहां तक अनुशासन का सम्बन्ध है मेरा सरकार से आग्रह है कि चाहे कुछ भी हो, अनुशासन अवश्य बनाये रखा जाना चाहिए। उन्हें कठिन परिश्रम करना चाहिये और यही हमारा ध्येय होना चाहिए। हमें उनको वेतन देते समय ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके साथ-साथ उनको कठिन परिश्रम करना चाहिए और हमें अनुशासन और कार्य को बनाए रखने के लिए सभी प्रयास करने चाहिएं। एक बैंकिंग जैसी संस्था को, कर्मचारियों द्वारा लापरवाही अथवा उपेक्षा के कारण, नुकसान नहीं उठाने दिया जा सकता। इसलिए इस आयोग को चमन किए जाने वाले उम्मीदवारों के व्यवहार को भी ध्यान में रखना होगा। यदि एक उचित व्यक्ति का चुनाव किया जाता है तो उससे बैंकिंग प्रणाली में सुधार करने के लिए काफी सहायता होगी। इसलिए, बैंकिंग आयोग को भी उम्मीदवार के स्वभाव और उसके व्यवहार और इन सभी बातों को ध्यान में रखना होगा।

चयन के अलावा, मैं सुझाव दूंगा कि उनके लिये एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। बहुत से मामलों में, हम देखते हैं कि प्रशिक्षण के बिना वे ठीक प्रकार से कार्य को समझने में असमर्थ हैं। वाणिज्यिक स्नातकों के अलावा, कला स्नातक और विज्ञान स्नातक उम्मीदवार भी बैंकिंग क्षेत्र में आ रहे हैं। इसलिए, चयन के बाद, एक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम शुरू करना चाहिये जिसमें जिस काम को उन्होंने करना है उसको अच्छी प्रकार समझ सकें। इसलिए, कार्य को दक्ष और मजबूत बनाने के लिये, प्रशिक्षण के लिये आवश्यक उपायों को भी शामिल किया जाए।

इन शब्दों के साथ बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद करता हूं।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान मेरा निवेदन यह है कि हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करने के बाद, जैसा कि कल माननीय सदन में सहमति हुई थी, उन विधेयकों को निपटाने की कोशिश करेंगे जिन्हें आज की कार्य सूची में रखा गया है। एक विधेयक श्री जनार्दन पुजारी का है और उसके बाद, एक विधेयक मेरे नाम से है। और उसके बाद श्री विजा भास्कर रेड्डी के विधेयक की बारी है। ये बहुत छोटी और मामूली बातें हैं और निर्धारित समय है एक घंटा, आधा घंटा आदि।

उपाध्यक्ष महोदय : इसका मतलब है हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद बैठें।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : महोदय, कल संसदीय कार्य मंत्री श्री बूटा सिंह ने हमें बताया था कि वह दहेज-विरोधी विधेयक ला रहे हैं अगर ऐसी बात थी तो उनको समय की क्या आवश्यकता थी ? लेकिन आज जैसा कि हमने देखा है और बहुत से माननीय सदस्यों ने बताया है कि यह कार्य-सूची में नहीं है। अब ऐसी बात है, आप इसके लिए कैसे समय बढ़ा सकते हैं ?

श्री बूटा सिंह : जो भी हो, जैसा कि माननीय सदस्य ने यह उल्लेख किया है, मैंने उनको आज सवेरे भी यकीन दिलाया था कि हम विधेयक लायेंगे। वह विधेयक जिसको अन्तिम रूप दिया जा रहा है, आ रहा है। कल हम उसको लाएंगे।

श्री समर मुखर्जी (हावड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने अभी-अभी यह सुझाव दिया है कि इन विधेयकों को आज ही लिया जाए। लेकिन हमारी पार्टी की तरफ से वक्तागण पहले ही उठकर चले गए हैं। मुझे ऐसा आभास था कि इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद और बैठक नहीं होगी। इसलिए, मैंने उन्हें चले जाने के लिए कहा था।

श्री बूटा सिंह : कल यह सहमति हुई थी कि बैठक देर तक होगी।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : इस शर्त पर।

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : 6 बजे के बाद, हमारे पास ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। यह बात मान ली गई। अभी-अभी, जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ, तो माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने मुझे बताया, "आप कल बोल सकते हैं।"

श्री बूटा सिंह : महोदय, हम उनसे अनुरोध कर सकते हैं कि वह अपने वक्ताओं को बुला सकते हैं। कल यह भी सहमति हुई थी कि 9 मई को संसद की बैठक का अन्तिम दिन होने के कारण, हम अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर भी चर्चा करेंगे, हम आज देर तक बैठेंगे।

6.00 म० प०

श्री समर मुखर्जी : यह सहमति हुई थी कि कल उन विधेयकों पर अल्पावधि चर्चाएं की जाएंगी। इसलिए मैंने उन दो अथवा तीन विधेयकों पर बोलने के लिए जिन सदस्यों को चुना था,

[श्री समर मुखर्जी]

उन्हें मैंने आज जाने की अनुमति दे दी है। मुझे ऐसा आभास था कि आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के बाद सदन को स्थगित कर दिया जाएगा।

श्री बूटा सिंह : कृपया उन्हें टेलीफोन कर दीजिए। वे आ सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : इसकी आवश्यकता क्या है? हम संसदीय कार्य मंत्री द्वारा जानकारी चाहेंगे। दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1958 और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में संशोधन के विधेयकों को दूसरे सदन में भी भेजना पड़ेगा।

श्री बूटा सिंह : इसमें अत्यावश्यकता इसलिए पैदा हुई है क्योंकि माननीय अध्यक्ष आज दूसरे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए विशेष रूप से सहमत हुए हैं अन्यथा, यह समय हमारे पास उपलब्ध होता। श्री अटल बिहारी वाजपेयी से समझौता कर ही हमने कहा "ठीक है। हम अपने कार्य को कुछ समय और देर तक बढ़ा देंगे।" ये विधेयक मौलिक प्रकृति के नहीं हैं जिससे कि वे मूल विधेयकों के मूल आधार को बदल देंगे। इनमें केवल मामूली संशोधन करने हैं और प्रत्येक सदस्य इसको जानता है। इसलिए यह समझौते का प्रश्न है। हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी से समझौता किया है और मुझे आशा है वह भी हमारे साथ समझौता करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरे विचार में सदन इस बात से सहमत होगा।

प्रो० रूपचन्द पाल : इन विधेयकों पर आज विचार नहीं किया जा सकता।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : इन विधेयकों पर कल विचार किया जा सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : वे 6 बजे ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार करने के लिए सहमत हो गए हैं।

श्री बूटा सिंह : कल, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर आम चर्चा होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : कल, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा होगी। यदि हम अपना विधायी कार्य पूरा कर लेते हैं, तो हमें और समय मिल जाएगा। हम उस समय को इसके लिए उपयोग कर सकते हैं। यदि इन विधेयकों को कल पारित करना है, तो इसमें तीन घंटे का समय लगेगा।

श्री बूटा सिंह : इस पर सभी सदस्यों की सहमति हुई थी।

उपाध्यक्ष महोदय : आपको अधिक समय मिलेगा।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : हमारे पास कल इन विधेयकों के अलावा और कोई कार्य नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल की बात भूल जाइए। कल इसमें अधिक समय लगेगा।

श्री बूटा सिंह : श्री सत्य साधन चक्रवर्ती स्वयं इस बात पर जोर दे रहे हैं कि दहेज संबंधी विधेयक लाया जाए और दूसरा भूमि अधिग्रहण वियधेक भी लाया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा विचार यह है कि यदि आपको अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार करने के लिए अधिक समय मिलता है तो यह अच्छी बात है।

श्री समर मुखर्जी : मुझे ऐसा आभास है कि आज ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त होने के बाद सदन को स्थगित कर दिया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि हमें अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के लिए कल अधिक समय मिलता है तो यह अच्छी बात होगी।

एक माननीय सदस्य : कल हम 6 बजे के बाद बैठ सकते हैं। हम देर तक बैठ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर निर्भर करता है। मेरे विचार में वह अपने भाषण को संक्षिप्त रखेंगे। वह इसे जल्दी समाप्त करेंगे। उसके बाद मैं सदन की राय का पता लगाऊंगा।

प्रो० रूप चन्द पाल : आज आपका कब तक बैठने का विचार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह आप पर निर्भर करता है अब ध्यानाकर्षक प्रस्ताव समाप्त हो गया है। आप चार घण्टे अथवा छह घण्टे के लिए अथवा एक घण्टे के लिए बैठ सकते हैं; जैसे भी आप कार्य समाप्त करना चाहें। मैं जानता हूं आप यह कार्य करने में समक्ष हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : यदि कोई इस बात का निर्णय करता है तो आप बिल्कुल नहीं बैठ सकते ?

प्रो० रूप चन्द पाल : आप कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों का किस प्रकार उल्लंघन कर सकते हैं ? उसने विधेयक के लिए कुछ समय निश्चित किया है। विधेयक के लिए कितना समय निश्चित किया गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आप इसकी तकनीकियों की ओर जाएंगे, मैं यह कह सकता हूं कि हम कार्य मंत्रणा समिति का निर्णय भी बदल सकते हैं। सदन सर्वोपरि है। सदन हमेशा निर्णयों में परिवर्तन कर सकता है। सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि उन्हें हमारे साथ सहयोग करना चाहिए। अधिवेशन समाप्त होने को आ रहा है। हम कुछ और समय के लिए बैठेंगे। हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा करते हैं और इसके बाद हम इस विधेयक तथा दो बहुत ही छोटे विधेयकों को लेंगे जैसा कि श्री बूटा सिंह ने सुझाव दिया है और हम उनको पूरा करेंगे, जिससे कि कल अन्तर्राष्ट्रीय मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए हमें अधिक समय मिल सके। मैं भी यह समझता हूं कि यह व्यवस्था ठीक है। अब, इसे सदन पर छोड़ दिया जाए। यदि आप इसे एक घण्टे में समाप्त करना चाहते हैं, आप इसे कर सकते हैं।

अब हम ध्यानाकर्षक प्रस्ताव को लेते हैं। श्री सूरज भान।

6.06 म०प०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

त्रिपाठी समिति की सिफारिश के अनुसार सीमेंट, कागज, औषधों, पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादों पर विक्रय कर के बजाय अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने में कथित विलम्ब का समाचार

श्री सूरजभान (अम्बाला) : उपाध्यक्ष महोदय, यह कॉलिंग अटैंशन इतनी इम्पार्टिन्ट है और वित्त मंत्री श्री प्रणव मुखर्जी यहाँ नहीं हैं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : आयेंगे।

श्री सूरजभान : आयेंगे, ठीक नहीं।

श्री एस० एम० कृष्ण : जब तक श्री वाजपेयी खड़े होते हैं, वह आ जायेंगे।

श्री सूरजभान : उपाध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर वित्त मंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें।

"त्रिपाठी समिति की सिफारिश के अनुसार सीमेंट, कागज, औषधों, पैट्रोल तथा पैट्रोलियम उत्पादों पर विक्रय कर के बजाय अतिरिक्त उत्पाद-शुल्क लगाने में विलम्ब के समाचार तथा इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही।"

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० एम० कृष्ण) : श्रीमान उपाध्यक्ष महोदय, देश में बिक्री कर लगाने के सम्बन्ध में कतिपय सुधार करने के लिए व्यापारियों, उद्योग तथा आम जनता से काफी समय से मांग की जाती रही है। चूंकि बिक्री कर मुख्यतः राज्य कराधान का विषय है, इसलिए बिक्री कर प्रणाली में कोई भी सुधार राज्यों के परामर्श तथा उनके सहयोग से ही किया जा सकता है। तदनुसार, मामले पर विचार करने के लिए सितम्बर 1980 में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था तथा अनुवर्ती कार्यवाही के रूप में फरवरी 1981 में मुख्य मन्त्रियों का एक और सम्मेलन आयोजित किया गया था। फरवरी, 1981 में आयोजित सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसार, वनस्पति, औषध-द्रव्यों और दवाइयों, सीमेंट, कागज और गत्ता तथा पैट्रोलियम उत्पादों को घोषित माल की सूची में शामिल करने तथा उन पर बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के प्रस्ताव के वित्तीय प्रभावों का तथा इस बात का अध्ययन करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की गई थी कि राज्यों के वित्तीय हितों की रक्षा किसी प्रकार की जा सकती है। श्री कमला पति त्रिपाठी, संसद सदस्य, की अध्यक्षता में गठित समिति ने 29 जनवरी 1983 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। उसके बाद रिपोर्ट को 29 अप्रैल, 1983 को संसद के दोनों सदनों के पटलों पर प्रस्तुत किया गया था।

[श्री एस०एम० कृष्ण]

समिति ने अपनी रिपोर्ट में, सम्बन्धित पांच जिन्सों पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से होने वाली आय को राज्यों में वितरित करने के लिए एक फार्मूला तैयार किया था ताकि उन्हें कोई वित्तीय हानि न उठानी पड़े और उनके साधन जुटाने में कोई बाधा न हो। फरवरी 1981 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुसरण में, विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट पर 2 नवम्बर, 1983 को आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। नवम्बर, 1983 में हुए सम्मेलन में, बहुत से मुख्य मन्त्रियों ने बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के सम्बन्ध में त्रिपाठी समिति द्वारा सुझाई गई योजना पर, सिद्धांत रूप में, अपनी स्वीकृति व्यक्त की। किन्तु, कुछ मुख्य मंत्रियों ने यह बताया कि वे त्रिपाठी समिति द्वारा सिफारिश की गई योजना को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। फरवरी, 1981 में उनके द्वारा पारित प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करते हुए, मुख्य मंत्रियों ने यह संकल्प किया कि इन मामलों पर राज्य सरकारों के बीच मतैक्य प्राप्त करने के प्रयास जारी रहने चाहिए। नवम्बर, 1983 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकार किया गया प्रस्ताव उपयुक्त कार्यवाही के लिए नोट कर लिया गया है और इस मामले में राज्य सरकारों के बीच मतैक्य लाने के प्रयास जारी हैं।

6.10 म० प०

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

श्री सूरजभान (अम्बाला) : सभापति महोदय, इस सिलसिले में 18 नवम्बर, 1983 को वित्त मंत्री से एक सवाल किया गया था। जो स्टेटमेंट उन्होंने उस वक्त दिया था, वही स्टेटमेंट आज दिया गया है। इसमें एक छोटा सा सेनटैंस ऐड किया हुआ है :

"नवम्बर- 1983 में हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में स्वीकार किया गया प्रस्ताव उपयुक्त कार्यवाही के लिए नोट कर लिया गया है।"

नवम्बर, 1983 से लेकर अब तक सरकार ने सिर्फ रेजोल्यूशन को नोट कर लिया है। वह क्या सूटेबल एक्शन लेगी, उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है।

जनता, इंडस्ट्री और व्यापार की पुरानी मांग है कि सेल्ज टैक्स के ढांचे में बुनियादी तब्दीली की जाए। हमारी पार्टी के चुनाव घोषणापत्र में यह बात कही गई और कांग्रेस के चुनाव घोषणा-पत्र में से एक छोटा सा सेनटैंस पढ़कर सुनाना चाहता हूं :

"कांग्रेस (आई) वर्तमान कर प्रणाली की समीक्षा करेगी और उसका पुनर्गठन करेगी जिसमें मध्य वर्ग पर बोझ को कम करके छोटे व्यापारी की परेशानी को दूर करके और पूरे समाज के हित के लिए सभी समृद्ध वर्गों पर निष्पक्ष जिम्मेदारियां लाई जा सकें।

इस सम्बन्ध में 1980 में चीफ मिनिस्टर्ज की कांफरेन्स हुई। उसके बाद स्वर्गीय सुखाड़िया जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। उनके देहांत के बाद 1 मार्च, 1982 को त्रिपाठी जी

का उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उन्होंने 29 जनवरी, 1983 को सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी। सरकार ने 29 अप्रैल, 1983 को उस रिपोर्ट को सदन पटल पर रख दिया।

उसके बाद 2 नवम्बर, 1983 को चीफ मिनिस्टर्ज की कांफरेंस बुलाई गई। उसमें अक्सर मुख्य मंत्रियों ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि कुछ जरूरी संशोधनों के साथ इसको लागू कर दिया जाए। उनके संशोधनों में कुछ ये हैं (1) उन स्थलों को कम करना, जहां एक ही वस्तु पर कर लगता है, (2) मूल्यों में और देश के भिन्न भिन्न भागों में जिन्सों के टैक्सों की दरों में एकरूपता लाना, (3) व्यापारियों को परेशान करने की गुंजाइश को कम करना।

लेकिन कुछ मुख्यमंत्रियों ने उसका विरोध किया उनका कहना था कि एक तो इससे राज्यों के अधिकार कम के हो जायेंगे और दूसरे, राज्यों की आमदनी आमदनी के जरिये कम हो जायेंगे। तीसरी दलील यह दी गई कि सरकारिया कमीशन बैठा है, इसलिए फिलहाल इस मामले को टाल दिया जाए। मैं समझता हूं कि सरकारिया कमीशन की बात तो बेइमानी है, उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन उनकी दो बातों आमदनी कम होने और अधिकार कम होने में वजन जरूर है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर बाद जिक्र करूंगा।

इस बिक्री कर की शुरूआत 1937 में हुई थी। जब राजाजी ने मद्रास में प्राहिबिशन लागू की—शराब पर पाबन्दी लगा दी, तो उसके बाद सरकार का जो घाटा हुआ, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने एक गैलन पैट्रोल पर एक पैसा सेल्ज टैक्स लगाया। लेकिन 1937 के बाद यह बिक्री कर शैतान की आंत की तरह बहुत फैल गया है। फर्ज कीजिए कि एक स्टेट में 10 फीसदी और पड़ोसी स्टेट में 15 फीसदी सेल्ज टैक्स लगा है, तो स्मगलिंग के लिए रास्ता खुल जाता है।

कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि सेल्ज टैक्स का नम्बर ले लिया और दुकान खोल दी, दो साल तक काम किया, कोई बिक्री कर न दिया और दुकान बढ़ा दी, फिर एक नए नाम से दुकान खोल दी, एक नया बिक्री कर का नम्बर ले लिया, बस, पिछला हिसाब-किताब खत्म हो गया। इस तरह से सेल्ज टैक्स की चोरी होती है। आम राय है कि बिक्री कर में 70 फीसदी चोरी होती है।

इसके साथ-साथ त्रिपाठी कमेटी की रिपोर्ट में पांच चीजों पर सेल्स टैक्स हटाने की सिफारिश की गई है। मैं समझता हूं इन पांच चीजों के बजाय सभी चीजों पर से बिक्री कर हटाया जाना चाहिए। इन पाँच चीजों पर से तो फौरी तौर पर हटा दिया जाना चाहिए। मैंने त्रिपाठी कमेटी की रिपोर्ट देखी है, उसमें एक साल के आंकड़े दिए हैं। 1981-82 में इन पांच चीजों पर 1,222 करोड़ 40 लाख रुपये सेल्स टैक्स के रूप में वसूल हुआ और सभी चीजों को मिलाकर सारे देश में 4200 करोड़ वसूल हुआ। लेकिन यह 4200 करोड़ चोरी के बाद दिखाया गया है, एक्चुअली इसको 12,600 करोड़ होना चाहिए था। इसका साफ मतलब यह है कि 8,400 करोड़ की चोरी एक साल में सेल्स टैक्स के रूप में की गई। इसका मतलब यह भी है इतना काला धन बढ़ा और एक पैरेलल एकोनामी पैदा हुई।

[श्री सूरजभान]

इसके साथ और भी कई तरह की चीजें जुड़ती हैं। मिसाल के तौर पर एक ट्रक देहली से राजस्थान जा रहा है, बीच में हरियाणा है तो वहां पर बीच में उस ट्रक को सेल्स टैक्स के अधिकारी रोक लेंगे। ऐसी भी मिसालें हैं दो-दो तीन-तीन दिन तक ट्रक रुके रहे। जब तक मुट्ठी गरम नहीं होती रिश्वत के देवी-देवताओं की तब तक ट्रक आगे नहीं जा सकता। मेरी तो यह भी जानकारी है कि सेल्स टैक्स बैरियर्स पर एप्वाइन्टमेंट के लिए छोटे-छोटे मुलाजिम भी एक लाख रुपये की रिश्वत देते हैं। लाख देकर बाद में वे करोड़ों कमाते हैं। तो इस तरह से जनता को परेशानी होती है और सरकार को भी नुकसान पहुंचता है। मैं तो समझता हूं कि अगर इस बिक्री कर को समाप्त कर दिया जाए तो देश में काला धन कम होकर एक चौथाई ही रह जायेगा। अभी बहुत बड़ी मात्रा में काला धन सेल्स टैक्स की चोरी के कारण पैदा हो रहा है। जो छोटे दुकानदार हैं उनको, यह जो इंसपेक्टर राज है वह बहुत तंग करता है। कोई भी ईमानदार दुकानदार अपने बेईमान पड़ोसी दुकानदार के मुकाबले में अपना धंधा चला ही नहीं सकता है, उसकी दुकान बन्द होने की नौबत आ जायेगी। इन हालात में मैं और मेरी पार्टी इस बात के पक्ष में है कि बिक्री कर केवल इन पांच चीजों पर ही नहीं सभी चीजों पर से हटा दिया जाना चाहिए और उसकी जगह पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाना चाहिए ताकि सारे देश में चीजों की कीमतों में भी एकरूपता आ सके। अभी तो किसी चीज पर एक राज्य में 5 परसेंट सेल्स टैक्स है तो दूसरी स्टेट में 7 परसेंट हैं। भारत सरकार इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को इस बात का यकीन दिलाए कि उनको आर्थिक हानि नहीं होने दी जायेगी। अगर कहीं पर कमी होती है तो उनको स्पेशल ग्रांट देकर पूरा किया जाए। मैं तो इस हद तक भी जाने के लिए तैयार हूं कि यदि आवश्यकता समझें तो विधान में तरमीम करके एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार सेन्टर के बजाए स्टेट्स को दे दिया जाए ताकि उनको किसी किस्म की कोई परेशानी न होने पाए और यह अश्योर हो जाए कि उनको किसी किस्म की दिक्कत नहीं होगी।

इसमें एक प्रकार की गड़बड़ और भी चल रही है। अभी ट्रैक्टर के स्पेयर पार्टस पर 5 परसेन्ट सेल्स टैक्स है। मान लीजिए स्पेयर पार्ट है बाल बियरिंग—ट्रैक्टर में बाल बियरिंग बदला जायेगा तो 5 परसेन्ट का सेल्स टैक्स लगेगा, अगर वही बाल बियरिंग Machine (मशीन) में बदला जायेगा तो सेल्स 7 परसेन्ट हो जायेगा, मोटर कार में बाल बियरिंग बदला जायेगा तो सेल्स टैक्स 10 परसेन्ट हो जायेगा और अगर हवाई जहाज में बदला जाये तो मुझे मालूम नहीं कितने परसेन्ट टैक्स चार्ज किया जाता होगा। इससे एक अन्दाजा लगता है कि गड़बड़ कितनी हो रही है।

मेरे पास एक रिपोर्ट है "रिवीज़न आफ टैक्स," इसमें काफी लम्बी-चौड़ी बातें लिखी हुई हैं। मैं आपका ज्यादा समय न लेकर संक्षेप में ही बता देता हूं।

बोरोलीन की ट्यूब, जो कि दवाई नहीं है, के बारे में पी० ए० सी० की रिपोर्ट के पेज-3 पर जो लिखा है, वह मैं पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

इस रिपोर्ट में समिति ने मैसर्स जी०डी० फार्मास्युटीकल्स द्वारा तैयार एक उत्पाद बोरोलीन के वर्गीकरण के मामले की बात भी कही है जिसमें एक प्रतिशत बोरिक एसिड है। इस उत्पाद को पेटेन्ट और प्रोपराएरटी दवाई के रूप में वर्गीकृत किया गया है जो टैरिफ आइटम 14 ई के अन्त-

गंत आती है जिसमें यथामूल्य 12½ प्रतिशत में शुल्क प्राप्त होता है। अगर इसको आइटम-14F(1) में लेते तो दवाई नहीं रहती और 100 परसेंट चार्ज होता। ...(**व्यवधान**)...मैं बता रहा था कि टैक्स इवेजन कैसे होता है। इसी तरह सेल्स टैक्स में भी होता है। मैं एक्साइज के बारे में एक और बात कहता हूं। एक आइटम (Item) है आईब्रो-पैंसिल, दूसरी बिन्दी पैंसिल है। यह आइटम—68 में है इसलिए इन पर Excise आठ परसेंट है यदि यह आइटम 14—एफ (1) में होता तो 100 परसेंट होता। इसी प्रकार आज कल लिपिस्टिक ऐसी इजाद की है जो ब्रुश से लगाई जाती है। उससे कहा गया कि लिपिस्टिक में एग्जैम्पशन कैसे मिलेगा ? बनाने वाले ने कहा कि इसमें स्टीक तो हैं नहीं इसलिए एग्जैम्पटेड हैं। लोग इस तरीके से बच कर निकल जाते हैं। इस कमेटी के चेयरमैन त्रिपाठी जी हैं, जो स्टेट के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं और अब रूलिंग पार्टी के वर्किंग प्रैजीडेंट हैं। नॉन वर्किंग प्रैजीडेंट नहीं है। उनकी सिफारिश को तो सरकार को मान लेना चाहिए। रूलिंग पार्टी के महामंत्री श्री राजीव गांधी भी कई बार कह चुके हैं कि सिर्फ पांच आइटम्स पर ही नहीं सभी चीजों पर सेल्स टैक्स हटा देंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : भीकू राम जी के कहने से वह देते हैं।

श्री भीकू राम जैन (चांदनी चौक) : मेरे कहने से नहीं कहते हैं। उनको विश्वास होगा।

श्री सूरज भान : उसके विश्वास से विश्वासघात तो न करे सरकार।

श्री भीकू राम जैन : आपका समर्थन पहले मिलता तो हो जाता। देर में समझ आई।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सबसे पहले तो हमें समझ आई थी। आपको देर से आई।

श्री भीकू राम जैन : आपने तो वायदा किया था, लेकिन पूरा नहीं हुआ।

श्री सूरज भान : बिक्री कर वसूल करने के लिए चार्जेज दो से तीन परसेंट आते हैं, यदि इसको एडीशनल एक्साइज़ ड्यूटी में शामिल कर लें, स्टाफ वही रहेगा और खर्च 1 प्रतिशत से भी कम होगा। इसमें सरकार को भी फायदा होगा। आदरणीय प्रणब मुखर्जी आ गए हैं, आखिर में मैं उनसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। बाकी सवाल तो श्री एस० एम० कृष्ण जी भी देंगे। सवाल यह है कि आप 28 मई को मुख्य मंत्रियों की कान्फ्रेंस बुलाने जा रहे हैं। पिछले एशोरेंसेस, चुनाव घोषणा पत्र का वायदा, वर्किंग प्रैजीडेंट की सिफारिश और महामंत्री के भाषण को ध्यान में रखते हुए क्या 28 मई को आप फैसला करने जा रहे हैं कि इन पांच चीजों पर ही नहीं सारी चीजों पर बिक्रीकर हटाकर छोटे दुकानदारों का राहत देंगे और भ्रष्टाचार को कम करेंगे ?

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं (इति)

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं एक मुद्दा स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं कि ये बिक्री-कर को समाप्त करने के तर्कधार हैं। लेकिन विवादास्पद मुद्दा यह है कि

[श्री प्रणब मुखर्जी]

मुझे राज्य के मुख्य मंत्रियों को इस बात के लिए राजी करना है और उन्हें इस तर्क से सहमत होना है। यदि वे इससे सहमत नहीं होते, तो मेरे पास केवल एक विकल्प रह जाता है कि मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में मत लिया जाये लेकिन मैं यह नहीं करना चाहता । जैसाकि मैंने पहले भी अन्य अवसर पर, जब मैंने 2 नवम्बर को राज्य के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुलाया था, यह कहा था, और इस पर चर्चा की गई थी जिसमें विचार भिन्न-भिन्न थे। यह बताने की कोई प्रक्रिया नहीं है कि किसने क्या कहा, किसने इसका समर्थन किया अथवा विरोध किया लेकिन मैंने कहा था कि सम्मेलन के समाप्त होने के बाद मैं उनके साथ विचार-विमर्श करने की कोशिश करूंगा जिसमें कि हम मतैक्य हो सकें। जब जनता पार्टी सत्ता में थी, उन्होंने भी कोशिश की थी। हम भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह एक ऐसा मामला है जिसकी माननीय सदस्यों को पूरी जानकारी है। यह केवल हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं है। अन्यथा मैं इन सभी मदों की घोषणा कर सकता हूं और उन्हें केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत ला सकता हूं और उन पर एक समान 4 प्रतिशत शुल्क लगा सकता हूं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हम उनके ऊपर यह जोर देने की कोशिश कर रहे हैं और समिति की रिपोर्ट उनके सामने है। हम कुछ विचार-विमर्श का चुके हैं। यद्यपि यह विषय प्रेक्षण कर तक ही सीमित था जिसके लिए मैंने फिर से एक बैठक बुलाई है। हम एक फार्मूला तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यह ऐसी बात नहीं है क्योंकि यदि कोई सदस्य कोई चीज चाहता है और हम उसको पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इस विषय में, दो राय नहीं हैं ।

श्री सूरज भान : मतैक्य का मतलब सर्वसम्मति नहीं है ।

श्री प्रणब मुखर्जी : निस्संदेह इस बात पर सर्वसम्मति नहीं है, इसलिए हमें सम्मेलन में सर्व-सम्मति लाने की कोशिश करनी है।

श्री सूरज भान : आप संविधान में संशोधन कीजिए जैसाकि मैंने सुझाव दिया है ।

श्री प्रणब मुखर्जी : यदि श्री वाजपेयी, मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में हमारा समर्थन करते हैं तो उसमें सहायता मिलेगी और वे ऐसा कर सकते हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केरल के बारे में आपका क्या विचार है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : आप पहले अपना समर्थन दो ।

श्री रोतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति जी, बिक्री कर से उपभोक्ताओं को, जनता को और सरकार को, दोनों को हानि होती है और लाभ भ्रष्टाचारी अधिकारियों, नम्बर दो का धन्धा करने वाले अधिकारियों को होता है, इसलिए इसको समाप्त करने की मांग बहुत दिनों से चली आ रही है। आपने अभी इसके बारे में जवाब भी दिया है जनता सरकार ने भी इस को खत्म करने के लिए अपने मैनीफेस्टो में रखा था, वह सरकार सवा दो साल तक ही चल पाई, उसने भी इसके लिए एक कमेटी बनाई थी। उसके बाद 1980 में जब आप सत्ता में आये तो उस समय आपने भी अपने मेनीफेस्टो में इसको रखा था, चार वर्ष से अधिक का समय गुजरने जा रहा है, दो-तीन बार आपने मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन किया और सम्मेलन में डिफरेंसेज सामने

आये, इससे राज्यों की जो आर्थिक क्षति होती है, जब तक क्षतिपूर्ति के लिए कोई कारगर फार्मूला नहीं होगा, जब तक सभी राज्यों को यह विश्वास नहीं हो जायेगा कि बिक्री कर के द्वारा वे अपने विकास कार्यों के लिए जो धन जुटाते हैं, किसी दूसरे तरीके से उसकी पूर्ति नहीं होती है, तब तक वे उस का विरोध करते रहेंगे।

इस सम्बन्ध में मैंने जो आंकड़े एकत्रित किए हैं उनके अनुसार सब राज्यों का मिलाकर 5403.9 करोड़ रुपया सेल्ज टैक्स के रूप में वसूल किया जाता है। यदि अलग-अलग राज्यों को देखा जाय तो—

महाराष्ट्र	1065 करोड़ रुपये
तामिलनाडू	623.7 ,, ,,
गुजरात	481.2 ,, ,,
वेस्ट बंगाल	427.7 ,, ,,
यू० पी०	416.4 ,, ,,
आन्ध्र प्रदेश	410.8 ,, ,,
कर्नाटक	330 ,, ,,
केरल	288.4 ,, ,,
बिहार	258.5 ,, ,,
मध्य प्रदेश	258.5 ,, ,,
पंजाब	246.8 ,, ,,
राजस्थान	209 ,, ,,
हरियाणा	161 ,, ,,
उड़ीसा	109.3 ,, ,,
आसाम	66.2 ,, ,,
जम्मू काश्मीर	21.1 ,, ,,
अन्य राज्य	10.7 ,, ,,

यह आमदनी उन राज्यों को बिक्री कर के द्वारा होती है जिससे उन राज्यों के विकास की योजनायें चलती हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उनकी जो यह धारणा है कि इसके द्वारा उनकी योजनायें चलती हैं। वास्तविकता यह है कि इससे कई गुना राशि भ्रष्टाचार में चली जाती है।

[श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा]

उससे करोड़ों जनता पीड़ित होती है। इसलिए यह बिक्री कर हर हालत में समाप्त होना चाहिए। त्रिपाठी कमेटी ने जो फार्मूला इसके लिए बताया है, उसके अनुसार काम किया जाना चाहिए। अभी तक इस ओर क्या कार्यवाही का गई है और राज्यों की क्षति पूर्ति के लिए क्या व्यवस्था की गई है।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि बिक्री कर की दर हर राज्य में अलग-अलग है। इससे कीमतों में एकरूपता नहीं आ पाती। टायर की कीमत एक राज्य में कुछ हैं और दूसरे राज्य में और कुछ है। इससे बड़ा घोटाला होता है और लोग लाभ कमाते हैं। इसलिए बिक्रीकर लाभदायक नहीं कहा जा सकता।

चार वर्ष का समय बीत चुका है, मैं जानना चाहता हूं कि सरकार इस ओर क्या करने जा रही है। आपने आम जनता को वादा किया था, क्या अब जनता को धोखा देने जा रहे हैं। या फिर जैसे पंजाब समस्या और आसाम समस्या चली जा रही है उसी तरह से यह समस्या भी चलती रहेगी और मीटिंग्स भी चलती रहेंगी। इस तरह से काम नहीं हो सकता। इसलिए आप क्या कारगर कदम उठाने जा रहे हैं और क्षति पूर्ति की क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि आम जनता को लाभ हो सके।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) महोदय, राज्यों को क्षतिपूर्ति के संबंध में, माननीय सदस्यों को त्रिपाठी समिति द्वारा तैयार किए गए फार्मूले की जानकारी है रिपोर्ट में इस बात का ध्यान रखा गया है कि राज्यों को जो इन-5 विशेष वस्तुओं से सामान्य विकास दर की आशा है उसको बनाये रखा जाएगा यदि इसको अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के रूप में वसूल किया जाता है। बिक्री कर को समाप्त करने का प्रश्न नहीं है। प्रश्न केवल उसको युक्तिसंगत बनाने का है जिसमें कि धीरे-धीरे बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाया जा सके। इसमें कोई सन्देह नहीं कि इसमें कठिनाइयाँ हैं और केवल उन कठिनाइयों के कारण युक्तिसंगत का प्रश्न सामने आ रहा है। इसके साथ-साथ, माननीय सदस्यों को इस तथ्य की भी जानकारी है कि राज्यों ने इस व्यवस्था का उपयोग करके अपने संसाधनों को जुटाया है। यदि हम उसे राज्यों के दृष्टिकोण से और अपने व्यवहारिक अनुभव से देखें, तो यह पता चलता है कि किसी दल का भेदभाव किए बिना, राज्यों ने इसे बहुत सी महत्त्वपूर्ण व्यवस्था माना है जिसके माध्यम से वे संसाधनो को जुटा सकते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। इसलिए हम उनके ऊपर जिस बात का जोर डालने की कोशिश कर रहे है वह यह कि यदि वे त्रिपाठी समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लेते हैं तो हम यह सुनिश्चित करेंगे कि इन पांच वस्तुओं पर इस कारण न केवल राजस्व की निबल क्षति न होनी चाहिए बल्कि यहाँ तक कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क के मामले में भी उन्हें उचित वृद्धि प्राप्त हो सके। महोदय, यह खाली वायदा ही नहीं है। जैसाकि माननीय सदस्यों ने नोट किया होगा यहां तक कि इस वर्ष के बजट के दौरान, 8.5 प्रतिशत के लक्ष्य के आंकड़ों तक पहुंचने के लिए, जिसकी अध्ययन दल द्वारा सिफारशें की गई थी, जब मैंने देखा कि मैं अन्य वस्तुओं का अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि नहीं कर सकता तो मैंने मूल उत्पादन शुल्क के कुछ भाग को अर्थात लगभग 70 करोड़ रुपए अन्तरित कर दिए जब मैं बजट प्रस्तुत कर रहा था तो मैंने कहा था कि मैं जर्दा, बाकू और सिगरेटों पर शुल्क में वृद्धि कर रहा हूं और सदस्यों ने तत्काल हंसना शुरू कर दिया

था। लेकिन यह केवल मूल उत्पादन शुल्क में अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से स्थानांतरण था। मै इस विशेष मुद्दे का इसलिए जिक्र कर रहा हूं जिससे कि माननीय सदस्य पर इस बात का जोर दिया जा सके कि हम यह सुनिश्चित करना चाहते है कि राज्यों के हितों की रक्षा की जाएगी। लेकिन

6.35 म० प०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यहाँ बैठने वाले माननीय सदस्यों अथवा स्वयं मेरा, ऐसा मुद्दा नहीं है कि हमने उनके हितों कि रक्षा के लिए काफी कुछ किया है। उन्हें स्वयं इस बात को मानना चाहिए। हम ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए, मैं इसे फिर से कह रहा हूं कि—जब तक हम इस विषय में किसी प्रकार का मतैक्य तैयार करने में और केन्द्र तथा राज्यों के बीच सौहार्द पूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने की स्थिति में नही हैं, हमारे लिए एकपक्षीय निर्णय करना कठिन होगा और हम एकपक्षीय निर्णय नहीं लेना चाहते हैं। इस कारण हमने इसकी प्रतीक्षा की है।

बहुत से सम्मेलन हो चुके हैं। मेरे साथी, श्री वेंकटरामन ने मुख्य मंत्रियों के दो सम्मेलन बुलाये थे। स्वयं मैंने दो सम्मेलन बुलाए हैं और एक और सम्मेलन बुलाया जा रहा हैं। मुझे आशा है कि इससे कुछ तरीका निकालना संभव होगा जिसके माध्यम से इस मांग को पूरा करना संभव होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, 15 फरवरी 1981 को मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में यह तय हुआ था कि वनस्पति, ड्रग्स एण्ड मेडीसीन्स, सीमेन्ट, पेपर एण्ड पेपर बोर्डस और पैट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लगे हुए बिक्री कर को एडीशनल एक्साइज ड्यूटी में बदलने के सवाल पर विचार करने के लिए एक एक्सपोर्ट कमेटी बनाई जाये। उसी बैठक में पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू-काश्मीर ने सिद्धान्ततः अपना विरोध प्रकट किया था। जो प्रस्ताव पास किया, उसकी एक प्रति मेरे पास है। उसमें लिखा हुआ है कि :

"संक्षिप्त चर्चा के बाद सम्मेलन द्वारा प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। जबकि पश्चिम बंगाल, केरल और जम्मू-काश्मीर राज्यों ने सिद्धान्ततः प्रस्ताव पर अपना विरोध प्रकट किया।"

इसमें कर्नाटक और गुजरात का भी नाम नहीं है।

श्री प्रणब मुखर्जी : वर्ष 1981 में, आप वहां नहीं थे, आपके मित्र वहां नहीं थे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मगर, केरल है। इसके बाद और बैठकें हुई। मैं मानता हूं कि वित्त मंत्री महोदय ने बड़ी ईमानदारी से अपने मेनिफेस्टो पर अमल करने की कोशिश की है। मगर, कठिनाई यह है कि राज्य सरकारों और जो गैर-कांग्रेसी राज्य सरकारें हैं, उनको यह चिन्ता है कि बिक्री-कर के अलावा आमदनी का और कोई स्रोत उनके पास नहीं है। विकास की आवश्यकताएं और लोगों की जरूरतें बढ़ रही हैं। राज्य सरकारें कहां से साधन जुटाएं ? इसलिए, बिक्री-कर को एडीशनल एक्साइज ड्यूटी में बदलने का सवाल, केन्द्र और राज्यों के सम्बन्धों का

[श्री अटल बिहारी वाजपेयी]

सवाल बन गया है और राज्यों को अधिक वित्तीय अधिकार देने का सवाल भी बन गया है। मेरी, मुख्य मंत्रियों से, श्री हेगड़े से और मार्क्सवादी मित्रों से भी चर्चा हुई है। उनकी शिकायत यह है कि जब केन्द्र सरकार एडीश्नल एक्साइज ड्यूटी लगाती है तो उसकी दर कम रखती है। एडीश्नल एक्साइज ड्यूटी से जो आमदनी होती है, वह पर्याप्त नहीं होती। आप कोई भी फार्मूला निकाल लें। आपने राज्यों को संतुष्ट करने के लिए फार्मूलों की चर्चा की है। त्रिपाठी कमेटी ने इसमें बड़ी मेहनत से काम किया है। लेकिन, राज्यों की कठिनाई उससे दूर नहीं होती। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या एडीश्नल ड्यूटी लगाने का अधिकार, वह राज्यों को देने को तैयार है? यह ठीक है कि इसके लिए संविधान बदलना पड़ेगा और पावर्स के डेलीगेशन में कुछ परिवर्तन करना पड़ेगा। लेकिन देश का, उद्योग का, व्यापार का और उपभोक्ता का हित इसमें है कि जहां कारखाने में माल बनता हैं, फैक्टरी से माल निकालते समय टैक्स ले लिया जाए। वह चाहे राज्य सरकार या केन्द्र सरकार ले। इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन, अगर आमदनी बढ़ानी है, परेशानी रोकनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर भी घटाना है और भ्रष्टाचार तथा तथा रिश्वतखोरी पर भी प्रहार करना है। तो आपको एक बुनियादी फैसला करना पड़ेगा कि जहां माल बनता है उन फैक्टरीज के दरवाजे पर ही टैक्स लेंगे। केन्द्र और राज्यों के झगड़े में इस मूल बात को हम अपने ध्यान से ओझल न होने दें। क्योंकि व्यापारी तो उपभोक्ता से सेल्स टैक्स लेता है, इसलिए वह टैक्स वसूल करने की एजेंसी मात्र है आप कहीं भी चले जाइये, हर जगह अपासे व्यापारी पूछता है कि आपको कैशमिमो चाहिए? इस तरह जो टैक्स वे लोग बचाते हैं, वह तो सरकारी खजाने में आना चाहिए—भले ही केन्द्रीय खजाने में आये या राज्यों के खजाने में जाए। मैं वित्त मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस सवाल पर थोड़ा गहराई से जाकर क्या आप एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाने का अधिकार प्रदेश सरकारों को देने के लिए तैयार हैं या नहीं? क्या आप राज्य सरकारों को अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने का अधिकार देने को तैयार हैं। आप पारिभाषिक शब्दावली बदल दीजिए। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु केन्द्रीय उद्देश्य यह होना चाहिए कि उत्पादों पर उस समय कर लगाया जाए जब वह कारखाने से आते हैं। इसके बिना आपका उद्देश्य पूरा नहीं होगा। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि आपने टोबेको, क्लाथ एण्ड शुगर पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाई हुई है, आपका इस सम्बन्ध में अनुभव या एक्सपीरियेंस क्या है। क्या वह तजुर्बा अच्छा नहीं है अथवा इसके बारे में आपके पास राज्य सरकारों से शिकायतें आ रही हैं। यदि इन तीन वस्तुओं पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी का एक्सपेरिमैंट सफल रहा है तो पांच अन्य वस्तुओं पर एडीशनल एक्साइज ड्यूटी लगाये जाने का आप विरोध क्यों करना चाहते हैं। दूसरी बात, स्टेटमैंट में मेरी समझ में यह नहीं आई, जहां आप कहते हैं—

अपने वक्तव्य में आपने इस प्रकार कहा है—

"नवम्बर, 1983 में हुए सम्मेलन में बहुत से मुख्य मंत्रियों ने त्रिपाठी समिति द्वारा बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क शुरू करने सम्बन्धी सुझाई गई योजना को सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लिया है। तथापि, कुछ मुख्य मंत्रियों ने इस बात का संकेत दिया कि वे त्रिपाठी समिति द्वारा सुझाई गई योजना कोस्वीकार करने की स्थिति में नहीं हैं। फरवरी, 1981 में किए गए संकल्प को लागू करने के लिए केन्द्रीय वित्त मंत्री का धन्यवाद करते हुए मुख्य मंत्रियों ने यह संकल्प किया कि प्रयास जारी रहने चाहिएं।

श्री प्रणब मुखर्जी : क्या आप अगला वाक्य पढ़ेंगे ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : "यह इस प्रकार है : इन मुद्दों पर राज्य सरकारों के बीच सहमति करवाने के लिए प्रयास जारी रखे जाने चाहिएं।" उन्होंने वित्त मंत्री का धन्यवाद क्यों किया ? किस उद्देश्य के लिए ? उन्होंने आपकी सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया।

श्री प्रणब मुखर्जी : आप उनसे पूछिए। (**व्यवधान**)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : वित्त मंत्री अपनी विश्वासोत्पादक शक्ति के लिए मशहूर हैं। परन्तु हमें इसमें दलगत राजनीति नहीं लानी चाहिए। राज्यों को संसाधन जुटाने की उनकी शक्ति से वंचित करने की कोई तुक नहीं होनी चाहिए। परन्तु समाधान खोजा जा सकता है यदि राज्यों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाता है, और कोई फार्मूला तैयार किया जाता है तो यह अच्छी बात है ताकि राज्यों की आय में कमी किए बिना करावान प्रणाली में परिवर्तन किया जा सके। इस लोक सभा के भंग होने से पूर्व क्या मैं वित्त मंत्री से कोई आश्वासन प्राप्त कर सकता हूं ?

श्री प्रणब मुखर्जी : आप इसे भंग क्यों करना चाहते हैं ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह निश्चित रूप से भंग होनी है। क्या लोक सभा की अवधि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री प्रणब मुखर्जी : यह अपने वास्तविक समय पर समाप्त होगी। यह भंग क्यों की जानी चाहिए ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैंने अपनी बात सही कर ली है। अगले आम चुनावों से पहले आपने जनता से एक वायदा किया है और लोगों की अपेक्षाएं उभारी गई हैं। कागज और गत्तों का काम करने वाले मर्कनटाइल समुदाय ने बंद का आयोजन किया। पिछले दिन पूरे देश में औषध विक्रेताओं ने हड़ताल की। इसलिए आपने अपेक्षाएं बढ़ाई हैं और आपका कार्य उनके अनुरूप होना चाहिए। इसीलिए मैं वित्त मंत्री से आश्वासन लेना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उस हड़ताल के नेता भी यहां बैठे हैं।

एक माननीय सदस्य : उनका नाम सूची में नहीं है। वह इससे सहमत नहीं हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उनका कार्य सराहनीय है। मान्यवर, इनके लिए चांदनी चौक में निकलना मुश्किल हो रहा है। हमें तो लोगों ने ढाई साल में हटा दिया था।

श्री भीखू राम जैन : फिर तो मैं उन्हें कभी भी हड़ताल करने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : लोगों ने चार वर्ष का समय दिया था। और हमें केवल ढाई वर्ष बाद ही अस्वीकार कर दिया गया। परन्तु अब धैर्य समाप्त होता जा रहा है। इसलिए

[श्री अटल बिहारी बाजपेयी]

धैर्य पर और अधिक कर मत लगाइये । वित्त मंत्री को अपनी सारी विश्वासोत्पादक शक्ति का प्रयोग करना चाहिए और एक ऐसा फार्मूला तैयार करना चाहिए जो राज्यों को स्वीकार्य हो और उससे अपेक्षित परिणाम प्राप्त किए जा सकें ।

श्री प्रणब मुखर्जी : श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा तीन मुद्दे उठाए गये हैं ।

पहला—मैं नहीं चाहूंगा—मैं इस बारे में उनसे सहमत हूंगा—इसमें कोई दलगत तत्व घुसेड़ना या समर्थक तत्व घुसेड़ना । परन्तु तथ्य यह है कि यद्यपि तीन मुख्य मंत्री संकल्प से भी सहमत नहीं हुए, फरवरी 1981 में हमने बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लगाने के प्रश्न पर गौर करने के लिये एक समिति नियुक्ति की । यह उन तीन मुख्य मंत्रियों की एक विशेषज्ञ समिति थी । दुर्भाग्यवश केरल सहित राज्य सरकारों के सभी प्रतिनिधि विरोधी पक्ष के थे; केरल का प्रतिनिधित्व श्री नयनार ने किया था । यह फरवरी, 1981 में था । मेरा विचार है कि अब श्री वाजपेयी इसे महसूस करेंगे ।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केरल का भी वही दृष्टिकोण रहेगा ।

श्री प्रणब मुखर्जी : केरल, जम्मू और कश्मीर तथा पश्चिम बंगाल, इन तीन राज्यों का आपने उल्लेख किया है । पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व वहां के वित्त मंत्री, डा० अशोक मैत्रा ने किया था, जम्मू और कश्मीर का प्रतिनिधित्व वहां के वित्त मंत्री, श्री डी० डी० ठाकुर ने तथा केरल का प्रतिनिधित्व वहां के मुख्य मंत्री, श्री नयनार ने किया था । परन्तु मैं उसका जिक्र नहीं कर रहा हूं । जो प्रमुख बात उन्होंने कही है वह यह है कि ये राज्य सहमत नहीं हुए । मैं उन्हें यह नहीं कह रहा हूं कि उन्हें मेरी बात को आश्वासन के रूप में लेना चाहिए आप तथ्य देखिये । तथ्य क्या हैं अब 1956-57 में ये तीन वीजें यानी तम्बाकू, चीनी और वस्त्रों को अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के सीमा क्षेत्र में लाया गया था यदि आप बिक्री कर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और मूल उत्पाद शुल्क में हुई वृद्धि को देखें और सम्पूर्ण प्रतिशतता की गणना करें और देखें कि कितनी वृद्धि हुई है—मेरे पास आंकड़े हैं—वर्ष 1958-59 में बिक्री कर 123.9 करोड़ रुपये था और 1983-84 में यह बढ़कर 6,310 करोड़ रुपए हो गया । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, जो कि 1958-59 में 312.94 करोड़ रुपये था, बढ़कर 10.25.33 करोड़ रुपये हो गया; और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, जो कि केन्द्र द्वारा एकत्र करके राज्यों को दिया जाता है, वह उस समय केवल 16.12 करोड़ रुपए था; और जो बढ़कर 672.81 करोड़ रुपए हो गया है । परन्तु सही आंकड़ों के मुताबिक हम कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते । इसलिए हमें वृद्धि को प्रतिशतता के आधार पर आंकना होता है । बिक्री कर के मामले में प्रतिशत वृद्धि 1958-59 से 1983-84 के दौरान औसतन प्रतिवर्ष 16.73 प्रतिशत की रही है । और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क जो कि केन्द्र द्वारा एकत्र किया जाता है और राज्यों को बांट दिया जाता है, में कितनी वृद्धि हुई है ? इस अवधि में इससे औसत वार्षिक वृद्धि दर 17.07 प्रतिशत रही है । और जब मैं यह तथ्य पेश कर रहा हूं । तो मैं नहीं जानता कि उन्हें संतुष्ट करने के लिए इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूं? यदि आप उन पांच उत्पादों के बारे में कमलापति त्रिपाठी की रिपोर्ट भी देखें तो पायेंगे कि पहली श्रेणी में कागज, गत्ते, औषध और दवायें हैं तथा दूसरी श्रेणी में पैट्रोलियम उत्पाद और सीमेंट हैं और इससे आप स्वयं संतुष्ट होंगे कि जो

फार्मूला तैयार किया गया है और घोषित किया गया है वह राज्यों के हितों की रक्षा के लिए बना है। इसलिए यह न तो गणित का प्रश्न है और न ही तथ्यों का मुझे यह कहते हुए खेद है कि यह प्रश्न है व्यवहार का और दृष्टिकोण का।

श्री अटल बिहारी बाजपेयी : वे केन्द्रीय सरकार पर विश्वास नहीं करते। यही कठिनाई है।

श्री प्रणब मुखर्जी : ऐसा नहीं है। जो दूसरा प्रस्ताव किया है—मुझे नहीं पता कि आप को कैसे यह विचार आया—वह यह है कि अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लाने का अधिकार राज्यों को दे दिया जाए। यदि हम राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दें तो मुझे डर है कि बंगाल में टायर कारखाने पर पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर की दर अलग होगी और उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा टायर कारखाने पर लगाए जाने वाले कर की दर अलग होगी। और फिर बिक्री कर के मामले में भी ऐसा ही होगा, जिससे हमें मदद नहीं मिलेगी। जब तक कर की दरें एक समान न हों यो आपके दिमाग में जो मूल उद्देश्य है वह पूरा नहीं होता।

पहले वक्ता कह रहे थे कि बिक्रीकर एकत्र करने की प्रशासकीय लागत 2 से 3 प्रतिशत तक है और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एकत्र करने पर यह लागत 0.6 से 0.8 प्रतिजत आती है। हम यह किस प्रकार प्राप्त कर रहे हैं ? क्योंकि हम कर एक ही स्थान पर एकत्र कर रहे हैं। हम अतिरिक्त उत्पाद शुल्क एकत्र करने के लिए भी उसी तन्त्र का उपयोग कर रहे हैं। परन्तु ज्यों ही यह अधिकार हम राज्यों को दे देते हैं तो हम किस व्यवस्था के अंतर्गत सभी राज्यों को एक समान कर प्रणाली रखने के लिए कहेंगे ?

यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा इसे मानने से अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होंगे। इसके अलावा लाभ उन राज्यों को चला जाएगा जहां निर्माण एकक स्थापित हैं। उपभोग करने वाले राज्यों में अंतर है। उपभोग करने वाले राज्य मुझे यह सुझाव दे रहे हैं कि सांझा पूल प्रणाली होनी चाहिए जिसमें से इसका वितरण किया जाए। उत्पादन करने वाले राज्य सुझाव दे रहे हैं कि चूंकि इनका उत्पादन उनके राज्यों में हो रहा है इसलिए इसका लाभ उन्हें मिलना चाहिए। इन दो एकदम विपरीत सुझावों को देखते हुए भी सम्मेलन में एक सुझाव यह भी दिया गया कि इन दोनों सुझावों में थोड़ा समझौता कर सकते हैं अर्थात कुछ राशि तक की पूल व्यवस्था कर दी जाए और कुछ राशि उत्पादक राज्यों को प्रोत्साहन के रूप में दे दी जाए। हम कुछ नियम तैयार कर रहे हैं। मुझे आशा है कि अगली बैठक में हमारे लिए किसी निष्कर्ष पर पहुंचना संभव हो सकेगा। इसलिए हम उन्हें राजी करने का प्रयास कर रहे हैं। जिस संकल्प का माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है मैंने इसके एक-एक शब्द के लिए वहां उपस्थित मुख्य मंत्रियों और उनके प्रतिनिधियों की सहमति प्राप्त की है। उन्होंने मुझसे सहमति कम की है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो फिर तो ऐसी स्थिति होती कि कुछ मुख्य मंत्रियों ने व्यक्त कहा होता कि वे यह नहीं चाहते और कुछ मुख्य मंत्रियों ने यह कहा होता कि वे यह चाहते हैं यह स्वाभाविक है कि यदि मत स्पष्ट रूप से विभाजित हैं तो फिर हमें या तो बहुमत या

[श्री प्रणव मुखर्जी]

अल्पमत के आधार पर निर्णय लेना होता है। परन्तु हमने ऐसा नहीं होने दिया। माननीय सदस्य भी मुझसे इस बात में सहमत होंगे कि ऐसे मामलों में ऐसा करना वांच्छनीय नहीं है। इसलिए मैं इस बारे में सर्वसम्मति का प्रयास कर रहा हूं जिससे हमें मदद मिलेगी। जहां तक मेरी विश्वासोत्पादक अर्थात मनाने की शक्ति का प्रश्न है तो यदि मेरी विश्वासोत्पादक शक्ति पर्याप्त नहीं है तो मैं चाहूंगा कि मेरे अच्छे पुराने मित्र, श्री वाजपेयी मेरी इसमें मदद करें। यदि महोदय, आपके माध्यम से मैं उन्हें यह अनुरोध कर सकूं कि उन्हें··· (व्यवधान)

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : केवल एक राज्य के बारे में।

श्री प्रणब मुखर्जी : अब वह ही मेरे लिए पर्याप्त होगा। मैं यह आशा करता हूं कि इस बारे में न केवल सहमति है बल्कि यदि मुझे यह कहने की अनुमति दी जाए तो मैं यह कहूंगा कि मैं और श्री बाजपेयी या यहाँ उपस्थित सभी सदस्य एक मत हैं। मैं भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के सदस्य की तरफ से नही बोल सकता क्योंकि वह तुरन्त कूद सकते हैं और कह सकते है कि नहीं, वे इससे सहमत नहीं हैं, परन्तु इसके अलावा इस संसद के बहुत से सदस्यों अधिकांश जनमत—व्यापार वाणिज्य और उद्योग, उनके वाणिज्य संघों, अर्थशास्त्रियों, ने यह भी कहा है कि प्राथमिक रूप से उन्हें थैली के आकार से मतलब है। और यही वह मूद्दा है जिस पर मैं जोर देने का प्रयास कर रहा हूं।

चाहे आपके पास शुल्क लगाने का अधिकार है या नहीं, यह बात महत्वपूर्ण है, परन्तु इससे भी अधिक जो बात महत्वपूर्ण है वह है कि आपकी थैली छोटी होगी या बड़ी ? हम तन्त्र निर्माण के बारे में विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। यदि आप कोई फार्मूला खोज सकें तो खोज सकते हैं मुझें उसे स्वीकार करने और उसका परिक्षण करने में कोई आपत्ति महीं है परन्तु इस सिद्धांत पर हमें इस बात पर सहमत होना होगा कि इन उत्पादों के बारे में बिक्री कर के स्थान पर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क होना चाहिए और उसके बाद ऐसा फार्मूला तैयार किया जा सकता है जिसमें सभी राज्य सहमत हों। और ऐसा करने में मुझे कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए हम उन्हें राज़ी करने का प्रयास कर रहे हैं और कोई हल खोजने का प्रयास कर रहे हैं। जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने एक समय पर यह कहा था कि देखिये हम इस विषय पर अनिश्चित काल तक चर्चा नहीं कर सकते इसके लिए कुछ समय सीमा निर्धारित होनी चाहिये। मैं श्री वाजपेयी के साथ इस बात में सहमत हूं कि लोगों को विशेषकर व्यापार और उद्योग के क्षेत्र के लोगों को एक अपेक्षा हैं, और इस बारे में कुछ हल निकाला जाना चाहिए और यदि यह व्यवस्था के भीतर नहीं किया जा सकता, तो हमें उन्हें यह बताना होगा कि हां हमने प्रयास किए परन्तु हम यह नहीं कर सके या हमें बहुमत अल्पमत के आधार पर कोई निर्णय लेना होगा। प्रकटतः, हम, विशेषकर इस क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति नहीं रख सकते जहां हर समय अल्पसंख्यक मत बहुसंख्यक मत पर अभिभावी रहे। आज मैं यहां बैठा हूं, यदि कल श्री सतीश अग्रवाल यह सीट संभालते हैं तो वह यह परेशानी क्यों उठाना चाहेंगे ? जब मैं बजट पेश करता हूं या कोइ भी वित्त मंत्री बजट पेश करता है, तो उसे यह करना पड़ेगा, यह उसका कर्त्तव्य है। और आप किसके लिए शुल्क में बृद्धि कर रहे हैं ? यह आपके केन्द्र की तिजोरी में नहीं आ रहा है। आप दूसरों के लिए वृद्धि कर रहे

हैं परन्तु आप सभी का कोपभाजन बन रहे हैं आपको याद होगा कि पहले वर्ष 1982 में जब मैंने अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि की थी तो श्री सोमनाथ चटर्जी ने इसका मुख्य रूप से विरोध किया था, वे यहाँ नहीं हैं। जब मैंने उन्हें समझाया कि जो कुछ भी किया गया है उससे आप भी बिल्कुल लाभान्वित होंगे, तो उन्होंने यह बात समझ ली। इसलिए शुल्क लगाना किसी भी वित्त मंत्री के लिए कोई बहुत खुशी का काम नहीं है परन्तु हम वह जिम्मेदारी इस इच्छा से नहीं ले रहे हैं कि राज्यों को उनके जायज हिस्से से वंचित कर दिया जाए बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए ले रहे हैं कि उनका सामान्य विकास बना रहे हैं। इस संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जब मैं बिक्री कर के बारे में बात कर रहा था तो एक बहुत गलत सादृश्य प्रस्तुत किया गया हैं कि यह 123.9 करोड़ रुपये से बढ़कर 6310 करोड़ रुपये हो गया है, ऐसा नहीं है कि इसमें सीधी वृद्धि हुई है इसका मतलब है कि पूर्ववर्ती वर्षों में बिक्री कर के अन्तर्गत जो उत्पाद आते थे उनकी संख्या में वृद्धि हो गई है।

परन्तु केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के मामले में आप इस बात की सराहना करेंगे कि मद संख्या 68 को छोड़कर, जो कि 1985 में शुरू की गई थी, और वह आंकड़े एकत्र करने की प्रक्रिया के रूप में, यदि 1958-59 से 1975-76 तक की अवधि में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क में हुई वृद्धि का आप विश्लेषण करें तो पायेंगे कि इसमें वृद्धि सीधी हुई है न कि समानान्तर, परन्तु बिक्री कर में राजस्व की वृद्धि सीधी और समान्तर दोनों तरह की हुई है।

7.00 म० प०

अत: जब कोई व्यक्ति यह तुलना करने का प्रयास करता है कि उत्पाद शुल्क की तुलना में बिक्री कर में बहुत अधिक वृद्धि हुई है, तब उसे पता चलेगा कि उत्पाद शुल्क में राशि की दृष्टि से वृद्धि हुई है। मैं अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की बात नहीं कर रहा हूं। अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में थोड़ी अधिक वृद्धि हुई है। 1958-59 से 1983-84 तक बिक्री कर की औसत वृद्धि दर 16.71 रही है। 1958-59 के 1983-84 तक अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि दर की औसत 17.07 रहा है। परन्तु आधार भूत उत्पाद शुल्क में भी राशि की दृष्टि से वृद्धि हुई है। उसका अर्थ है कि एक के बाद एक वित्त मंत्रियों ने शुल्क की दर में वृद्धि की है। मैं यह नहीं कहता कि इसमें कुछ और वस्तुऐं शामिल नहीं की गई हैं। इसमें कुछ और वस्तुऐं भी शामिल की गई हैं परन्तु यह बिक्री कर की तुलना में कहीं कम हैं।

अंत में, महोदय, मेरा कहना यह है कि बिक्री कर को हटाकर अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लाने में कोई दो राय नहीं हैं। प्रत्येक व्यक्ति इसकी प्रशंसा करता है कि राज्यों के हितों की रक्षा की जानी चाहिए और जहां तक राज्यों का संबंध है उन्हें कोई हानि नहीं होनी चाहिए। दूसरी और ऐसा कोई तर्क होना चाहिए जिसके माध्यम से हम उनके राजस्व में उचित वृद्धि सुनियोजित कर सकें। यदि इन वस्तुओं को बिक्री कर के क्षेत्र से निकाल दिया जाए और उन्हें अतिरिक्त उत्पाद शुल्क के अधीन ले आऐं।

जो तीसरी बात हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं वह यह है कि हम एक आम राय बना रहे हैं। मैं यह आशा करता हूं कि मुझे सदस्यों का समर्थन और सहयोग मिलना संभव हो सकेगा।

[श्री प्रणब मुखर्जी]

मैं इस चर्चा की कार्यवाही को मुख्य मंत्रियों में पहले से ही परिचालित करने का विचार कर रहा हूं जिससे वे कम से कम श्री वाजपेयी और अन्यों के विचार जान सकें और उस सीमा तक विचार कर सकें ।

7.02 म० प्र०

बैंककारी सेवा आयोग विधेयक—जारी

प्रो० रूपचन्द पाल (हुगली) : महोदय, हमेशा ही ऐसा नहीं होता कि मन की बात जाहिर हो । देखने में यह विधेयक हमारे माननीय वित्त मंत्री जी की ही तरह भोला-भाला मालूम देता है ।

वित्त मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं भोला-भाला नहीं हूं ।

प्रो० रूपचन्द पाल : आप देखने में वैसे मालूम पड़ते हैं । वास्तव में आप अत्याधिक चालाक हैं । लेकिन आप भोले दिखते हैं ।

श्री प्रणब मुखर्जी : मैं उनके अनुसार सबसे शरारती हूं ।

प्रो० रूपचन्द पाल : मैं उसकी भी बात करूंगा ।

महोदय, में दुविधा में था कि दिन के अंत में और शाम के अन्त में इस प्रकार का कानून लाने की क्या जल्दी थी । लगता है इसके पीछे कोई कारण है । मैं इस बात जोर पर देने का प्रयत्न कर रहा था कि यह सरकार 1980 में सत्ता में आई थी और उस समय भी बैंकिंग सेवा आयोग की सिफारिशें मौजूद थीं । 1978 में कुछ समस्याएं हो सकती थीं परन्तु 1980 से सरकार को इस पर अपना दिमाग लगाने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला और अब जल्दी बाजी में अब वह यह कानून ला रहे हैं अत: जो मैं सोच रहा था वह यह था कि क्या यह हाल ही में अधिकारियों के महासंघ, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के संगठनों द्वारा दिए गए वक्तव्य की पृष्ठभूमि में है अथवा यह दिए गए वक्तव्यों और हमारे माननीय उप वित्त मंत्री श्री जनार्दन पुजारी द्वारा हमारे देश के पश्चिमी भाग और कुछ दक्षिणी राज्यों में की गई कार्यवाही के परिणामस्वरूप है ? बैंक अधिकारी संगठनों के महासंघ ने कहा है कि यह सरकार कुछ मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों का उल्लंघन कर रही है मैं इस प्रश्न पर नहीं जा रहा हूं कि आपने किस प्रकार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की है, उन्हें तंग किया है और उनसे मांफी मंगवाई है क्योंकि यह अवसर उसके लिए नहीं है । मेरा प्रश्न यह है कि अब यह कहा गया है कि भर्ती में शीघ्रता और एकरूपता से लिए भर्ती की गुणवत्ता में सुधार हेतु सुचारू कार्य और युक्तिसंगत बनाने के लिए ऐसा किया गया है । और यह भी कि वर्तमान बोर्डों में कमियां थीं । महोदय, इन भर्ती बोर्डों को अब कौन चला रहा है ? मुझे अधिक जानकारी नहीं है, परन्तु माननीय वित्त मंत्री से मेरा विनम्र निवेदन है कि क्षेत्रीय भर्ती बोर्डों के गैर-सरकारी सदस्यों के नामों की सूची सभा-पटल पर रखने की कृपा करें ।

महोदय, कांग्रेस (आई) के वे सभी सदस्य, जो या तो हार गये थे अथवा जिन्हें लोगों ने ठुकरा दिया था—मैं कुछ नाम भी बता सकता हूं, परन्तु मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं, ये सब बातें कर रहे हैं। उनके बारे में कई शिकायतें आई हैं। मैं माननीय वित्त मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि वे क्षेत्रीय भर्ती बोर्ड के सदस्यों के नामों की सूची सभा पटल पर रखें। राज्य सरकारों को सरकारी क्षेत्रों के बैंकों से किसी भी प्रकार सम्बद्ध नहीं किया जा रहा है। ऐसे कई संसद सदस्य वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता हैं जिन्हें प्रशासनिक अनुभव है, उन्हें इन बोर्डों में नहीं लिया जाता है उसके बावजूद, अब यह मालूम पड़ा है कि उसमें कुछ कमी है और उस कमी को दूर करने के लिए वे बैंकिंग सेवा आयोग की स्थापना करके भर्तियों का केन्द्रीयकरण करने का प्रयत्न कर रहे हैं। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु, यद्यपि मैं उस व्यक्ति विशेष के विचारों से सहमत नहीं हूं, मैं इस देश के भूतपूर्व माननीय उपप्रधानमंत्री को उद्धृत करना चाहता हूं। बैंकिंग आयोग के उद्घाटन के अवसर पर प्रारम्भिक टिप्पणियों में उन्होंने कहा था कि :

> "सम्भवतः स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सहित हमारे बहुत से अखिल भारतीय बैंकों को इस अत्याधिक केन्द्रीयकरण से नुकसान हुआ है। इस दोष को दूर करने के लिए हमें न केवल नियंत्रण के किसी उपाय पर निर्भर करना होगा वरन् कोई स्वरूप देना होगा अथवा पुनर्गठन करना होगा जिससे अधिक विकेन्द्रीकरण हो सके। इसलिए, हमें अपनी बैंकिंग प्रणाली केप्रसार क्षेत्र और कार्य क्षेत्र पर सावधानी से ध्यान देना है। हमें यह देखना है कि क्या हम अखिल भारतीय बैंकों में पर्याप्त शक्तियों सहित स्थानीय बोर्डों का सृजन करके अथवा बैंकों का राज्य-वार या क्षेत्रवार विघटन करके अथवा उन्हें शहरी और ग्रामीण भागों में पुनर्गठित करके अपने उद्देश्य की प्राप्ति कर सकते हैं।"

अब बहुत अधिक समय बीत चुका है और अब आवश्यकता से अधिक केन्द्रीयकरण किया जा रहा है। मैं तब तक इस अत्याधिक केन्द्रीयकरण के विरोध में नहीं हूं जब तक कि इससे बैंकों के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य का पूर्ति होती है। लेकिन हमारे जैसे देश में जहां इतनी विभिन्नता हैं, इतना अधिक क्षेत्रीय असंतुलन है, आवश्यकताओं में भी अत्यधिक विभिन्नता है, आदिवासियों की आवश्यकताएं, पिछड़े लोगों की आवश्यकताएं, ग्रामीण लोगों की आवश्यकताएं, विभिन्न वर्गों के विभिन्न लोगों की विभिन्न प्रकार की आवश्यकताएं हैं। मेरा स्वयं का अनुभव है कि एक अलग क्षेत्र का अधिकार दूसरे क्षेत्र के सामान्य लोगों की बातें नहीं समझ सकता है। अतः, एकरूपता के नाम पर, गुणवत्ता के नाम पर यदि आप भर्ती को इस प्रकार अत्यधिक केन्द्रीयकृत कर देंगे, तो क्या यह हमारे देश के लिए सहायक होगा ? क्या इससे इस उद्देश्य की पूर्ति हो सकेगी जिसके लिए बैंकिंग क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण किया गया था ? मेरा विचार है ऐसा नहीं हो सकेगा।

महोदय, यह देखा गया है कि इन सभी दिनों के दौरान हमने इस पर चर्चा की है कि सरकारी क्षेत्र के सभी बैंक खराब स्थिति में हैं, परन्तु हमें बैंकों के कामकाज की पर्याप्त जानकारी प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। कई महत्वपूर्ण संसदीय समितियों ने सिफारिश की है कि सभी बैंकों के कार्यकरण की एक समेकित रिपोर्ट सभापटल पर रखी जानी चाहिए। परन्तु हमें अभी तक वह नहीं मिली है। हमें यह पता नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने वास्तव में कितनी राशि माफ

[श्री रूपचन्द पाल]

की। हमें बट्टे खातों की मात्रा का भी पता नहीं है। हमें यह भी पता नहीं है कि कुल कितनी राशि की धोखाधड़ी हुई है। हमें समाचार पत्रों से पता चलता है कि जहां 2 करोड़ रुपए की डकैती पड़ी उससे कहीं अधिक 130 करोड़ रुपए धोखाधड़ी से गायब किए गए हैं। हमें यह सूचनाएं समाचार पत्रों से प्राप्त होती हैं क्योंकि हमें सही सूचना प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त नहीं है महत्वपूर्ण वित्तीय समितियों ने कई बार यह सिफारिश की है कि इनके बारे में सूचनाओं को गुप्त रखने की प्रथा बंद होनी चाहिये। बैंकिंग प्रणाली, कार्यनिष्पत्ति के सम्बन्ध में, माफ की गई क्षति के सम्बन्ध में सूचना गुप्त क्यों रखी जाए ? परन्तु सरकार कहेगी "ठीक है, हमने रिजर्व बैंक आफ इंडिया के 'डिप्टी गवर्नर' श्री ए० घोष की अध्यक्षता में एक और समिति गठित कर रखी है।"

हम इसपर विचार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि सक्षम अधिकारी हैं जो राष्ट्रीय हित में राष्ट्र को उपयुक्त जानकारी देना चाहते हैं। अधिकारियों से यह 'बंधयन' करवाया जाता है कि वे किसी ग्राहक अथवा किसी भी ऋण लेने वाले व्यक्ति के सम्बन्ध में ऐसी कोई जानकारी प्रकट नहीं करेंगे, हालांकि यह लोग सारे देश को बर्बाद कर रहे हैं।

हमने स्वयं इस सदन में यह चर्चा की है कि उच्चपदस्थ व्यक्ति ही धोखाधड़ी में लिप्त हैं। सिंडिकेट बैंक का मामला सबको अच्छी तरह से मालूम है। सजा दिए जाने की बजाय, उन्हें पुरस्कृत किया गया। जबकि यह बैंकिंग सेवा आयोग स्थापित किया जा रहा है, इसमें सभी बातें अच्छी तरह से शामिल होनी चाहिएं। मैं समझ रहा था कि क्योंकि यह सरकार बैंकों का उपयोग करती है इसीलिए जल्दीबाजी की जा रही है—संकीर्ण स्वार्थ के लिए इस राष्ट्रीयकृत क्षेत्र का उपयोग किया जाता है। अन्यथा, समाचारपत्रों में छपी इन बातों को कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि राजनीतिज्ञ गरीब वर्गों को धन देने के नाम पर अमीर व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए उनके नामों की सिफारिश करते हैं। सरकार के अत्यन्त जिम्मेदार लोगों को यह टिप्पणी करते हुए सुना गया है कि गरीबों को दी गई 75% धनराशि उन तक कभी नहीं पहुंची है। सरकार ने इन सब बातों को रोकने हेतु उचित उपाय करने के बजाय अपने आदमी नियुक्त किए हैं। मुझे इसका एक अनुभव है।

जैसा कि हम बैंकिंग सेवा आयोग, इसके गठन पर चर्चा कर रहे हैं, यह कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जिसे बैंकिंग की जानकारी हो, नियुक्त किया जायेगा। मैं अपना स्वयं का अनुभव आपको बताता हूं। एक अवसर पर मैंने सरकारी क्षेत्र के कुछ बैंकों के बोर्ड में निदेशकों के बारे में पूछा। उनमें किसानों के प्रतिनिधि, कर्मचारियों, गैर-कामगारों, और सबके प्रतिनिधि थे। मैंने पाया कि किसानों का एक प्रतिनिधि कलकत्ता का था। मैंने जानना चाहा कि किसानों का प्रतिनिधि कलकत्ता में कैसे रहता है। मुझे बताया गया कि वह सुसंस्कृत किसान है। मैंने जानना चाहा कि क्या वह पहले सुसंस्कृत व्यक्ति था और फिर किसान बना अथवा पहले किसान था फिर अमीर बना और सुसंस्कृत बनकर कलकत्ता में रहने लगा।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी किसान का रिश्तेदार हो सकता है, किसान का बेटा हो सकता है।

प्रो० रूपचन्द पाल : कोई रिश्तेदारी नहीं है। यह बातें इसी तरीके से चलती रहती हैं।

गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : क्या केवल अमीर व्यक्ति ही सुसंस्कृत होते हैं ?

प्रो० रूपचन्द पाल : नहीं, सुसंस्कृत व्यक्ति नहीं। हम ऐसा नहीं कहते क्योंकि आपको याद होगा·····

उपाध्यक्ष महोदय : वे कठोर व्यक्ति होते हैं।

प्रो० रूपचन्द पाल : यदि आप बैंकों में कर्मचारी प्रणाली पर ध्यान दें तो विभिन्न रिपोर्टों और अन्य उपलब्ध दस्तावेजों से जहां तक मैंने पाया है, राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्मचारी पद्धति अधिक से अधिक अधिकारियों वाली है और क्लर्कों के भी अनुपात में अधिकारी 1:1 है आठ बैंकों में 1:2 है, सत्रह बैंकों में 1:2 : 1:3 है, पांच बैंकों में 1:3 : 1:4 है। यहां फिर यह प्रस्ताव किया गया है कि कनिष्ठ अधिकारियों के लिये 25% सीधी भर्ती की जाएगी। क्या यह कई बैंकों में कर्मचारी संगठनों और प्रबंधमंडलों के बीच हुये समझौतों के विरुद्ध नहीं होगा। क्या आप पहले से ही मौजूद अधिक अधिकारियों की संख्या वाले प्रबंधमंडल की मदद नहीं कर रहे हैं ? और यह मेरी टिप्पणी नहीं है। यह टिप्पणी एक महत्वपूर्ण वित्तीय समिति, प्राक्कलन समिति ने हाल ही में की है।

महोदय, मैं और अधिक समय नहीं लूंगा। मेरा अंतिम मुद्दा राज्य सरकारें और उनकी शिकायतों के संबंध में है। राज्य सरकारों की ऋण-जमा अनुपात, जमाराशि के उपयोग आदि के संबंध में शिकायतों के पीछे कारण हैं। एक विशेष क्षेत्र में एकत्र धन का उपयोग बाहर के क्षेत्रों में हो रहा है और वह क्षेत्र पहले जैसा ही पिछड़ा क्षेत्र रह जाता है। राज्य सरकार लोगों द्वारा चुनी जाती है। उनका भी समान रूप से प्रतिनिधि स्वरूप है। परन्तु बैंकों के मामले में उनकी कोई आवाज नहीं है। केन्द्रीय सरकार प्रत्येक दिन मतदाताओं, जो कि अधिकतर केन्द्रीय सरकार पर विश्वास नहीं करते हैं को कई झूठी बातें बताती है। राज्य सरकारों को इस प्रकार के मामलों की नीति निर्धारित करने का हक मिलना चाहिये। एक आदमी, जो कि मद्रास का है उसे पंजाब के किसी गांव में भेज दिया जाता है। क्या यह उपयोगी होगा ? क्या वह अधिकारी उस क्षेत्र की भाषा को शीघ्र सीख पायेगा और उनकी समस्याओं को समझना तो दूर रहा क्या उनकी बात भी समझ पायेगा ? एकरूपता के नाम पर, हम बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। और तो और, राज्य से किसी भी महत्वपूर्ण मामले पर परामर्श नहीं किया गया है। कम से कम, विभिन्न क्षेत्रों के अदल-बदल कर राज्य सरकारों से एक प्रतिनिधि क्यों नहीं रखा जाता है ? मैं यह नहीं कह रहा कि केवल पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। पश्चिम बंगाल सबसे अधिक वंचित राज्यों में से एक है। हमने एक अपने बैंक की मांग की है और यदि चुनावों के दौरान इसको एक मुद्दा बनाया जाए तो माननीय वित्त मंत्री को बड़ी कठिन स्थिति का सामना करना पड़ेगा। (**व्यवधान**) आपको भी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। आप सुस्त मत पड़ जाईये।

मैं यह कहकर अपने भाषण को समाप्त कर रहा हूं कि जहां तक हो सके बैंकिंग सर्विस कमीशन को निष्पक्ष बनाया जाना चाहिए। सक्षम व्यक्तियों को इसमें लिया जाना चाहिए और न

[श्री रूपचन्द पाल]

कि कलकत्ता के किसी साधारण किसान को इसमें लिया जाना चाहिए जैसाकि आपने अपने निदेशक बोर्ड का गठन किया है, जैसाकि आपने अपने वर्तमान भर्ती बोर्डों का गठन किया है। हैं। क्या आप नाम जानते हैं ? जहां तक मुझे याद है उनमें कम से कम एक व्यक्ति इस सदन का एक सदस्य था बाद में वह हार गया और अभी हाल ही में उनकी पार्टी में सम्मिलित हुआ है। यदि इस प्रकार आप अपनी पार्टी के लोगों को धन बांटकर अपने वचनबद्ध व्यक्तियों की नियुक्ति करके और अपने वचनबद्ध सिद्धान्त के अनुसार बैंक अधिकारियों पर नियंत्रण का प्रयास करके जो आपके सभी दुष्कर्मों को अनदेखा कर लेंगे, आप सरकारी क्षेत्र के बैंकों का उपयोग बल्कि दुरुपयोग करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। हम आशा करते हैं कि जब बैंकिंग सर्विस कमीशन का गठन किया जाये तो सरकार को इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए तथा हारे हुए व्यक्तियों को राजनैतिक संरक्षण प्रदान करने के बजाय उनको उपयुक्त तथा सक्षम व्यक्ति का चुनाव करना चाहिए जो भली-भांति कार्य कर सके।

उपाध्यक्ष महोदय : कोई भी व्यक्ति कागजातों को ठीक नहीं करता है। मशीन कागजातों को ठीक करती है। अब श्री जी० एम० बनातवाला बोलेंगे।

श्री मूल चन्द डागा : मैं भी बोलूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपको पुकारूंगा। यदि आप बोलना चाहते हैं तो मैं आपको पुकारूंगा। संसदीय कार्य मंत्री ने आपका मेरे पास नाम नहीं भेजा है। लेकिन यदि आप बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको पुकारूंगा।।

अब श्री जी० एम० बनतवाला।

श्री जी० एम० बनतवाला (पोन्नानी) : उपाध्यक्ष महोदय, यद्यपि बैंकिंग सर्विस कमीशन विधेयक को 1975 में पास किया गया था लेकिन सरकार ने लगभग 17 से 18 महीनों की अवधि फरवरी, 1977 तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की। जबकि चुनाव आ गये और सरकार बदल गई।

सरकार के बदलने के साथ ही बैंकिंग सर्विसज एक्ट को भी निरस्त किया गया। जिसको इस सदन द्वारा वर्ष 1975 में पास किया गया था। बैंकिंग सर्विसज कमीशन एक्ट को निरस्त करने वाला विधेयक लोक सभा द्वारा पास किया गया, लेकिन राज्य सभा द्वारा इसको अस्वीकृत कर दिया गया। इसलिए 16 मई, 1978 को दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई गई और निरसन विधेयक को पास किया गया। तत्कालीन वित्त मंत्री श्री एच० एम० पटेल ने संयुक्त बैठक में कहा था कि एक ही केन्द्रीय भर्ती एजेंसी की धारणा के आधार पर सरकारी क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की भर्ती प्रणाली भर्ती करने की प्रक्रिया को अकुशल, अनियंत्रित, बोझिल बना देगी, और सरकारी क्षेत्र के बैंकों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तद्नुसार तत्कालीन सरकार ने बैंकिंग सर्विसज कमीशन एक्ट का निरसन करने पर ठीक ही विचार किया था और इसको 16 मई, 1978 को सदन की संयुक्त बैठक करने के फलस्वरूप किया गया।

अब विधेयक को एक महत्वपूर्ण अन्तर के साथ पुनर्जीवित अथवा लागू किया गया है। यह अन्तर इस तथ्य में निहित है। कि लिपिकीय संवर्ग की भर्ती, भर्ती बोर्डों द्वारा की जाती रहेगी जबकि अधिकारियों की भर्ती स्वयं आयोग द्वारा की जायेगी। तथापि विद्यमान विवाद कि क्या भर्ती का केन्द्रीयकरण किया जाये अथवा विकेन्द्रीयकरण जारी रहेगा।

मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

वर्तमान विधेयक की एक अच्छी बात यह है कि खण्ड 22 के अनुसार बैंकिंग सर्विसिज कमीशन के वार्षिक प्रतिवेदनों को सभा पटल पर रखा जायेगा। अतः सदन के सदस्यों को इन प्रतिवेदनों के बारे में जांच पड़ताल करने का एक अवसर मिलेगा। इससे निःसंदेह रूप से राष्ट्रीयकृत बैंकों के लिये भर्ती जैसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्र में आयोग के सार्वजनिक उत्तरदायित्व में वृद्धि होगी। मैं इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूं। वर्तमान में भर्ती बोर्डमौजूद है जो इन बैंकों के लिए अपेक्षित लिपिकीय संवर्ग के लिये हजारों कर्मचारियों की भर्ती कर रहे हैं। मेरा यह सुझाव है कि इन बोर्डों को भी सांविधिक बनाया जाना चाहिये। मेरा यह सुझाव है कि भर्ती के संबंध में जहां तक बोर्डों के कार्यकरण का संबंध है, उसके उत्तरदायित्व में वृद्धि करने के लिये इन बोर्डों के प्रतिवेदनों को भी सभापटल पर रखा जाना चाहिये।

इसके अलावा, सदन के समक्ष वर्तमान विधेयक में इस बात का कोई आश्वासन नहीं दिया गया है कि सभी उपलब्ध रिक्त पदों को समय के अन्तर्गत भर लिया जायेगा। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें इस संबंध में कमीशन के कार्यकरण का बहुत कड़वा अनुभव प्राप्त है। इस विशिष्ट संबंध में मुझे संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकरण का उल्लेख करने की अनुमति दी जाये। संघ लोक सेवा आयोग के मामले में हम यह देखते हैं कि वहां पर दुर्भाग्यवश विलम्ब होता है और बहुत मात्रा में कार्य लम्बित रहता है। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत करना चाहता हूं। वर्ष 1979-80 में पूर्व वर्ष की लम्बित भर्ती की संख्या 1,717 थी। इस वर्ष के दौरान 2,618 पदों को करने की मांग प्राप्त की गई, और 2,826 पदों को करने का कार्य पूरा किया गया, और 1,509 पदों की भर्ती बकाया रही जिसकी भर्ती का कार्य वर्ष के अन्त तक लम्बित था। वर्ष 1980-81 के मामले में भी यही स्थिति है। यही स्थिति वर्ष 1981-82 के बारे में भी है। मैं वर्ष 1981-82 के सम्बन्ध में यह कहना चाहता हूं पूर्व वर्ष के लिये 1,533 पदों की भर्ती लम्बित थी। वर्ष के दौरान 3,676 पदों को भरने की मांग प्राप्त की गई और 3,695 पदों के लिये भर्ती कार्य पूरा किया गया। अतः हम यह देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग प्राप्त की गई पदों की मांग के भर्ती कार्य को पूरा करने की स्थिति में नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप भर्ती किये जाने वाले लम्बित पदों की संख्या में और अधिक वृद्धि हुई तथा वर्ष 1981-82 के अन्त में 3,077 पदों की भर्ती करना बकाया था। इस सम्बन्ध में मैंने संघ लोक सेवा आयोग के कार्यकरण का इसलिए जिक्र किया है क्योंकि उद्देश्यो के कथन में हमें यह बताया गया है कि बैंकिंग सर्विस कमीशन संघ लोक सेवा आयोग की भांति कार्य करेंगे। अतः मैं सरकार से यह आग्रह करना चाहता हूं और सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि वह इस ओर ध्यान दे कि बैंकिंग सर्विस कमीशन के मामले में इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न न हो और इस सदन को कोई आश्वासन दिया जाना चाहिए। विधेयक में कुछ विनियमन निर्धारित किए जाने चाहिएं ताकि यह देखा जा सके कि उपलब्ध रिक्त पदों को समय पर भर लिया जायेगा।

[श्री जी० एम० बनातवाला]

मुझे इस बात के दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि भर्ती नीति तर्क संगत, उद्देश्यपूर्ण तथा निष्पक्ष होनी चाहिए। भर्ती चाहे भर्ती बोर्डों अथवा बैंकिंग सर्विस कमीशन द्वारा की जाये, मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भर्ती नीति इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कमजोर वर्गों तथा अल्पसंख्यकों को अवसर मिल सके। यदि बैंकों को समाज की विविध आवश्यकताओं की उचित सेवा करनी है तो कर्मचारियों को सभी धर्मों, सभी भाषाओं के क्षेत्रों तथा सभी अल्पसंख्यकों से लिया जाना चाहिए। मेरे से पूर्व के वक्ता एक निष्पक्ष तथा संतुलित भर्ती नीति की आवश्यकता के बारे में बता रहे थे, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी न्याय करेगी। इसे सभी क्षेत्रों तथा सभी वर्गों के लोगों के साथ न्याय करना चाहिए। दुर्भाग्यवश मुझे ऐसा कहने की अनुमति दी जाये— राष्ट्रीयकृत बैंकों की भर्ती सरकारी सेवा के लिए भर्ती की भांति निराशापूर्ण कहानी है।

मुस्लिम लोगों की प्रतिशतता कुल जनसंख्या का लगभग 12 प्रतिशत है। हम सरकार के अधीन बैंक क्षेत्र में मुस्लिम कर्मचारियों की संख्या पर विचार करते हैं। 1317 शाखओं के अध्ययन से यह आंकड़े प्राप्त होते हैं कि कर्मचारियों की कुल संख्या—1,13,772; जिनमें मुस्लिम कर्मचारियों की कुल संख्या 2479 है, इन मुस्लिम कर्मचारियों का शेयर 2.18% है। चूंकि पदों की अधिकतर संख्या श्रेणी तीन तथा श्रेणी चार में है इसलिए मैं इनका ब्यौरा भी देना चाहता हूं। श्रेणी तीन में कर्मचारियों की कुल संख्या—61,151 और इनमें मुस्लिम कर्मचारियों की संख्या है—1295, जो 2.12 प्रतिशत है। श्रेणी चार के मामले में भी ऐसा ही ब्यौरा है। कर्मचारियों की कुल संख्या—26,305 और मुस्लिम कर्मचारियों की संख्या— 587 जो 2.13 प्रतिशत है। ये आंकड़े जो मैंने दिये हैं, वे हैं जिन्हें अल्पसंख्यक आयोग के संयुक्त सचिव श्री एन० सी० सक्सेना ने अपने एक पेपर में दिये हैं और अल्पसंख्यक आयोग द्वारा परिचालित किया गया है।

जबकि भर्ती आदि के सम्बन्ध में नीति पर सदन में विचार किया जा रहा है, मैं इस बात पर जोर देकर सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस समय जो निराशापूर्ण स्थिति है उसके बारे में कुछ सुधार किया जाना चाहिए···

उपाध्यक्ष महोदय : यदि आपके पास यह जानकारी है कि मुस्लिम समुदाय के कितने व्यक्ति परीक्षा में बैठे, उसे भी आप दे सकते हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला : वे मौजूद हैं। मैंने एक पेपर—एक बहुत बड़े पेपर का जिक्र किया है उसमें सभी आंकड़े मौजूद हैं और सरकार के पास भी यह होगा।

भारतीय रिजर्व बैंक का मामला लीजिए। 30 जून, 1983 को इसके सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की संख्या 19 थी, जबकि उनमें एक भी मुस्लिम नहीं था। मैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का उल्लेख कर रहा हूं। आवेदन पत्रों आदि सभी का प्रश्न कहां है ? मैं इसको और स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि इसको सभी स्पष्ट रूप से समझ सकें। भारतीय रिजर्व बैंक के स्थानीय बोर्डों के सदस्यों के प्रश्न को लीजिए। आप ही उनकी नियुक्ति करते हैं। क्या स्थिति है ? 30 जून,1983 को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रिंसिपल आफिसर्स की संख्या को लीजिए, कुल—27, मुस्लिम—1 प्रबन्धकों के मामले में—कुल 14, मुस्लिम कोई नहीं। इस मामले को समझने के लिए मैं और

आसान तथा स्पष्ट करना चाहता हूं। निदेशक बोर्ड के प्रश्न को लीजिए। उनकी नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाती है-- मेरे कहने का तात्पर्य राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक बोर्ड से है। मुझे ऐसा कहने के लिए खेद है। जब मैंने वर्ष 1981 के प्रतिवेदनों की छानबीन की तो पता चला कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इण्डियन बैंक, यूनियन बैंक, सिण्डीकेट बैंक, देना बैंक, यूनाइटिड बैंक ऑफ इण्डिया सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, आन्ध्र बैंक, कारपोरेशन बैंक में कोई भी मुस्लिम निदेशक बोर्ड में नियुक्त नहीं किया गया है। क्या हम इतने असक्षम हैं ? सरकार उनमें से किसी एक व्यक्ति को प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। यह स्थिति है जिस पर विचार किया जाना चाहिए। मैं इन मुद्दों को सदन के समक्ष विरोध रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं बल्कि इस बात की ओर ध्यान देने के लिए कि स्थिति को और स्पष्ट किया जाये और कार्यवाही की जाये। इलाहाबाद बैंक में एक मुस्लिम निदेशक है तथा यूनाइटिड कमर्शियल बैंक में भी दो मुस्लिम निदेशक हैं। वर्ष 1983 में अर्थात, पिछले वर्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण पर एक धन्यवाद प्रस्ताव था। मैंने निदेशकों के सम्बन्ध में यही मुद्दा सदन के समक्ष रखा था। प्रधानमंत्री ने 1 मार्च, 1983 को अपने उत्तर में कहा था—यह हमारी लोक सभा के विवाद के कालम 431 में मौजूद है—

> "कतिपय बोर्डों के सदस्यों, निदेशकों के पदों आदि के बारे में अभी-अभी ही उल्लेख किया गया है। हम मामले का पुनरीक्षण कर रहे हैं और मैं इस बात से सहमत हूं कि अनेक ऐसे पहलु हैं, जिनके संबंध में शीघ्र उपाय किए जाने चाहिए। कुछ उपायों के बारे में विचार किया जा रहा है तथा अन्य सुझाव सस्वागत आमन्त्रित हैं।"

जब मैंने उनकी यह बात सुनी, मैं बड़ा खुश हुआ। लेकिन, जब मुझे पता चला कि मिर्जा गालिब ने जो उर्दू में कहा था :—

तेरे वादे पर जिये तो यह जान झूठ जाना

कि खुशी से मर न जाते गर एतबार होता।

एक साल गुजर चुका है। इस सभा में दिए गए एक उस महत्वपूर्ण आश्वासन पर हमने तो कोई कार्यवाही होती देखी नहीं। अभी इस बारे में मुझे बहुत कुछ कहना बाकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत बढ़िया बोला है। आपको इससे अवश्य सन्तुष्ट हो जाना चाहिये।

श्री जी० एम० बनातवाला : अब सन्दर्भ यह है कि संसद को बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक पर विचार करना है। अपना भाषण समाप्त करने से पहले, मैं इस आयोग के लिए शुभकामनाएं प्रकट करता हूं तथा मैं सभा को तथा माननीय मन्त्रियों को, केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों के मुख्य मन्त्रियों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों को दिनांक 11.5.1983 को प्रधानमंत्री द्वारा उन उपायों के बारे में दिए गए निर्देश की याद दिलाना चाहता हूं, जो अल्पसंख्यकों के साथ उचित और न्यायपूर्ण व्यवहार सुनियोजित करने के उद्देश्य से किए जाने चाहिए।

[श्री जी०एम० बनातवाला]

भर्ती के बारे में प्रधानमंत्री ने अपने निर्देश में कहा है कि रेलवे, राष्ट्रीयकृत बैंकों और सरकारी क्षेत्र के उद्यमों द्वारा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर मुहैया किए जाते हैं । इन मामलों में भी सम्बन्धित विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अल्पसंख्यक समुदायों में से भर्ती के लिए विशेष ख्याल रखा जाता है ।

महोदय, अब, बैंकिंग सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति होगी । यह आवश्यक है कि आयोग के गठन में मुसलमानों तथा अन्य अल्प-संख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए । प्रधानमंत्री ने ही दिनांक 11 मई, 1983 के अपने निर्देश में यह कहा था :

"चयन समितियों का गठन प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए ।"

मुझे विश्वास है कि ये सभी आश्वासन केवल कागजी ही नहीं होंगे, बल्कि इन के सम्बन्ध में उचित कार्यवाही की जाएगी, यह सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक और सही कार्यवाही की जाएगी कि स्वाभाविक रूप से हमारी सेवाएं प्रतिनिधित्व के आधार पर हों, ताकि इससे हमारे समाज की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं । धन्यवाद ।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार के इम्पार्टेन्ट लेजिस्लेशन पर जिस प्रकार से यहां पर चर्चा हो रही है, मैं व्यक्तिगत रूप से उसका समर्थन नहीं कर सकता । ऐसे बिल को फैग एंड आफ दि डे पर लाया जाता है और गवर्नमेंट कहती है कि इसे पास कर दिया जाए । यह पास हो जाएगा, लेकिन ईमानदारी की बात यह है कि इस तरह हम अपनी आत्मा और संविधान के साथ न्याय नहीं करते । यह एक बहुत इम्पार्टेन्ट पीस आफ लेजिस्लेशन है ।

भारत की प्रधान मंत्री, श्रीमती इन्दिरा गांधी, ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करते हुए जो उद्देश्य बताए थे, जहां तक बैंकों द्वारा दी गई सेवा का सम्बन्ध है, वे पूरे नहीं हुये हैं । देश के किसी भी हिस्से में चले जाइए, आपको मालूम होगा की बैंकों के द्वारा जनता की सेवा वफादारी, ईमानदारी और नेकनीयती से नहीं हो रही है । आज बैंक सेवाओं में निष्ठा और ईमानदारी नहीं है ।

आज ब्लैक मनी पैदा होने का एक कारण बैंक है । अखबारों में लाखों करोड़ों रुपयों के जिस ड्राफ्ट स्कैंडल के समाचार आए हैं, उन्हें बड़े-बड़े बैंकों के मैनेजर करवाते हैं ।

इस बिल के बारे में बहुत चर्चा हुई थी और मैंने भी स्टेटमेंट दिए थे । इस बिल के अनुसार 25 परसेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगा । जो लोग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के माध्यम से आएंगे, वे पच्चीस तीस के अनुभव वाले अफसरों के बराबर हो जाएंगे । पहले कमीशन ने कहा था कि पुराने लोगों के एक्सपीरियंस से लाभ उठाना चाहिए । यह सही है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से कुछ एक्स्ट्राडिनरी इनटेलिजेंस वाले और आनेस्ट आदमी आ जाते हैं । लेकिन आज सर्विसिज में क्या हो रहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे याद है कि पहले वेतन आयोग ने यह सिफ़ारिश की थी कि 50% पद पदोन्नति से भरे जाएंगे और 50% सीधी भर्ती द्वारा मैं यह आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : यह सही है, महोदय। यह क्या हो रहा है। यह विधेयक कहता है कि नियमों और विनियमों पर यह निर्भर करेगा। नियम और विनियमों सभा के समक्ष नहीं हैं। वे बाद में प्राप्त होंगे। ये सब बातें नियमों और विनियमों पर निर्भर करती हैं। यह पूरी बात का एक खाका है। यदि आप उन नियमों और विनियमों की जांच करेंगे तो आप अपनी राय कायम कर सकते हैं कि भर्ती कैसे की जाएगी। जब आपके सामने रूल्ज एन्ड रेगुलेशन्स नहीं हैं, तब आप रेक्रूटमेंट के तरीके को नहीं जान सकते। कमेटी आन सबोर्डिनेट लेजिस्लेशन के एग्जामिन करने से पहले ही लॉ बन जाता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह बिल जो आपने बनाया इसमें आपने कहा है :

"चयन द्वारा" परीक्षा द्वारा या दोनों तरीकों से तो आपका सेलेक्शन क्या होगा ? क्या यह चयन द्वारा होगा, परीक्षा द्वारा होगा या दोनों तरीकों से होगा।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप देखें :

"(3) केन्द्रीय सरकार उपधारा (2) के अधीन जांच करने के प्रयोजन के लिए आदेश द्वारा किसी व्यक्ति को, जो उच्चतम न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का पद धारण कर रहा है या कर चुका है, जांच अधिकारी नियुक्त कर सकेगी।"

फिर वे कहते हैं :

"(4) आयोग ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए, जो विहित किए जाएं, एक या अधिक समितियां गठित कर सकेगा, जो पूर्णतः उसके सदस्यों से मिलकर या भागतः उसके सदस्यों तथा भागतः अन्य व्यक्तियों से मिलकर बनेगी और वह इस प्रकार गठित किसी समिति को आयोग के ऐसे कृत्य और शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों में विनिर्दिष्ट की जाएं।"

अब, शब्द हैं : "अन्य व्यक्ति।" खंड 7 में उल्लेख है 'अन्य व्यक्ति।' अब ये अन्य व्यक्ति कौन होंगे ? वे क्या होंगे और उनकी अर्हताएं क्या होंगी ? उस समिति को शक्तियां सौंपी जाएगी उन्हें आप क्या शक्तियां सौंपने वाले हैं ?

इस विधेयक में आपने एक बात और लिखी है। आप कहते हैं :

[श्री मूलचन्द डागा]

"(8) सदस्यों का एक बोर्ड होगा, जिनमें 4 सदस्य योग्य निष्ठावान और चरित्रवान व्यक्ति होंगे और एक सदस्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध व्यक्ति होगा।"

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सम्बद्ध एक ही सदस्य क्यों होगा ?

हम बार-बार कहते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे हैं जो उनको आप मदद दीजिए लेकिन क्या कोई इस बात को कहने वाला है कि सेलेक्शन बोर्ड में अनसूचित जाति के लोगों को ज्यादा रखा जाए ? अनुसूचित जाति वालों के लिए जो 28 परसेन्ट का कोटा किया गया है वह भी पूरा नहीं हो रहा है। बैंकों में ज्यादातर काम जो होता है वह क्लर्क, यू०डी०सी० और एल०डी०सी०ही करते हैं। इसलिए मैं तो यही चाहूंगा कि मन्त्री महोदय इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास भेज दें, चाहे थोड़े दिनों के लिए ही सही, ताकि वहां पर विचार विमर्श हो सके। मैं जानता हूं मिनिस्टर फार पार्लियामेंटरी एफेयर्स इसके लिए एग्रीवल नहीं होंगे। लेकिन इस बिल में सारे क्लाजेज से रूल्स एण्ड रेग्युलेशन पर ही डिपेण्ड किया गया है। बिल सेल्फ कन्टेन्ड नहीं है। इस बिल को आप पढ़ेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जायेगा।

25 परसेन्ट रेक्रूटमेंट की बात मैंने आपसे कही है लेकिन आप बतायें कि डायरेक्ट रेक्रूटमेंट का तरीका क्या होगा ? आप इसे कार्यान्वित करेंगे ? इसकी क्या प्रक्रिया होगी ? हमें बताइये कि क्या यह चयन द्वारा होगा अथवा परीक्षा द्वारा होगा या दोनों प्रकार से होगा। सीधी भर्ती की 25 प्रतिशतता को कैसे पूरा किया जाएगा ? किस तरह से आप रखेंगे, यह क्लियर नहीं है। यह जो पावर आपने ली है उससे मैं सहमत नहीं हूं आप स्पेसिफिक बताइये क्या तरीका रहेगा। जहां तक रेक्रूटमेंट का सवाल है, एक प्रश्न और होता है कि जो आफिसर्स एप्वाइन्ट होंगे उनके लिए आपने कहा है कि इंक्वायरी करेंगे लेकिन कितना लम्बा प्रोसीजर है इन्क्वायरी का अब यह बताइये, जांच अधिकारी कौन होगा—क्या यह उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होगा अथवा उच्च न्यायालय का ? रिपोर्ट आने से पहले ही आप उसको ससपैंड कर देंगे। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि रिपोर्ट कब तक आ जाएगी और कब तक सब्मिट होगी ? क्या आप यह बता सकते हैं कि आज कितने कर्मचारी ससपैंडेड हैं ? कहीं आप ऐसा कानून भी बता सकते हैं कि जो बैंक एम्पलायज काम नहीं करते हैं, इनएफिशियेंट हैं, डिशानैस्ट हैं, उनको आप कितने समय में निकाल सकते हैं ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस बिल पर बहुत ही गहराई से विचार करना चाहिए। आप जो इस बिल को बहुत जल्दी से पास करा रहे हैं यह कोई न्यायसंगत बात नहीं है।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : सबसे पहले मैं जिस ढंग से यह कानून बनाया जा रहा है, उसके प्रति अपना विरोध प्रकट करना चाहता हूं। महोदय, यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विधेयक है

और यह बेहतर रहता कि इस विधेयक के उपबन्धों की जांच करने के लिए माननीय सदस्यों को और अधिक समय दिया जाता। खास तौर से इस पृष्ठभूमि को देखते हुए कि एक ऐसा कानून 1975 में पारित हुआ था और विशेष रूप से एक ऐसा ही कानून 1978 में जोर-शोर से पेश हुआ था, इस सरकार के लिए यह जरूरी आवश्यक होता कि वह इस विधेयक को प्रवर समिति को भेजती, ताकि इस विधेयक के उपबन्धों की व्यापक रूप से जांच हो पाती और अब सभी वर्गों के माननीय सदस्य गण, जो आपत्तियां उठा रहे हैं, उन पर प्रवर समिति में ज्यादा प्रभावशाली ढंग से कार्यवाही हो पाती। व्यक्तिगत रूप से मेरी राय यह है कि कोई भी नया महत्वपूर्ण विधेयक, जो सरकार द्वारा पेश किया जाता है, चाहे यह बैंककारी सेवा आयोग विधेयक हो अथवा अन्य कोई और महत्वपूर्ण विधेयक हो, प्रवर समिति को अवश्य ही भेजा जाना चाहिए। प्रवर समिति से यह अनुरोध किया जाना चाहिए कि वह विधेयक के उपबन्धों की जांच करें और यदि कोई जल्दी हो, तो अपनी रिपोर्ट छः महीने के भीतर-भीतर भेज दें।

श्री जो० एम० बनातवाला : इसके विपरीत यह विधेयक कल पेश हुआ था और आज इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री सतीश अग्रवाल : इस प्रकार महोदय, आप इस बात से सहमत होंगे कि एक ऐसा महत्वपूर्ण विधेयक जो कल पेश किया था, आज इतने विलम्ब के घंटों में क्योंकि अब शाम के 8 बजने वाले हैं, सभा में इतने कम लोगों की उपस्थित में पारित किया जा रहा है। मेरे विचार में सरकार इस सभा के साथ न्याय नहीं कर रही है और इससे आम जनता की निगाह में इस सभा की प्रतिष्ठा गिर रही है, क्योंकि ऐसे लाभकारी और प्रयोजन सिद्ध विवाद में सदस्यों को बोलने से वंचित करने से इस सभा की प्रतिष्ठा बढ़ेगी नहीं। अब सरकार द्वारा अपने बहुमत के आधार पर इस विधेयक को जल्दीबाजी में पारित करवाने के तरीके पर अपना सख्त विरोध प्रकट करते हुए यह कहता हूं कि मैं श्री मूल चन्द डागा और अन्य कई व्यक्तियों की इस भावना में उनके साथ हूं कि सभा द्वारा अपनाई गई यह प्रक्रिया उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अन्य कोई और सदस्य नहीं है। अन्यथा हम उन्हें बोलने का मौका देते और प्रत्येक सदस्य को बोलने का अवसर देते।

श्री सतीश अग्रवाल : कल इस विधेयक को पेश किया जाना और आज शाम को 8 बजे इसे पारित करना, यह सब क्या है महोदय जब तक कि कोई बहुत ही असामान्य स्थिति न हो, ऐसा क्यों हुआ ? मुझे कोई ऐसी असामान्य स्थिति नजर नहीं आती जहां तक इस खास विधेयक का सम्बन्ध है। यदि संसद के अगले सत्र में इस विधेयक को पारित किया जाता, तो इस बीच आसमान नहीं गिर पड़ता। आखिरकार, ऐसा क्या होने वाला है ? दूसरी ओर, यदि सरकार को इस विधेयक की इतनी ही चिन्ता है, तो वह इसे जरा पहले पेश करती और अब तक मामला सुलट गया होता।

श्री मूल चन्द डागा : नियमों और विनियमों को बनाने के चक्कर में अभी इस विधेयक को छः महीने और लगेंगे और विधेयक अभी लागू नहीं हो सकता।

श्री सतीश अग्रवाल : मुझे इस बारे में अब भी कुछ आशंकाएं हैं। यह विधेयक 1975 में पारित किया गया था और पूरे तीन वर्ष तक, वस्तुतः लम्बित रखा गया। इसे इसलिए कार्यान्वित नहीं किया गया, क्योंकि इस सम्बन्ध में कोई नियम नहीं बनाए गए थे और इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार वर्ष 1975 में पारित कानून वर्ष 1977 तक कार्यान्वित नहीं हुआ, जिसमें दो वर्ष आपात-काल के भी शामिल हैं, जब बिना किसी कठिनाई के कुछ भी किया जा सकता था।

इसलिए, इस विधेयक विशेष को भी—यदि इसे पारित कर दिया जाता है और यदि 3, 4 अथवा 6 महीनों में संसद भंग हो जाती है और हम चुनावों में लग जाते हैं—वैसा ही भविष्य होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : विषय पर ही बोलिए।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : क्या यह विषय का एक भाग नहीं है। क्या सरकार ऐसा कोई विधेयक पारित कर रही है जिसको कार्यान्वित करने का उसका इरादा नहीं है ? 1975 में बनाये गये कानून को उन्होंने क्यों नहीं कार्यान्वित किया ? 1975 में सदन का समय क्यों नष्ट किया गया ? क्या इसके लिए सरकार जवाब देही नहीं हैं ?

इस देश में रेल सेवा आयोगों का क्या भविष्य रहा यह हमने देखा है। और यह सदन इस बात को अच्छी तरह जानता है कि रेल सेवा आयोग में कितनी घपलेबाजी हुई है। इस सदन में भी यह मामला उठाया गया था और उत्तर प्रदेश में रेल सेवा आयोग के चेयर मैन तथा अन्य अनेक सदस्यों को हटाना पड़ा था सरकारी पदों आदि के लिए चयन आदि में इन सेवा आयोगों में बहुत अधिक भ्रष्टाचार था।

रेल सेवा आयोगों के साथ हमारे अनुभव विभिन्न राज्यों में विभिन्न लोक सेवा आयोगों के साथ हमारे अनुभव की पृष्ठभूमि में हमें क्या करना है ? मैं यह नहीं कहना चाहता कि भले ही पंजाब हो अथवा हरियाणा जहां मामलों को चंडीगढ़ उच्च न्यायालय में ले जाया गया था, उस राज्य विशेष में मामलों पर किस तरह से निपटा जा सकता था—श्री सुल्तानपुरी इस बारे में ज्यादा बेहतर जानते हैं। उस सब अनुभव को देखते हुए यह सरकार के लिए अत्यन्त आवश्यक था कि वह इस मामले को प्रवर समिति के पास भेजती, समिति में इस पर गंभीरता से विचार विमर्श होता और तब से इस सदन में कुछ स्पष्ट निष्कर्षों के साथ लेकर आती।

अब प्रत्येक बात नियमों पर छोड़ दी गयी है। रिक्त पदों, रिक्त पदों के प्रतिशत और रिक्त स्थानों और पदों की श्रेणी के मामले में सरकार जो कुछ निर्धारित करने जा रही है, वह सब नियमों के अंतर्गत होगा। सरकार ने इन्हें नियमों में निर्धारित करने की शक्ति प्राप्त करली है। कानून में भी उसकी व्यवस्था नहीं की गई है। यह एक वास्तविक प्रावधान हैं कि आप किस प्रकार के रिक्त पदों को इस कानून विशेष के अन्तर्गत भरेंगे। स्वयं इस विधेयक में उस बात की

व्यवस्था की जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने खण्ड 31 उपखण्ड (घ) के अन्तर्गत शक्ति प्राप्त कर ली है। मैं इसे पढ़ता हूं :

> "उन व्यक्तियों की श्रेणी जिनके लिए केन्द्र सरकार द्वारा सरकारी क्षेत्र के किसी बैंक में कोई रिक्त स्थान अथवा रिक्त स्थानों का प्रतिशत आरक्षित किया जा सकता है।"

आरक्षण की इस शक्ति द्वारा किस श्रेणी में, कितनी संख्या में कितना प्रतिशत सरकार द्वारा आरक्षित किया गया है। और नियमों में इसे विनिर्दिष्ट किया जाएगा।

यह प्रदत्त कानून की शक्तियों से परे है। माननीय मंत्री को अधीनस्थ कर्मचारी चयन आयोग के कार्यकरण की अच्छी प्रकार जानकारी है और यह भी जानते हैं कि कितने रिक्त स्थान लम्बित पड़े हुए हैं। उस समय की स्थिति मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री था। जब मैं संसद की लोक लेखा समिति का सभापति था। हमने सारे देश का दौरा किया और जहां भी हमने किसी कलक्टरी विशेष में रिक्त स्थानों के बारे में पूछताछ की तो सभी स्थानों पर एक ही उत्तर मिला : कर्मचारी चयन आयोग ने जितने उम्मीदवारों का चयन किया हमें उतनी संख्या में उम्मीदवार नहीं मिले हैं। अतः हम क्या कर सकते हैं। सामान्यतः देश भर में सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क में 25 से 40 प्रतिशत तक रिक्त स्थान हैं क्योंकि कर्मचारी चयन आयोग द्वारा उम्मीदवार उपलब्ध नहीं कराए जाते हैं। सरकार इस स्थिति विशेषका सामना किस तरह करेगी ?

अब बैंकिंग क्षेत्र के बारे में बात की जाए, यह दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा यह है कि यह बैंकिंग क्षेत्र हमारी कुल अर्थवयवस्था में निर्णायक भूमिका निभाता है। और इसमें गिरावट आयी है। मैं नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ है। इसके अनेक कारण हैं। इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यकरण में स्पष्ट गिरावट आयी है। मुझे इसके अन्य आंकड़े देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे बैंकों में हो रही चोरियों, वसूल न हो सकने वाले ऋणों, बकाया राशियों और इन बैंकों में की जा रही है धोखाधड़ियों की विस्तार से चर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं राज्य सभा के सदस्य श्री ईरा सेझियन द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों—भारतीय स्टेट बैंक और इसकी सहायक बैंकों के बारे में, मुश्किल से दो सप्ताह पूर्व 26 अप्रैल, 1984 को राज्य सभा में पेश की गई रिपोर्ट की ओर इस सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा; और इस प्रतिवेदन विशेष में दिए गए तथ्य चौंका देने वाले हैं। देश भर में विभिन्न बैंकों की सभी शाखाओं में हजारों शाखाएं ऐसी हैं। जहां अभी तक लेखे मिलाए नहीं गए हैं और वह कुल धनराशि, जिसे कई वर्षों से मिलाया नहीं गया है, कुल केन्द्रीय बजट की राशि की दुगनी धनराशि बैठती है जिसका मतलब है। कि ऐसी कुछ धनराशि 84,000 करोड़ रुपये के लगभग है। राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्या स्थिति है ? आप बैंकों के

8.00 म०प०

दौरे कर रहे हैं। इसके लिए मैंने आपकी सराहना की है। मेरे द्वारा इसके लिए की गई सराहना

[श्री सतीश अग्रवाल]

दक्षिण भारत के समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई और मुझे इस बात के कई विरोध पत्र मिले हैं कि आपने संसद में श्री पुजारी की प्रशंसा क्यों की। लेकिन मैंने ऐसा किया और अभी भी ऐसा कर सकता हूं लेकिन आपकी जवाब देही राष्ट्र के प्रति है कि आप राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्य को किस तरह संचालित कर रहे हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक, जो इस देश में निगरानी का एक शीर्ष निकाय था, इस देश में राष्ट्रीयकृत बैंकिंग क्षेत्र और अन्य बैंकिंग कम्पनियों का नियम न करते समय इन पर अपना समस्त नियंत्रण बनाए हुए था। लेकिन दुर्भाग्य से इस सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक को भी एक सरकारी विभाग नियंत्रण बनाकर रख दिया है और जहां तक इस देश की अर्थव्यवस्था के नियम का सम्बन्ध है रिजर्व बैंक के पास अपनी कोई स्वायत्तता नहीं है। वह कमोवेश नार्थ ब्लाकके एक अंग के रूप में कार्य कर रहा है और वह इस सरकार के केवल एक विभाग के रूप में कार्य रहा है। यह कैसी बात है कि रिजर्व बैंक दो राष्ट्रीयकृत बैंकों के दो चेयरमैनों के सेवाकाल में वृद्धि की सिफारिश करता है और वित्त मंत्रालय उनमें से एक के कार्यकाल में केवल तीन महीने की और दूसरे के कार्यकाल में केवल एक महीने की वृद्धि करने के लिए सहमत होता है ? क्या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के चेयरमैन के सेवाकाल को केवल एक महीना और बढ़ाया जाना हास्यास्पद नहीं है उनके सेवाकाल में वृद्धि मत कीजिए ? लेकिन यदि आप उसके सेवाकाल में वृद्धि करते हैं तो यह वृद्धि एक या दो वर्ष की होनी चाहिए और आपने राष्ट्रीयकृत बैंक के दूसरे कर्मचारी के सेवाकाल में जो वृद्धि की है उसके खिलाफ रिजर्व बैंक की क्या रिपोर्ट थी ? उप-राज्यपाल ने एस० एल० ग्रुप की कम्पनियों के मामले विशेष में इन कम्पनियों को लंदन में पर्याप्त प्रतिभूति के बिना 60 करोड़ रुपये ऋण दिया जो कि सारी धनराशि व्यर्थ जा रही है। सेठिया समूह की कम्पनियों का क्या हुआ ? इनको सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के लंदन स्थित मैनेजर ने अनुचित प्रतिभूति की एवज में ऋण दिया था। लंदन स्थित लेखा परीक्षक इस मामले को सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के प्रबंधकों और अधिकारियों की जानकारी में लाया; लंदन स्थित शाखा की यह स्थिति है; और रिजर्व बैंक में सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के चेयरमैन के सेवाकाल में वृद्धि की मांग की। सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया के चेयरमैन श्री सोनालकर वही व्यक्ति हैं जिनके कार्यकाल में आपने तीन वर्षों की वृद्धि की। क्यों ? इसके बारे में बाहर लोग तरह-तरह की बातें करते हैं। आपने इस राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में किसी के सेवाकाल में वृद्धि के लिए एक राशि निश्चित कर रखी है। आप आश्यचर्यजनक खोज कर रहे हैं। आपने साधन जुटाने का एक नया रास्ता खोज निकाला है। उस व्यक्ति के सेवाकाल में वृद्धि करने का क्या मतलब है जिस पर कि आरोप हैं; वह सैंट्रल बैंक आफ इण्डिया का मुख्य कार्यकारी अधिकारी होने के नाते इसकी लंदन शाखा में हुए घोटाले के लिए प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार है। लंदन शाखा का प्रभारी प्रबंधक कौन था ? श्री पाटोनकर इस पद पर था। सेवा निवृत्ति के बाद उसने क्या किया ? उसी सेठिया ने उसको अपने यहां नियुक्त कर लिया। क्या आपने इस बात का कोई प्रावधान किया है कि बैंक का कोई अधिकारी अथवा लोक बैंकिंग सेवा आयोग का कोई सदस्य अथवा चेयरमैन इस प्रकार के किसी सेठिया अथवा किसी बड़े व्यापारिक गृह के अन्तर्गत पुनर्नियुक्ति अथवा नौकरी नहीं मांगेगा ? इस बात पर आपने प्रतिबंध नहीं लगाया है; आपने सामान्यतः यही कहा है कि वे केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार आदि के अन्तर्गत

पुर्नियुक्ति नहीं लेंगे ।

किसी राष्ट्रीयकृत बैंक का चेयरमैन अथवा कोई वरिष्ठ अधिकारी अथवा कोई सहायक महाप्रबंधक अथवा महाप्रबंधक किसी बड़े औद्योगिक गृह को अनुग्रहीत कर सकता है और उसके अधीन पुर्नियुक्ति ले सकता है। आयकर कानून के अंतर्गत इस बात का प्रावधान है कि आयकर आयुक्त अथवा कोई राजपत्रित अधिकारी कम से कम दो वर्षों तक किसी करदाता के अन्तर्गत पुन: रोजगार अथवा रोजगार नहीं लेगा। आपने ऐसी बात की व्यवस्था यहां क्यों नहीं की है ? कोई छोटा-मोटा आयकर अधिकारी किसी भी कर कदाता को लाखों रुपयों से अनुग्रहीत कर सकता है। लेकिन किसी बैंक विशेष का सहायक महाप्रबंधक अथवा महाप्रबंधक अथवा चेयरमैन अथवा कोई सदस्य यदि चाहता है तो नौकरी प्राप्त कर सकता है, इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। उसके सांथ आप क्या करेंगे ? आपको इस सम्बन्ध में कोई प्रावधान करना चाहिए था। वास्तव में इस विधेयक विशेष ने इस देश के राष्ट्रीयकृत बैंकिंग क्षेत्र के कु-कार्यकरण की विस्तार से इस सदन में चर्चा करने का सदस्यों को अवसर प्रदान किया है ।

मुझे खेद है कि 1969 में जब इन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उससे लोगों को ज। आशाएं तथा आकांक्षाएं थी उसको पूरा करने में ये बैंक असफल रहे हैं। सारे सदन में यह आम धारणा है कि जहां तक देश की अर्थव्यवस्था और देश के हितों का सम्बन्ध है। उसमें बैंकिंग क्षेत्र पूरी तरह असफल रहा है। ये बैंक पूरी तरह लोगों के लिए धन कमाने, धन का गबन करने, चूक करने धोखाधड़ी करने और चोरी आदि के अड्डे बन गए हैं। सरकार इस बात का क्या स्पष्टीकरण देगी जहां बैंकों जैसे संस्थानों में वर्षों तक लेखे नहीं मिलाए जाते हैं। और सारे देश की सभी शाखाओं में 94,000 करोड़ रुपये के बैंक खातों का मिलान नहीं हुआ है। यहां एक प्रतिवेदन है। जहां तक इस देश के राष्ट्रीकृत बैंकों के कार्यों के संचालन का सम्बन्ध है, यह इस सरकार का एक कठोर अभियोगपत्र है जो दूसरे सदन में पेश किया गया था और यह प्रतिवेदन विशेष—लोक लेखा समिति अथवा सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने नहीं दिया है अपितु सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्रों सम्बन्धी समिति ने यह प्रतिवेदन पेश किया गया है जिसके अन्तर्गत उस समिति ने उन सभी पत्रों की जांच की थी जो राष्ट्रीयकृत बैंकों के सम्बन्ध में सभापटल पर रखे गये थे और यह प्रतिवेदन विशेष प्रकाशित हो गया है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है जो कि एक उद्घाटन कारी प्रतिवेदन है। मैं उस समिति बिशेष के चेयरमैन और सदस्यों को बधाई देता हूं। मैं चाहता हूं कि वित्त मंत्रालय में उपमंत्री स्थिति के बारे में, कुछ कहें, जहां तक लेखाओं संतुलन का संबंध है। मैंने जो आंकड़े दिए हैं, तथा प्रदेश में कुल शाखाएं जो लेखाओं के संतुलन से सम्बद्ध है, हजारों में हैं, बैंक वार यह सारा विवरण दिया गया है, जहाँ तक देश भर में उनके सभी शाखाओं मे इस प्रकार की कुल धनराशि का सम्बन्ध है वह 84,000 करोड़ रुपये के लगभग है जो कि भारत सरकार के 1984-85 के कुल बजट राशि से दुगनी राशि बैठती है ।

मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं मैं यह जानना चाहूंगा, कि क्या आपने 10 वर्षों के अनुभव वाले व्यक्तियों के लिए प्रस्तावित सेवा आयोग

[श्री सतीश अग्रवाल]

के सम्बन्ध में कोई प्रावधान किया है अर्थात् किसी भी बैंकिंग उद्योग विशेष में 50 प्रतिशत सदस्य 10 वर्षों के अनुभव वाले होंगे। शेष 50 प्रतिशत का क्या होगा ? क्या वे किसी प्रकार के विशेषज्ञ होंगे उनकी योग्यतायें क्या होंगी ? क्या वे नए व्यक्ति होंगे अथवा सेवानिवृत्त व्यक्ति अथवा क्या वे हारे हुए राजनेता होंगे। लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में आप किस प्रकार के व्यक्तियों की नियुक्ति करना चाहेंगे ? आपने पांच वर्ष के सेवाकाल अथवा 65 वर्ष की आयु जो भी कम हो, का उल्लेख किया है। संभवतः 60 अथवा 59 वर्ष के आयुवर्ग के व्यक्तियों को आयोग के चेयरमैन अथवा सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाएगा। इसलिए ये उन सेवा निवृत्त व्यक्तियों के लिए आश्रम सिद्ध होंगी जो इस सेवा आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्त होकर अनुग्रहीत होना चाहते हैं ? अथवा इन्हें भारतीय प्रशासनिक सेवा के सेवानिवृत्त व्यक्तियों से भरा जाएगा जैसा कि इस देश में सरकारी क्षेत्र की विभिन्न कम्पनियों और विभिन्न गैर-सरकारी निगमित निकायों में आपके नामजद निदेशक हैं जहां कि आपको वित्तीय संस्थानों के लिए अथवा सरकार के लिए अपने निदेशक नामजद करने की शक्ति प्राप्त है और उनकी भूमिका क्या रही है ? मैं इस पर टिप्पणी नहीं करता, क्योंकि उनके पास शक्ति है। लेकिन आप निगमित क्षेत्रों के कार्यकरण की किस तरह निकट से निगरानी कर सकेंगे ?

इससे इस देश की पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है और यह एक बड़ा कारण है कि आप इस सेवा आयोग में सरकारी निदेशकों की नियुक्ति कर रहे हैं। उन कम्पनियों के कार्यकरण के संबंध में जहां सरकार अथवा वित्तीय संस्थानों ने अपनी ओर से निदेशकों के नामांकन का अधिकार प्राप्त किया हुआ है परन्तु वहां पर कदाचार कैसे होता है—इन निगमित निकायों के उपयोग के अलावा वे कोई अन्य कार्य नहीं कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि यह अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बैंकिंग उद्योग एक ऐसा क्षेत्र है जो नियंत्रक और महालेखाकार के क्षेत्राधिकार से बाहर है। बैंकिंग क्षेत्र, जो लगभग 70,000 करोड़ रुपये का कारोबार करता है और जिसके कार्य निष्पादन पर हमारी सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का विकास निर्भर है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के क्षेत्राधिकार से बाहर है और इसके परिणामस्वरूप वह संसद की किसी भी वित्तीय समिति के क्षेत्राधिकार से बाहर है अतः संसद को उन प्रतिवेदनों को देखने के अतिरिक्त जो आप सभापटल पर रखते हैं, इन राष्ट्रीयकृत बैंकों के कार्यचालन की गहन जांच का कोई मौका नहीं मिला है। अतः सरकार को इन राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लेखा परीक्षक नियुक्त करने, उनके लेखों को नियंत्रक तथा महा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा कराने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए और इस राष्ट्रीयकृत क्षेत्र की संसद की एक ससिति द्वारा गहन जांच करानी चाहिए यदि सरकारी उपक्रम समिति नहीं या लोक लेखा समिति नहीं, तो संसद को इस राष्ट्रीयकृत क्षेत्र के कार्य चालन की विस्तार से और गहन जांच के लिए और केवल राष्ट्रीयकृत बैंकिंग क्षेत्र के कार्यचालन पर निगरानी रखने के लिए एक और समिति बनानी चाहिए।

जहां तक इससे अन्य उपबंधों अथवा एक सेवा आयोग की स्थापना करने का संबंध है, मैं

उनका विरोध नहीं कर रहा हूं। यह एक स्वागत योग्य कदम है। परन्तु इसे जिस ढंग से सभा के समक्ष लाया जा रहा है और जिस ढंग से सभा में बिना किसी उद्देश्यपूर्ण और लाभकारी चर्चा के जल्दबाजी की जा रही है। मुझे खेद है कि विधेयक में किए गये उपबंधों से मैं सन्तुष्ट नहीं हूं। इस सभा के माननीय सदस्यों को अधिक समय उपलब्ध कराया जा सकता था ताकि हमें अपने संशोधन प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर मिल जाता और ऐसे महत्वपूर्ण विधान के प्रत्येक खण्ड और बिगड़ती हुई स्थिति विशेष रूप से बैंकिंग क्षेत्र में उपभोक्ता सेवाओं जिनके विषय में माननीय उप वित्त मंत्री भी काफी चिन्तित हैं, पर विस्तार से विचार करने का अवसर मिल जाता। मेरा विचार है, यदि बैंकों के पूरे राष्ट्रीय कृत क्षेत्र में एक विशिष्ट मुद्दे पर एक राय हो सकती, अर्थात जहां तक राष्ट्रीयकृत बैंकिंग क्षेत्र का संबंध है, उपभोक्ता सेवाये बहुत तेजी से बिगड़ गई हैं और किसी को भी उपभोक्ता सेवाओं की परवाह नहीं है। गैर-सरकारी बैंक में आपको बेहतर सेवा देखने को मिलती है। इसलिए, लोग गैर सरकारी बैंकों में अपने खाते रखने को प्राथिमकता देते हैं केवल इसलिए नहीं कि वो दर्शन शास्त्र में विश्वास रखते हैं बल्कि इसलिए कि उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंक की तुलना में एक गैर-सरकारी बैंक में बेहतर सेवा मिलती है।

इन शब्दों के साथ, मैं पुनः सरकार को इस सुझाव पर विचार करने का अनुरोध करता हूं कि क्या इस विशिष्ट विधेयक को तुरन्त पारित करने की आवश्यकता है। ऐसी कोई जल्दी तो नहीं है। पंजाब जैसी ऐसी कोई स्थिति नहीं है जहां सरकार अधिकार प्राप्त करना चाहती है और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम का संशोधन नहीं करना है आखिरकार यह विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारियों की भरती करने के लिए एक सेवा आयोग का प्रावधान करता है। कोई खास काम बिगड़ नहीं जाएगा क्योंकि यह काम विभिन्न क्षेत्रीय भरती बोर्डों द्वारा अभी भी किया जा रहा है। यह काम छः महीने और भी किया जा सकता है। इस बीच, आप इस विधेयक को प्रवर समिति को भेज दीजिए। आप स्वयं एक प्रस्ताव लाइये। वह विशिष्ट समिति छः महीने के भीतर उपबंधों की विस्तार कि जांच कर लेगी और विधेयक में विभिन्न उपबन्धों के विषय में संसद के आगामी सत्र में एक विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी। फिर आप इस विधेयक को सभा के आगामी वर्षा कालीन सत्र में पारित कर सकते हैं।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं बिपक्ष के सदस्यों विशेष रूप से श्री सतीश अग्रवाल और श्री बनातवाला जैसे सदस्यों की रचनात्मक आलोचना को सदैव महत्वपूर्ण समझता रहा हूं।

[श्री जनार्दन पुजारी]

सर्वप्रथम, मैं श्री अग्रवाल द्वारा की गई आलोचना को उत्तर दूंगा। उन्होंने ईरा सेझियन समिति की रिपोर्ट का उल्लेख किया है। उन्होंने यह उल्लेख भी किया है कि मेरे प्रति कुछ अच्छे शब्द कहे जाने पर उनकी आलोचना की गई है। सभा और श्री अग्रवाल की सूचनार्थ मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं कि अचानक दौरों के दौरान मुझे अन्तर-शाखा लेखों का समायोजन न किये जाने का पता चला। मैंने सभा में ही नहीं सभा के बाहर भी कहा है कि अन्तर-शाखा समायोजन 1972 से लम्बित पड़ा हुआ है। ईरा सेझियन समिति द्वारा यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने से पूर्व, लगभग 2 वर्ष पहले मैंने ये तथ्य सभा के समक्ष रखे थे; और बाद में, उपचारात्मक उपाय करने के लिए, हमने मुख्य कार्यकारियों की एक बैठक आयोजित की थी। ये बातें मुख्य कार्यकारियों के समक्ष रखी गई थीं। हम इस पर काम कर रहे हैं और इससे कुछ सुधार भी हुए हैं। बैंक कर्मचारी बिना समयोपरि भत्ते के इसका समायोजन करने की स्थिति मे हैं। ऐसा कुछ शाखाओं में अन्तर-शाखा समायोजन करके स्पष्ट हो गया है। परन्तु इसके परिणाम क्या रहे? जब मैंने सभा का तथा सभा के बाहर राष्ट्र का ध्यान इस ओर आकर्षित किया, तो सभी ने मेरी आलोचना की थी। लगभग दो दिन पहले मैंने इस देश के एक राज्य के मुख्य मंत्री की ओर से यह कहते हुए एक और आक्रमण का सामना किया कि मैं पक्षपात कर रहा हूं और मैं विधायकों अर्थात् राज्यों में विधान सभा सदस्यों के प्रति कोई आदर प्रदर्शित नहीं करता हूं। आगे चलने से पूर्व मैं सभा में यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हुआ क्या था। जब भी मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाता था, विपक्षी विधायक मेरे पास आते थे और कहते थे कि बैंकों से अच्छी सेवा नहीं मिल रही है। जब मैं उत्सव में गया और मैंने बैंक के लोगों से निर्डरतापूर्वक कहा कि पूरे देश में यह शिकायत है कि उपभोक्ता सेवाओं में गिरावट आ गई है और उन्हें इस देश के लोगों की बेहतर सेवा करनी है, तो वे लोग उठ खड़े हुए और बोले कि पुजारी जी जो कुछ कह रहे हैं वह गलत है और बैंक के लोग बेहतर सेवा कर रहे हैं। क्या मुझे इस प्रकार के मिथ्याचार को, इस प्रकार की दोहरी बात को सहन करना चाहिए। जब भी वे आते हैं मैं उनकी बात सुनता हूं। परन्तु एक जगह समय नहीं था। कभी-कभी मैं अनुभव करता हूं कि जब मैं उनको बोलने का अवसर देता हूं, तो वे इन कर्मचारियों का पक्ष लेते हैं। मैं यह नहीं कहता कि पूरा बैंकिंग क्षेत्र ही बहुत बुरा है और सभी लोग बेहतर सेवा नहीं देते हैं। कुछ लोग हैं, लगभग 20 प्रतिशत या 30 प्रतिशत तो बुरे हैं ही, यह मेरा आकलन है। जब मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन्हें कुछ हद तक रोका जाना चाहिए। मैं कुछ लोगों को बात करने की अनुमति नहीं देता हूं, यह मैं मानता हूं। मैं विधायकों संसद सदस्यों का सबसे अधिक सम्मान करता हूं। परन्तु आज देश को कुछ कड़ी कार्यवाही की आवश्यकता है। क्या हमें इसे जारी रहने देना चाहिए? यह सब हो रहा है। आप बता रहे थे कि बेहतर सेवा देनी चाहिए। हम आपकी आलोचना को महत्व देते हैं। मैं अचानक दौरे करता हूं और उनसे बात करता हूं। परन्तु जब हम कार्यवाही करते हैं तो यह कहा जाता है कि हम उन्हें सता रहे हैं। एक सदस्य ने अभी-अभी कहा था कि हम उन्हें सता रहे हैं। हमने उन्हें क्या सताया है? क्या इन बातों की निगरानी करने का काम सरकार का नहीं है? आप इसमें रुचि ले रहे हैं, आप अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करने के बाद आप सभा में आते हैं और कुछ सुझाव

दे रहे हैं और जब हम गम्भीरतापूर्वक यह काम कर रहे हैं, तो यदि इसका हमें यही इनाम मिलना है, तो हम कैसे काम कर सकते हैं ? हमने उसे देखना है।

श्री बनातवाला द्वारा अल्प संख्यकों के लिए आरक्षण के सम्बन्ध में उठाये गये मुद्दे के बारे में मैं उनसे पूरी तौर पर सहमत हूं। सरकार अल्प संख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के बारे में बहुत रुचि ले रही है। हम अतीत में इनको प्रतिनिधित्व देते रहे हैं और भविष्य में भी प्रत्येक बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड में अल्प संख्यकों को प्रतिनिधित्व दिये जाने को ध्यान में रखा जायेगा।

प्रो० रूपचन्द पाल ने इच्छा प्रकट की है कि भर्ती बोर्डों के गैर सरकारी सदस्यों के नाम सदन के सभा पटल पर रखे जाएं, मैं उन्हें आश्वस्त करता हूं कि ऐसा जरूर किया जायेगा।

सीधी भर्तियों में आरक्षण को 25% तक बढ़ाये जाने के बारे में उन्हें कहा है कि यह बात प्रबन्धकों और कर्मचारियां के बीच हुए समझौते के विपरीत जा रही है। महोदय, सीधी भर्ती में पहले से ही 15 से 20 प्रतिशत के बीच आरक्षण है और इसे 5 प्रतिशत और बढ़ाने से समझौते में कोई खास अधिक उल्लंघन नहीं होगा। यदि माननीय सदस्य सहयोग दें, तो कर्मचारियों की तरफ से भी खास विरोध नहीं होगा।

श्री बनातवाला ने कहा है कि भर्ती नीति को युक्ति संगत, निष्पक्ष और सार्थक होना चाहिए। इन सुझाओं पर ध्यान दिया जायेगा और इस काम के लिए ऐसा केन्द्रीयकृत आयोग बनाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि चयन प्रक्रिया और अधिक उद्देश्यपूर्ण और अधिक स्वतंत्र तथा और अधिक निष्पक्ष हो। केवल कार्यकुशलता का एक मापदण्ड निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का एक आयोग गठित किया जाने वाला है।

उन्होंने आगे कहा है कि अल्पसंख्यकों के सभी क्षेत्रों और सभी वर्गों का आयोग में प्रतिनिधित्व होना चाहिए। अल्पसंख्यक समुदाय का प्रतिनिधित्व करने हेतु एक सदस्य रखने के लिए सरकार फैसला कर सकती है। यह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को दिये गये प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त होगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : केवल चयन समिति में ही नहीं, मैं नौकरी में भी प्रतिनिधित्व देने के बारे में कह रहा था।

श्री जनार्दन पुजारी : जहां तक अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व देने के सवाल है मैं भी इस सम्बन्ध में व्यक्तिगत रुचि ले रहा हूं। भविष्य में बैंकों में जब भी नियुक्तियां होंगी आप देखेंगे कि अल्पसंख्यक समुदायों को प्रतिनिधित्व दिये जाने के प्रयास किये गये हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुद्दा यह है कि जिस परिवार का एक भी व्यक्ति रोजगार में नहीं है कम से कम उस परिवार के एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाना चाहिए, इस मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए।

श्री जनार्दन पुजारी : इसकी जांच की जायेगी । चर्चा के दौरान मैंने भी यही प्रस्ताव रखा था । श्री डांग ने भी ऐसी इच्छा ही प्रकट की थी । इस सुझाव की जांच की जायेगी । यहां तक कि श्री बनातवाला ने भी कहा है···

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इसका पालन किया जायेगा तो ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा ।

श्री सतीश अग्रवाल : यदि किसी परिवार का एक सदस्य नियुक्त किया जाता है ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां, परिवार का एक सदस्य यदि वह अर्हता प्राप्त है ।

श्री सतीश अग्रवाल : यह अध्यक्ष पीठ की तरफ से निर्देश है जिसका पालन किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं ! यह सुझाव है । मैं कोई निर्देश नहीं दे सकता हूं । मैं एक उपाध्यक्ष हूं और सदन का एक सदस्य भी हूं । अन्यथा मैंने इसे दूसरे ढंग से कहा होता ।

श्री जनार्दन पुजारी : मेरा कहने का आशय यह है कि कमजोर वर्गों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को प्रतिनिधित्व देने का जहां तक सम्बन्ध है,इ सकी जांच की जायेगी और उस पर विचार होगा ।

श्री जी० एम० बनातवाला : इस मामले को आश्वासन समिति के पास जाने हैं । इस प्रकार इसमें संशोधन न करें ।

श्री जनार्दन पुजारी : माननीय सदस्य श्री बनातवाला ने कहा है कि अधिकारियों की भर्ती में विलम्ब हुआ है उन्होंने लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट से भी इसका उल्लेख किया है। कुशल और त्वरित प्रक्रिया अपनाने के लिए हमने अधिकारियों की भर्ती प्रक्रिया को बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड से ग्रहण किया है । वास्तव में यह भर्ती बैंकिंग सेवा बोर्ड ने करनी थी और जहां तक अधिकारियों की भर्ती का सम्बन्ध है त्वरित प्रक्रिया अपनाने के लिए इसे वापस ले लिया गया और मैं माननीय सदस्य को आश्वासन भी दे सकता हूं कि विलम्ब का जहां तक सम्बन्ध है, हम विलम्ब न होने देने का प्रयत्न करेंगे और विलम्ब न होने देने के लिए आदेश जारी किए जायेंगे ।

श्री जी० एम० बनातवाला : इस आयोग के पास अनुमानतः कितना कार्यभार है ।

श्री जनार्दन पुजारी : अब तक बैंकिंग सेवा भर्ती बोर्ड ने प्रतिवष लगभग 3000 से 4000 अधिकारी भर्ती किये थे ।

श्री शमन्ना ने कहा है कि पदोन्नति और अन्य बातें अपने आप नहीं होने चाहिए । इसे

योग्यता और आरक्षण के आधार पर किया जाना चाहिए। श्री शमन्ना द्वारा दिए गए इस सुझाव पर भी हम विचार करेंगे।

जैसा कि मैंने कहा है कि मै बहुत संक्षेप में अपनी बात कहूंगा। सरकार का जहां तक सम्बन्ध है उसकी तरफ से मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि सरकार उनके द्वारा व्यक्त किए विचारों पर ध्यान देगी। हम इस देश के लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करने की कोशिश करेंगे और यह बैंकिंग क्षेत्र से शुरू होगा। लेकिन सी० पी० आई० (एम) और सी० पी० आई० दलों सहित विपक्ष के सदस्यों का सहयोग भी वांछनीय है। सी० पी० आई० (एम) और सी० आई० के लोगों के नियंत्रण में कुछ लड़ाकू मजदूर संगठन हैं।···(व्यवधान)

विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने कहा है कि जहां तक रोजगार का सम्बन्ध है सरकार को किसी भी प्रकार की चिन्ता नहीं करनी चाहिए, परन्तु जहां तक अनुशासन का प्रश्न है सरकार को दृढ़ता से काम लेना चाहिए। मैं माननीय सदस्य श्री टी०आर० शमन्ना से सहमत हूं और माननीय सदस्य श्री सतीश अग्रवाल की इस बात से भी मैं सहमत हूं कि अनुशासन होना चाहिए। इस क्षेत्र में अनुशासन के बिना कुछ नहीं हो सकता है।

इस आश्वासन के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

प्रो० रूपचन्द पाल : मैंने एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह उठाया था कि राज्यों में अखिल भारतीय सेवाओं के मामलों में काडर पदों के बारे में मुख्य सचिव से चर्चा की जाती है और विशेष राज्यों की जरूरतें दी जाती है, लेकिन इतने महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में राज्य सरकारें ग्रामीण क्षेत्रों और शहरी क्षेत्रों की जरूरतों और वहां पर खोली जाने वाली शाखाओं के बारे में जानते हैं और जहां पर बैंकिंग सेवाओं में अत्यधिक क्षेत्रीय असन्तुलन बना हुआ है, मैंने सुझाव दिया था कि राज्य सरकारों अथवा क्षेत्रों को बारी-बारी से बैंकिंग सेवा आयोग में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ताकि अधिकारियों की जरूरतों और इस प्रकार की सभी बातों पर भी चर्चा हो सके। मैंने यह प्रश्न उठाया था कि यदि आप कभी दक्षिण के आदमी को नियुक्त करके पंजाब में उसे तैनात करते हैं···

श्री सन्तोष मोहन देव : राष्ट्रीय अखण्डता के बारे में सोचें।

प्रो० रूपचन्द पाल : यह अच्छी बात है, लेकिन अपने अनुभव से मैं कह सकता हूं कि एक व्यक्ति जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा को नहीं समझ सकता है। वह उस क्षेत्र विशेष की जरूरतों को किस प्रकार समझ सकेगा ?

श्री जनार्दन पुजारी : वर्तमान प्रणाली में भी अखिल भारतीय स्तर पर ऐसा किया गया है। इन सभी असंगतियों से बचने के लिए हम क्षेत्रवार नियुक्तियां कर सकते हैं। अब इस आयोग

[श्री जनार्दन पुजारी]

को यह अधिकार मिल गये हैं, जब अखिल भारतीय स्तर पर इनकी भर्ती की जायेगी, पुनरावृत्ति से बचने के लिए हमने केन्द्रीयकृत आयोग गठित किया है। जैसा कि मैंने कहा है कि हमारे लोग, विशेष रूप से स्नातक-शिक्षित लोग सात, आठ अथवा दस भर्ती बोर्डों के सामने पेश होते हैं। आप इसमें होने वाले खर्च का भी अंदाजा लगा सकते हैं। उन्हें प्रवेश शुल्क, दाखिला शुल्क और अन्य इसी प्रकार के खर्च का भुगतान करना पड़ता है। इसे रोका जा रहा है। अब एक केन्द्रीय आयोग होगा। यदि कुछ अधिकारी भर्ती किये जायेंगे, तो उन लोगों को क्षेत्रवार तैनात करने के बारे में हम सोच सकते हैं।.... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि पब्लिक सेक्टर के बैंकों में सेवाओं और पदों पर नियुक्तियों के लिए अधिकारियों की भर्ती और चयन के लिए आयोग की स्थापना और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

खण्ड 2 से 34 तक

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 34 तक विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 से 34 तक विधेयक में जोड़ दिये गये

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

1905 1, **अधिनियम सूत्र और नाम विधेयक में जोड़ दिये गये**

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री विधेयक पारित करने का प्रस्ताव रख सकते हैं।

श्री जनार्दन पुजारी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

8.33 म० प्र०

दिल्ली भाटक नियन्त्रण (संशोधन) विधेयक

निर्माण और आवास मंत्रालय में उप मंत्री (श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली के कुछ क्षेत्रों में किरायों और बेदखलियों तथा होटलों, आवास स्थलों की दरों के नियंत्रण और सरकार को खाली परिसर पट्टे पर देने की व्यवस्था है । अधिनियम के अध्याय चार में नियंत्रकों की नियुक्ति तथा उनकी शक्तियों और कृत्यों तथा अपीलों का प्रावधान है । मालिक मकान तथा किरायेदार अपने मामलों का निपटान इस अधिनियम के अन्तर्गत किराया आयुक्त और अतिरिक्त किराया आयुक्त के न्यायालयों में करवाना पसन्द करते हैं । इस समय दिल्ली में एक किराया आयुक्त और छह अतिरिक्त किराया आयुक्त हैं । किराया आयुक्त/अतिरिक्त किराया आयुक्तों के आदेशों से उत्पन्न होने वाली अपीलों को निपटाने के लिए एक किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण है और न्यायाधिकरण को प्रत्येक अपील अधिनियम की धारा 38 के अन्तर्गत भेजी जाती है । अतिरिक्त किराया नियंत्रण न्यायाधिकरणों की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है ।

विगत में यह देखा गया है कि किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण में अनेक अपीलें बकाया पड़ी हैं, और अकेला किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण इन अपीलों को निपटाने में सक्षम नहीं है, जिसके परिणामस्वरूप मामलों को निपटाने में विलम्ब होता है और न्याय में विलम्ब न्याय से वंचित करना है । दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी कहा है कि न्यायाधिकरण के पास बकाया अपीलों की संख्या बहुत अधिक है ।

8.35 म० प्र०

(श्री मूलचन्द डागा पीठासीन हुए)

दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा महसूस की जाने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए

[श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ]

और न्यायाधिकरण के पास पड़ी बकाया अपीलों को तेजी से निपटाने के लिए अतिरिक्त किराया नियंत्रण न्यायाधिकरणों की नियुक्ति के लिए दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, 1958 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। तद्नुसार, अधिनियम में धारा 38क अन्तःस्थापित की गई है, और अधिनियम में अब अन्तःस्थापित धारा 38ख के अन्तर्गत दिल्ली उच्च न्यायालय को अपीलों को एक न्यायाधिकरण से दूसरे अतिरिक्त न्यायाधिकरण आदि को अन्तरित करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

संसद के सदनों की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति की सिफारिशों को प्रभावी करने के लिए, संसद के समक्ष नियमों को सभा पटल पर रखने से सम्बन्धित उपबंधों में संशोधन करने के लिए भी अवसर का लाभ उठाया गया है। अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने सिफारिश की है कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष नियमों को एक सत्र अथवा दो या दो से अधिक सत्रों में कुल मिलाकर तीस दिन की अवधि के लिए सभा पटल पर रखने के लिए एक जैसा कानून होना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक पर विचार करने का प्रस्ताव पेश करता हूं।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री सुशील भट्टाचार्य (बर्दवान) : सभापति महोदय, यह विधेयक वास्तव में वर्ष 1980 में प्रस्तुत किया गया था और हम इस पर मई, 1984 में विचार कर रहे हैं। देर आयद दुरुस्त आयद।

दिल्ली भाटक अधिनियम की धारा 38 में केवल एक ही किराया नियंत्रण न्यायाधिकरण की व्यवस्था है और वह भी केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। चूंकि, सैंकड़ों मामले बकाया पड़े हैं और संबंधित पक्षों को कठिनाई हो रही है और अतिरिक्त न्यायाधिकरणों की नियुक्ति का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अधिनियम में संशोधन आवश्यक हो गया है।

संसद के दोनों सदनों की अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने भी अतिरिक्त न्यायाधिकरण बनाए जाने की सिफारिश की है।

चूंकि धारा 38, 39, 40 और 56 में संशोधन करने से अपीलों का तेजी से निपटान हो सकता है और कोई अतिरिक्त व्यय नहीं होता, इसीलिए, मैं अनुभव करता हूं कि प्रस्तावित विधेयक में यदि उपयुक्त संशोधन किये जाते हैं, तो इससे किराएदारों और मकान मालिकों, दोनों को ही मदद मिलेगी। इस प्रकार, मैं कुछ शर्तों के साथ विधेयक का समर्थन करता हूं।

पहले, मामलों के निपटान के लिए कोई समय-सीमा नहीं है और मामले लटक सकते हैं जिससे विधेयक का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जायेगा।

दूसरे, जैसाकि विधेयक में प्रस्तावित किया गया है, वर्तमान जिला और सत्र न्यायाधीश ही अतिरिक्त न्यायाधिकणों में नियुक्त किए जाएंगे। किन्तु जिला और सत्र न्यायाधीशों के पास जिला और सत्र न्यायालयों से सम्बन्धित मामलों की पहले ही अधिकता है। इसलिए केवल उनकी नियुक्ति से ही वर्तमान स्थिति नहीं सुधरेगी।

तीसरे, छोटे मकान मालिकों के मामले, जो स्वयं अपने प्रयोग के लिए मकान खाली कराना चाहते हैं, छोड़ दिए गए हैं किन्तु सहानुभूति तथा अन्य मानवीय कारणों से ऐसा करना आवश्यक है।

महोदय, किराया आवास से सम्बन्धित है और आवास की समस्या राजधानी दिल्ली में काफी गम्भीर है। दिल्ली तथा इसके आस-पास बहुत-सी औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कम्पनियां हैं। इसलिए, इन औद्योगिक और वाणिज्यिक कम्पनियों के बहुत से कर्मचारी दिल्ली में रहते हैं। किन्तु उद्योगपति तथा वाणिज्यिक कम्पनियां, इन कर्मचारियों को क्वार्टर उपलब्ध नहीं करातीं। सबसे बढ़कर सरकार स्वयं अपने सभी कर्मचारियों को क्वार्टर उपलब्ध कराने की स्थिति में नहीं है। इसलिए, इस प्रकार की स्थिति में मकान मालिक मकानों की कमी का पूरा फायदा उठाते हैं।

(व्यवधान)

8.40 म० प्र०

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

इस प्रकार की स्थिति में मकान मालिक मकानों की कमी का पूरा फायदा उठाते हैं और अपनी मर्जी से किराया निर्धारित करते हैं। परिणामस्वरूप किराएदारों और मकान मालिकों के बीच विवाद उठते हैं और वह अदालत में जाते हैं और इस कारण से बकाया अपीलों की संख्या में वृद्धि होती है।

इसके अलावा, मकान किराए पर देने का अर्थ है कम से कम जोखिम में अधिक लाभ और व्यापारी उद्योग में निवेश करने की अपेक्षा मकान बनाने में अधिक इच्छुक हैं। धन के इस प्रकार के निवेश को सरकार नहीं पकड़ पाती है और इसके परिणामस्वरूप आय कर की चोरी होती है।

[श्री सुशील भट्टाचार्य]

धन के इस प्रकार के निवेश, जो उद्योग को धन से वंचित करता है और काले धन को बढ़ावा देता है, पर सरकार द्वारा रोक लगायी जानी चाहिए और पगड़ी अथवा मकान किराए पर लेते समय किराएदारों द्वारा मकान मालिकों को किसी भी रूप में दिए जाने वाले अग्रिम की वर्तमान प्रथा को रोका जाना चाहिए।

इससे पहले मैं अपनी बात समाप्त करूं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह व्यापार को सीमित क्षेत्रों तक प्रतिबन्धित रखे और आवासीय परियोजनाओं को इस प्रकार चरणबद्ध तरीके से आरम्भ करे जिससे न केवल उसके अपने कर्मचारियों बल्कि आम लोगों को भी क्वार्टर मिल सके और सरकार को चाहिए कि वह औद्योगिक और वाणिज्यिक कम्पनियों के प्रबन्धकों को भी बाध्य करें कि वह अपने कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराए। इन उपायों से यदि स्थिति पूरी तरह हल नहीं भी होती, तो भी काफी सुधरेगी।

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : आप हमें यह बतलाइये कि दिल्ली में रेन्ट कन्ट्रोल कितने हैं ? इन कन्ट्रोलर्स के पास केसेज कब से पैण्डिंग हैं और कितने केसेज़ पैण्डिंग हैं ? आज दिल्ली में सवाल यह है कि कन्ट्रोलर्स कम हैं, कन्ट्रोलरों के पास पेशियां बहुत ज्यादा हैं। एक कन्ट्रोलर एक केस को डिसाइड करने में पांच-सात साल लगा देता है, जिसके कारण यह परेशानी है। पहले इस का परपज यह था कि जो किरायेदार होते थे, उनकी रक्षा करता था, लेकिन आज क्या हो गया है—यह खिचड़ी एक्ट बन गया है, अब यह किरायेदार ही नहीं, मकानदारों की, मकान मालिकों की भी रक्षा करने लगा है। आपके पास कन्ट्रोलर कम हैं जिसकी वजह से वे डे-टु-डे हीयरिंग नहीं लेते हैं और जो मालिक हैं उनकी हालत क्या है; इसके आंकड़े सदन के सामने दीजिए। हमें बतलाइये कि कितने केसेज पैंडिंग हैं और कन्ट्रोलर कितने महीनों में मामले को तय करता है।

श्री एम० रामन्ना राय (कासरगोड़) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली तथा उपनगरीय क्षेत्रों में लोगों के लिए आवासीय सुविधाओं की कमी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए बहुत से लोगों के सहकारी ग्रुप हाउसिंग सोसायटियां बनायी है और अब वे सरकार द्वारा भूमि आवंटित किए जाने की प्रतिक्षा कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय से मेरा विशेष रूप से निवेदन है कि इस शहर में लोगों को आवासीय सुविधाएं देने और उन्हें स्वयं अपने मकान बनाने में सहायता देने के लिए सरकार को सहकारी ग्रुप हाऊसिंग सोसायटियों को भूमि आवंटित करने के काम में तेजी लानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : कम से कम मंत्री जी इतना तो बतलायें कि जो बिल 1980 में आना था, वह 1984 में क्यों आ रहा है ? यह देर-आयद-दुरुस्त-आयद वाली बात नहीं है। आप पार्लियामेंट सेशन को जिस तरह से कम करते जा रहे हैं, यह उसका नतीजा

है कि लेजिस्लेशन्ज पड़े रहते हैं, पार्लियामेंट के सामने नहीं आते, उन पर विचार करने का समय ही नहीं मिलता। आप फैसला कीजिये कि पार्लियामेंट के सेशन को बढ़ाया जायेगा, घटाया नहीं जायेगा।

दूसरी बात अकेले ट्रिब्यूनल बढ़ाना काफी नहीं है। यह सही दिशा में एक कदम है लेकिन रैंट कंट्रोल पर फिर से विचार करने की जरूरत है। जो आदमी अपना मकान बनाता है और किराए पर दे देता है, अगर वह खुद रहने के लिए मकान चाहता है तो उसे नहीं मिलता। यह ठीक है कि जब उसने मकान बनाया था तो वह उसका मालिक था, लेकिन किराए पर देने के बाद अगर वह खुद मकान में रहना चाहता है तो उसके लिए इसमें कोई व्यवस्था नहीं है। मामले बहुत लंबे लटक रहे हैं और जो कानून किराएदार की मदद के लिए बना था वह सबको परेशान कर रहा है। दिल्ली में तो यह गंभीर समस्या है। यह तो आप पास करा लेंगे लेकिन एक पूर्ण और ब्यौरेवार विवरण के साथ बिल लाने की आवश्यकता है, ऐसा हो तब तो बात समझ में आ सकती है।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : उपाध्यक्ष जी, वाजपेयी जी ने कहा कि बहुत देर से अमेंडमेंट आ रहा है, लेकिन जो कारण उन्होंने बताया है, ऐसा नहीं है। पार्लियामेंट के सत्र कम नहीं हुए हैं। जितने सत्र पहले होते थे उतने ही अब होते हैं। एक-दो दिन इधर-उधर हो सकता है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : हफ्तों का फर्क है।

श्री बूटा सिंह : ऐसा नहीं हुआ है। एक-दो बार शायद बढ़ाया ही गया है। यह कहना कि हम पार्लियामेंट से डरते हैं और पार्लियामेंट को कम कर रहे हैं, यह गलत है। इसमें सच्चाई नहीं है। हम पार्लियामेंट का पूरा सम्मान करते हैं। जितने सत्र हैं उतने ही चल रहे हैं। जितना बिजनेस इस पार्लियामेंट में हुआ है, शायद पहले इसके मुकाबले में नहीं हुआ होगा। यह मैं मानता हूं कि इसमें देर हुई है, इस पार्टिकुलर अमेंडमेंट में, बहुत छोटा-सा अमेंडमेंट है। जैसी मांग की गई है कि एक कंप्रेहेंसिव बिल, रैंट कंट्रोल बिल फार दिल्ली, आना चाहिए, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूं। आज जो स्थिति हाउस ओनर्स की है, उसको देखते हुए इसमें बहुत संशोधन की जरूरत है। बहुत कुछ करने की जरूरत है। उसके लिए एक बिल बिल्कुल कंप्लीट तैयार है। उसको जल्दी से जल्दी लाया जाएगा। इसमें हाउस ओनर्स की जितनी दिक्कतें हैं, उनको ध्यान में रखा जा रहा है। यह तो छोटा-सा अमेंडमेंट है। केसेस बढ़ रहे हैं, ट्रिब्यूनल कम हैं, इसके लिए संक्षेप में अभी इसको लाया गया है। मैं सोचता हूं कि इसके ऊपर कोई आपत्ति नहीं होगी।

उपाध्यक्ष महोदय : एक और सूचना है। हमारे पास उपलब्ध कुल समय में से, हम विधायी कार्य पर केवल 35 प्रतिशत समय लगाते हैं। यदि सभी नेता बैठें और इसे बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दें और अन्य 50 प्रतिशत अन्य मामलों पर लगाएं तो यह अच्छा होगा।

श्री बूटा सिंह : महोदय, यह सूचना देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । श्री वाजपेयी भी यह जानकर अत्यधिक प्रसन्न होंगे कि विशेष रूप से इस सत्र में हम विपक्ष द्वारा सुझाए गए इतने मुद्दों को शामिल कर सके हैं, जितना हमसे संभव हो सका है । हम और मुद्दों को भी समय देना चाहते थे । विधायी कार्य का समय कम करके हम विपक्ष के दृष्टिकोण को शामिल करते रहे हैं क्योंकि हम भी समझते हैं कि जो मुद्दे उठाए गए हैं, वे राष्ट्रीय महत्व के हैं और हमें उन पर सदन में अवश्य चर्चा करनी चाहिए । यह भी एक कारण था कि अन्त में विपक्षों के लिए बहुत अधिक कार्य रह गया । मैं सदन का इस बात के लिए आभारी हूं कि मेरे निवेदन पर सभा की बैठकें सामान्य अवधि के बाद देर तक होती रही हैं ।

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ : महोदय, मैं माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस विधेयक की अपना समर्थन दिया । सर्वप्रथम, मैं, माननीय सदस्य श्री डागा द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर देना चाहूंगा । उन्होंने पूछा है कि कुल कितने भाटक नियंत्रक और अतिरिक्त भाटक नियंत्रक हैं । एक भाटक नियंत्रक और छः अतिरिक्त भाटक नियंत्रक हैं । 30-9-1983 तक 15,667 मामले लंबित पड़े थे···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : यह मामले कितने समय से लम्बित पड़े हैं ?

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ : माननीय सदस्य अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि न्यायालयों मे समय लगता है; वे वर्षों से लंबित पड़े हैं । परन्तु इस समय मैं यह बताने की स्थिति में नहीं हूं कि यह मामले कितनी-कितनी अवधि से लंबित पड़े हैं । इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है । इसे एकत्रित किया जाएगा···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री डागा जैसे अधिवक्ता स्थगन की मांग करते हैं और इसीलिए विलम्ब होता है ।

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ : माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों के सम्बन्ध में, मैं अवश्य कहूंगा कि एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा, जिसमें माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सभी सुझावों पर विचार किया जाएगा ।

वर्तमान संशोधन बहुत सीधा-सादा है । यह भाटक नियंत्रण न्यायाधिकरण के विषय में है क्योंकि एक न्यायाधिकरण उसके समय लंबित पड़ी अपीलों को निबटा नहीं पाया । हमने अन्य न्यायाधिकरणों का प्रावधान किया है । अन्य मुद्दों के विषय में, मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि एक व्यापक विधेयक लाया जा रहा है ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

> "कि दिल्ली भाटक नियंत्रण अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 4 विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,—

"1980" के स्थान पर "1984"

प्रतिस्थापित किया जाये (?)

(श्री बूटा सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि —

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियम व सूत्र

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,—

"इकत्तीसवें" के स्थान पर

"पैंतीसवें" प्रतिस्थापित किया जाए (1)

(श्री बूटा सिंह)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है—

"अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री मोहम्मद उस्मान आरिफ : मैं प्रस्ताव करता हूं—

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

———

8.52 म० प्र०

वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1984

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री के० विजय भास्कर रेड्डी) : आपकी अनुमति से, मैं वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1984 प्रस्तुत करने से पूर्व सदन के विचारार्थ कुछ शब्द कहना चाहता हूं ।

वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में जहाजरानी मामलों पर अन्तर्राष्ट्रीय अभिभागों को प्रभावी बनाने के लिए समय-समय पर संशोधन किए जाते रहे हैं । पिछले संशोधनों के पश्चात प्रकाश में आई कमियों की राष्ट्रीय पोत परिवहन बोर्ड द्वारा जांच की गई है और अब यह विचार है कि अधिनियम में संशोधन करके उसकी सिफारिशें लागू की जाएं ।

वर्तमान विधेयक, मुख्य रूप से नाविकों के कल्याण से सम्बन्धित है । वर्तमान विधेयक की मुख्य बातों में से एक, समुद्रगामी पोतों के कर्मचारी वर्ग के सदस्यों की मृत्यु अथवा नियुक्ति के दौरान किसी दुर्घटनाओं के कारण आई चोट के बीमे का प्रावधान है । प्रत्येक समुद्रगामी पोत के मालिक को यह दायित्व डाला गया है कि इस उद्देश्य से एक बीमा पालिसी ले । ऐसी पालिसी लिए बिना पोत चलाने पर प्रतिबंध का भी प्रावधान किया जा रहा है । कोई भी सीमा शुल्क समाहर्त्ता बीमा पालिसी का प्रकरण प्रस्तुत न किए जाने तक किसी समुद्रगामी पोत को पत्तन से रवाना होने की मंजूरी प्रदान नहीं करेगा । संशोधन का अन्य मुद्दा विदेशी पोतों द्वारा नाविकों की नियुक्ति से सम्बन्धित है । वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अनुसार भारतीय पत्तनों पर भारतीय नाविकों की नियुक्ति केवल नाविक रोजगार कार्यालय के माध्यम से ही की जा सकती है । हालांकि, अपवाद के रूप में, अधिनियम की धारा 102 में विदेशी ध्वज पोत के 'मास्टर' को, भारतीय पत्तन पर सतत भारावतरण प्रमाणपत्र धारक न होने की स्थिति में, नाविक रोजगार

कार्यालय के माध्यम के अलावा भी नाविकों की भर्ती की अनुमति है। यह ध्यान में आया है कि अधिकतर विदेशी ध्वज पोतों के 'मास्टर' ऐसे भारतीयों अथवा विदेशियों को नियुक्त करते हैं जिनके पास उनके देश द्वारा जारी किया गया सतत भारावतरण प्रमाणपत्र नहीं होता है। खंड 102 को बदलने का प्रस्ताव किया गया है जिससे किसी विदेशी ध्वजपोत द्वारा किसी भारतीय पत्तन पर नियुक्ति के अवसर उन्हीं नाविकों तक सीमित किए जा सकें जो या तो उस देश से सम्बन्धित हों, जिस देश का पोत है, अथवा उस देश के हों जहां से पोत के शेष कर्मचारी नियुक्त किए गए हों, इसके पीछे धारणा यह है कि भारतीय पत्तन पर ऐसे नाविकों की अनुपलब्धता पर स्वाभाविक रूप से ऐसे भारतीय नाविक नियुक्त किए जाएंगे, जो 'सतत भारावतरण प्रमाणपत्र' धारक होंगे।

इस समय अधिनियम में नाविकों के नाम पर 'शिपिंग मास्टर' के पास जमा धन के उपयोग के लिए कोई प्रावधान नहीं है जिससे ऐसा धन अवितरित रहता है अथवा उसका कोई दावेदार नहीं रहता है। कल्याण के उपाय के रूप में, इस प्रावधान का प्रस्ताव किया गया है कि यदि 'शिपिंग मास्टर' के पास जमा धन के लिए छः वर्ष के भीतर कोई दावा प्राप्त नहीं होता है, तो वह राशि केन्द्रीय सरकार के आदेशों की प्राप्ति पर नाविकों के कल्याण के लिए उपयोग की जाएगी।

धारा 141(3) में यह उपबन्ध है कि तमृ नाविक के मुआवजे के रूप में अदा की जाने वाली कोई राशि उसके कानूनन उत्तराधिकारी को अदा की जा सकती है। क्योंकि उत्तराधिकारी साबित करने की कानूनी कार्यवाही काफी जटिल हैं अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि नाविक द्वारा मनोनीत किए गए परिवार के किसी व्यक्ति को मुआवजा अदा कर दिया जाए। इस प्रयोजन से, धारा 141(3) में संशोधन करने का प्रस्ताव है और वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम की धारा 3 में 'कुटुम्ब' की भी परिभाषा दी गई है।

धारा 159(ख) में उपबन्ध है कि किसी मृत नाविक के लिए देय धन पर दावे की पात्रता पर विचार करने के लिए 'शिपिंग मास्टर' वसीयत, प्रशासन पत्र अथवा भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र की मांग कर सकता है। चूंकि महाप्रशासक अधिनियम, 1963 की धारा 29 के अन्तर्गत जारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया और अधिक तत्परतायुक्त है, अतः यह प्रस्ताव किया गया है कि इस धारा में यह उपबन्ध करने के लिए संशोधन किया जाए कि महाप्रशासक द्वारा अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत जारी किया गया प्रमाणपत्र मृत नाविक को देय मजूरी की अदायगी के लिए पर्याप्त होगा। इस समय अधिनियम में व्यावसायिक दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए कोई उपबन्ध नहीं है। अधिनियम में केन्द्रीय सरकार को भारतीय पोतों में सुरक्षापूर्ण कार्य स्थितियां सुनिश्चित करने और व्यावसायिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्तियां प्रदान करने के लिए अधिनियम में उपबन्ध करने का प्रस्ताव है।

अधिनियम की धारा 101 में उपबन्ध है कि जहाजों के कर्मचारियों के साथ हुए समझौते

[श्री के० विजय भास्कर रेड्डी]

के अनुच्छेदों पर 'मास्टर' और नाविकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। इस धारा में यह उपबन्ध करने हेतु संशोधन करना वांछनीय समझा गया करके कि पोत के स्वामी अथवा एजेंटों को भी समझौते पर हस्ताक्षर करना आवश्यक है जिससे कि जहाजियों की मजूरी की अदायगी और उनके हितों के रक्षार्थ उपबन्धों के संबंध में समझौते के दायित्वों से वे भी बाध्य हों।

विधेयक में शेष संशोधन गौण अथवा पारिवारिक स्वरूप के हैं। उपर्युक्त परिस्थितियों में मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री एम० रामन्ना राय (कासरगोड) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक को जिस ढंग से पुरस्थापित किया गया है, उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं।

फिर भी, यह निर्णय लिया गया था कि विधेयक पारित किया जायेगा। मंत्री महोदय इस उपाय की अविलम्बनीयता के बारे में कुछ बताने में असमर्थ हैं, फिर भी, क्योंकि यह कल्याणकारी राज्य हैं। लोगों, विशेषकर कामगर वर्गों तथा अन्य लोगों की उन्नति के लिए इस प्रकार का संशोधन आवश्यक है। इस विधेयक के पुराने उपबन्धों में संशोधन और उसमें प्रगतिशील उपबन्धों का प्रावधान करके कल्याणकारी राज्य का नियत लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। परन्तु, इस मामले में भी, मैं नहीं समझ सकता कि सरकार समूचे नौवहन उद्योग को राष्ट्रीयकृत करने में क्यों हिचकिचाती है। यह इस देश की जनता की, विशेषकर वाणिज्य पोत परिवहन आदि से संबद्ध लोगों की, मुख्य मांग है। यह उचित अवसर है कि सरकार समूचे नौवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए गंभीरता से विचार करे। कामगरों की आम शिकायत यह है कि उन्हें समान कार्य के लिए समान मजदूरी नहीं मिल रही है। उनके साथ भेदभाव किया जाता है। एक ही तरह के काम के लिए एक कामगर को दूसरे की एक तिहाई मजदूरी मिलती है। विशेषकर इस उद्योग में बड़ी संख्या में कामगरों को स्थायी भी नहीं किया जाता है।

9.00 म० प०

अतः, सरकार को इन सभी पहलुओं पर गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए और नौवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण करने के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। मैं जानता हूं कि नौवहन कम्पनियों का एक मुख्य एकक गैर-सरकारी क्षेत्र का है जिसका नाम सिंधिया स्टीमशिप नैविगेशन

कम्पनी है। वे जो कुछ कर रहे हैं, वह इस प्रकार है। यह कम्पनी जान-बूझकर 50 प्रतिशत जबरी छुट्टी करती है। यह नहीं कहा जा सकता है कि उनके लिए अपना कार्य समुचित ढंग से करने के लिए कोई सुविधा नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि 50 प्रतिशत जबरी छुट्टी क्यों की जाती है। हम जानते हैं कि कुछ साल पहले एक अन्य नौवहन कम्पनी थी— तेजा कम्पनी। उन्होंने सरकार को धोखा देकर बहुत धन इकट्ठा किया और मुझे इस बात का बहुत सन्देह है कि सरकार सिंधिया स्टीमशिप नैविगेशन कम्पनी से सांठगांठ कर रही है। उस पर भी विचार करना पड़ेगा। अत: सरकार से मेरा यह अनुरोध है। कुछ भी हो, वे इस विधेयक को पारित करने वाले हैं। यदि यह विधेयक पारित भी कर दिया जाता है। तो वह लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है। यह एक साधन मात्र है। लक्ष्य क्या होना चाहिए ? अन्तोगत्वा नौवहन, विशेषकर वाणिज्य पोत परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इस समय मैं यहां एक लम्बा भाषण नहीं देना चाहता हूं। जहां तक हमारे नौवहन का सम्बन्ध है, भारत का अतीत गौरवमय था। दक्षिण के पाण्डिया और अन्य राजाओं ने वाणिज्यिक तथा अन्य प्रयोजनों के लिए संसार भर में जहाज भेजते थे। ये जहाज इण्डोनेशिया तथा अन्य देशों को जाते थे। परन्तु हमारे पोतों की स्थिति क्या है ? हम खाड़ी के चारों ओर और भारत के तटवर्ती क्षेत्रों की यात्रा करते हैं। इस लिए यह आवश्यक है कि इस पर गंभीरता से विचार करने के लिए और नौवहन उद्योग का विस्तार करने तथा संसार भर में व्यापार चलाने और संसार भर में प्रमुख नौवहन शक्ति बल बनने हेतु सरकार के लिए यह अच्छा अवसर है। हम जानते हैं कि सभी किस्म के परिवहनों में से नौवहन सबसे सस्ता परिवहन है। हम अब इसकी उपेक्षा कर रहे हैं। यह उचित अवसर है कि सरकार वाणिज्य पोतपरिवहन को आवश्यक प्रोत्साहन दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कल्याणकारी उपायों का स्वागत कर सकते हैं।

श्री रामन्ना राय : इसमें कल्याणकारी उपाय हैं। यह आवश्यक है। और कल्याणकारी उपायों की आवश्यकता है। इन शब्दों के साथ, मैं समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैंने अपनी प्रारम्भिक टिप्पणी में बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि नाविकों और जहाजों पर काम करने वाले कर्मचारियों की स्थिति में सुधार करने हेतु किये जाने वाले प्रशासनिक उपायों का यह एक हिस्सा है। किसी भी दल की ओर से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं इतना ही महसूस करता हूं कि ऐसा बहुत ही पहले किया जाना चाहिये था, क्योंकि इसके लिए कई अन्तर्राष्ट्रीय निकायों और अन्य एजेंसियों ने सिफारिश की थी। राष्ट्रीय पोतपरिवहन बोर्ड ने वर्ष 1967 से इस पर विचार किया। अन्ततोगत्वा, सरकार ने ऐसा करने का निर्णय लिया। मैंने जो उपाय पुरस्थापित किये हैं, वे पोतों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए लाभप्रद होंगे।

में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सिंधिया कम्पनी के बारे में हमें कोई आरोप नहीं लगाना चाहिए। सिंधिया बन्धुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के नौवहन उद्योग के

[श्री के० विजय भास्कर रेड्डी]

विकास में उनका महत्वपूर्ण ऐतिहासिक योगदान रहा है । अब उनकी स्थिति वास्तव में खराब है। यदि माननीय सदस्य ने गत पांच या छः वर्षों के दौरान उनकी व्यापारिक गतिविधियों पर गौर किया होता, तो वे ऐसी बात नहीं कहते । सरकार इस महत्वपूर्ण नौवहन घराने को कठिनाई से उबारने के लिए सहायता देने की कोशिश कर रही है । मैं आशा करता हूं कि सरकार की सहायता उपयोगी सिद्ध होगी ।

श्री एम० रामन्ना राय : उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने हेतु उनकी सहायता करने के बजाए, सरकार उसे अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेती ?

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : सरकार को उसे अपने हाथ में नहीं लेना है । हम समूचे नौवहन उद्योग का राष्ट्रीयकरण नहीं करेंगे । वर्तमान व्यवस्था जारी रहेगी और सरकार न केवल राष्ट्रीयकृत नौवहन घरानों की बल्कि निजी एजेंसियों की भी सहायता करेगी । मैं आशा करता हूं कि ये उपाय निम्नतम वर्गों के लिए भी सहायक सिद्ध होंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

उपाध्यक्ष महोदय : हम अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेंगे । खंड 2 से 22 । इन पर कोई संशोधन नहीं हैं ।

प्रश्न यह हैं :

"कि खंड 2 से 22 विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 से 22 विधेयक में जोड़ दिए गए ।

खंड 1

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 4

"1983" के स्थान पर "1984"

प्रतिस्थापित किया जाए । (2)

(श्री के० विजय भास्कर रेड्डी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है— .

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया ।

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,

"चौंतीस" के स्थान पर "पैंतीस"

प्रतिस्थापित किया जाए । (1)

(श्री के० विजय भास्कर रेड्डी)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

श्री के० विजय भास्कर रेड्डी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

9.08 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 9 मई, 1984 19 वैशाख, 1906 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

मुद्रक : आकाशदीप प्रिंटर्स, 20 दरियागंज, नई दिल्ली-6